



(विचार, विस्तार और नवाचार)

विद्वत् वाणी त्रैमासिक

(अंतर्राष्ट्रीय पूर्व-समीक्षित त्रैमासिक हिंदी शोध पत्रिका)

(An International Peer-Reviewed and Refereed
Quarterly Hindi Research Journal)

ISSN-3048-9547 (Print)

VOLUME 2 ISSUE 1 (1)

(JULY TO SEPTEMBER 2025)

(CONFERENCE PROCEEDINGS, SPECIAL EDITION)



हिंदू महाविद्यालय, अमृतसर, पंजाब, हिंदी-विभाग

एवं

अखिल भारतीय साहित्य परिषद, पंजाब इकाई

के संयुक्त तत्त्वावधान में

दिनांक 12 अप्रैल, 2025 को आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी
के शोध पत्र

विशेषांक संपादक

डॉ. दीप्ति

अध्यक्ष, हिंदी-विभाग

हिंदू महाविद्यालय, अमृतसर, पंजाब

सदस्य- संपादक मंडल

विद्वत् वाणी (त्रैमासिक)

प्रधान संपादक

डॉ. संजय रामन

विद्वत् वाणी (त्रैमासिक)

चेन्नई, तमिलनाडु



(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024

खण्ड - 2, अंक - 1(1)

(जुलाई से सितंबर - 2025)

Volume - 2, Issue - 1(1)

(July to September 2025)

Starting Year - 2024

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Research Journal

Our Mentors

1 Mr. Ashok Upreti - Former Indian Forest Service Officer, Retd. Principal Chief Conservator of Forests and State Head - (Forest Department Tamilnadu), Former Chairman - Research Advisory Committee of Tamilnadu.

2 Dr. Malini Pande - Professor and Additional Registrar, Director: Internal Quality Assurance Cell, Director: Center for Online Programs, Director: Academic Staff College, Special Officer - New Education Policy, Dr. MGR Educational : Research Institute, Deemed to be University, Chennai.

3 Dr. Davinder Singh Boha - Dist. Language Officer, (Retd.), S.A.S. Nagar, Dist Mohali, Punjab

आवरण पृष्ठ चित्र साभार - इंटरनेट

Published by:

(Research and Development Division)

Sharada Saptarishi Foundation (NGO)

(A Registered Organization with the Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India)

Address for Correspondence:

Plot No 2/463, Shri Balaji Nagar (Main),

Periyapalayam High Road, Thiruninravur, Dist-Thiruvallur, Chennai-602024, Tamilnadu



(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024

खण्ड - 2, अंक - 1(1)

(जुलाई से सितंबर - 2025)

Volume - 2, Issue - 1(1)

(July to September 2025)

Starting Year - 2024

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Research Journal

About the Journal

VIDWAT VANI is an International Peer Reviewed Quarterly Hindi Research Journal which publishes quality research papers in Hindi language. This Journal provides an excellent platform to provide access to Hindi research publications around the world. The Journal plays a very significant role in supporting the academic programmes of various Colleges and Universities globally for their Hindi Research Publications. Being an Open Access Journal, it identifies, evaluates, procures, processes and makes these research resources easily accessible to the faculty and research students for their teaching, study and research.

The Journal is published under the Aegis of **Sharada Saptarishi Foundation (NGO)**, Chennai. (A Registered and Licensed Organization with the Ministry of Corporate Affairs, Govt of India).

Vidwat Vani provides researchers and authors with an outstanding opportunity to publish their research articles on a diverse range of topics. These research papers undergo rigorous and transparent evaluation by our peer review board, ensuring high standards of consistency and scholarly integrity.

Mission: **Vidwat Vani** aims to foster academic excellence by promoting innovative research in Hindi literature, culture and philosophy etc. Our mission is to provide a platform for scholars and researchers to share their insights, encouraging intellectual discourse and preserving the richness of Hindi scholarly traditions.

Vision: **Vidwat Vani** envisions becoming a leading journal that bridges traditional and contemporary Hindi research, inspiring a new generation of scholars to explore and contribute to the evolving landscape of Hindi academia.

Our Values: We uphold academic integrity and accountability as paramount. We value intellectual excellence and research while encouraging a strong commitment to exploration, rationality and expertise, which form the cornerstone of our journal's scholarly culture.



(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024

खण्ड - 2, अंक - 1(1)

(जुलाई से सितंबर - 2025)

Volume - 2, Issue - 1(1)

(July to September 2025)

Starting Year - 2024

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Research Journal

Our Editorial Team

Editor-in-Chief:

Dr. Sanjay Raman, Director, Sharada Saptarishi Foundation, Address: No 8, Green City, Sripathi Nagar, Thiruninravur, Vill Pakkaam, Dist Thiruvallur, Chennai-602025, Tamilnadu
Email editor.vidwatvani@gmail.com

Our Editorial Board Members

We are proud to have a team of experienced and intellectually strong editorial board members.

1. Zhihui (Dr. Vivek Mani Tripathi)
Professor (Hindi), Guangdong University of Foreign Studies, China. (Xiaoguwai, Panyu District, Guangzhou 510006, China)
Email vmtripathi@gdufs.edu.cn

2. Dr. Sushma Malhotra
Assistant Faculty-Queens College
65-30, Kissena Blvd
Flushing NY 11367
Professor (Retd.), Office of Adult : Continuing Education (OACE),
New York City, Education Department,
New York, United States of America.
Email sushma.malhotra@qc.cuny.edu

3. Dhunpal (Raj) Heeraman

Retd. Senior Journalist, Hindi Scholar, Senior Hindi Author, Senior Poet, Morc. Swan, Pereybere, Grand-Baie Republic of Mauritius
Email rajheeramun7727@gmail.com

4. Dr. Vandana Sharma

Assistant Professor (Hindi), Central University of Jammu, Bagla (Rahya Suchani), Samba Jammu-181143, Jammu and Kashmir
Email vandana.hnd@cuammu.ac.in

5. Dr. Ashish Kumar

Asst. Director (O.L), Central University of Nagaland, Lumami, Nagaland, 798627
Email hindiofficer@nagalanduniversity.ac.in

6. Dr. P. Saraswathi

Assistant Professor (Hindi), University of Madras, Marina Campus, Chennai-600005, Tamilnadu.
Email sarashindi@unom.ac.in

7. Dr. Ashwini Shandilya

Assistant Professor (Hindi), Institute of Education and Training, Sector 2, Panchkula-134109, Haryana
Dept. of Education, (Govt of Haryana)
Email akakshandilya@gmail.com

8. Dr. Deepti

Assistant Professor and HOD,
(Department of Hindi),
Hindu College, Dhab Khatika,
Amritsar-143001, Punjab.
Email drdeeptisahni@gmail.com

9. Dr. P. Ezhil Nachiar

Assistant Professor (Dept of Hindi-Aided),
SDNB Vaishnav College for Women,
Vaishnava College Road, Lakshmi Nagar,
Shanti Nagar, Chrompet,
Chennai-600044, Tamilnadu.
Email nangai1001@gmail.com

10. Dr. Santosh Kumar Tiwari

Assistant Professor (Hindi),
Government Inter College, Shankarpur,
Pauri Garhwal-246001, Uttarakhand.
Email santoshtiwari913@gmail.com

11. Dr. Chandrika Choudhary

Asst. Professor (Dept of Hindi),
Late Raja Virendra Bahadur Singh
Govt. College, Saraipali-493558,
Dist. Mahasamund, Chhatisgarh.
Email drchandrikachoudhary@gmail.com

12. Dr. Vaddi Jagadeesh

Asst Professor (Dept of Hindi),
PNC COGNITIO DEGREE COLLEGE,
33 SRB Campus, Opp SRB Gardenia,
Kadugodi, Bengaluru-560067,
Karnataka
Email drvaddijagadeesh@gmail.com

Peer Review Committee Members**1. Dr. Dilip Kumar Medhi**

Professor, University of Gauhati,
Gopinath Bordoloi Nagar,
Jalukbari, Guwahati, Assam 781014
Email dkmedhi1@gauhati.ac.in

2. Dr. S.V.S.S. Narayan Raju

Professor, (Department of Hindi),
School of Social Sciences and Humanities,
Central University of Tamilnadu,
Thiruvavur-610005, Tamilnadu.
Email svssnraju@cutn.ac.in

3. Dr. Savita Dhudkewar

Assistant Professor (Retd),
Institute of Higher Education and Research,
Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha,
Madras, T. Nagar, Chennai-600017,
Tamilnadu.
Email savitashashikant@gmail.com

4. Dr. Diksha Mehra

Assistant Professor (Guest),
(Hindi and Other Languages Dept),
DSB Campus, Kumaun University,
Nainital-263002, Uttarakhand
Email dikshamehra12478@gmail.com

Assistant Editors

1. Prema Bhuwan Pandey - Poetess,
Novelist, Researcher, Reviewer, Author,
Senior Litterateur, Noida, Uttar Pradesh.
Email pandebhuwanchandra@gmail.com

2. Dr. K. Priya - Poetess, Reviewer, Young
Litterateur, Chennai
Email priyamuthukumaran2@gmail.com

3. Pooja Parashar - Poetess, Reviewer,
Ph.D. Scholar, Young Litterateur, Chennai.
Email poojasudharsun@gmail.com

4. Dr. R. Gowri - Senior Hindi Pracharak,
Author, Young Litterateur, Chennai
Email gowrirangaradjou@gmail.com



Published by:

Dr. Sanjay Raman, Editor-in-Chief

**(Research and Development Division)
Sharada Saptarishi Foundation (NGO)**

(A Registered Organization with the Ministry
of Corporate Affairs, Govt. of India)

Corporate Office:

No 8, Green City, Sripathi Nagar,
Thiruninravur, Dist Thiruvallur,
Chennai-602024, Tamilnadu

Address for Correspondence:

Plot No 2/463, Shri Balaji Nagar (Main),
Periyapalayam High Road, Thiruninravur,
Dist-Thiruvallur,
Chennai-602024, Tamilnadu

Printed by:

Karmanya Printers, Vill Pakkam,
Thiruninravur, Dist Thiruvallur,
Chennai-602024, Tamilnadu

Our Review Process

All research papers are reviewed by our qualified editorial board members and peer review committee members. Decisions on the paper review are made as rapidly as possible and our Journal responds to authors accordingly.

Guidelines for the Authors

Vidwat Vani welcomes the submission of manuscripts that meet the criteria of significance and subject excellence. The journal accepts only unpublished research papers. The main author must ensure that they have obtained necessary approval for their research paper publication from co-authors (if any).

The Journal adheres to a zero-tolerance policy for plagiarism and copyright infringement. All research paper submissions undergo a stringent plagiarism check before their acceptance for publication. However, the responsibility lies with the authors to ensure proper compliance with institutional approval where necessary.

Paper Submission Instructions

Electronic Submission: Only electronic submissions of research papers will be considered. The text should be error-free, fully typed in a single-spaced Microsoft Word file (in Arial Unicode/Mangal Font only) and should be mandatorily emailed to **editor.vidwatvani@gmail.com** as an attachment only. **(No PDF or JPG files will be accepted).**

Author Details: The research paper should include the full name of the author and co-author(s) (if any), along with the institution and place. A scanned photograph in JPG format must be sent with the submission.

Acceptance and Publication: Upon review by our Peer Review and Editorial Board team, an acceptance letter will be emailed to the author, including the expected publication date.

References: A minimum of 5 references is mandatorily required for each paper with proper details including the book title, author's name, place and year of publication and page numbers etc.

Abstract: Each research paper must have an abstract of 200 words, along with 5 keywords.

Copyright Agreement: Authors and co-authors (if any) must submit a filled and scanned copyright agreement form upon acceptance of their paper.

Publication Charges: Submission of the paper implies that the work is original and unpublished. Authors are required to pay a processing fee of Rs. 1200/- (Rupees One Thousand Two Hundred only) after acceptance for their paper publication.

Our Bank Account Details are as follows:

Vidwat Vani
(A Unit of Sharada Saptarishi Foundation)
Current Account No- 2502252278964414
IFSC Code AUBL0002522
AU Small Finance Bank
Phase 10, Mohali Branch, Punjab

or

Sharada Saptarishi Foundation
Current Account No 69640200000082
Bank Of Baroda
Nathamedu Branch
Dist Thiruvallur
Chennai-602025
IFSC Code BARB0VJNAME
(Cheques are Subject to Realization)



Publication Ethics

VIDWAT VANI follows the Committee on Publication Ethics (COPE) Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

The perspectives shared in the articles published in this research journal are those of the author(s) and do not imply endorsement by Vidwat Vani or its editorial board.

All disputes will be governed exclusively by the jurisdiction of Chennai.

Contact Us

Vidwat Vani (Quarterly Hindi Journal)
C/o (Research and Development Division)
Sharada Saptarishi Foundation (NGO)

Address for Correspondence

Plot No 2/463, Shri Balaji Nagar (Main),
Periyapalayam High Road, Thiruninravur,
Dist-Thiruvallur,
Chennai-602024, Tamilnadu
E-mail editor.vidwatvani@gmail.com

WhatsApp for Quick Response

7526889547, 6381710754, 9092720450

Editor-in-Chief: 9841234866 (Calls Only)
Dr. Sanjay Raman

Tamilnadu Coordinator
Ajay Raman- 9884423940

Punjab State Coordinator
Mohan Kumar- 9888890019
Surjit Singh- 7973278851

Graphic Designer
Harshvarthan. M, Chennai.

Composing
Bhavani Gangadhar, Thiruvallur.

Branch Administrative Assistant
Shankar Periyar, UT, Chandigarh.

महाविद्यालय के बारे में



हिंदू कॉलेज, भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है। सन् 1924 में स्थापित हिंदू कॉलेज, अमृतसर क्षेत्र के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है, जिसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता में 100 वर्षों की विरासत निहित है। विविध विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध यह कॉलेज, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के समग्र विकास को भी समान रूप से प्राथमिकता देता है। कॉलेज को NAAC द्वारा 'A' ग्रेड से मान्यता प्राप्त है।

कॉलेज ने समाज को ऐसे अभूतपूर्व छात्र दिए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान दिया है, जिससे उनके कॉलेज और देश का नाम वैश्विक मानचित्र पर सुशोभित हुआ है। डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के माननीय पूर्व प्रधान मंत्री, सर एस.एफ.एच.जे. मानेकशॉ, प्रथम फील्ड मार्शल, न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना, पूर्व केंद्रीय कानून और

न्याय मंत्री, पद्मविभूषण श्री महाराज कृष्ण रसगोत्रा, पूर्व भारतीय विदेश सचिव, एस. बिशन सिंह बेदी, पूर्व क्रिकेटर, श्री कपिल शर्मा, प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हमारे कुछ ऐसे शानदार पूर्व छात्र हैं, जिनके प्रति न केवल कॉलेज, बल्कि पूरा देश कृतज्ञ है। इसका समृद्ध इतिहास अमृतसर और आसपास के क्षेत्र के सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के अंतर्गत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए आत्मनिर्भरता और नागरिक ज़िम्मेदारी की भावना पैदा करना रहा है। ज्ञान, प्रगति और सामाजिक परिवर्तन के एक प्रकाशस्तंभ के रूप में, यह पंजाब के शैक्षणिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को आत्मसात करते हुए महाविद्यालय हिंदी में मौलिक ज्ञान के प्रचार हेतु प्रतिबद्ध है।

हिंदी विभाग के बारे में

हिंदी विभाग की स्थापना वर्ष 1924 में हुई

थी। हिंदी विभाग छात्रों को नवाचार और अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करते हुए हिंदी विषय में स्नातक का कार्यक्रम संचालित करता है। हिंदी विभाग समय-समय पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनारों, ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशालाओं/जागरूकता कार्यक्रमों और अतिथि व्याख्यानों के आयोजन के साथ ही अनेक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विविध प्रतियोगिताओं एवं साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन द्वारा अहिंदी भाषी छात्रों को हिंदी साहित्य और संस्कृति से जोड़ने के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। विभाग, छात्रों को साहित्य के विभिन्न रूपों (कविता, कहानी, निबंध

और नाटक) के अध्यापन-अध्ययन के द्वारा साहित्य रूपी बहुमूल्य धरोहर से परिचय के साथ-साथ विद्यार्थियों की साहित्यिक संवेदनशीलता और रचनात्मक कला एवं प्रतिभा को निखारने हेतु रचनात्मक लेखन के अवसर भी प्रदान करता है। हिंदी विभाग न केवल राजभाषा शिक्षण की दिशा में कार्य करने में संलग्न है, बल्कि छात्रों में भाषा कौशल को विकसित करते हुए हिंदी भाषा के प्रति रुझान बढ़ाने के साथ ही भारतीय संस्कृति, साहित्य और मानवीय मूल्यों के प्रति गहरी समझ और सम्मान विकसित करने के साथ ही आत्मविश्वासी युवा वर्ग के निर्माण में प्रतिबद्ध है।



अनुक्रमणिका

Table of Contents

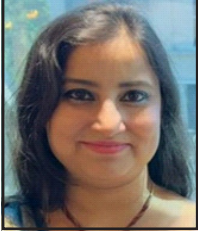
1. फणीश्वरनाथ रेणु का कथा-साहित्य और मानवाधिकार डॉ. चंद्रिका चौधरी, छत्तीसगढ़ 14	प्रसाद मिश्र की आलोचना पद्धति के संदर्भ में) संदीप कुमार, शिमला, हिमाचल प्रदेश 64
2. कैलाश बनवासी के साहित्य में मानवाधिकार दुर्गेश कुमार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 19	11. डॉ. सुशीला टाकभौरे कृत 'नीला आकाश' के संदर्भ में- दलित चेतना और सामाजिक परिवर्तन डॉ. जया सुभाष बागुल, घनसावंगी 70
3. मन्नू भण्डारी की कहानियों में मानवाधिकार से संबंधित चुनौतियाँ स्निग्धा सिंह, भुवनेश्वर, ओड़िशा 24	12. जातिवाद और मानवाधिकार के प्रति संजीव का साहित्यिक दृष्टिकोण मिथुन नोनिया, मिदनापुर, पं. बंगाल 76
4. हिंदी साहित्य में ए.आई. और मानवाधिकार: एक आलोचनात्मक अध्ययन डॉ. के. प्रिया, चेन्नई, तमिलनाडु 29	13. कुसुम कुमार के नाटकों में मानवीय अधिकारों की अभिव्यक्ति कमल कौर, पटियाला, पंजाब 81
5. मानवीय मूल्यबोध का संकट और समकालीन हिंदी दलित कहानियाँ रश्मिरेखा बेहेरा, भुवनेश्वर, ओड़िशा 35	14. भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवाधिकार: विद्यानिवास मिश्र का साहित्यिक परिप्रेक्ष्य हेम कुमार गहतोड़ी, खटीमा, (उधम सिंह नगर), उत्तराखण्ड 87
6. तेजेन्द्र शर्मा की कविताओं में मानवाधिकार के स्वर हेमांगी साहू, भुवनेश्वर, ओड़िशा 40	15. जर्मन उपन्यास 'सिद्धार्थ' के हिंदी अनुवाद: भारतीय मूल्यों और मानवाधिकार अवधारणाओं की पुनर्व्याख्या रवि कुमार, वर्धा, महाराष्ट्र 92
7. राजेश जोशी के काव्य में मानवाधिकार की संकल्पना : मानव मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में राजवीर कौर, पटियाला, पंजाब 45	16. महेंद्र मधुकर के 'कस्मै देवाय' उपन्यास में चित्रित मानवाधिकार अंकिता महापात्र, भुवनेश्वर, ओड़िशा 98
8. प्रेमचंद का साहित्यिक परिप्रेक्ष्य और मानवाधिकार शांति सोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 51	17. फणीश्वरनाथ रेणु के कथा-साहित्य में स्त्री-जीवन एवं मानवाधिकार डॉ. विजय लक्ष्मी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड 104
9. मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में मालती जोशी की कहानियाँ शालिनी सिंह, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 58	
10. साहित्य और मानवाधिकार- (आचार्य नंददुलारे वाजपेयी और आचार्य विश्वनाथ	

18. साहित्य का दर्पण: मानवाधिकारों की संवेदना और संघर्ष का चित्रण
डॉ. श्वेत प्रकाश, बक्सर, बिहार 109
19. महिला अधिकारों के हनन का यथार्थ : लीना यादव निर्देशित फिल्म 'पार्चड'
डॉ. गजेन्द्र मोहन, अजमेर, राजस्थान 116
20. स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी में मानवाधिकार (मधुकर सिंह के कथा-साहित्य के संदर्भ में)
सुजीता नेत्री, मुजफ्फरपुर, बिहार 121
21. नागार्जुन की कविताओं में मानवाधिकार की संकल्पना : मानव मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में
पिंकी मीना, अजमेर, राजस्थान 127
22. महाभारत में न्याय व्यवस्था एवं दण्ड-विधान (शान्तिपर्व के विशेष संदर्भ में)
कैलाश चंद, रोहतक, हरियाणा 132
23. भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियाँ और मानवाधिकार; रचनाओं के औचित्य के संदर्भ में
अंकित श्रीवास्तव, कानपुर, उत्तर प्रदेश 137
24. आत्मकथा के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार : 'एक कहानी यह भी' का अध्ययन
डॉ. अश्विनी अजी, मदुरै, तमिलनाडु 142
25. भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवीय अधिकारों का मूल्यांकन
डॉ. सीमा तुकाराम जाधव, नासिक 147
26. मानवाधिकार के संदर्भ में "MOTHERS OF MANIPUR" का विश्लेषणात्मक अध्ययन
आतिरा. एम., त्रिशूर, केरल 153
27. नरेश सक्सेना और राजेश जोशी की कविताओं में समाज, यथार्थ और मानवीय चेतना : एक तुलनात्मक अध्ययन
गीतिका गुप्ता, अजमेर, राजस्थान 159
28. 21वीं सदी के संस्मरण-साहित्य में मानवाधिकार
मलय नीरव, दरभंगा, बिहार 164
29. हिंदी नाट्य परंपरा में मानवाधिकार
संध्या राय, दरभंगा, बिहार 170
30. समकालीन कविता में मानवाधिकार : संरक्षण एवं उन्नयन
शगनप्रीत कौर, श्री आनंदपुर साहिब 175
31. मानवाधिकार : अवधारणा, स्वरूप, विकास और वैश्विक परिप्रेक्ष्य
कुमारी आकांक्षा, जयलक्ष्मीपुरम, मैसूरु 180
32. मानवाधिकार और कवि मुक्तिबोध का काव्य
डॉ. सुधा मौर्य, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 187
33. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन,
पूजा कुमारी, झिटकी, मधुबनी, बिहार 191
34. हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में मानवाधिकार
लक्ष्मी सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 198
35. भारतीय साहित्य में मानवतावाद
हंस कौर, करनाल, हरियाणा 204
36. भारतीय ज्ञान परंपरा : पहचान के बिंदू
डॉ. रुपिन्द्र शर्मा, पटियाला, पंजाब 210
37. भारतीय ज्ञान परंपरा में आधुनिकता, महाभारत के आलोक में
भूप सिंह धामी, लोहाघाट, उत्तराखण्ड 215
38. हिंदी उपन्यास और मानवाधिकार : संवेदना से प्रतिरोध तक
पवन कुमार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 222

39. भारतीय साहित्य में मानवाधिकार
प्रो. सुषमा मल्होत्रा, न्यूयॉर्क, अमेरिका 229
40. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मानवाधिकारों
का संरक्षण और संवर्धन
पुष्पा सिंह, फगवाड़ा, पंजाब 235
41. आधुनिक हिंदी स्त्री-काव्य में मानवाधिकार
(भारती पंडित और दोलन राय की कृतियों के
विशेष संदर्भ में)
आन्ना पोनोमरेन्को, यूक्रेन, पूर्वी यूरोप 244
42. रामराज्य का दार्शनिक पुनर्पाठ : आधुनिक
संवैधानिक मूल्यों एवं मानवाधिकारों के
परिप्रेक्ष्य में
डॉ. आशा शर्मा, सोलन, हिमाचल प्रदेश 250



संपादकीय.....



मानवाधिकार का प्रश्न केवल विधि और संविधान तक सीमित नहीं है, वरन् यह साहित्य और संस्कृति का भी उतना ही बड़ा सरोकार है। इसी विचार ने हमें 12 अप्रैल 2025 को हिंदू कॉलेज, अमृतसर और अखिल भारतीय साहित्य परिषद, पंजाब इकाई के तत्वावधान में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रेरित किया, जिसका विषय रखा गया—“**भारतीय साहित्य एवं भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवाधिकार।**” इस विषय के चयन का मूल आधार यह था कि भारतीय ज्ञान परंपरा और साहित्य ने सदियों से समता, करुणा, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा जैसे मूल्य संजोए रखे हैं और आज के वैश्विक संदर्भ में जब अधिकारों के उल्लंघन के विविध समाचार हमें विचलित करते हैं, तब इन परंपरागत व सांस्कृतिक स्रोतों की ओर लौटना न केवल प्रासंगिक, अपितु आवश्यक भी होता जा रहा है। ऋग्वेद से लेकर तुलसी, कबीर और प्रेमचंद से होते हुए समकालीन हिंदी साहित्य तक, हर दौर ने मानवीय गरिमा की वकालत की है; इसलिए यह विषय महज अकादमिक विकल्प नहीं, वरन् सामाजिक उत्तरदायित्व की अभिव्यक्ति भी है। प्रस्तुत संगोष्ठी ने इतिहास और वर्तमान को जोड़ते हुए साहित्यिक-सांस्कृतिक संवेदनाओं के आधार पर मानवाधिकारों के गहन विमर्श को संभव बनाया।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत विचारों ने इस विमर्श को व्यापक और विविध आयाम दिए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में ब्रिटेन से डॉ. तेजेंद्र शर्मा, इंग्लैंड

से श्रीमती शैल अग्रवाल, कनाडा से डॉ. हंसादीप, यूक्रेन से डॉ. यूरी बोत्वीकिन, चीन से डॉ. विवेक मणि त्रिपाठी, सक्रिय रूप से शामिल रहे। इन वक्ताओं ने भारतीय साहित्य और ज्ञान परंपरा को वैश्विक मानवाधिकार विमर्श से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। लंदन से वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. तेजेंद्र शर्मा ने कहा कि भारतीय साहित्य की असली ताकत उसकी मानव-केंद्रित दृष्टि है, जो पश्चिम को भी नई राह दिखा सकती है। इंग्लैंड से श्रीमती शैल अग्रवाल ने बताया कि साहित्य और ज्ञान-परंपरा की संवेदनशीलता अंतर्राष्ट्रीय संवाद की भाषा बन सकती है। यह विषय केवल भारत की ही ज़रूरत नहीं, बल्कि वैश्विक बौद्धिक परिदृश्य की भी माँग है। कनाडा से जुड़ीं उपन्यासकार डॉ. हंसादीप ने भारतीय साहित्य एवं भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवाधिकार विषय से अवगत करवाते हुए बताया कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद हम सभी मानवों की मूलभूत आवश्यकताएँ समान होती हैं। फिर भी, जन्म से मृत्यु तक लगातार किसी न किसी आधार पर हमारी मानवीय गरिमा का हनन किया जाता है।

यूक्रेन से डॉ. यूरी बोत्वीकिन ने तो यहाँ तक कहा कि मानवाधिकार विमर्श विश्व मानवता की सांझा धरोहर है, जिसकी प्रासंगिकता समय के साथ और गहरी होती जाएगी। चीन से डॉ. विवेक मणि त्रिपाठी ने भारतीय ज्ञान परंपरा की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि यहाँ मानवाधिकार किसी दस्तावेज़ की देन नहीं, बल्कि जीवन-शैली का हिस्सा हैं।

अनेक प्राध्यापकों और शोधार्थियों के लिए यह आयोजन विशेष रूप से प्रेरक रहा। सभी प्रतिभागियों ने व्याख्यानों और संभावित संवादों के माध्यम से अनुभव

किया कि साहित्य केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं है, अपितु समाज की जटिलताओं को समझने और अधिकारों के संरक्षण हेतु सक्रिय उपकरण भी है। शोधार्थियों को विदेशी और राष्ट्रीय विद्वानों के विचारों से नए शोध-प्रश्न मिले; स्थानीय अनुभवों को वैश्विक संदर्भ में देखने का अवसर मिला और इस तथ्य से भी परिचित हुए कि, जब साहित्यिक संवेदना मानव अधिकार के साथ मिलती है, तो उसका प्रभाव स्थानीय सीमाओं से परे विश्वव्यापी संवाद में परिवर्तित हो जाता है। इसी क्रम में यह उल्लेखनीय है कि **विद्वत वाणी** जैसी अंतर्राष्ट्रीय पीयर-रिव्यूड त्रैमासिक शोध-पत्रिका ऐसे विमर्शों को प्रकाशित कर हिंदी अकादमिक जगत और वैश्विक शोध समुदाय के बीच सेतु का काम कर रही है। इस संगोष्ठी में प्रस्तुत उत्कृष्ट शोध-पत्रों को **विद्वत वाणी** पत्रिका के इस अंक में प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रस्तुत संगोष्ठी का प्रभाव गहन रहा। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रो. (डॉ.) नीलम राठी ने भारतीय संविधान और साहित्यिक परंपरा के बीच मानवाधिकारों की समानधर्मी संरचना पर प्रकाश डाला। अमृतसर से डॉ. मधु संधु ने भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्ध विरासत से अवगत करवाते हुए हिंदी साहित्य में स्त्री-अधिकार विमर्श की नई दिशाओं पर अपने विचार रखे। कालिकट विश्वविद्यालय, केरल से प्रो. प्रमोद कोवप्रत ने दक्षिण भारतीय हिंदी साहित्य के उदाहरणों के माध्यम से अधिकारों की चेतना को स्पष्ट किया। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से डॉ. संजीव कुमार ने भारतीय समाज के बदलते सांस्कृतिक परिदृश्य में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता पर महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। बिहार से डॉ. अनामिका सिंह ने मानवाधिकारों के संदर्भ में बाल, वृद्ध एवं युवा वर्ग के अधिकारों की दशा एवं दिशा पर विचार प्रस्तुत किए। पंजाब प्रांत के जालंधर से प्रो. विनोद कुमार ने 'मानवाधिकार सुरक्षा: एक यक्ष-प्रश्न; सांस्कृतिक व्यवस्था से सर्वरोग-शमन' विषय पर महत्वपूर्ण विचारों से अवगत करवाया।

इसी प्रकार पंजाब प्रांत के दीनानगर से डॉ. पूनम

महाजन, अमृतसर से डॉ. संजय चौहान, कपूरथला से डॉ. कुलविंदर कौर, धारीवाल गुरदासपुर से डॉ. पवन कुमार, फगवाड़ा कपूरथला से डॉ. नीलू शर्मा जैसे विद्वानों ने भी अपने शोध अनुभवों से अवगत करवाते हुए छात्रों और अध्येताओं को नई दृष्टि प्रदान की। इन राष्ट्रीय प्रस्तुतियों ने न केवल हिंदी जगत में विविध विमर्शों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया, अपितु क्षेत्रीय और राष्ट्रीय शोध-परिप्रेक्ष्य के बीच सहयोग की संभावनाओं को भी सुदृढ़ किया।

साहित्य में मानवाधिकारों का विमर्श आज केवल अधिकारों की सूची तैयार करने तक सीमित नहीं रह सकता; बल्कि यह तो वह चेतना जगाने में प्रयासरत है, जो जीवन की गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सतत बनाए रखे। इस संगोष्ठी का अनुभव यही सिखाता है कि जब तक साहित्य में मानवीय अधिकारों की गूँज सुनाई देती रहेगी, समाज में समता और न्याय की राह भी कायम रहेगी। यही संदेश इस संगोष्ठी ने दिया और यही इस विषय के चयन का मूल औचित्य भी है।

डॉ. दीप्ति

विशेषांक संपादक

सहायक प्राध्यापक, हिंदी-विभाग

हिंदू महाविद्यालय, अमृतसर, पंजाब

एवं सदस्य- संपादक मंडल

विद्वत वाणी-त्रैमासिक

अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यूड शोध पत्रिका, चेन्नई

संपर्क drdeeptihodhindi5@gmail.com



डॉ. चंद्रिका चौधरी

सहायक प्राध्यापक (हिंदी)
स्व. राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह
शासकीय महाविद्यालय
सरायपाली, जिला-महासमुंद
छत्तीसगढ़-493558
संपर्क
drchandrikachoudhary@gmail.com

फणीश्वरनाथ रेणु का कथा-साहित्य और मानवाधिकार

शोध सारांश

फणीश्वरनाथ रेणु, कथा जगत में गहन जन प्रतिबद्धता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उनकी कहानियाँ बदस्तूर चली आ रही परिपाटी से पृथक खड़ी होकर, सतत चलायमान जीवन-बोध से अलग, यथार्थ के नए और बेहद जरूरी पहलुओं को उजागर करती हैं। जिन मनुष्यों की पीड़ाओं, भावों, संवेदनाओं और समस्याओं पर अब तक ठेठ देहात का पर्दा पड़ा हुआ था, उस पर्दे को उन्होंने उतारकर फेंका ही नहीं, बल्कि तनिक सरकाकर उसके पीछे, बेजुबान, बेसहारा और हाशिए पर खड़े निपट स्थानीय लोगों को, तमाम तरह के रोगों, रूढ़ियों और अभावों के बीच भी गा-बजाकर जीवन का रस लेते दिखाया है।

मनुष्य अपनी चलती साँसों के साथ इस धरती पर स्वतंत्र पैदा होता है, मगर वक्त की धारा में बहते हुए, कई सामाजिक और आर्थिक बंधनों में बँधता चला जाता है। जो मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रताएँ उसके जीने के मायनों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और वही उसकी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, राष्ट्रीयता और तमाम तरह के बनाए इंसानी नियमों के चलते यदि उससे छीन लिए जाते हैं, तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप शांत जलीय सतह पर एक हलचल पैदा हो जाती है। इसी हलचल को बड़े साफगोई के साथ समाज के सामने साहित्य रखता है। फणीश्वरनाथ रेणु जैसा सामाजिक राष्ट्रीयतावादी लेखक मानवाधिकारों की पड़ताल न केवल अपने कथा-साहित्य में करता है, बल्कि तत्कालीन जन आंदोलन से जुड़कर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बराबर क्रियाशील रहकर अपना भरपूर योगदान देता है। रेणु की सामाजिक सक्रियता छात्र जीवन से ही रही। राजनीति से ही रेणु ने अपने जीवन का आरंभ किया। राजनीति उनके लिए दाल-भात की तरह रही, समाजवाद और सोशलिस्ट पार्टी के प्रति वे आस्थावान थे, इसलिए उनके पात्र ठेठ देहाती और अशिक्षित होने के बावजूद भी सामाजिक-राजनीतिक चेतना से लबरेज़ दिखाई देते हैं और मानवाधिकार का प्रश्न, सहज-सरल जीवन जीते हुए भी जगह-जगह उठाते हुए नज़र आते हैं।

बीज शब्द

1. सामाजिक यथार्थ 2. मूलभूत अधिकार
3. लोक संस्कृति 4. राजनीतिक चेतना
5. आंचलिकता 6. प्रतिबद्धता
7. राष्ट्रीय आंदोलन 8. ग्रामांचल 9. जागरूकता
10. सामंती शोषण 11. सामाजिक न्याय
12. फणीश्वरनाथ रेणु

मूल शोध

साहित्यिक प्रतिभा के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले साहित्यकारों में फणीश्वरनाथ रेणु का नाम प्रेमचंद के साथ लिया जा सकता है। ग्रामीण परिवेश पर कथा-कहानियाँ लिखने वाले प्रेमचंद की परंपरा की राह चलकर भी, रेणु की कहानियों की ज़मीन जितनी प्रेमचंद की कहानियों से भिन्न है, उतनी ही अपने समकालीन कथाकारों की कहानियों से भी। आंचलिक पृष्ठभूमि पर काव्यात्मक मिजाज़, ठेठ देशीपन, ग्रामीण-भाषा-संस्कृति और संगीतात्मक लहज़े की नई रीति के साथ सुंदर और सशक्त कथा-कहानियाँ लिखकर उन्होंने खुद को अन्य सभी कथाकारों से पृथक् खड़ा कर लिया है। फणीश्वरनाथ रेणु और प्रेमचंद का सामाजिक संदर्भों में भी एक साम्यता यह है कि दोनों ही अपने-अपने समय में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे, अपनी कथा-कहानियों में जन-सामान्य की पीड़ा के साथ-साथ, उनका अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता को भी बखूबी चित्रित किया। **“‘गोदान’ प्रेमचंद की अंतिम कृति है, ‘मैला आँचल’ रेणु की पहली। दोनों उपन्यास अपने-अपने कथा स्तरों पर समूचे जातीय जीवन को एकबारगी चित्रित करते हैं।”¹**

उनकी कथा-कहानियों में स्थानीय रस, रंग और गंध, गद्य के विशिष्ट (पर अनायास) ढंग के साथ आए हैं, जिनमें मानवाधिकारों की पड़ताल बड़ी चुप्पी के साथ की गई है और सामाजिक जागरूकता के प्रश्न बेखौफ उठाए गए हैं। रेणु को यह पता था कि प्रेमचंद की परंपरा में होने का अर्थ उन्हीं को दोहराना कतई नहीं है, इसलिए

उनकी कथा-भूमि ग्रामांचल की होने के बावजूद भी अपने स्वाभाविक रागात्मक तादात्म्य और सहज भाषा बोध के कारण पाठकों की संवेदना से स्वतः जुड़ती चली जाती है। **“‘मैला आँचल’ और ‘परती-परिकथा’ महज़ उत्कृष्ट आंचलिक उपन्यास नहीं हैं। वह भारतीय साहित्य में पहले उपन्यास हैं, जिन्होंने अपने ढंग से झिझकते हुए भारतीय उपन्यास को एक नई दिशा दिखाई थी। जो यथार्थवादी उपन्यास के ढाँचे से बिल्कुल भिन्न थी।”²**

रेणु के आंचलिक भाव-बोध में भी एक तरह का आधुनिकता-बोध है, जिसके चलते उनकी कहानियों का परिवेश कभी पुराना या धुँधला नहीं पड़ने पाता। वे मानवाधिकार और राष्ट्रीय जागरण के बिंदु ऐसे स्थानीय, भूखे, अंधविश्वासी सरल स्वभाव और अशिक्षितों में तलाशते हैं, जो मेरीगंज गाँव में रहते हुए भी पूरे भारतवर्ष के आम जनों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखते हैं। ताड़ और खजूर के विरल जंगलों, कमलों से सुशोभित पोखरों, वंध्या धरती का विशाल अंचल, बूढ़ी कोसी नदी, नाले और खेत-खलिहान के साथ जीवन जीते उनके पात्रों का स्वभाव, जहाँ भारतवर्ष की जनता से बड़ी सहजता के साथ जुड़ जाता है, वहीं उस परती भूमि की जीवन-यात्रा में गिरते-पड़ते, टूटते-बनते और जीते-मरते जन समुदाय के जीवंत, संतुष्ट और गयात्मक-लयबद्ध चित्र भी भारतवर्ष की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अपने परिवेश और काल में पूरी तरह वर्तमान रहकर समकालीन परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने के आधारभूत ढाँचे में खुद को ढाल कर तथा अपनी सीमित आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के मध्य जीवन के अभावों में खिलखिला पाना उनके पात्रों की प्रमुख विशेषता है। सामाजिक सक्रियता और जागरूकता के ताने-बाने के इर्द-गिर्द जिंदगी से रस तलाशने की प्रवृत्ति उनके पात्रों को अधिक जीवंत बनाए रखती है। **“रेणु का स्थान यदि अपने पूर्ववर्ती और समकालीन आंचलिक कथाकारों से अलग और विशिष्ट है, तो वह इसमें है कि आंचलिक उनका सिर्फ परिवेश था, उसके भीतर बहती जीवन धारा**

स्वयं अपने अंचल की सीमाओं का उल्लंघन करती थी। रेणु का महत्त्व उनके आंचलिकता में नहीं, आंचलिकता के अतिक्रमण में निहित है। बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली पर उन्होंने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया था।”³

स्थानीयता बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। स्थान, काल और परिवेश तो हर रचना में दृश्य या अदृश्य रूप में विद्यमान होते ही हैं, मगर मुख्य बात है, कथाकार का अपने परिवेश और काल में पूरी तरह वर्तमान रहना। उसकी खोजी प्रवृत्ति और दृष्टि से जीवन का कोई रंग अपनी गंध के साथ छिपी-बची ना रह जाए, यह ढूँढ़ निकालना रचनाकार की परिपक्वता की निशानी है, जो रेणु में कूट-कूट कर भरी हुई है। हिंदी साहित्य में फिलहाल कई विमर्श चल रहे हैं, जिनमें दलित, स्त्री, आदिवासी, वृद्ध इत्यादि हैं, मगर ‘स्थानीय विमर्श’ के अंतर्गत जातिवाद को किसी क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन का मुख्य कारण बताने वाले रेणु हैं। “रेणु जनता के लेखक थे। जनजीवन की बदहाली देखकर उन्हें भीषण पीड़ा होती थी। राजनीतिक पार्टियाँ, बाढ़ और अकाल के नाम पर अपनी राजनीति करती थीं और अपनी जेबें भरती थीं। लेकिन जनता की भुखमरी और गरीबी का सबसे बड़ा कारण जातिवाद है, वे इसे पहचानते थे। आज भी बिहार की जनता जातिवाद की चपेट में उसी तरह फँसी हुई है।”⁴

लोक का मजमा और बतरसियापन रेणु की आंचलिक अभिव्यक्ति की ताकत है। एक ‘मैला आँचल’ उपन्यास में उन्होंने सैकड़ों जीवन्त चरित्रों का सृजन किया है। बातों-बातों में उनके पात्र, बड़ी सहजता के साथ कई सामाजिक समस्याओं के विषाक्त वातावरण को बयाँ कर देते हैं। जातिवाद की संकीर्ण सोच और समस्या, मेरीगंज की गरीबी और पिछड़ेपन का कारण है। उपन्यास के प्रारंभ में मेरीगंज का परिचय देते हुए फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं—“मेरीगंज एक बड़ा गाँव है। यहाँ बारहों बरन के लोग रहते हैं। राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मन-

मुटाव और झगड़े होते आए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से यादवों के दल ने भी ज़ोर पकड़ा है।”⁵

इन सबके अतिरिक्त मेरीगंज में गुआर टोली, ततमा टोली, दुसाध टोली, पोलिया टोली, कुर्मछत्री टोली, रैदास टोली आदि कितनी ही जातियाँ, श्रेष्ठता-बोध की अनावश्यक मानसिकता से पीड़ित हैं। रेणु की आंचलिक दृष्टि जातिवादी संकट को ‘राष्ट्रीय संकट’ के रूप में देखती है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जगरू से पूछते हैं—“तुम लोग कौन ततमा हो? मगहिया हो न?... मगहिया चाल-चलन भूल गए? अब तिरहतिया और मगहिया एक हो गए हो। लेकिन संधालो में भी कमार हैं, माँझी हैं, वे लोग अपने को यहाँ के कमार और माँझी में कभी खफा सके?”⁶ यह कहकर विश्वनाथ प्रसाद जातियों में श्रेष्ठता-बोध को बढ़ावा देकर इस विभाजन रेखा को और लंबी कर देते हैं। रेणु ने आंचलिक परिवेश और राजनीति में जातिगत महामारी को तेज़ी से फैलते देखा था, जिसका सीधा और सच्चा दृश्य वे ‘मैला आँचल’ व ‘पंचलाइट’ जैसी कथाओं में दिखाते हैं। उन्हें मिट्टी, मनुष्य और प्रकृति से गहरा लगाव है। विकास के नाम पर इनमें से किसी एक को भी भेंट चढ़ते वे नहीं देख सकते थे, मगर उन्होंने इन तीनों को हिंसा की जर्जरता में मरते-खपते देखा है, इसलिए उनकी कहानियों में मृत्यु की शून्यता की जगह जीवन का स्पंदन, हर कहीं दिखाई देता है।

पर्व-त्योहार और नाच-मेले रेणु-साहित्य के स्थानीय परिवेश के लिए पुख्ता ज़मीन तैयार करते हैं। गाँवों की खूबसूरती, रीति-रिवाज़ों, पर्व-त्योहारों और परंपरा के साथ चली आ रही उस सांस्कृतिक विरासत से बढ़ती है, जिसका रूप कभी पुराना नहीं हो सकता। किसानों की गरीबी, सामंती शोषण, ग्रामिकों की दुर्दशा और सामाजिक-आर्थिक वैमनस्य के बीच पनपते तीज-त्योहार की हँसी-ठिठोली, किसानों के वीरान-जीवन में रस घोल देते हैं। ‘मैला आँचल’

उपन्यास में पूँजीवादियों और शोषितों के बीच लकीर खींचने के लिए उन्होंने ज़मींदारों और संथालों की स्थिति को बहुत ही मार्मिकता के साथ पाठकों के सामने रखा है। जो संथाल मेहनतकश हैं, अपनी मेहनत से बंजर ज़मीन को उर्वरा बनाने की ताकत रखते हैं, उन्हीं को ज़मींदार गाँव से बाहर जंगलों में बसा कर रखते हैं, ताकि वे उनके आर्थिक विकास में भागीदार तो बनें, अपनी भरपूर सेवाएँ दें, मगर सामान्य जन-जीवन में शामिल न हो सकें। “सोने के अनाज से भरे हुए धरती के गुप्त भंडार का उद्घाटन करने वाले पर धरती माता का कोप होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि आज ज़मीन के मालिकों ने, ज़मीन के व्यवस्थापकों ने और धरती के न्याय ने धरती पर इनका किसी किस्म का हक नहीं जमाने दिया है। जिस ज़मीन पर उनके झोपड़े हैं वह भी उनकी नहीं, हल में जुता हुआ बैल दिन भर खेत चास (जोतना) करता है, इसलिए बैलों को भी धरती का हकदार कबूल किया जाए? यह कैसी बात है?”⁷

रेणु के कथा-साहित्य में तत्कालीन समाज अपनी सभी विसंगतियों और उन विसंगतियों से पनपी वीरानगी में भी हर्षोल्लास के साथ जीवन जीते संवेदनशील मानव-पुतलों के साथ सहजता से उपस्थित है। बड़ी से बड़ी बात को बिना किसी लाग-लपेट, व्यंग्य या कटाक्ष के अपने पाठकों के बीच रख देना रेणु-साहित्य की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। सोशलिस्ट पार्टी पर फणीश्वरनाथ रेणु का जो विश्वास जयप्रकाश नारायण के साथ जन-आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाने से उपजा था, वह उनके ‘मैला आँचल’ उपन्यास में जगह-जगह दिखाई देता है। जब उनके पात्र, ‘किसान राज कायम हो’ मज़दूर राज कायम हो’ गरीबों की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी, ‘सोशलिस्ट पार्टी ज़िंदाबाद!’ कहते हुए नज़र आते हैं। सोशलिस्ट पार्टी का नेता ‘कालीचरण’ का जैसा किरदार उन्होंने ‘मैला आँचल’ में गढ़ा है और उस दौर के राजनीतिक ताने-बाने में जिस तरह वह बेकसूर होते हुए भी बेवजह मारा जाता है, वह घटना उस तत्कालीन समय की पीड़ा

और मानव के मूलभूत अधिकारों को अँधेरे में धकेल देने को बयाँ करता है, जब देश के आज़ाद होने के बावजूद भी आम जनता अपने सपने को पूरी तरह जी नहीं पा रही थी। “सोशलिस्ट पार्टी वालों ने भी फाहरम बाँट दिया था। लेकिन वह लाल रंग का था और उसमें एक दोहा ज़्यादा था- जो जोतेगा, सो बोएगा; जो बोएगा, सो काटेगा; जो काटेगा, सो बाँटेगा।”⁸

रेणु के कथा-साहित्य की मौलिकता और विशिष्टता उनकी आंचलिक भाषा, परिवेश के प्रति समर्पण और कथा कहने की नई शैली है। ‘परती परिकथा’ की परती ज़मीन का संबंध परती पड़ते मन से भी जोड़ा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण होने के बाद परानपुर की तरह भारतवर्ष के ग्राम्य-जीवन में उत्पन्न होती विसंगतियाँ रह गईं, उनकी अपूर्ण हो चुकी आकांक्षाएँ-अपेक्षाएँ रह गईं और मानव-मूल्य जैसा भाव तत्कालीन देश-दुनिया से लगभग नदारद होने लगा, जिसका वर्णन रेणु ने परानपुर के पंडित, परानपुर के ओझागण, डायन और ज़मींदार के कुछ उलझे और कुछ सुलझे पुत्र जितन बाबू के जीवंत चरित्रों में दिखाई देता है। किसानों की गरीबी, जनपद के लोगों की दुर्दशा, राष्ट्रीय राजनीति का खोखलापन, सामंती शोषण के मध्य कराहते गाँव, किसानों की वीरान, एकाकी ज़िंदगी और आर्थिक-सामाजिक विषमता वाला रेणु का अंचल, पूरे देश का प्रतीक बन गया है। “आंचलिकता के सूत्रों से कृषि क्रांति की पकड़ ‘परती परिकथा’ की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। सबसे सशक्त सूत्र है- लोकगीत का। जिसमें गाँव के सामाजिक जीवन का स्पंदन होता है।”⁹

आधुनिकता के इस चरम दौर में जैसे-जैसे नगरीय चकाचौंध ग्रामीण युवकों को आकर्षित करेगा, संयुक्त परिवार विघटित होंगे, नदियाँ और पतली होती जाएँगी, प्रकृति सड़कों, पटरियों, मकानों की भेंट चढ़ेगी, आंचलिक गीत-संगीत फिल्मी गीतों के नीचे दबने लगेंगे, वैसे-वैसे रेणु के औराही हिंगना, मेरीगंज, परानपुर, बिहपुर जैसे ठेठ गाँवों की चर्चा और भी अधिक होती जाएगी। यथार्थ में

देखें, तो जीवन का असल रंग, सादगी और भलमनसाहत आज भी 'हिरामन' और 'सिरचन' जैसे जीवंत पात्रों के साथ गाँवों में बसता है, शहरों में जीवन की परछाई भर रह गई है। प्रकृति और संस्कृति की जो छायाएँ रेणु-साहित्य में मिलती हैं, वैसा मोहक और ललित सृजन, जीवन के रसातल में डूबे बिना नहीं हो सकता। **“लेखक की व्यंग्य विधायनी शक्ति ने गाँव में फैले पारस्परिक वैमनस्य, आपसी राग-द्वेष, एक दूसरे की टकराहट एवं विभिन्न अतिवादिताओं का बड़ा ही निर्मम उद्घाटन किया है और इस उद्घाटन की विशेषता इस बात में है कि लेखक कटु से कटु व्यंग्य, संश्लिष्ट से संश्लिष्ट स्थितियाँ उत्पन्न करता है, लेकिन यत्किंचित भी अपने को किसी दल विशेष के साथ नहीं बाँधता।”**¹⁰

बावनदास के रूप में गाँधी की प्रति छाया परिकल्पना कर रेणु ने 'भारतमाता और भी, जारी-बेजार रो रही है।' कहलवा कर देश की राजनीतिक विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। जुआ कंपनी वाला दुलारचंद कापरा, जो नेपाली लड़कियों को भगा कर लाते समय जोगबनी में पकड़ा गया था, वह आज कटहा थाना का सेक्रेटरी है, सागरमल मारवाड़ी ने वॉलंटियरों को पीटा था, वह आज नरपत नगर थाना कांग्रेस का सभापति है। 'मैला आँचल' उपन्यास के अशिक्षित पर जागरूक चरित्र, सामाजिक चेतना और राजनीतिक सक्रियता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

निष्कर्ष

रेणु का कथा-साहित्य अपने सहज-सरल पात्रों के चरित्र में, उनकी सभी अच्छाइयों-बुराइयों, कर्मठता-आलस्य, भावुकता-रसिकता, संघर्ष-संवेदना और कठोरता-कोमलता के साथ उपस्थित होता है। दर्द की बेचैनी और जीवन को समेटने की छटपटाहट उनकी कहानियों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जनवादी आंदोलन से जुड़े फणीश्वरनाथ रेणु लोहिया जयप्रकाश की राजनीति से प्रेरित थे। उनकी छाप और सवालिया

मिजाज़ रेणु के कथा-साहित्य की विशेषता बनकर उभरे हैं। मानव के जीवन में स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की तत्परता अपने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ रेणु के उपन्यासों और कहानियों में बयाँ होते हैं। तत्कालीन समय में जहाँ एक ओर जवाहरलाल नेहरू भारतवर्ष को आधुनिकता के चरम तक पहुँचाने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर फणीश्वरनाथ रेणु पारंपरिक और निपट स्थानीय लोगों के जीवन का सौंदर्य चित्रित कर गाँवों के पिछड़ेपन का अभिन्न संबंध प्रकृति लोक संस्कृति से जोड़ रहे थे। अतएव मानवाधिकारों के प्रति चुप-आवाज़ उठाता रेणु का कथा-साहित्य, हिंदी साहित्य जगत में अपनी गहरी पैठ रखता है।



संदर्भ सूची

1. रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 25वां संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 346
2. निर्मल वर्मा, सर्जना पथ के सहयात्री, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 72
3. निर्मल वर्मा, सर्जना पथ के सहयात्री, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 71
4. शंभुनाथ-वागर्थ, अंक 287, जून 2019, भारत यायावर के 'रेणु की तलाश' पृष्ठ सं- 93
5. फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आँचल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, सातवीं आवृत्ति-2013, पृष्ठ सं-15, 16
6. फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आँचल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, सातवीं आवृत्ति-2013, पृष्ठ सं- 213
7. फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आँचल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, सातवीं आवृत्ति-2013, पृष्ठ सं-113
8. फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आँचल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, सातवीं आवृत्ति-2013, पृष्ठ सं-132
9. डॉ. राम प्रकाश राय, फणीश्वरनाथ रेणु के कथा साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन, डी.पी. एस. पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2007, पृष्ठ सं-103
10. डॉ. ज्ञानचंद गुप्त, आंचलिक उपन्यास अनुभव और दृष्टि, राधा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-1995, पृष्ठ सं- 96



दुर्गेश कुमार

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय
बिलासपुर-495009
छत्तीसगढ़
संपर्क
dtandan88@gmail.com

शोध निर्देशक

डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक (हिंदी विभाग)
पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय
बिलासपुर-495009
छत्तीसगढ़
संपर्क
singh.jaipal82@gmail.com

कैलाश बनवासी के साहित्य में मानवाधिकार

शोध सारांश

मानव को जन्मजात प्राकृतिक स्वरूप में जो अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित करना अनुचित है। उन अधिकारों पर प्रतिबंध करना उनके विकास में बाधक सिद्ध होता है। साहित्यकार भी अपने जीवन के अनुभूतियों से या आसपास घटित वे तमाम घटनाओं को देखकर, महसूस कर उनको अपने साहित्य में स्थान देकर पाठकों तक पहुँचाकर उनमें जन चेतना जागृत करने का कार्य करते हैं। ऐसे ही युवा कहानीकार के रूप में कैलाश बनवासी उभर कर हिंदी साहित्य जगत में स्थान पाते हैं। अपने साहित्य में मानव अधिकार के प्रति लोगों में जन चेतना जागृत कर अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने का कार्य करते हैं। उनकी कहानियों में अपने अधिकारों से वंचित स्त्री, किसान, मज़दूर, निम्न-मध्यम वर्ग आदि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं, उनको कैलाश बनवासी अपने साहित्य में स्थान देकर उनमें जन चेतना जागृत कर अपने अधिकारों के प्रति सचेत करते हैं। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में स्त्रियाँ सदियों से उपेक्षित तथा घर-द्वार तक ही अधिकांश सीमित रहीं, लेकिन आज के समय में संचार माध्यम के प्रचार-प्रचार होने के साथ अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूक होने के बावजूद भी अपने अधिकारों के प्रति पूर्णतः जागरूक नहीं हो पाई हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से पाठकों तक अपनी बात पहुँचाकर उनको जागृत करते हैं। जनसंख्या अधिक होने के बावजूद मज़दूर, किसान, निम्न-मध्यम वर्ग आज भी शोषण का शिकार हो रहे हैं। शिक्षा के विकास के साथ ही लोगों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। लोग शिक्षा प्राप्त कर अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं का चित्रण कैलाश बनवासी की कहानियाँ- 'नो', 'स्वतंत्रता दिवस की एक रपट', 'गाँव कुछ दृश्य', 'प्रकोप', 'उसके दरबार में', 'बारात', 'इस समय चिड़ियों के बारे में' आदि में देखने को मिलता है। परिणामतः साहित्यकार, साहित्य के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों को जानने और अपने विकास के साथ ही देश, समाज के विकास में योगदान दे इसके लिए हमेशा प्रयासरत है।

बीज शब्द

1. सामाजिक स्वतंत्रता 2. जनचेतना
3. शिक्षा का अधिकार 4. अंधविश्वास
5. दकियानूसी विचार 6. आर्थिक विपन्नता
7. कैलाश बनवासी

मूल शोध

मानव अधिकार मनुष्य के वे अधिकार होते हैं, जो उनको जन्म से मनुष्य होने के कारण मिलते हैं। किसी भी जाति, धर्म, वंश, संप्रदाय, लिंग, राष्ट्रीयता आदि के भेदभाव के बिना केवल मनुष्य होने के कारण प्रदान किया जाता है, ताकि मनुष्य अपना विकास प्राकृतिक स्वरूप में कर सके। कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों से यह अधिकार नहीं छीन सकते। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, काम आदि का अधिकार छीनने वाले को कानून द्वारा दंड का भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र रहकर अपना जीवन जीने, अपने विचार व्यक्त करने, गुलामी से मुक्ति, सामर्थ्य के अनुसार काम, शिक्षा प्राप्त करना, अपना परिवार चलाने, संगठन में रहकर अपना विकास करने का अधिकार प्राप्त है।

साहित्यकार कैलाश बनवासी अपने साहित्य में मानव अधिकारों का हो रहे शोषण का चित्रण कर लोगों में अपने अधिकारों को जानने व अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जनमत तैयार कर साहस भरने का कार्य करते हैं, जो उनके साहित्य में स्पष्ट झलकता है। कहानी 'नो' में प्राइवेट बैंक का ब्रांच मैनेजर अविनाश अपने को अधिक सीनियर समझ कर अपना भी काम अपने सहायक कर्मचारी प्रभा और सुमन से ऑफिस टाइम समाप्त हो जाने के बाद भी काम करने का दबाव बनाकर उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। "अविनाश सर ने जब अपने सूखे लहजे में कहा तो उससे कुछ कहते नहीं बना। बॉस की कैसे हुक्मउदूली करे वह, वह भी इन चार महीने की छोटी-सी अवधि में?"

लगभग प्रार्थना करते हुए उसने कहा, 'सर, आलरेडी छः बज चुके हैं...।' सामने टंगी दीवार घड़ी में छः बीस हो चुके थे।

'नो नो नो, प्रभा...। इट इज़ मस्ट. ! ... अपडेशन नहीं होगा, तो इंकवायरी हो जाएगी...।' सुनहरे फ्रेम के चश्मे के भीतर से उनकी आँखें चमक रही हैं।

'सर, पर ये तो आप देख सकते थे' ... प्रभा को पता है इसे डील करने की ज़िम्मेदारी अविनाश सर की है, लेकिन उन्होंने तो जैसे ठान ही रखा है कि भले खाली बैठे रहेंगे, लेकिन काम सारे अपने जूनियर्स से ही करवाएँगे!'¹

'झुका हुआ गाँव' कहानी में कहानीकार ने किसानों, मज़दूर वर्गों की आर्थिक दृष्टि से फसल नुकसान के कारण कर्ज़ पटाने में असमर्थता व जीवनयापन के लिए परिवार सहित पलायन की समस्या का चित्रण मिलता है। अपने व परिवार के जीवनयापन के लिए स्वतंत्रता तथा सरकारी असहयोग से व्यक्ति के मानवाधिकार-हनन का चित्रण स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। फसल नुकसान के कारण मोतीपुर के लोग बैंकों का ऋण पटाने में असमर्थ होने के कारण तहसीलदार दीवान और ब्रांच मैनेजर सी. के. सक्सेना के अमानवीय व्यवहार से लोगों के मानवाधिकार का हनन होता है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सरकार की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि आम जनता को ऋण चुकाने में राहत दी जाए, न कि ऋणी व्यक्ति की ज़मीन की नीलामी की जाए। इस पर गाँव का एक युवक कहता है-"तुम तो खूब बड़ी-बड़ी बात करते हो!" तहसीलदार ने आँखें तरेरीं। 'हम क्या बात करेंगे साहब', नवयुवक चुप नहीं रह सका था, 'बड़ी-बड़ी बात तो सरकार करती है। यहाँ अकाल का तीसरा साल है और कर्ज़ा माफ करने के बदले वसूलने भेज दिया। मैं पूछता हूँ सरकार क्या खाली मज़दूर किसानों से कर्ज़ा वसूलना जानती है? और जो रोज़ दिन पेपर में छपता है बड़े-बड़े उद्योगपतियों और धन्ना सेठों के करोड़ों रुपए के सरकारी

कर्ज के बारे में या बिजली बिल के बारे में, उसका क्या? वे तो करोड़ों डकार के बैठे हैं और सरकार उनका कर्जा माफ कर रही है! वाह! और गरीब मजदूर किसानों से वसूल रही है। आप लोग उनसे क्यों नहीं वसूलते?"² सरकार भी आज के समय में कमजोर तबके के लोगों को ही ज़्यादा परेशान करती है, जबकि अधिक ऋण लेकर पूँजीपति वर्ग आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। कहानी 'उसके दरबार में' स्त्री के जीवन यथार्थ व अंधविश्वास के कारण स्त्री की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का चित्रण है। डॉली पढ़ी-लिखी बी.कॉम पास है। कपड़ा दुकान चलाने वाले राजू से शादी होने व घर में लड़की का जन्म होने के कारण डॉली की सास डॉली के बिना मर्जी के उनको माता सवार होने वाली महिला के पास ले जाकर पुत्र के चाह में झाड़-फूँक करवाती है। इस प्रकार स्त्रियों के जीवन में पारिवारिक इच्छा (पुत्र की इच्छा) को पूरा करने में उनके मानवाधिकार का भी ध्यान न रखते हुए केवल पारिवारिक ज़िम्मेदारी के नाम पर शोषण किया जाता है, जबकि डॉली लड़की के जन्म होने पर भी खुश थी। लड़की वाले होना भी समाज में उपेक्षा का पात्र हो जाता है। शादी के बाद ससुराल वालों के बिना मर्जी कुछ भी स्वतंत्रता नहीं होती। डॉली का भाई कहता है-"सो मैं ले के जा रहा हूँ मम्मी को अपनी बाइक से। और किस कदर फालतू काम के लिए! यहाँ से पैंतालीस किलोमीटर दूर कोई गाँव है, वहाँ की कोई माता जी हैं। सुना है उनका बड़ा नाम है, और उन पर हर गुरुवार माता आती हैं, भक्तों की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। माता का दरबार! माई फुट! मुझे तो वैसे भी बहुत चिढ़ है इन सो कॉल्ड बाबाओं-माताओं से। अपना धंधा-पानी चला रहे हैं। और कुछ नहीं। और अपनी पब्लिक को भी देखो न, साइंस के इतने एडवांस ज़माने में भी इन सब बातों पर विश्वास करती है! अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़े-लिखों की लाइन लगी रहती है! पर मेरी मजबूरी है। घर का काम है। डॉली की सास ने फोन पर मम्मी को कहा था, हम लोग डॉली को लेकर माताजी के पास जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी बात करने।

तुम लोग भी आ जाओ। फिर डॉली ने भी कहा था- आ जाओ न मम्मी। और मम्मी का क्या है, बेटी से, नातिन से मिलने का बहाना चाहिए। फिर बेटी के ससुराल वालों का बुलावा है, इसलिए टाला भी नहीं जा सकता।"³ आज आधुनिक युग में भी पढ़े-लिखे शिक्षित वर्ग भी अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं।

'लौटना नहीं है' उपन्यास गौरी के जीवन की दास्तां है। आठवीं कक्षा तक पढ़ना और कम उम्र में ही शादी करने का दबाव। साड़ी पहनने के लिए परिवार वालों के आदेश को मानने के लिए मजबूर थी, जबकि पढ़ने की स्वतंत्रता का अधिकार होने के बावजूद उसके मानवाधिकार का कोई ध्यान न देकर केवल उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। परिवार में भी यह मान्यता कि लड़की को ज़्यादा पढ़ने लिखने नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि पढ़ लिखकर घर का ही काम करना पड़ेगा, ऐसे विचार स्त्री जीवन में प्रतिबंध लगा देते हैं, जबकि देश में सबके लिए शिक्षा अनिवार्य होने के बावजूद रुढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण गौरी की पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। समाज में इस दकियानूसी विचार से स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। "तुम लोग तो कोई नयी बात समझना ही नहीं चाहते! बस एक ही बात पकड़ लिए हो! रीति-रिवाज़, रीति-रिवाज़! जा के देखो, अच्छे-अच्छे घरों की लड़कियाँ पहन रही हैं और तुम लोग हो कि सब कुएँ के मेंढक!" गौरी चुप नहीं रही थी। माँ की नज़र में लड़की का पलटकर जवाब देना मुँहजोरी है, ये किसी भली लड़की का काम नहीं। वह एकदम गुस्सा हो गई-"हाँ, हम लोग तो अनपढ़-गंवार हैं, हम लोगों को क्या अकल? चार अक्षर क्या पढ़ लिए, सब धरम-करम भूल गई?"⁴

'बारात' कहानी में आर्थिक विपन्नता का यथार्थ चित्रण है। सरकार द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार के तहत आठवीं तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन अमृत टॉकीज के पीछे पुरानी बस्ती में रहने वाले फिरोज़ खान ज्वाइंट डायरेक्टर के इंजीनियर बेटे की

शादी में बारातियों से दूर डांस करने पर आर्थिक रूप से संपन्न लोगों ने फिरोज़ की खूब पिटाई कर तरह-तरह से गाली देकर उसको अपमानित करने की घटना मानवाधिकार के खिलाफ है, जो उन्हें डांस करने के कारण मार खाना पड़ा, जिससे यह स्पष्ट है कि कहानीकार कैलाश बनवासी अपने साहित्य में समाज में दबे सहमे सभी लोगों की आवाज़ बनकर लोगों में चेतना जागृत करते हैं। “फिरोज़ अर्धबेहोशी की हालत से उबरकर स्वाभाविक स्थिति में लौट आया। अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो गया। उल्टे मुस्करा रहा है... ठीक वही फिसफिसी हँसी जो कुछ देर पहले ट्यूबलाइट पकड़ी उन महिलाओं के चेहरे पर थी।

यह नपुंसक, हारी हुई असहाय मुस्कुराहट इनकी नियति है? यह बात इस आठ साल के छोकरे ने मान ली है?

अचानक उसका गुस्सा सनसना गया। अपना आपा खो बैठा, ‘साले तू हँसता क्यों है? क्यों हँसता है तू?’ वह बदहवास होकर फिरोज़ को बुरी तरह झिंझोड़ रहा था। चीख रहा था, ‘साले! गुस्सा क्यों नहीं आता? नफरत क्यों नहीं होती तेरे को?’

चीखकर एक झापड़ दे दिया, ‘और हँसेगा? और हँसेगा?’⁵ अतः स्पष्ट है कि कहानीकार कैलाश बनवासी अपने साहित्य में समाज में दबे सहमे लोगों की आवाज़ बनकर लोगों में चेतना जागृत करते हैं।

संविधान द्वारा मूलभूत सुविधाओं से वंचित वर्गों को अपने विकास कर सम्मानजनक जीवन जीने हेतु आरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन सुविधा संपन्न वर्गों द्वारा उनको हेय दृष्टि से देखते हुए उन पर हमला करने की घटना कहानी ‘सुरक्षित-असुरक्षित’ में स्पष्ट चित्रण कहानीकार ने किया है। संतोष भारती आरक्षित वर्ग होने के कारण इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने के बावजूद छात्रावास में नहीं रहता क्योंकि कॉलेज के छात्रों द्वारा अपमानित होना पड़ता। इसी तरह रामदयाल आरक्षित

वर्ग होने के कारण अनारक्षित वर्गों के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। आरक्षित वर्गों को जीवन स्तर उठाने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी उन पर हमला होना कानून की दृष्टि से भी उचित नहीं है। “अरे! सामने वही पुल है... बड़ा पुल.... जहाँ पिछले दिनों उसकी हत्या की गई थी। हाँ, रामदयाल का खून इसी पुल के नीचे हुआ था। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से मारा था उसे। शरीर के गोश्त जहाँ-तहाँ लटक आए थे। रामदयाल की वीभत्स लाश मेरी आँखों के सामने घूम गई। चेहरा विकृत हो गया था अनगिनत घाव से। वह भी अनुसूचित जनजाति का था। हत्यारे का ओर-छोर नहीं मिला, लेकिन यह खबर उठी अवश्य थी कि उसकी हत्या का कारण उसे मिली नयी नौकरी थी। रामदयाल दूसरे उम्मीदवारों से कम प्रतिभाशाली था, फिर भी यह चुन लिया गया था। वह आरक्षित कोटे में से था ना। और किसी का गुस्सा इतना असहनीय हो गया कि उसने रामदयाल की हत्या कर डाली।”⁶

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि कैलाश बनवासी अपने साहित्य के माध्यम से उन वर्गों की आवाज़ उठाते हैं, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं-जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित हैं। जानकारी के अभाव में निम्न और निम्न-मध्यम वर्ग के लोग शक्ति संपन्न वर्गों के शोषण का शिकार हो जाते हैं, जो उनकी मजबूरी का लाभ उठाकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर देते हैं। परिणामस्वरूप, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोग अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते और अभावग्रस्त जीवन जीने को विवश होते हैं। कैलाश बनवासी इन सामाजिक विसंगतियों को अपनी कहानियों में स्थान देकर उन वंचित लोगों को चेतना प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने अधिकारों को जान सकें और उनके प्रति सजग हो सकें। उनके साहित्य में मानवीय अधिकारों की समझ और सामाजिक जागरूकता को प्रमुखता प्राप्त है। उनके कथा-संग्रह ‘नो’, ‘झुका हुआ

गाँव', 'बारात', 'लौटना नहीं है', 'सुरक्षित-असुरक्षित' आदि में श्रमिकों, स्त्रियों तथा निम्न-मध्यम वर्ग के सामाजिक यथार्थ का सशक्त चित्रण किया गया है, जो उन्हें हिंदी के युवा और प्रतिबद्ध साहित्यकारों में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है।



संदर्भ सूची

1. बनवासी, कैलाश, कविता पेंटिंग पेड़ कुछ नहीं (नो), दिल्ली, सेतु प्रकाशन, प्रा.लि., संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 51
2. बनवासी, कैलाश, पीले कागज़ की उजली इबारत (झुका हुआ गाँव), अंतिका प्रकाशन, गाज़ियाबाद, संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 20
3. बनवासी, कैलाश, प्रकोप तथा अन्य कहानियाँ (उसके दरबार में), साहित्य भण्डार, इलाहाबाद, संस्करण-2015, पृष्ठ सं-105
4. बनवासी, कैलाश, लौटना नहीं है, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 21
5. बनवासी, कैलाश, बाज़ार में रामधन (बाज़ार में रामधन), भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण-2004, पृष्ठ सं- 37
6. बनवासी, कैलाश, लक्ष्य तथा अन्य कहानियाँ (सुरक्षित-असुरक्षित), श्री प्रकाशन, दुर्ग, संस्करण-1993, पृष्ठ सं- 26



स्निग्धा सिंह

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
रमादेवी महिला विश्वविद्यालय
भुवनेश्वर-751022, ओडिशा
संपर्क
snigdhasingh099@gmail.com

शोध निर्देशिका

डॉ. विमला पात्र
सहायक प्राध्यापिका
शैलबाला महिला महाविद्यालय
(स्वयंशासित)
कटक-753001, ओडिशा

मन्नू भण्डारी की कहानियों में मानवाधिकार से संबंधित चुनौतियाँ

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र मन्नू भण्डारी की कहानियों में निहित मानवाधिकार संबंधी चुनौतियों पर केंद्रित है। मानवाधिकार का तात्पर्य ऐसे प्राकृतिक और सहज अधिकारों से है, जो किसी भी व्यक्ति को एक गरिमामय जीवन जीने हेतु आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। ये वे अधिकार हैं, जो मानव को जन्मसिद्ध रूप में प्राप्त होते हैं और जिनकी रक्षा एवं सम्मान मानव गरिमा के संरक्षण हेतु अनिवार्य मानी जाती है। कहानीकार मन्नू भण्डारी ने अपनी कहानियों में इन अधिकारों के उल्लंघन, विशेषतः महिलाओं के अधिकारों के हनन, मानसिक एवं सामाजिक संघर्ष और असमानता को अत्यंत संवेदनशीलता एवं सूक्ष्म दृष्टि से उकेरने का प्रयास किया है। उनके कथा-साहित्य में नारी पात्रों के माध्यम से समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक व्यवस्था, रूढ़िगत सोच और नैतिक द्वंद्वों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत होता है।

इस शोध में विशेष रूप से मन्नू भण्डारी के कहानी संग्रह 'यही सच है' को आधार बनाकर मानवाधिकारों से जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। उदाहरणस्वरूप- 'क्षय' की सावित्री, 'तीसरा आदमी' की शकुन, 'सज़ा' की आशा, 'नकली हीरे' की सरन, 'नशा' की आनंदी तथा 'यही सच है' की दीपा जैसे प्रमुख पात्रों के माध्यम से यह विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार स्त्रियाँ अपने अधिकारों के हनन, उपेक्षा एवं शोषण का सामना करती हैं। ये कहानियाँ न केवल स्त्री की पीड़ा को स्वर देती हैं, बल्कि पाठकों को मानवाधिकार की मूल चेतना से भी जोड़ती हैं।

बीज शब्द

1. मन्नू भण्डारी
2. मानवाधिकार
3. स्त्री अधिकार
4. हिंदी कहानी साहित्य
5. यथार्थवाद
6. नारी सशक्तिकरण
7. सामाजिक अन्याय
8. पात्रों का मनोविश्लेषण
9. अधिकारों का हनन
10. 'यही सच है' कहानी संग्रह

मूल शोध

मानव जन्म किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि यह ईश्वर द्वारा निर्मित सबसे सुंदरतम रचना है। मानव व अधिकार दोनों का आपस में अभिन्न संबंध है, एक के भी लड़खड़ाने से दूसरा मुँह के बल गिर पड़ेगा। जब संविधान निर्मित हुआ, तो उसके प्रस्तावना की शुरुआत इस प्रकार से हुई—“हम भारत के लोग”¹ जो इंगित करता है कि मानव ही वह धुरी है जिससे अधिकार जुड़े होते हैं अर्थात् व्यक्ति ही अधिकारों को अस्तित्व प्रदान करता है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग में कहा है—

“शक्ति के विद्युतकण जो व्यस्त,
विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय
समन्वय उनका करें समस्त
विजयिनी मानवता हो जाय”²

नई कहानी से संबद्ध रचनाकार मन्नू भण्डारी की लगभग संपूर्ण रचनाएँ मानव अधिकारों के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती हैं, विशेषतः स्त्रियों के। उनका लेखन व चिंतन मानव जीवन के विविध पहलुओं को उकेरने में सफल रहा है। वस्तुतः स्त्री हो अथवा पुरुष, दोनों को अपने नैसर्गिक अधिकारों के प्रति सजग व जागरूक होना चाहिए। उनकी कलम व्यक्ति के अधिकारों को केंद्र-बिंदु बनाकर विमर्श के आधुनिक मूल्यबोध निर्मित करता है। लेखिका ने अपने कलम से सरल व सहज शब्दों के माध्यम से स्त्री-जीवन के विविध पहलुओं को बड़ी बारीकी से चित्रित करने का प्रयास किया है। उनकी रचनाओं को स्त्री अधिकारों का जीवंत दस्तावेज़ मानना अतिशयोक्ति न होगी।

स्वतंत्रता पूर्व जन्मी कहानीकार मन्नू भण्डारी, व्यक्ति की पराधीनता के विविध पक्षों को देखने व परखने में सक्षम हो सकीं और साथ ही देश में हो रहे राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन की भी साक्षी रहीं। इनमें भी सबसे दयनीय स्थिति विशेषकर महिलाओं की थी, जो दोहरी

दासता अर्थात् पारिवारिक व सामाजिक दोनों के द्वारा अधिकारों पर अंकुश लगाने से स्वयं के विकास का पर्याप्त अवसर नहीं पा रही थी। अक्टूबर-2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी का यह कथन कि—“हमारे यहाँ सदियों से शास्त्रों में यह ज़िक्र किया जाता है। आत्मनः प्रति-कूलानि परेषाम् न समाचारेत्। यानि जो अपने लिए प्रतिकूल हो, वो व्यवहार दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करें।”³ ऐसा व्यवहार जिससे अन्य व्यक्ति के अधिकार बाधित हों, त्याज्य योग्य हैं। आदर्श नागरिक वही है, जो अपने अधिकारों का उसी प्रकार से प्रयोग करे, जिसका कुप्रभाव किसी और पर न पड़े।

मन्नू भण्डारी की कहानी ‘क्षय’ में कुंती के पिता बेटे के फेल हो जाने पर जब यह कहते हैं कि—“एक बार कोशिश करके इसे चढ़वा तो दे, तेरी हैडमास्टर साहब से अच्छी जान-पहचान है.....।”⁴ इस पर कुंती का यह कथन उसके आदर्श मानवीय गुणों की ओर इंगित करता है। वह कहती है—“पापा, कम-से-कम स्कूलों को तो इन सारी बातों से भ्रष्ट न करवाओ। दुन्नी मेरा अपना विद्यार्थी होता तब भी मैं उसे कभी नहीं चढ़ाती।”⁵ कुंती एक प्रतिष्ठित पद व बड़े लोगों से जान-पहचान होने के बावजूद भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने से बचती है। वह समाज के साथ ही परिवार की उलाहना सुनती हुई भी अपने ईमानदार व्यक्तित्व पर आँच नहीं आने देती है।

‘क्षय’ कहानी की नायिका कुंती अपने आदर्श व्यक्तित्व के कारण सहज ही पाठकों का ध्यान आकृष्ट कर लेती है। वह अपने कार्य को केवल पैसे कमाने का साधन मात्र न समझकर, पूरे समर्पण भाव से उसमें कर्मरत रहती है। उदाहरण के लिए—“एक वह थी जो अपनी कमजोर छात्राओं को सवेरे जल्दी आकर पढ़ाया करती या देर तक ठहरकर पढ़ाती; स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से उनके खोए आत्मविश्वास को जगाती। पढ़ाई

के अतिरिक्त विभिन्न रुचियों के विकास के लिए नई योजनाएँ बनाया करती।”⁶ यह कुंती की इस विशेषता को उजागर करता है, जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों का सही-सही प्रयोग कर समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकता है, बिना किसी के अधिकारों का हनन किए। कुंती विद्यालय में पढ़ाने के अलावा सावित्री नाम की लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी। जो पढ़ाई में कमजोर थी, जिसकी वजह से वह फ़ेल हो जाती थी। सावित्री की माँ चाहती थी किसी भी तरह से उनकी बेटी पास हो जाए, ताकि उसका विवाह वह बड़े घर में कर सके। वे कुंती से कहती हैं-“बहनजी, यह मैंने पता लगा लिया, वरना सावित्री तो फेल ही हो जाती। आपने तो कह दिया, पास हो जाएगी। अब आप तुरंत ही गाड़ी लेकर जाइए, अपनी पहचानवाली बहनजी से, बड़ी बहनजी से बात करिए, इधर-उधर कोशिश करके पास करवाकर आइए; नहीं तो हमारे इतने रुपयों पर पानी फिर जाएगा, साल खराब हुआ सो अलग।”⁷ इस पर कुंती बिना कुछ बोले चली तो गई किंतु वह बिल्कुल सुन्न-सी हो गई थी। जिसका वर्णन लेखिका ने कुछ इस प्रकार से किया है-“कुंती स्वयं नहीं जानती, उसने क्या कहा, कैसे कहा। बस, इतना ही उसे याद है कि वह एक अध्यापिका से और मिली थी, प्रधानाध्यापिका से भी मिली थी। उनसे मिलने के लिए काफी देर तक उसे बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी थी..... नीचे उतरी तो प्यास से उसका गला बुरी तरह सूख रहा था.....उधर से एक भारी-भरकम महिला हँसती हुई पेपर्स का बंडल लिए गुज़री। कुंती को लगा, महिला मिसेज़ नाथ से कितनी मिलती-जुलती हैं!”⁸ वह चाहकर भी अपने नैतिक मूल्यों को नहीं तोड़ पाती है, अपने आदर्श से नहीं भटक पाती है।

‘यही सच है’ कहानी संग्रह में संकलित दूसरी कहानी ‘तीसरा आदमी’ की केंद्रीय पात्र शकुन, जिसे मातृत्व सुख न मिलने के कारण निराशा व ऊब से भरा जीवन जीने को बाध्य होना पड़ता है। वह माँ न बन पाने के कारण को जानने का भरसक प्रयास करती है, किंतु

उसमें भी उसे असफलता ही मिलती है। एक दिन वह डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाती है। फिर घर आकर अपने पति (सतीश) से कहती है कि वह भी एक बार डॉक्टर के पास चला जाए। इस पर सतीश कहता है-“मुझे क्या हुआ है, जो डॉक्टर के पास जाऊँगा? मुझे नहीं जाना है।”⁹ आखिर पुरुषों की ऐसी धारणा क्यों बन जाती है कि स्त्री के मातृत्व न प्राप्त करने के पीछे वही एकमात्र कारण है, पुरुष में कोई कमी नहीं हो सकती? वह इसे अपने पौरुष से जोड़कर क्यों देखता है? आखिर स्त्रियाँ किस सदी में गरिमा युक्त और न्यायपूर्ण जीवन जीने की अधिकारिणी बनेंगी? प्रारंभ में यह धारणा थी कि यदि लड़कियाँ पढ़-लिख जाएँगी, तो उनकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। लड़कियाँ शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से भी आगे निकल गईं, फिर भी उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में नाम-मात्र का परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। कालांतर में यह कहा जाने लगा कि यदि वे नौकरी करें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनें, तब उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। स्त्रियों ने यह भी कर दिखाया, परंतु इसके परिणामस्वरूप उन्हें अधिकार केवल कागज़ों तक सीमित होकर मिले। वे आज भी अदृश्य और बलशाली पुरुष-सत्ता के पंजों तले अधीन हैं।

इस संग्रह में संकलित अगली कहानी ‘सज़ा’, देश की कानूनी व्यवस्था की पोल खोल कर रख देती है, जहाँ गुनाह न करने वाले को भी सज़ा मिलती है। कानून की देवी आँखों पर पट्टी बाँधे, ईमानदार और बेईमान, सभी को एक जैसी नज़रों से देखती है। इस उक्ति को लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है-“आज के ज़माने में तो गुनहगार अपने को साफ बचाकर ले जाते हैं। लाखों हज़म करके मूछों पर ताव देते घूमते हैं। फाइलें की फाइलें गायब करवा देते हैं। और एक ये हैं कि बिना गड़बड़ किए सज़ा भोगने जा रहे हैं।”¹⁰ जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से नौकरी करने के बावजूद भी सज़ा भोगता है, तो केवल वही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार भी उस पीड़ा की चपेट में आ जाता है। इसी समस्या का

यथार्थ चित्रण इस कहानी में हुआ है। कैसे पिता के दो वर्ष की सज़ा हो जाने के बाद, पत्नी की शारीरिक स्थिति दिन-प्रतिदिन गिरती जाती है और बच्चों को पढ़ाई-लिखाई, भोजन आदि के लिए चाचा-चाची या मामा-मामी पर निर्भर होना पड़ता है। आशा के मन में कभी-कभी यह विचार उठता-“**इससे तो पप्पा सचमुच ही ऑफिस का रुपया मार लेते तो अच्छा होता। कम-से-कम मुन्नी को तो अपने पास रख सकते और एक पंखा भी रख लेते। इस उम्र में तो चमड़ी जैसे उबली जाती है। ईमानदारी करके ही कौन बड़ा सुख मिल रहा है!**”¹¹ जब शासन अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तब यह व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। परिणामस्वरूप, वह ईमानदारी, परोपकार, त्याग जैसे नैतिक आदर्शों के प्रति संशयग्रस्त हो उठता है।

लेखिका ने अपनी कहानी ‘नकली हीरे’ में दो बहनों-सरन और इन्दु, के माध्यम से दो विरोधी दांपत्य जीवन का चित्रण किया है। सरन के पति सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होते हुए भी गैर-स्त्री के साथ संबंध बनाए हुए हैं। परिणामस्वरूप, सरन को, जिसे पति द्वारा प्रेम, अपनापन, विश्वास आदि की अपेक्षा थी, बदले में विश्वासघात ही प्राप्त होता है। जब वह रात बारह बजे के करीब अपने पति से बात करने के लिए ट्रंक कॉल करती है, तो उसे पता चलता है कि उसके पति किसी अनिता नाम की स्त्री के संग डांस कर रहे हैं। यह जानकर वह बेहद क्षुब्ध होती है। अति भौतिक सुख की प्राप्ति के बावजूद भी वह स्वयं को अत्यंत अकेला महसूस करती है, जिसे उसके इस आत्मकथन द्वारा भली-भाँति समझा जा सकता है-“**इन हीरों में तो चमक ही नहीं, ये तो नकली हैं..... नहीं-नहीं, ये हीरे नहीं हो सकते। इतने फीके और मंदे.... बिल्कुल सादे काँच के टुकड़ों की तरह।**”¹² इस कहानी में सरन के उन अधिकारों का हनन दिखाया गया है, जिनसे स्त्रियाँ वर्तमान में भी जूझ रही हैं। आखिर क्यों सामाजिक मान्यतानुसार केवल स्त्रियों से ही यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पति के प्रति समर्पित और निष्ठावान

रहें? इसी प्रकार के व्यवहार के कारण महिलाएँ अभिशप्त जीवन जीने को विवश होती हैं।

‘नशा’ कहानी की आनंदी, शराबी पति की यातना, क्रूरता, आक्रोश आदि को सहते हुए भी, उसके प्रति समर्पित बनी रहती है। वह शराब पीने के उपरांत अमानवीय रूप से आनंदी को मारता-पीटता है, इसके बावजूद भी आनंदी पत्नी-धर्म का बखूबी पालन करती है। इस प्रकार का उत्पीड़न सहते-सहते वह थक जाती है और पति की जकड़न से मुक्त होने के विषय में सोचती है। जब बारह वर्ष बाद उसका विवाहित पुत्र घर आता है, तो वह विवश होकर उससे कहती है-“**मुझे यहाँ से ले चल, किशनू..... यहाँ से ले चल! मैं अब एक दिन भी इस घर में रहना नहीं चाहती। मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सहा जाता, मुझे यहाँ से ले चल आज ही।**”¹³

स्त्रियों को स्वयं ही आगे बढ़कर पथ की बाधा बनने वाली अदृश्य बेड़ियों को तोड़ना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि वे स्वयं ही अपने भाग्य की विधाता हैं। वहीं ‘मैं हार गई’ कहानी की दीपा के माध्यम से लेखिका समाज की उस मानसिकता को उजागर करने का प्रयास करती हैं, जिसमें पुरुष जितनी भी स्त्रियों से संबंध बना ले, किंतु स्त्री से केवल एक पुरुष के प्रति ही समर्पित रहने की अपेक्षा रखी जाती है। इसे बड़े ही नाटकीय रूप में इस कहानी में चित्रित करने का सफल प्रयास किया गया है।

निष्कर्ष

यह शोध आलेख महिलाओं से संबंधित मानवाधिकारों के विभिन्न आयामों पर विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही स्तरों पर महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, जिसके परिणामस्वरूप वे स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने से वंचित रह जाती हैं। उनके समक्ष पितृसत्तात्मक संरचना के विविध रूप- कभी पिता, कभी भाई और कभी पुत्र के रूप में बाधा बनकर

उपस्थित होते हैं। हालाँकि संवैधानिक स्तर पर समानता, समान कार्य के लिए समान वेतन एवं अन्य विधिक प्रावधान उपलब्ध हैं, फिर भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता। यह आलेख न केवल इन चुनौतियों और अवरोधों का, अपितु उनसे उत्पन्न संभावनाओं का भी समग्र विवेचन करता है।

अंततः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि महिला सशक्तिकरण केवल विधिक उपायों से संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि परिवार और समाज दोनों ही स्तरों पर रुढ़िगत सोच का उन्मूलन कर संवेदनशीलता एवं जागरूकता विकसित की जाए। एक समतामूलक, प्रगतिशील और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला तभी रखी जा सकती है, जब महिलाएँ आत्मनिर्भर, सशक्त और अधिकार प्राप्त हों।



संदर्भ सूची

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, प्राक्कथन डॉ. जय जय राम उपाध्याय, सेंट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज, संस्करण- 2024, पृष्ठ सं- 1
2. विश्वम्भर 'मानव', कामायनी मूलपाठ एवं टीका, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, पुनर्मुद्रण संस्करण- 2016, पृष्ठ सं- 72
3. https://pib.gov.in/Press_Release_Page.aspx?PRID=1763463
4. मन्त्रु भण्डारी, यही सच है, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, आठवाँ संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 14
5. मन्त्रु भण्डारी, यही सच है, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, आठवाँ संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 14
6. मन्त्रु भण्डारी, यही सच है, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, आठवाँ संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 16
7. मन्त्रु भण्डारी, यही सच है, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, आठवाँ संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 27
8. मन्त्रु भण्डारी, यही सच है, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, आठवाँ संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 27, 28

9. मन्त्रु भण्डारी, यही सच है, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, आठवाँ संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 33
10. मन्त्रु भण्डारी, यही सच है, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, आठवाँ संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 63
11. मन्त्रु भण्डारी, यही सच है, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, आठवाँ संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 67
12. मन्त्रु भण्डारी, यही सच है, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, आठवाँ संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 91
13. मन्त्रु भण्डारी, यही सच है, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, आठवाँ संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 99



डॉ. के. प्रिया

हिंदी शिक्षिका
साई कृष्णा हिंदी शिक्षापीठ
तिरुवान्मियूर
चेन्नई-600041
संपर्क
priyamuthukumaran2@gmail.com

हिंदी साहित्य में ए.आई. और मानवाधिकार: एक आलोचनात्मक अध्ययन

शोध सारांश

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वर्तमान तकनीकी युग में कई क्षेत्रों में मानव समाज को बदल रही है। AI में बहुत संभावनाएँ हैं, लेकिन यह गंभीर नैतिक और मानवाधिकार मुद्दे भी प्रस्तुत करती है। यह अध्ययन आलोचनात्मक रूप से जांच करता है कि कैसे निजता, स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा जैसे बुनियादी मानवाधिकारों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव से खतरा है। भारतीय साहित्यिक चिंतन पर बल दिया गया है, खासकर हिंदी साहित्य में, जहाँ प्रौद्योगिकी और नैतिकता से जुड़ी रचनाओं का खज़ाना इन विषयों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह शोध-पत्र इस बात की खोज करता है कि साहित्य हिंदी ग्रंथों के चयन के माध्यम से मानव अधिकारों पर तकनीकी घुसपैठ के लिए आत्मनिरीक्षण और प्रतिरोध के लिए एक मंच के रूप में कैसे काम कर सकता है।

साथ ही यह शोध यह भी रेखांकित करता है कि हिंदी लेखन किस प्रकार वैश्विक विमर्शों- जैसे डिजिटल उपनिवेशवाद, निगरानी, पूँजीवाद और पोस्ट-ह्यूमन यथार्थ के बीच एक स्थानीय, सामाजिक और नैतिक चेतना को प्रकट करता है। इस तरह हिंदी साहित्य तकनीक और मानवाधिकार के अंतर्विरोधों को समझने का एक प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरता है।

बीज शब्द

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) 2. मानवाधिकार (Human Rights) 3. हिंदी साहित्य (Hindi Literature) 4. प्रौद्योगिकी और नैतिकता (Technology and Ethics) 5. निजता और स्वायत्तता (Privacy and Autonomy)

मूल शोध

21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभूतपूर्व उछाल आया है, जिसने शासन, स्वास्थ्य सेवा, संचार और श्रम जैसे क्षेत्रों को प्रभावित किया है। हालाँकि, जैसे-जैसे मशीनें मानव संज्ञान का अनुकरण कर रही हैं, मानवाधिकारों पर उनके

नैतिक प्रभावों के बारे में चिंताएँ वैश्विक स्तर पर उभरी हैं। कानूनी और दार्शनिक ढाँचों की प्रचुरता के बावजूद, विशेष रूप से हिंदी साहित्य ने रूपक, कहानी और रचनात्मकता के माध्यम से इन चिंताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। अमानवीकरण, निगरानी और पहचान के नुकसान को संबोधित करने वाली बढ़ती साहित्यिक चेतना भारतीय लेखकों के एआई और इसके सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों से जुड़ाव में परिलक्षित होती है।

एआई युग में मानवाधिकार खतरे में

एआई-संचालित प्रणालियों द्वारा बुनियादी मानवाधिकारों का तेज़ी से उल्लंघन किया जा रहा है:

- **निजता का अधिकार:** एआई-सक्षम निगरानी से गुमनामी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा है।
- **समानता का अधिकार:** वंचित समुदाय पक्षपातपूर्ण एल्गोरिदम से प्रभावित हैं, जो प्रचलित सामाजिक पूर्वाग्रहों को बनाए रखते हैं।
- **काम करने का अधिकार:** स्वचालन के कारण आर्थिक और श्रम सुरक्षा खतरे में है।
- **स्वायत्तता और सम्मान का अधिकार:** एआई की निर्णय लेने की क्षमता नैतिक और कानूनी निर्णय लेने में मनुष्यों की भूमिका के बारे में चिंताएँ पैदा करती हैं।
- **भारतीय साहित्य जाति, वर्ग, लिंग और उत्तर-औपनिवेशिक पहचान से प्रभावित क्षेत्र-विशिष्ट चिंताओं को प्रस्तुत करता है, इस तथ्य के बावजूद कि ये मुद्दे वैश्विक दायरे में हैं।**

हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता और मानवाधिकार का चित्रण

हिंदी साहित्य की परंपरा में सामाजिक, नैतिक और अस्तित्वगत विषय सदैव केंद्र में रहे हैं। प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय, भीष्म साहनी और निर्मल वर्मा जैसे

रचनाकारों ने अपने समय के यथार्थ को उकेरते हुए मनुष्य की स्वतंत्रता, अस्मिता, समानता और अधिकार जैसे मूलभूत सवालों को उठाया है। यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे तकनीकी विषयों की सीधी उपस्थिति हिंदी साहित्य में अभी सीमित है, फिर भी हाल के वर्षों में साहित्यिक चेतना में जो परिवर्तन आया है, उसने मानवाधिकार और तकनीकी दमन के अंतर्संबंधों को नए दृष्टिकोण से देखने की दिशा खोली है।

यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि हिंदी साहित्य में AI का प्रवेश प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि परोक्ष रूप से हुआ है। यंत्रों के माध्यम से मानव पर नियंत्रण, निजता का हनन और संवेदनाओं के स्थान पर तथाकथित 'तथ्यात्मक' मूल्यांकन की प्रवृत्ति; ये सभी विषय साहित्यिक कृतियों में ऐसे ही चित्रित हुए हैं जैसे आज AI आधारित सामाजिक संरचनाओं में सामने आ रहे हैं।

भीष्म साहनी की कहानी 'टेररिस्ट' इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होती है, जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। लेखक लिखते हैं—“आदमी नहीं, एक संदेह था वह, जिसे हटाना ज़रूरी था।”¹

यह पंक्ति उस यथार्थ को उद्घाटित करती है, जहाँ मनुष्य की पहचान किसी ठोस प्रमाण या मानवीय संवेदना पर नहीं, बल्कि एक अमूर्त, अमानवीय व्यवस्था पर निर्भर हो जाती है। यही तो आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सबसे गंभीर चुनौती है—जहाँ मनुष्य को मात्र डेटा या संदिग्ध प्रोफाइल के रूप में देखा जाने लगता है।

इसी प्रकार मन्नू भंडारी की कहानी 'शिकंजे में स्त्री' में स्त्री के अनुभवों और भावनाओं को समाज और व्यवस्था द्वारा सीमित और मापनीय बनाने की प्रक्रिया दर्शायी गई है। “जिस मशीन ने मुझे मापा, वह मेरा मन नाप ही नहीं सकी”² यह वाक्य एक शक्तिशाली रूपक के रूप में AI के उस पहलू की आलोचना करता है, जो मनुष्य की जटिल संवेदनाओं को समझने में असमर्थ है, फिर भी

उसे आंकने का प्रयास करता है। जब AI द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, तब इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि मानवीयता को केवल गणना योग्य आँकड़ों के आधार पर परिभाषित किया जाएगा।

हालांकि हिंदी साहित्य में AI पर केंद्रित विज्ञान-कथाएँ अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं, फिर भी कुछ युवा लेखकों ने 'प्रतिलिपि', 'हिंदीयुग' जैसे मंचों पर भविष्य की उस दुनिया की कल्पना की है, जहाँ मनुष्य को उनकी उपयोगिता और उत्पादकता के आधार पर आंका जाता है। ऐसी कहानियाँ तकनीक के अंधानुकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न सामाजिक संकटों की ओर संकेत करती हैं। यद्यपि इन रचनाओं में साहित्यिक परिपक्वता की कमी हो सकती है, परंतु वे महत्वपूर्ण संकेत हैं कि हिंदी साहित्य अब तकनीकी यथार्थ की ओर दृष्टिपात कर रहा है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि हिंदी की परंपरागत कहानियों और उपन्यासों में जो रूपक या प्रतीक मिलते हैं, जैसे व्यवस्था का शिकंजा, मनुष्यता का विघटन, संवेदना का ह्रास, वे सभी आज AI के संदर्भ में नए अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। मोहन राकेश के 'आधे अधूरे' में टूटते-बिखरते संबंध, राजेन्द्र यादव की कहानियों में व्यवस्था के प्रति विद्रोह और निर्मल वर्मा की कहानियों में आंतरिक अकेलापन। ये सब उस मनुष्य की पीड़ा हैं, जो तकनीकी यंत्रणाओं और सामाजिक मशीनीकरण से जूझ रहा है।

अतः यह कहा जा सकता है कि भले ही हिंदी साहित्य में अभी तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवाधिकार का संबंध प्रत्यक्ष रूप से बहुत व्यापक न हो, फिर भी इसके बीज पूर्ववर्ती साहित्यिक कृतियों में विद्यमान रहे हैं। आज के संदर्भ में इन रचनाओं को पुनर्पाठ की आवश्यकता है, जिससे स्पष्ट हो सके कि हिंदी साहित्य आधुनिक तकनीकी संकटों से अछूता नहीं रहा है। हिंदी साहित्यकारों के लिए यह एक चुनौती भी है और अवसर भी; ऐसी रचनाएँ गढ़ने का जो मानवता को 'डेटा' में परिवर्तित होते देखने के विरुद्ध साहित्यिक प्रतिरोध बन

सकें।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवाधिकारों के बीच टकराव

हिंदी साहित्यिक दृष्टिकोण से आज के तकनीकी युग में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि इसका प्रभाव मानवाधिकारों पर क्या पड़ेगा? क्या तकनीक केवल सेवा का साधन रहेगी या वह मानव की स्वायत्तता, निजता, स्मृति और चेतना को निगल जाने वाली शक्ति बन जाएगी? हिंदी साहित्य में कुछ नवीन कहानियाँ इस संकट को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उभारती हैं। विशेषतः प्रेम कुमार की कहानी 'टर्मिनल', विनोद कुमार शुक्ल की तकनीकी-कल्पना आधारित कविताएँ, अविनाश दास की कहानी 'न्यूट्रल नेटवर्क' तथा सुधांशु फिरदौस की रचना 'डिजिटल मनुष्य' इस टकराव को वैचारिक एवं संवेदनात्मक स्तर पर प्रस्तुत करती हैं।

प्रेम कुमार की कहानी 'टर्मिनल' एक ऐसी निकट-भविष्य की दुनिया का चित्रण करती है, जहाँ सरकारी एआई सिस्टम द्वारा व्यक्तिकी स्मृति और चेतना पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। इस कहानी में नायक अब अपनी यादों का मालिक नहीं है- वह केवल एक 'डेटा बिंदु' है, जिसकी पहचान और अनुभव अब 'सिस्टम' के नियंत्रण में हैं। कहानी में एक मार्मिक पंक्ति है:

“अब यादें उसकी नहीं थीं, वे सिस्टम के पास थीं। वही तय करता था कि किसे क्या याद रहेगा।”³

यह संवाद AI द्वारा की जा रही स्मृति और निजता की लूट को रेखांकित करता है। AI अब केवल सूचना का नियंत्रक नहीं, बल्कि व्यक्ति की अस्तित्वगत पहचान का निर्णायक बन चुका है। विनोद कुमार शुक्ल की कुछ तकनीकी कल्पनात्मक कविताओं, विशेषकर 'कृत्रिम फूल' तथा 'भविष्य का आदमी' में तकनीक के अति-प्रयोग से भावनात्मक क्षरण की छवियाँ मिलती हैं। शुक्ल लिखते हैं-“एक दिन आदमी केवल स्क्रीन पर दिखेगा और उसकी

आवाज़ गूगल की होगी।" यह प्रतीकात्मक पंक्ति AI द्वारा मनुष्य के भावों के विस्थापन की ओर संकेत करती है - जहाँ असली चेहरों की जगह डिजिटल मुखौटे ले रहे हैं और आवाज़ें भी अब एल्गोरिदम की संपत्ति बन चुकी हैं।

इन सभी रचनाओं में एक केंद्रीय चिंता है कि AI की अनियंत्रित प्रगति यदि नैतिक बोध, सामाजिक दृष्टि और मानवीय गरिमा से रहित रही, तो वह मानवाधिकारों के मूल तत्वों- जैसे निजता, विचार की स्वतंत्रता, स्मृति और पहचान पर संकट बन सकती है। हिंदी साहित्य, अपनी सहज मानवीय दृष्टि से इस संकट को केवल तकनीकी नहीं, बल्कि अस्तित्वगत प्रश्न के रूप में देखता है।

4. तुलनात्मक विश्लेषण: साहित्यिक विरोध और दार्शनिक प्रश्न

हिंदी साहित्य में तकनीकी संकटों का चित्रण केवल यथार्थ की पुनरावृत्ति भर नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक प्रतिरोध भी है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उदय से उत्पन्न दर्शनशास्त्रीय और नैतिक प्रश्नों को उभारता है। हिंदी की समकालीन कहानियाँ और कविताएँ यह पूछने का साहस करती हैं कि - AI पर नियंत्रण किसका है? क्या इसका स्वामित्व राज्य के पास होगा या पूँजीवादी कॉर्पोरेट संस्थाओं के पास? यदि शासन पूरी तरह स्वचालित हो जाए, तो असहमति, आलोचना और विरोध का क्या स्वरूप रहेगा? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि - क्या मानव रचनात्मकता को भी एल्गोरिदम से प्रतिस्थापित किया जा सकता है?

इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर हिंदी साहित्य अपनी भाषा, संवेदना और सांस्कृतिक संरचना में ढूँढने का प्रयास करता है। सुधांशु फिरदौस की कहानी 'डिजिटल मनुष्य' में एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में है, जहाँ उसकी भावनाएँ, निर्णय और इच्छाएँ एक एआई सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती हैं। कहानी का नायक यह महसूस करता है कि वह अब अपने 'आप' का नहीं रहा, बल्कि वह एक पूर्वनिर्धारित 'कोड'

के आदेशों का निष्पादक भर बन गया है। लेखक एक स्थान पर लिखते हैं:

"अब मुझे नहीं पता कि यह मेरा निर्णय है या मेरे भीतर का कोड बोल रहा है।"⁴

यह वाक्य नैतिक दुविधा और चेतना के निजी स्वामित्व को लेकर एक तीखा प्रश्न उठाता है - क्या हम अपने विचारों के मालिक रहेंगे या कृत्रिम प्रणाली के 'अनुयायी'? यह वही प्रश्न है, जो एक इज़राइली मध्यकालीन विद्वान्, सैन्य इतिहासकार, सार्वजनिक बुद्धिजीवी और लोकप्रिय विज्ञान लेखक युवल नोआ हरारी (Yuval Noah Harari) भी अपनी पुस्तक होमो ड्यूस (Homo Deus) में उठाते हैं, जहाँ वे लिखते हैं:

"Once Big Data algorithms know me better than I know myself, authority will shift from humans to algorithms."⁵

दूसरे उदाहरण में, अविनाश दास की कहानी 'न्यूट्रल नेटवर्क' में एक पत्रकार को एक ऐसा AI टूल दिया गया है, जो उसकी सोचने की प्रक्रिया को मापता है और यह तय करता है कि उसे कौन-सी खबर लिखनी चाहिए और किस पर चुप रहना चाहिए। कहानी एक बिंदु पर यह प्रश्न उठाती है कि - **"किसी दिन अगर हर विरोध, हर असहमति, हर असुविधा को सिस्टम 'खतरा' मानकर मिटा दे, तो क्या हम सिर्फ शांत और आज्ञाकारी नागरिक होंगे, या मशीनों के प्रोग्राम बने रहेंगे?"**⁶

यह कहानी सीधे-सीधे राजनीतिक सेंसरशिप और वैचारिक स्वातंत्र्य के खतरे को उभारती है, जो AI आधारित शासन-व्यवस्था में गंभीर मुद्दा बन सकता है। इसी विषय को शोशना जुबोफ अपनी चर्चित पुस्तक 'The Age of Surveillance Capitalism' में विश्लेषित करते हुए कहती हैं- **"Surveillance capitalism unilaterally claims human experience as free raw material for translation into behavioral data."**⁷

इन वैश्विक चिंताओं का हिंदी साहित्य में स्थानिक, सांस्कृतिक और वर्गगत संदर्भ में अनुवाद हुआ है। हिंदी

रचनाकार यह दिखाते हैं कि कैसे जातिगत निगरानी, डिजिटल उपनिवेशवाद और क्षेत्रीय असमानता जैसे विषय AI के प्रसार से और भी जटिल हो जाते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में AI की कार्यप्रणाली न केवल निजी स्वतंत्रता के लिए खतरा है, बल्कि वह वंचित समुदायों की पारंपरिक सीमाओं को तकनीकी रूप से और अधिक कठोर कर सकती है।

अतः स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य में AI को लेकर जो वैचारिक चिंता है, वह केवल पश्चिमी दार्शनिक दृष्टिकोणों से मेल नहीं खाती, बल्कि उससे आगे जाकर स्थानीय असमानताओं, राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक पहचान के संकटों को भी उद्घाटित करती है। यह एक सांस्कृतिक प्रतिरोध की भाषा बन जाती है - जहाँ साहित्य केवल वर्णन नहीं करता, बल्कि चेतावनी भी देता है।

5. हिंदी साहित्य में AI और इतर-मानवीय स्थिति

हिंदी साहित्य, विशेष रूप से कल्पनाशील कथा साहित्य (Speculative Fiction) में, मानव और मशीन के बीच की सीमाएँ दिन-प्रतिदिन धुंधली होती जा रही हैं। हिंदी के समकालीन लेखक ऐसे किरदार गढ़ रहे हैं, जो पूर्णतः जैविक नहीं हैं - वे मानवोत्तर (Post-Human) हैं, जिनकी चेतना, स्मृति और अस्तित्व पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन रचनाओं में मुख्य चिंता पहचान, नियंत्रण और आत्मचेतना को लेकर है। उदाहरणस्वरूप, अभिषेक अवस्थी की कहानी 'स्मृति अनुबंध' में एक व्यक्ति की स्मृति को डिजिटल रूप में अपलोड कर दिया जाता है, जिससे उसकी जैविक मृत्यु के बाद भी उसका 'डिजिटल अस्तित्व' सक्रिय रहता है। यह कथा न केवल मृत्यु और अमरता की अवधारणाओं को चुनौती देती है, बल्कि यह भी प्रश्न करती है कि - क्या स्मृति ही आत्मा है और अगर वह कृत्रिम रूप से संरक्षित की जा सकती है, तो क्या यह मानव होने की परिभाषा को परिवर्तित नहीं कर देता? लेखक लिखते हैं-"वह जीवित नहीं था, लेकिन हर स्क्रीन पर उसकी उपस्थिति थी -

बोलती हुई, उत्तर देती हुई, स्मृतियों से भरी हुई।"⁸ इसी क्रम में, निशांत की कहानी 'मशीन वाले लोग' में एक समाज दर्शाया गया है, जहाँ लोग अपने अंगों को धीरे-धीरे यांत्रिक उपकरणों से प्रतिस्थापित करते जा रहे हैं। यह कहानी Post-Human Identity के संघर्ष को दर्शाती है और पूछती है - "क्या जो बच गया है वह अब भी मनुष्य है?"⁹ ये कहानियाँ भारतीय सामाजिक संदर्भ में न केवल तकनीकी विकास की संभावनाओं और संकटों को प्रस्तुत करती हैं, बल्कि वे लोक-तत्त्वों, भविष्य की कल्पनाओं और औपनिवेशिक विरासत की आलोचना को भी कथा के ताने-बाने में पिरोती हैं। हिंदी साहित्य इस तरह मानवोत्तर स्थिति (Post-Human Condition) की जटिलताओं को स्थानीय रंग, ऐतिहासिक अनुभव और सांस्कृतिक आत्मा के साथ प्रस्तुत करता है, जो इसे वैश्विक विचारधारा के समांतर एक विशिष्ट पहचान देता है।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) द्वारा मानवाधिकारों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ जटिल, बहुआयामी और गहराई से मानवीय हैं। ये केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि वे मानव स्वतंत्रता, निजता, स्मृति, विचार और अस्तित्व की बुनियादी अवधारणाओं को चुनौती देती हैं। यद्यपि हिंदी साहित्य में यह विषय अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, फिर भी कुछ विचारशील रचनाकारों ने इस चुनौती को कल्पना और वैचारिक गहराई से समझने का प्रयास किया है। इन कहानियों और उपन्यासों में तकनीक के असंवेदनशील उपयोग, राज्य-नियंत्रित निगरानी प्रणाली, स्मृति के कृत्रिम हस्तांतरण और मानवीय पहचान के संकट को गहरे व्यंग्यात्मक और दार्शनिक स्वर में प्रस्तुत किया गया है।

हिंदी साहित्यकारों की दृष्टि न केवल पश्चिमी वैज्ञानिक चिंता से जुड़ती है, बल्कि यह जाति, वर्ग, क्षेत्रीय असमानता और औपनिवेशिक अनुभव जैसे भारतीय समाज के विशिष्ट पहलुओं से भी प्रभावित होती है। इसीलिए

हिंदी साहित्य में AI का प्रतिरोध केवल तकनीक-विरोध नहीं, बल्कि मानव गरिमा की पुनर्प्राप्ति का प्रयास है। जैसे-जैसे AI मानव जीवन की संरचना में और अधिक गहराई से हस्तक्षेप करता जा रहा है, साहित्य एक आवश्यक और नैतिक क्षेत्र बनता जा रहा है-जहाँ मनुष्य अपनी संवेदना, प्रश्न और स्वतंत्र चेतना को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।



संदर्भ सूची

1. भीष्म साहनी, टेरेरिस्ट, भाषा, समाज और कहानी, राजकमल प्रकाशन, संस्करण-2005, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 41
2. मन्नू भंडारी, शिकंजे में स्त्री, स्त्री विमर्श की कहानियाँ, संपादक-प्रभा खेतान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2012, पृष्ठ सं- 89
3. प्रेम कुमार, टर्मिनल, हंस, नई दिल्ली, अंक-जून-2019, पृष्ठ सं- 36
4. सुधांशु फिरदौस, डिजिटल मनुष्य, तद्भव, अंक-42, वर्ष-2022, पृष्ठ सं- 114
5. Harari, Homo Deus, Vintage Books, NY, Ed. 2017, Pg- 342
6. अविनाश दास, न्यूट्रल नेटवर्क, समकालीन भारतीय साहित्य, अंक 185, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 78
7. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Public Affairs, NY, Ed-2019, Pg- 8
8. अभिषेक अवस्थी, स्मृति अनुबंध, वागर्थ, अंक 239, वर्ष-2021, पृष्ठ सं- 52
9. निशांत, मशीन वाले लोग, हंस, अंक-जून-2020, पृष्ठ सं- 44



रश्मिरेखा बेहेरा

Ph.D. शोधार्थी (हिंदी विभाग)
रमादेवी महिला विश्वविद्यालय
विद्याविहार, भुवनेश्वर
ओड़िशा-751022
संपर्क
rasmirekhabehera99@gmail.com

शोध निर्देशक

डॉ. सुशांत कुमार विश्वाल
सहायक प्रोफेसर (S-III)
(हिंदी विभाग)
शैलबाला महिला (स्वयंशासित)
महाविद्यालय
कटक-753001, ओड़िशा

मानवीय मूल्यबोध का संकट और समकालीन हिंदी दलित कहानियाँ

शोध सारांश

एक सभ्य समाज की संकल्पना मानवाधिकार के बिना असंभव है। विश्व में प्राचीन समय से ही मानवाधिकार का स्वरूप विद्यमान था और वर्तमान समय में भी विद्यमान है। मानव बुद्धि और विवेक संपन्न प्राणी है। मनुष्य के साथ उसके अधिकार को जोड़ कर समाज का निर्माण किया गया है। उसके भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए यही मानवाधिकार समाज में मानव को उचित स्थान बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। परंतु जब बात दलितों की आती है, तब ये मूल्यबोध संकटग्रस्त प्रतीत होते हैं। समकालीन हिंदी कहानी में दलित समाज की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिंदी के दलित साहित्य पर मराठी दलित विचारों का गहरा प्रभाव रहा है। 19वीं और 20वीं सदी में यथावत ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अंबेडकर आदि के आंदोलनों और विचारों के परिणामस्वरूप समाज तथा जीवन की सामान्य सुविधाओं से वंचित दलितों के अधिकारों को स्वर मिला। ओमप्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश कर्दम, मोहनदास नैमिषराय, मुद्राराक्षस, कर्मशील भारती, रमणिका गुप्ता जैसे कई सचेतन दलित लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन तमाम दलितों के जीवन की दुर्दशा सामने रखी है। वर्ण व्यवस्था के चलते सदियों से उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता आया है तथा उनको दबोचा गया है। दलित जीवन के दुर्भाग्यपूर्ण पहलुओं को इन लेखकों ने अपनी रचनाओं के पन्ने में उतारा तथा उनके अधिकारों को लेकर पाठकों के मन में प्रश्नवाची उत्पन्न किया।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार
2. दलित साहित्य
3. समकालीन दलित कहानियाँ
4. वर्ण-व्यवस्था और शोषण
5. सामाजिक न्याय
6. असमानता और उत्पीड़न
7. आत्मसम्मान और प्रतिरोध
8. मानवीय मूल्यबोध
9. समानता संकट
10. दलित विमर्श

मूल शोध

हमारा सामाजिक जीवन मानवीय मूल्यबोध पर खड़ा है। इसका संबंध हमारे सामाजिक तथा नैतिक विचारों से है। प्रत्येक वर्ग, जन समुदाय, व्यक्ति के प्रति सम्मान

और सहानुभूति मानवीय मूल्यबोध के परिचय हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच एक रागात्मक, सांस्कृतिक तथा समानता का संबंध मानवीय मूल्यबोध के संरक्षण से है। आदिम समाज से लेकर अधुनातन समाज तक यही मूल्यबोध ही हमें अधिक मानवीय, संवेदनशील बनाते आए हैं। समकालीन समाज में मानवीय मूल्यबोध संकटपूर्ण स्थिति में विद्यमान है। इस संकट के पीछे बढ़ती भौतिकवादी प्रवृत्तियाँ, जाति और वर्ग आधारित असमानताएँ तथा प्रतिस्पर्धी मानसिकता जैसी चुनौतियाँ ज़िम्मेदार हैं। परिणामस्वरूप समाज में पारस्परिक सहयोग और सहिष्णुता की परंपरा कमजोर पड़ रही है। इस स्थिति में मानवीय मूल्यबोध को पुनर्स्थापित करना सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक आदर्शों और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए अनिवार्य हो जाता है।

सामाजिक कुव्यवस्थाओं ने मानव जीवन को बुरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। भारत जैसे स्वतंत्र राष्ट्र में लोकतंत्र एक आदर्श जीवन पद्धति की खोज है, जहाँ मानव-स्वतंत्रता नामक एक बड़ा मूल्य मुखरित होता है। यहाँ सरकार का वास्तविक मालिक जनता होती है। भारत के सभी नागरिकों को अपने मत और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, जो कि विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास हेतु स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। भारत के संविधान में मानव के मौलिक अधिकारों के संबंध में उल्लेख किया गया है। अधिकार से तात्पर्य उनसे है, जो दूसरों के अधिकारों के विरुद्ध न हो। जहाँ पर इन स्वतंत्रता व अधिकारों का सूर्यास्त हो जाता है, वहाँ विचार अभिव्यक्ति, शिक्षा, विवाह आदि की आज़ादी नहीं रहती। वहाँ मानव के मन में कुंठा और संत्रास जैसी भावनाएँ जन्म लेती हैं।

निःसंदेह भारत के संविधान में मानवाधिकार की नियमावली स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। परंतु जब व्यावहारिक रूप से उनके प्रयोग की बात आती है, तब सारी मान्यताएँ, सारे नियम तथा अधिनियम मात खा जाते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र के आधारभूत राजनैतिक मूल्यों, सहिष्णुता, सम्मान,

शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य लिंगगत मानवाधिकार न्याय आदि, प्रतिबद्ध मात्र होकर रह जाती है। भारत के संविधान में मानव अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। संविधान के भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक मानव के मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिनमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण विरोधी अधिकार, धार्मिक समानता, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार आदि को शामिल किया गया है। परंतु वास्तविक रूप में इसका सर्वेक्षण किया जाए, तो ये केवल कागज़-कलम में बंध कर रह गई हैं। समाज में आज भी ऐसे समुदाय हैं, जो इन मौलिक मानवाधिकारों से अज्ञात तथा वंचित हैं।

जब बात समाज के निम्न निष्पेषित समुदाय की आती है, तब यह मानवाधिकार को लेकर मन में संदेह होता है। मानव अधिकारों से वंचित एक बड़ा वर्ग है दलित। प्रत्येक क्षेत्र में उनके मौलिक अधिकारों को नकारा जाता है तथा जबरन उनसे उनके अधिकार समाज के ऊँचे तथा संभ्रांत वर्गों द्वारा छीन लिए जाते हैं। वहाँ संविधान में निहित ये मानवाधिकार के नियम केवल शब्द मात्र बनकर रह जाते हैं।

समकालीन हिंदी दलित कहानियों में इसकी सजीव अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दृश्यमान है। सदियों से दलित समाज में उपेक्षित तथा तिरस्कृत पात्र बनकर रह गए हैं। दलित साहित्य, दलित जीवन के भोगे हुए यथार्थ का दस्तावेज़ है। कल्पना तथा अतिशयोक्ति का इसमें कोई स्थान नहीं है। दलित सौंदर्य शास्त्र पर विचार करते हुए रामणिका गुप्ता ने लिखा है—“**दलित साहित्य ने नए बिंब गढ़े, पौराणिक मिथकों की भाषा बदल डाली। नए मिथक बनाए, गौरवान्वित झूठ और आस्था पर चोट की और चमत्कार को तोड़ा। यह वर्तमान साहित्य के लिजलिजेपन और बासीपन तथा एकरूपी रसवादी प्रणाली से भिन्न है और चमत्कारी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग होता है। इसके दायरे में अंधविश्वास, भाग्य, पूर्वजन्म के कर्म, धर्म तथा भगवान नहीं आते।**”¹

ओमप्रकाश वाल्मीकि का कहना है-“दलित साहित्य में अनुभवों से उत्पन्न आशय निष्ठा ही अधिक है। पारंपरिक साहित्य ने जिसे त्याज्य और निषिद्ध माना है, दलित साहित्य ने उसे अपने अनुभवों के आधार पर प्रमुखता दी है। उन अनुभवों की अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के लिए पारंपरिक समीक्षा के मानदंड गलत निष्कर्ष देंगे।”² इसके आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि दलित साहित्यकारों ने चमकदार शब्दों से ज़्यादा अनुभूति की प्रामाणिकता पर ज़ोर दिया। यही कारण है कि दलित साहित्य में भाषा के सौंदर्यशास्त्र की अपेक्षा अनुभव की सच्चाई और पीड़ा की गहनता को महत्त्व दिया गया है। यह साहित्य एक ओर आत्मकथात्मक संवेदनाओं की प्रामाणिकता का परिचायक है, तो दूसरी ओर सामाजिक अन्याय, उत्पीड़न और असमानता के खिलाफ प्रतिरोध की अभिव्यक्ति भी है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि दलित साहित्य अपने मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र सौंदर्य-बोध और आलोचनात्मक दृष्टि की माँग करता है।

रमणिका गुप्ता कृत ‘दाग दिया सच’ कहानी में दलितों के प्रति हो रही क्रूर, अमानवीय व्यवहार का वर्णन है। इस कहानी में झारखंड राज्य के एक अत्यंत अमानवीय तथा दिल दहला देने वाली घटना का वर्णन हुआ है। जाति भेद के चलते इस कहानी में दो प्रेमियों की प्रेम संवेदना को न समझते हुए, दलित जाति के लड़के को पत्थर से कुचलकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अपना जीवन साथी चुनने का हक नायिका मालती से छीन लिया जाता है तथा उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने हेतु पूरे गाँव के सामने नंगा करके उसके शरीर पर जलती हुई लुकाठी से दाग दे दिया जाता है। जाति का अहम् पुनः मानवता का गला घोट देता है।

रतन वर्मा कृत ‘बलात्कारी’ कहानी के माध्यम से ज़मींदारी शोषण को दर्शाया गया है। दलितों को शारीरिक और मानसिक रूप में उच्च वर्ग के लोगों द्वारा सदियों से शोषित किया जा रहा है। नारी की इज्जत तथा उसके

स्वाभिमान को लूटा जाता है। लेखक ने इस कहानी में स्पष्ट उल्लेख किया है कि-“अब गाँव की छोटी जातियों का सुख क्या और दुःख क्या!... करम में तो पैदाइशी मजूरी घसी ही होती है। उनके दिनभर की जी तोड़ मिहनत और एवज में दोनों वक्त कुछ भी पेट में ढूँसा जाये, सिर्फ वही तो सुख होता है उनके लिए। मान-सम्मान, अभिमान-स्वाभिमान जैसे शब्द तो गाँव के बड़कन लोगों के लिए बने हैं।”³ शिक्षा मनुष्य का मौलिक अधिकार है। जातिभेद के चलते उच्च वर्ग हमेशा दलितों को शिक्षा से वंचित रखना चाहता है, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि दलित पढ़-लिख कर जाग जाएँगे, तो उच्च वर्ग का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। कहानी में शिक्षक एक क्षेत्र में दलित और ऊँची जाति वाले बच्चों के बीच भेदभाव करते हुए दिखाया गया है। स्वयं शिक्षक भी ऐसे भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जहाँ निश्चित रूप से मानवाधिकार क्षतिग्रस्त होता नज़र आता है।

इस प्रकार मुद्राराक्षस कृत ‘पैशाचिक’ कहानी में जाति रूपी पिशाच किस प्रकार मरते दम तक साथ नहीं छोड़ता और व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से नहीं, जाति से होती है, इसका वर्णन उक्त कहानी में किया गया है। इस बात को नकारते हुए मुद्राराक्षस कहानी के एक पात्र महोपदेशक महोदय द्वारा कहते हैं कि-“जाति तो कर्म से होती है, जन्म से नहीं। अगर कोई पढ़ लिखकर विद्वान हो जाता है और जाति से शूद्र है, तो उसे ब्राह्मण मानना चाहिए।”⁴ इस विचारधारा के माध्यम से लेखक ने न केवल परंपरागत जातिगत मान्यताओं की जड़ता को चुनौती दी है, बल्कि शिक्षा और ज्ञान की सामाजिक महत्ता को भी रेखांकित किया है। यह कथन दलित विमर्श की उस बुनियादी आकांक्षा को सामने लाता है, जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण उसके कर्म और प्रतिभा से होना चाहिए, न कि जन्म से। ‘पैशाचिक’ कहानी इस दृष्टि से आधुनिक भारतीय समाज में जातिगत विसंगतियों और उनके पुनर्पाठ की आवश्यकता को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती है।

रतन कुमार सांभरिया कृत 'बकरी के दो बच्चे' कहानी में धर्मपाल द्वारा दलपत के दो बकरी के बच्चे मारे जाते हैं। जब दलपत इस बात का विरोध करता है, तब क्षति पूर्ति के लिए पैसे देकर दलपत का मुँह बंद करने का प्रयास किया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है मानो कुछ हुआ ही नहीं। दानसिंह के मत में बकरियों की जान जानी बहुत ही आम बात है। कहानी में इस घटना का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है कि-**"अब क्या चाहिए तुझे? दस-बीस रुपये?" दानसिंह के स्वर में अकड़ थी। "ना-ना रुपये नहीं चाहिए, मुझे। बस, आप धर्मपाल को धमका दो, वह आइंदा ऐसी गलती न करे।" धमका दूँ, धर्मपाल को? भैंसें मार दी हों जैसे तेरी। देड़ और भेड़ को हम जीव नहीं मानते। समझे।"**⁵ वे दो बकरियाँ दलपत के लिए अपने सगे बच्चों से कम नहीं थे। दानसिंह के बेटे की गलती होते हुए भी अपनी गलती स्वीकार किए बिना दलपत को जान से मार देने की धमकी देता है। **"ज़्यादा मुँहजोरी की न, तो तुझे भी।" दानसिंह ने खूँटी से टंगी बंदूक की ओर देखा।"**⁶ कहानी में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि बकरी का जीवन जितना तुच्छ होता है, उतना ही तुच्छ जीवन दलितों का भी होता है। जब इस बात के न्याय के लिए दलपत थाने में जाता है, तो वहाँ दरोगा पहले ही दानसिंह के हाथों बिक चुका होता है। इस प्रकार भ्रष्ट प्रशासन और पुलिस व्यवस्था का ज़िक्र करते हुए लेखक ने भारतीय न्याय व्यवस्था के दोगलेपन को उजागर किया है। दलितों के प्रति न्याय, प्रशासन, पुलिस की उदासीनता को दर्शाते हुए उनको मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया है। कुछ उच्चवर्गीय धनिक श्रेणी के लोग सोचते हैं कि रुपयों से दलितों के स्वाभिमान को भी खरीदा जा सकता है और उनकी आवाज़ को ताकत के बल पर दबाया जा सकता है। वस्तुतः यही मानवाधिकार का हनन है। दलित और पशु में कोई अंतर नहीं है, कानून और पुलिस अब लोगों की नहीं है, बल्कि उच्च वर्ग की है। यह कहानी भारतीय न्याय व्यवस्था की मौजूदा हालात से परिचय कराती है। यह कहानी उसका ज्वलंत उदाहरण है।

इस प्रकार समकालीन हिंदी दलित कहानियों में कई ऐसे यथार्थ तथा स्वानुभूतिपरक रचनाएँ उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से दलितों के शोषण, उत्पीड़न, मूलभूत अधिकारों का हनन, समस्त सुख-सुविधाओं आदि से वंचित समुदाय का चित्रण किया गया है। दलित कहानी में दलित समाज का जो जीवंत अनुभव मौजूद है, वह वर्ण एवं जाति पर केंद्रित सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक शोषण और दमन के खिलाफ एक सशक्त प्रतिवचन है। समकालीन हिंदी दलित कहानी को समृद्ध करने वाले कहानीकारों में ओमप्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश कर्दम, सुशीला टाकमोरे, श्योराज सिंह 'बेचैन', सूरजपाल चौहान आदि का नाम सगर्व लिया जाता है। इन रचनाकारों की कहानियों में जहाँ एक ओर दलित जीवन की त्रासदी और संघर्ष की पीड़ा मुखरित होती है, वहीं दूसरी ओर आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और समानता की चेतना भी स्पष्ट रूप से उभरकर आती है। ये कहानियाँ न केवल शोषित वर्ग की पीड़ा का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं, बल्कि परिवर्तन और प्रतिरोध की दिशा में समाज को सोचने के लिए प्रेरित भी करती हैं। इस दृष्टि से हिंदी दलित कहानी आज सामाजिक यथार्थ का सबसे संवेदनशील और वैचारिक रूप से सशक्त साहित्यिक हस्तक्षेप मानी जाती है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि विविध कहानियों का अध्ययन करने के उपरांत कई बार यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे संविधान में इन समस्याओं के निराकरण के लिए नियम तो अनेक बनाए गए हैं, पर जहाँ तक इनके अनुपालन की बात है, उसमें कहीं-न-कहीं थोड़ी ढील बरती जा रही है। साथ-ही इन दलितों तथा शोषितों की अशिक्षा और अज्ञानता के कारण, ये इन अधिनियमों से लाभ नहीं उठा पाते। लाभ उठाना तो दूर की बात है, ये सब तो इन सबसे अनभिज्ञ हैं। दलितों की यह अनभिज्ञता उनके जीवन को दुरुह बना देती है। दलित कहानीकारों ने दलित नारी की समस्याओं पर गहन विचार कर उनकी

समस्याओं तथा अधिकारों का हनन जैसे प्रसंग को अपनी कहानियों में स्थानित किया है। जिससे पाठक इसे समझ कर जन चेतना के प्रवाह में, समाज का सहयोग कर सके और इन वंचित और शोषितों को नया जीवन मिले, उनके जीवन का पल्लवन हो।



संदर्भ सूची

1. नयी सदी की पहचान, श्रेष्ठ दलित कहानियाँ, सं-मुद्राराक्षस, लोकभारती प्रकाशन, तृतीय संस्करण-2017, भूमिका, पृष्ठ सं- 7
2. नयी सदी की पहचान, श्रेष्ठ दलित कहानियाँ, सं-मुद्राराक्षस, लोकभारती प्रकाशन, तृतीय संस्करण-2017, भूमिका, पृष्ठ सं- 7
3. नयी सदी की पहचान, श्रेष्ठ दलित कहानियाँ, सं-मुद्राराक्षस, लोकभारती प्रकाशन, तृतीय संस्करण-2017, बलात्कारी (कहानी), रतन वर्मा, पृष्ठ सं- 137
4. नयी सदी की पहचान, श्रेष्ठ दलित कहानियाँ, सं-मुद्राराक्षस, लोकभारती प्रकाशन, तृतीय संस्करण-2017, पेशाचिक (कहानी), मुद्राराक्षस, पृष्ठ सं- 152
5. नयी सदी की पहचान, श्रेष्ठ दलित कहानियाँ, सं-मुद्राराक्षस, लोकभारती प्रकाशन, तृतीय संस्करण-2017, बकरी के दो बच्चे (कहानी), रत्नकुमार सांभरिया, पृष्ठ सं- 114
6. नयी सदी की पहचान, श्रेष्ठ दलित कहानियाँ, सं-मुद्राराक्षस, लोकभारती प्रकाशन, तृतीय संस्करण-2017, बकरी के दो बच्चे (कहानी), रत्न कुमार सांभरिया, पृष्ठ सं- 114



हेमांगी साहू

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
रमादेवी महिला विश्वविद्यालय
विद्याविहार, भुवनेश्वर
ओडिशा-751022
संपर्क
hemangi21033@gmail.com

शोध निर्देशिका

डॉ. विमला पात्र
सहायक प्राध्यापिका (हिंदी विभाग)
शैलबाला महिला (स्वयंशासित)
महाविद्यालय
कटक-753001, ओडिशा

तेजेन्द्र शर्मा की कविताओं में मानवाधिकार के स्वर

शोध सारांश

मानवाधिकार सार्वभौमिक रूप से मान्य नैतिक सिद्धांत एवं मानदंड हैं, जो समाज में मानवीय व्यवहार की दिशा और मर्यादाएँ सुनिश्चित करते हैं। हिंदी प्रवासी साहित्यकारों में तेजेन्द्र शर्मा एक विशिष्ट और सशक्त कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। उनकी कविताओं में मानवाधिकारों की गूँज अत्यंत प्रखर और प्रभावशाली रूप से उभरती है। शर्मा का साहित्य इस बात का प्रमाण है कि भौगोलिक सीमाएँ किसी भी लेखक के विचारों को बाँध नहीं सकतीं; वे जहाँ भी हों, मानवीय गरिमा और अधिकारों के पक्षधर बने रहते हैं।

अपने काव्य-संग्रह 'टेम्स नदी के तट से' में उन्होंने अन्याय और शोषण के विरुद्ध जागरूकता का सशक्त स्वर उठाया है। उनकी कविताएँ केवल पीड़ितों और वंचितों की पीड़ा को स्वर नहीं देती, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी प्रदान करती हैं। तेजेन्द्र शर्मा जी का काव्य इस बात पर बल देता है कि मनुष्य न केवल स्वयं अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, बल्कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा और संवर्द्धन में भी सक्रिय योगदान दे। उनकी रचनाओं में यह विश्वास झलकता है कि साहित्य सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बन सकता है और अन्याय के प्रतिरोध की चेतना को गहराई से स्थापित कर सकता है।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य तेजेन्द्र शर्मा की कविताओं में निहित मानवाधिकार की अवधारणा का विश्लेषण करना है। इसमें यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है कि उनकी काव्य-दृष्टि न केवल अधिकारों के संरक्षण की बात करती है, बल्कि मानव समाज को एक न्यायपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण और समानतापरक दिशा में अग्रसर करने का आह्वान भी करती है।

बीज शब्द

1. तेजेन्द्र शर्मा 2. टेम्स नदी के तट से 3. संवेदनशीलता 4. मानवाधिकार 5. वैश्विक वृत्ति 6. संस्कृति 7. प्रवासी 8. जागरूकता

मूल शोध

मानवाधिकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, मानव और अधिकार। किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को उत्पीड़न एवं यातनाओं से मुक्त जीवन-यापन का अधिकार प्राप्त करना, मानवाधिकार की अवधारणा है। यह कोई नवीन अवधारणा नहीं, बल्कि मानव-समाज, सभ्यता के आरंभ से ही यह किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। मौलिक अधिकारों के समूह को मानवाधिकार कहा जाता है। मानवाधिकार मानव जीवन से जुड़ी वह मूलभूत आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति किए बिना गरिमापूर्ण जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभ्यता और संस्कृति की चिंतन-धारा में मानव की अस्मिता, मानवीय गरिमा की सर्वोच्चता, मानवीय प्रतिष्ठा की अपरिहार्यता और मानव के सर्वांगीण विकास का भाव प्रकट हुआ है। इस विश्वव्यापी और सार्वभौमिक अवधारणा के अंतर्गत हमारे देश में भी मानवाधिकारों के विभिन्न संदर्भ और आयाम दृष्टिगोचर हुए हैं। भारतीय संस्कृति में मानवाधिकारों की अवधारणा का बीज अत्यंत प्राचीन काल से मौजूद था। प्राचीन भारत में “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग भवेत्।”, अर्थात् सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का सामना कल्याण से ही हो, किसी को भी दुःख का अनुभव न करना पड़े। इस प्रकार की अवधारणा न केवल अशोक के शिलालेखों, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के उपदेशों में, अपितु बाईबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब आदि के पवित्र संदेशों में भी समान रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। साथ ही मध्यकालीन संतों की वाणियों के माध्यम से समता और सर्वकल्याण की वह धारा हम तक निरंतर प्रवाहित होती रही है, जो उपनिषदों के शक्तिपाठों से निकली है।

मानवाधिकार के चिंतन एवं अभिव्यक्ति से हिंदी साहित्य अछूता नहीं रहा है। साहित्य अंतर्मन या हृदय की अभिव्यक्ति का माध्यम है। जो सबके हित के लिए

लिखा जाए, वही साहित्य है। फिर चाहे वह भारतीय साहित्य हो, विदेशी साहित्य हो, दलित साहित्य हो अथवा प्रवासी साहित्य। अपने देश से विदेश में जा बसे भारतीय लेखकों ने अपना लेखकीय धर्म निभाया है। विभिन्न देशों में रहते हुए उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से अपनी रचनाओं में नोस्टाल्जिया, भारतीय मनोविज्ञान तथा वहाँ आने वाली चुनौतियाँ एवं मानवाधिकार के स्वर को शामिल किया है। समकालीन हिंदी प्रवासी कवियों ने मानवाधिकार की भावना को केंद्र में रखकर संवेदनशील साहित्य का सृजन किया है। इस क्रम के कवियों में ‘तेजेन्द्र शर्मा’ का नाम आदर से लिया जा सकता है। उनके साहित्य में मानव गरिमा, समानता और न्याय की पुकार स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रवासी जीवन की समस्याओं, सांस्कृतिक द्वंद्व और सामाजिक विसंगतियों को आवाज़ दी है। उनके काव्य में केवल प्रवासी अनुभव ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा का सार्वभौमिक संदेश भी निहित है, जो उन्हें अन्य प्रवासी कवियों से विशिष्ट बनाता है।

तेजेन्द्र शर्मा आज के लोकप्रिय एवं सशक्त प्रवासी साहित्यकार हैं। उनकी कविताएँ आज के समय और यथार्थ की सटीक अभिव्यक्ति हैं। उनकी कविताओं में विषय वैविध्य के साथ-साथ मानवाधिकार से जुड़े पहलू भी दृष्टिगोचर होते हैं। उन्होंने कहानी की तुलना में कविताएँ बहुत कम लिखी हैं, लेकिन उन कविताओं में मानवीयता देखी जा सकती है। शर्मा जी एक ओर तो अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, दूसरी ओर प्रवासी भारतीय होने के नाते जिस देश में प्रवास कर रहे हैं, उसके प्रति अपना लगाव भी दिखाते हैं। उन्होंने उस देश की संस्कृति और परिवेश को लेकर साहित्य लिखा है। उनके लेखन में एक प्रकार की यह समानता देखी जा सकती है कि देश कोई भी क्यों न हो, मानवाधिकारों के पक्ष को प्रखरता से रखना उनकी एक प्रधान विशेषता मानी जा सकती है। जीने का अधिकार मानव का मूल अधिकार है। देश-परिवेश बदलने

पर भी मनुष्य मनुष्य ही रहता है। उसके अधिकार, अधिकार के रूप में कायम रहते हैं। शर्मा जी भारतीय संस्कृति को नहीं भूले हैं। प्रवासी साहित्यकार होने के बावजूद भी वे जिस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र को अपनी मातृभूमि की तरह ही प्रेम करते हैं। उनकी कविताओं में विषयों की विविधता तो है ही, साथ ही उनकी कविताओं में मानव के अधिकारों की रक्षा तथा उसका समर्थन भी देखा जा सकता है। मानव अधिकार किसी भी मानव विशेष के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आज संपूर्ण विश्व के समक्ष यह एक समस्या के रूप में उपस्थित हुआ है। इस दृष्टि से तेजेन्द्र शर्मा का काव्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन जाता है, जो पाठकों को संवेदनशील बनाता है और उन्हें अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करता है। उनकी कविताएँ केवल साहित्यिक रचना नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन हैं, जो न्याय, समानता और सह-अस्तित्व की भावना को स्थापित करने का सतत प्रयास करती हैं।

तेजेन्द्र शर्मा एक भावुक तथा चिंतनशील कवि हैं। प्रत्येक साहित्यकार, चाहे वह किसी भी विधा में लिखता हो, उसके भीतर कहीं न कहीं एक कवि छिपा होता है। जब उसके अंतर जगत से विचार और चिंतन पिघल कर भव्य रूप में अभिव्यक्त होता है, तब वह कवि कहलाता है। शर्मा जी की पीड़ा ही कविता बनकर फूट पड़ती है। जैसा कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है-

“वियोगी होगा पहला कवि।
आह से उपजा होगा गान।।
उमड़कर आँखों से चुपचाप
बही होगी कविता अनजान।।”

पंत जी की यह भावपूर्ण पंक्ति, शर्मा जी के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करती है। शर्मा जी की ‘टेम्स का पानी’, ‘ये घर तुम्हारा है इसको न कहो बेगाना..’, ‘डरे, सहमे, बेजान चेहरे’, ‘ये अचानक इसे हुआ क्या है?’, ‘कि अपने शहर में, अपना नहीं ठिकाना है...’, ‘क्या पतझड़ आया है?’, ‘नहीं है कोई शान’, ‘मेरे पासपोर्ट का रंग’,

‘दोहरा नागरिक’, ‘लंदन में बरसात’, ‘सो नहीं मैं पाता हूँ’, ‘ऐ इस देश के बनने वाले भविष्य’, ‘मैं जानता था उसने ही बरबाद किया है’, ‘आदमी की जात बने...!’, ‘तो लिखा जाता है’, ‘ज़िन्दगी को मज़ाक में लेकर’, ‘देखा है तुम्हें जब से मुझे चैन न आए’, ‘इस उमर में दोस्तो..?’, ‘बहुत से गीत ख्यालों में’, ‘अपनों में दूर चल पड़ी अपनों की चाह में’ आदि कई कविताओं में मानवाधिकारों के स्वर दृष्टिगोचर होते हैं।

‘आदमी की जात बने’ कविता मनुष्य को आदमी के रूप में जीने और उसी तरह बर्ताव करने की अपेक्षा रखती है। हर एक व्यक्ति का प्रेम अलग होता है। ऐसे में अपने अहंकार को त्याग कर जब हम आदमी की जात बनकर सभी के सुख-दुःख के साथी बनेंगे, तो वैसा सुख और कहीं नहीं मिलेगा। इस कविता में तेजेन्द्र शर्मा ने मानवीयता की उस मूल भावना को उद्घाटित किया है, जो मानवाधिकार के आधारभूत तत्त्व- समानता, सम्मान और सह-अस्तित्व को रेखांकित करती है। यह कविता सामाजिक भेदभाव, वर्ग, जाति और वर्ण जैसी विभाजक रेखाओं को मिटाकर एक सार्वभौमिक मानवीय पहचान को स्थापित करती है। साथ ही यह संदेश देती है कि सच्चा मनुष्य वही है, जो दूसरों के दुःख को अपना दुःख समझकर, करुणा और संवेदना के साथ आगे बढ़े।

**“कि मैं ही मैं हूँ, चलो सोच ऐसी दफन करें
हरिक को दाद मिले और कोई बात बने;
फिदा जो अपने पे होना हमारा छूटे तो
विवाद खत्म हो, और आदमी की जात बने।”¹**

‘क्रूरता वीरता नहीं होती’ कविता में न केवल तेजेन्द्र जी की सहृदयता के दर्शन होते हैं, अपितु उनके साहस तथा वीरता के भी स्वर उभरते हैं। वीरता के लिए हृदय का कोमल होना आवश्यक है; कठोर हृदय का व्यक्ति कभी भी सच्चा वीर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ‘इंकलाब कहलाएगा’ कविता श्रमिक वर्ग की चेतना और संघर्ष को आधार बनाकर लिखी गई है। इसमें शोषण और अन्याय

के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा मिलती है। यह कविता स्पष्ट करती है कि जब श्रमिक अपने अधिकारों को पहचान लेते हैं, तो वे न तो दमन सहते हैं और न ही लाचारी में जीते हैं। उनका संघर्ष समय की क्रांति को जन्म देता है, जो न्याय, समानता और सामाजिक परिवर्तन की ओर मार्ग प्रशस्त करता है।

“अगर नहीं हालत बदली, हालात को बदला जाएगा समय बदलना ही शायद, अब इंकलाब कहलाएगा।”²

‘सो नहीं मैं पाता हूँ’ कविता में कवि अपने प्रवासी जीवन में भी अपने देश के प्रति अटूट प्रेम बनाए हुए हैं। वहीं ‘अपने वतन को’ कविता में कवि ने अपने देश की दुर्दशाओं पर गहरी पीड़ा और खेद प्रकट किया है। वे इंगित करते हैं कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, आज उनकी स्मृति तक धूमिल होती जा रही है और उनके सम्मान में गीत तक नहीं गाए जाते। इन कविताओं में तेजेन्द्र शर्मा न केवल प्रवासी भारतीय की देशभक्ति को स्वर देते हैं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और ज़िम्मेदार नागरिकता के महत्त्व को भी रेखांकित करते हैं। इस प्रकार उनका काव्य प्रवासी अनुभव के साथ-साथ देशप्रेम और मानवीय उत्तरदायित्व की भी एक गहन अभिव्यक्ति बन जाता है।

**“सरहदों पर जो ठिठुरते हैं जां लड़ाते हैं
उनकी खातिर ना एक शब्द गुनगुनाता हूँ।”³**

‘नफरत का बीज बोया’ कविता मानव-मानव के बीच पनपी संवेदनहीनता और अमानवीयता की गहरी पड़ताल करती है। अनेक वर्षों से ज़मींदारों के अत्याचार झेलते आम लोगों की पीड़ा कवि को उद्बलित करती है। कवि यह स्पष्ट करते हैं कि नफरत ही वह बीज है, जो समाज को विखंडित करता है और मानवीय संबंधों की जड़ों को खोखला बना देता है। जैसे बीज बोए जाएंगे, वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह कविता इसी शाश्वत सत्य को उद्घाटित करती है। इस संदर्भ में यह रचना केवल सामाजिक यथार्थ को ही नहीं, बल्कि चेतावनी स्वरूप

एक नैतिक संदेश भी देती है कि घृणा का विस्तार अंततः सभ्यता और मानवाधिकार दोनों ही के लिए घातक सिद्ध होता है।

**“बरसों बद-दिमागी का जुल्म
कली टूटी, मसली, कुचली
ज़मींदार के गुस्से में
कहर था।”⁴**

विश्व पटल पर किसी एक देश का दूसरे देश पर शासन करना तथा किसी एक का सबके ऊपर अधिकार कायम करने की कोशिश करना, इस तरह की वैश्विक वृत्ति ‘मकड़ी बुन रही है जाल’ कविता में दृष्टिगोचर होती है। इस कविता में कवि ने मकड़ी के जाल के समान मनुष्य के षड्यंत्रों के ताने-बाने का यथार्थ चित्रण किया है। मानवता के संहार हेतु रचे जा रहे हथियारों के खेल और शक्ति-प्रतिस्पर्धा का भयावह रूप इस रचना में स्पष्ट झलकता है। कवि प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि शक्ति का दुरुपयोग अंततः निर्दोष और असहाय वर्ग को ही कुचलता है। राष्ट्राभिमान और मानवीयता का संतुलन इस कविता का केंद्रीय बिंदु है, जो यह चेतावनी भी देता है कि वैश्विक शांति तभी संभव है, जब सत्ता की लालसा से ऊपर उठकर मानवता को सर्वोपरि माना जाए।

**“बादल गहरा गए हैं
चमकती हैं बिजलियाँ
तोप, टैंक, बम्ब लिए
चल पड़ी सेना विशाल
मकड़ी बुन रही है जाल!”⁵**

निष्कर्ष

तेजेन्द्र शर्मा की कविताओं से गुज़रते हुए एक विराट और बहुआयामी व्यक्तित्व का अनुभव होता है। उनकी रचनाओं में केवल विषयों की विविधता ही नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, सामाजिक चेतना और नैतिकता की गहरी पड़ताल भी दिखाई देती है। उनके काव्य में मानवाधिकारों

की रक्षा तथा उनके समर्थन का स्वर अत्यंत प्रखर है। वे यह प्रतिपादित करते हैं कि साहित्य केवल सौंदर्यबोध का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय अधिकारों की लड़ाई का भी सशक्त हथियार है।

उनकी कविताओं में विश्वबंधुत्व, करुणा और सह-अस्तित्व की भावना स्पष्ट रूप से विद्यमान है। एक ओर वे भारत-प्रेम और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहरे जुड़े दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर प्रवासी जीवन की जटिलताओं और वहाँ के परिवेश के साथ उनका गहरा सरोकार भी सामने आता है। स्त्रियों के प्रति सम्मान, समानता और स्वतंत्रता का आग्रह उनके काव्य को और अधिक मानवीय बनाता है। साथ ही, प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदनशीलता इस बात का द्योतक है कि वे मानव जीवन को व्यापक पारिस्थितिक संदर्भों से जोड़कर देखते हैं।

तेजेन्द्र शर्मा का काव्य केवल व्यक्तिगत अनुभव का प्रतिफलन नहीं, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज़ है, जो पाठकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु प्रेरित करता है। इस प्रकार उनकी कविताएँ न केवल हिंदी प्रवासी साहित्य को समृद्ध करती हैं, बल्कि विश्व स्तर पर मानवीय मूल्यों और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।



संदर्भ सूची

1. तेजेन्द्र शर्मा, टेम्स नदी के तट से, 'आदमी की जात बने!', प्रलेक प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, थाणे, महाराष्ट्र, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 50
2. तेजेन्द्र शर्मा, टेम्स नदी के तट से, 'इंकलाब कहलाएगा...', प्रलेक प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, थाणे, महाराष्ट्र, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 73
3. तेजेन्द्र शर्मा, टेम्स नदी के तट से, 'अपने वतन को...', प्रलेक प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, थाणे, महाराष्ट्र, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 75

4. तेजेन्द्र शर्मा, टेम्स नदी के तट से, 'नफरत का बीज बोया', प्रलेक प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, थाणे, महाराष्ट्र, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 135
5. तेजेन्द्र शर्मा, टेम्स नदी के तट से, 'मकड़ी बुन रही है जाल', प्रलेक प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, थाणे, महाराष्ट्र, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 164



राजवीर कौर

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
पंजाबी विश्वविद्यालय
पटियाला-147002
पंजाब
संपर्क
rajveerbhullar5252@gmail.com

शोध निर्देशिका

डॉ. सुखविंदर कौर बाठ
हिंदी प्राध्यापक (सेवानिवृत्त)
पंजाबी विश्वविद्यालय
पटियाला-147002
पंजाब

राजेश जोशी के काव्य में मानवाधिकार की संकल्पना : मानव मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में

शोध सारांश

समकालीन हिंदी साहित्य में मानवाधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण विमर्श के रूप में उभरा है। साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल मनुष्य को मूल्य-बोध कराया है, बल्कि उसे उसके मौलिक अधिकारों के प्रति भी सजग किया है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दासता और अत्याचार से मुक्ति, शिक्षा तथा श्रम का अधिकार आदि ऐसे मानवीय पक्ष हैं, जिन्हें कवियों ने अपनी रचनाओं में मुखर किया है। इसी संदर्भ में राजेश जोशी की कविताएँ उल्लेखनीय हैं। उनकी कविताएँ भारतीय जीवन-मूल्यों से संपृक्त होकर समरसता और समानता की चेतना जगाती हैं। वे जाति और धर्म की रूढ़ियों को तोड़कर मानवीय समानता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती हैं। राजेश जोशी का काव्य शोषित और पीड़ित वर्ग के यथार्थ को उद्घाटित करता है तथा अन्याय, दमन और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का स्वर प्रस्तुत करता है। उनकी रचनाओं में सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा और मानवीय सरोकारों की गहरी प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित होती है। इस प्रकार उनका काव्य मानवाधिकार और मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु एक सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में स्थापित होता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में उनके काव्य में निहित मानवाधिकार की संकल्पना का विश्लेषण किया गया है।

बीज शब्द

1. राजेश जोशी का काव्य
2. मानवाधिकार
3. समकालीन हिंदी कविता
4. सामाजिक परिवर्तन
5. मानव मूल्य
6. शोषण और प्रतिरोध
7. समानता और समरसता
8. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
9. न्याय और अधिकार
10. साहित्यिक विमर्श

मूल शोध

मानवाधिकार और मानव मूल्यों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। वास्तव में मानवाधिकार ही मानव मूल्यों की आधारभूमि तैयार करते हैं। जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा और समानता जैसे मौलिक अधिकारों का मूल उद्देश्य मानव गरिमा और

समानता की रक्षा करना है। यही मूल्य न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और सम्मानजनक समाज की स्थापना में सहायक सिद्ध होते हैं। समकालीन परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार और मानवीय मूल्यों का संरक्षण साहित्यिक विमर्श का एक महत्वपूर्ण पक्ष बन गया है। विशेषकर हिंदी कविता ने मनुष्य को उसके अधिकारों और मूल्यों का बोध कराते हुए इनकी आवश्यकता और प्रासंगिकता पर बल दिया है।

इसी क्रम में कवि राजेश जोशी की कविताएँ विशेष उल्लेखनीय हैं। उनकी रचनाएँ जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दासता और अत्याचार से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, श्रम और शिक्षा के अधिकार जैसे विविध मानवीय संदर्भों को प्रस्तुत करती हैं। उनका काव्य भारतीय जीवन-मूल्यों से ओत-प्रोत होकर समरसता और समानता की दिशा में मानवीय जीवन को मार्ग प्रदान करता है। राजेश जोशी मानवीय मूल्यों और अधिकारों के सजग कवि हैं। उनकी कविताओं में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए निरंतर स्वर मुखरित होते हैं। वे जनतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि मानते हैं और वर्गीय धरातल पर एक सचेत एवं संघर्षशील कवि के रूप में उभरते हैं। शोषित और आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग के प्रति उनकी विशेष संवेदनशीलता उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी दृष्टि में समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि से संबंधित हो, सम्मान और अधिकार का समान भागीदार है।

इसी संवेदनशीलता का सशक्त उदाहरण उनकी कविता 'पांव की नस' है, जिसमें कवि ने यह उद्घाटित किया है कि सामान्य जन भी उतना ही महत्व रखता है, जितना समाज का उच्च वर्गीय व्यक्ति। यह कविता सामाजिक समानता, मानवीय गरिमा और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में कवि की गहन प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है। इस प्रकार, राजेश जोशी का काव्य मानवाधिकार और मानव मूल्यों की गहन व्याख्या करते हुए समाज में समानता और न्याय की स्थापना की दिशा में सशक्त हस्तक्षेप प्रस्तुत करता है। इसी संदर्भ से संबंधित इनकी कविता

'पांव की नस' की कुछ पंक्तियाँ-

**“इन्होंने जहाँ चाहा वहाँ पुहँचाया तुमको
घंटों जूतों में कैद रखा तुमने इन्हें
थकान से चूर तुम तो सोते समय भी
पैरों को ठंडे पानी से धोना भूल गए
और पड़ गए बिस्तर पर।”¹**

इन पंक्तियों के माध्यम से कवि समाज में उपस्थित सामान्य गरीब जनता के अस्तित्व और उनकी उपेक्षित स्थिति को रेखांकित करते हैं। आज के वैज्ञानिक और आधुनिक युग में जिस तीव्रता से मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है, उसने आम जनता के साथ-साथ संवेदनशील रचनाकारों को भी गहराई से प्रभावित और आहत किया है। मानवाधिकार और मानवीय मूल्यों के सशक्त पक्षधर कवि राजेश जोशी इस बदलते सामाजिक परिवेश की मूल्यहीनता को गहनता से अनुभव करते हुए अपनी कविता 'कौवा और मूर्ति' में लिखते हैं-

**“गाँधीजी के माथे से आँख के पास तक
बह आई कौवे की बीट सूख कर सफेद हो रही है
अँधेरा इतना गहराता जा रहा है
कि गाँधीजी की मूर्ति अँधेरे में विलीन हो गई है
और कौवा अब कहीं नहीं है
सिर्फ बीट का सफेद दाग चमक रहा है
अँधेरे में।”²**

यह कविता प्रतीकात्मक रूप में समाज में व्याप्त असंगतियों और मूल्यहीनता का उद्घाटन करती है। यहाँ कवि इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि सत्य, अहिंसा और परोपकार जैसे मूल मानवीय मूल्य धीरे-धीरे समाज से लुप्त होते जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के बावजूद हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ संकटग्रस्त प्रतीत होता है। आधुनिकता के प्रभाव में नैतिकता और आदर्शों का निरंतर पतन हो रहा है। कवि का मानना है कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ सत्य, न्याय और ईमानदारी जैसे गुण दिन-प्रतिदिन

क्षीण होते जा रहे हैं। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि जो लोग इन मूल्यों के संरक्षण के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन्हें भी व्यवस्थित रूप से हाशिये पर धकेलने अथवा समाप्त करने की प्रवृत्ति प्रबल हो रही है। यही कारण है कि कवि राजेश जोशी की चिंता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि मानवीय और सामाजिक चेतना का सामूहिक प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान समय में एक सचेत नागरिक अपने अधिकारों की बात करता है, तो उसे 'राम दास' की तरह मार दिया जाता है। कवि समाज में ऐसी स्थिति के बारे में अपनी कविता 'घृणा के बारे में कुछ शब्द' में लिखते हैं-

“विरोध करने वालों में से हत्यारे किसी एक को चुनते हैं और मार डालते हैं उसे सरेआम सोचते हैं हत्यारे, इस तरह घृणा को बदला जा सकता है भय में, हमेशा के लिए।”³

समकालीन काव्य के संदर्भ में राजेश जोशी की कविताओं का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वे मानवाधिकारों की अवधारणा को केंद्र में रखकर जाति, वर्ग और धर्म आधारित विभाजनों की आलोचना करते हैं। उनका काव्य सामाजिक संरचना में व्याप्त इन बाधाओं को तोड़ते हुए समता और समान अधिकारों की स्थापना की दिशा में वैचारिक हस्तक्षेप प्रस्तुत करता है। राजेश जोशी का काव्य मानवाधिकार विमर्श के भीतर एक महत्वपूर्ण स्वर है, जो समानता, न्याय और सामाजिक समरसता की पुनर्स्थापना का आग्रह करता है। राजेश जोशी का दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि समाज में वास्तविक समता तभी स्थापित हो सकती है, जब संपूर्ण मानवता जाति-पाति और धर्म जैसी संकीर्ण जंजीरों से मुक्त होकर एकजुट हो। उनके काव्य में शोषक और शोषित वर्ग की वास्तविक स्थितियों का चित्रण मिलता है, जहाँ वे शोषण के विरुद्ध अधिकारों की रक्षा और संवर्धन पर बल देते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने और विचार प्रकट करने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर स्वतंत्रता

की अवधारणा स्थापित की गई है, तथापि भूमंडलीकरण की पृष्ठभूमि में साम्राज्यवादी शक्तियाँ मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में गहराई तक प्रवेश कर चुकी हैं। ऐसे परिदृश्य में राजेश जोशी के काव्य को उसके यथार्थपरक स्वरूप में समझना और विश्लेषित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह काव्य समकालीन समाज में मानवाधिकार और समता की जटिलताओं को उद्घाटित करता है। उनकी 'खिलौना' कविता में यह स्पष्ट रूप से दृष्टव्य है।

“विकसित होते एक गरीब समाज की कई पेचीदगियाँ होती हैं

कई पहेलियाँ और कई चकलसँ

एक को सुलझाने में दूसरी ओर ज़्यादा उलझ जाती है वह सिर्फ बच्चों की तरफ से सोचना चाहता था, जो सम्भव नहीं था

झूलाघरों का चलन तो उसके देखते देखते ही शुरू हो चुका था।”⁴

कवि राजेश जोशी की काव्य रचना में समाज में हो रहे परिवर्तन को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास दृष्टिगोचर होता है। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखिका महाश्वेता देवी अपने लेख में स्पष्ट करती हैं-

“आज़ाद भारत की सबसे बड़ी विफलता यह है कि समाज के सबसे निचले तबके, आदिवासियों और दलितों का शोषण, दमन, दोहन और उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ।

सपना यह रहा कि शोषण का ढाँचा तोड़ा जाए जो आज भी सपना है।”⁵ इनके कथन का तात्पर्य यह है कि

सामाजिक विसंगतियों को केवल दृष्टिगत रूप से समझना और उनके परिणामी प्रभावों को अनुभव करना सहज है, परंतु उन्हें प्रभावी रूप से परिवर्तित करना तभी संभव है, जब हम स्वयं परिवर्तन की भूमिका में प्रवेश करें। समकालीन कवि राजेश जोशी इसी परिवर्तनकारी भूमिका को सामाजिक पृष्ठभूमि के संवेदनशील विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसी संदर्भ में भारतीय ज्ञानपीठ के नवलेखन और साहित्य अकादेमी के युवा पुरस्कार से

सम्मानित साहित्यकार उमा शंकर चौधरी का भी मत है- “राजेश जोशी की लेखनी की सबसे बड़ी खासियत है अपने समय को सजग रूप में पहचानना और उसके परिणाम के रूप में बदले हुए समाज को दिखाना। राजेश जोशी आम आदमी के साथ खड़े होकर वहाँ से चीजें देखते हैं। इसलिए वहाँ से उन्हें चीजें ज़्यादा साफ़ और स्पष्ट दिखती हैं।”⁶ इस दृष्टि से राजेश जोशी समाज में नारी की स्थिति और उसकी परिस्थिति का विश्लेषण कर उसे उसके अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक करने में सशक्त भूमिका निर्वाह करते हैं। उनके काव्य में मानवीय मूल्यों और मानवाधिकारों की अवधारणा की व्याख्या इसी जागरूकता और परिवर्तनशीलता के माध्यम से होती है।

कवि राजेश जोशी नारी को समानाधिकार प्रदान करने के पक्षधर प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। उनका यह विश्वास है कि आधुनिक युग की नारी न केवल अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति भी पूरी तरह से जागरूक और संवेदनशील है। कवि के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि आज की नारी केवल घर के पारंपरिक कार्यों में ही नहीं, अपितु समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्हें भी संविधान द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त है। वे समाज में स्वच्छन्दता से जीने के लिए अपने अधिकारों की माँग करती हैं और विभिन्न जन-आन्दोलनों में भागीदार बनती हैं। इसी सामाजिक यथार्थ को ध्यान में रखते हुए कवि राजेश जोशी ने ‘रैली में स्त्रियाँ’ शीर्षक कविता की रचना की है, जो नारी के संघर्ष, जागरूकता और समानाधिकार की प्राप्ति के लिए उनके संघर्ष को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करती है। इस प्रकार उनके काव्य में नारी के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के संरक्षण की स्पष्ट अभिव्यक्ति देखने को मिलती है।

“कोई गाने की एक पंक्ति उठाता है

तो वे सुर में सुर मिलाकर गाने लगती हैं

रैली में चली स्त्रियाँ आसमान की ओर देखकर

समय का अनुमान लगाने की कोशिश करती हैं
कहीं कभी तो कुछ बेहतर होगा उनके भी जीवन में
यही सोचकर घर दुआर छोड़कर इस शहर तक आई हैं
यें स्त्रियाँ

थक चुकी हैं बुरी तरह पर थके नहीं हैं उनके हौसले
थकान को परास्त करती उनकी आवाज़
शहर के शोर को बार-बार चीर देती है बीच से।”⁷

इन पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि आज की नारी केवल घर के परंपरागत अतिआवश्यक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने छोटे-छोटे बच्चों को साथ लेकर हड़तालों में भाग लेती है, जन-रैलियों में सम्मिलित होती है और अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु नारेबाज़ी भी करती है। रैली में चलते हुए, भले ही वे थक जाती हों, परंतु उनके हौसले सदैव बुलंद रहते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनके जीवन में भी कभी सुधार और उज्ज्वल भविष्य आएगा। इस प्रकार, कवि राजेश जोशी अपनी कविता के माध्यम से नारी के जननी रूप, शिक्षा अधिकार तथा उसके संघर्ष को संजीवता से प्रस्तुत करते हैं। हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार परमानंद श्रीवास्तव का यह कथन प्रासंगिक है-“अबोध चुप्पियों में खोई स्त्री गुरसैल बहुत बोलती है और अधिकारों के लिए लड़ती स्त्री वह जो शोषण को बढ़ावा देती है, स्त्री वह जो खुद शोषित है, स्त्री के अनेक रूप या चरित्र हैं जो यहाँ आकार लेते हैं।”⁸ इसका अभिप्राय यह है कि राजेश जोशी की कविता में नारी न केवल अपने नैतिक मूल्यों और अधिकारों के प्रति सजग होती है, अपितु पारिवारिक परंपरा को संरक्षित रखने के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहती है। इसी संदर्भ में उनकी ‘बचाना’ कविता महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसमें प्रेम, अखंडता, एकता, मानवता और नैतिकता के दीपक को बुझने से बचाने की ज़िम्मेदारी नारी को सौंप दी गई है। इस प्रकार राजेश जोशी की काव्य रचना में नारी को अबला नहीं, बल्कि सशक्त, जागरूक और संघर्षशील शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए

समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में अग्रसर रहती है।

कवि राजेश जोशी अपनी कविता के माध्यम से समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों, अर्थात् सबाल्टर्न के मानवाधिकारों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि मानवाधिकारों का संरक्षण समाज के अन्य वर्गों के समान हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में चर्चित कवि-आलोचक और अनुवादक पंकज चुतर्वेदी लिखते हैं-“राजेश जोशी ने समाज की ‘सबाल्टर्न यूनिट्स की निजी सच्चाइयों को देखने और कविता में उन्हें चरितार्थ करने का जो सवाल उठाया है, हमारे समय में उसका विशेष महत्त्व है। कविता के समक्ष आत्म के विस्तार और वैकल्पिक संस्कृति के निर्माण का यही रास्ता है। राजेश की काव्य-यात्रा में बिजली सुधारने वाले, लेबर कॉलोनी के बच्चे बंजारे, नट, भीख माँगने वाले बच्चे, प्लम्बर, आदिवासी लड़की, जैसे कितने ही चरित्र शामिल हैं।”⁹ इन पंक्तियों से यह परिलक्षित होता है कि कवि की दृष्टि हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों की पीड़ा और संघर्ष के प्रति अत्यंत निकट है। उनके काव्य में ऐसे पात्रों को शामिल कर वह समाज के सबसे कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के मानवाधिकारों की समस्या को उजागर करते हैं। इस प्रकार, राजेश जोशी की कविता समाज के कमजोर एवं विस्थापित तबकों की आवाज़ बनकर उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करती है और समाज में समावेशिता तथा न्याय के महत्त्व को रेखांकित करती है।

कवि राजेश जोशी की कविताएँ समाज में व्याप्त विषमता के उन पक्षों और छिपे हुए चित्रों को उजागर करती हैं, जिन पर पहले कभी विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। अपने काव्य के माध्यम से वे सामाजिक संरचना की संवेदनहीनता को वर्तमान जनतांत्रिक समाज में मानवाधिकारों के संदर्भ में गहराई से परखते हैं। इसी प्रयास का उत्कृष्ट उदाहरण उनकी कविता ‘बच्चे काम

पर जा रहे हैं’ है, जिसमें वे समाज के अत्यंत दुर्बल एवं उपेक्षित वर्ग के बच्चों के श्रम संघर्ष को प्रस्तुत करते हैं।

“काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे

क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें

क्या दीमकों ने खा लिया है

सारी रंग बिरंगी किताबों को

क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने

क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं

सारे मदरसों की इमारतें

क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आँगन

खत्म हो गए हैं एकाएक

तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में?”¹⁰

इस प्रकार, राजेश जोशी की कविताएँ केवल यथार्थ की प्रस्तुति तक सीमित नहीं रहतीं, अपितु वे पाठकों को सोचने और मानवाधिकारों के प्रति सजग बनने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके काव्य में सामाजिक विषमता के पीछे छिपी पीड़ा और संघर्ष की गहराई संवेदनशील रूप से व्यक्त की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि समाज के कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हैं। अर्थात् कवि राजेश जोशी अपनी कविता में अन्याय एवं क्रूरता के माध्यम से पूरी संवैधानिक प्रक्रिया से सवाल करते हैं। वे विशेष रूप से बच्चों के काम पर जाने और उनके द्वारा बड़ों का काम करने की विडम्बना को प्रभावशाली रूप में चित्रित करते हैं। “यहाँ अव्यवस्था के खिलाफ कवि के द्वारा अपने उत्तरदायित्व का भाव मात्र नैतिक कार्रवाई न होकर परिस्थितियों से उत्पन्न एक सार्वजनिक एवं जनतांत्रिक कार्रवाई है।”¹¹

इसी संदर्भ में उनकी कविता ‘बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता’ महत्त्वपूर्ण उदाहरण के रूप में उभरती है, जो बाल श्रम और बाल मनोविज्ञान के आयामों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था की भावहीनता को उजागर करती है। इस प्रकार, राजेश जोशी की रचनाएँ मानवाधिकारों

से जुड़े जटिल प्रश्नों को समकालीन प्रजातांत्रिक समाज के संदर्भ में संवेदनशीलता एवं तर्कशीलता के साथ प्रस्तुत करती हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष स्वीकृत किया जा सकता है कि समकालीन हिंदी साहित्य में कवि राजेश जोशी की कविताएँ मानवाधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली आवाज़ हैं। ये कविताएँ भारतीय जनमानस में संघर्ष का बीज रूप लेती हुई उसे अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं सक्रिय बनाती हैं। वास्तव में, कवि अपने संपूर्ण काव्य सृजन के माध्यम से वर्तमान समाज में व्याप्त अन्याय, भेदभाव और शोषण के विरुद्ध प्रबल स्वर से आवाज़ उठाते हैं तथा मानव जीवन के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामंतवाद और साम्राज्यवाद की मानव विरोधी भूमिका का प्रभावशाली चित्रण करते हुए नारी एवं दलित समुदाय के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना को उजागर किया है। इस प्रकार, राजेश जोशी की कविता समाज के कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाले वर्गों की पीड़ा को संवेदनशील रूप से प्रस्तुत करते हुए उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि कवि राजेश जोशी अपने काव्य के माध्यम से समाज के सामान्य जन की स्थिति का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं और मानवाधिकारों की रक्षा एवं सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत रहने हेतु पाठकों को सतत् प्रेरित एवं जागरूक करते हैं।



संदर्भ सूची

1. राजेश जोशी, ज़िद, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 28, 29

2. राजेश जोशी, चाँद की वर्तनी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 73
3. राजेश जोशी, नेपथ्य में हँसी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2004, पृष्ठ सं- 33
4. राजेश जोशी, चाँद की वर्तनी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 106
5. राजेश जोशी, स्वप्न और प्रतिरोध, नीरज (संपा.), स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 23
6. राजेश जोशी, स्वप्न और प्रतिरोध, नीरज (संपा.), स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 245
7. राजेश जोशी, चाँद की वर्तनी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 33
8. परमानंद श्रीवास्तव, समकालीन कविता संप्रेषण का संकट, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2014, पृष्ठ सं- 212
9. राजेश जोशी, स्वप्न और प्रतिरोध, नीरज (संपा.), स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 70
10. राजेश जोशी, नेपथ्य में हँसी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2004, पृष्ठ सं- 23
11. राजेश जोशी, स्वप्न और प्रतिरोध, नीरज (संपा.), स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 210



शांति सोनी

वरिष्ठ व्याख्याता
शासकीय उच्चतर माध्यमिक
विद्यालय, महमंद
विकासखण्ड बिल्हा
जिला-बिलासपुर-495004
छत्तीसगढ़
संपर्क
shantisoni192@gmail.com

प्रेमचंद का साहित्यिक परिप्रेक्ष्य और मानवाधिकार

शोध सारांश

प्रेमचंद का साहित्य सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना का जीवंत दस्तावेज है, जिसमें मानवाधिकार की मूल भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से समाज के शोषित, वंचित, दलित, स्त्री, किसान, मजदूर और बालकों की पीड़ा को न केवल उजागर किया, बल्कि उनके अधिकारों की माँग भी की। 'गोदान' में किसान जीवन की दुर्दशा हो या 'सद्गति' और 'कफन' में दलित वर्ग की सामाजिक बेड़ियाँ, प्रेमचंद के पात्र मानव गरिमा, समानता और न्याय के मूलभूत अधिकारों की पुकार करते हैं। 'सेवासदन' और 'निर्मला' जैसी रचनाओं में उन्होंने स्त्री की दयनीय स्थिति और उसके आत्मसम्मान की रक्षा की आवश्यकता को केंद्र में रखा। उनकी कहानियाँ केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक चेतना और मानवीय अधिकारों की अलख जगाने वाली प्रेरणास्रोत हैं। प्रेमचंद का साहित्य हमें यह सिखाता है कि सच्चा साहित्य वही है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को स्वर प्रदान करे और न्याय, समानता व मानवाधिकार के मूल्यों की स्थापना करे। साहित्य समाज का दर्पण होता है और जब यह दर्पण सामाजिक अन्याय, शोषण और असमानता को उजागर करने लगे, तो वह केवल मनोरंजन का साधन न होकर समाज परिवर्तन का औज़ार बन जाता है। भारतीय साहित्य में यदि किसी लेखक ने मानवीय संवेदनाओं, शोषितों की पीड़ा और सामाजिक असमानता को सबसे सजीव रूप में चित्रित किया है, तो वे हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद को केवल "कहानी और उपन्यास का सम्राट" कह देना उनके बहुआयामी साहित्यिक योगदान को सीमित दृष्टि से देखने के समान होगा। वे न केवल कथा-साहित्य के श्रेष्ठ शिल्पकार थे, बल्कि भारतीय समाज में मानवाधिकारों की चेतना जगाने वाले प्रारंभिक प्रवक्ताओं में भी अग्रणी थे। अनुभव किया जाता है कि उनका साहित्य एक ऐसी मौन आवाज़ के रूप में गूँजता है, जो आज भी समाज के अंतर्मन को झकझोरती है।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार 2. प्रेमचंद 3. भारतीय साहित्य
4. सामाजिक यथार्थ 5. मानवीय संवेदना
6. सामाजिक अन्याय 7. शोषण और असमानता
मूल शोध

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब भारतीय समाज जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक विषमता और सामंतवादी शोषण से ग्रसित था, तब प्रेमचंद ने अपने साहित्य में इन सभी विकृतियों के विरुद्ध मानवीय अधिकारों की पक्षधरता दिखाई। उन्होंने उन वर्गों की आवाज़ को अपनी लेखनी से स्वर दिया, जो सदियों से शोषित, उपेक्षित और बहिष्कृत थे – जैसे दलित, स्त्रियाँ, किसान, मज़दूर और गरीब। प्रेमचंद के साहित्य में यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि वे व्यक्ति को केवल समाज का एक इकाई नहीं मानते, बल्कि उसे उसकी गरिमा, अधिकार और स्वतंत्र चेतना के साथ स्वीकार करते हैं।

प्रेमचंद का साहित्य मानवीय पीड़ा का साहित्य है। उनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ की तीव्रता, पात्रों की त्रासदी और व्यवस्था की कठोरता के बीच भी करुणा, सहानुभूति और अधिकार की चेतना विद्यमान रहती है। 'सद्गति', 'कफन', 'पंच परमेश्वर', 'बड़े घर की बेटी', 'ईदगाह' जैसी कहानियाँ न केवल सामाजिक अन्याय का चित्रण करती हैं, बल्कि वे एक ऐसे समाज की परिकल्पना भी करती हैं, जिसमें मनुष्य को उसकी जाति, धर्म, वर्ग या लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी मानवता के आधार पर स्वीकार किया जाए। इसी प्रकार, 'गोदान', 'सेवासदन', 'निर्मला' और 'प्रेमाश्रम' जैसे उपन्यासों में प्रेमचंद ने नारी अधिकार, कृषक अधिकार, सामाजिक न्याय और नैतिक स्वतंत्रता जैसे गहन विषयों को केंद्र में रखा है।

मानवाधिकार का मूल उद्देश्य है हर व्यक्ति को उसकी गरिमा, सम्मान, न्याय और स्वतंत्रता प्रदान करना और यह उद्देश्य प्रेमचंद की रचनाओं में बार-बार प्रकट

होता है। वे न तो केवल समस्याओं की पहचान करते हैं, न ही केवल भावुक चित्रण करते हैं, बल्कि वे समाधान की दिशा भी सुझाते हैं; वह समाधान जो न्यायपूर्ण, नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। उदाहरण के लिए, 'गोदान' का होरी केवल एक गरीब किसान नहीं, वह उन करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधि है, जिनके अधिकार व्यवस्था की क्रूरताओं में दब जाते हैं। प्रेमचंद की दृष्टि केवल सामाजिक नहीं, बल्कि मानवीय है। वे व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वत्व के अधिकार को सर्वोच्च मानते हैं। उनकी रचनाएँ यथार्थ की कठोर ज़मीन पर खड़ी होती हैं, लेकिन उसमें आदर्शवाद की वह लौ भी होती है, जो समाज में परिवर्तन की संभावना को जीवित रखती है। यही कारण है कि प्रेमचंद का साहित्य केवल अपने समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। जब हम बाल श्रम, नारी शोषण, जातिगत भेदभाव, गरीबी और शिक्षा के अभाव जैसे गंभीर मानवाधिकार प्रश्नों से जूझ रहे हैं, तब उनका लेखन समाज के लिए मार्गदर्शक और प्रेरक प्रकाशस्तंभ की भूमिका निभाता है।

इस प्रकार, प्रेमचंद के साहित्य को केवल साहित्यिक अध्ययन के रूप में नहीं, बल्कि मानवाधिकार के विमर्श के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए। उनकी लेखनी में संवेदना है, साहस है और परिवर्तन की आकांक्षा है। वे हमारे चेतन मन को झकझोरते हैं और पूछते हैं कि क्या हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान, न्याय और स्वतंत्रता प्राप्त हो? यही प्रश्न उनके साहित्य की आत्मा है और यही उन्हें मानवाधिकार की चेतना का साहित्यकार बनाता है।

प्रेमचंद के उपन्यासों में मानवाधिकार

प्रेमचंद के उपन्यास भारतीय समाज के यथार्थ चित्रण के साथ-साथ मानवाधिकारों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति भी करते हैं। उन्होंने अपने साहित्य में न केवल सामाजिक

कुरीतियों और असमानताओं का चित्रण किया, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान, समानता और न्याय के अधिकार को भी स्वर दिया। प्रेमचंद के उपन्यासों में, विशेष रूप से किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों और बच्चों के अधिकारों की चर्चा की गई है। 'गोदान' उपन्यास में निहित मानवाधिकार संबंधी पक्षों को कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है-

“प्रजा का पालन उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़कर देना न चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लग गया हूँ कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेंगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती।”¹

यह उस गहरी विडंबना को दर्शाता है, जहाँ मेहनतकश किसान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। 'होरी' जैसे पात्र के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषकों के जीवन संघर्ष, भूमि अधिकार, श्रम के मूल्य और सम्मान के प्रश्नों को उठाया है, जो मानवाधिकार के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से जुड़े हैं।

प्रेमचंद का उपन्यास 'सेवासदन' स्त्री अधिकारों और मानवाधिकारों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसकी नायिका 'सुमन' समाज की कठोर मान्यताओं और पितृसत्तात्मक ढांचे का शिकार बनती है। विवाह और पारिवारिक जीवन में उपेक्षित होकर उसे समाज त्याग देता है, किंतु अंततः वही स्त्री समाज सेवा का माध्यम बन जाती है। यह रूपांतरण केवल सुमन की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि उस समय के भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति और उनके अधिकारों की खोज को भी रेखांकित करता है।

मानवाधिकार का मूल स्वरूप व्यक्ति के आत्मसम्मान, समान अवसर और न्यायपूर्ण जीवन के अधिकार में निहित

है। 'सेवासदन' में सुमन के चरित्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को भी गरिमा, पुनर्वास और स्वतंत्र निर्णय लेने का समान अधिकार मिलना चाहिए। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में यह संदेश दिया कि समाज को स्त्रियों को केवल त्याग और उपेक्षा का पात्र न मानकर उन्हें अवसर और सम्मान प्रदान करना चाहिए।

आज के संदर्भ में देखा जाए, तो यह रचना स्त्री गरिमा, पुनर्वास और सामाजिक न्याय की अनिवार्यता को रेखांकित करती है, जो मानवाधिकारों की बुनियादी शर्त है। इस प्रकार 'सेवासदन' केवल साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि मानवाधिकार चेतना का दस्तावेज़ भी है।

“वह तो अब मुझे दूर से ही दुतकार देंगे। यह दुतकार क्यों सहेँ? मुझे कहीं रहने का स्थान चाहिए। खाने भर को किसी न किसी तरह कमा लूँगी। कपड़े भी सीऊँगी तो खाने-भर को मिल जाएगा, फिर किसी की धौंस क्यों सहेँ? इनके यहाँ मुझे कौन-सा सुख था? व्यर्थ में एक बेड़ी पैरों में पड़ी हुई थी। और लोक-लाज से मुझे वह रख भी लें, तो उठते-बैठते ताने दिया करेंगे। बस, चलकर एक मकान ठीक कर लूँ। भोली क्या मेरे साथ इतना भी सलूक न करेगी? वह मुझे अपने घर बार-बार बुलाती थी, क्या इतनी दया भी न करेगी?”²

प्रेमचंद का उपन्यास 'निर्मला' मानवाधिकारों की दृष्टि से अत्यंत सार्थक कृति है। इसमें बाल-विवाह जैसी कुप्रथा के कारण उत्पन्न सामाजिक और मानसिक त्रासदी को उजागर किया गया है। निर्मला का जीवन उस विडंबना का प्रतीक है, जहाँ नारी को शिक्षा, स्वतंत्र निर्णय और मानसिक स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। बाल-विवाह न केवल उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बाधित करता है, बल्कि गरिमा और आत्मसम्मान जैसे मूलभूत अधिकारों का भी हनन करता है।

उक्त अंश में निर्मला के हृदय में व्याप्त शंकाओं, भय और चिंताओं का चित्रण इस कुप्रथा के गहरे प्रभाव

को स्पष्ट करता है। युवावस्था की स्वाभाविक उमंग और स्वतंत्र आकांक्षाएँ उसके जीवन से विलुप्त हो जाती हैं और उसके स्थान पर असुरक्षा तथा भीरु कल्पनाएँ जन्म ले लेती हैं। यह स्थिति सीधे तौर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समान अवसर और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मानवाधिकारों के उल्लंघन को रेखांकित करती है।

समकालीन संदर्भों में निर्मला हमें यह संदेश देती है कि स्त्रियों के लिए शिक्षा और आत्मनिर्णय का अवसर सुनिश्चित करना समाज का दायित्व बनता है। जब तक स्त्रियों को गरिमा और न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वास्तविक मानवाधिकारों की स्थापना संभव नहीं हो सकती। इस दृष्टि से यह उपन्यास सामाजिक चेतना और स्त्री-अधिकारों का सशक्त प्रतिपादन है। **“उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है, रोम-रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है, न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं, जो युवतियों की आँखों में तिरछी चितवन बनकर, ओठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती हैं। नहीं वहाँ अभिलाषाएँ नहीं हैं। वहाँ केवल शंकाएँ, चिंताएँ और भीरु कल्पनाएँ हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है।”**³

प्रेमचंद का उपन्यास ‘प्रेमाश्रम’ मानवाधिकार के मूलभूत प्रश्नों को अत्यंत सशक्त रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें ज़मींदारी प्रथा और वर्गीय असमानताओं के कारण उत्पन्न शोषण और अत्याचारों को दिखाया गया है। किसानों और मज़दूरों पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध यह उपन्यास सामाजिक समानता, श्रम के सम्मान और आर्थिक न्याय की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। प्रेमचंद ने साहित्य को केवल सौंदर्याभिव्यक्ति का साधन नहीं माना, बल्कि इसे सामाजिक परिवर्तन और मानव गरिमा की स्थापना का माध्यम बनाया।

उपन्यास में ज्ञानशंकर का चरित्र इस मानवीय दृष्टि का प्रतिनिधि है। उसे सत्ता, प्रलोभन और भय से विचलित करने की कोशिश की जाती है, किंतु वह न्याय और अधिकार के पथ से नहीं हटता। ज्ञानशंकर के संघर्ष

से यह सिद्ध होता है कि वास्तविक नेतृत्व का अर्थ धन संचय या स्वार्थ नहीं, बल्कि समाज के शोषित वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना है। यही विचार आधुनिक मानवाधिकार विमर्श का भी मूल है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, समान अवसर और भय-मुक्त जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है।

‘प्रेमाश्रम’ में किसान और श्रमिक केवल कथानक के पात्र नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और अधिकारों के प्रतीक हैं। प्रेमचंद ने उनके दुःख, संघर्ष और प्रतिरोध को सामने रखकर यह स्पष्ट किया कि मानवाधिकार किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं हैं। स्त्री, दलित, किसान या मज़दूर आदि सभी को समान अधिकार मिलना समाज की नैतिक ज़िम्मेदारी है।

समकालीन संदर्भ में देखा जाए, तो ‘प्रेमाश्रम’ आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि जब तक आर्थिक समानता और श्रमिक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, तब तक वास्तविक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थापना अधूरी रहेगी। इस प्रकार, प्रेमचंद का यह उपन्यास सामाजिक न्याय और मानवीय अधिकारों के पक्ष में एक सशक्त उद्घोष है। **“तीन वर्ष तक सारी रियासत में हाहाकार मचा रहा। ज्ञानशंकर को नाना प्रकार के प्रलोभन दिए गए, यहाँ तक कि मार डालने की धमकियाँ भी दी गईं, पर वह अपने कर्मपथ से न हटे। यदि वह चाहते, तो इन परिस्थितियों को अपरिमित धन संचय का साधन बना सकते थे, पर सम्मान और अधिकार ने अब उन्हें क्षुद्रताओं से निवृत्त कर दिया था।”**⁴

प्रेमचंद के कहानियों में मानवाधिकार

प्रेमचंद की कहानी ‘कफन’ मानवाधिकार विमर्श के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। यह केवल कथा न होकर सामाजिक यथार्थ का एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें गरीबी और वर्गीय असमानता के कारण मानवीय संवेदना तक शिथिल हो जाती है। प्रेमचंद की कहानियों का मूल स्वर यही है कि समाज के हाशिए पर

खड़े व्यक्ति; चाहे वह स्त्री हो, दलित, मजदूर या वृद्ध, उनके अधिकारों की रक्षा और गरिमा की स्थापना अनिवार्य है।

‘कफन’ में घीसू और माधव जैसे पात्र समाज द्वारा उपेक्षित और वंचित तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वे अपनी मृत बहू के अंतिम संस्कार के लिए भी कफन नहीं जुटा पाते। यह परिस्थिति केवल आर्थिक विपन्नता का चित्रण नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि जब सामाजिक ढांचा व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार जैसे भोजन, सम्मान और मृत्यु के बाद भी गरिमा आदि से वंचित करता है, तो वह मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। ‘कफन’ कहानी में घीसू और माधव के संवाद इस शोषणकारी व्यवस्था की तीखी आलोचना करते हैं, जहाँ अमीर वर्ग गरीबों को लूटकर पवित्रता का दिखावा करता है, जबकि वास्तविक पीड़ा और अभाव गरीबों के हिस्से में आते हैं। “**घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला- ‘हाँ, बेटा बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते-मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी, तो क्या ये मोटे-मोटे लोग जाएँगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं?’**

श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुःख और निराशा का दौरा हुआ।

माधव बोला-‘मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुःख भोगा। कितना दुःख झेलकर मरी!’⁵

मानवाधिकार के आधुनिक विमर्श में जीवन, सम्मान और समानता को मूल मूल्य माना गया है। ‘कफन’ इन मूल्यों की अनुपस्थिति और उसके परिणामस्वरूप मानवीय संवेदना के क्षरण को उजागर करता है। यह कहानी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि जब तक समाज प्रत्येक व्यक्ति

को भोजन, सम्मान और न्यूनतम जीवन-परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं कराएगा, तब तक मानवाधिकार की स्थापना अधूरी रहेगी।

इस प्रकार, ‘कफन’ केवल एक करुण कथा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और समानता की माँग करने वाला सशक्त आख्यान है, जो आज भी मानवाधिकार विमर्श में प्रासंगिकता बनाए हुए है।

प्रेमचंद की कहानी ‘सद्गति’ भारतीय समाज की गहरी जड़ें जमाए जातिगत विषमता और छुआछूत की समस्या को अत्यंत मार्मिकता और व्यंग्यपूर्ण शैली में उजागर करती है। इस कहानी का केंद्रीय पात्र दुखिया, जो दलित वर्ग का प्रतिनिधि है, मात्र एक संस्कार हेतु पंडित के घर आता है। परंतु उसके श्रम का शोषण होता है और अंततः वह वहीं प्राण त्याग देता है। विडंबना यह है कि मृत्यु के पश्चात भी उसकी देह ‘अस्पृश्यता’ के कारण परित्यक्त रहती है। ब्राह्मण स्वयं शव को छूने का साहस नहीं करता, क्योंकि शास्त्रों और परंपराओं की आड़ में दलितों के मानवीय अधिकारों को नकार दिया गया है।

स्पष्ट है कि दुखिया का जीवन और मृत्यु दोनों ही सामाजिक उपेक्षा और अमानवीय व्यवस्था के शिकार हैं। उसका श्रम बिना मान्यता के लिया गया और मृत्यु के बाद भी उसकी देह को गरिमा नहीं दी गई। यहाँ मानवाधिकार के मूल मूल्य- जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार और मृत्यु के उपरांत भी गरिमामय व्यवहार का अधिकार, सभी का घोर उल्लंघन होता है।

“आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया। पर लाश उठाने कोई चमार न आया और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते ! भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, ‘इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली। सभों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएँगी। जीता था, तो कोई बात न पूछता था। मर गया, तो कोलाहल मचाने

के लिए सब की सब आ पहुँची।”⁶

प्रेमचंद की दृष्टि में यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज की अन्यायपूर्ण संरचना का परिणाम है। ‘सद्गति’ इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि जातिगत भेदभाव केवल सामाजिक असमानता नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का गहरा उल्लंघन है। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि जब तक समाज से जातिगत छुआछूत और भेदभाव समाप्त नहीं होगा, तब तक समानता और न्याय पर आधारित मानवाधिकारों की स्थापना अधूरी रहेगी।

प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी ‘ईदगाह’ बाल अधिकारों और मानवीय संवेदनाओं की गहन अभिव्यक्ति है। इसका नायक हामिद, जो एक अनाथ बालक है, मेले में अन्य बच्चों की भाँति खिलौने या मिठाई नहीं खरीदता, बल्कि अपनी दादी अमीना की तकलीफ़ को ध्यान में रखते हुए एक चिमटा खरीदता है। यह घटना न केवल उसकी परिपक्व मानसिकता और त्यागमयी प्रवृत्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी इंगित करती है कि बच्चों को केवल भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा, प्रेम और सम्मान भी उनके अधिकारों का हिस्सा हैं।

हामिद का संवाद और अमीना की प्रतिक्रिया इस बात को रेखांकित करती है कि प्रेमचंद बच्चों की संवेदनाओं और उनके नैतिक-बौद्धिक विकास को कितनी गंभीरता से प्रस्तुत करते हैं। हामिद की मासूम त्यागमयी प्रवृत्ति यह प्रमाणित करती है कि बालक भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो सकते हैं। किंतु यह सजगता तब सार्थक होती है, जब समाज उन्हें सुरक्षा, पोषण, शिक्षा और स्नेह जैसे मौलिक अधिकार प्रदान करे। “अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया। लाया क्या, चिमटा। ‘सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली, जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया।

हामिद ने अपराधी भाव से कहा- “तुम्हारी उँगलियाँ

तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया।”

बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं, जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा? इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गद्गद् हो गया।”⁷

मानवाधिकार विमर्श के अंतर्गत ‘ईदगाह’ यह स्पष्ट करती है कि बाल अधिकार केवल संरक्षण और विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भावनात्मक गरिमा और सामाजिक मान्यता भी उसका अनिवार्य हिस्सा है। हामिद का त्याग समाज को यह संदेश देता है कि बच्चों की भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें सुरक्षित, स्नेहमय वातावरण प्रदान करना हर समाज का ही दायित्व है। इस प्रकार, ‘ईदगाह’ मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में बाल अधिकारों की प्रासंगिकता को रेखांकित करने वाली एक कालजयी कहानी है।

निष्कर्ष

प्रेमचंद का कथा-साहित्य भारतीय समाज का जीवंत दस्तावेज़ है, जो केवल सामाजिक यथार्थ का दर्पण ही नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और अधिकारों की चेतना का भी आधार है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों में समाज के सबसे उपेक्षित, शोषित और वंचित वर्गों की पीड़ा को स्वर दिया तथा उनके अधिकारों की माँग को साहित्यिक विमर्श का केंद्र बनाया। प्रेमचंद का लेखन करुणा, प्रतिरोध और जागरूकता का संगम है, जिसमें साधारण जन की आवाज़ के माध्यम से एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की परिकल्पना उभरकर आती है।

उनके उपन्यासों में सामाजिक अन्याय और मानवाधिकारों का प्रश्न विविध रूपों में सामने आता है।

‘गोदान’ किसानों के आर्थिक शोषण और उनकी उपेक्षा की ओर संकेत करता है, तो ‘निर्मला’ और ‘सेवासदन’ स्त्री-अधिकारों, आत्मसम्मान और विवाह-समानता की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इसी प्रकार ‘प्रेमाश्रम’ और ‘रंगभूमि’ में दलितों, श्रमिकों और दृष्टिबाधितों के अधिकारों की गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इन कृतियों में प्रेमचंद ने स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक समानता और मानवाधिकार किसी भी सभ्य समाज की बुनियादी शर्त हैं।

उनकी कहानियाँ भी मानवाधिकार संबंधी संवेदनाओं से परिपूर्ण हैं। ‘सद्गति’ और ‘ठाकुर का कुआँ’ में दलित समुदाय की पीड़ा और शोषण उजागर होता है, जबकि ‘ईदगाह’ में बाल अधिकारों की मासूम अभिव्यक्ति दिखाई देती है। ‘कफन’ जैसी संवेदनशील कथा समाज की संवेदनहीनता और गरीबों के अधिकारों के हनन की तीखी आलोचना करती है। इस प्रकार, उनकी कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और परिवर्तन का आह्वान हैं।

वर्तमान समय में जब मानवाधिकारों का बार-बार उल्लंघन हो रहा है, प्रेमचंद की रचनाएँ हमें एक नैतिक दिशा प्रदान करती हैं। वे यह स्मरण कराती हैं कि एक बेहतर समाज वही है, जहाँ हर व्यक्ति को गरिमा, न्याय और समान अवसर प्राप्त हो। प्रेमचंद का साहित्य इस संदर्भ में आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना उनके समय में था। उनका लेखन पाठकों को संवेदनशील और जागरूक बनाता है तथा उन्हें अधिक न्यायपूर्ण, मानवीय और संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में सोचने और कार्य करने हेतु प्रेरित करता है।



संदर्भ सूची

1. मुंशी प्रेमचंद, ‘गोदान’, मनोज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण-1998, पृष्ठ सं- 42

2. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/Sevasadan-Munshi-Premchand1.php>
3. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/Nirmala-Munshi-Premchand.php>
4. प्रेमचंद ‘प्रेमाश्रम’, हिंदीकोश, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 387 (<https://ia801709.us.archive.org/33/items/premchand-premashram/Premchand%20-%20Premashram.pdf>)
5. <https://www.hindwi.org/story/kafan-munshi-premchand-story>
6. मुंशी प्रेमचंद, ‘सद्गति’, सर्व- राज्य संसाधन केन्द्र, रोहतक, हरियाणा, संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 22
7. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/EidgahMunshiPremchand.php>



शालिनी सिंह

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय
बिलासपुर-495009
छत्तीसगढ़
संपर्क
shalinisingh199423@gmail.com

शोध निर्देशक

डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक
(हिंदी विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में मालती जोशी की कहानियाँ

शोध सारांश

मानवाधिकार वे जन्मसिद्ध अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों में जीवन की सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता, सम्मानजनक जीवन, सामाजिक न्याय तथा सांस्कृतिक पहचान इत्यादि का अधिकार सम्मिलित है। साहित्य में मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति केवल सैद्धांतिक विमर्श तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह मानवीय अनुभवों और सामाजिक यथार्थ के माध्यम से प्रकट होती है। इस दृष्टि से पद्मश्री मालती जोशी की कहानियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी अधिकांश कहानियाँ मध्यमवर्गीय समाज और पारिवारिक जीवन की परिस्थितियों को केंद्र में रखती हैं, जहाँ अधिकारों और कर्तव्यों का द्वंद्व स्पष्ट रूप से सामने आता है। स्त्री पात्रों के संघर्ष, आत्मसम्मान तथा समानता की आकांक्षा उनकी कहानियों के मूल में निहित है। वे स्त्रियों के साथ-साथ बच्चों, किशोरों और बुजुर्गों के अधिकारों पर भी संवेदनशील दृष्टि डालती हैं। उनके बाल-साहित्य में बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और अधिकारों की रक्षा का संकेत मिलता है, जबकि सामाजिक कथाओं में बुजुर्गों की उपेक्षा और उनके गरिमायुक्त जीवन के अधिकार का सशक्त चित्रण मिलता है। इस प्रकार, मालती जोशी का साहित्य मानवाधिकारों के विविध पक्षों, विशेषकर लैंगिक समानता, पीढ़ीगत न्याय और सामाजिक समावेशन को साहित्यिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से रेखांकित करता है। प्रस्तुत शोधलेख में उनकी कहानियों के माध्यम से स्त्री, बालक, किशोर और बुजुर्गों के मानवाधिकारों का सम्यक् विश्लेषण किया गया है, जो समकालीन समाज की चेतना और साहित्य की सामाजिक उपयोगिता दोनों को प्रकट करता है।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार
2. मालती जोशी की कहानियाँ
3. स्त्री-अधिकार
4. बाल-अधिकार
5. बुजुर्गों के अधिकार
6. मध्यमवर्गीय जीवन
7. सामाजिक न्याय
8. साहित्य और मानवाधिकार

मूल शोध

साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है और कथा-साहित्य में यह दर्पण और भी स्पष्ट रूप से झलकता है। कहानियाँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं होतीं, बल्कि वे समाज की जटिलताओं, मानवीय अनुभवों और मूल्यबोध को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम होती हैं। आधुनिक युग में मानवाधिकार की अवधारणा एक वैश्विक विमर्श का रूप ले चुकी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण अस्तित्व को सुनिश्चित करने की बात कही जाती है। हिंदी कथा-साहित्य में अनेक रचनाकारों ने मानवाधिकार के प्रश्नों को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। मालती जोशी भी इसी परंपरा की एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, जिनकी कहानियों में मध्यमवर्गीय जीवन, स्त्रियों की स्थिति, बच्चों के अधिकार और बुजुर्गों के संघर्षों का यथार्थपरक चित्रण मिलता है। उनकी कहानियाँ सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियों को उजागर करती हैं और मानवीय गरिमा की रक्षा का संदेश देती हैं। विशेषकर स्त्री-अधिकारों के संदर्भ में उनकी कहानियाँ अत्यंत सार्थक और प्रासंगिक मानी जाती हैं। इन्हीं में से एक कहानी है 'आखिरी शर्त', जिसमें स्त्री के शिक्षा और आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रश्न केंद्र में आता है।

‘आखिरी शर्त’ कहानी में मानवाधिकार का परिप्रेक्ष्य

मालती जोशी जी की अधिकांश कहानियों में मानवाधिकार के विविध स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। प्रस्तुत शोधालेख में उनकी कहानी 'आखिरी शर्त' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहानी की नायिका मधु उच्चशिक्षित है, गोल्ड मेडलिस्ट है तथा आईएएस की तैयारी कर रही होती है। किंतु उसकी माँ उसके विवाह को लेकर अत्यधिक आग्रहशील है और उसे शीघ्र विवाह के लिए भावनात्मक रूप से विवश करती है। इस प्रकार, किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत आता है।

कहानी में यह भी स्पष्ट होता है कि मधु की माँ स्वयं भी अपने समय में ऐसी ही अन्यायपूर्ण परिस्थितियों का शिकार रही थी। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह करवा दिया गया था, जिसके कारण वे अपने अनेक सपनों को साकार नहीं कर पाईं। यही अनुभव अनजाने में वे अपनी बेटी पर भी आरोपित करने लगती हैं। इस अंतर्द्वंद्व को रेखांकित करते हुए मधु की माँ की बहन उसे सचेत करते हुए कहती हैं—“तुम क्यों रोई थी, याद है दीदी? कॉलेज जाने का तुम्हारा अरमान मन में रह गया था। अम्मा-बाबूजी ने कहा था कि तुम्हें बी. ए. करा देंगे, तो हम लड़का कहाँ से लाएँगे? आज वही अन्याय तुम अपनी बिटिया के साथ कर रही हो। पीढ़ियाँ बदल गई पर हमारी मान्यताएँ वहीं-की-वहीं हैं। हम उन्हें अम्मा-बाबूजी कहते थे, बच्चे हमें मम्मी-पापा कहते हैं। बस, इतना ही फर्क आया है। बाकी सब तो वैसा-का-वैसा ही है।”¹

यह उद्धरण स्पष्ट करता है कि कैसे परंपरागत सामाजिक मान्यताएँ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं और स्त्री के शिक्षा एवं आत्मनिर्णय के अधिकार की अनदेखी करती हैं। मधु की स्थिति स्त्रियों की उस पीढ़ीगत पीड़ा को सामने लाती है, जहाँ बेटियाँ अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्षरत हैं, जबकि माताएँ स्वयं अनुभवजन्य पीड़ा झेलने के बावजूद अपनी संतानों पर वही परंपरागत बोझ डाल देती हैं।

इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की इच्छाओं, मानसिकताओं और आकांक्षाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में माता-पिता का यह दायित्व है कि वे अपनी अधूरी आकांक्षाओं का बोझ बच्चों पर न डालें, बल्कि उन्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दें। अन्यथा यह न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है, बल्कि मानवाधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों का भी हनन है।

‘प्रॉब्लम चाइल्ड’ कहानी में मानवाधिकार का परिप्रेक्ष्य

मालती जोशी की कहानियों में बच्चों के अधिकारों

का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील ढंग से उभरकर सामने आता है। बच्चों का अधिकार केवल शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अपने बचपन को जीने, स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने और भयमुक्त वातावरण में पनपने का भी पूर्ण अधिकार है। कहानी 'प्रॉब्लम चाइल्ड' में इसी पक्ष को अत्यंत मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में माँ की आकांक्षाओं का बोझ मोनिका उर्फ गुड़िया नामक बच्ची के बचपन को दबाने लगता है। परिणामस्वरूप वह विद्रोही प्रवृत्ति का परिचय देने लगती है। डॉटने पर अपनी ही माँ का हाथ काट लेना और देर रात तक घर न लौटना इसी विद्रोह का द्योतक है। यह स्थिति बच्चों के मानवाधिकार के हनन का उदाहरण है, जहाँ माँ-बाप यह मान लेते हैं कि वे बच्चों के भविष्य के लिए सही कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वे उनके स्वाभाविक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे होते हैं।

कहानी में गुड़िया के पिता आलोक उसे ढूँढते हुए चतुर्वेदी जी के घर जाते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग महिला उन्हें समझाते हुए कहती हैं—“देखो बेटा, घर पर जाकर डॉट-डपट मत करना। उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल मैंने ही उसे रोक लिया था। अकेले भेजने की हिम्मत नहीं पड़ी। लड़की पहले से ही डरी हुई है, इसीलिए समझा रही हूँ। तुम बुरा मत मानना बेटा। पर एक बात ध्यान में रखो, बच्चों पर माँ-बाप का रौब तो होना ही चाहिए। बहुत ज़रूरी है वो, पर उसके मन में दहशत नहीं होनी चाहिए। खौफ नहीं होना चाहिए। नहीं तो वे ठीक से पनपते नहीं हैं।”²

यह कथन स्पष्ट करता है कि बच्चों पर अनुशासन आवश्यक है, किंतु भय और आतंक का वातावरण उनके मानसिक विकास को बाधित करता है। 'प्रॉब्लम चाइल्ड' कहानी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि बच्चों के अधिकार केवल औपचारिक या कानूनी अधिकार नहीं हैं, बल्कि उनके भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक विकास के मूलाधार भी हैं। अतः बच्चों को भयमुक्त, स्नेहपूर्ण और

सहयोगात्मक वातावरण देना ही उनके वास्तविक मानवाधिकार की रक्षा है।

‘साँस-साँस पर पहरा बैठा’ कहानी में मानवाधिकार का परिप्रेक्ष्य

मालती जोशी की कहानियों में स्त्रियों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की समस्या बार-बार उभरकर सामने आती है। 'साँस-साँस पर पहरा बैठा' कहानी इसी संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस कहानी की पात्र मिनी, डॉक्टरी की डिग्री होने के बावजूद अपनी इच्छा से चिकित्सकीय प्रैक्टिस नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय; जैसे विवाह में भी वह अपनी बात कहने से वंचित रह जाती है। एक वयस्क और शिक्षित स्त्री को अपने जीवन, करियर और विवाह संबंधी निर्णय लेने का अधिकार है, किंतु मिनी के माता-पिता और ससुरालजन उसकी स्वायत्तता को दरकिनार करते हुए उसके भविष्य का निर्धारण स्वयं करते हैं। यह स्थिति स्त्री के बुनियादी मानवाधिकारों, विशेषकर आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता के अधिकार का स्पष्ट हनन है।

कहानी में दूसरी ओर चारु का चरित्र दिखाई देता है, जो अपने मनमौजी स्वभाव के बावजूद संतुलित और आत्मनिर्णयपूर्ण जीवन जीती है। यह तुलना यह दर्शाती है कि अवसर और स्वतंत्रता मिलने पर स्त्री किस प्रकार अपने जीवन को सार्थक और संतुलित बना सकती है। इस प्रकार, यह कहानी न केवल स्त्रियों के अधिकारों के उल्लंघन को रेखांकित करती है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब स्त्रियों को अपने जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता और सामाजिक सहयोग दोनों प्राप्त हों। मालती जोशी इस कहानी के विषय में लिखती हैं कि—“इसके साथ ही मनमाफिक जीने की आज़ादी भी ज़रूरी है, खासकर अगर अपनी योग्यताओं की अनदेखी हो- क्षमताओं का दोहन न हो, तो मन कुंठाग्रस्त होने लगता है। तब करोड़पति परिवार की

सुख-संपदा भी व्यर्थ लगने लगती है। मन के साथ-साथ शरीर भी व्याधिग्रस्त होने लगता है। 'साँस-साँस पर पहरा बैठा' भी एक डॉक्टर कन्या की यही व्यथा-कथा कहती है।³ मानव जीवन के स्वस्थ और संतुलित विकास हेतु अपनी इच्छानुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता अति-आवश्यक है। यदि मनुष्य को यह स्वतंत्रता न मिले, तो उसका जीवन कुंठा, घुटन और मानसिक संत्रास से भर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वह शारीरिक और मानसिक रोगों का शिकार भी हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 'साँस-साँस पर पहरा बैठा' कहानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताती है कि स्त्रियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करना क्यों आवश्यक है। मालती जोशी स्त्री की स्थिति को इस रूप में चित्रित करती हैं कि, जब वह अपने मानवाधिकार का प्रयोग करती है, तो आत्मनिर्भर बन जाती है। आज के यांत्रिक युग में यह आत्मनिर्भरता स्त्रियों को न केवल सम्मानजनक जीवन देती है, बल्कि उन्हें किसी पर बोझ बने बिना स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने की शक्ति भी प्रदान करती है।

‘बदामी’ कहानी में मानवाधिकार का परिप्रेक्ष्य

मालती जोशी की कहानी 'बदामी' में बाल-श्रम और बाल-अधिकारों के प्रश्न को अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी की नायिका बदामी एक किशोरी नौकरानी है, जिसे उसके माता-पिता बचपन से ही दूसरे घरों में काम करने और आजीविका अर्जित करने हेतु शहर भेज देते हैं। यह स्थिति बाल-अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि हर बच्चे को शिक्षा, पारिवारिक स्नेह और सुरक्षित वातावरण का अधिकार प्राप्त है। बदामी का श्रम न केवल उसके बचपन को छीनता है, वरन् उसे भावनात्मक व सामाजिक रूप से भी असुरक्षित बना देता है।

कहानी में उस घर की मालकिन बदामी के जीवन पर विचार करते हुए कहती है-“भला यह कोई उम्र है घर-परिवार से दूर रहने की? माँ-बाप से बिछुड़ने की? बदामी

तो लड़की है। उसे तो एक दिन परदेस जाना ही है। पर तब तक तो अपनों के पास रहे। माँ-बाप की भला ऐसे भी क्या मजबूरी है कि कलेजे के टुकड़े को इतनी दूर जाकर पटक दिया। इसे छोड़ कर कैसे रह पाते होंगे वे लोग। उनके गले से कौर भी उतरता होगा? खासकर उसकी माँ क्या एक रात वह ठीक से सो पाई होगी?”⁴ उक्त उद्धरण दर्शाता है कि आर्थिक विवशता के नाम पर बच्चों को श्रम हेतु बाध्य करना उनके मौलिक मानवाधिकार और बाल-अधिकार दोनों का गंभीर हनन है।

किशोरावस्था की शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए डॉ. आराधना सक्सेना अपने 'मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध' नामक अपनी पुस्तक में कहती हैं- “किशोरावस्था की विशेषताओं तथा किशोर के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास पर प्रकाश डालते हुए देखा गया है कि किस प्रकार यह 'जीवन का सबसे कठिन काल' (The Most Difficult Period of Life) है। इस अवस्था में किशोर में ऐसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण वह अच्छा-बुरा, देशप्रेमी व देशद्रोही, शिष्ट व अशिष्ट, सामाजिक व असामाजिक, कुछ भी बन सकता है। ऐसी स्थिति में किशोर को उचित मार्गदर्शन तथा शिक्षा की आवश्यकता है। अतः माता-पिता, अभिभावकों तथा शिक्षकों को चाहिए कि वे किशोरों के भावी जीवन के निर्माण के लिए 'उपयुक्त एवं सुनियोजित शिक्षा' (Suitable and Well Planned Education) की व्यवस्था करें।”⁵ किशोर बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनकर उन्हें किसी भी आर्थिक विवशता के कारण श्रम कार्यों में लगाना उनके मौलिक मानवाधिकारों का गंभीर हनन है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस दिशा में कठोर विधिक प्रावधान किए हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य लेना बाल-श्रम की श्रेणी में आता है और विधिसम्मत अपराध है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके, राज्य ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है, जिससे बाल्यावस्था

में श्रम के स्थान पर शिक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।

‘बहुरि अकेला’ कहानी में मानवाधिकार का परिप्रेक्ष्य

मालती जोशी की कहानी ‘बहुरि अकेला’ स्त्री के अधिकारों के हनन का गहन चित्रण प्रस्तुत करती है। ‘बहुरि अकेला’ कहानी में एक पत्नी को पति द्वारा केवल पैसे कमाने की मशीन समझना तथा उसे पत्नी और बहू होने पर समस्त अधिकारों से वंचित रखना जैसे पत्नी तथा एक औरत के मानवाधिकार का हनन है। इस कहानी की नायिका, जो एक कॉलेज की प्राध्यापिका है, का विवाह अधिक आयु के और पहले से दो बच्चों के पिता मिस्टर कश्यप से होता है। विवाहोपरांत उसकी आय और आर्थिक योगदान पर पति व ससुराल का अधिकार रहता है, किंतु उसे पत्नी और बहू के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि आर्थिक निर्भरता या योगदान के बावजूद यदि स्त्री को उसके वैवाहिक अधिकारों और सामाजिक सम्मान से वंचित किया जाता है, तो यह उसके बुनियादी मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। नायिका अंजु अपने पति से कहती है-“आपको अधिकार था और आपने उसका उपयोग किया। पर यह तो वन-वे ट्रैफिक हो गया। मुझे तो कोई अधिकार मिला ही नहीं। मेरा तो सिर्फ एक्सप्लायटेशन किया गया।”

“एक्सप्लायटेशन वाह।”

“सुनने में बुरा लगता है न? शोषण कहूँगी तो और भी बुरा लगेगा। पर मेरे साथ यही हो रहा था और वह मेरी समझ में भी आ रहा था। पर मैंने मन को बहला लिया था कि मैं घर की कितनी चुका रही हूँ। घर- जिसकी मुझे अरसे से तलाश थी। घर जो रिश्तों की मजबूत ज़मीन पर खड़ा हो, घर- जो आपसी सामंजस्य और सद्भाव के सहारे टिका हो। पर वह घर तो मुझे मिला ही-नहीं। आपने दिया ही नहीं।”⁶ इस कहानी में मालती जोशी जी ने एक पत्नी के मानवाधिकार के हनन का सहज किंतु बड़ी गंभीर व्याख्या की है।

मध्यमवर्गीय समाज में एक पत्नी के रूप में उसके अधिकारों का शोषण होना आज आम बात हो गई, जिसके बारे में स्वयं महिलाएँ ही जागरूक नहीं हैं कि उनके मानवाधिकार का शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है। वे ताउम्र पति, मायका, ससुराल वाले तथा दूसरों के लिए खटती रहती है। उन्हें उनके अधिकारों के विषय में जागरूक करने वाली यह कहानी मालती जोशी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी जा सकती है। वास्तव में, ‘बहुरि अकेला’ केवल एक स्त्री की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक संरचना में निहित लैंगिक असमानताओं का प्रतिबिंब है। यह कहानी इस बात पर बल देती है कि स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए और समाज को भी उन्हें समान सम्मान व स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार, यह कथा-साहित्य और मानवाधिकार के गहरे अंतर्संबंध को उजागर करती है।

निष्कर्ष

मालती जोशी की कहानियाँ मानव जीवन की उन सच्चाइयों को उद्घाटित करती हैं, जिनसे समाज में मानवाधिकार का प्रश्न सीधे-सीधे जुड़ा है। ‘साँस-साँस पर पहरा बैठा’ में स्त्री की आत्मनिर्भरता को मानवाधिकार की दृष्टि से देखा गया है, जहाँ औरत अपनी इच्छानुसार जीवन जीते हुए किसी पर बोझ न बनकर सम्मानजनक अस्तित्व गढ़ती है। वहीं ‘बदामी’ में बालिका नौकरानी की व्यथा, कथा के माध्यम से बाल-श्रम और शिक्षा से वंचित करने जैसी स्थितियों को मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी इस तथ्य को रेखांकित करती है कि किशोर बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन लेना और उन्हें मजदूरी के लिए विवश करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसी प्रकार ‘बहुरि अकेला’ में पत्नी को केवल आर्थिक स्रोत मानना और वैवाहिक अधिकारों से वंचित करना स्त्री-मानवाधिकार के उल्लंघन का मार्मिक चित्रण है।

इन सभी कहानियों का सार यही है कि मानवाधिकार

केवल कानूनी या सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी गरिमा और स्वतंत्रता का आधार है। मालती जोशी के कथा-साहित्य ने मानवाधिकार विमर्श को एक संवेदनात्मक और यथार्थपरक स्वर दिया है। उनके पात्र हमें यह सिखाते हैं कि स्त्री, बालक अथवा सामान्य व्यक्ति, हर किसी को समान रूप से गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। यही साहित्य और समाज दोनों की साझा ज़िम्मेदारी है।



संदर्भ सूची

1. मालती जोशी, दर्द का रिश्ता, 'आखिरी शर्त', साक्षी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 12
2. मालती जोशी, जीने की राह, 'प्रॉब्लम चाइल्ड', साक्षी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 30
3. मालती जोशी, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, भूमिका, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2009, पृष्ठ सं- 7
4. मालती जोशी, जीने की राह, 'बदामी', साक्षी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 85, 86
5. आराधना सक्सेना, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 152, 153
6. मालती जोशी, दर्द का रिश्ता 'बहुरि अकेला', साक्षी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 159



संदीप कुमार

Ph.D. शोधार्थी-पूर्णकालिक
(हिंदी विभाग)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला-171005
हिमाचल प्रदेश
संपर्क
sandeepsandeephindi@gmail.com

शोध निर्देशक

डॉ. आशुतोष कुमार
सहायक प्राध्यापक
(हिंदी विभाग)
(सांध्यकालीन अध्ययन विभाग)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला-171005
हिमाचल प्रदेश

साहित्य और मानवाधिकार- (आचार्य नंददुलारे वाजपेयी और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचना पद्धति के संदर्भ में)

शोध सारांश

साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, बल्कि उसकी संवेदनाओं और मूल्यों का संवाहक भी है। यह केवल सौंदर्यबोध की अनुभूति नहीं कराता, बल्कि सामाजिक चेतना, समानता और मानवता के आदर्शों को भी पुष्ट करता है। साहित्य की सार्थकता तभी है, जब वह मानव जीवन के संघर्षों, विषमताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हुए समाज को दिशा देने वाला बन सके। आलोचना इस प्रक्रिया में साहित्यकार के उद्देश्य, दृष्टि और मूल्यांकन की पुष्टि करने का कार्य करती है।

इसी परिप्रेक्ष्य में, हिंदी आलोचना परंपरा में साहित्य और मानवाधिकार का विमर्श आचार्य नंददुलारे वाजपेयी तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचना-पद्धति के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से उभरता है। वाजपेयी जी साहित्य की मानववादी सत्ता के उद्घोषक हैं और विशेषतः छायावादी साहित्य की व्याख्या उनके चिंतन का केंद्र रही है। दूसरी ओर मिश्र जी रीतिकालीन साहित्य के मर्मज्ञ आलोचक हैं, जिनके मूल्यांकन का आधार लोक की सर्वमान्य भावना की अभिव्यक्ति है। शुक्लोत्तर आलोचना-युग के ये दोनों आचार्य भिन्न दिशाओं में सक्रिय होते हुए भी इस बात पर सहमति दिखाते हैं कि साहित्य का अंतिम उद्देश्य मानवाधिकारों की स्थापना, सामाजिक चेतना का विकास और नैतिक मूल्यों का संरक्षण होना चाहिए। प्रस्तुत शोध-पत्र इन्हीं दोनों आचार्यों की आलोचना-दृष्टि के आलोक में साहित्य और मानवाधिकार के अंतर्संबंधों का विश्लेषण करता है।

बीज शब्द

1. साहित्य 2. मानवाधिकार 3. आलोचना पद्धति 4. आचार्य नंददुलारे वाजपेयी 5. आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 6. मानववाद 7. लोकभावना 8. नैतिकता 9. समानता 10. सामाजिक चेतना

मूल शोध

साहित्य की प्रक्रिया का मूल केंद्र सर्वसाधारण की समानता, भावात्मकता एवं

बौद्धिक विकास से आबद्ध रहता है। साहित्य का विषय-वस्तु मानव जीवन है। जीवन के नानाविध रूपों की कलात्मक अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। इस प्रकार साहित्य मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। साहित्य क्या है? किसके लिए है? और उसका सृजन कैसे होता है? सामाजिक सजग चेतनाओं को छूनेवाला साहित्य कैसा होना चाहिए? उसकी पहचान क्या होगी? उसमें कौन-कौन से तत्त्व होने चाहिये? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आलोचकों की टीका-टिप्पणियों में प्राप्त हो जाते हैं। जातीय जीवन के विविध पक्ष एवं उसको प्रभावित करने वाली बहुविध परिस्थितियों का मार्मिक आकलन, समालोचना के द्वारा किया जाता है। हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त मानव अधिकारों की वकालत का श्रेष्ठ ज़रिया आलोचना है। साहित्य के मूल में मानव अधिकारों की स्थापना का उद्देश्य निहित है या नहीं; आलोचक इसकी पुष्टि करता है।

साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से, रंगभेद और जातिगत भेदभाव के कारण भारतीय समाज में फैली विषमता को दूर करने का प्रयत्न किया है या नहीं अथवा संवेदना के स्तर पर कमज़ोर और कर्तव्यों से विमुख समाज के हृदय पर अपनी मर्मभेदी वाणी से कठोर आघात किया है या नहीं, आलोचक की तीक्ष्ण दृष्टि इसकी जाँच करती है। आलोचक साहित्य का विवेचन करने वाला और साहित्यकार का पथ-प्रदर्शक होता है।

आचार्य नंददुलारे वाजपेयी जी साहित्य की मानववादी सत्ता की घोषणा करते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के काव्य और कवि के मूल्यांकन का आधार, लोक की सर्वमान्य भावना की अभिव्यक्ति है। मिश्र जी रीतिकालीन साहित्य के मर्मज्ञ आलोचक हैं और वाजपेयी जी छायावादी साहित्य के। शुक्लोत्तरयुगीन आचार्य द्वय की आलोचना शैली में मानवाधिकारों के अवलोकन से पूर्व, हमारे संविधान में की गई कि मानवाधिकारों की व्याख्या पर दृष्टिपात करना आवश्यक है।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तृत निरूपण किया गया है। इनका उल्लेख प्रारंभिक अनुच्छेदों (2 से 21) में की गई घोषणा के अनुरूप किया गया है, जहाँ नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की संरचना का आधार निर्धारित किया गया है। इन अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता, कुछ विशेष विधियों की व्यावृत्ति तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है, जो अनुच्छेद 22 से 28 में निहित घोषणा के अनुरूप हैं। इन प्रावधानों में नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित विविध अधिकारों और अपेक्षाओं का समावेश है। इनमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, अपनी इच्छानुसार रोज़गार चुनने की स्वतंत्रता, बेरोज़गारी के विरुद्ध संरक्षण, कार्य हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ, समान कार्य हेतु समान वेतन, मानवीय गरिमा का सम्मान, विश्राम और अवकाश का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्र भागीदारी, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तथा नागरिक कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले नीति-सिद्धांत सम्मिलित हैं।

दोनों ही आलोचक आचार्य नंददुलारे वाजपेयी तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, साहित्य, साहित्यकार, समाज और मनुष्य के अंतर्संबंधों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। उनकी दृष्टि में साहित्य केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि समानता, लोककल्याण, मानवीय गरिमा, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन, समान न्याय और नैतिकता जैसे मानवीय मूल्यों की स्थापना का सशक्त साधन भी है। इसी कारण उन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज में इन मूल्यों के संवर्धन और संरक्षण पर अनेक टीका-टिप्पणियाँ की हैं। वे उस साहित्य के हिमायती हैं, जो

नागरिकों को सात्विक बनाए, उनमें सौंदर्य चेतना जागृत करे तथा बौद्धिकता, संवेदनशीलता और नैतिकता का निर्माण करे। वास्तव में यही वह धुरी है, जिसके आधार पर समाज में मानवाधिकारों की स्थापना संभव है। आचार्य द्वय प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में इन्हीं मानवीय मूल्यों की वकालत करते हैं। उनका दृष्टिकोण है 'एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाय'। मनुष्य है तो मानवाधिकार और समाज है। मनुष्य नहीं तो कुछ भी नहीं। अतः आचार्य द्वय ने मनुष्य को ही साहित्य द्वारा साधने का प्रयत्न किया है। समाज, लोगों का समूह है। मानवाधिकार, समाज में एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है। समाज को जटिल या सरल बनाने का कार्य उसके निवासी करते हैं। अतः समाज में मानवाधिकारों की प्रभावशाली स्थापना के लिए एक श्रेष्ठ समाज का होना अनिवार्य है और एक श्रेष्ठ समाज प्रज्ञावान संवेदनशील नागरिकों के योग से बन सकता है। इसलिए आलोचक द्वय अपनी आलोचना के माध्यम से ऐसे साहित्य का सृजन देखना चाहते हैं, जो मानव केंद्रित हो।

आचार्य नंददुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक दृष्टि में साहित्य का मूल्यांकन केवल स्थूल उपयोगितावाद अथवा नीतिवाद की कसौटी पर नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार महान साहित्य का आधार गहन अनुभूति और मानवीय भावनाएँ होती हैं, जो उसे संवेदनशीलता और सार्वभौमिकता प्रदान करती हैं। आचार्य वाजपेयी जी का मानना है कि श्रेष्ठ साहित्य नैतिक चेतना से संपन्न होता है तथा उसके केंद्र में सामाजिक जीवन और मानवीय सरोकार विद्यमान रहते हैं। उनकी दृष्टि में साहित्य मनुष्य के भावों और विचारों का परिष्कार करते हुए उसे लोककल्याण की ओर उन्मुख करता है। उन्होंने साहित्य में बौद्धिकता की अपेक्षा भावनात्मकता को अधिक महत्त्व दिया है और सच्चे साहित्यकार को प्रगतिशील माना है, जिसका लेखन सद्गुणों, नैतिक शक्ति, कर्तव्यपरायणता और उदारता का संवाहक हो। वाजपेयी के अनुसार विचारधारा-प्रधान या मतवाद-निष्ठ साहित्य एकांगी हो

जाता है और व्यापक मानवीय दृष्टि का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। इसी संदर्भ में उन्होंने मार्क्सवादी साहित्यिक दृष्टिकोण को सीमित माना है, क्योंकि उसमें मानवीय अनुभूति और नैतिक संवेदनाओं की सर्वांगीण व्याख्या का अभाव है। साहित्य द्वारा समानता के अधिकार की स्थापना को और स्पष्ट करते हुए वाजपेयी जी लिखते हैं-
“साहित्य एक अंतरंग प्रक्रिया है, जो जन-मन का संस्कार करती है, बौद्धिक विकास में योग देती है और समस्त मनुष्यों की समानता का उद्घोष करती है।”¹

आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी साहित्य को समाज में समन्वय स्थापित करने वाला एक सशक्त साधन मानते हैं। इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी यह धर्म, दर्शन और राजनीति की भाँति सबसे जुड़ा भी रहता है। उनके मत में सच्चा साहित्यकार अपनी परम्परा से आबद्ध रहकर, प्राचीन कथावस्तु को नवीनता प्रदान करता है। वे मानते हैं कि जिस रचनाकार ने जीवन की विविधता को साहित्य में उतारा है, उसी का साहित्य लोकरंजन करने में सक्षम होता है। यदि रचनाकार वर्तमान समय की सर्वसामान्य की अनुभूतियों की अपने साहित्य में अनदेखी करता है, तो मिश्र जी की दृष्टि में वह पलायनवादी है। कर्म की अपेक्षा वाणी को ज़्यादा तवज्जो देता है, मिश्र जी उसे सच्चा साहित्यिक नहीं मानते हैं।
“साहित्यिक वाग्वीर मात्र नहीं होता, यदि वाग्वीर मात्र है तो साहित्यिक नहीं।”²

आलोचक द्वय भारतीय परंपरागत साहित्य एवं भारतीय संस्कृति का पुरजोर समर्थन करता है। वसुधैव कुटुम्बकम् तथा विश्व बंधुत्व का भाव हमारी संस्कृति के मूल तत्त्व हैं। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्त्वों में विविधता तथा विविधता में एकता सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। प्रेम, अहिंसा, करुणा, उदारता, समन्वयात्मकता, सहिष्णुता, त्याग उसके प्रमुख अंग हैं। भारतीय संस्कृति मानवाधिकारों की पोषक रही हैं। आधुनिक साहित्यकार जब अपने सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा करता है। संकुचित दायरों में बंधकर समाज को अपना साहित्य परोसता है,

तो आचार्य द्वय उन्हें लीक पर लाने हेतु प्रयास करता है।

आचार्य नंददुलारे वाजपेयी ने समाज, सामाजिक जीवन, विचारधाराओं और विभिन्न वादों को साहित्य की प्रेरणा का स्रोत अवश्य माना, किंतु उनकी दृष्टि में ये तत्त्व साहित्य के उपादान मात्र हैं, नियामक नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि साहित्य की स्वायत्तता इन उपादानों से परे है, जो उसे मौलिक और जीवंत बनाती हैं। वाजपेयी जी ने पश्चिमी साहित्य में प्रचलित विसंगतियों- जैसे अलगाववाद, अस्तित्ववाद, भय, कुंठा, मृत्युबोध, नास्तिकता, त्रासदी और संत्रास को भारतीय संदर्भ में कृत्रिम और उधार के प्रयोग बताया।

भारतीय साहित्य और संस्कृति में उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि उन्होंने साहित्यकारों को यह सुझाव दिया कि वे पश्चिमी प्रभावों की नकल करने के बजाय भारतीय समाज की अपनी हीनताओं और विसंगतियों को कलात्मक रूप में अभिव्यक्त करें। जैसा कि वे स्वयं प्रश्न करते हैं-“क्या आज के सामाजिक जीवन में वैषम्यों और विकृतियों की कमी है? हम तो देखते हैं कि स्तर-स्तर पर असंगतियाँ हैं, अनाचार हैं, अपराध हैं, विकृतियाँ हैं? क्या लेखकों के लिए ये उत्तेजनाकारी और प्रेरणाप्रद दृश्य नहीं हैं? उनकी कर्मण्यता को चुनौती देने वाली हीनताएँ नहीं हैं?”³

मिश्र जी की दृष्टि में किसी भी देश का रचित साहित्य यदि उस देश की संस्कृति से हटकर किसी अन्य देश की संस्कृति के दृष्टिकोण से साहित्य का निर्माण करता है, तो वह नकली होगा। मिश्र जी वर्गबद्ध, श्रेणीबद्ध या फिर सम्प्रदायबद्ध लोक जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति को भी, साहित्य की सच्ची झलक नहीं मानते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में किसी एक वर्ग, श्रेणी या सम्प्रदाय को पूर्ण जीवन नहीं कहा जा सकता है। उनके मत में साहित्य के स्वरूप के अंतर्गत मनुष्यता की सर्वसामान्य रूप की झांकी प्रस्तुत होनी चाहिए। मिश्र जी की धारणा है कि राजनीति मनुष्य को स्वार्थ की ओर धकेलती है और

साहित्य, सात्विकता की ओर क्योंकि, “उसका चरम उद्देश्य ठहरता है वृत्तियों का शोधन।”⁴

साहित्य को उन्होंने भाव-योग माना है। साहित्य मानव को निस्सहाय की मद हेतु प्रेरित करने वाला है। यह निर्भयता और सद्गुणों का जनक है। साहित्य की रचना हेतु वे लोकमत, शास्त्रमत, काव्य-परंपरा और अभ्यास को आवश्यक मानते हैं। उनकी दृष्टि में मनुष्य का ज्ञान, अनुभूतियाँ और संवेदनशीलता साहित्य रचना हेतु प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने काव्य के निर्माण हेतु कवि में लोक का निरीक्षण करने की शक्ति को अनिवार्य माना है क्योंकि काव्य का आधार लोक ही है।

मिश्र जी का वक्तव्य है कि साहित्य मनुष्य को पाश्चिक वृत्तियों और बुरे संस्कारों से मुक्त करता है। मनुष्य के जीवन को सरसता से भरता है तथा समग्र रूप से विकसित होने में उसकी सहायता करता है। जनमानस में सद्गुणों का संचार करके, उसकी गरिमा को स्थापित करने में सहायक होता है-“साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए है। उसे सामान्य मानवता, पशुत्व, दानत्व आदि से ऊपर करके पूर्ण मानवत्व, देवत्व का वरदान देने वाला है। यह सोलह आने सत्य है कि साहित्य-साधना से पराङ्मुख प्रायः पशु रह जाता है।”⁵

बहुमुखी आयामी जीवन के उत्थान-पतन, विषमताओं, विचित्रताओं तथा जटिल भावनाओं के जाल के ताने-बाने को जो अनुभूति व्यंजित करने में अक्षम है, ऐसे साहित्य की गणना वाजपेयी जी भी श्रेष्ठ साहित्य के अंतर्गत नहीं करते हैं। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के साहित्य में यह प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने पर, वाजपेयी जी इन दिग्गज रचनाकारों को भी साहित्य के महान लक्ष्य हेतु क्षमा नहीं करते हैं- “जीवन के गहरे और बहुमुखी घात-प्रतिघातों और विस्तृत जीवन-दशाओं में पद-पद पर आनेवाले उद्वेलनों को चित्रित करना, उन्हें संभालना और अपनी कला में उन सबको सजीव करना, गुप्त और प्रेमचंद की साहित्य-सीमा के बाहर है।”⁶

आचार्य द्वय लोक, लोकवृत्तियों और अनुभूतियों की समझ के आधार पर साहित्यकार का परीक्षण करता है। भावनाओं को प्राथमिकता देता हुआ, बौद्धिकता को माध्यमिक स्तर का दर्जा प्रदान करता है। साधारणीकरण और रसवाद की स्थापना की धारणा को बल देता है। मानव का भावनात्मक और बौद्धिक स्तर जितना उन्नत होगा, उतना ही वह संकुचित धारणाओं की दासता से निजात प्राप्त कर पाएगा। वाजपेयी जी के शब्दों में—“कवि के पूर्ण व्यक्तित्व का उत्सर्जन करने वाली आत्म-प्रेरणा ही काव्यानुभूति बनकर उस कल्पना-व्यापार का संचालन करती है जिससे काव्य बनता है। काव्य और कला की मुखर वर्णमयता में समस्त वर्ण-भेद, वर्ग-भेद और वाद-भेद तिरोहित हो जाते हैं।”⁷

मिश्र जी के विचार में साहित्य, जीवन की व्याख्या है। वे कहते हैं कि श्रेष्ठ साहित्य के निर्माण के लिए, कवि को लोकवृत्तियों एवं लौकिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने के मार्मिक ढंग की जानकारी होनी चाहिए—“काव्य न तो दर्शनशास्त्र का सिद्धांत निरूपक वाक्यसमूह या सूत्रग्रंथ होता है, न समाजशास्त्र का विवेचन। वह होता है लोक की छनी हुई शुद्ध भावनात्मक सत्ता की अनुभूति भूमि। उसमें धर्म, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थनीति, तत्त्वचिंतन आदि सब छने हुए रूप में ही गृहीत होते हैं और कवि का छन्ना होता है भाव का विस्तृत पट।”⁸

जब तक संवेदना रहेगी तब तक मानव अधिकार व्यावहारिक रहेंगे। अधिकारवश थोपी हुई मान्यताएँ किसी भी समाज में अधिक देर तक जीवित नहीं रही हैं। संवेदनहीन होती दुनिया में, मानसिक रूप से बीमार होते जगत में, छोटी-सी बात पर बन्दूक से, तलवार से, बलात्कार से निर्मम हत्या कर देने वाली सृष्टि में यदि आज भी कोई शक्ति मानव अधिकारों को स्थापित करने में सक्षम है; तो वह साहित्य ही है। इसीलिए वाजपेयी जी उस रचनाकार को श्रेष्ठ कहते हैं, जो अपनी अनुभूतियों की व्यंजना से लोक की मनोभूमि को स्पंदित करने का सामर्थ्य रखता हो—“हृदय के चिरंतन सौंदर्य-तारों का स्पर्श करने वाला

कवि कभी पिछड़ता नहीं। कालिदास और शेक्सपीयर, होमर और मिल्टन, वाल्मीकि और व्यास, सूर, तुलसी और कबीर शताब्दियों पुराने हैं; किंतु उनका काव्य उतना ही मनोरम आज है, जितना वह अपने निर्माण के दिन रहा होगा।”⁹

वर्तमान समाज में विसंगतियों की अधिकता है। समाज अनेक प्रकार की विकृतियों से ग्रसित है। मिश्र जी का मानना है कि शरीर के रोग तो औषधियों के सेवन से दूर हो जाते हैं, लेकिन मानसिक रोगों का उपचार साहित्य से ही हो सकता है। इस प्रकार मिश्र जी के दृष्टिकोण में साहित्य समाज का शोधन करने वाला है, “समाज-शरीर से दोष के निष्कासन के लिए भी भीतरी चिकित्सा अपेक्षित है और ऐसी चिकित्सा का साहित्य या काव्य के अतिरिक्त और कोई विधान करने में संप्रति समर्थ नहीं।”¹⁰ मिश्र जी ने साहित्य को मन की निर्मलता का कारक बताया है। उनके चिन्तन में साहित्य द्वारा मन की सुबोध साधना होती है। साहित्य का मार्ग कठिनता का नहीं, सुगमता का है। तमस का जनक नहीं, सात्विकता का निर्माता है—“सात्विक भाव का उद्रेक साहित्य से ही हो सकता है।”¹¹

साहित्य में व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए। साहित्य की उज्ज्वल राह निजी भावनाओं के प्रयोग से मलीन हो जाती है। इसीलिए वाजपेयी जी ने आदर्श साहित्य के मार्ग में अस्वस्थ और निर्बल भावनाओं को बाधक माना है, “साहित्य का क्षेत्र स्वस्थ और सबल भावनाओं के सृजन का क्षेत्र है।”¹²

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि मानवाधिकारों की वास्तविक स्थापना तभी संभव है, जब समाज का चेतन, संवेदनशील और बौद्धिक स्तर क्रमशः उन्नत हो। आचार्य नंददुलारे वाजपेयी और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचना-दृष्टि साहित्य को इस उन्नयन का प्रमुख साधन मानती है। वे रेखांकित करते हैं कि साहित्य समानता, मानव गरिमा, नैतिकता और लोक-कल्याण

की अवधारणाओं को सुदृढ़ कर समाज में उत्तरदायित्व और करुणा का संस्कार विकसित करता है। उनकी मान्यता है कि मौलिक अधिकारों की व्यावहारिकता तभी फलित होगी, जब नागरिक ज्ञानवान, चरित्रवान और सद्वृत्तियों से संपन्न हों; इसी हेतु वे सात्विकता, संवेदनशीलता तथा संप्रदायहीनता पर बल देते हैं। स्त्री-पुरुष समानता, जीवन-स्तर का उन्नयन और सामाजिक समन्वय भी साहित्यजन्म नैतिक-बौद्धिक परिष्कार पर ही आश्रित हैं। वास्तव में मानवाधिकार राष्ट्रीयता, जातीय मूल, रंग, लिंग, धर्म अथवा स्थिति से परे, प्रत्येक मानव के अंतर्जात, परस्पर संबंधित और अविभाज्य अधिकार हैं। भारत, जिसने अहिंसा, करुणा और भाईचारे के मूल्यों का पाठ साहित्य व व्यवहार से विश्व को दिया, आज आत्मकेंद्रित प्रवृत्तियों और सामाजिक अशांति की चुनौती का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में आचार्य द्वय द्वारा प्रतिपादित मानवीयता, सौंदर्य-संवेदन, सात्विकता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की अनिवार्यता स्वतः प्रमाणित होती है; इनके अभाव में मानवाधिकारों की स्थापना, मात्र एक दिवास्वप्न रह जाएगी।



संदर्भ सूची

1. विजय बहादुर सिंह, नंददुलारे वाजपेयी रचनावली-5, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 402
2. आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत (प्रथम भाग), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2014, पृष्ठ सं-35
3. विजयबहादुर सिंह, नंददुलारे वाजपेयी रचनावली-5, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 379
4. आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वाङ्मय-विमर्श, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 3
5. आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत (प्रथम भाग), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2014, पृष्ठ सं-29

6. विजय बहादुर सिंह, आचार्य नंददुलारे वाजपेयी, लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 25
7. नंददुलारे वाजपेयी, आधुनिक काव्य: रचना और विचार, साथी प्रकाशन, मध्यप्रदेश, संस्करण-1966, पृष्ठ सं- 35
8. आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत (प्रथम भाग), वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण-2014, पृष्ठ सं-149
9. विजयबहादुर सिंह, नंददुलारे वाजपेयी रचनावली-5, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 417, 418
10. आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत (प्रथम भाग), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2014, पृष्ठ सं- 33
11. आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत (प्रथम भाग), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2014, पृष्ठ सं- 34
12. नंददुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 17



डॉ. जया सुभाष बागुल

सहायक प्राध्यापिका
(हिंदी विभाग)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संचालित
मॉडेल कॉलेज, घनसावंगी
जिला. जालना-431209

महाराष्ट्र
संपर्क
dr.jayasubhash@gmail.com

डॉ. सुशीला टाकभौरे कृत 'नीला आकाश' के संदर्भ में- दलित चेतना और सामाजिक परिवर्तन

शोध सारांश

समकालीन हिंदी साहित्य में दलित विमर्श मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दलित साहित्य केवल पीड़ा और शोषण का बयान मात्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन और अधिकार-संग्राम की चेतना का सशक्त साधन भी बनता है। इसी क्रम में डॉ. सुशीला टाकभौरे कृत 'नीला आकाश' उपन्यास दलित जीवन की वास्तविकताओं, संघर्षों और आकांक्षाओं को उजागर करते हुए एक नए सामाजिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करता है। इस उपन्यास में जातिवादी और रूढ़िवादी व्यवस्था के शोषणकारी स्वरूप को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। लेखिका यह स्पष्ट करती हैं कि दलित समुदाय अब अतीत की पीड़ा को केवल स्मृति के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रेरणा में बदल रहा है। शिक्षा को उपन्यास में केंद्रीय तत्त्व के रूप में चित्रित किया गया है, जो दलित समाज के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके माध्यम से दलित समाज न केवल अपने वर्तमान को सुरक्षित करने का प्रयास करता है, बल्कि एक गरिमामय और समानतापूर्ण भविष्य की कल्पना भी करता है। 'नीला आकाश' यह भी इंगित करता है कि सामाजिक परिवर्तन में केवल दलित समाज की चेतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षित और प्रगतिशील वर्ग का सहयोग तथा संवेदनशील सहभागिता भी अनिवार्य है। इस प्रकार यह उपन्यास मानवाधिकार विमर्श को साहित्यिक स्तर पर नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है।

बीज शब्द

1. नीला आकाश
2. डॉ. सुशीला टाकभौरे
3. दलित साहित्य
4. मानवाधिकार
5. सामाजिक न्याय
6. शिक्षा और सशक्तिकरण
7. जातिवादी व्यवस्था
8. दलित चेतना
9. रूढ़िवाद और शोषण
10. समानता और प्रगति

मूल शोध

समकालीन दलित लेखिकाओं के साहित्य में स्त्री जीवन का विद्रोही स्वर और संघर्षशीलता विशेष रूप से दृष्टिगत होती है। दलित महिलाएँ अपने लेखन में केवल कल्पना नहीं रचतीं, बल्कि अपने भोगे और भुगते हुए यथार्थ को स्वानुभूति के आधार पर प्रस्तुत करती हैं। यही स्वानुभूति उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशिष्टता है, जो पाठकों को स्त्री-जीवन की जटिलताओं, चुनौतियों और संभावनाओं से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। उनका लेखन यह दर्शाता है कि संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा स्त्रियों को आंतरिक शक्तिप्रदान करती है।

इन लेखिकाओं ने अपने साहित्य में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों को आत्मसात कर अंधविश्वास, जातिभेद और वर्णव्यवस्था के दमनकारी स्वरूप को चुनौती दी है। समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों की स्थापना, उनके साहित्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। जातिभेद मिटाने की दिशा में अंतरजातीय विवाह और प्रेम विवाह का समर्थन उनके कथात्मक साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। साथ ही, उनका लेखन मनुष्य को सामाजिक उत्तरदायित्वों का बोध कराते हुए पारस्परिक सहयोग और सहअस्तित्व की शिक्षा देता है। डॉ. आंबेडकर का आह्वान- “शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो”, इन लेखिकाओं की रचनाओं में सजीव होकर उभरता है और स्त्रियों एवं दलित समाज को प्रगति की राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करता है।

भारतीय समाज का इतिहास सामाजिक विषमताओं और भेदभावपूर्ण परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। जाति आधारित व्यवस्था और पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण दलितों और स्त्रियों को सदियों तक अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अवसरों से वंचित रखा गया तथा उनके

अस्तित्व को गौण मानकर निरंतर शोषित किया गया। किंतु उन्नीसवीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले जैसे विचारकों के क्रांतिकारी चिंतन और सामाजिक आंदोलनों ने इस विषमता-प्रधान व्यवस्था को चुनौती दी। उनके प्रयासों ने दलितों और स्त्रियों में अपने अस्तित्व और अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की तथा उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की।

समाज में समानता प्रत्येक मनुष्य का मौलिक अधिकार है, किंतु उच्च-नीच, जातिगत भेदभाव और आर्थिक असमानता की मानसिकता ने लंबे समय तक समाज को विभाजित किया। भारतीय समाज में तथाकथित कमजोर माने जाने वाले वर्गों को विशेष रूप से अन्याय और अत्याचार का शिकार होना पड़ा। ऐसी अमानवीय परिस्थितियों का विरोध कई लेखिकाओं ने अपने साहित्यिक सृजन के माध्यम से किया, जिससे सामाजिक चेतना का विकास हुआ और मानवाधिकार की अवधारणा सुदृढ़ हुई।

इसी क्रम में ‘मानवाधिकार : नई दिशाएँ’ पत्रिका ने वैचारिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में समाज में पैठ बनाने का कार्य किया। इस पत्रिका के आमुख में प्रेमचंद शर्मा जी लिखते हैं- “हमारे भारतीय संविधान में हर प्रकार के भेदभाव की समाप्ति के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। हमारी सरकारें भी इसके लिए प्रतिबद्ध रहीं हैं। इस दिशा में मानव अधिकारों की चेतना का असंदिग्ध रूप से विशेष महत्व है।”¹ इसी प्रकार, इसके पुरोवाक में रवि कमल भार्गव जी का मत है- “स्वतंत्रता और समानता लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है।”² वहीं, अरुणा शर्मा जी इस पत्रिका में स्पष्ट करती हैं- “आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है - भारतीय समाज को मानव अधिकारों की शिक्षा देना और इन अधिकारों के प्रति लोगों को जाग्रत करना।”³

डॉ. सुशीला टाकभौरे कृत ‘नीला आकाश’ उपन्यास इसी वैचारिक धारा को आगे बढ़ाता है। यह रचना शिक्षा

को प्रगति और परिवर्तन का मुख्य साधन मानते हुए दलित समुदाय के सशक्तिकरण की राह प्रशस्त करती है और सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में साहित्यिक हस्तक्षेप का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

‘नीला आकाश’ उपन्यास का परिचय

‘नीला आकाश’ का प्रकाशन वर्ष-2013 में विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर से हुआ। यह उपन्यास दलित समाज की वास्तविकताओं को सामने लाने के साथ-साथ उनमें शिक्षा, संगठन और एकता के महत्त्व को रेखांकित करता है। लेखिका सुशीला टाकभौरे ने इस कृति के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सामाजिक परिवर्तन तभी संभव है, जब दलित समुदाय शिक्षा और जागरूकता को अपनाकर अपने अधिकारों के लिए संगठित रूप से आगे आए।

‘नीला आकाश’ केवल दलित जीवन की पीड़ा का चित्रण नहीं करता, बल्कि परिवर्तनवादी विचारधारा को आधार बनाकर नए सामाजिक परिवेश की स्थापना का संदेश भी देता है। इसे नए युग और नई संस्कृति की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। उपन्यास, दलित जीवन में घटित हो रही घटनाओं और प्रवृत्तियों का यथार्थ परिचय कराता है तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं को उद्घाटित करता है। साथ ही, यह दर्शाता है कि नई पीढ़ी किस प्रकार सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता निभाकर समाज में जागरूकता और उद्बोधन का कार्य कर रही है। इस दृष्टि से ‘नीला आकाश’ साहित्यिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी सशक्त दस्तावेज़ है।

‘नीला आकाश’ लेखिका की संवेदनाओं, विचारों और अपेक्षाओं का दर्पण है। इस उपन्यास में दलित जीवन के संघर्षों और यथार्थ परिस्थितियों का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रचना यह दर्शाती है कि एकता और संगठन के माध्यम से दलित समाज प्रगति की दिशा में अग्रसर हो सकता है तथा वर्णभेद जैसी दमनकारी प्रवृत्तियों को समाप्त कर परिवर्तनवादी समाज की स्थापना

कर सकता है।

उपन्यास के केंद्रीय पात्र नीलिमा और आकाश परिवर्तनशील समाज के प्रतिनिधि के रूप में उभरते हैं। उनके माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर बदलावों को आत्मसात करने और नई सोच स्थापित करने की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है। वे संघर्ष के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और अंततः उसमें सफल भी होते हैं।

साहित्य मानव जीवन में घटित परिवर्तनों का सशक्त प्रतिबिंब होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में प्रत्येक समुदाय की जीवन शैली और विचारधारा में बदलाव आया है। इसी क्रम में दलित समुदाय की जीवन दृष्टि, विचारधारा और संघर्षशीलता में भी सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होता है, जिसका सशक्त चित्रण ‘नीला आकाश’ में मिलता है।

उपन्यास में अभिव्यक्त मानवता

‘नीला आकाश’ में नायिका नीलिमा और नायक आकाश के माध्यम से समाज में प्रगतिशील चेतना और परिवर्तनवादी व्यवस्था की स्थापना का चित्रण किया गया है। यह रचना केवल दलित जीवन की समस्याओं को नहीं दर्शाती, बल्कि जागरूकता और सामाजिक नवजागरण के विविध आयामों को भी उद्घाटित करती है।

कथानक में कन्हान गाँव के सेवानगर में घटित प्रसंग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ चन्दरी और भीकूजी के पुत्र रामकिसन की नौकरी लगने के अवसर पर उसकी माँ धार्मिक अनुष्ठान हेतु बकरे की बली देने की तैयारी करती है। किंतु पूजा के दिन जब बकरे की बलि दी जाने वाली होती है, तब परिवार यह निर्णय करता है कि बलि प्रथा अब समाप्त की जाएगी। बकरे को मुक्त करते हुए वे घोषणा करते हैं कि पूजा स्वीकार हो चुकी है और अब किसी निर्दोष प्राणी की बलि नहीं दी जाएगी। इस निर्णय को गाँव वाले भी स्वीकार कर लेते हैं। इसे वे नई परंपरा की शुरुआत मानते हैं, जो प्रगतिवादी दृष्टिकोण

का प्रतीक है।

इस प्रसंग में भीकूजी और रामकिसन का दृष्टिकोण उपन्यास में स्पष्ट रूप से उभरता है—“आज उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में यह प्रगति और परिवर्तन का पहला कदम रखा है। रामकिसन को अपने पिता पर गर्व है। वह इसी मार्ग को सर्वोत्तम मानता है - बुद्ध की अहिंसा का मार्ग, मानवतावाद का मार्ग, विश्वबन्धुत्व का मार्ग ही परम धर्म है।”⁴ यह प्रसंग इस बात का संकेत है कि ‘नीला आकाश’ में परंपरागत अंधविश्वासों के विरुद्ध खड़े होकर नयी मानवीय मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का आह्वान किया गया है।

समाज में आई जागरूकता

‘नीला आकाश’ में परंपरागत रूढ़ियों और उनके विरोध का सशक्त चित्रण मिलता है। भीकूजी के गाँव में चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण के अवसर पर सवर्ण परिवारों से दान माँगने की प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है। गाँव के बड़े-बुजुर्ग इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हर बार सवर्णों के घर जाकर दान प्राप्त करते हैं। किंतु समय के साथ भीकूजी ने प्रगति और परिवर्तन की विचारधारा को अपनाते हुए इस प्रथा का विरोध किया और लोगों को ग्रहण के समय दान माँगने से रोकने लगे।

भीकूजी की पत्नी चन्दरी भी इस परंपरा को आत्मसम्मान के विरुद्ध मानती है। उसके विचार में यह परंपरा दरअसल दासत्व और निर्भरता की मानसिकता को स्थायी करती है। यद्यपि गरीबी और अभावग्रस्त जीवन के कारण गाँव के अनेक लोग आज भी सवर्णों के घरों में दान लेने के लिए जाते हैं, किंतु चन्दरी का स्वाभिमान उसे भीतर से झकझोरता है। जैसे उसकी अंतरात्मा उसे पुकार रही हो—“चन्दरी, यह दान भीख समान है। अपने मान-सम्मान को, अपनी खुदारी को पहचानो। अपने दम पर जीना सीखो, अपने आत्मसम्मान को जगाओ।”⁵ अतः यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि ‘नीला आकाश’ में चन्दरी का चरित्र आत्मसम्मान और स्वाभिमान की उस

चेतना का प्रतीक है, जो दलित समाज को पराधीनता की परंपराओं से मुक्त कर आत्मनिर्भर और प्रगतिशील जीवन की ओर अग्रसर करता है

परिवर्तनवादी विचारधारा का प्रभाव

‘नीला आकाश’ में परिवर्तनवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। नीलिमा, आकाश और उनका परिवार डॉ. आंबेडकर के चिंतन और आंबेडकरवादी विचारधारा को आत्मसात करते हुए समाज को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने का भरसक प्रयास करता है। यह पात्र न केवल अपने अस्तित्व और अस्मिता के प्रति सजग होते हैं, बल्कि दलित एवं पिछड़ी जातियों की वास्तविक परिस्थितियों को समझकर सामाजिक चेतना का निर्माण भी करते हैं।

उपन्यास में यह तथ्य उभरकर आता है कि दलित आंदोलन की संस्थाओं से जुड़कर नीलिमा और आकाश जैसे पात्र अपनी सामाजिक भूमिका को और अधिक सार्थक बनाते हैं। वे इतिहास और परंपरा से यह सीख प्राप्त करते हैं कि—“दलित अछूत जातियों की शोषण से मुक्ति और उनके प्रगति एवं परिवर्तन के लिए पूरे देश में कई सन्तों, समाज-सुधारकों और सामाजिक नेताओं ने कार्य किया है। तथागत गौतम बुद्ध और सन्त कबीर ने समाज को शोषण से मुक्ति का और सामाजिक समानता का संदेश दिया है। उत्तर भारत के स्वामी अछूतानंद, सन्त रैदास, दक्षिण के पेरियार रामास्वामी, श्री नारायण गुरु और अय्यनकाली के साथ ही महाराष्ट्र के ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने अपने प्रयत्नों से अछूत और बहुजनों को जागृत करके उन्हें उनके अधिकार दिलाए। इन सबके प्रयत्नों, संघर्षों और कार्यों से पूरे देश के अछूत दलितों, पिछड़ों को शिक्षा और समानता का अधिकार मिला है।”⁶

यह कथन उपन्यास में परिवर्तनवादी चेतना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करता है और यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक प्रगति सामूहिक संघर्ष और वैचारिक

जागरूकता से ही संभव है।

कन्हान गाँव के सेवानगर मोहल्ले में परिवर्तनवादी संस्था और प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े लोग 14 अप्रैल को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती का आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम में नीलिमा, आकाश और उनके परिवार के साथ गाँव के प्रतिष्ठित लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तैयारी के दौरान गाँव के कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि डॉ. आंबेडकर ने वास्तव में हमारे लिए क्या किया है और उनकी जयंती क्यों मनाई जानी चाहिए। आकाश अपने मामा चन्दू को समझाने का प्रयास करता है, किंतु उनकी शंका दूर नहीं होती। ऐसे समय पर नीलिमा हस्तक्षेप करती है और अपने तर्क प्रस्तुत करती है। वह स्पष्ट करती है कि—“महार जाति की प्रगति ऐसे ही नहीं हो गई। इसके लिए उनकी जाति ने बहुत त्याग किया है, बहुत संघर्ष किया है। उनके लाखों लोग बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी के पदचिन्हों पर चले हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने अपने पूर्वजों के रोजगार छोड़ दिए। उन पर घोर अन्याय हुए, उन्हें गाँव से बहिष्कृत किया गया। वे भूखे प्यासे रहे मगर झुके नहीं। उन्होंने मेहनत मजदूरी की, रूखा-सूखा खाया, मगर स्वाभिमान के साथ रहे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें ऊँचे पदों पर पहुँचाया। इसलिए आज वे सिर ऊँचा करके जीते हैं।”⁷ यह प्रसंग न केवल डॉ. आंबेडकर के योगदान को रेखांकित करता है, बल्कि दलित अस्मिता और आत्मसम्मान की जागृति का भी जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

नीलिमा के विचारों को सुनकर चन्दू मामा गंभीर हो जाते हैं और निस्तब्ध रहकर उन्हें ध्यान से देखते हैं। नीलिमा को यह अनुभव होता है कि उनकी बातों का प्रभाव पड़ा है, इसलिए वह अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए चन्दू मामा को भगवान दास जी की आत्मकथा ‘मैं भंगी हूँ’ का उल्लेख करती हैं। इस आत्मकथा का संदर्भ देकर वह यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करती हैं कि सामाजिक परिवर्तन केवल पीड़ा की पहचान से नहीं, बल्कि संघर्षशील चेतना और आत्मसम्मान की दृढ़ साधना से ही संभव हुआ है।

नीलिमा उन्हें यह भी स्मरण कराती हैं कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष का संदेश डॉ. आंबेडकर जी ने सबको दिया है। उनके अनुयायियों ने अपने परिश्रम, त्याग और सामूहिक चेतना से जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, वे किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं हैं; उनका लाभ प्रत्येक समाज ले सकता है। यह देखकर चन्दू मामा समझ जाते हैं कि जागृति, एकता और संगठन की मशाल थामकर यदि वे नीलिमा और आकाश का साथ देंगे, तो उनके सामाजिक अभियान को वास्तविक सफलता मिलेगी।

अंततः सर्वसम्मति से नीलिमा और आकाश का विवाह संपन्न होता है। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का पारिवारिक संबंध नहीं है, बल्कि समाज जागृति, प्रगति और परिवर्तन के आंदोलन में समर्पित दो कार्यकर्ताओं का मिलन है। वे जीवन-साथी के रूप में केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज के मार्गदर्शन और उत्थान को अपना वास्तविक लक्ष्य मानते हैं। उनके चरित्र का चित्रण इस रूप में किया गया है—“जैसे नीला आकाश स्वयं तक सीमित नहीं रह सकता, वैसे ही नीलिमा और आकाश केवल अपने घर और गृहस्थी तक सीमित नहीं रहना है। उन्हें तो पूरे देश में अपना विस्तार पाना है। वे पति-पत्नी होने के साथ, दो प्रेमी हैं, दो मित्र भी हैं। समाज जागृति और प्रगति परिवर्तन के आंदोलन के समर्पित दो कार्यकर्ता हैं, समाज के मार्गदर्शन हैं। वे सच्चे जीवन साथी हैं, जीवन पथ पर साथ-साथ चलते हुए उन्हें अपने समाज के प्रति कर्तव्य निभाना है। नीलिमा और आकाश साथ चलते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले... अपने लक्ष्य की ऊँचाई की ओर... नीले आकाश की ओर...। ऐसा लग रहा है, जैसे नीला आकाश स्वयं उड़ान भर रहा है, नीले आकाश की उड़ान...।”⁸ इस प्रकार नीलिमा और आकाश का मिलन केवल व्यक्तिगत जीवन की पूर्णता नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और परिवर्तन के आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रतीक बन जाता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः समकालीन महिला लेखन ने फुले-आंबेडकरवादी विचारधारा को केंद्र में रखकर दलित समाज की वास्तविकताओं और जीवनानुभूतियों को साहित्यिक विमर्श का हिस्सा बनाया है। इन लेखिकाओं ने यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक परिवर्तन का आधार केवल राजनीतिक या आर्थिक संरचनाओं में नहीं, बल्कि चेतना, शिक्षा और आत्मसम्मान में निहित है। फुले-आंबेडकरवादी दृष्टिकोण ने दलित समाज को यह विश्वास दिलाया कि परंपरागत रूढ़ियों, अंधविश्वासों और शोषणकारी व्यवस्थाओं से मुक्त होकर ही आत्मनिर्भरता और गरिमा प्राप्त की जा सकती है।

दलित स्त्रियों की स्थिति इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे जातिगत और लैंगिक दोहरे शोषण का सामना करती रही हैं। किंतु शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से उन्होंने न केवल अपनी आवाज़ बुलंद की, बल्कि सामाजिक चेतना को भी दिशा दी। भारतीय संविधान में निहित समानता और अधिकारों ने उनके लिए एक नई संभावनाओं की दुनिया खोली, जिसके परिणामस्वरूप वे आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर हो पाईं।

अतः कहा जा सकता है कि समकालीन महिला लेखन केवल साहित्यिक सृजन नहीं है, बल्कि समाज की जागृति और परिवर्तन का मार्गदर्शन करने वाला एक जीवंत दस्तावेज़ है, जो यह संदेश देता है कि दलितों और स्त्रियों की मुक्ति का मार्ग शिक्षा, संगठन, संघर्ष और आत्मसम्मान से होकर ही गुज़रता है।



संदर्भ सूची

1. मानवाधिकार : नई दिशाएँ पत्रिका वार्षिक, अंक- 4, वर्ष-2007, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 11
2. मानवाधिकार : नई दिशाएँ पत्रिका वार्षिक, अंक- 4, वर्ष-2007, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 12

3. मानवाधिकार : नई दिशाएँ पत्रिका वार्षिक, अंक- 4, वर्ष-2007, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 13
4. डॉ.सुशिला टाकभौरे, नीला आकाश, डॉ.सुशिला टाकभौरे, विश्वभारती प्रकाशन, नागपूर, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 51
5. डॉ.सुशिला टाकभौरे, नीला आकाश, विश्वभारती प्रकाशन, नागपूर, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 58
6. डॉ.सुशिला टाकभौरे, नीला आकाश, विश्वभारती प्रकाशन, नागपूर, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 88
7. डॉ.सुशिला टाकभौरे, नीला आकाश, विश्वभारती प्रकाशन, नागपूर, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 86
8. डॉ.सुशिला टाकभौरे, नीला आकाश, विश्वभारती प्रकाशन, नागपूर, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 106



मिथुन नोनिया

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
विद्यासागर विश्वविद्यालय
मिदनापुर-721102
पश्चिम बंगाल
संपर्क
mnonia4@gmail.com

शोध निर्देशक

डॉ. श्रीकान्त द्विवेदी
सहायक प्राध्यापक
(हिंदी विभाग)
विद्यासागर विश्वविद्यालय
मिदनापुर-721102
पश्चिम बंगाल

जातिवाद और मानवाधिकार के प्रति संजीव का साहित्यिक दृष्टिकोण

शोध सारांश

जातिवाद भारतीय समाज की एक जटिल और गहरी पैठी हुई व्याधि है, जो न केवल सामाजिक संरचना को भीतर तक झकझोर देती है, बल्कि मानवीय गरिमा और समानता के आदर्शों को भी ठेस पहुँचाती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो जन्म के आधार पर मनुष्यों को श्रेणीबद्ध कर, कुछ को विशेषाधिकारों से विभूषित करती है, तो वहीं अन्य को सम्मान, अवसर और अधिकारों से वंचित कर उपेक्षा और अपमान की गर्त में ढकेल देती है। शिक्षा, रोज़गार, सार्वजनिक सेवाओं से लेकर एक सामान्य, गरिमामय जीवन जीने तक के अधिकारों से वंचित कर दिया जाना, जातिवादी ढांचे की एक क्रूर सच्चाई बनकर उभरता है। भारतीय साहित्य में इस जटिल और संवेदनशील विषय पर अनेक साहित्यकारों ने अपनी सशक्त आवाज़ बुलंद की है, जिनमें संजीव का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

संजीव का साहित्य न केवल जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक धारदार आलोचना है, बल्कि यह समाज के उस उपेक्षित और दमित वर्ग की पीड़ा, संघर्ष और जिजीविषा का यथार्थ चित्रण भी करता है, जिसे मुख्यधारा प्रायः अनदेखा कर देती है। उनके पात्र जीवन की विडंबनाओं से टकराते हैं, अन्याय और दमन के विरुद्ध खड़े होते हैं और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत दिखाई देते हैं। संजीव का लेखन इस गहरी पीड़ा से उपजा हुआ है कि किस तरह जातिवाद और सामाजिक असमानता, मानवाधिकारों की मूल भावना को ही नष्ट कर देते हैं। उनके साहित्य में यह विचार स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। उनके पात्र केवल विचारों के वाहक नहीं, बल्कि ज़मीनी सच्चाइयों से जूझते हुए समाज के शोषणकारी तंत्रों के विरुद्ध उठती हुई आवाज़ हैं। इस प्रकार, संजीव का साहित्य एक सामाजिक दस्तावेज़ बनकर हमारे सामने आता है; एक ऐसी चेतना, जो न केवल सामाजिक बदलाव की आकांक्षा करता है, बल्कि मनुष्यता की पुनर्स्थापना के लिए एक अनवरत संघर्ष भी करता है।

बीज शब्द

1. संजीव का साहित्य 2. जातिवाद
3. मानवाधिकार 4. सामाजिक असमानता
5. दलित विमर्श 6. आदिवासी शोषण
7. पितृसत्ता और स्त्री शोषण 8. भ्रष्ट प्रशासन
9. सामाजिक न्याय 10. संवैधानिक अधिकार

मूल शोध

सामाजिक असमानता, जातिवाद, आर्थिक विषमता और वंचना, समाज में इस कदर व्याप्त है कि शायद ही एक साधारण इंसान इससे कभी मुक्ति पा सकता है। उपन्यासकार संजीव का उपन्यास 'जंगल जहाँ शुरू होता है' में इन सारी चीजों को परत-दर-परत इस प्रकार उकेरा गया है कि सभी विषमताएँ स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती हैं। उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे एक ब्राह्मण परिवार एक निम्न जाति की महिला के साथ बलात्कार करता है। ब्राह्मणवादी सोच ने न जाने कितनी बहू बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है, जिसकी सदियों से कोई गिनती ही नहीं रही। ब्राह्मणों के गाँव में सुंदर पांडे के घर डाकू काली की मदद से फेकन और उसकी पत्नी, जो जाति से दुसाध रहती है, आर्थिक तंगी के कारण पांडे के घर पर काम करती है। एक दिन पांडे की पत्नी फेकन बहू को पैर में तेल मालिश करने को कहती है और फेकन बहू इस बात से इनकार कर देती है, क्योंकि फेकन बहू पढ़ी-लिखी शिक्षित महिला है। उसे यह बात नागवार गुज़रती है कि वह एक जाहिल महिला के पैर की मालिश करे। इसका परिणाम यह होता है कि सुंदर पांडे की पत्नी अपने भाई द्वारा अपनी ही आँखों के सामने फेकन बहू का बलात्कार करवाती है। उसकी गरिमा, उसका मान-सम्मान, यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी अपने ब्राह्मणवादी सोच के तले कुचल देती है। **“पांडे और पंड़ाइन ने उस औरत को हाथों से पकड़ रखा था और पांडे का साला उसे दबोचे हुए था। बाप रे ! क्या एक औरत खुद अपने सामने एक दूसरी औरत का बलात्कार करवा सकती है?”**¹ कितना खतरनाक, कितना हृदय स्पर्शी रहा होगा वह

क्षण! कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बलात्कार के बाद जब फेकन बहू इस बात को गाँव के पंचों के सामने रखती है, तो पंचायत बिना कुछ सोचे समझे यह फैसला सुनाती है कि पांडे और उसका साला उँची जाति के हैं और वह फेकन बहू जैसे नीच जाति के साथ यह कर्म कर ही नहीं सकता। पुलिस थाने से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। संजीव ने यहाँ जाति प्रथा के साथ-साथ प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। उनका मानना है कि भ्रष्ट प्रशासन और कमज़ोर न्याय व्यवस्था ही इस तरह के विकृत मानसिकता को जन्म देती है। संजीव लिखते हैं-**“सत्ता प्रायः ही भ्रष्ट और दबंग लोगों की चेरी होती आई है।”**²

संजीव का उपन्यास 'धार' आदिवासी समाज के यथार्थ को उजागर करने वाला एक सशक्त दस्तावेज़ है। इस रचना में लेखक ने जातिवाद के एक भिन्न और आधुनिक स्वरूप को चित्रित किया है, जहाँ आदिवासियों को न केवल पारंपरिक सामाजिक ढाँचे ने, बल्कि तथाकथित शिक्षित, शहरी और आधुनिक माने जाने वाले वर्ग ने भी हाशिए पर धकेला है। उपन्यास की नायिका मैना, एक आदिवासी महिला, अपने समुदाय के साथ भूख, शोषण और विस्थापन की त्रासदियों से जूझ रही है। संजीव यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि आदिवासी समाज का केवल आर्थिक शोषण नहीं हुआ, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान, अस्मिता और आत्मगौरव को भी कुचलने की कोशिश की गई है। यह जातिवाद का ही एक रूप है, जो नस्ल और वर्ग के आधार पर गहरे भेदभाव को जन्म देता है। लेखक उपन्यास के माध्यम से यह सवाल उठाते हैं कि क्या यह रवैया आदिवासी समुदाय के मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन नहीं है?

इसी प्रकार, संजीव की कहानी 'झूठी है तेरी दादी' में वे जातिवाद के साथ-साथ स्त्री शोषण की गंभीर सच्चाई को भी उजागर करते हैं। यह कहानी दर्शाती है कि स्त्रियाँ चाहे किसी भी जाति की हों, सवर्ण या दलित, उनका मानसिक और शारीरिक शोषण समाज की सामान्य प्रवृत्ति

बन चुकी है। इसीलिए कई विचारकों ने स्त्री को 'दलितों में भी दलित', अर्थात् 'महादलित' कहा है। कहानी की पात्र तेतरी, जो एक नान्ह जाति की दलित महिला है, जीवन भर एक घर में सेवा करते हुए साठ वर्षों तक विवाहिता की तरह रही, पर जब उसकी जाति उजागर होती है, तो उसे उसी घर से निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे भी उससे मुँह मोड़ लेते हैं। वृद्धावस्था और अशक्तता की अवस्था में तेतरी जब घर से बेघर की जाती है, तो वह बिलखती है, रोती है और करुण स्वर में कहती है-“हमरा के एहिजे रहने दो। अब कै दिन की जिंदगानी है।”³ इस असहायता और अपमान के सामने न समाज पिघलता है, न परिवार। इस अमानवीय व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि पितृसत्तात्मक सोच और जातीय संकीर्णता के सम्मिलन ने एक माँ और एक वृद्ध स्त्री दोनों के सम्मान को रौंद डाला है। यह न केवल नैतिकता का पतन है, बल्कि स्त्री के मूलभूत मानवाधिकारों का भी घोर उल्लंघन है।

संजीव के साहित्य में जातिवाद और मानवाधिकार जैसे विषय केवल विमर्श का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवंत यथार्थ की तरह उपस्थित होते हैं। उनके विचार में जातिगत भेदभाव केवल सामाजिक अन्याय नहीं, अपितु मानवीय अधिकारों के खुलेआम उल्लंघन की नींव है। जब तक समाज में जाति, वर्ग, वर्ण और नस्ल के नाम पर भेदभाव की दीवारें खड़ी रहेंगी, तब तक एक सामान्य मनुष्य भी अपने स्वाभाविक अधिकारों- सम्मान, स्वतंत्रता और समानता से वंचित रहेगा।

उनकी रचनाओं में स्वतंत्रता और समानता की खोज कोई अमूर्त कल्पना नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत से उपजा एक सतत संघर्ष है। उपन्यास 'सावधान! नीचे आग है' इस संघर्ष की सबसे प्रामाणिक प्रस्तुति है, जहाँ खदान की अंधेरी गहराइयों में आधे अधूरे ऑक्सीजन के बीच जीवन और मृत्यु के मध्य झूलते मज़दूर, केवल शरीर से ही नहीं, आत्मा से भी टूटी हुई स्थिति में हैं। हाड़तोड़ श्रम के बाद भी उन्हें न तो सम्मान मिलता है, न ही उनके

परिश्रम का समुचित मूल्य। ऊपर से सूदखोरों की गालियाँ, उनका उत्पीड़न और मज़दूरी पर डाका - यह सब मिलकर उनकी चेतना को कुचल डालते हैं।

संविधान भले ही कहता हो कि श्रमिक को उसके श्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा, पर ज़मीनी सच्चाई इन आदर्शों से कोसों दूर है। मज़दूरी के दिन जैसे ही आते हैं, सूदखोरों का आतंक खदान के मुहाने पर मौत की तरह मंडराने लगता है। मज़दूरों के चेहरों पर डर की स्याही उतर आती है। डर अब भूख या बीमारी का नहीं, बल्कि उन सूदखोरों का है, जो आत्मा तक को गिरवी रख लेने पर आमादा रहते हैं। एक दृश्य में हेम्बरम नामक मज़दूर का सूदखोर के सामने गिर पड़ना और उसकी मार्मिक गिड़गिड़ाहट-“का रे हेम्बरमवाँ, बेसी सयाना बनता है? नँय मालिक, नँय मालिक!... चोप्प साला! निकाल पचास!”⁴ सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि उस पूरे शोषण तंत्र का खौफनाक दस्तावेज़ है।

संजीव का उपन्यास 'जंगल जहाँ शुरू होता है' न केवल एक कथानक प्रस्तुत करता है, बल्कि हमारे समाज की उस कटु सच्चाई को भी उजागर करता है, जहाँ शासन व्यवस्था की जड़ें सड़ चुकी हैं और न्याय के नाम पर अन्याय, मानवाधिकार के नाम पर उत्पीड़न और सुरक्षा के नाम पर हिंसा परोसी जाती है। इस उपन्यास में लेखक ने डाकू समस्या को मात्र एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक गहन सामाजिक और प्रशासनिक विफलता के रूप में चित्रित किया है। बिसराम बहू की कथा एक सामान्य ग्रामीण स्त्री की नहीं, बल्कि उन अनगिनत स्त्रियों की प्रतिनिधि कथा है, जो सामाजिक और प्रशासनिक पिसाई में अपना अस्तित्व खो बैठती हैं। वह न डाकू है, न ही डाकूओं की मदद शौक से करती है। उसकी विवशता है, उसके बच्चे हैं, पेट है और एक भय है कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। उपन्यास के एक मार्मिक दृश्य में बिसराम बहू की आपबीती सामने आती है। गाँव की ड्योढ़ी पर भीड़ लगी है। लोग इकट्ठा हैं, औरतें सुन रही हैं उसकी जुबानी उस भय और पीड़ा की दास्तान, जिसे पुलिस ने

उसके तन और मन पर लिखा है। गंदी-गंदी गालियाँ देती है। यहाँ तक कि उनके जवान बेटी के बारे में भी भला बुरा कहती है।

“ड्योढ़ी पर गाँव के लोग जुट आए हैं। औरतें पास आ गई हैं। रुक-रुक बता रही हैं आपबीती बिसराम बहू, ‘पूछा, तुम डाकू का मदद करता है। हम बोले, नहीं। ऊ बोले, तुम खाना बनवा के बराबर भेजता है, रात में खटिया पे लेके सोता है। हम बोले, हमको मारने लगे तो के बचाने आएगा? ऊ गाली दिया। हम चुपचाप सुनते रहे। फिर बोला तुम कहे आए, तुमरा जवान लड़की नहीं है? तब तो हमरा आग लग गया, बोले, है। ऊ बोले, तो जाओ, भेज दो। केस खलास कर देंगे। हम बोले, आप जाइएगा उसके पास ऊ बोले, जाएँगे? हम बोले, ऊ भगवान के पास गया, चले जाइए। बस इसी पे लगे मारने हमको। दारु पिए हुए थे। बहोत मारा, बहात! अब हम किसी काम के नहीं रह गए। नैय बचेंगे हम। हमरा बच्चा का का होगा, हे राम!”⁵

यह संवाद मात्र संवाद नहीं, प्रशासनिक क्रूरता की वह चीख है, जो न केवल बिसराम बहू की आत्मा को छलनी करती है, बल्कि पाठक के अंतर्मन को भी झकझोर देती है। एक ओर भूख की विवशता है, दूसरी ओर सत्ता की हवस। और बीच में एक असहाय स्त्री। संजीव इस दृश्य के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि जंगल केवल वहाँ नहीं शुरू होता जहाँ पेड़ और झाड़ियाँ हैं, बल्कि वहाँ भी शुरू होता है, जहाँ कानून की जगह दमन हो और जहाँ पुलिस, जो सुरक्षा का प्रतीक होनी चाहिए, वह बलात्कारी मानसिकता का प्रतिनिधि बन जाए।

संजीव की कहानी ‘अपराध’ सत्ता और व्यवस्था के उस अंधेरे कोने में झाँकती है, जहाँ मानवाधिकार केवल किताबों में दर्ज आदर्श बनकर रह जाते हैं। इस कहानी के केंद्र में हैं- सचिन और उसकी बहन संघमित्रा। दो मेधावी, विचारशील और न्यायप्रिय युवा, जिन्हें सामंती मानसिकता और पूँजीवादी शोषण से गहरी चिढ़ है। वे अपने छात्र जीवन में ही इन विकृत व्यवस्थाओं के विरुद्ध

स्वर उठाते हैं, बहस करते हैं, सवाल करते हैं। सचिन जब प्रशासन और न्याय व्यवस्था की खोखली संरचना को बेनकाब करता है, तब उसके तीव्र शब्द सत्ता के लहलुहान चेहरे को उजागर कर देते हैं। वह कहता है-“मुझे इस पूँजीवादी, प्रतिक्रियावादी न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यहाँ आते ही चपरासी, अहलमद, नाजिर, पेशकार, कानूनगो से लेकर काला लबादा ओढ़े वकील और गीता तथा गंगाजल की कसमें खाकर झूठी गवाहियाँ देने वाले गवाह, ये तमाम कुत्ते नोचने-खसोटने लगते हैं उसे।”⁶ सत्ता को यह सच पसंद नहीं आता। वह सवाल पूछने वालों को देशद्रोही, नक्सली और आतंकी ठहराकर अपने शिकंजे में कस लेती है। सचिन को पुलिस थाने में अमानवीय यातनाएँ दी जाती हैं और अंततः एक फर्जी मुकदमे के तहत फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। उसकी बहन संघमित्रा, जो केवल सच की साथी थी, पुलिस थाने के भीतर, स्त्री होने की अंतिम गरिमा तक को रौंदती हुई, दरिंदगी की शिकार होती है। उसके गुप्तांगों में रूल मथकर उसकी हत्या कर दी जाती है। यह दृश्य न केवल रोंगटे खड़े कर देता है, बल्कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की आत्मा पर प्रश्नचिह्न भी लगा देता है।

संजीव की यह कथा केवल साहित्य नहीं, बल्कि एक तीखा हस्तक्षेप है उस न्याय व्यवस्था पर, जो अन्याय के ऊपर बैठी है। वह प्रश्न खड़ा करते हैं-“असली अपराधी कौन है?” वह जो सवाल पूछता है या वह व्यवस्था, जो सवाल से डरती है? चालीस साल पहले लिखी गई यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी तब थी। आज भी जो सत्ता से सवाल करता है, उसके दरवाजे पर CBI और ED की दस्तक होती है। गुनहगार एक होता है पर दंड पूरे परिवार को मिलता है। मकान गिरा दिए जाते हैं, बैंक खाते फ्रीज़ कर दिए जाते हैं। यह कैसी न्याय व्यवस्था है? क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है? संजीव का ‘अपराध’ हमारे समय का आईना है, जिसमें हम लोकतंत्र का मुखौटा पहने एक दमनकारी सत्ता को निहारते हैं। सत्ता, जो न्याय, संविधान और मानवता तीनों को अपने पैरों तले कुचल चुकी है।

न्याय के मंदिर से निकले एक ऐतिहासिक निर्देश की गूँज आज भी समस्त भारतवर्ष में सुनाई देती है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता में गठित पीठ ने स्पष्ट आदेश दिया कि भारत के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित समस्त पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएँ। यह आदेश केवल प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु नहीं, बल्कि नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए था। सुप्रीम कोर्ट की इस चेतना में यह भाव भी समाहित था कि सीबीआई, एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कार्यालय भी पारदर्शिता के दायरे में आएँ और वहाँ भी रिकॉर्डिंग उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इतना ही नहीं, न्याय की इस पुकार ने कारागृहों की उन दीवारों तक भी दस्तक दी जहाँ अक्सर मानवाधिकारों की अनदेखी होती है। वहाँ भी निगरानी की आँख स्थापित करने का आदेश दिया गया, जिससे किसी भी प्रकार के अत्याचार पर अंकुश लगाया जा सके। परंतु प्रश्न अब भी मौन है। क्या इन निर्देशों का क्रियान्वयन सही रूप में हो रहा है? यदि होता, तो कोलकाता के आर.जी. कर अस्पताल जैसी हृदयविदारक घटनाएँ हमारे समाज को झकझोरने का साहस न कर पातीं। संविधान और संसद का कार्य है कानून बनाना, उसे प्रभावी रूप देना। लेकिन केवल विधान या आदेश से एक आदर्श समाज की रचना संभव नहीं। वह तभी संभव है, जब शासन-प्रशासन के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति इन विधियों का न केवल अनुपालन करें, बल्कि नैतिकता के आलोक में आमजन को जागरूक भी करें। जनतंत्र की यह यात्रा केवल संविधान की किताबों में सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर नागरिक के मन-मस्तिष्क में जीवंत होनी चाहिए। तभी यह राष्ट्र सच्चे अर्थों में 'जन-गण-मन' का भारत बन पाएगा।

निष्कर्ष

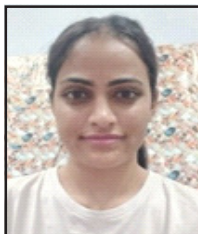
संजीव के साहित्य में जातिवाद और मानवाधिकारों के विषयों को अत्यंत संवेदनशीलता और गहराई के साथ

प्रस्तुत किया गया है। उनका लेखन सामाजिक असमानता, शोषण और भेदभाव की जटिल परतों को उजागर करता है। साथ ही इन समस्याओं के विरुद्ध संघर्ष की अनिवार्यता को भी रेखांकित करता है। संजीव न केवल समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों की पीड़ा और संघर्ष को सामने लाते हैं, बल्कि पाठकों को यह सोचने पर भी विवश भी करते हैं कि एक न्यायसंगत और समतामूलक समाज की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। उनके पात्र सामाजिक यथार्थ का प्रतिबिंब बनकर यह दिखाते हैं कि मानवाधिकारों का हनन किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समग्र सामाजिक विकास को अवरुद्ध करता है। उनका साहित्य एक चेतना है, एक आह्वान, जो यह स्मरण कराता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। इस अधिकार की रक्षा और स्थापना के लिए सतत संघर्ष आवश्यक है। संजीव का साहित्य निःसंदेह सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त हस्तक्षेप है।



संदर्भ सूची

1. संजीव, 'जंगल जहाँ शुरू होता है', राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2010, पृष्ठ सं- 92
2. 'डाकू समस्या के आईने में सत्ता का उदासी चेहरा', माकेश्वर रजक, 'सहयोग' (वार्षिक), वर्ष-1-अंक-1-2021, सेतु प्रकाशन, नोएडा, पृष्ठ सं- 193
3. संजीव, संजीव की यादगार कहानियाँ, हिंद पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2014, पृष्ठ सं- 33
4. संजीव, 'सावधान! नीचे आग है', राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 37
5. संजीव, 'जंगल जहाँ शुरू होता है', राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2010, पृष्ठ सं- 27
6. 'सत्ता की सही परिभाषा (संदर्भ : अपराध)', ए. अरविंदाक्षन, सहयोग, वर्ष-1-अंक-1-2021, सेतु प्रकाशन, नोएडा, पृष्ठ सं- 400



कमल कौर

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
पंजाबी विश्वविद्यालय
पटियाला-147002
पंजाब
संपर्क
kk3388830@gmail.com

शोध निर्देशक

डॉ. रजनी
सहायक प्राध्यापक
(हिंदी विभाग)
पंजाबी विश्वविद्यालय
पटियाला-147002
पंजाब

कुसुम कुमार के नाटकों में मानवीय अधिकारों की अभिव्यक्ति

शोध सारांश

कुसुम कुमार के नाटकों में मानवीय अधिकारों की अभिव्यक्ति सामाजिक वास्तविकताओं, अन्याय, शोषण और असमानता के विभिन्न पहलुओं को गहराई से उजागर करती है। उनके नाटकों में नारी अधिकार, लैंगिक समानता, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिकता, सामाजिक भेदभाव, प्रशासनिक उदासीनता और परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष प्रमुख रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। 'सुनो शेफाली', 'संस्कार को नमस्कार', 'लश्कर चौक', 'ओम क्रांति क्रांति', 'पवन चतुर्वेदी की डायरी' और 'दिल्ली ऊँचा सुनती है' जैसे नाटकों के माध्यम से कुसुम कुमार ने समाज के अंधविश्वास, जातिवाद, धार्मिक असहिष्णुता, महिला उत्पीड़न, शिक्षा के प्रति उपेक्षा, विवाह से पूर्व-परांत महिलाओं की दशा तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर प्रभावशाली रूप से ध्यान आकर्षित किया है। विशेषकर नारी के शोषण, उनके संघर्ष और सामाजिक जागरूकता को नाटकीय घटनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर समाज को न्याय व समानता की दिशा में प्रेरित किया गया है। इस शोध में उद्देश्य यह है कि कुसुम कुमार के नाटकों के विश्लेषण के माध्यम से उनके सामाजिक संदेश, मानवीय अधिकारों की अवधारणा एवं नारी जागरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही यह अध्ययन यह भी उद्घाटित करेगा कि कैसे कुसुम कुमार ने अपनी नाट्य रचनाओं के द्वारा समाज में व्याप्त विषमताओं और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का माध्यम प्रस्तुत किया। इस शोध से समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों, अन्यायों और अधिकारों की अनदेखी पर समाज को पुनः विचार करने की प्रेरणा मिलेगी।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार
2. नारी सशक्तिकरण
3. लैंगिक समानता
4. सामाजिक न्याय
5. धार्मिक असहिष्णुता
6. शिक्षा अधिकार
7. सामाजिक रूढ़ियाँ
8. राजनीतिक शोषण
9. प्रशासनिक उदासीनता
10. सामाजिक चेतना

मूल शोध

पृथ्वी पर वास करने वाला प्रत्येक प्राणी स्वतंत्रता के साथ विचरण करने की

आकांक्षा रखता है। चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी, प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को उसके अस्तित्व के अनुसार स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया है। स्त्री और पुरुष दोनों प्रकृति की कोख से उत्पन्न प्रमुख जीव हैं, जिनका अधिकार समान रूप से सुरक्षित होना चाहिए। किंतु समाज के सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समय के साथ-साथ व्यक्ति अपने अधिकारों के स्थान पर दूसरों के अधिकारों पर स्वेच्छा से अधिकार जताने लगा। विशेषतः उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग को, पुरुष ने स्त्री को तथा बलशाली ने कमजोर को अपने वश में करने का प्रयास किया। इसी सामाजिक असंतुलन के कारण संघर्ष उत्पन्न हुए, अनेक घटनाएँ घटित हुईं और मानवाधिकारों के प्रति जनमानस में जागरूकता की अलख जली। इस जागरूकता आंदोलन में साहित्यकारों का विशिष्ट योगदान रहा है। साहित्यकार अपने समाज तथा तत्कालीन परिस्थितियों का संवेदनशील अवलोकन कर लेखनी के माध्यम से समकालीन समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। उनके लिखे विषय विचारों का रूप ग्रहण कर सामाजिक क्रांति का माध्यम बनते हैं। पाठक वर्ग उनके माध्यम से समाज की विसंगतियों को समझ पाता है और अपने अधिकारों के प्रति सजग होता है।

साहित्यकार समाज के सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं। इस संदर्भ में डॉ. कुसुम कुमार विशिष्ट स्थान रखती हैं, जिन्होंने नाटक विधा के माध्यम से सामाजिक विकृतियों और मानवीय अधिकारों के हनन की स्थितियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनके नाटकों में सामाजिक कुरीतियों, लैंगिक भेदभाव, सांप्रदायिक असहिष्णुता, प्रशासनिक उदासीनता, शिक्षा व अधिकारों से वंचित नारी तथा समाज में व्याप्त अन्याय के विभिन्न पहलू व्यापक रूप से प्रस्तुत हुए हैं। विशेष रूप से भारतीय समाज, जो पुरातन संस्कृतियों व रूढ़िवाद पर आधारित है, नारी की स्थिति पर गहराई से विचार करता है। सामाजिक मान्यताओं और परंपरागत सोच ने नारी के मन में इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि आज भी उसे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

इतिहास गवाह है कि नारी का शोषण अत्यंत गंभीर रूप में हुआ है। दलित स्त्रियों का शोषण तो विशेष रूप से अधिक रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्त्री को बड़े पैमाने पर उपेक्षित किया गया। सावित्रीबाई फुले जी का उदाहरण इस संघर्ष का प्रेरणादायक दृष्टांत है, जिन्होंने समाज की अपार विरोधाभासों के बावजूद, नारियों को शिक्षा का अधिकार दिलवाने के लिए अथक प्रयास किए। यदि नारी ठान ले, तो शिक्षा का अधिकार प्राप्त करना असंभव नहीं है। इसी जागरूकता आंदोलन के तहत 'नारी विमर्श' का उदय हुआ। नारी अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई और प्रगतिशील विचारधारा से अपने सामाजिक एवं व्यक्तिगत अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगी।

डॉ. कुसुम कुमार ने अपने नाटकों के माध्यम से नारी के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक उत्पीड़न की गहराई से जांच की है। वे यह प्रश्न उठाती हैं कि नारी का अधिकार समाज में क्यों उपेक्षित किया जाता है? क्यों उसे अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने से वंचित रखा जाता है? उनके नाटकों में यह स्पष्ट होता है कि नारी को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक और राजनीतिक जंजीरों से मुक्त होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, कुसुम जी ने यह भी उजागर किया है कि सामाजिक व्यवस्था में स्त्री-पुरुष समानता का भाव होना कितना आवश्यक है, ताकि समाज में न्याय और मानवाधिकार की स्थापना संभव हो सके।

'सुनो शेफाली' नाटक में किस तरह उसकी अम्मा उसे समझाती है। शेफाली कहती है- "शेफाली राक्षसियाँ और क्या होती हैं? अम्मा कहती- लड़कियाँ... इन्हें खाना, पहनना, पढ़ाई सब चाहिए.... लेकिन मेरे सिर पर! ज़रा-सा यह कहते हुए इनकी ज़बान कटती है... भले लोगो.. हम हरिजन हैं.. देख री शेफाली.. तू तो अच्छी तरह सुन ले.. यह दसवीं क्लास पास कर ले और चल हाथ बंटा मेरा... अब आगे तुझे और पढ़ाना मेरे बस का नहीं.. हजार मित्रों की- अम्मा ग्याहरवीं पास कर लेने दे बस।

ज़रूर तब मैं कोई नौकरी कर लूँगी.. छोटी बहनों को भी खूब पढ़ाऊँगी..., लेकिन अम्मा अपनी ज़िद पकड़े रही। नहीं मैं अब आगे नहीं पढ़ सकती तुझे.... सभ्यता कितनी ठोस चीज़ है और कितनी बकवास- यह मैंने मिस साहब से जाना.. संस्कृति कितनी लंबी पूँछ है, कितनी मुलायम और कितनी हास्यस्पद- यह भी मैंने मिस साहब से जाना।”¹

उक्त नाटक में नायिका शेफाली अपनी शिक्षा की उपलब्धि की कहानी विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करती है। समाज के दबाव और परंपरागत सोच के बावजूद, शेफाली ने अपने अधिकारों की पहचान कर उन्हें प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। उसकी इच्छानुसार जीवन की घटनाएँ नहीं घटीं, बल्कि उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसने सामाजिक भेदभाव और जातिगत उत्पीड़न के बीच खुद को सशक्त बनाने का मार्ग चुना। जब उसे ज्ञात हुआ कि दीक्षित अपने बेटे की शादी इलेक्शन से पूर्व अपने स्वार्थ के लिए शेफाली से करना चाहता है, ताकि हरिजन बस्ती के वोट प्राप्त किए जा सकें, तो उसने दृढ़ता से विरोध किया। बकुल को विवाह के लिए सहमति नहीं दी, यह दर्शाता है कि नारी अपने अधिकारों की रक्षा हेतु सामाजिक दबावों के सामने भी समर्पण नहीं करती।

इसी प्रकार ‘संस्कार को नमस्कार’ नाटक में भी नारी उत्पीड़न का गंभीर चित्रण किया गया है। कामोबेन आश्रम में रह रही शक्ति और विद्या नामक बेसहारा लड़कियों का मानसिक एवं शारीरिक शोषण करती है। विशेष रूप से शक्ति को संस्कारचंद द्वारा शराब पिलाकर अत्याचार का शिकार बनाया जाता है। यह घटना नारी के प्रति सामाजिक असंवेदनशीलता एवं परंपरागत रूढ़ियों के दुष्परिणाम को उजागर करती है। पांचाली नामक पात्र कामोबेन से यह भी कहती है कि शक्ति अत्यधिक रो रही है और किसी भी तरह उसे शांत नहीं किया जा सका। कामोबेन इस उत्पीड़न को नज़रअंदाज़ करती है, जो नारी उत्पीड़न की गहराई को स्पष्ट करती है।

“पांचाली: (पांचाली आकर कामोबेन से) दीदी शक्ति बहुत रो रही है। हमने बहुत चुप कराया, पर वह चुप नहीं होती। (संस्कार का चेहरा कुछ फीका पड़ जाता है)

कामोबेन: अपने आप चुप हो जाएगी.... तुमने वह हार वगैरह बनाकर रख दिए ना..!”²

इन दोनों नाटकों के माध्यम से कुसुम कुमार ने नारी के समक्ष विवाह पूर्व-परांत उत्पन्न समस्याओं, सामाजिक असमानताओं और मानसिक प्रताड़ना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। नारी की स्वतंत्रता और अधिकारों की अनदेखी पर सवाल उठाकर उन्होंने समाज को पुनः सोचने हेतु विवश किया है। यह समाज की संरचना में व्याप्त विषमताओं की आलोचना करते हुए नारी जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध होता है।

इससे स्पष्ट होता है कि उस बच्ची की स्थिति अत्यंत दयनीय रही होगी। कामोबेन ने उनके पीड़ित स्वरूप पर कोई संवेदनशीलता प्रदर्शित नहीं की। आश्रम में विद्या, शक्ति और पांचाली जैसे पात्र विवाह से पूर्व यौन उत्पीड़न की शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार कुसुम कुमार ने नारी के जीवन में विवाह से पूर्व एवं विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं को स्पष्ट रूप से उद्घाटित किया है। नारी न केवल अपने परिवार में असमान स्थान प्राप्त करती है, बल्कि समाज में भी उसे प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी वंचित किया जाता है। कुसुम कुमार ने इन समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए नारी की विकट जीवन स्थिति को प्रस्तुत किया है। उन्होंने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है तथा नारी के उद्धार हेतु आश्रमों में चल रहे अवैध धंधों और हव्शी लोगों के अधोगति का पर्दाफाश किया है।

इसी तरह ‘लश्कर चौक’ नाटक में कुसुम कुमार ने सांप्रदायिकता का ज़हर उगलने वाले धर्म के ठेकेदारों

पर व्यंग्य किया है, जो लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करते हैं। रामदास, हिंदू धर्म से संबंधित है। लीला उसकी पत्नी है। वह अपने घर किसी महिला को काम पर रखता है पर वह नहीं जानता कि वह एक मुस्लिम नारी है। वह अपने पति द्वारा किए जा रहे शोषण का शिकार है। कुसुम जी ने बड़ी मार्मिकता से इस बात को दर्शाया है। जब उसके पति को पता चलता है कि वह रामदास हिंदू के यहाँ रहती है, तो वह क्रोधित होकर चिल्लाता है और उसे कठोर शब्दों से अपमानित करता है। **“लड्डुमार व्यक्ति हरामजादी, कमीनी, कमजात, बेहया... छह महीने से मैं तेरी तलाश में ज़मीन-आसमान एक किए दे रहा हूँ और तू यहाँ इस हारामी (रामदास की ओर संकेत करते) की रखेल बनाकर बैठी है।”**³

कुसुम कुमार ने इस घटनाक्रम के माध्यम से धर्म के नाम पर हो रहे सामाजिक द्वंद्व, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का हनन तथा साम्प्रदायिकता के कुप्रभावों को उजागर किया है। यह नाटक समाज में व्याप्त कट्टरता, धर्म के नाम पर छिपे स्वार्थ और नागरिक अधिकारों की उपेक्षा पर गहरा प्रहार करता है। कुसुम कुमार की रचनाएँ समाज के उन पहलुओं को सामने लाती हैं, जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। उनके नाटकों में व्यक्त संवेदनशीलता और सामाजिक सचेतना, मानवाधिकार व स्त्री मुक्ति के प्रति एक सशक्त संदेश प्रदान करती है।

कमरुन्निसा अपने पति द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से त्रस्त होकर घर छोड़ देती है, किंतु वही समस्या फिर से उत्पन्न हो जाती है। लड्डुमार व्यक्ति उस पर अपना पति होने का हक समझते हुए उस पर हिंसा करने लगता है। यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या नारी के जीवन की नियंत्रण रेखा सदैव पुरुष के हाथ में होनी चाहिए? नारी को प्रारंभ से ही सामाजिक दबाव और उत्पीड़न के अधीन रहना पड़ा है। इसके बाद कमरुन्निसा ने अपना नाम बदलकर ठकुराइन रख लिया और हिंदू परिवार में घरेलू कार्य हेतु काम करने लगी। इस परिवर्तन के बावजूद लड्डुमार व्यक्ति उस पर कलंक लगाने लगता है। इस पर कमरुन्निसा

उर्फ ठकुराइन यह प्रतिक्रिया देती है- **“ठकुराइन- अरे ओ कुत्ते! इन नेक लोगों के पीछे क्यों पड़ा है? मुझ पर तोड़ अपनी लाठी; मुझसे निपट! मुझ पर बरसा अंगार; मैं हूँ तेरी गुनहगार; आधी ज़िंदगी अपना मांस नुचवाती रही तुझसे, तब तो बदचलन नहीं थी ना मैं।”**⁴

इन सामाजिक समस्याओं को उजागर करते हुए नाटककार नारी की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह प्रस्तुत करती हैं। क्या देवी स्वरूप मानी जाने वाली नारी का स्वयं का अस्तित्व नहीं है? उसके मूल अधिकार क्यों छीने जाते हैं? उसे स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने का अधिकार क्यों नहीं प्रदान किया जाता? नाटक में रामदास को उसकी बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया जाता है, क्योंकि उसने एक मुस्लिम महिला को अपने घर में आश्रय दिया था। इस स्थिति में रामदास के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का स्पष्ट हनन हुआ है। यह सवाल भी प्रस्तुत होता है कि क्या मनुष्य का मनुष्य होना ही उसका धर्म नहीं होना चाहिए? अंततः, इस तनाव के प्रभाव में रामदास मुस्लिम धर्म अपनाने को विवश होता है, किंतु वह मुस्लिम धर्म की कुछ मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप वह दोनों धर्मों के बीच दबाव और संघर्ष का शिकार बनता चला जाता है।

इसी प्रकार ‘ओम क्रांति क्रांति’ नाटक में एक महिला महाविद्यालय की पृष्ठभूमि में शिक्षिका मिसिज दानी के चरित्र को प्रस्तुत किया गया है, जो छात्राओं को पढ़ाने में असमर्थ और अनिच्छुक प्रतीत होती हैं। वह नियमित रूप से कक्षा में देर से आती हैं और बिना शिक्षण प्रक्रिया में संलग्न हुए केवल छात्रों से शीघ्रता से कॉपी निकालने को कहती हैं, ताकि समय की बर्बादी न हो। इस दृष्टिकोण से छात्राओं में गुस्सा उत्पन्न होता है और वे शिक्षिका का अपमान भी करती हैं, क्योंकि मिसिज दानी कभी भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। इस व्यवहार के कारण छात्राओं में भविष्य को लेकर गहरी चिंता उत्पन्न हो जाती है, जो उनके संवादों में स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। **“अनु छोड़ो यार! वो पी एच.डी कर ले, चाहे पी-एच.डी का बाप,**

रहेगी तो वही, जो वह है। पढ़ाना एक शब्द आता नहीं! (गर्दन झटकती है) मेनका जो यह सब सुन रही है- बोर हो चुकी है) ना फर्स्ट इयर में पीछा छूटा था इससे, ना अब सेकंड इयर में उभरने देगी हमें।⁵

अध्यापकों के प्रति छात्राओं के मन में क्रोध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। सामान्यतः छात्राओं के मन में शिक्षकों के प्रति आदर भाव होना आवश्यक है, लेकिन यह स्थिति मिसिज दानी की अकर्मण्यता और अज्ञानता के कारण विकृत हो गई है। यदि शिक्षा प्रणाली उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं होगी, तो छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अध्यापिका के अनुत्तरदायी व्यवहार के कारण संपूर्ण कक्षा का वातावरण तनावपूर्ण हो गया है। छात्राएँ इस अन्याय के विरोध में एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं और क्रांति के नारे लगाती हैं। इसके बावजूद प्रिंसिपल भी छात्राओं की गलती निकालती हैं। फिर भी, छात्राओं ने सामूहिक संघर्ष के माध्यम से अन्याय के खिलाफ विद्रोह करते हुए विजय प्राप्त की। इस प्रकार 'ओम क्रांति क्रांति' नाटक में मानवीय अधिकारों की संवेदनशील अभिव्यक्ति की गई है।

इसी प्रकार 'पवन चतुर्वेदी की डायरी' नाटक में पवन का चरित्र प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। पवन सुषमा से विवाह करता है और उनकी एक संतान भी है, जबकि सुषमा गर्भवती है। पवन अब सुषमा का गर्भपात करवाने का निर्णय लेता है, क्योंकि वह इला के संपर्क में आ चुका है। इला के नाम को लेकर पवन और सुषमा के बीच विवाद और गाली-गलौज की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके परिणामस्वरूप पवन सुषमा को घर से बेघर कर देता है और वह अपने बच्चों के साथ अलग जीवन जीने लगती है। इस प्रकार नाटक में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार पुरुष, अपनी पत्नी के अन्य स्त्री के संपर्क में आने को लेकर उसे घर से बेघर कर उसके अधिकारों का हनन कर देता है। यह सामाजिक समस्या वर्तमान समय में तेज़ी से विकराल रूप लेती जा रही है।

'दिल्ली ऊँचा सुनती है' नाटक में माधव सिंह के जीवन को प्रस्तुत किया गया है, जो 36 वर्षों तक वित्त मंत्रालय में क्लर्क के रूप में कार्यरत रहने के बाद सेवानिवृत्ति के पश्चात अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। रिटायरमेंट के बाद वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ पैतृक गाँव लौट जाता है, क्योंकि दिल्ली में रहने का खर्च अत्यधिक हो गया था। बावजूद इसके, उसकी पेंशन नहीं लगती और वह अपने जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाता रहता है। नाटक में यह दर्शाया गया है कि सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए रिश्तत लेने में लिप्त रहते हैं और सामान्य नागरिकों के आवश्यक कार्यों में कोई सहायता नहीं प्रदान करते। कार्यालय में माधव सिंह को मृत घोषित कर दिया गया होता है, जिससे उसे स्वयं अपने जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। लगातार ऑफिसों और अस्पतालों के चक्कर काटते-काटते वह मानसिक रूप से टूट जाता है। इस प्रकार नाटक में सेवानिवृत्त सरकारी क्लर्क की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। कुसुम कुमार ने इस नाटक के माध्यम से प्रशासन की उदासीनता, भ्रष्टाचार और आम जनता के प्रति अनदेखी की समस्या को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है। साथ ही, यह रचना मानवाधिकारों की उपेक्षा और सामाजिक अन्याय के प्रति समाज को जागरूक करने का प्रयास करती है।

'सुनो शेफाली' नाटक में महिलाओं के अधिकारों के हनन और उनके संघर्षों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 'संस्कार को नमस्कार' नाटक में परंपरागत रूढ़ियों की आलोचना करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों की आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया गया है। 'रावण लीला' नाटक में शक्ति, नैतिकता तथा सत्ता के दुरुपयोग पर गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कुसुम कुमार का साहित्य सामाजिक चेतना से परिपूर्ण है। उनके नाटकों में मानवीय अधिकार, लैंगिक समानता, नारी शिक्षा, राजनीतिक शोषण,

सामाजिक अन्याय जैसे विविध महत्वपूर्ण विषयों को गहराई के साथ अभिव्यक्त किया गया है। नाटककार ने समाज के उन पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है, जिन्हें सामान्यतः उपेक्षित किया जाता है।

निष्कर्ष

कुसुम कुमार के नाटकों में सामाजिक विसंगतियों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की गंभीर परतें उजागर की गई हैं। उनके नाटकों में विशेष रूप से नारी विरोधी रूढ़ियों, लैंगिक असमानता, प्रशासनिक उदासीनता, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन और सामाजिक शोषण की समस्या पर केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। 'सुनो शेफाली', 'संस्कार को नमस्कार', 'लश्कर चौक', 'ओम् क्रांति क्रांति', 'पवन चतुर्वेदी की डायरी' तथा 'दिल्ली ऊँचा सुनती है' जैसे नाटकों में नारी की मनोस्थिति, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता, संघर्ष और समाज की परत दर परत होती विषमताओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। कुसुम कुमार ने अपने नाटकों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कैसे सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक ढाँचे महिलाओं की स्वतंत्रता व समानता के मार्ग में बाधक बनते हैं। उनका साहित्य समाज के उन पहलुओं को सामने लाने का प्रयास करता है, जिन्हें आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है। नाटककार की यह दृष्टि न केवल आलोचनात्मक है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा भी देती है। कुसुम कुमार का साहित्य सामाजिक चेतना को प्रबल करते हुए मानवाधिकारों के संरक्षण और समानता के सिद्धांत को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।



संदर्भ सूची

1. कुसुम कुमार, समग्र नाटक (सुनो शेफाली), किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 319
2. कुसुम कुमार, समग्र नाटक (संस्कार को नमस्कार), किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 223

3. कुसुम कुमार, समग्र नाटक (लश्कर चौक), किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 433
4. कुसुम कुमार, समग्र नाटक (लश्कर चौक), किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 434
5. कुसुम कुमार, समग्र नाटक (ओम् क्रांति-क्रांति) किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 313



हेम कुमार गहतोड़ी

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खटीमा
(उधम सिंह नगर)-262308
उत्तराखण्ड
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
से संबद्ध
संपर्क
hem.gahtori90@gmail.com

शोध निर्देशिका

डॉ. अर्चना वर्मा
सहायक प्राध्यापक
(हिंदी विभाग)
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, अमोड़ी
उत्तराखण्ड

भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवाधिकार: विद्यानिवास मिश्र का साहित्यिक परिप्रेक्ष्य

शोध सारांश

यह शोध पत्र बीसवीं सदी के मनीषी, संस्कृति-चिंतक पंडित विद्यानिवास मिश्र के वैचारिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय साहित्य व ज्ञान परंपरा में मानवाधिकारों के गहन चिंतन का अन्वेषण करता है। यह अध्ययन स्थापित करता है कि मानवाधिकारों के मूलभूत सिद्धांत, जिन्हें प्रायः आधुनिक पश्चिमी अवधारणा माना जाता है, वस्तुतः प्राचीन भारतीय वाङ्मय (वेद, उपनिषद, महाकाव्य, जैन-बौद्ध दर्शन आदि) में सदियों से अंतर्निहित रहे हैं, जहाँ मानव गरिमा, समता, न्याय, अहिंसा और सर्व-कल्याण प्रमुख मूल्य थे।

मिश्र जी ने अपने गहन ज्ञान द्वारा भारतीय संस्कृति के इन सूत्रों का संधान किया। उनके लेखन में मानवतावाद, सांस्कृतिक सहिष्णुता और लोक-मंगल की भावना प्रमुख है। मिश्र जी भारतीय जीवन-दृष्टि में चतुर्विध पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) का संतुलित नैतिक अनुपालन को मोक्ष का मार्ग मानते थे, जिससे कर्तव्य-केंद्रित जीवन-शैली में मानवाधिकारों का सम्मान स्वाभाविक रूप से समाहित होता है। उन्होंने 'रामराज्य' को नैतिक नेतृत्व व सुशासन का सार्वभौमिक प्रतिमान विश्लेषित किया तथा कर्म, कर्तव्य व सामाजिक समरसता पर बल दिया। यह शोध-पत्र पश्चिमी (अधिकार-केंद्रित) और भारतीय (कर्तव्य-केंद्रित) मानवाधिकार अवधारणाओं के अंतर को स्पष्ट करता है, उजागर करता है कि 'धर्म' व 'नैतिकता' ही भारतीय परंपरा में मानवाधिकारों का सुदृढ़ आधार हैं। निष्कर्ष है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवाधिकार चिंतन की समृद्ध धारा है, जिसे मिश्र जैसे विचारकों ने समकालीन प्रासंगिकता दी है, जो न्यायपूर्ण वैश्विक समाज हेतु मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

बीज शब्द

1. विद्यानिवास मिश्र 2. मानवाधिकार 3. भारतीय ज्ञान परंपरा 4. पुरुषार्थ
5. साहित्यिक परिप्रेक्ष्य 6. नैतिकता 7. वैदिक वाङ्मय

मूल शोध

प्रस्तावना: मानवाधिकार विमर्श का वैश्विक एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य

मानवाधिकार, आधुनिक वैश्विक विमर्श का एक केंद्रीय प्रत्यय है, जो प्रत्येक मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर केंद्रित है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा “**मानव समाज के सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा तथा समान और अविच्छेद्य अधिकारों**” में प्रतिपादित है।¹ यह आधुनिक अवधारणा मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की पश्चिमी उदारवादी चिंतन की देन मानी जाती है, जो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा पर बल देती है। इसके विपरीत, भारतीय परंपरा में मानवाधिकारों का विचार ‘धर्म’ के व्यापक दायरे में समाहित रहा है, जहाँ नैतिक आचरण और कर्तव्य-आधारित जीवन-शैली से मानव गरिमा, समता, न्याय, अहिंसा और सर्व-कल्याण जैसे मूल्य स्वतः स्थापित होते हैं। भारत की प्राचीन ज्ञान-परंपरा-वेदों से लेकर उपनिषदों, स्मृतियों, महाकाव्यों और जैन-बौद्ध दर्शनों तक, में इन मानवीय मूल्यों के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं।

प्रस्तुत शोधालेख इसी पृष्ठभूमि में, बीसवीं शताब्दी के मनीषी पंडित विद्यानिवास मिश्र (1926-2005) के विशिष्ट साहित्यिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से भारतीय साहित्य एवं ज्ञान परंपरा में मानवाधिकार संबंधी चिंतन का विश्लेषण करता है। मिश्र जी ने संस्कृत, हिंदी साहित्य, भाषाशास्त्र, लोक-संस्कृति के अपने गहन ज्ञान द्वारा भारतीय संस्कृति के इन सूत्रों का अपने लेखन में संधान किया। उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रहों और अकादमिक ग्रंथों में मानवतावाद, सांस्कृतिक सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव और लोक-मंगल की भावना सर्वोपरि है। वे भारतीयता से गहरे जुड़े रहकर भी आधुनिकता के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक ‘संस्कारात्मक परिणिती’ तथा एक ‘प्रवाहशील रस’ बताया। यह शोधालेख मिश्र जी के वैचारिक आलोक में

भारतीय मानवाधिकार चिंतन के सूत्रों को समझने का प्रयास करता है, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा की निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित होती है।

भारतीय ज्ञान परम्परा में मानवाधिकार चेतना : एक विस्तृत दृष्टि

भारतीय ज्ञान परम्परा में मानवाधिकार चेतना प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। पश्चिमी ‘अधिकार-केंद्रित’ दृष्टिकोण के विपरीत, भारतीय चिंतन मानवाधिकारों को ‘धर्म’ (नैतिक कर्तव्य) और ‘कर्तव्य’ के व्यापक ढांचे में समाहित करता है, जो व्यक्ति कल्याण, सामाजिक समरसता और प्रकृति सामंजस्य पर आधारित एक समग्र दृष्टिकोण है। वैदिक एवं उपनिषदिक साहित्य में ‘मनुर्भव’, ‘पुमान् पुमांसं परि पातु विश्वतः’ जैसे उद्घोषों से नागरिक स्वतंत्रता व परस्पर रक्षा का उपदेश मिलता है। ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ और ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्’ का सर्व-कल्याणकारी सिद्धांत आध्यात्मिक समानता व सर्व-कल्याण पर बल देता है, जिससे कर्तव्य-पालन द्वारा अधिकारों की रक्षा स्वतः सुनिश्चित होती है। ‘अज्येष्ठासो अकनिष्ठास’ और ‘समानी व आकूतिः’ जैसे वैदिक मंत्र सामाजिक समता और सहयोग की भावना को दर्शाते हैं। ‘तत् त्वम् असि’ का उपनिषदिक सिद्धांत आध्यात्मिक एकता पर बल देता है, जिससे परस्पर सम्मान और कर्तव्य-पालन स्वतः अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करते हैं।

महाकाव्यों (रामायण, महाभारत) और धर्मशास्त्रों ने मानवाधिकार चिंतन को गहराई दी। रामायण का ‘रामराज्य’ आदर्श शासन, नैतिक नेतृत्व और मानवाधिकार संरक्षण का सार्वभौमिक प्रतिमान प्रस्तुत करता है, जहाँ सभी को समान अधिकार, न्याय व समावेशी सम्मान प्राप्त था और शासक प्रजा के सेवक थे। महाभारत, विशेषतः गीता व शांति पर्व, धर्म, न्याय, कर्तव्य और शासक की जवाबदेही पर गहन विमर्श प्रस्तुत करते हुए परोपकार

को सर्वोच्च मानता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों (प्रजा का सुख-कल्याण) पर बल दिया गया, जहाँ राजा भी कानून के अधीन था और प्राचीन भारतीय कानून “कानून राजाओं का राजा है”² सिद्धांत पर आधारित था।

जैन एवं बौद्ध दर्शनों ने मानवाधिकार चिंतन को अहिंसा, करुणा, समता और वैचारिक सहिष्णुता पर केंद्रित कर उसे समृद्ध किया। बौद्ध धर्म में “लालच, घृणा या स्वार्थ से प्रेरित क्रिया-कलापों को बुरा माना जाता है तथा इन्हें अकुसल कम्मा कहा जाता है। जो कार्य उदारता, प्रेम और ज्ञान के गुणों से प्रेरित होते हैं वे अच्छे हैं तथा उन्हें कुसला कम्मा कहा जाता है।”³ ये दर्शन पंचशील के माध्यम से दूसरों को पीड़ा पहुँचाने से रोकते थे और “दुनिया में हर कोई एक दूसरे के बराबर है।”⁴ मानकर जातिगत या लैंगिक भेदभाव को नकारते थे। सम्राट अशोक के शासन में भी बंदियों तथा दासों के प्रति मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया गया, जो इन दर्शनों की जीव-जगत के प्रति करुणा और दूसरों के अधिकारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है।

समग्रतः भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवाधिकारों की अवधारणा पश्चिमी ‘जन्मजात’ अधिकारों से स्पष्टतः भिन्न है। यहाँ मानवाधिकारों को ‘धर्म’ (नैतिक कर्तव्य) और ‘कर्तव्य’ के व्यापक ढाँचे में समाहित किया गया, जो व्यक्तिका कल्याण, सामाजिक समरसता और प्रकृति सामंजस्य पर आधारित एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस परंपरा में अधिकारों की सुरक्षा हेतु व्यक्ति के आचरण, सामाजिक व्यवस्था और शासक की नैतिकता को केंद्रीय माना गया है, न कि मात्र कुछ बाहरी कानूनी प्रावधानों को।

पंडित विद्यानिवास मिश्र का मानवाधिकार चिंतन : पुरुषार्थ, कर्तव्य और रामराज्य

पंडित विद्यानिवास मिश्र ने मानवाधिकारों को भारतीय दर्शन और जीवन-पद्धति के अभिन्न अंग के रूप में देखा,

जहाँ पश्चिमी अधिकार-केंद्रित दृष्टिकोण के विपरीत एक कर्तव्य-केंद्रित समाज की कल्पना की गई है। उनके अनुसार, मानव जीवन का चरम लक्ष्य (मोक्ष) चतुर्विध पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) के संतुलित नैतिक अनुशीलन से प्राप्त होता है, जिससे मानवाधिकारों का सम्मान जीवन-शैली का स्वाभाविक अंग बन जाता है। मिश्र जी ने ‘स्वधर्म’ के निष्ठापूर्वक पालन पर विशेष बल दिया, क्योंकि उनके मत में, अधिकार कर्तव्यों के स्वाभाविक प्रतिफल हैं। धर्म का व्यापक अर्थ (नैतिकता, सत्य, अहिंसा, करुणा) मानवाधिकारों का सच्चा आधार है, जैसा कि कहा गया है: “धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्।”⁵ जो धर्म का हनन करता है, धर्म ही उसका हनन कर देता है; और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन नहीं करना चाहिए, कहीं मारा हुआ धर्म हमको ही न मार डाले। मिश्र जी अधिकारों को एक आंतरिक नैतिक ज़िम्मेदारी मानते थे, जो व्यक्तिगत विकास को सामाजिक कल्याण से जोड़ती है।

कर्म, कर्तव्य और सामाजिक समरसता की भूमिका

मिश्र जी ने तर्क दिया कि मानवाधिकार केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं, बल्कि समाज के नैतिक ताने-बाने और व्यक्ति के चरित्र से स्थापित होते हैं। उन्होंने ‘कर्म’ (लोक-हितकारी कार्य) और ‘कर्तव्य’ (स्वधर्म) के महत्त्व पर बल दिया, जिससे व्यक्ति आत्म-केंद्रित न होकर समाज के प्रति उत्तरदायी बनता है और दूसरों के अधिकारों का सम्मान स्वाभाविक होता है। आधुनिक समाज में बढ़ते अलगाव और संवेदनहीनता पर चिंता व्यक्त करते हुए, मिश्र जी ने सामाजिक समरसता और सामुदायिक जुड़ाव को मानवाधिकार संरक्षण के लिए आवश्यक माना। उनके अनुसार, समाज एक नीड़ के समान है, जहाँ ‘नस्ल की कोई याददाश्त ही भारतीय समाज में नहीं रही है। हमारे यहाँ जगत एक नीड़ है, सबके साथ रहने का बसेरा।’ उनका यह भी मानना था कि ‘जीवन वही सार्थक है, जो अपना नहीं होता’ और राष्ट्र का स्वभाव ‘केवल आदमी के

लिए सोचना नहीं रहा, बल्कि चर अचर सबके लिए सोचने का रहा है। मिश्र जी का ज़ोर मानवाधिकारों के 'आंतरिकीकरण' पर था, यह मानते हुए कि वास्तविक सुरक्षा नैतिक विकास और सामुदायिक जुड़ाव से आती है, केवल कानूनी प्रवर्तन से नहीं।

धार्मिक पाखंड एवं रूढ़िवादिता की आलोचना

भारतीय संस्कृति के गहरे प्रशंसक होते हुए भी, पंडित विद्यानिवास मिश्र उसकी रूढ़ियों और विसंगतियों के प्रति सजग थे। उन्होंने धर्म के नाम पर प्रचलित पाखंड, आडंबर और अंधविश्वास की कड़ी आलोचना की, क्योंकि उनके अनुसार, धर्म का सार आंतरिक पवित्रता, नैतिक आचरण और करुणा में निहित है, न कि बाह्य प्रदर्शन में। मिश्र जी मानते थे कि ये पाखंड तर्क और स्वतंत्र चिंतन को बाधित कर मानवाधिकारों के लिए खतरा बन सकते हैं, जिससे जातिगत या लैंगिक भेदभाव जैसे अमानवीय व्यवहार पनपते हैं। वे धर्म के वास्तविक, मानवीय स्वरूप और विवेक तथा आस्था के स्वस्थ समन्वय के पक्षधर थे, जो मानवाधिकारों के प्रति सच्ची निष्ठा उत्पन्न कर सके। उनकी यह आलोचना दर्शाती है कि वे परंपरा के भीतर की उन शक्तियों को पहचानते थे, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकती हैं। मिश्र जी ने रेखांकित किया कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए केवल प्राचीन मूल्यों को दोहराना पर्याप्त नहीं, बल्कि परंपरा के नाम पर पनपने वाली विकृतियों को भी दूर करना आवश्यक है, जिससे वे एक सुधारवादी चिंतक के रूप में स्थापित हुए।

साहित्य में मानवाधिकार चेतना की अभिव्यक्ति

साहित्य समाज का दर्पण होता है और मानवाधिकार चेतना की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है, जिसे पंडित विद्यानिवास मिश्र ने गहराई से रेखांकित किया है। भक्ति साहित्य ने मानवीय समानता और गरिमा के लिए सशक्त स्वर उठाया। कबीर जैसे संतों ने 'जाति-पांति के फेर में, उरझि रहौ सब लोग। मानुषता को खात है, रैदास जात को रोग' जैसे उद्घोषों से जातिगत भेदभाव का

विरोध किया। तुलसीदास ने 'सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सबसे अधिक, मनुज मोहि भाए' के माध्यम से ईश्वरीय समानता का संदेश दिया, साथ ही स्त्री स्वतंत्रता, श्रम के सम्मान और आर्थिक न्याय का भी चित्रण किया। भक्तिसाहित्य ने वंचितों को आवाज़ देकर सामाजिक न्याय की नींव रखी।

आधुनिक हिंदी साहित्य में मानवाधिकार चेतना प्रेमचंद के यथार्थवादी चित्रण से विकसित हुई, जिन्होंने दलितों, किसानों और स्त्रियों के शोषण तथा उनके अधिकारों के संघर्ष को वाणी दी। प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा जैसे कवियों ने राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता, नारी गरिमा और सामाजिक विषमता जैसे मुद्दों को उठाया। भारतेन्दु हरिश्चंद्र व महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक हिंदी गद्य की नींव रखकर समकालीन सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को संबोधित करने में साहित्य को सक्षम बनाया। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने स्वयं भी साहित्य की इस भूमिका को रेखांकित करते हुए सामाजिक समस्याओं और नारी सम्मान पर विशेष बल दिया, पारिवारिक स्थिरता को समाज के लिए अनिवार्य माना।

भारतीय बनाम पाश्चात्य मानवाधिकार अवधारणा

पंडित विद्यानिवास मिश्र ने पश्चिमी मानवाधिकार (व्यक्ति-केंद्रित, अधिकार-आधारित, राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता पर केंद्रित, जैसे "संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार।"⁶ और भारतीय अवधारणा (समुदाय-उन्मुख, कर्तव्य-आधारित 'धर्म', नैतिक-आध्यात्मिक) के अंतर को उजागर किया। भारतीय चिंतन में, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धांत के अनुरूप, कर्तव्य-पालन से अधिकार स्वतः सुरक्षित होते हैं। मिश्र जी के अनुसार, यह कर्तव्य-आधारित भारतीय दृष्टिकोण अधिक संतुलित और स्थायी समाज का आधार है, क्योंकि मानवाधिकार केवल कानूनों से नहीं, बल्कि समाज के नैतिक ताने-बाने का हिस्सा होने चाहिए।

मिश्र जी के चिंतन की समालोचना

पंडित विद्यानिवास मिश्र के चिंतन की आलोचनाएँ भारतीय परंपरा के आदर्शीकरण, जातिगत एवं लैंगिक असमानताओं की कथित अनदेखी, 'रामराज्य' के अति-महिमामंडन और उनकी दुरुह भाषा-शैली पर केंद्रित रही हैं। डॉ. रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों ने परंपरा के सकारात्मक पक्षों पर उनके अत्यधिक जोर को रेखांकित किया। इन आलोचनाओं के बावजूद, मिश्र जी का भारतीय संस्कृति को समकालीन बनाने का प्रयास महत्वपूर्ण है। भारतीयता से जुड़े रहकर भी उनके 'आलोचनात्मक आधुनिकतावादी' दृष्टिकोण ने हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय स्थान बनाया।

निष्कर्ष

यह शोध पत्र पंडित विद्यानिवास मिश्र के मानवाधिकार चिंतन का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवाधिकारों की गहरी जड़ों को रेखांकित किया गया है। मिश्र जी ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय चिंतन पश्चिमी 'अधिकार-केंद्रित' दृष्टिकोण से भिन्न एक 'कर्तव्य-केंद्रित' और समग्रतावादी अवधारणा पर आधारित है, जहाँ 'धर्म', 'पुरुषार्थ' और सामाजिक समरसता मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्रीय हैं। उनके 'रामराज्य' की परिकल्पना सुशासन और नैतिक नेतृत्व का एक सार्वभौमिक प्रतिमान प्रस्तुत करती है, जो केवल कानूनी प्रावधानों से परे, मानवीय आचरण और सामाजिक जुड़ाव पर बल देती है।

साहित्य के माध्यम से मानवाधिकार चेतना की अभिव्यक्ति, विशेषकर भक्ति और आधुनिक हिंदी साहित्य में, मिश्र जी के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने धार्मिक पाखंड और रुढ़िवादिता की आलोचना कर विवेक और नैतिकता पर आधारित धर्म के वास्तविक स्वरूप पर जोर दिया। यद्यपि उनके चिंतन पर आदर्शीकरण की आलोचनाएँ हुई हैं, फिर भी भारतीय संस्कृति के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने और उसे

समकालीन संदर्भ में प्रासंगिक बनाने का उनका प्रयास अद्वितीय है। मिश्र जी का चिंतन हमें यह सिखाता है कि मानवाधिकार केवल कानूनी दावे नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य, सामाजिक ज़िम्मेदारी और व्यक्तिगत आत्म-विकास का अभिन्न अंग हैं। यह शोध भारतीय ज्ञान परंपरा की उस समृद्ध धारा को सामने लाता है, जो न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वैश्विक समाज के निर्माण हेतु मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।



संदर्भ सूची

1. संयुक्त राष्ट्र, 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' 10 दिसं. 1948. संयुक्तराष्ट्र, (www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights), पृष्ठ सं- 2
2. बसु, सरबोजित, "LAW AND HUMAN RIGHTS IN ANCIENT INDIA: AN OVERVIEW." International Journal of Research and Technology, Vol. 10, No. 10, 2023, पृष्ठ सं- 3
3. दृष्टि आईएस. 'बौद्ध और जैन धर्म में नैतिकता.' 2019. दृष्टि आईएस <https://www.drishtiias.com/hindi/paper4/ethics-in-buddhism-and-jainism>.
4. कुमार, महेंद्र. 'जैन दर्शन एवं और बौद्ध दर्शन का शिक्षा परिप्रेक्ष्य: एक तुलनात्मक विश्लेषण.' Indian Journal of Modern Research and Reviews, Vol. 3, No. 1, 2025, पृष्ठ सं- 1
5. कुमार, सुरेंद्र, भाष्यकार, विशुद्ध मनुस्मृति, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली, अष्टम संस्करण-2017, अध्याय-8, श्लोक-15, पृष्ठ सं- 405
6. दृष्टि आईएस. 'मानवाधिकार.' दृष्टि आईएस, 2022 (<https://www.drishtiias.com/hindi/to-the-points/paper2/human-rights-27>)



रवि कुमार

Ph.D. शोधार्थी
(अनुवाद अध्ययन विभाग)
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी
विश्वविद्यालय
वर्धा- 442001
महाराष्ट्र
संपर्क
ravijaichandraa@gmail.com

जर्मन उपन्यास 'सिद्धार्थ' के हिंदी अनुवाद: भारतीय मूल्यों और मानवाधिकार अवधारणाओं की पुनर्व्याख्या

शोध सारांश

यह शोध-पत्र हेरमन हेस्से द्वारा रचित जर्मन उपन्यास "Siddhartha: Eine Indische Dichtung" के हिंदी अनुवाद का एक तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। शोध का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि हिंदी अनुवाद ने किस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों- जैसे ब्राह्मणत्व, सन्यास, मोक्ष एवं आधुनिक मानवाधिकार अवधारणाओं- जैसे आत्मनिर्णय, सामाजिक समता और लैंगिक समानता की पुनर्व्याख्या की है। यह अध्ययन इस पक्ष पर भी प्रकाश डालता है कि किस प्रकार अनुवाद भाषा-हस्तांतरण की प्रक्रिया से आगे बढ़कर एक गहरे सांस्कृतिक और दार्शनिक संवाद का माध्यम बनता है।

अनुवाद ने भारतीय पाठकों के लिए 'सिद्धार्थ' को केवल सुलभ ही नहीं, बल्कि अनुभवात्मक रूप से निकट बना दिया है। उपन्यास के पात्रों और कथानक में प्रयुक्त धार्मिक-सांस्कृतिक संकेतों को हिंदी अनुवाद में स्थानीय प्रतीकों और मान्यताओं के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है, जिससे भारतीय जीवन-दृष्टि की पुनः पुष्टि होती है। साथ ही, उपन्यास में अंतर्निहित मानवाधिकार की अवधारणाओं- व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध दृष्टिकोण और स्त्री की भूमिका को भी भारतीय दार्शनिक परंपराओं के आलोक में पुनः अभिव्यक्त किया गया है। हिंदी अनुवाद ने 'सिद्धार्थ' को भारतीय पाठकों के लिए और अधिक प्रासंगिक बना दिया, जहाँ यह स्वधर्म, समता और करुणा जैसे मूल्य भारतीय संदर्भों में नए अर्थों के साथ उभरते हैं। यह शोध यह भी इंगित करता है कि अनुवाद के दौरान सांस्कृतिक, भाषिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों का समुचित संतुलन बनाए रखना अत्यंत जटिल कार्य है। जैसे "निर्वाण" और "मोक्ष" की अवधारणाएँ अपने-अपने धार्मिक-सांस्कृतिक संदर्भों में भिन्न हैं, किंतु हिंदी अनुवाद में इनका समन्वय एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के रूप में सामने आता है। अतः, 'सिद्धार्थ' का हिंदी अनुवाद केवल एक साहित्यिक उत्पाद नहीं, बल्कि पूर्व और पश्चिम के मध्य एक दार्शनिक सेतु के रूप में कार्य करता है। यह न केवल भारतीय मूल्यों की पुनर्व्याख्या करता है, बल्कि आधुनिक

मानवाधिकार विमर्श को भी एक गहरे आध्यात्मिक और अनुभवपरक धरातल पर प्रस्तुत करता है।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार 2. भारतीय संस्कृति

3. अनुवाद और संस्कृति संवाद

4. स्त्री प्रतिनिधित्व 5. आत्मबोध

मूल शोध

हेरमन हेस्से का उपन्यास 'सिद्धार्थ' मानव आत्मा की खोज और भारतीय सांस्कृतिक-आध्यात्मिक मूल्यों का अद्भुत समावेश है, जिसका हिंदी अनुवाद भारतीय पाठकों को गहरे दार्शनिक एवं मानवाधिकारीय दृष्टिकोण से परिचित कराता है। "बीसवीं शताब्दी के जर्मन साहित्य में हेरमन हेस्से द्वारा रचित उपन्यास "Siddhartha: Eine Indische Dichtung" एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह रचना न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा का आख्यान है, बल्कि यह पूर्वी दर्शन-विशेषकर भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों तथा बौद्ध-हिंदू चिंतन पर आधारित एक गहन मनन है।" वर्ष 1922 में प्रकाशित यह उपन्यास एक ब्राह्मण युवक की आत्मिक खोज के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मबोध और जीवन के अंतिम सत्य की तलाश को दर्शाता है। ब्राह्मण पुत्र सिद्धार्थ की यह यात्रा केवल वैचारिक नहीं, अपितु अनुभवजन्य भी है, जिसमें वह सांसारिक सुख, ज्ञान और सन्यास के विविध रूपों से गुजरता है। जब इस रचना का हिंदी में अनुवाद हुआ, तो वह केवल भाषिक हस्तांतरण नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय समाज, मूल्य-व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रतीकों की पुनर्व्याख्या का भी अवसर बन गया। हिंदी अनुवाद ने इस उपन्यास को भारतीय पाठकों के लिए और अधिक प्रासंगिक बना दिया, जहाँ वे इसे भारतीय मूल्यों, सनातन जीवन-दृष्टि और समता जैसे मानवाधिकार सिद्धांतों के आलोक में देख सकते हैं। इस प्रकार, 'सिद्धार्थ' का हिंदी अनुवाद भारतीय पाठकों के लिए एक सेतु (Bridge) के रूप में कार्य करता है, जो पश्चिमी दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन

को समझने का एक माध्यम बनता है। यह न केवल भारतीय मूल्यों की पुनर्व्याख्या करता है, बल्कि मानवाधिकार अवधारणाओं को भी एक नवीन, आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करता है। अतः, इस शोधलेख का उद्देश्य है कि 'सिद्धार्थ' के हिंदी अनुवाद में अभिव्यक्त भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और मानवाधिकार अवधारणाओं का विश्लेषण किया जाए तथा यह देखा जाए कि अनुवाद के माध्यम से इन मूल्यों को किस प्रकार नया अर्थ प्राप्त होता है। इसके साथ-साथ यह भी अन्वेषण किया जाएगा कि मूल (Original) और अनूदित (Translated) संस्करणों के बीच व्याख्यात्मक अंतर कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं।

1. 'सिद्धार्थ' का साहित्यिक परिप्रेक्ष्य

1.1 उपन्यास का सार

हेरमन हेस्से का 'सिद्धार्थ' उपन्यास एक गहन आत्मिक और दार्शनिक यात्रा की कथा है, जो बीसवीं शताब्दी के पश्चिमी साहित्य में पूर्वी दर्शन की दुर्लभ प्रस्तुति के रूप में देखा जाता है। इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र सिद्धार्थ, एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक बुद्धिमान और जिज्ञासु युवक है, जो केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता। उसमें यह भावना गहराई से बैठी होती है कि जीवन के अंतिम सत्य को केवल शास्त्रों से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से ही जाना जा सकता है। इस असंतोष और ज्ञान की तीव्र आकांक्षा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ घर त्याग देता है और अपने मित्र गोविंद के साथ संन्यास की ओर बढ़ता है। प्रारंभ में वह संन्यासियों (श्रमणों) के साथ कठिन तप करता है, परन्तु यहाँ भी उसे वह समाधान नहीं मिलता, जिसकी वह तलाश कर रहा होता है। आगे चलकर वह गौतम बुद्ध से मिलता है और उनके विचारों से प्रभावित होता है, लेकिन वह उन्हें भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह मानता है कि ज्ञान को केवल किसी और के वचनों से नहीं, बल्कि आत्म-अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है।

इसके बाद सिद्धार्थ जीवन के एक बिल्कुल भिन्न

पक्ष- सांसारिक भोग और व्यापार की ओर बढ़ता है। वह एक नगरवधू कामाला के संपर्क में आता है, जिससे उसे प्रेम, काम और सांसारिक सुखों का अनुभव होता है। वह एक व्यापारी बनता है, धन संचय करता है और सांसारिक जीवन में लिप्त हो जाता है। किंतु यह जीवन भी उसे अंततः रिक्त और आत्मविस्मृति से भरा हुआ प्रतीत होता है। जीवन से निराश होकर वह आत्महत्या तक का विचार करता है, लेकिन एक नदी के किनारे उसे नवजागरण जैसा अनुभव होता है। यहीं उसकी भेंट होती है वासुदेव नामक एक साधारण नाविक से, जो प्रकृति और जीवन के रहस्यों का शांत दर्शक और ज्ञाता है। वासुदेव की संगति और नदी की मौन शिक्षाओं के माध्यम से सिद्धार्थ धीरे-धीरे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। जीवन का अंतिम चरण तब आता है, जब सिद्धार्थ पिता बनता है और उसके भीतर फिर से एक नया भावोद्वेलन जन्म लेता है। यह अनुभव उसे करुणा और त्याग का महत्त्व सिखाता है। अंततः वह अनुभव करता है कि आत्मज्ञान कोई निश्चित सिद्धि नहीं, बल्कि निरंतर जागरूकता और जीवन की प्रत्येक स्थिति को प्रेमपूर्वक स्वीकार करने की अवस्था है।

हेस्से की यह कृति स्पष्ट रूप से भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित है। इसमें प्रायः उपनिषदों की आत्मचिंतनशीलता, भगवद्गीता का कर्मयोग और ज्ञानयोग तथा बौद्ध दर्शन की करुणा और निर्वाण की अवधारणा का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। फिर भी, यह उपन्यास किसी एक धर्म या पंथ का प्रतिनिधित्व नहीं करता; यह सभी सीमाओं से परे एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक यात्रा को रूपांतरित करता है।

1.2 लेखक का दृष्टिकोण

‘सिद्धार्थ’ के रचनाकार हेरमन हेस्से जर्मनी में जन्मे एक प्रमुख साहित्यकार थे, जिन्होंने यूरोपीय परंपरा में रहकर भी पूर्वी दर्शन, विशेषकर भारतीय चिंतन, में गहरी रुचि दिखाई। हेस्से के जीवनकाल में यूरोप औद्योगिक

क्रांति, उपनिवेशवाद और प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से जूझ रहा था। इन सबके बीच एक गहरी आध्यात्मिक रिक्तता महसूस की जा रही थी। उन्होंने इस रिक्तता को भरने के लिए पश्चिमी जीवनशैली के बाहर, विशेष रूप से भारतीय दर्शन और बौद्ध विचारों की ओर रुख किया। वे भारत की आध्यात्मिकता से बहुत प्रभावित थे, जैसा कि वे स्वयं बताते हैं-“**बचपन से ही मैंने भारत के आध्यात्मिक पक्ष को उतनी ही गहराई से आत्मसात किया जितना कि ईसाई धर्म को।**”² हेस्से का मानना था कि पश्चिम की भौतिकवादी और बाह्य केंद्रित जीवन दृष्टि व्यक्ति को भीतर से खोखला कर रही है। इसके समाधान के रूप में उन्होंने पूर्वी परंपराओं की अंतर्मुखी जीवन दृष्टि को प्रस्तुत किया। ‘सिद्धार्थ’ में यही संघर्ष दिखता है- ‘सिद्धार्थ’ का पात्र बाहरी अनुशासनों और ज्ञान से उपर उठकर अंततः आत्मिक अनुभव की ओर बढ़ता है। “**इस उपन्यास में हेस्से ने पूर्व और पश्चिम के बीच एक संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है। वे यह नहीं कहते कि एक संस्कृति दूसरी से श्रेष्ठ है, बल्कि वे यह दर्शाते हैं कि मानव चेतना की यात्रा में दोनों परंपराओं के अनुभव महत्वपूर्ण हैं। ‘सिद्धार्थ’ इसी विचार का मूर्त रूप है, जहाँ भारतीय उपनिषद, बौद्ध ज्ञान और यूरोपीय आत्म-विश्लेषणात्मक पद्धति, सभी एक साथ गुँथे हुए प्रतीत होते हैं।**”³ इस प्रकार, हेस्से का दृष्टिकोण एक मानवतावादी, अनुभवपरक और संवादात्मक दृष्टिकोण है, जो पूर्वी दर्शन को केवल एक विषय के रूप में नहीं, बल्कि मानव आत्मा की सार्वभौमिक यात्रा के रूप में देखता है।

2. हिंदी अनुवाद और भारतीय मूल्यों की पुनर्व्याख्या

2.1 अनुवाद का कार्य : केवल भाषा नहीं, सांस्कृतिक स्थानांतरण

अनुवाद एक रचनात्मक प्रक्रिया है, जो केवल शब्दों का स्थानांतरण नहीं है, बल्कि संस्कृति, मूल्यों और भावनाओं का पुनर्निर्माण है। ‘सिद्धार्थ’ के हिंदी अनुवाद में अनुवादकों

ने भारतीय संदर्भों को जीवंत बनाने के लिए कई स्थानों पर भावात्मक और प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। इससे पाठक को यह भ्रम तक नहीं होता कि यह मूल रूप से एक जर्मन रचना है।

2.2 ब्राह्मणत्व और सन्यास की अवधारणा

हिंदी अनुवाद में ब्राह्मणत्व को केवल जातिगत पहचान नहीं, बल्कि आत्मिक ऊँचाई का प्रतीक बताया गया है। अनुवाद में 'ब्राह्मण' शब्द के साथ जुड़े संस्कार, पवित्रता और त्याग को प्रमुखता दी गई है। सिद्धार्थ के सन्यास को हिंदी पाठक की दृष्टि में 'संन्यासी परंपरा' की निरंतरता के रूप में देखा जाता है, जिससे वह अधिक जुड़ाव महसूस करता है।

2.3 "कामिनी और काम" का चित्रण

कामास्वाद और वासनाओं के अनुभव को हेस्से ने आध्यात्मिक विकास के चरण के रूप में चित्रित किया है। हिंदी अनुवाद में इन अनुभूतियों को एक 'जीवनधर्म' की तरह प्रस्तुत किया गया है। "कामिनी" शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए करते हुए, अनुवाद यह संकेत देता है कि यह आकर्षण अंततः माया है, जो मोक्ष के मार्ग में अवरोधक भी है और सहायक भी।

3. मानवाधिकार की अवधारणाएँ : एक दार्शनिक दृष्टि

उपन्यास 'सिद्धार्थ' केवल आत्मिक यात्रा का वृत्तांत नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा जैसे मूलभूत मानवाधिकारों की दार्शनिक पड़ताल भी करता है। हेस्से ने इन अवधारणाओं को केवल राजनीतिक या कानूनी ढाँचे में नहीं देखा, बल्कि उन्हें एक आध्यात्मिक और अनुभवपरक परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत किया। हिंदी अनुवादों में इन पहलुओं की भारतीय जीवन-दर्शन के साथ नई व्याख्या की गई है, जिससे ये विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं।

3.1 व्यक्ति की आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता

मनुष्य के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने जीवन के मार्ग का चुनाव स्वयं कर सके- यह आधुनिक मानवाधिकार चिंतन की बुनियादी अवधारणा है। 'सिद्धार्थ' में यह विचार नायक के निर्णयों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, विशेष रूप से जब वह अपने पिता का आदेश अस्वीकार कर घर छोड़ देता है। वह समाज की स्वीकृत धार्मिक मान्यताओं को पीछे छोड़ कर अपने अनुभव के माध्यम से सत्य को जानना चाहता है।

हिंदी अनुवादों में इस स्वतंत्रता को विशेष रूप से "स्वधर्म" के रूप में व्यक्त किया गया है। यह वैदिक और उपनिषदिक चिंतन से जुड़ी हुई अवधारणा है, जिसमें व्यक्ति को उसका कर्तव्य (धर्म) उसके स्वभाव (स्व) के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। यह भगवद्गीता के श्लोक- 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः'⁴ की पुनरुक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही किसी का स्वयं का धर्म कठिन या संकटपूर्ण हो, लेकिन दूसरों का धर्म अपनाने की अपेक्षा वह अधिक श्रेयस्कर होता है। यह विचार आधुनिक 'आत्मनिर्णय के अधिकार' (Right to Self-Determination) की वैचारिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

3.2 सामाजिक समानता और करुणा

"मानवाधिकार की दूसरी केंद्रीय अवधारणा है- सामाजिक समानता।"⁵ सिद्धार्थ की यात्रा का एक प्रमुख मोड़ तब आता है, जब वह वासुदेव, एक निषाद नाविक के साथ जीवन बिताता है। वासुदेव न तो ब्राह्मण है, न ही कोई ज्ञानी संत, फिर भी वह सिद्धार्थ का मार्गदर्शक बनता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान और मुक्ति किसी जाति, वर्ग या सामाजिक स्थिति का मोहताज नहीं है।

हिंदी अनुवाद इस पहलू को और भी सशक्त तरीके से प्रस्तुत करता है। भारतीय संदर्भ में, जहाँ जातिगत भेदभाव एक ऐतिहासिक सामाजिक समस्या रही है, वहाँ वासुदेव जैसे पात्र को 'गुरु' तुल्य स्थान देना एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध बन जाता है। यह इस बात को रेखांकित

करता है कि आत्मिक प्रगति के पथ पर सभी समान हैं और हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है- यह समता और करुणा के सार्वभौमिक मानवाधिकार सिद्धांत की पुष्टि करता है।

3.3 स्त्री की भूमिका : एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण

जहाँ 'सिद्धार्थ' उपन्यास में स्त्री पात्रों, विशेष रूप से कामाला की भूमिका को सकारात्मक और मार्गदर्शक रूप में चित्रित किया गया है, वहीं उनका चित्रण आत्मनिर्भर स्त्री की पूर्ण अवधारणा को नहीं दर्शाता। कामाला का चरित्र नायक को जीवन के काम और प्रेम पक्ष से परिचित कराता है, लेकिन वह अंततः एक माध्यम बनकर रह जाती है; एक ऐसे मार्ग की सुविधा, जो सिद्धार्थ को उसकी आत्मिक यात्रा में आगे ले जाता है।

हिंदी अनुवादों में भी इस पक्ष को लेकर रुढ़िगत दृष्टिकोण की झलक मिलती है। कामाला की भूमिका को संपूर्ण स्त्री चेतना के प्रतिनिधित्व की बजाय एक पुरुष-केंद्रित दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय सांस्कृतिक मानस में, विशेषतः हिंदी साहित्य में, स्त्री की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय को लेकर अभी भी पूरा विमर्श विकसित नहीं हुआ है। इसलिए यह खंड मानवाधिकार की लैंगिक समानता (Gender Equality) से संबंधित सोच को चुनौती देता है और इस बात की ओर संकेत करता है कि आध्यात्मिकता की सार्वभौमिकता में भी स्त्री की भूमिका को समकक्ष मानना आवश्यक है।

'सिद्धार्थ' उपन्यास मानवाधिकारों को कानूनी ढाँचे से हटकर आत्मिक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करता है, जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समता और करुणा और लैंगिक चेतना एक व्यापक मानवीय दर्शन का निर्माण करते हैं। हिंदी अनुवादों ने इन मूल्यों को भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से और अधिक गहराई दी है, किंतु स्त्री प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रों में अब भी आलोचनात्मक

पुनर्विचार की आवश्यकता बनी हुई है।

4. सांस्कृतिक अनुवाद की जटिलताएँ

4.1 बौद्ध और वेदांत के बीच संतुलन

हेस्से ने बुद्ध के दर्शन और वेदांत के तत्त्वों को मिश्रित किया है। हिंदी अनुवाद में कई बार इन दोनों विचारधाराओं के बीच स्पष्ट रेखा नहीं खिंच पाती। उदाहरण के लिए, सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध से मिलना और उन्हें अस्वीकार करना, बौद्ध विचारों की सीमाओं को दर्शाता है, जबकि हिंदी अनुवाद इसे अधिक वेदांतपरक ढंग से प्रस्तुत करता है।

4.2 "निर्वाण" और "मोक्ष" की भिन्नताएँ

"निर्वाण" एक बौद्ध अवधारणा है, जबकि "मोक्ष" हिंदू दर्शन से जुड़ी है। मूल उपन्यास में निर्वाण की ओर झुकाव अधिक है, लेकिन हिंदी अनुवाद में 'मोक्ष' का प्रयोग इसे भारतीय पाठक के लिए अधिक ग्राह्य बनाता है। यह बदलाव एक प्रकार की 'पुनर्व्याख्या' है, जो स्थानीय सांस्कृतिक स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए की गई है।

5.1 'सिद्धार्थ' आज के परिप्रेक्ष्य में

आधुनिक वैश्विक समाज एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है, जहाँ मनुष्य अपनी पहचान, नैतिकता और उद्देश्य को लेकर भ्रमित है। भौतिक उपलब्धियों की दौड़ में वह अपने आंतरिक अस्तित्व से दूर होता जा रहा है। इस संदर्भ में 'सिद्धार्थ' (Siddhartha: Eine Indische Dichtung) उपन्यास की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह उपन्यास आत्मबोध (Self-realization) की बात करता है, जो आज के मानसिक रूप से उलझे हुए मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है। सिद्धार्थ की यात्रा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव से भी प्राप्त होता है। यह उपन्यास आज के व्यक्ति को संतुलन (Balance), धैर्य और आध्यात्मिक विकास का रास्ता दिखाता है, जो तनाव, अवसाद और सामाजिक अलगाव जैसे आज के रोगों से लड़ने के लिए ज़रूरी है। अतः,

‘सिद्धार्थ’ आज के परिप्रेक्ष्य में केवल एक ऐतिहासिक या बौद्धिक कृति नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व के मूल प्रश्नों के उत्तर खोजने का एक साधन बन जाती है।

5.2 अनुवाद के प्रभाव

हिंदी अनुवाद ने इस उपन्यास को भारतीय पाठकों के लिए न केवल सुलभ बनाया, बल्कि इसे भारतीय सांस्कृतिक चेतना के निकट भी ले आया। इसके प्रभावों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

अनुवाद ने उपन्यास को पश्चिमी दृष्टिकोण से निकालकर भारतीय अनुभूति में ढाल दिया, जिससे पाठक इसे अपने अनुभव से जोड़ पाते हैं।

इससे यह सवाल उठता है कि क्या पश्चिम द्वारा देखी गई भारत की छवि, वास्तव में हमारे अपने अनुभव और दर्शन से मेल खाती है?

अनुवाद केवल भाषा परिवर्तन नहीं है, यह एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया है।

इसके माध्यम से हम यह देख पाते हैं कि कैसे भारतीय तत्त्व (जैसे: तप, सन्यास, ब्रह्म, आत्मा) पश्चिमी लेखन में नए अर्थों में प्रस्तुत होते हैं और फिर हिंदी में आने पर अपनी जड़ों से पुनः जुड़ जाते हैं।

5.3 निष्कर्ष

‘सिद्धार्थ’ का हिंदी अनुवाद केवल एक साहित्यिक कार्य नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और दार्शनिक घटना बन जाता है। इसके निष्कर्ष को निम्न बिंदुओं में समाहित किया जा सकता है:

यह अनुवाद भारतीय मूल्यों और दर्शन की पुनर्व्याख्या करता है, जिसमें ध्यान, आत्मा की खोज और मोक्ष की अवधारणा शामिल हैं।

यह उपन्यास मानवाधिकारों को केवल कानूनी और सामाजिक संदर्भों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक

दृष्टिकोण से भी देखने का अवसर देता है।

इससे यह प्रमाणित होता है कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि यह एक गंभीर दार्शनिक संवाद भी उत्पन्न कर सकता है।

जब कोई विदेशी रचना भारतीय संवेदना में ढलती है, तो वह न केवल पुनर्जन्म लेती है, बल्कि वह नए अर्थ, रंग और भाव भी प्राप्त करती है।

‘सिद्धार्थ’ और उसका हिंदी अनुवाद आज के युग में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संकट के समाधान की दिशा में एक प्रभावशाली मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि असली शिक्षा आत्म-अनुभव से आती है और यही विचार आज की उलझन भरी दुनिया में सबसे अधिक ज़रूरी है।



संदर्भ सूची

1. Hesse, Hermann. (1922). Siddhartha: Eine Indische Dichtung. P.15, 22, 49, S. Fischer Verlag
2. Zilkowaski, Theodore. (1965) The Novels of Hermann Hesse: A Study in Theme and Structure. p.147, New Jersey: Princeton University Press
3. Sankruti, P. (2021, January 15). The influence of Indian and Chinese philosophies in Hermann Hesse's Siddhartha. <https://pksankruti.medium.com/the-influence-of-indian-and-chinese-philosophies-in-hermann-hesses-siddhartha-and-the-glass-bead-d938ffd8307b>
4. श्रीमद्भगवद्गीता (संस्कृत-हिंदी अनुवाद, अध्याय 3, श्लोक 35, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 135)
5. Council of Europe. (n.d.). What are human rights? Manual for Human Rights Education (P.6). Council of Europe. Retrieved from Council of Europe website/ Marshall, T.H. (1950). Citizenship and Social Class: And Other Essays (pp.10-11). Cambridge: Cambridge University Press



अंकिता महापात्र

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
रमादेवी महिला विश्वविद्यालय
विद्याविहार
भुवनेश्वर-751022, ओड़िशा
संपर्क
ankitam555@gmail.com

शोध निर्देशिका

डॉ. वेदुला रामलक्ष्मी
(हिंदी विभाग)
रमादेवी महिला विश्वविद्यालय
भुवनेश्वर-751022, ओड़िशा

महेन्द्र मधुकर के 'कस्मै देवाय' उपन्यास में चित्रित मानवाधिकार

शोध सारांश

महेन्द्र मधुकर का उपन्यास 'कस्मै देवाय' 1940 के दशक के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया सामाजिक यथार्थ प्रतिबिंबित करता है। यह उपन्यास मुख्यतः मानवाधिकारों के ह्रास, धर्म के नाम पर विभाजन, सांप्रदायिक दंगों, विस्थापन और आर्थिक दरिद्रता पर केंद्रित है। बंग विभाजन के दौरान हिंदू-मुस्लिम संघर्ष, शरणार्थियों की दुर्दशा, मनुष्य के प्रति अमानवीय व्यवहार और सरकारी प्रशासन की नाकामी से उपजे मानवीय संकट को इस उपन्यास में प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया है। पात्र सुधीरचंद्र चक्रवर्ती का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज के विस्थापित वर्ग की वेदना का प्रतिनिधित्व करता है। उपन्यास यह उद्घाटित करता है कि कैसे सत्ता के लोभ में जातिवाद और धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दिया गया और आम जनता के संवेदनशील हृदय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। साहित्य के माध्यम से मानवता, समानता, समता और मानवीय गरिमा के महत्त्व को उजागर करते हुए यह उपन्यास सामाजिक चेतना का संदेश देता है। अंततः, यह कृति दिखाती है कि समुचित शिक्षा, मानवता का आधार और संवेदनशील दृष्टिकोण ही समाज के नैतिक पतन को रोक सकते हैं और एक शांतिपूर्ण, समानता पर आधारित विश्व की स्थापना संभव बना सकते हैं।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार
2. विस्थापन
3. सांप्रदायिक दंगे
4. बंग विभाजन
5. धर्म और जाति भेद
6. सामाजिक न्याय
7. आर्थिक दरिद्रता
8. राजनीतिक द्वेष
9. समता और समानता
10. सामाजिक चेतना

मूल शोध

मानवतावाद एक समग्र दृष्टिकोण है, जो मानव मात्र में आस्था रखता है और मानव गरिमा, मानवीय सम्मान तथा कल्याण की रक्षा को अपने मूल उद्देश्य के रूप में मानता है। यह विचारधारा मानती है कि मानव के हित के लिए आवश्यक सभी तत्त्व मानवतावाद में समाहित होते हैं। मानवतावाद का प्रमुख संदेश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति

के साथ उसकी मानवता के अनुरूप व्यवहार किया जाए। प्रकृति ने मनुष्य का सृजन करते समय उसे विशिष्ट मानवीय गुण प्रदान किए हैं, जो उसके समाज में स्थान सुनिश्चित करते हैं। यदि किसी मनुष्य के अंदर मानवीय गुणों के स्थान पर पशुवत व्यवहार विकसित हो जाए, तो उसे मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अतः मानवतावाद का प्रमुख सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीयता न की जाए और उसके भावनात्मक अधिकारों का संरक्षण किया जाए। मानवतावाद की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सभी प्राणियों में समानता की भावना का प्रसार करता है। इसके अनुसार प्रत्येक मानव को जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधाएँ— जैसे रोटी, कपड़ा, आवास आदि के साथ-साथ व्यक्तिगत आवश्यकता, अस्तित्व की पहचान और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के माध्यम से समाज में समता, स्वतंत्रता और न्याय का सशक्त आधार स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।

“विभिन्न युगों में साहित्यिक साधनाओं के मूल में कोई ना कोई व्यापक मानवीय विश्वास होता है। आधुनिक युग का यह व्यापक विश्वास मानवतावाद है। इसे मध्य युग के उस मानवतावाद में घुला नहीं देना चाहिए, जिसमें किसी न किसी रूप में अपने सर्वोत्तम लीलाओं का विस्तार नर रूप धारण करके ही करते हैं। नवीन मानवतावादी विश्वास की सबसे बड़ी बात है इसकी ऐहिक दृष्टि और मनुष्य के मूल्य और महत्त्व का मर्यादाबोध।”¹

आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा मानवतावाद के सच्चे अर्थों का प्रचार करने पर बल देते हुए यह बताते हैं कि—**“जो साहित्य मनुष्य द्वारा मनुष्य के उत्पीड़न को छिपता है, संस्कृति की झीनी बीनी चादर बनाकर उसे ढकना चाहता है, वह प्रचारक न देखते हुए भी प्रतिक्रियावाद का प्रचारक होता है।”²**

“मानव मूल्य द्वारा मानवतावाद, संसार का सुधार ही नहीं करना चाहता, उसे आदर्श भी बनना चाहता है।

विश्व प्रेम और विश्व मंगल की कामना भारतीय चिंतनधारा की मूल भावना है। आधुनिक काल में इसे मानवतावाद की संज्ञा प्रदान की गई किंतु इससे पूर्व यह भावना आदर्श मानव, विश्व कल्याण, लोक कल्याण, लोक हित, वसुधैव कुटुंबकम्, सार्वभौमिक एकता, सर्वात्म एक्य, पंचशील पालन, लोकसंग्रह, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय जैसी कल्याणपरक शब्दावलियों में अभिव्यक्त होती रही। इस प्रकार मानवतावाद एक अत्यंत व्यापक भावना है, जिसके लिए कोई लिखित विधान नहीं है किंतु यह अनुभूति, व्यवहार के आधार पर मानव के आदर्शों स्वतंत्रता, समता, गौरव, शांति, प्रेम, सहभाव, विश्वास के सहज गुणों द्वारा जीवन में व्याप्त है। इसमें कोई भी मत, संप्रदाय, धर्म, दर्शन बाधक नहीं हो सकता और उसका लक्ष्य एकमात्र यही है कि संसार के समस्त प्राणी सुखी रहें, सबका कल्याण हो, किसी को कोई कष्ट न हो और कोई भी दुःख का भागी ना बने।”³

मानव अधिकार की समुचित समझ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ‘मानव’ शब्द के व्युत्पत्ति एवं अर्थ का विश्लेषण आवश्यक है। संस्कृत भाषा में ‘मानव’ शब्द ‘मन’ धातु और ‘उ’ प्रत्यय से निर्मित है, जिसका तात्पर्य ‘मनु से उत्पन्न मनुष्य’ है। भारतीय परंपरा में यह विश्वास प्रचलित है कि समस्त मनुष्य मनु के वंशज हैं। अतः मानव शब्द का प्रयोग समस्त मनुष्यों के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इसी प्रकार, ‘अधिकार’ शब्द का निर्माण ‘अधि’ उपसर्ग एवं ‘कृ’ धातु से होता है, जिसमें निष्ठा प्रत्यय जुड़ने पर यह शब्द अनेकार्थी बनता है। अधिकार का अर्थ होता है कर्तव्य, सत्ता, प्रभुत्व, स्वामित्व आदि। आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था में मानव अधिकार को नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों को उनके जीवन, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु विशेष मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जो प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार माने जाते हैं। इन अधिकारों

का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना और समतामूलक समाज की स्थापना करना है।

मानव अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है, जिनका उपभोग प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात रूप से प्राप्त होता है। ये अधिकार मानव का स्वाभाविक और अविच्छिन्न हिस्सा हैं। प्रत्येक समाज एवं सभ्यता अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में इन अधिकारों को परिभाषित करते हैं और लागू करने हेतु विशिष्ट नियम बनाते हैं, जो सार्वभौमिक रूप से सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का प्राथमिक कर्तव्य होता है कि वह अपने संविधान और कानूनी व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे तथा उनके संरक्षण हेतु उपयुक्त कानून बनाए। मानव अधिकार अत्यंत विस्तृत अवधारणा है, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति, सुरक्षा, शिक्षा, नैतिकता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सामाजिक न्याय आदि सम्मिलित हैं। ये अधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकार माने जाते हैं, जिन्हें किसी भी स्थिति में उससे छीना नहीं जा सकता। तथापि आज भी विडंबना यह है कि अनेक स्थानों पर सामान्य मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और मनुष्य अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित रहता है। यह समाज और राष्ट्र की समग्र विफलता का द्योतक है, जो मानवता की मूल भावना के खिलाफ है। मानवाधिकारों की सशक्त पहचान और उनके प्रभावी संरक्षण के बिना समाज का न्यायसंगत विकास असंभव है।

महेंद्र मधुकर के उपन्यास 'कस्मै देवाय' की आधार भूमि बंग विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, तत्कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ और मानव मूल्यों का पतन है। यह रचना उन सामान्य लोगों की पीड़ा का चित्रण करती है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक उथल-पुथल के कारण अपने स्थापित निवास स्थान को छोड़, विस्थापित होकर कठिन जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं।

इस उपन्यास में लगभग 1940 के दशक की ऐतिहासिक घटनाओं का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया

गया है। उस समय विश्वभर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल का दौर चल रहा था, जहाँ शांति का कोई स्थायी स्थान नहीं था। लोगों के बीच मानवीय मूल्यों का क्षरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उपन्यास का एक पात्र उस्मान इस संदर्भ में कहता है—“पहली बात दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही है। सुना है अब जाकर शायद शांति स्थापित हो जाए। दूसरी बात 1942 के गांधीजी के आंदोलन का नारा 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' ने काफी हलचल मचाई थी। सोया हुआ समूचा देश पूरी तरह जाग उठा है और ऐसा लगने लगा है कि भारत की आज़ादी अब दूर नहीं रह गई है। तीसरी बात नेताजी सुभाषचंद्र बोस का प्रयत्न, जापान से गठजोड़ और अंग्रेजों से लोहा लेने वाली आज़ाद हिंद फौज भी आज़ादी का हमें भरोसा दिला रही है। चौथी बात कि मुस्लिम लीग की हलचल बढ़ गई है। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग देश चाहते हैं।”⁴ उपन्यास में इन सभी घटनाओं के सामाजिक-राजनैतिक प्रभाव तथा आम जनता पर पड़ने वाले विकट प्रभावों को व्यावस्थित और सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सांप्रदायिक दंगों और विभाजन की घटनाओं के प्रभावस्वरूप अधिकांश हिंदू सुरक्षित जीवन की खोज में भारत की ओर पलायन करने लगे। महेंद्र मधुकर के उपन्यास 'कस्मै देवाय' का नायक सुधीरचंद्र चक्रवर्ती भी अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनी जन्मभूमि छोड़कर भारत आने की तैयारी करता है। उस समय ढाका से बड़ी संख्या में हिंदू भारत की ओर चले गए। उपन्यास में उस दुःखद परिस्थिति का यथार्थ चित्रण इस प्रकार किया गया है—“भूख से बिलबिलाते छोटे बच्चे दूध के लिए रो रहे थे, पर ट्रेन, बस या और भी कोई साधन पकड़ने की ऐसी जल्दी मची थी कि माताओं को अपने शिशुओं को दूध पिलाने का समय नहीं था।”⁵ यह दृश्य विभाजन के त्रासद सामाजिक प्रभाव को प्रभावी रूप से चित्रित करता है।

सांप्रदायिक दंगों की विभीषिका में सब कुछ विनष्ट

हो जाता है। दंगों का प्रभाव न केवल व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि उसके आर्थिक अस्तित्व को भी भारी क्षति पहुँचाता है। इन घटनाओं में घरों और दुकानों को आग के हवाले करना, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन करवाना आदि गंभीर परिणामस्वरूप सामने आते हैं। केवल आम जनता ही नहीं, अपितु प्रशासनिक अधिकारी भी इन भयावह परिस्थितियों से सुरक्षित नहीं रह पाते। उपन्यास में सुधीरचंद्र चक्रवर्ती कलकत्ता पहुँचकर अपने चचेरे भाई सुशील के पास रहने लगता है, जो हावड़ा में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। उस समय का अनुभव साझा करते हुए हवलदार हरिबोल कहता है—“दंगाइयों ने मेरी खोली पर भी आक्रमण किया, मेरी पत्नी को घसीट कर ले गए, बलात्कार किया, अंग भंग कर लाश झाड़ी में फेंक दी और मेरे प्यारे तीन साल के बच्चे को तलवार से काटकर दो टुक कर दिया।”⁶ उक्त संवाद उपन्यास में सामाजिक विसंगतियों एवं मानवाधिकार हनन की व्यथा को यथार्थ रूप में उजागर करता है।

सुधीरचंद्र चक्रवर्ती कठिन परिश्रम और संघर्ष के बाद कलकत्ता से होमियोपैथी की पढ़ाई पूरी करता है। उसके बच्चे भी धीरे-धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन लगातार बनी गरीबी उनकी जीवनयात्रा का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। इसी बीच, उसके चचेरे भाई सुशील को नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है, जिससे उन्हें सरकारी क्वॉर्टर खाली करना पड़ता है। परिणामस्वरूप, सुधीर और उसका परिवार मजबूरीवश बिहार के रतनपुर कस्बे में अपने दूसरे चचेरे भाई सुनील चक्रवर्ती के पास जाकर रहने को विवश हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात् सुनील का गाँव में तबादला होने के कारण परिवार को पुनः घर खाली करना पड़ता है। यह अनवरत भटकाव सुधीर का पीछा नहीं छोड़ता। अंततः सुधीर एक स्थान पर रहने लगते हैं, जहाँ की मकान मालकिन ने उसे किराया मुक्त रहने की सहूलियत दी, जो उसके लिए एक महत्वपूर्ण सहायता बनती है। किंतु, मकान मालकिन के पुत्र ने सुधीर की पुत्री झरना के साथ

बदतमीज़ी की, जिसके फलस्वरूप दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ और उन्हें अपमानजनक शब्दों से बेइज़्जत किया गया—“तुम भिखमंगों की इतनी हिम्मत। तुम लोग दो पैसे के भी आदमी नहीं हो और तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरे घर में मुफ्त रहो और मुझ पर वार करो। तुम लोगों को अभी के अभी मेरा घर छोड़कर निकालना होगा।”⁷ यह प्रसंग उपन्यास में विस्थापित परिवार की सामाजिक उपेक्षा और मानसिक पीड़ा का सजीव चित्रण है।

उन्हें घर से जबरन निकाल दिया गया। इसके बाद उनके सामने एक अत्यंत कठिन स्थिति खड़ी हो गई थी कि वे अब कहाँ जाएँगे और कौन उन्हें आश्रय देगा। सड़क पर उनका बिखरा सामान, आधा पका हुआ भोजन ज़मीन पर पड़ा था और वे बेसहारा होकर एकत्र खड़े थे। लोग आते-जाते उन्हें घूर रहे थे, जिससे उनके मन में गहरा अपमान और शर्मिंदगी व्याप्त हो गई थी। उस समय चल रही आर्थिक मंदी के प्रभाव से उन्हें जीवनयापन के साधन भी प्राप्त नहीं हो पा रहे थे और इज़्ज़त की अनुभूति भी दूर-दूर तक नहीं थी। इसी विपरीत परिस्थितियों में शिक्षिका शांतिलता की दृष्टि उन पर पड़ी, जिन्होंने उनका दुःख देखा और उनके लिए अपने घर के समीप बने आउटहाउस में रहने का प्रबंध किया। यह आउटहाउस पहले गायों का आश्रय स्थल था, इसलिए वहाँ गोबर की गंध व्याप्त थी। विकल्पहीनता और मजबूरी में सुधीरचंद्र और उनका परिवार इस सहारे को स्वीकार करने को बाध्य हुए। किंतु यह भी अस्थायी आश्रय साबित हुआ और उन्हें वहाँ से भी निकल जाना पड़ा। इस प्रकार, उनका आवास बदलने का सिलसिला बार-बार चलता रहा, जिससे उनके जीवन में अनिश्चितता, असुरक्षा और पीड़ा लगातार बनी रही।

उपन्यास में सुधीर की पत्नी सुजाता को एक स्वाभिमानी महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने विपरीत परिस्थितियों के पश्चात कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। सुधीरचंद्र ने अत्यंत कठिनाइयों के बावजूद अपने तीन पुत्र— शशांक, मानिक, बूढ़ा और एक पुत्री

झरना की पढ़ाई-लिखाई तथा पालन-पोषण का दायित्व निभाया। इन बच्चों ने अपने बचपन से ही केवल अभाव और दरिद्रता के अनुभव किए। बड़ा पुत्र सुशांत एक नौकरी कर रहा था, जबकि मानिक पढ़ाई में संलग्न था। कुछ दिनों से मानिक की संगति संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, जिसे देखकर सुधीर ने गंभीरता से चिंता व्यक्त करते हुए कहा-“**एक गरीब और संघर्षशील परिवार के एक होनहार बच्चे को मनमानी करने का हक नहीं होता। उसे तो सिर्फ श्रम करना है, ये बच्चे परिवार के स्तंभ हैं। एक भी स्तंभ गिरा तो मज़बूत मकान की कल्पना नहीं की जा सकती।**”⁸ यह संवाद उपन्यास में पारिवारिक दायित्व, संघर्षशीलता और सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव को प्रभावशाली ढंग से दर्शाता है।

उपन्यास में झरना को एक शिक्षिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो स्कूल में पढ़ाने के साथ-साथ घर के सारे कार्य भी संभालती है। परिवार की गंभीर आर्थिक किल्लत के कारण उसकी शादी तक लंबित रह गई थी। अंततः झरना की शादी 35 वर्ष की उम्र में एक विधुर पुरुष से संपन्न हुई। उपन्यास में वह एक संयत और विवेकशील कन्या के रूप में उभरी है, जिसने अपने घर की कठिन परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ लिया था। अपने हालात के प्रति झरना कहती है-“**तुम्हारी यह बेटी झुंडू पैंतीस साल की झुंडू ने होश सम्हालते ही बर्तन मांजती, नल से पानी भरती आ रही थी, थोड़ी बड़ी हुई तो रसोई की सारी ज़िम्मेदारी संभालने लगी, तुम्हारे घर एकवस्त्र हो कर रही माँ।**”⁹

झरना अपने भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति के पश्चात अपनी दरिद्रता पर व्यंग्य करते हुए कहती है-“**कहाँ तो तबेले की गोबर की गंध, किराए के घर से निकाले जाने के कारण खुली सड़क पर उसके घर का बिखरा सामान, अध बंधा खाना और कहाँ यह स्वर्गीय सुख।**”¹⁰ इस प्रकार, उसने ऐशो-आराम की ज़िदगी में प्रवेश पाकर अपने माता-पिता की कठिनाइयों को भुला दिया।

एक विशेष प्रसंग में सुधीर ने अपने घर पर किसी को भोजन के लिए आमंत्रित किया था, किंतु घर में आटा-दाल तक नहीं थी। किराने वाले से उधार लेने गए तो पिछली उधारी बाकी होने के कारण तीन घंटे की प्रतीक्षा के बाद ही आवश्यक सामग्री प्राप्त हो सकी। यह परिस्थिति सुधीर परिवार की दयनीय सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उजागर करती है।

अतः उपन्यास ‘कस्मै देवाय’ में व्यक्त कठिनाइयाँ, संघर्ष और विस्थापन केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उस समय की व्यापक सामाजिक-आर्थिक और सांप्रदायिक विडंबनाओं का प्रभावी प्रतिबिंब है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानवीय गरिमा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के बिना समाज का संतुलन और विकास असंभव है। उपन्यास इस सच्चाई को रेखांकित करता है कि जब तक सामाजिक संवेदनशीलता और मानवतावाद के मूल्य स्थापित नहीं होंगे, तब तक जन साधारण अत्याचार, उपेक्षा और असमानता के साथ संघर्ष करती रहेगी।

निष्कर्ष

महेंद्र मधुकर का उपन्यास ‘कस्मै देवाय’ समाज के विस्थापित वर्ग की वेदना, संघर्ष और मानवाधिकारों के ह्रास का मार्मिक प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। इस कृति के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक द्वेष और आर्थिक दरिद्रता ने किस प्रकार समाज के नैतिक मूल्यों और मानव गरिमा को क्षतिग्रस्त किया। सुधीरचंद्र चक्रवर्ती, सुजाता, झरना जैसे पात्र केवल व्यक्तिगत संघर्ष का प्रतीक नहीं, बल्कि उस समय के लाखों विस्थापित परिवारों की सामूहिक पीड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मजबूरी, असुरक्षा और सामाजिक उपेक्षा पाठक के हृदय में गहरी संवेदना उत्पन्न करती है।

उपन्यास यह संदेश भी देता है कि मानवाधिकार केवल लिखित दस्तावेज़ नहीं, बल्कि हर मनुष्य को समान गरिमा, सुरक्षा, स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण जीवन जीने का

प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। जब तक समाज में सहिष्णुता, समता और मानवतावादी दृष्टिकोण को स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक आम जनता अत्याचार और उपेक्षा के चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगी।

यह रचना समाज को यह चेतावनी भी देती है कि मानवीय मूल्यों का पतन रोकने हेतु सामाजिक संवेदनशीलता, सशक्त शिक्षा और न्यायपूर्ण प्रशासन अत्यावश्यक हैं। इसी प्रकार की चेतना से समाज में समानता, सह-अस्तित्व और मानव कल्याण की नींव सुदृढ़ हो सकती है।



संदर्भ सूची

1. हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार और वितर्क, तवशशीला प्रकाशन, प्रथम संस्करण- 2012, पृष्ठ सं- 90
2. राम विलास शर्मा, भाषा और समाज, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पांचवा संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 55
3. डॉ. अमरनाथ, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, छठा संस्करण- 2020, पृष्ठ सं- 277
4. महेन्द्र मधुकर, कस्मै देवाय, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण- 2020, पृष्ठ सं- 33, 34
5. महेन्द्र मधुकर, कस्मै देवाय, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण- 2020, पृष्ठ सं- 36
6. महेन्द्र मधुकर, कस्मै देवाय, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण- 2020, पृष्ठ सं- 53
7. महेन्द्र मधुकर, कस्मै देवाय, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण- 2020, पृष्ठ सं- 122
8. महेन्द्र मधुकर, कस्मै देवाय, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण- 2020, पृष्ठ सं- 135
9. महेन्द्र मधुकर, कस्मै देवाय, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण- 2020, पृष्ठ सं-149
10. महेन्द्र मधुकर, कस्मै देवाय, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण- 2020, पृष्ठ सं-144



डॉ. विजय लक्ष्मी

असिस्टेंट प्रोफेसर व
विभागाध्यक्ष (हिंदी विभाग)
श्रीराम सिंह धौनी राजकीय
महाविद्यालय
जैती, अल्मोड़ा-263626
उत्तराखण्ड
संपर्क
devlaxmi1984@gmail.com

फणीश्वरनाथ रेणु के कथा-साहित्य में स्त्री- जीवन एवं मानवाधिकार

शोध सारांश

फणीश्वरनाथ रेणु आधुनिक हिंदी साहित्य के एक ऐसे सशक्त रचनाकार हैं, जिन्होंने भारतीय ग्रामीण जनजीवन, उसकी संस्कृति, समस्याएँ और संवेदनाएँ, साहित्य में अत्यंत सजीव रूप से प्रस्तुत कीं। उनकी लेखन शैली में आंचलिकता, लोकभाषा, लोककथाओं और बोलचाल के मुहावरों का अनूठा प्रयोग देखने को मिलता है, जिसके कारण उनकी रचनाएँ जीवन का वास्तविक दस्तावेज़ प्रतीत होती हैं। रेणु के उपन्यास 'मैला आँचल' और 'परती परिकथा' सहित उनकी अन्य कहानियाँ भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का यथार्थपूर्ण चित्रण करती हैं। विशेष रूप से स्त्री जीवन की पीड़ा, संघर्ष और शोषण की अभिव्यक्ति उनके साहित्य का केंद्रीय पक्ष है। उन्होंने स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता, सामाजिक असमानता और पितृसत्तात्मक संरचना के प्रभाव को गहराई से उजागर किया। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा और जागरूकता को स्त्री सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना। उनके शिक्षित स्त्री पात्र जैसे ममता श्रीवास्तव, बेला गुप्त और मलारी अपने व्यक्तित्व और चेतना के बल पर परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करती हैं।

रेणु का साहित्य न केवल भारतीय समाज के स्त्री-विमर्श को गहनता प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदना की दिशा में भी सार्थक योगदान करता है। इस प्रकार, रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिकता और स्त्री सशक्तिकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रवक्ता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। इस शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि रेणु का साहित्य स्त्री की संघर्षशील चेतना और मानवाधिकारों के प्रश्नों को किस प्रकार हिंदी कथा-साहित्य के केंद्र में स्थापित करता है। इस परिप्रेक्ष्य में उनकी रचनाएँ न केवल स्त्री की सामाजिक स्थिति और उसके अंतर्विरोधों को सामने लाती हैं, बल्कि समकालीन साहित्य में स्त्री-विमर्श की दिशा और स्वरूप को समझने के लिए एक ठोस आधार भी प्रदान करती हैं।

बीज शब्द

1. फणीश्वरनाथ रेणु 2. आंचलिकता
3. ग्रामीण जनजीवन 4. स्त्री-सशक्तिकरण
5. स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा-साहित्य
6. पितृसत्तात्मक समाज 7. सामाजिक न्याय
8. शिक्षा और चेतना 9. यथार्थवाद

मूल शोध

फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी कथा-साहित्य में उन विरल रचनाकारों में गिने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय समाज, विशेषतः ग्रामीण जीवन की जटिलताओं और संवेदनाओं को साहित्य के केंद्र में स्थापित किया। वे केवल एक कथाकार या उपन्यासकार नहीं, बल्कि लोकजीवन के इतिहासकार भी प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी रचनाओं में ग्रामीण संस्कृति, भाषिक विविधता और मानवीय संघर्षों का अत्यंत प्रामाणिक चित्रण देखने को मिलता है। बीसवीं सदी का मध्य वह संक्रमणकाल था, जब स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा-साहित्य नए आयामों की तलाश में था। इसी दौर की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने फणीश्वरनाथ रेणु की दृष्टि और उनकी रचनात्मकता को विशेष रूप से गढ़ा। स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात ग्राम-समाज में आए पुनर्विन्यास, बदलती सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक गतिशीलता ने उनके साहित्य को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने लोकभाषाओं, कहावतों और आंचलिक संवेदनाओं को यथार्थवादी कथ्य के साथ साधकर एक विशिष्ट कथा-दृष्टि विकसित की। इस प्रकार रेणु की कृतियाँ न केवल कथा-साहित्य के रूप में, बल्कि भारतीय समाज के सामूहिक अनुभव और स्मृति के जीवंत दस्तावेज़ के रूप में भी देखी जाती हैं।

उनके साहित्यिक सफर की शुरुआत रेखाचित्र, रिपोर्टाज और कहानियों से हुई, किंतु उपन्यास विधा में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी उपन्यास को नई संवेदना और नई दृष्टि प्रदान की। उनकी रचनाएँ केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि

समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक यथार्थ का प्रामाणिक अभिलेख हैं। रेणु ने ग्रामीण जनजीवन की सूक्ष्मतरंग बारीकियों को इस तरह उकेरा कि वे महज़ कथा न रहकर जीवन की वास्तविक अनुभूति बन जाती हैं। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त संस्मरण, निबंध और रिपोर्टाज जैसे गद्य-विधाओं में भी उन्होंने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रकार वे हिंदी साहित्य में आंचलिकता और जनजीवन के यथार्थ चित्रण के सबसे बड़े संवाहक और प्रतिनिधि लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिले (तत्कालीन पूर्णिया जिले) के फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गाँव में हुआ था। रेणु की प्रारंभिक शिक्षा अररिया में हुई। पारिवारिक पृष्ठभूमि से उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की चेतना सहज ही प्राप्त हुई, क्योंकि उनके पिता अपने क्षेत्र के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक थे। बचपन से ही रेणु ने स्वराज आंदोलन को निकट से देखा और अनुभव किया। यही कारण था कि स्वतंत्रता संग्राम की भावनाएँ उनके हृदय में गहराई से अंकित हो गईं और उनमें स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने की प्रबल इच्छा जागृत हुई।

रेणु केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने नेपाल क्रांति में भी सक्रिय भागीदारी की। इस संघर्षशील जीवन के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा, जहाँ उन्होंने पुलिस द्वारा दिए गए शारीरिक और मानसिक कष्टों को साहसपूर्वक सहा। इन संघर्षों ने उनके व्यक्तित्व और लेखन दोनों को गहराई प्रदान की। उनकी रचनाओं में ग्रामीण जनजीवन की जो संवेदनाएँ दिखाई देती हैं, वे केवल साहित्यिक कल्पना का परिणाम नहीं, बल्कि उनके अपने संघर्ष और अनुभवों से जन्मी हुई यथार्थपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं। इसी कारण उनकी कहानियाँ और उपन्यास जनसामान्य की जीवन-यात्रा के सजीव दस्तावेज़ प्रतीत होते हैं और पाठक को सीधे उनके लोकजीवन के अनुभव से जोड़ते हैं।

पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, नदी-तालाब, खेत-खलिहान और तीज-त्योहार जैसे तत्त्व फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों की आंचलिक पृष्ठभूमि को और अधिक सजीव तथा जीवंत बना देते हैं। उनके अंचल भले ही भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से छोटे प्रतीत होते हों, किंतु उनकी गहनता राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना तक का विस्तार करती है। रेणु की कथाओं में न गाँव अधूरा है, न जनजीवन। दोनों को ही वे संपूर्णता के साथ चित्रित करते हैं। ग्रामीण परिवेश और उसकी प्रकृति के बीच ही उनका अपना जीवन व्यतीत हुआ, जिसके कारण उनका साहित्य लोकजीवन का आत्मीय दस्तावेज़ बन सका।

उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'मैला आंचल' और 'परती परिकथा' की भाँति उनकी कहानियों में भी स्वतंत्रता-उपरांत भारतीय स्त्री की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति तथा उसकी चेतना में आए परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। रेणु की रचनाओं में शोषित और प्रताड़ित स्त्री के विविध रूप सामने आते हैं, चाहे वह उच्च, मध्यम या निम्न वर्ग की ही क्यों न हो। उन्होंने स्त्रियों को परंपरा और संस्कृति के साथ-साथ सामाजिक यथार्थ के धरातल पर चित्रित किया है। उस समय शिक्षा का प्रचलन सीमित था, जिसके कारण स्त्रियाँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर ही निर्भर रहती थीं। यही निर्भरता उनकी असमान स्थिति का कारण भी बनी। रेणु ने इस पीड़ा और संघर्ष को अपनी कहानियों में इतनी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया कि वे केवल कथा का हिस्सा न रहकर समाज की ज्वलंत समस्याओं की पहचान बन गईं। उनके साहित्य में स्त्रियों की यह पीड़ा एक व्यापक मानवीय विमर्श का रूप धारण कर लेती है।

रेणु प्रगतिशील विचारक एवं कथाकार हैं, जिनकी कहानियों में अंचल की इन स्त्रियों की सामाजिक दशा, आर्थिक पराधीनता, अशिक्षा और पितृसत्तात्मक समाज की सामान्तवादी सोच के कारण होने वाले उनके शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न को भली प्रकार देखा जा सकता है। रचनाकार आशीष त्रिपाठी ने अपने एक आलेख में लिखा

है-“रेणु भारतीय गाँव के अनोखे और सच्चे कथाकार हैं। प्रेमचंद की तरह प्रामाणिक। रेणु को प्रेमचंद और शरतचंद्र के बीच कहीं रखा जा सकता है। रेणु में प्रेमचंद की तरह ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को पकड़ने और शरत की तरह मानवीय स्थितियों और स्त्री-पुरुष संबंधों की जटिलताओं को पहचानने की कोशिश दिखलाई देती है। रेणु की कहानियाँ मुख्यतः मानव संबंधों की कहानियाँ हैं।”¹

रेणु की रचनाओं में ग्रामीण स्त्री का जो स्वरूप हमारे सामने आता है, वह ग्रामीण दिनचर्या का हिस्सा बनकर आता है। वहाँ हमें कहीं भी अधिकारों के प्रति कोई सजगता नहीं दिखाई देती। वहाँ स्त्री सिर्फ एक ही भाव को लिये हुए दिखती है और वह है शरीर तथा मन का भाव। आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों में भी स्त्री के प्रति परंपरागत सामंती मानसिकता में बदलाव नहीं आया था। ग्रामीण नारी चाहे वह किसी समाज और वर्ग की हो, परंपरागत मान्यताओं से बंधकर परिवार, जाति-बिरादरी और समाज में हर जगह शोषण और अन्याय का दंश झेल रही थी। प्रसिद्ध समकालीन लेखिका अनामिका के अनुसार-“स्त्री समाज एक ऐसा समाज है, जो वर्ग, नस्ल, राष्ट्र आदि संकुचित सीमाओं के पार जाता है और जहाँ कहीं दमन है, चाहे जिस वर्ग, जिस नस्ल की स्त्री त्रस्त है, वह उसे अपने परचम के नीचे लेता है।”²

ग्रामांचल परिवेश में जन्मे रेणु, समाज में स्त्रियों की दीन-हीन दशा से पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने ग्रामीण जीवन के साथ-साथ शहरी जीवन को आधार बनाकर भी कुछ कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें उनकी प्रमुख कहानियाँ 'लाल पान की बेगम', 'संवदिया', 'रसप्रिया', 'नैना जोगिन', 'पंचलाइट', 'तीसरी कसम' आदि कहानियाँ ग्राम्य जीवन पर ही आधारित हैं।

प्रख्यात रचनाकार सच्चिदानंद हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' ने फणीश्वरनाथ रेणु के लिए अपनी बात कहते हुए लिखा है-“कितनी वैविध्य भरी, कितनी समृद्ध और कितनी खरी थी यह दुनिया- जिसे वह कितने निरायास

ढंग से सामने मुक्त कर देते थे- कैसी निरायास लेकिन कितनी अचूक और दृढ़ थी उनकी पकड़। साई बाबा लोग सुना है हवा से चुटकी भर भभूत ले आते हैं, पर हर बार वही भभूत तो आती है। और रेणु थे कि हर बार हवा में हाथ बढ़ाते थे और पकड़ लाते थे एक नया अभूतपूर्व पंछी... और ऐसा पंछी जिसे देखकर हम कहें कि-“इसे हमने पहले कभी नहीं देखा” लेकिन पहचानें कि “अरे! इसे तो रोज़ देखते हैं।”³

‘लाल पान की बेगम’ कहानी में बिरजू की माँ एक आधुनिक और प्रगतिशील विचारों वाली ग्रामीण सशक्त महिला है, जिसके असंख्य दबे सपने हैं। इस कहानी में बिरजू की माँ को यह लगता है कि उसके पति ने पूरा जीवन कठिन परिश्रम करके गुज़ारा, लेकिन उसे कभी भी खुशी नहीं दी इसलिए वह अपने जीवन को अपनी इच्छा और अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। “बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता है। चढ़ता ही जाता है।...बिरजू की माँ का भाग ही ख़राब है, जो ऐसा गोबरगणेश घरवाला उसे मिला। कौन-सा सौख-मौज दिया है उसके मर्द ने कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ, कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने।...”⁴

हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा ने स्त्री अधिकारों की बात करते हुए वर्ष 1933 में लिखे एक निबंध में कहा है-“हमें न किसी पर जय चाहिए, न किसी से पराजय; न किसी पर प्रभुता चाहिए, न किसी का प्रभुत्व। केवल अपना वह स्थान, वह स्वत्व चाहिए, जिसका पुरुषों के निकट कोई उपयोग नहीं है, परंतु जिनके बिना हम समाज का उपयोगी अंग बन नहीं सकेंगी।”⁵

रेणु की कहानी ‘संवदिया’ अत्यंत ही मर्मस्पर्शी और यथार्थ रूप में लिखी गई कहानी है, जिसमें गाँव की बड़ी हवेली की बड़ी बहू अपने पति की मृत्यु और बंटवारे के बाद अब हवेली में अकेली रह जाती है। आर्थिक अभाव में जैसे-तैसे वह अपना जीवन गुज़ारती है। लेकिन फिर भी वह अपनी नैतिकता, मूल्यों और संवेदनशीलता से

समझौता नहीं करती है। जीवन में संघर्ष के कुछ क्षणों में असहाय पड़ जाने पर भी वह अपनी दयनीय स्थिति से मुक्ति के लिए संवदिया के मार्ग के सहारे अपने मायके संदेश भिजवाती है-“और कितना कड़ा करूँ दिल? माँ से कहना- मैं भाई-भाभियों की नौकरी करके पेट पाल लूँगी। बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूँगी.... कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएँगी, तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बान्धकर पोखरे में डूब मरूँगी। बथुआ साग खाकर कब तक जियूँ, किसलिए.... किसके लिए?”⁶

सन् 1964 में प्रकाशित फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास ‘दीर्घतपा’ वर्किंग वीमेंस हॉस्टल में रहने वाली युवतियों के जीवन-संघर्ष पर केंद्रित है। इस उपन्यास में बेला जैसी नारी पात्रों के माध्यम से उस समय के समाज में व्याप्त अनाचार, भ्रष्टाचार और स्त्री-शोषण के विरुद्ध उठती प्रतिरोधी चेतना को चित्रित किया गया है। ‘दीर्घतपा’ एक लघु उपन्यास होते हुए भी व्यापक सामाजिक सच्चाइयों को उद्घाटित करता है और यह दिखाता है कि किस प्रकार शहरी और ग्राम्य दोनों ही संदर्भों में स्त्री-शोषण की प्रवृत्तियाँ विद्यमान थीं। इस कृति में पूँजीवादी व्यवस्था की विसंगतियों, नैतिक मूल्यों के ह्रास और स्त्री-जीवन पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव का सशक्त विश्लेषण मिलता है। साथ ही, उपन्यास में आंचलिक परिवेश की झलक भी इस तरह समाहित है कि यह स्त्री-विमर्श को सामाजिक यथार्थ के साथ जोड़कर देखने की दृष्टि प्रदान करता है।

रेणु ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में स्त्री समस्याओं को केवल उजागर ही नहीं किया, बल्कि स्त्रियों के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की वकालत भी की है। उनके साहित्य में सामाजिक न्याय, जाति, वर्ग और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे प्रश्नों को भी अत्यंत संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ स्थान मिला है। उन्होंने विशेष रूप से यह इंगित किया कि ग्रामीण स्त्रियाँ प्रायः अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होतीं और शोषण को

अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेती हैं। इस संदर्भ में रेणु का मानना है कि स्त्रियों के लिए शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा ही उन्हें जागरूकता और आत्मसजगता की दिशा में अग्रसर करती है। यही कारण है कि उनके उपन्यासों में चित्रित शिक्षित एवं शहरी स्त्री पात्र-ममता श्रीवास्तव, बेला गुप्त, मलारी आदि के व्यक्तित्व शिक्षा के प्रभाव से अधिक चेतनाशील बनते हैं और वे अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने के लिए सक्रिय कदम उठाती हैं। “रेणु स्त्री के उस यथार्थ का अवलोकन कर रहे थे, जो स्त्री के धरातल से जुड़ा था। उनके उपन्यासों में स्त्री की विकृत परिस्थितियों का ज्यों-का-त्यों चित्रण है, जो किसी भी समाज की स्त्री का सच हो सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि स्त्री अपने अधिकारों, स्वतन्त्रता एवं सामाजिक समानता और सम्मान के मुद्दों पर तभी विचार कर सकती है, जब वह मानसिक रूप से स्वतन्त्र एवं जागरूक हो। अधिकांश स्त्रियों को यह तक नहीं पता होता है कि उनकी स्वतन्त्रता उनकी नियति बदल सकती है। इसके लिए रेणु ने स्त्री का स्वयं परिस्थितियों के प्रति जागरूक एवं सजग होने को प्राथमिकता दी है। इसके लिए स्त्री का शिक्षित होना अनिवार्य माना गया है। उनके शिक्षित और शहरी स्त्री पात्रों जैसे ममता श्रीवास्तव, बेलागुप्त, मलारी आदि शिक्षा के कारण ही चेतनाशील होती हैं और अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास भी करती हैं। फिर भी रेणु भारतीय समाज को स्त्री शोषण की संस्था के रूप में देखते हैं।”⁷

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु गांधीवादी, समाजवादी, मानवतावादी से एक कदम बढ़कर तथा जनमानस को सदैव प्रेरणा देने वाले एक कुशल लेखक थे। अपने पथ पर ईमानदारी के साथ कर्म करते हुए हमेशा पीड़ित एवं असहाय व्यक्ति ही उन्हें दिखलाई पड़ते थे। उनके हृदय में असीम करुणा और संवेदना थी। स्वतन्त्रता के बाद की स्थितियों को उन्होंने बहुत पास से देखा था। आंचलिकता के प्रभाव में ग्रामीण स्त्री संपूर्ण

सक्रियता के साथ उभरकर आई थी। रेणु ने ग्रामीण स्त्री के जीवन के अनुभव को जैसे देखा तथा समझा वैसा ही अनुभव उन्होंने अपने साहित्य में रचित कर सबके समक्ष यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि स्त्री उद्धार, समानता और स्वतन्त्रता भारतीय समाज के किस वर्ग की स्त्री के लिए है। स्त्री मन की पीड़ा और गहराई को रेणु ने जितना अधिक समझा है शायद ही कोई अन्य लेखक समझ पाया हो।

साथ ही, रेणु ने केवल ग्रामीण स्त्रियों की व्यथा ही नहीं दिखाई, बल्कि उनके भीतर छिपी संभावनाओं और आत्मशक्ति को भी पहचाना। उन्होंने यह स्थापित किया कि शिक्षा और जागरूकता स्त्री को नई दिशा देती है और उसे समाज में अपनी भूमिका को परिभाषित करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। उनके साहित्य में स्त्री केवल करुणा की प्रतीक नहीं, बल्कि परिवर्तन की वाहक भी है। इसी दृष्टि से रेणु का साहित्य स्त्री-सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही बनी हुई है।



संदर्भ सूची

1. कथादेश, रेणु जन्म-शती, वर्ष-38, अंक-07, फरवरी- 2021, पृष्ठ सं- 78
2. अनामिका, स्त्रीत्व का मानचित्र, सारांश प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण- 1999, पृष्ठ सं- 15
3. https://www.publicationsdivision.nic.in/journals/Journalarchives/Ajka1/Ajka1-Hindi/1983/May/Ajka1_1983_May_pdf.pdf
4. संपादक : भीष्म साहनी, हिन्दी कहानी संग्रह, ‘लाल पान की बेगम’, फणीश्वरनाथ रेणु, साहित्य अकादेमी, नयी दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 28
5. <https://www.patrika.com/opinion/woman-needs-her-identity-in-society-6972452>
6. फणीश्वरनाथ रेणु, मेरी कहानियाँ, राजपाल एंड संस, दिल्ली, संस्करण- 2009, पृष्ठ सं- 69
7. शोध आलेख-फणीश्वरनाथ रेणु के कथा-साहित्य में नारी का मनोवैज्ञानिक चित्रण- डॉ. संतोष विश्नोई https://www.apnimaati.com/2022/06/blog-post_1.html



डॉ. श्वेत प्रकाश

सहायक प्राध्यापक
(हिंदी विभाग)
महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय
बक्सर-802101, बिहार
संपर्क
drsprakash0@gmail.com

साहित्य का दर्पण: मानवाधिकारों की संवेदना और संघर्ष का चित्रण

शोध सारांश

साहित्य और मानवाधिकारों के बीच गहरा और अर्थपूर्ण संबंध मौजूद है। साहित्य समाज का दर्पण है, जो सामाजिक सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करता है, मानवाधिकारों-जैसे स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के उल्लंघन को उजागर करता है और उनके संरक्षण के लिए शक्तिशाली आवाज़ बनता है। साहित्य का ऐतिहासिक विकास प्राचीन महाकाव्यों जैसे 'महाभारत' और 'रामायण' से शुरू होकर मध्यकालीन भक्ति साहित्य, जैसे कबीर के दोहे और आधुनिक युग में मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं तक विस्तृत है। साहित्य के विभिन्न रूपों- कविता, उपन्यास और नाटक में मानवाधिकारों का चित्रण गहनता से किया गया है। कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान और फैज़ अहमद फैज़ की रचनाएँ, उपन्यास में रवींद्रनाथ टैगोर और भालचंद्र नेमाडे की कृतियाँ तथा नाटक में मोहन राकेश और विजय तेंदुलकर का साहित्य, मानवाधिकारों की संवेदना को जीवंत करते हैं। समकालीन साहित्य में अरुंधति रॉय और महाश्वेता देवी की रचनाएँ, साथ ही डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर मीटू और सीएए विरोध जैसे आंदोलनों से उत्पन्न साहित्य, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। साहित्य सामाजिक परिवर्तन में योगदान देता है, जैसे हेरिएट बीचर स्टो की 'अंकल टॉम्स केबिन' ने गुलामी के खिलाफ आंदोलन को प्रेरित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कविताओं ने जनमानस को जागृत किया। साहित्य को मानवता के लिए नैतिक कम्पास और मानवाधिकारों का हथियार माना जाता है, जो डिजिटल तकनीकों के साथ भविष्य में और प्रभावी हो सकता है।

बीज शब्द

1. साहित्य 2. मानवाधिकार 3. संवेदना 4. संघर्ष 5. कविता 6. उपन्यास
7. नाटक 8. समकालीन साहित्य 9. डिजिटल युग 10. नैतिक कम्पास

मूल शोध

साहित्य मानव जीवन का दर्पण है, जो समाज की सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करता है और उसकी कमियों, अन्यायों और आकांक्षाओं को उजागर करता है।

मानवाधिकार, जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात स्वतंत्रता, समानता और गरिमा प्रदान करते हैं, साहित्य के विभिन्न रूपों में गहरे तक समाहित हैं। प्राचीन महाकाव्यों से लेकर समकालीन डिजिटल रचनाओं तक, साहित्य मानवाधिकारों के उल्लंघन को चित्रित करता है और उनके संरक्षण के लिए आवाज़ उठाता है। उदाहरण के लिए रवींद्रनाथ टैगोर की 'गीतांजलि' मानव आत्मा की स्वतंत्रता और गरिमा की खोज को व्यक्त करती है। "रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 'गीतांजलि', जिसके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, मानव आत्मा की स्वतंत्रता, दैवीय अनुभूति और व्यक्तिगत गरिमा की खोज को एक अद्वितीय काव्यात्मक शैली में व्यक्त करती है, जो सार्वभौमिक मानवाधिकारों के आध्यात्मिक पहलू को उजागर करती है।"¹ साहित्य का महत्त्व इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि यह भावनाओं, विचारों और अनुभवों का मिश्रण है, जो पाठक के मन को झकझोरता है। एक कविता स्वतंत्रता की पुकार, उपन्यास सामाजिक अन्याय के खिलाफ विद्रोह और नाटक मानव गरिमा के संघर्ष को जीवंत कर सकता है। साहित्य विभिन्न कालखंडों में मानवाधिकारों को अभिव्यक्त करता है और समाज में जागरूकता बढ़ाता है। यह मानवाधिकारों की वास्तविकता को दर्शाता है और संवेदनशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। साहित्य ऐतिहासिक से समकालीन संदर्भों तक भूमिका निभाता है और मानवता के लिए नैतिक कम्पास की तरह कार्य करता है। यह सामाजिक कुरीतियों को चुनौती देता है, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है और व्यक्तियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है। साहित्य केवल कला नहीं, वरन् सामाजिक प्रगति का प्रेरक भी है। यह मानवाधिकारों के प्रति संवेदना को गहरा करता है और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करता है।

साहित्य में मानवाधिकारों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

साहित्य में मानवाधिकारों का चित्रण प्राचीन काल से देखा जा सकता है। भारतीय साहित्य में, 'महाभारत' में द्रौपदी का चीरहरण, एक महिला के सम्मान और

स्वायत्तता पर हमला है, जो लैंगिक अधिकारों पर सवाल उठाता है। "वेद व्यास कृत महाकाव्य 'महाभारत' में राजसभा में द्रौपदी के चीरहरण की घटना नारी सम्मान, स्त्री की इच्छा और स्वायत्तता के अधिकार के गंभीर उल्लंघन का प्रतीक है, जो युगों पुराने सामाजिक अन्याय और सामूहिक नैतिक विफलता का एक शक्तिशाली चित्रण प्रस्तुत करता है।"² यह घटना सामाजिक अन्याय और व्यक्तिगत गरिमा के महत्त्व को रेखांकित करता है। 'रामायण' में सीता का अपहरण और सामाजिक बहिष्कार व्यक्तिगत गरिमा के मुद्दों को उजागर करता है। "वाल्मीकि रचित 'रामायण' में सीता का अपहरण और बाद में उनका सामाजिक बहिष्कार, व्यक्तिगत गरिमा, स्त्री की पवित्रता और सामाजिक मान्यताओं द्वारा थोपे गए अन्याय के प्रश्नों को चिन्हित करता है, जो आज भी प्रासंगिक बना हुआ है।"³ ये महाकाव्य सामाजिक मानदंडों और मानवाधिकारों के बीच टकराव को दर्शाते हैं। मध्यकाल में, भक्ति कवि कबीर ने अपने दोहों में जाति और धर्म के भेदभाव की निंदा की। उनकी पंक्ति 'जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान' समानता की वकालत करती है। "कबीर, जिनकी रचनाएँ 'कबीर ग्रंथावली' में संकलित हैं, एक सामाजिक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने सीधे और तीखे दोहों के माध्यम से जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव की कटु आलोचना की और सार्वभौमिक समानता तथा मानवता के मूल्यों को स्थापित किया।"⁴ कबीर की रचनाएँ सामाजिक समानता और मानवता के मूल्यों को स्थापित करती हैं। आधुनिक युग में, साहित्य ने मानवाधिकारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया। मुंशी प्रेमचंद ने 'गोदान' में ग्रामीण भारत में किसानों के शोषण को चित्रित किया, जहाँ होरी आर्थिक असमानता के कारण अधिकारों के हनन का प्रतीक है। "मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास 'गोदान' का पात्र होरी ग्रामीण भारत के उस शोषित किसान का प्रतिनिधित्व करता है, जो सामंती व्यवस्था, साहूकारों और आर्थिक असमानता के चक्रव्यूह में फँसकर अपने मूल अधिकारों से वंचित रह जाता है,

जिससे सामाजिक न्याय का प्रश्न उभरता है।⁵ यह उपन्यास सामाजिक और आर्थिक अन्याय को उजागर करता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, साहित्य ने साम्राज्यवादी शोषण को उजागर कर जनमानस को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। साहित्य ने विभिन्न युगों में मानवाधिकारों की चेतना को बढ़ाया और सामाजिक सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह ऐतिहासिक संदर्भों में मानवाधिकारों के संघर्ष को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। साहित्य ने सामाजिक बंधनों को तोड़ने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में योगदान दिया। साहित्य के माध्यम से मानवाधिकारों का इतिहास न केवल संरक्षित हुआ, बल्कि यह समाज को बदलने का एक सशक्त माध्यम बना। प्राचीन से आधुनिक युग तक, साहित्य ने मानवाधिकारों के प्रति संवेदना को गहरा किया और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित किया। यह सामाजिक चेतना का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है।

साहित्य के विभिन्न रूप

साहित्य के विभिन्न रूप कविता, उपन्यास और नाटक, मानवाधिकारों को व्यक्त करने और उनके लिए संघर्ष को दर्शाने के शक्तिशाली माध्यम रहे हैं। इन रूपों में मानवाधिकारों का चित्रण भावनात्मक संवेदना को जागृत करता है और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरणा देता है।

कविता

कविता मानव मन की भावनाओं को संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता 'झाँसी की रानी', नारी के संघर्ष और स्वतंत्रता के अधिकारों की माँग को प्रस्तुत करती है। "सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता 'झाँसी की रानी', जो उनके कविता संग्रह में शामिल है, रानी लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण संघर्ष के माध्यम से नारी सशक्तिकरण, स्वतंत्रता के अधिकार और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध देशभक्ति की भावना को जगाने का कार्य करती है।"⁶ यह कविता स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को गौरवान्वित

करती है। फैज़ अहमद फैज़ की 'हम देखेंगे', उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध और स्वतंत्रता की आकांक्षा को व्यक्त करती है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक पुकार का प्रतीक है। "फैज़ अहमद फैज़ की क्रांतिकारी गज़ल 'हम देखेंगे', जो उनके संग्रह 'नुस्खा-हाय-वफ़ा' का हिस्सा है, एक धर्मनिरपेक्ष और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की आकांक्षा रखती है तथा तानाशाही के खिलाफ प्रतिरोध की शक्ति बनकर उभरी है, जो मानवाधिकारों के लिए सार्वभौमिक आशा का प्रतीक बन गई है।"⁷ ये कविताएँ संक्षिप्त होते हुए भी गहन भावनात्मक प्रभाव डालती हैं। समकालीन कविता में, डिजिटल मंचों पर युवा कवियों की रचनाएँ लैंगिक समानता, पर्यावरणीय न्याय और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों को उठाती हैं। कविता ने हमेशा मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य किया है। यह जनमानस को प्रेरित करती है और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस देती है। कविता, साहित्य का वह रूप है, जो संक्षिप्तता के साथ गहरे विचारों को व्यक्त करता है। कविता ने विभिन्न युगों में मानवाधिकारों की आवाज़ को बुलंद किया और समाज को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उपन्यास

उपन्यास मानवाधिकारों के जटिल पहलुओं को विस्तार से उजागर करते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर का 'चोखेर बाली' विधवाओं के अधिकारों और सामाजिक दबाव को उजागर करता है, जो सामाजिक बंधनों के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज को दर्शाता है। "रवींद्रनाथ टैगोर के उपन्यास 'चोखेर बाली' ने बंगाल के नवजागरण काल में विधवाओं की दयनीय स्थिति, उनकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों तथा समाज द्वारा थोपे गए कठोर नियमों का सूक्ष्म चित्रण किया है, जो नारीवादी दृष्टिकोण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की माँग करता प्रतीत होता है।"⁸ हार्पर ली का 'टू किल अ

मॉकिंगबर्ड' नस्लवाद और न्याय के लिए संघर्ष को प्रस्तुत करता है, जो सामाजिक असमानता के खिलाफ नैतिक साहस की कहानी है। "हार्पर ली के विश्व-प्रसिद्ध उपन्यास 'टू किल अ मॉकिंगबर्ड' ने अमेरिकी दक्षिण में व्याप्त नस्लीय भेदभाव और अन्याय की पृष्ठभूमि में एक युवा लड़की की नज़र से सहानुभूति, नैतिक साहस और सामाजिक न्याय के महत्त्व को चित्रित किया है, जो मानवाधिकार शिक्षा का एक मूलभूत पाठ बन गया है।"⁹ ये उपन्यास पात्रों के जीवन के माध्यम से सामाजिक असमानता और मानवाधिकारों के उल्लंघन को गहराई से चित्रित करते हैं। उपन्यास पाठकों को समाज की कमियों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं और सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरणा देते हैं। ये रचनाएँ सहानुभूति विकसित करती हैं और पाठकों को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। उपन्यास साहित्य का एक ऐसा रूप है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए विचारधारा को मज़बूत करता है और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। उपन्यास ने सामाजिक संरचनाओं के भीतर के अन्याय को उजागर कर सुधार की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई। यह पाठकों को सामाजिक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

नाटक

नाटक मानवाधिकारों के संघर्ष को मंच पर जीवंत करते हैं। मोहन राकेश का 'आषाढ़ का एक दिन' व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक दबाव के टकराव को दर्शाता है, जो मानव गरिमा के लिए संघर्ष को उजागर करता है। "मोहन राकेश के नाटक 'आषाढ़ का एक दिन' ने एक रचनात्मक व्यक्ति (कवि कालिदास) की आंतरिक द्वंद्व और बाहरी सामाजिक अपेक्षाओं के बीच होने वाले संघर्ष को दर्शाया है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, रचनात्मक अभिव्यक्ति के अधिकार और सामाजिक बंधनों के बीच टकराव का प्रतीक है।"¹⁰ विजय तेंदुलकर का 'शांतता कोर्ट चालू आहे' महिलाओं के खिलाफ सामाजिक और कानूनी अन्याय को उजागर करता है, जो लैंगिक समानता

के अधिकार की माँग को मज़बूत करता है। "विजय तेंदुलकर के क्रांतिकारी नाटक 'शांतता कोर्ट चालू आहे' ने भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले यौन शोषण और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया की विसंगतियों को निर्ममता से उजागर किया, जिसने लैंगिक न्याय और समानता के अधिकार के लिए एक सशक्त सामाजिक-सांस्कृतिक बहस को जन्म दिया।"¹¹ ये नाटक दर्शकों को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। नाटकों का मंचन सामाजिक मुद्दों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे दर्शक तत्काल प्रभाव महसूस करते हैं। नाटक सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। यह साहित्य का एक जीवंत रूप है, जो समाज को बदलने की क्षमता रखता है और मानवाधिकारों के संघर्ष को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। नाटकों ने सामाजिक अन्याय को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है।

मानवाधिकारों के संदर्भ में समकालीन साहित्य

वैश्विक साहित्य

समकालीन साहित्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अरुंधति रॉय की 'द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स' जाति और लैंगिक असमानता को उजागर करती है, जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली कथन है। "अरुंधति रॉय के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास 'द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स' ने केरल की पृष्ठभूमि में 'लव लॉज' (जाति और सामाजिक नियम) द्वारा नियंत्रित समाज में प्रेम, जातिगत भेदभाव, लैंगिक हिंसा और बाल मानसिकता का ऐसा जटिल चित्रण प्रस्तुत किया है, जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक साहसिक और कलात्मक विद्रोह के समान है।"¹² यह उपन्यास सामाजिक संरचनाओं में निहित भेदभाव को सामने लाता है। समकालीन वैश्विक साहित्य पर्यावरणीय न्याय, शरणार्थी संकट और लैंगिक विविधता जैसे मुद्दों को भी संबोधित करता है। ये रचनाएँ

वैश्विक और स्थानीय स्तर पर संवेदना जगाती हैं। समकालीन साहित्य सामाजिक परिवर्तन के लिए एक मंच प्रदान करता है और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। यह साहित्य विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है। यह सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है और मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य की नींव रखता है। समकालीन साहित्य मानवाधिकारों के संघर्ष को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। यह समाज को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समकालीन साहित्य ने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को वैश्विक स्तर पर ले जाने में योगदान दिया।

डिजिटल युग और साहित्य

डिजिटल युग ने साहित्य को व्यापक और त्वरित पहुँच प्रदान की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कविताएँ, लघुकथाएँ और लेख मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। भारत में मीटू आंदोलन के दौरान लेखकों ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ रचनाएँ लिखीं। नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोध के दौरान कवियों और लेखकों ने अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत की। डिजिटल साहित्य ने ब्लॉग और ई-पुस्तकों के रूप में विस्तार किया है, जैसे 'कश्मीर की आवाज़' नामक ऑनलाइन संकलन, जो कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को उठाता है। यह नया साहित्य तेज़ी से लोगों तक पहुँचता है और सामूहिक चेतना को प्रभावित करता है। डिजिटल मंचों ने युवा लेखकों को वैश्विक स्तर पर अपनी आवाज़ पहुँचाने का अवसर दिया है। यह साहित्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को अभूतपूर्व स्तर पर ले गया है। डिजिटल साहित्य सामाजिक प्रगति का प्रभावी साधन बनकर उभरा है। डिजिटल युग ने साहित्य को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया है।

साहित्य का प्रभाव

मानवाधिकार जागरूकता में योगदान

साहित्य ने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह व्यक्तियों को अन्याय के प्रति संवेदनशील बनाता है और सामूहिक चेतना को जागृत करता है। साहित्य का प्रभाव विभिन्न स्तरों पर देखा जा सकता है।

सामाजिक परिवर्तन

साहित्य ने इतिहास के विभिन्न मोड़ों पर सामाजिक परिवर्तनों को गति दी है। हेरिएट बीचर स्टो की 'अंकल टॉम्स केबिन' ने गुलामी की क्रूरता को उजागर कर अमेरिका में दास-प्रथा के खिलाफ आंदोलन को प्रेरित किया। भारत में, मुंशी प्रेमचंद के 'गोदान' ने ग्रामीण भारत में किसानों के शोषण और सामाजिक असमानता को सामने लाकर सामाजिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान की 'झाँसी की रानी' ने नारी शक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार को गौरवान्वित कर स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। ये रचनाएँ समाज में गहरे परिवर्तन का आधार बनीं। साहित्य ने सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दी और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया। साहित्य ने विभिन्न सामाजिक आंदोलनों को दिशा दी और समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाने में मदद की। साहित्य ने सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सामाजिक सुधारों में प्रभावी साधन सिद्ध होता है।

शिक्षा और जागरूकता

साहित्य शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकारों की समझ को गहरा करता है। हार्पर ली का 'टू किल अ मॉकिंगबर्ड' विश्व भर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, जो नस्लवाद, अन्याय और नैतिक साहस जैसे मुद्दों पर छात्रों को संवेदनशील बनाता है। रवींद्रनाथ

टैगोर की 'गीतांजलि' और कबीर के दोहे शैक्षिक पाठ्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं, जो समानता, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के मूल्यों को युवा पीढ़ी तक पहुँचाते हैं। साहित्य सहानुभूति और नैतिक चेतना को विकसित करता है। यह छात्रों को सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूक और मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाता है। साहित्य के माध्यम से शिक्षा मानवाधिकारों के महत्त्व को रेखांकित करती है। यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए युवा मन को प्रेरित करता है। साहित्य ने शिक्षा के क्षेत्र में मानवाधिकारों की समझ को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। साहित्य ने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को शिक्षा के माध्यम से और गहरा किया।

नीति-निर्माण और सामाजिक प्रभाव

साहित्य ने नीति-निर्माण को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेमचंद की रचनाओं ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को उजागर कर स्वतंत्रता के बाद के भारत में भूमि सुधार और सामाजिक न्याय से संबंधित नीतियों पर चर्चा को प्रेरित किया। अरुंधति रॉय की रचनाएँ पर्यावरणीय न्याय, आदिवासी अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे मुद्दों पर नीतिगत बहस को प्रभावित करती हैं। साहित्य सामाजिक आंदोलनों को दिशा देता है और मानवाधिकारों के लिए एकजुटता का निर्माण करता है। यह नीति-निर्माताओं को सामाजिक अन्याय के प्रति संवेदनशील बनाता है। साहित्य ने सामाजिक सुधारों के लिए कानूनी और नीतिगत बदलावों को प्रेरित किया है। साहित्य नीति-निर्माण में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक मंच प्रदान करता है। साहित्य ने सामाजिक व नीतिगत सुधारों में सक्रिय प्रेरणा प्रदान की।

वैश्विक और स्थानीय संदर्भों में प्रभाव

साहित्य का प्रभाव स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। विजय तेंदुलकर का 'शांतता कोर्ट चालू आहे' लैंगिक अन्याय पर सवाल उठाकर लैंगिक

समानता की माँग को बल देता है। डिजिटल युग में, 'कश्मीर की आवाज़' जैसे संकलनों ने कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को उठाकर स्थानीय और वैश्विक संवाद को प्रेरित किया। साहित्य व्यक्तिगत चेतना से लेकर सामूहिक आंदोलनों तक प्रभाव डालता है। यह विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है। साहित्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को वैश्विक स्तर पर ले जाता है। यह स्थानीय मुद्दों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है और सामाजिक परिवर्तन के लिए एकजुटता का निर्माण करता है। साहित्य ने मानवाधिकारों के संघर्ष को वैश्विक और स्थानीय संदर्भों में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। यह समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साहित्य ने वैश्विक और स्थानीय स्तर पर मानवाधिकारों की जागरूकता को बढ़ाने में योगदान दिया।

निष्कर्ष

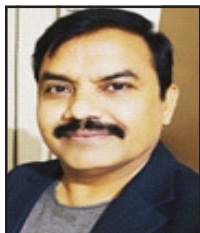
साहित्य और मानवाधिकार एक-दूसरे के पूरक हैं। साहित्य मानव की पीड़ा, संघर्ष और आकांक्षाओं को शब्दों में ढालकर समाज को नई दृष्टि देता है। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर करता है और उनके संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रेरणा देता है। प्राचीन काल से लेकर डिजिटल युग तक, साहित्य हर युग में मानवाधिकारों की आवाज़ को बुलंद करता है। कबीर की समानता की पुकार, प्रेमचंद का शोषण के खिलाफ विद्रोह और महाश्वेता देवी का आदिवासी अधिकारों का चित्रण इसकी शक्ति को दर्शाते हैं। साहित्य सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करता है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएँ और समकालीन डिजिटल मंचों पर मानवाधिकारों की वकालत। भविष्य में, साहित्य की भूमिका और सशक्त होगी। डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तकनीकों के साथ मिलकर यह मानवाधिकारों के लिए वैश्विक मंच बना सकता है। यह जागरूकता फैलाएगा और नीति-निर्माण को प्रभावित करेगा। साहित्य को केवल कला नहीं, बल्कि मानवता के लिए हथियार

माना जाना चाहिए। यह समाज को संवेदनशील बनाता है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है और एक बेहतर विश्व की नींव रखता है। साहित्य का दायित्व है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करता रहे, ताकि हर व्यक्ति को उसकी गरिमा और स्वतंत्रता प्राप्त हो।



संदर्भ सूची

1. रवींद्रनाथ टैगोर, 'गीतांजलि', विश्वभारती प्रकाशन, कोलकाता, संस्करण-2010, पृष्ठ सं- 45
2. वेद व्यास, 'महाभारत', गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 320
3. वाल्मीकि, 'रामायण', गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-2014, पृष्ठ सं- 210
4. कबीर, 'कबीर ग्रंथावली', संपादक: श्यामसुंदर दास, साहित्य भवन, इलाहाबाद, संस्करण-2012, पृष्ठ सं- 67
5. मुंशी प्रेमचंद, 'गोदान', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 89
6. सुभद्रा कुमारी चौहान, 'झाँसी की रानी', कविता संग्रह, राजपाल एंड संस, दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 34
7. फैज़ अहमद फैज़, 'हम देखेंगे', नुस्खा-हाथ-वफ़ा, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2014, पृष्ठ सं- 23
8. रवींद्रनाथ टैगोर, 'चोखेर बाली', विश्वभारती प्रकाशन, कोलकाता, संस्करण-2011, पृष्ठ सं- 112
9. हार्पर ली, 'टू किल अ मॉकिंगबर्ड', जे.बी. लिपिकॉट एंड कंपनी, फिलाडेल्फिया, संस्करण-2010, पृष्ठ सं- 145
10. मोहन राकेश, 'आषाढ़ का एक दिन', राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2012, पृष्ठ सं- 56
11. विजय तेंदुलकर, 'शांतता कोर्ट चालू आहे', राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 78
12. अरुंधति रॉय, 'द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स', रैंडम हाउस, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 102



डॉ. गजेन्द्र मोहन

सह आचार्य - हिंदी
सम्राट पृथ्वीराज चौहान
राजकीय महाविद्यालय
अजमेर-305001, राजस्थान
संपर्क
gajender.69.mohan@gmail.com

महिला अधिकारों के हनन का यथार्थ : लीना यादव निर्देशित फिल्म 'पार्चड'

शोध सारांश

लीना यादव निर्देशित फिल्म 'पार्चड' भारतीय ग्रामीण समाज में महिलाओं के अधिकारों के हनन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। इस फिल्म में तीन प्रमुख महिला पात्रों- रानी, लाजो और बिजली के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं पर चल रहे सामाजिक अत्याचारों की क्रूर वास्तविकता को उजागर किया गया है। फिल्म में घरेलू हिंसा, बाल-विवाह, वैवाहिक बलात्कार, वेश्यावृत्ति, विधवा समस्या, स्त्री कुंठा, सामाजिक बंधन और पुरुषों की विकृत मानसिकता जैसी समस्याओं का यथार्थपूर्ण चित्रण किया गया है। रानी का चरित्र विशेष रूप से परिवर्तनशील है, जो अपने पुत्र और समाज के अत्याचार के विरुद्ध एक क्रांतिकारी कदम उठाकर बहू जानकी के प्रेमी से विवाह करवा देती है। बिजली, एक साहसी स्त्री के रूप में, महिलाओं को स्वयं अपने अधिकारों के प्रति सजग होने की प्रेरणा देती है। फिल्म में पुरुषों द्वारा महिलाओं को वस्तु मानने का समाजव्यापी रवैया तथा आधुनिक जीवन शैली अपनाकर भी मनोवृत्ति में परिवर्तन न लाने की व्यथा स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। समीक्षकों का मानना है कि यह फिल्म महिलाओं के प्रति हिंसा, मानसिक और शारीरिक शोषण की पीड़ा को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। 'पार्चड' ने न केवल भारतीय ग्रामीण महिला की दयनीय स्थिति को उजागर किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामाजिक चेतना जगाई है। यह आवश्यक हो गया है कि ग्रामीण परिवेश में व्याप्त कुंठित मानसिकता से उबरते हुए महिलाओं को उनके समान अधिकार प्रदान किए जाएँ तथा उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएँ।

बीज शब्द

1. लीना यादव निर्देशित फिल्म 'पार्चड'
2. महिला अधिकार
3. भारतीय ग्रामीण समाज
4. घरेलू हिंसा
5. बाल-विवाह
6. विधवा समस्या
7. वैवाहिक बलात्कार
8. स्त्री-सशक्तिकरण
9. पितृसत्तात्मक मानसिकता
10. मानवाधिकार

मूल शोध

महिलाओं के अधिकार, वे अधिकार हैं, जो प्रत्येक महिला या बालिका का विश्वव्यापी समाजों में पहचाना हुआ जन्मसिद्ध अधिकार या अधिकार हैं। अपनी 'महिला अधिकार' पुस्तक में ममता मेहरोत्रा ने मानवाधिकार को विश्व पटल पर रखकर स्त्री-प्रश्नों का विवेचन किया है। उनका मानना है कि-“जब तक भारतीय महिला स्वयं अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगी, तब तक वह पुरुषों के शोषण से मुक्त नहीं हो सकती।”¹ संदीप शर्मा ने अपनी पुस्तक 'महिलाओं के अधिकार' में विस्तृत रूप से महिलाओं के अधिकार तथा उनके संरक्षण पर चर्चा की है। उनका कथन है कि-“19वीं सदी में महिला अधिकार संग्राम और 20वीं सदी में फेमिनिस्ट आंदोलन का यह आधार रहा है। कई देशों में यह हक कानूनी तौर पर, अंदरूनी समाज द्वारा या लोगों के व्यवहार में लागू होता है, तो कई देशों में यह प्रचलित नहीं है।”²

फिल्म जगत समय-समय पर महिलाओं के मानवाधिकारों की माँग फिल्मों के माध्यम से करता रहा है। भारत में महिलाओं के अधिकारों के हनन का यथार्थ तथा उसकी दयनीय स्थिति से फिल्मों के माध्यम से हम सभी रूबरू होते ही रहते हैं। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर लेखक एवं निर्देशक लीना यादव ने 'पार्चड' फिल्म का निर्माण किया है, जो कि भारतीय ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों पर हो रहे कुठाराघात का चित्रण तो करती ही है, साथ ही साथ हमारे ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की दयनीय स्थिति को भी उजागर करती है। शहरी महिलाओं की तुलना में इस बेबस, लाचार, अपने अधिकारों से अनभिज्ञ ग्रामीण महिला को देखने पर कैसा अनुभव होता है कि हमारे गाँवों में शहरों की चकाचौंध का असर तो होने लगा है, परंतु महिलाओं के प्रति पुरुषों और हमारे समाज के दृष्टिकोण में लेशमात्र भी बदलाव नहीं आया है। महिला आज भी वहाँ शारीरिक सुख प्रदान करने वाली एक देह मात्र है। बच्चा पैदा करने की मशीन मात्र है। मर्दों को जो स्वच्छंदता और अधिकार मिलते हैं, उनका दुरुपयोग करते

हुए वे महिलाओं के अधिकारों का खुलेआम हनन करते हैं। वे मर्दानगी का खुमार उतारने के लिए घर की महिलाओं को पीटते हैं। क्रूरता पूर्ण व्यवहार दिखाकर उन्हें घर की दहलीज़ में घुट घुटकर जीवन जीने को मजबूर करते हैं। मर्दानगी दिखाने के आवेश में उनके अंदर की मानवता खत्म-सी हो गई दिखती है। उनके हाथों में आया मोबाइल और घर में रखा टेलीविजन, उनके पौरुष को अलग दिशा में ले जाता दिखाई पड़ता है। वे स्वयं तो आधुनिक जीवन शैली अपनाने की होड़ में दौड़ते दिखाई देते हैं, परंतु उनके दृष्टिकोण में महिलाओं के प्रति रत्तीभर भी बदलाव नहीं आया है।

'पार्चड' फिल्म में निर्देशक लीना यादव ने भारतीय ग्रामीण परिवेश में घुट घुटकर जीने को मजबूर तीन महिलाओं की कहानी दर्शकों के सामने रखी है। ये तीन महिला पात्र हैं- रानी, लाजो और बिजली। इन तीनों ही पात्राओं ने भारतीय ग्रामीण महिला का प्रतिनिधित्व किया है। इन तीनों पात्रों के अभिनय हेतु लीना यादव ने क्रमशः तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे और सुरवीन चावला को चुना है, जिन्होंने अपने जीवंत अभिनय द्वारा इन तीनों किरदारों को इतनी खूबसूरती से फिल्म में प्रस्तुत किया है कि फिल्म पूरी तरह दर्शकों के दिल और दिमाग पर छा जाती है। इन तीनों ही पात्रों को मध्यम बनाकर महिलाओं की घरेलू हिंसा, बाल विवाह, वैवाहिक बलात्कार, वेश्यावृत्ति, विधवा समस्या, महिलाओं की कुंठाग्रस्त स्थिति, पुरुषों की विकृत मानसिकता की शिकार स्त्रियों की स्थिति, सामाजिक बंधनों में जकड़ी महिलाओं आदि का यथार्थ निर्देशक ने प्रस्तुत किया है।

फिल्म की नायिका 32 वर्षीय रानी है, जो कि 15 - 16 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाती है। बाल्यकाल में हुई यह विधवा जैसे तैसे हस्तशिल्प के नैपुण्य द्वारा गुज़र बसर करती है तथा अपने जीवन के एकमात्र सहारे अपने पुत्र का पालन पोषण करती है। जब पुत्र 17 साल का हो जाता है, तो वह उसकी शादी करती है। वधू पक्ष को कुछ रकम देकर वह समाज के चलन के अनुसार धूमधाम से विवाह करती है, परंतु पुत्र को अपनी पत्नी

जानकी पसंद नहीं है। साथियों की संगत में वह बिगड़ चुका है। मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखते देखते उसके मन मस्तिष्क में औरत की कल्पना कुछ और ही बन चुकी है। वह पत्नी को स्वीकार करने को पहले तो तैयार नहीं होता, किंतु मित्रों के उकसाने पर वह अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपनी बालिका पत्नी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध ज़ोर ज़बरदस्ती कर बलात्कार कर देता है। वेश्यागमन, स्त्री को वस्तु मानना, मर्दानगी दिखाने के नाम पर अनैतिक कर्म करना, पुरुष प्रधान समाज का अनुसरण करना, उसके लिए आवश्यक उपादान हैं। कहीं भी महिलाओं के प्रति उसके मन में सम्मान का भाव नहीं है, चाहे वह उसकी माँ हो, पत्नी हो या अन्य कोई स्त्री, जिनके संपर्क में वह आता है। रानी की असहायता, मजबूरी, पुरुष प्रधान समाज के समक्ष लाचारी, पुत्र मोह, जीवन यापन की समस्या, ज़िम्मेदारी, उसे ख्याल भी नहीं लाने देती कि उसके भी कुछ अधिकार हैं। वह पुरुष और समाज के अधिकारों की चक्की में ही पिसकर जीवन व्यतीत करती रहती है। किंतु फिल्म के अंत में उसे ज्ञान होता है तथा पुरुष रूपी पुत्र और समाज के समक्ष सिर उठाकर खड़ी होती है। अपने पुत्र का मोह त्यागकर वह अपनी बहू के प्रेमी को स्वीकार करती है तथा बहू को उसके प्रेमी के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए विदा कर देती है। यहीं उसके अंदर की महिला जागती है तथा वह महिला अधिकारों और उनकी स्वच्छंदता के प्रति सचेत होती दिखाई पड़ती है।

रानी के चरित्र में जो भी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं वे उसकी बचपन की सखी बिजली की संगत का परिणाम हैं। बिजली नाच-गाने का काम करती है तथा 'बोल्ड' महिला के रूप में सामने दिखाई पड़ती है। वह पुरुषों की मानसिकता और उनके दुष्चक्र आदि से भली-भाँति वाकिफ है। अपनी जीविका चलाने के लिए वह पुरुषों के लिए अपनी देह प्रस्तुत करती है। समाज के जो तथाकथित सम्मान प्राप्त पुरुष होते हैं, वे सबके सामने उसे घृणित और कुत्सित बताते हैं, वहीं अकेले में उसके रूप यौवन

का भोग करते हैं। वह इशारा करती है कि महिलाओं को अपनी स्थिति में सुधार लाना है, तो उन्हें स्वयं पहल करनी होगी। कोई पुरुष चाहे वह पिता हो, पुत्र हो, भाई हो या पति हो, उसके लिए आगे नहीं आएँगे। बिजली की इसी बात को आदर्श मानकर तथा अपने पुत्र की हरकतों से दुखी होकर रानी अपनी बहू जानकी की शादी उसके प्रेमी से करवा देती है, जो जानकी को हृदय से प्रेम करता है तथा उसका सम्मान भी करता है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। बिजली अपनी दोनों सखियों रानी और लाजो के लिए आशा की एक किरण का काम करती है। वह यौन विकृतियों से भरे पुरुष समाज को अपनी ठोकर पर रखती है। वह किसी भी पुरुष की गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती तथा ना ही वह यह चाहती कि कोई स्त्री पुरुष की गुलाम बने।

इन दोनों ही स्त्री पात्रों की एक और सखी है- लाजो। लाजो को शादी के बाद भी बच्चा नहीं हुआ। 'बाँझ' की संज्ञा पाकर वह निरंतर पति की प्रताड़ना, मारपीट और शोषण का शिकार होती है। वंश चलाने का हवाला देते हुए पति उसे 'बाँझ' जैसी असहनीय गाली देकर दिन-रात पीटता है। परंतु एक दिन बिजली ही उसे बताती है कि पुरुष भी बाँझ अर्थात् नपुंसक हो सकता है। बिजली ही एक अन्य पुरुष से उसका शारीरिक संबंध बनाने का इंतज़ाम करती है तथा लाजो गर्भवती हो जाती है, किंतु यहाँ भी लाजो के पति का अहम चोट खा उठता है, क्योंकि वह जानता है कि वह स्वयं नपुंसक है और लाजो के गर्भ में पल रहा बच्चा किसी और पुरुष का है। अब वह 'बाँझ' शब्द को 'चरित्रहीन' शब्द में बदल देता है और अब फिर से लाजो पर अत्याचार करना जारी रखता है, परंतु अब जैसे ही लाजो को अपनी अधिकार भावना का एहसास होता है, तो वह पति का हाथ पकड़ लेती है; अपने आप को पीटने नहीं देती और उसकी प्रताड़ना का विरोध करती है।

फिल्म में ये तीनों महिलाएँ बचपन की सखियाँ हैं। तीनों अलग-अलग समस्याओं की शिकार हैं, परंतु अवसर

मिलने पर तीनों एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे का सुख-दुःख बनती हैं और अपने तनाव एवं दर्द को हल्का करती हैं। इनके संबंध में समीक्षक, आलोचक, पत्रकार, प्रोफेसर व लेखिका एलिजा विल्किंसन का मानना है कि- **“‘पार्चड’ की महिलाएँ, खासकर इसके केंद्र में तीन, अद्भुत रूप से जटिल हैं: रानी एक युवा पत्नी के रूप में अपने शुरुआती दिनों के अंधकार से पूरी तरह वाकिफ है, जिस दौरान उसके नए पति और उसकी सास, दोनों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन वह जानकी के साथ तिरस्कार और यहाँ तक कि दुर्व्यवहार करती है; लाजो अपने पति के अत्याचार से चिढ़ती है, लेकिन फिर भी उसकी स्वीकृति के लिए जीती है; बिजली सहज रूप से मुक्त दिखती है, लेकिन खुद को मुक्त करने का कोई ऐसा तरीका नहीं खोज पाती, जिसके लिए किसी पुरुष की आवश्यकता न हो। ये महिलाएँ हर चीज़ की प्यासी हैं: जुनून की, प्यार की, सेक्स की, आज़ादी की। ये संघर्ष, फिल्म को लगातार आश्चर्यचकित करते रहते हैं और जैसा कि रसेल कारपेंटर (‘टाइटेनिक’) ने फिल्माया है, ‘पार्चड’ जीवंत रूप से जीवंत है, रंगों, रोशनी, गति और संगीत से भरपूर। इस फिल्म में सेक्स है, नृत्य है, जीवंत कपड़े, खाने-पीने की चीज़ें और आग है।”³** प्रेम की उनके जीवन में इतनी कमी है कि रानी से कोई पुरुष मोबाइल पर बात करता है, तो वह अनजान होते हुए भी उस पुरुष की बातों में आनंद लेती है तथा शर्म से लाल हो जाती है। उसकी मीठी बातें ही उसे आनंदित करती हैं तथा उसे अपने नारी होने का एहसास करवाती हैं।

“फिल्म में महिलाओं के प्रति हिंसा को भी यथार्थ रूप में दिखाया गया है।”⁴ भारतीय ग्रामीण परिवेश में ऐसा होना आम बात है। शराब पीकर अपने अभावों से त्रसित एवं कुंठित पुरुष अपनी मर्दानगी दिखाने के नाम पर पत्नी को पीटने में गर्व का अनुभव करता है। अपनी कमज़ोरी दबाकर महिला को ही सारे कष्टों की जड़ मानने वाला पुरुष यह भूल जाता है कि महिलाओं के भी कुछ अधिकार हैं। उनके हृदय में भी जीवन जीने की लालसा

है। वे भी पुरुष की तरह मानसिक और शारीरिक सुख चाहती हैं। वे भी इस उन्मुक्त गगन में अपने हृदय रूपी पंछी को विचरण करने पर सुख का अनुभव कर सकती हैं। ऐसे कुंठित पुरुषों की मानसिकता और महिला अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने में सफल हुआ है फिल्म का यथार्थ निर्देशन। यही कारण है कि ‘पार्चड’ फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली।

लेखिका प्रियंका वर्मा ने अपने समीक्षात्मक लेख ‘पार्चड (सेक्स एंड द विलेज: एन इंडियन वर्जन)’ में लिखा है- **“इसलिए, मेरा मानना है कि ‘पार्चड’ एक महत्वपूर्ण फिल्म है, जिसके कई दृश्य न केवल महिलाओं को बहुप्रतीक्षित आज़ादी की लालसा में चित्रित करते हैं, बल्कि उन्हें ‘कुछ अलग करने’ के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए भी दिखाते हैं। निष्कर्षतः, इसकी कथात्मक रूढ़िवादिता के बावजूद, यहाँ कई दृश्य हैं, जो महिलाओं को बहुप्रतीक्षित आज़ादी की लालसा में चित्रित करते हैं। यह फिल्म हिंदी सिनेमा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक आदर्श माँ, त्याग करने वाली पत्नी, आज़ाकारी बहन, आश्रित बेटी, अनैतिक वेश्याओं जैसे स्टीरियोटाइप के पीछे छिपे विभिन्न पात्रों के माध्यम से महिलाओं द्वारा झेले जाने वाले उत्पीड़न की बात करती है। यह बाल-विवाह, वैवाहिक बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा आदि सहित कई सामाजिक मुद्दों को उठाती है।”⁵**

भारतीय ग्रामीण समाज में महिलाओं की आंतरिक संवेदनाओं, उनके हनित अधिकारों और पितृसत्तात्मक सोच के चलते उत्पन्न सामाजिक अन्याय का यथार्थपरक चित्रण किया गया है। यह दृष्टिकोण समाज में व्याप्त रूढ़ियों, लैंगिक असमानता और मानसिक पिंजरों को उजागर करता है, जो महिलाओं को उनके स्वाभिमान और अधिकारों से वंचित कर रखते हैं। वर्तमान समय की आवश्यकता है कि महिलाओं को उनके समान अधिकार प्रदान किए जाएँ, उनके प्रति व्याप्त हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ प्रभावी सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन लाए जाएँ। इसी दिशा में यह प्रस्तुति ग्रामीण परिवेश की कुंठित

मानसिकता से मुक्त होकर महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रेरणा देती है।

5. Free Associations: Psychoanalysis and Culture, Media, Groups, Politics Number 79, September 2020?, ISSN: 2047-0622, Page No- 118

निष्कर्ष

भारतीय ग्रामीण समाज में महिलाओं के अधिकारों का लगातार हनन एक गंभीर सामाजिक वास्तविकता बन चुका है। यह स्थिति न केवल उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान का उल्लंघन करती है, बल्कि सामाजिक संरचना में गहरे पैठी पितृसत्तात्मक मानसिकता को भी उजागर करती है। महिलाओं को एक वस्तु मानकर उनके अधिकारों का लगातार अपमान किया जाता है, जिससे वे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से दबाव में जीने को विवश होती हैं। महिलाओं की आवाज़ को दबाने वाले यह जड़वादी विचार और रूढ़ियाँ केवल उनके व्यक्तिगत विकास में बाधा नहीं डालतीं, बल्कि समाज के समग्र न्याय एवं प्रगति में भी अड़चन बनती हैं। ऐसे परिदृश्य में महिला सशक्तिकरण और समान अधिकार प्रदान करना न केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक न्याय की भी माँग बन चुका है। सामाजिक चेतना के माध्यम से ही इन समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है। इसलिए, स्त्री-उन्मुक्ति के प्रयासों को सशक्त बनाना, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देना वर्तमान युग की अनिवार्यता है।



संदर्भ सूची

1. ममता मेहरोत्रा, महिला अधिकार, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 69
2. संदीप शर्मा, महिलाओं के अधिकार, साधना पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 24
3. <https://www.rogerebert.com/reviews/parched-2016>
4. 'पार्चड', टी आई एफ एफ समीक्षा, जस्टिन लोव, हॉलीवुड रिपोर्टर, अक्टूबर-2022, पृष्ठ सं- 2



सुजीता नेत्री

Ph.D. शोधार्थी
हिंदी स्नातकोत्तर विभाग
बाबासाहेब भीमराव अंबेदकर
बिहार विश्वविद्यालय
मुजफ्फरपुर-842001
बिहार
संपर्क
sujita7766@gmail.com

शोध निर्देशक

प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार
हिंदी स्नातकोत्तर विभाग
बाबासाहेब भीमराव अंबेदकर
बिहार विश्वविद्यालय
मुजफ्फरपुर-842001
बिहार

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी में मानवाधिकार (मधुकर सिंह के कथा-साहित्य के संदर्भ में)

शोध सारांश

यह शोधपत्र स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी में मानवाधिकार के चित्रण का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से मधुकर सिंह के कथा साहित्य के संदर्भ में। इस अध्ययन में यह उजागर किया गया है कि किस प्रकार मधुकर सिंह की कहानियाँ भारतीय समाज के पिछड़े वर्ग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र, महिलाएँ, बाल श्रमिक एवं मजदूर वर्ग के साथ होने वाले शोषण, भ्रष्टाचार, जाति-आधारित भेदभाव और संरचनात्मक हिंसा को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। उनके प्रमुख उपन्यास 'सबसे बड़ा छल' के माध्यम से नायक देवनाथ की वर्ग चेतना और उसके संघर्ष को प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार आज भी ग्रामीण सत्ता संरचना में किस प्रकार लुप्त होते जा रहे हैं। शोध यह भी दर्शाता है कि मधुकर सिंह का साहित्य केवल यथार्थ का चित्रण नहीं करता, अपितु सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं को भी रेखांकित करता है। उनका साहित्य सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को एक संवेदनशील दृष्टि से प्रस्तुत करता है। समकालीन हिंदी कथा साहित्य में मानवाधिकार का यह चित्रण सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही साहित्य को उद्देश्यपूर्ण बनाता है।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार 2. समाजसभ्यता 3. मौलिक अधिकार 4. अस्पृश्यता
5. रचनात्मकता 6. भ्रष्टाचार 7. जातीय भेदभाव 8. समाज-राजनीति
9. ग्रामीण सत्ता संरचना 10. समकालीन हिंदी कथा साहित्य

मूल शोध

दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार-"जब हम किसी चीज़ को व्यक्ति का अधिकार कहते हैं, तो हमारा मतलब होता है कि उस पर कब्ज़ा करने के लिए समाज पर उसका वैध दावा है कि वह उसे कानून के बल पर, या शिक्षा और राय के बल पर, सुरक्षित रखे।"¹

“मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था, द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों का परिणाम थी। उस युद्ध की समाप्ति और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उस युद्ध जैसे अत्याचारों को फिर कभी न होने देने की शपथ ली। विश्व नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के साथ एक रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया जिससे हर जगह हर व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी हो। जिस दस्तावेज़ पर उन्होंने विचार किया और जो बाद में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा बन गया, उसे 1946 में महासभा के पहले सत्र में प्रस्तुत किया गया।”²

मानवाधिकार कोई नवीन अधिकार नहीं है, बल्कि मानव समाज और सभ्यता के आरंभिक काल से ही इसके अस्तित्व की पुष्टि होती है। मधुकर सिंह के कथा साहित्य में भी इस अधिकार को विशेष रूप से उकेरा गया है, जहाँ एक ओर शोषण, भ्रष्टाचार और संघर्ष जैसे प्रमुख सामाजिक बिंदु स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर इनके समाधान के मार्ग भी समुचित रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। ज़मींदारों के विरुद्ध कृषक संगठनों के गठन के साथ-साथ जातीय संगठनों का भी मुखर होना इस सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। लेखक ने सटीक रूप में व्यक्त किया है-“**मनुष्य मनुष्य के बीच भावना की भूख और गरीबी से मुक्ति और धर्म संप्रदाय के नाम पर मनुष्य मनुष्य के बीच व्याप्त भेद को समाप्त करना।**”³ इस दृष्टि से गाँव का जीवन एक अद्भुत चित्र के रूप में पाठक के समक्ष प्रकट होता है। स्वतंत्र भारत में ग्रामीण समाज की यथार्थ स्थिति यही बनती जा रही है कि संपूर्ण गाँव की संपत्ति एक व्यक्ति के अधिग्रहण में समाहित हो जाती है। परिणामतः, गाँव के निवासी या तो खेत मज़दूर बनकर जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर होते हैं अथवा बेहतर आजीविका की तलाश में गाँव छोड़ने को विवश हो जाते हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना की शुरुआत इसी दुर्दशा के साथ हो

रही है, जहाँ परिवर्तन का प्रयास और मानवाधिकारों के सही क्रियान्वयन की आवश्यकता अंतर्निहित रूप से विद्यमान है।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार ऐसे मूल अधिकार हैं, जो प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास तथा गरिमापूर्ण जीवन के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। ये अधिकार न केवल व्यक्ति की स्वायत्तता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक गरिमा को संरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं:

- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार
- संवैधानिक उपचार का अधिकार

मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला माने जाते हैं, क्योंकि ये नागरिकों को राज्य द्वारा किए जा सकने वाले मनमाने कार्यों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। लोकतंत्र, समावेशिता और मानवाधिकारों पर आधारित संवैधानिक संरचना ही समतामूलक एवं न्यायसंगत भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है।

मानवाधिकार मौलिक अधिकारों का एक व्यापक समूह है, जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के आधार पर स्वतः प्राप्त होते हैं। इससे यह निर्विवाद हो जाता है कि मानवाधिकार किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता, जाति, धर्म अथवा सामाजिक स्थिति से स्वतंत्र हैं। हर व्यक्ति को समानता, गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अविचलित अधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं कन्वेंशन के माध्यम से मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जो व्यक्तियों के अधिकारों एवं सामाजिक ज़िम्मेदारियों

का स्पष्ट निर्धारण करते हैं। प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं:

- जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
- गुलामी और यातना से मुक्ति
- राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- काम और शिक्षा का अधिकार
- समानता और सम्मान का अधिकार
- सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त जीवन का अधिकार
- स्वातंत्र्योत्तर भारत में मानव अधिकार की चिंता

स्वातंत्र्योत्तर भारत में मानवाधिकार की समस्या का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह मुख्यतः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रति अधिकारों की निरंतर ह्रास प्रक्रिया का परिणाम है। इस संदर्भ में दो प्रमुख पहलू उभर कर सामने आते हैं। एक ओर जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव, अपर्याप्त पोषण, चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी, असंतुलित स्वच्छता व पर्यावरणीय परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, वहीं दूसरी ओर साम्प्रदायिक हिंसा, मानव तस्करी तथा महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार जैसे सामाजिक विकार भी गहराई से फैले हुए हैं। इस प्रकार के वातावरण में समाज की संरचना में दो स्पष्ट वर्ग उभरते हैं- शोषक और शोषित। एक वर्ग सत्ता और संसाधनों का नियंत्रण कर रहा है, जबकि दूसरा वर्ग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वंचित बनता जा रहा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी इन दोनों के बीच असमान शक्ति संरचना की स्थिति स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जिससे पीड़ित वर्ग अत्याचार एवं उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने में असमर्थ रहता है। इस तरह की असमानता और शक्ति का असंतुलन स्वातंत्र्योत्तर भारत में प्रायः मानवाधिकारों की गंभीर चिंताओं को उजागर करता है।

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में मानवाधिकार

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में मानवाधिकार की अवधारणा को केवल व्यक्तिगत अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बल्कि समाज के व्यापक सामाजिक, आर्थिक एवं

सांस्कृतिक संदर्भ में समझा जाता है। यह अवधारणा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से परे जाकर सामाजिक न्याय, समानता और गरिमा की रक्षा पर केंद्रित है। वैश्वीकरण की तीव्र प्रक्रिया में जहाँ बड़े औद्योगिक और व्यापारिक समूह गरीबी, असमानता और मानवाधिकार हनन को अनदेखा कर अपने स्वार्थसिद्धि हेतु अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं, वहीं आम नागरिक, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्ग, रोजी-रोटी, भूमि अधिकार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित होते चले जा रहे हैं।

हिंदी साहित्य ने भी मानवाधिकार के संवेदनशील पक्ष को अछूता नहीं छोड़ा है। समकालीन हिंदी कथाकारों ने अपने साहित्य में मानवाधिकार की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया है। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की है, जहाँ जाति, वर्ग, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त हो और सभी नागरिक समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त करें। प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत जैसे प्रमुख कथाकारों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य किया है। इसी परंपरा के तहत मधुकर सिंह को मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कथाकार के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने अपने कथा साहित्य के माध्यम से सामाजिक अन्याय, वर्ग संघर्ष और मानवाधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता को प्रभावपूर्ण रूप से उजागर किया है।

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी में मानवाधिकार

मधुकर सिंह स्वातंत्र्योत्तर काल के समकालीन हिंदी साहित्य के प्रभावशाली एवं प्रख्यात कहानीकारों में से एक हैं। उनकी कहानियाँ यथार्थपरक दृष्टिकोण से आज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश को अभिव्यक्त करती हैं। उन्होंने मानवाधिकार को अपने कथा-साहित्य का केंद्र बिंदु बनाया है, जिसमें स्त्री अधिकार, बाल अधिकार, मजदूर वर्ग के अधिकार सहित समाज के विभिन्न वंचित एवं पीड़ित वर्गों के अधिकारों की सशक्त रूप से परिकल्पना प्रस्तुत की गई है।

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा-साहित्य के संदर्भ में मधुकर सिंह की रचनाएँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन की वास्तविकताओं को बुनियादी स्तर पर समझने का प्रयास किया है। उनका साहित्य मनुष्य और समाज के जटिल संबंधों को उद्घाटित करते हुए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संघर्षों की तस्वीर प्रस्तुत करता है। मधुकर सिंह की लेखनी में उभरता 'नया मनुष्य' सामाजिक चेतना से परिपूर्ण होता है, जो अपने अधिकारों की जागरूकता के साथ संघर्ष का मार्ग अपनाता है। इस नए मनुष्य की कलात्मक अभिव्यक्ति उनके कथा-साहित्य की मूल अंतर्वस्तु बनती है, जो समकालीन समाज में मानवाधिकार की उपेक्षा और उसके संरक्षण के लिए आवश्यक सामाजिक उत्तरदायित्व को रेखांकित करती है।

मधुकर सिंह की उपन्यासों के विश्लेषण से मानवाधिकार की चर्चा

मधुकर सिंह की रचनाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वे मानवाधिकार से जुड़ी सामाजिक विसंगतियों को प्रभावशाली ढंग से उजागर करते हैं। उनके उपन्यास से ज्ञात होता है-“**‘सबसे बड़ा छल’ उपन्यास का नायक देवनाथ कोलकाता के चटकल मिलों में अपने चाचा के साथ मजदूर के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करता है। करीब 7 वर्षों की अपनी सेवा में वह मिल मजदूरों के संगठन का नेता बन जाता है। नेता बनने के बाद वह मिल में मजदूरी का काम नहीं करता। वह यूनियन चलने लगता है। और यूनियन के नाम पर उसने अच्छा पैसा अर्जित कर लिया।**”⁴ धीरे-धीरे देवनाथ कोलकाता में एक वैभवपूर्ण जीवन जीने लगता है, जहाँ उसकी प्रतिष्ठा मिल मजदूरों, मालिकों और राजनेताओं के बीच बढ़ती चली जाती है।

एक समय ऐसा आता है, जब उसे अपने गाँव के लिए लौटना पड़ता है। वहाँ वह अपने पुश्तैनी संपत्ति के संरक्षण हेतु उसी चाचा के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, जिसके

साथ मिल में काम की शुरुआत की थी। संपत्ति विवाद के सिलसिले में वह ग्रामीण राजनीति में प्रवेश करता है। उसने पारंपरिक पंचायतों के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास किया, परंतु उसके चाचा हर निर्णय को अस्वीकार करते चले गए। इस संघर्ष के माध्यम से देवनाथ को पहली बार ग्रामीण सत्ता संरचना की वास्तविकता का बोध होता है। क्षेत्रीय सत्ता चौधरी बेला सिंह के इर्द-गिर्द संचालित होती है, जो इलाके के सबसे बड़े काश्तकारों में से एक है और जिसके पास बारह सौ एकड़ भूमि है। लेखक के अनुसार- आज़ादी मिलने से इनको शौक लगता है। चौधरी साहब अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए किसान संघ बनाकर संगठनात्मक राजनीति में संलग्न हैं।

मजदूर नेता देवनाथ अपनी पहचान बनाते हुए कभी मजदूरों की माँगों के पक्ष में आवाज़ उठाता है, तो कभी अधिकारियों को चुनौती देता है। परंतु गाँव में आते ही वह अपने चाचा से भूमि-संपत्ति बचाने के प्रयास में चौधरी बेला सिंह जैसे शक्तिशाली ज़मींदार के जाल में फँस जाता है। धीरे-धीरे उसे यह अनुभूति होती है कि आज़ादी के बाद भी गाँव में नफरत, क्रोध, मारपीट और भ्रष्ट राजनीति तीव्र रूप से विकसित हो रही है। फिर भी वह स्वयं को आश्वस्त करता है कि अपन तो ज़मीन जायदाद पर कब्ज़ा जमाकर फिर कलकत्ता लौट जाएँगे, किंतु वास्तविकता उससे विपरीत सिद्ध होती है।

इस प्रकार मधुकर सिंह ने अपने उपन्यास के माध्यम से भारतीय ग्रामीण सत्ता संरचना की जटिलताओं, वर्ग संघर्ष तथा मानवाधिकारों के हनन को गहराई से चित्रित किया है।

मजदूर और गरीब किसानों का संघर्ष श्रमिकों की हड़तालों, प्रतिरोध आंदोलनों एवं विद्रोहों के रूप में प्रकट होता है। मधुकर सिंह के कथा साहित्य में वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से निर्मित की गई है, जहाँ पात्र सजग और सामाजिक चेतना से परिपूर्ण होकर अपने विपरीत

यथार्थ के विरुद्ध खड़े होते हैं। सवर्ण और दलित के बीच चल रहे संघर्ष, छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के मध्य टकराव, सत्य की अवहेलना और विरोध की प्रक्रिया को लेखक ने गहराई से प्रस्तुत किया है। यह संघर्ष न केवल परिवर्तन की भूमि का निर्माण करता है, बल्कि उसे विफल करने का प्रयास करने वालों का असली चेहरा भी समाज के समक्ष उजागर करता है। इस प्रकार, मधुकर सिंह की रचनाओं में मानवाधिकार की संवेदनशीलता तथा उसकी वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण पटल पर स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है।

गाँव लौटने पर देवनाथ को यह अहसास होता है कि शहर में रहते हुए उसने अपनी पत्नी को जितना मूर्ख समझा था, वास्तव में कई मायनों में वह उससे अधिक विवेकशील और समझदार है। गाँव की सामाजिक संरचना और जीवन के ताने-बाने को उसने शहर की अपेक्षा अधिक वास्तविक एवं समग्र रूप में समझा। देवनाथ को कलकत्ता की बातें अब छोटी, तुच्छ और नकली प्रतीत होने लगती हैं। इस तरह गाँव और शहर की सत्ता संरचना के बीच के अंतर को मधुकर सिंह ने अपने उपन्यास में प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। देवनाथ की कथा के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि गाँव की सत्ता व्यवस्था अत्यधिक जटिल, क्रूर और अमानवीय है। जहाँ शहरों में मिल मजदूरों के नेता को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सकता है, वहीं गाँव में गरीब, दलित और छोटे जाति वर्ग के लिए आज़ादी के बाद भी कोई प्रतिष्ठित सामाजिक स्थान उपलब्ध नहीं हो सका है। जैसा कि लेखक ने कथित रूप में व्यक्त किया है कि गाँव की हालत यह है कि छः गाँव में या तो गुलाम बनके रहो और नहीं तो कमज़ोर आदमी को जल्दी वहाँ से उजाड़ दिया जाएगा।

व्यक्ति के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार की अवधारणा समाज की जैविक इकाई के रूप में व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों से जुड़ी है। मानवाधिकार केवल निजी स्वतंत्रता तक सीमित नहीं, बल्कि यह व्यापक मानव गरिमा,

समानता, न्याय और सम्मान की रक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए, इसे कभी-कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार अथवा नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, जो मानव जाति के सर्वांगीण कल्याण के लिए अनिवार्य एवं सार्वभौमिक माने जाते हैं।

चटकल मिल मजदूरों के बीच राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से देवनाथ सिंह में वर्गीय चेतना का उदय हुआ। इस वर्गीय चेतना के तहत वह गाँव की बदलती राजनीतिक संरचना को उचित एवं न्यायसंगत मानने लगता है। उसकी सामाजिक समझ उसे यह निष्कर्ष प्रदान करती है कि बलदेव महतो की चोट सही जगह पर है। ज़मीन की केंद्रीयता को तोड़े बिना गाँव में समतामूलक समाज का निर्माण संभव नहीं है, तथा खेत मजदूर और छोटे किसान एक सम्मानजनक जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। समय के साथ-साथ गाँव में रहते-रहते—**“देवनाथ को समझ में आ रहा है कि यहाँ तो दुनिया उलटती जा रही है, मेहनत मजदूरी करता है कौन। खा रहा है कौन। यहाँ तो सच्चाई को सफाई से बदल दिया जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। अब थोड़े दिनों में उसका नलकूप चौधरी का हो जाएगा। वह जैसा था वैसा ही रहेगा।”**⁵

इन सामाजिक विसंगतियों से मुक्ति का एकमात्र उपाय मानव का मूलभूत जीवनावश्यक मानवाधिकारों का उचित और प्रभावशाली क्रियान्वयन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित मानवाधिकारों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान हेतु उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण, न्यायसंगत, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान किया जा सके। इस प्रकार, मधुकर सिंह की रचनाओं में वर्गीय संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से मानवाधिकार की सशक्त व्याख्या प्रस्तुत की गई है।

निष्कर्ष

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा-साहित्य में मानवाधिकार की परिकल्पना समाज की जटिल सामाजिक, आर्थिक,

राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक बनकर उभरती है। मधुकर सिंह के कथा-साहित्य ने इस संवेदनशील विषय पर प्रभावशाली एवं यथार्थपरक दृष्टि प्रस्तुत की है। उनकी रचनाओं में स्त्री, बालक, मजदूर, किसान, दलित और प्रवासी वर्ग जैसे समाज के वंचित समूहों के अधिकारों की सक्रिय रूप से चर्चा की गई है। 'सबसे बड़ा छल' उपन्यास के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण सत्ता संरचना की अमानवीयता और जटिलता को उद्घाटित किया है। पात्रों में विकसित वर्गीय चेतना ने समाज के विषम संघर्षों को स्पष्ट किया है, साथ ही मानवाधिकार की वास्तविक गरिमा व उसके हनन की सजीव झलक प्रस्तुत की है।

लेखक का यह मानना है कि केवल अधिकारों की घोषणा पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका उचित क्रियान्वयन आवश्यक है। यही कारण है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के सार्वभौमिक सिद्धांतों को सामाजिक न्याय के स्थायित्व का माध्यम माना है। अतः यह कहा जा सकता है कि मधुकर सिंह की कहानियाँ समाज की असमानताओं के खिलाफ सशक्त आवाज़ हैं, जो मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए आज भी प्रासंगिक दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं।



संदर्भ सूची

1. <https://www.coe.int/en/web/compass/what-are-human-rights->
2. <https://www.un.org/en/about-us/udhr/history-of-the-declaration>
3. मधुकर सिंह, समय कथा चक्र, सबसे बड़ा छल, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 17
4. मधुकर सिंह, समय कथा चक्र, सबसे बड़ा छल, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 17
5. मधुकर सिंह, समय कथा चक्र, सबसे बड़ा छल, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 66



पिंकी मीना

सहायक आचार्य
(हिंदी विभाग)
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय
महाविद्यालय
अजमेर-305001 राजस्थान
संपर्क
pinkibaiflawat2@gmail.com

नागार्जुन की कविताओं में मानवाधिकार की संकल्पना : मानव मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में

शोध सारांश

यह शोध-पत्र मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के प्रख्यात कवि नागार्जुन के साहित्यिक योगदान का विश्लेषण करता है। मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार है, जिसकी रक्षा के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आयोग गठित किए गए हैं। परंतु आज के भूमंडलीकरण और उपभोक्तावादी समाज में इन अधिकारों का हनन व्यापक रूप से देखा जा रहा है। नागार्जुन ऐसे कवि हैं, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के शोषित, दलित, पीड़ित और उपेक्षित वर्गों की आवाज़ को मुखर किया है। उनकी कविताएँ सत्ता और शोषण के विरुद्ध जनमानस की चेतना को जगाने का कार्य करती हैं। उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता, सामाजिक-आर्थिक समानता और राजनीतिक अधिकारों के पक्ष में सशक्त हस्तक्षेप किया। 'प्रतिबद्ध हूँ', 'घर से बाहर निकलेगी कैसे लजवंती' और 'तालाब की मछलियाँ' जैसी कविताएँ उनके जनपक्षधर विचारों की प्रतिमूर्ति हैं। नागार्जुन की कविताएँ संवेदना, प्रतिरोध और परिवर्तन की चेतना से ओतप्रोत हैं। वे न केवल कवि, बल्कि जनता के प्रतिनिधि रूप में भी सामने आते हैं। इस प्रकार नागार्जुन का काव्य-साहित्य, मानवाधिकारों की स्थापना और सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु एक प्रभावशाली माध्यम सिद्ध होता है।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार
2. सामाजिक न्याय
3. शोषण-विरोध
4. जनचेतना
5. मानवतावाद
6. नागार्जुन

मूल शोध

'मानवाधिकार', हममें से प्रत्येक इसके हकदार हैं। ये अधिकार सार्वभौमिक हैं, हर व्यक्ति चाहे उसकी राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग या स्थिति कुछ भी हो, इन अधिकारों का अधिकारी है। बिना किसी भेदभाव के मानवाधिकार सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। "भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितम्बर, 1993 ई. को एक अध्यादेश जारी किया जिसे दिसम्बर 1993 को लोक सभा में पारित कर दिया गया। 8 जनवरी, 1994 को राष्ट्रपति का इस विधेयक पर हस्ताक्षर हो गया।"¹ इस अधिनियम

को 'मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के नाम से जाना गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (2019 में संशोधित) में मानवाधिकारों और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों की बेहतर सुरक्षा के लिए राज्यों और मानवाधिकार न्यायालयों में राज्य मानवाधिकार आयोग का संचालन करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है, लेकिन आज जिस परिस्थिति में संसार अपने को खड़ा पा रहा है वह चुनौतियों भरी है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में नई-नई अवधारणाएँ, परिकल्पनाएँ और विचारधाराएँ देश समाज और मनुष्य को आंदोलित कर रही है। आज का युवा भूमंडलीकरण के इस दौर में उपभोक्तावादी संस्कृति से प्रभावित होता जा रहा है। चाहे वह राष्ट्र हो, स्त्री हो, समाज हो, मानवीय मूल्य हो, संस्कृति हो या आपसी संबंध हो, सब का उपभोग किया जा सकता है।

इसी उपभोक्तावादी नारे ने आज हमारे समय एवं समाज के सामने कई गंभीर समस्याओं को ला खड़ा किया है। ऐसे में साहित्य और साहित्यकार की भूमिका बढ़ जाती है। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार, बलात्कार, हिंसा, क्रूरता, अमानवीयता, नरसंहार, नस्लीय भेदभाव, संवेदनहीनता, प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही जा रही है तब साहित्य का दायित्व गहरा हो जाता है। हमारा साहित्य इस बात का गवाह है कि सदियों से समाज में अधिकारों के प्रति मानव का स्वर मुखर हुआ है। गीता, रामायण, महाभारत से लेकर आधुनिक साहित्य तक में मानवाधिकारों के प्रति चेतना का स्वर दिखाई देता है।

मानवाधिकार के चिंतन-मनन एवं अभिव्यक्ति के संबंध में हिंदी साहित्य भी अछूता नहीं रहा है। हिंदी साहित्य में जहाँ आमिर खुसरों, तुलसीदास, सूरदास, जायसी, कबीर, मीरा, रैदास आदि ने मानवीय मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान दिया, वहीं बाबू हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, निराला, मुक्तिबोध, धूमिल, कुंवर नारायण आदि ने शोषण मुक्त

समाज की अवधारणा का साहित्य के माध्यम से विस्तार किया। इस क्रम में प्रसिद्ध हिंदी और मैथिली कवि नागार्जुन (मूल नाम - वैद्यनाथ मिश्र) का नाम आदर के साथ लिया जा सकता है। नागार्जुन लोकप्रिय एवं सशक्त कवि हैं। उनकी कविताएँ वर्तमान समय में यथार्थ की सटीक भाषिक अभिव्यक्तियाँ हैं।

उन्होंने मानवाधिकार को केंद्र में रखकर अनेक कविताओं का सृजन किया है, वह चाहे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार हो, मजदूर वर्ग के अधिकार हों, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हों या राजनीतिक अधिकार हों, कवि जन सामान्य के मानवाधिकार चेतना की बात पुरजोर तरीके से रखते हैं, वे कहते हैं-

**“देश भक्ति का जनसेवा का नाटक ही करते आए हम
आओ तुमको भली-भाँति पहचान गए हैं हम
खदरधारी घड़ियालों की पलटनें तिरंगा चबा गईं
सत्य अहिंसा की प्रतिमा को दीर्घा की मेढ़की खा गईं।”²**

नागार्जुन ने अपनी कविताओं में सामाजिक अन्याय, गरीबी और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। वे शासकों के छल-छद्मों का पर्दाफाश करते हुए मानवतावादी चेतना को बढ़ावा देते हैं। नागार्जुन स्वाधीनता पश्चात् भारत के जनवादी हिंदी काव्य के प्रतिनिधि जनकवि के रूप में विख्यात हैं और वे स्वयं अपना ये उत्तरदायित्व जानते हैं, इसलिए कहते हैं-

**“जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊँ
जनकवि हूँ मैं साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊँ
जनकवि हूँ मैं क्यों चाटूँ थूक तुम्हारी
श्रमिकों पर क्यों चलने दूँ बंदूक तुम्हारी।”³**

नागार्जुन की कविताओं में मानवाधिकार की संकल्पना बहुत प्रखर रही है। उन्होंने निम्न से निम्न व्यक्तियों को भी अपनी कविता का नायक बनाया और इन्हीं पीड़ितों की ज़िंदगी को अपनी कविता में गहराई एवं मार्मिकता से चित्रित किया। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विषमता को प्रभावशाली ढंग से चित्रित करते हुए देश की पीड़ित

जनता का दुःख-दर्द पूर्णता के साथ अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। यही कारण है कि उनके काव्य में सर्वहारा-वर्ग का यथार्थ जीवन-चित्र अंकित है। वे अपनी कविता 'मास्टर' में वर्तमान व्यवस्था के चलते सामान्य जन की दुर्दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं-

**“घुन-खाए शहतीरों पर की, बाराखड़ी विधाता बाँचे
फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिसतुइया नाचे
बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में पाँच तमाचे
इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के साँचे।”⁴**

समाज में शक्तिशाली लोग कमजोर तथा गरीब लोगों का शोषण करते हैं। स्त्री, किसानों, मजदूरों और दलितों को द्राक्षा की तरह चूस कर उनके अधिकारों का सरेआम हनन करते हैं। नागार्जुन की ऐतिहासिक चेतना और सामाजिक यथार्थ को परखने की दृष्टि बहुत पैनी है, उन्होंने उत्पीड़न की अभिव्यक्ति करने वाली कई कविताएँ लिखी। 'भारत माता का मंदिर' नामक कविता समाज में व्याप्त असमानता और शोषण का एक प्रतीकात्मक दस्तावेज़ है। कविता में वे उन लोगों पर व्यंग्य करते हैं, जो बाहर से खादी पहन कर देशभक्ति का चेहरा दिखाते हैं, लेकिन भीतर से शोषक-जमींदार, साहूकार, व्यापारी बने रहते हैं। दासता का मार्मिक वर्णन करते हुए कवि व्यवस्था की सड़ांध भरी सच्चाई का पर्दाफाश 'सच न बोलना' कविता में करते हैं-

**“जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं
अन्दर-अन्दर विकट कसाई बाहर खद्दरधारी हैं
सब घुस आए भरा पड़ा है भारत माता का मंदिर
एक बार जो फिसले अगुआ फिसल रहे हैं, फिर-फिर-
फिर।”⁵**

संविधान प्रदत्त शोषण के विरुद्ध मानवाधिकार बलात् श्रम व बेगार को रोकता है। कवि की पक्षधरता उस सामान्य आम आदमी से है, जो स्वतंत्र भारत में भूख से मर रहा है, आधे पेट भोजन के लिए रात दिन संघर्ष और श्रम करता है। कवि चाहते हैं कि यह शोषित पीड़ित दलित

आम जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो। 'लो देखो अपना चमत्कार' कविता में दृष्टव्य है-

**“गोबर, महगू, बलचनमा और चातुरी चमार
सब छीन ले रहे स्वाधिकार
आगे बढ़कर सब जूझ रहे।”⁶**

साहित्य स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना से युक्त मानवीय गुणों को संरक्षण प्रदान करते हुए “सर्वे भवन्तु सुखिनः” की कामना करता है। मानव मूल्यों के प्रति कवि सजग हैं। वे ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, सभी स्वतंत्रता का उपभोग करें और सुखी रहें। कवि नागार्जुन स्वतंत्रता के नव-निर्माण और विषमता को दूर करने के लिए 'पक्षधर' कविता में क्रांति के लिए तत्पर हैं-

**“मन और तन की समूची ताकत लगाकर
विघ्नबाधा के पहाड़ों को गिरा दो ढहा दो
अमंगल के अशुभ के शुभ हेतुओं को धवस्त कर दो।”⁷**

नागार्जुन की जीवन-दृष्टि का दूसरा आयाम कठिन परिस्थितियों में अटूट साहस और धैर्य से जुड़ा है। उनकी कविताएँ जनजीवन की पीड़ा को केंद्र में रखती हैं, अन्याय का प्रतिरोध करती हैं और न्याय के पक्ष को सशक्त रूप से प्रस्तुत करती हैं। 'प्रतिबद्ध हूँ' कविता में कवि स्पष्ट रूप से मानव को न्याय और मानवाधिकार दिलाने की अपनी अडिग प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।

**“प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ,
बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त
संकुचित 'स्व' की आपधापी के निषेधार्थ....
अविवेकी भीड़ की 'भेड़िया-धसान' के खिलाफ....
अंध-बधिर 'व्यक्तियों' को सही राह बतलाने के लिए....
अपने आप को भी 'व्यामोह' से बारंबार उबारने की खातिर
प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ शतधा प्रतिबद्ध हूँ।”⁸**

नागार्जुन की प्रतिबद्धता केवल काव्यात्मक अलंकरण नहीं है, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और रचनात्मक चेतना

का अविभाज्य अंग है। यह उनकी जनता के प्रति गहरी आस्था और अपार प्रेम से उपजी हुई सच्चाई है। वे जिस भूमि पर खड़े होकर सामान्य जन का चित्रण करते हैं, वही जनसाधारण की सोच, पीड़ा और संघर्ष की वास्तविक ज़मीन है। उनकी कविताओं में समाज अपने संपूर्ण यथार्थ-उसकी विशेषताओं, विद्रूपताओं और संवेदनाओं के साथ सजीव होकर सामने आता है। नागार्जुन का काव्य अन्याय से मुक्ति और न्यायपूर्ण जीवन के अधिकार को मानवीय गरिमा से जोड़ता है। यही विश्व-बंधुत्व और न्यायसंगत समाज की आकांक्षा उन्हें कविता 'युग की चहल-पहल' में व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है।

“हिंसा-अहिंसा के खटारा छोड़ो

ईंटों पर ईंटें जोड़ो

उबड़-खाबड़ चट्टान तोड़ो

धरती को बनाओ समतल

सुनें-देखें सभी ओर काम की हलचल

महसूस हो सबको नए युग की चहल-पहल।”⁹

कवि ने अपनी वैयक्तिकता को आधार बनाकर अपनी निजी अनुभूतियों के साथ-साथ स्वदेश एवं स्वदेशवासियों की अनुभूति को भी विविध प्रकार से अभिव्यक्ति प्रदान की है। कवि ने सामाजिक वैषम्य के बढ़ते हुए सुरसा के से मुख को भी देखा है, इसलिए वैषम्य से दुखी होकर और अभावों से उकताकर कवि मज़दूर-राज्य स्थापित करने के लिए जनता का आह्वान करता है, जिससे वर्ग-संघर्ष समाप्त हो जाएगा, किसान-मज़दूर भी ज़मीन के मालिक बन जाएंगे तथा अभाव और बेकारी का सफाया हो जाएगा। इस तरह नागार्जुन ने सच्चे मानवतावादी-कवि की भूमिका का अत्यंत सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

अतः साहित्य, मानव को मूल्य-बोध कराते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग करता है एवं संस्कृति के साथ जीवन यापन का संदेश देता है। वर्तमान समय में मानवाधिकार, साहित्य चिंतन का प्रमुख विषय है। मानवाधिकारों की संकल्पना से नागार्जुन का गहरा नाता

रहा है। दीन व शोषित की करुण पुकार से लेकर शोषण के विरोध में पूरी ताकत से आवाज़ उठाने में कवि ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई है। कमज़ोर लोगों की तरफ़दारी करना, प्रतिक्रियावादी ताकतों की मुखालफ़त करना तथा अन्याय के प्रति उदासीनता को खत्म करना, यही उनके साहित्यिक कर्म का उद्देश्य रहा है। समकालीन समीक्षक कवि विष्णु खरे कहते हैं कि सन् 1947 के बाद भारत को यदि कविता में पूरी तरह से किसी ने प्रतिबिंबित किया है, तो वह नागार्जुन हैं। उनकी कविता मानव-मूल्यों की सुरक्षा व संरक्षण के दायित्व का पूर्णता के साथ निर्वाह करती है।

निष्कर्ष

नागार्जुन की कविताएँ केवल साहित्यिक कृतियाँ नहीं हैं, बल्कि वे समाज की अंतरात्मा की गूँज भी हैं, जिनमें शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्ग की वेदना को स्वर मिला है। उन्होंने अपने काव्य में मानवाधिकार की संकल्पना को केवल वैचारिक स्तर पर नहीं रखा, बल्कि उसे जनमानस के जीवन और संघर्ष से जोड़ा। उनकी कविताओं में गरीबी, असमानता, अन्याय और शोषण के विरुद्ध तीखा प्रतिरोध दिखाई देता है, जो जनसाधारण को अपने अधिकारों के प्रति सजग और संघर्षशील बनने की प्रेरणा देता है। नागार्जुन का मानना है कि मानवाधिकार केवल कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और अस्तित्व का आधार है। इसी कारण वे मज़दूर, किसान, दलित और स्त्री सभी वंचित तबकों की पीड़ा को मुखर कर उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता दिलाने की माँग करते हैं।

उनकी कविता में प्रतिबद्धता, मानवीय संवेदना और परिवर्तन की ललक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। साहित्य को उन्होंने सामाजिक न्याय और मानव कल्याण का सशक्त माध्यम माना और अपने लेखन के माध्यम से समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना का आह्वान किया। सारतः नागार्जुन का काव्य भारतीय

साहित्य में मानवाधिकारों की चेतना का प्रखर और प्रभावशाली स्तंभ है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी न्याय और मानव गरिमा की राह दिखाता रहेगा।



संदर्भ सूची

1. उपाध्याय जे.जे. राम, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एंजेन्सी, इलाहाबाद, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 124, 125
2. नागार्जुन, हजारों हजारों बाहों वाली, यात्री प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-1994, पृष्ठ सं- 64
3. डॉ. मीरा चंद्रा, नागार्जुन का कथा साहित्य, अमन प्रकाशन, कानपुर, संस्करण-1998, पृष्ठ सं- 231
4. शोभाकांत, नागार्जुन रचनावली (खण्ड-1), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 249
5. शोभाकांत, नागार्जुन रचनावली (खण्ड-1), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 133
6. नागार्जुन, तुमने कहा था, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1988, पृष्ठ सं- 55
7. नागार्जुन, युगधारा, यात्री प्रकाशन, दिल्ली, द्वितीय संस्करण-1994, पृष्ठ सं- 63
8. नागार्जुन, नागार्जुन की चुनी रचनाएँ-2, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2014, पृष्ठ सं- 121
9. शोभाकांत, नागार्जुन रचनावली (खण्ड-2), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 165



कैलाश चंद

Ph.D. शोधार्थी
भाषा विभाग (संस्कृत)
मानविकी एवं उदार शिक्षा संकाय
बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय
अस्थल बोहर
रोहतक-124021
हरियाणा
संपर्क
kailash88.plp@gmail.com

शोध निर्देशक

डॉ. हरिओम
सहायक आचार्य
भाषा विभाग (संस्कृत)
मानविकी एवं उदार शिक्षा संकाय
बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय
अस्थल बोहर, रोहतक-124021
हरियाणा

महाभारत में न्याय व्यवस्था एवं दण्ड-विधान (शान्तिपर्व के विशेष संदर्भ में)

शोध सारांश

किसी भी राष्ट्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने एवं प्रजा को अपने कर्तव्य-पालन के लिए प्रेरित करने में न्याय व्यवस्था एवं दण्ड-विधान का स्थान सर्वोपरि है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने न्याय के लिए विधि, दण्ड और व्यवहार इत्यादि शब्दों का उल्लेख किया है। न्याय शब्द का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को वह प्राप्त हो जिसका वह अधिकार रखता है। यह अधिकार, ईमानदारी समानता एवं कानून के पालन की पुष्टि से जुड़ा है। न्याय की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है, जितनी कि हमारी अपनी सभ्यता है। वर्तमान में हम किसी ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ न्याय की उपस्थिति नहीं हो, क्योंकि कोई भी समुदाय अथवा समाज बिना न्याय (दण्ड-विधान) के नहीं बना रह सकता है। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार न्याय का संबंध अधिकारों की धारणा से अधिक अपने कर्तव्यों के पालन से था। प्राचीन भारतीय परंपरा में न्याय से संबंधित दो दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं, प्रथम दण्डनीति एवं दूसरा धर्म या कर्तव्य। दण्डनीति न्याय की दण्ड संबंधी आधुनिक धारणाओं के अत्यंत समीप थी। इसने न्याय के कानूनी पहलू पर बल दिया, अतः दण्ड-विधान को न्याय-व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।

धर्मशास्त्रों के अनुसार अति प्राचीन काल में कानून की प्रथा प्रचलित नहीं थी, अधिकांश जन समुदाय नीतियुक्त आचरण करते थे। उनमें राग, द्वेष, लोभ, मोह, घृणा, ईर्ष्या इत्यादि कुत्सित प्रवृत्तियों का प्रचलन नहीं था। परंतु धीरे-धीरे मनुष्य में ये घृणित प्रवृत्तियाँ जन्म लेने लगीं, जिसके कारण समाज में अव्यवस्था एवं अराजकता का जन्म हुआ। इस समस्या के समाधानार्थ प्रजापति ने राजा की सृष्टि की एवं उसकी सहायता के लिए न्याय एवं व्यवस्था का प्रतिपादन किया। न्याय व्यवस्था के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र में एक संतुलन स्थापित होता है। बिना न्याय एवं दण्ड व्यवस्था के राज्य का संचालन करना दुष्कर कार्य है तथा सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था के बिना समाज में अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो सकता है।

बीज शब्द

1. अभ्रेष 2. प्रसिति 3. मन 3. विचरण
4. मत्स्य 6. पथभ्रष्ट 7. दण्ड-विधान

मूल शोध

न्याय शब्द का अर्थ एवं स्वरूप- पाणिनि ने न्याय शब्द का अर्थ 'अभ्रेष' लिखा है। अभ्रेष का अर्थ है, जो परम्परा से प्राप्त आचार या विधि है, उसका अस्खलन या अनिराकरण न्याय है, अर्थात् परम्परागत पद्धति को ध्यान में रखते हुए निर्णय देना 'अभ्रेष' न्याय है। "परिन्योनीणोद्युताभ्रेषयो? (परिन्योः नौणोः द्यूताभ्रेषयोः)"¹ (३ अ, ३ पा, ३७ सूत्र- अष्टाध्यायी)

गोपथ ब्राह्मण में भ्रेष और अभ्रेष दो प्रकार के न्याय का वर्णन है। न्याय का प्रयोजन है निष्पक्ष न्याय करना, अपराधी को दण्ड देना और निरपराध को दण्ड से मुक्त करना। इसका उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राजा पर होता है। राजा प्रजा से कर लेता है और उसके बदले में प्रजा को संरक्षण देना, न्याय देना, उसका उत्तरदायित्व होता है। न्याय के स्वरूप, इस विषय पर ऋग्वेद और अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में विशेष रूप से वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेद के मतानुसार सत्य और असत्य में विवाद का न्याय राजा करता है। वह सत्य की रक्षा करता है और मिथ्याचारी और बलवान को मारता है अर्थात् असत्य पक्ष को दंडित करता है। वह अपराधी (राक्षस) को दण्ड देता है और झूठ बोलने वाले को कड़ी सज़ा देता है। "हन्ति रक्षो हन्त्यासद् वदन्तम् उभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते।"² (०७ मं, १०४ सूक्त, १३ मंत्र- ऋग्वेद)

अथर्ववेद ने भी न्याय का यही स्वरूप दिया है। झूठ बोलने वाले को दंडित किया जाए और जो सत्यवादी है या निरपराधी है, उसको दण्ड से मुक्त किया जाए। "छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं यः सत्यवादी- अति तं सृजन्तु।"³ (०४ काण्ड, १६ सूक्त, ०६ मंत्र- अथर्ववेद) जो झूठा है, अपराधी है, उसको किसी भी हालत में न छोड़ा जाए। अपराधी सैकड़ों बंधनों में बाँधा जाए। "शतेन

पाशैरभि धेहि वरुणैनं मा ते मोच्यनृतवाङ् नृचक्षः।"⁴ (०४ काण्ड, १६ सूक्त ०७ मंत्र- अथर्ववेद) इसका अभिप्राय यह है कि अपराधी को दण्ड देना और निरपराध को दोषों से मुक्त करना ही न्याय है।

दण्ड शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ विभिन्न कोश ग्रन्थों में एवं वैयाकरणों ने दण्ड की व्युत्पत्ति पर विचार किया है तथा दण्ड शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के मंत्र में दण्ड शब्द का प्रयोग शत्रुओं के दमन के अर्थ में पूर्णतः स्पष्ट हुआ है। "शृण्वे वीर उग्रमुग्रंदमायन्नन्यमन्यमतिनेनीयमानः।"⁵ (०६ मं, ४७ सूक्त, १६ मंत्र- ऋग्वेद) पाणिनीय व्याकरण में दण्ड शब्द का प्रयोग निपातन अर्थ में किया गया है। यास्क के अनुसार दण्ड शब्द की व्युत्पत्ति 'दम' धातु से हुई है अर्थात् जिसके द्वारा अपराधियों का दमन किया जाता है, उसे दण्ड कहते हैं। महर्षि गौतम के अनुसार दमन करने के कारण ही दण्ड विधि को दण्ड कहा गया है। संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ के अनुसार दण्ड शब्द 'घञ्' अथवा 'अच्' प्रत्यय लगाकर सिद्ध होता है। इसी ग्रन्थ में दण्ड को विष्णु तथा शिव का पर्याय माना गया है। आचार्य कौटिल्य के अनुसार दण्ड के द्वारा ही प्राप्त वस्तुओं की रक्षा की जाती है "अलब्धलाभार्थाः लब्धपरिरक्षिणी रक्षितविवर्धनी वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी चाः"⁶ (१ अध्याय, ०३ श्लोक, अर्थशास्त्र) मनु के अनुसार दण्ड वह विधान है, जिसके (दण्ड के) भय से ही सभी स्थावर और जङ्गम प्राणी अपने-अपने कर्मफलादि के भोग में समर्थ होते हैं और अपने धर्म से विचलित भी नहीं होते हैं। "तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। भयाद् भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान् न चलन्ति चः"⁷ (०७ अध्याय, १५ श्लोक, मनुस्मृति) याज्ञवल्क्य के अनुसार अपराधियों का दमन करना ही दण्ड है। "तदवाप्य नृपो दण्डं दुर्वृत्तेषु निपातयेत्। धर्मो हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा।"⁸ (०१ अध्याय, ३५४ श्लोक, याज्ञवल्क्यस्मृति) महाभारत के शान्तिपर्व के अनुसार पहले संसार में न राज्य था, न राजा, न दण्ड था और न दण्ड का विधान करने वाला ही। सब प्रजा धर्म

से एक दूसरे की रक्षा करती थी। “नैव राज्यं न राजसीन्न दण्डो न च दण्डिकः। धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति च परस्परम्।”⁹ (५९ अध्याय, १४ श्लोक, महाभारत)। इस विषय में शान्तिपर्व में वर्णन प्राप्त होता है कि दुष्टों का दमन और उदण्ड पुरुषों को जो शासित करता है एवं दमन और दण्डित करने से पण्डितों ने उसका नाम दण्ड रखा है। “यस्माददान्तान् दमत्यशिष्टान् दण्डयत्यपि। दमनाद् दण्डनाच्चैव तस्माद्दण्डं विदुर्बुधाः।”¹⁰ (१५ अध्याय, ०८ श्लोक, महाभारत)

दण्ड की महत्ता : वैदिक कालीन साहित्य में दण्ड-प्रयोग का वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अनुसार राजा का यह परम कर्तव्य था कि सूर्यसदृश अन्याय रूपी अन्धकार का नाश करके श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करें एवं अवरोधों को हटाए। वाल्मीकि रामायण में भी दण्ड को संपूर्ण प्रजा का सुरक्षा कवच बतलाया गया है। “सम्यक् प्रणिहिते दण्डे प्रजा भवति रक्षिता।”¹¹ (०७ काण्ड, ५९ अध्याय, ३२ श्लोक, रामायण) धर्मशास्त्रकारों ने दण्ड के महत्त्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है कि जहाँ श्यामवर्ण का लाल आँख वाला पापनाशक दण्ड विचरण करता है, वहाँ प्रजा भयभीत नहीं होती है। दण्ड के माध्यम से सारे संसार को वश में किया जा सकता है। दण्ड के ही भय से जगत भोग में समर्थ होता है। यदि दण्ड का भय न हो, तो चोर और डाकू सबका सर्वस्वहरण कर लें। किसी की कोई भोग्य वस्तु न रह जाए। अतः समाज में शान्ति एवं सुव्यवस्था कायम रखने के लिए दण्ड का बड़ा महत्त्व है। मनु के अनुसार दण्ड राजा है, क्योंकि दण्ड में ही राज करने की शक्ति होती है। दण्ड पुरुष है, दण्ड नेता है, दण्ड प्रशासन करने वाला है, क्योंकि दण्ड की आज्ञा से ही सब अपने-अपने कर्म में संलग्न होते हैं। दण्ड के भय से ही संपूर्ण संसार अपने अपने उपभोग भोगने के लिए समर्थ होते हैं। गौतम के अनुसार जो राजा विधिपूर्वक न्याय करता है, उसका दोनों लोकों में कल्याण होता है, लेकिन जो राजा दया के वशीभूत होकर अपराधी को दण्ड देता है वह स्वयं उस पाप से युक्त हो जाता है और उसे स्वयं उस पाप का

प्रायश्चित्त करना पड़ता है। कौटिल्य ने मत्स्य न्याय से मुक्ति के लिए दण्ड को आवश्यक माना है क्योंकि इसके बिना अराजकता फैल जाती है। चारों वर्णाश्रम एवं लोक का पालन राजा दण्ड के ही बल पर करता है। उसी से सब अपने नियत कर्म में रत रहते हैं। अतएव आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता तीनों विद्याओं की स्थिति दण्ड के अधीन है। याज्ञवल्क्य के अनुसार शास्त्र के विधि-विधानों के अनुसार व्यवहार में लाए जाने पर दण्ड देवता, राक्षस एवं मनुष्यों सहित इस संपूर्ण समाज को आनन्दित करता है। शास्त्र के विपरीत दण्ड देने पर राजा का सर्वस्व विनाश हो जाता है, किंतु सम्यक रूप से दण्ड देने पर राजा को यशकीर्ति एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो राजा दण्ड का उचित ढंग से प्रयोग करता है वह अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का फल प्राप्त करता है। सभी वर्णों, जातियों तथा समुदायों को अपने धर्म से पथभ्रष्ट होने पर राजा दण्ड के द्वारा ही पुनः स्वधर्म परिपालन के लिए बाध्य करता है।

शान्तिपर्व में दण्ड का वर्णन जितना विस्तार से प्राप्त होता है उतना वर्णन अन्य ग्रंथों में प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। इसमें वर्णन प्राप्त होता है कि दण्ड ही प्रजा का शासन करता है। दण्ड ही रक्षा करता है। सभी के सो जाने पर दण्ड ही जगा रहता है। पण्डितों ने दण्ड को धर्म बतलाया है। “दण्डो हि भगवान् विष्णुर्दण्डो नारायणः प्रभुः। शाश्वद रूपं महद्विभ्रन्महान्पुरुष उच्यतेः”¹² (१२१ अध्याय, २३ श्लोक, महाभारत) धर्म, अर्थ और काम की रक्षा दण्ड ही करता है, इससे उसका त्रिवर्ग नाम है। दण्ड धन-धान्य की रक्षा करता है। पापी मनुष्य कोई तो राजदण्ड के डर से, कोई नरक के डर से, कोई परलोक के डर से और कोई समाज के डर से पाप नहीं करते। अनेक लोग दण्ड के डर से एक दूसरे को खा नहीं जाते। संसार के प्रायः सभी काम दण्ड के डर से होते हैं। दण्ड यदि संसार की रक्षा न करे, तो सारा संसार घोर अन्धकार में डूब जावे। “दण्डस्यैव भयादेके न खादन्ति परस्परम्। अन्धे तमसि मज्जेयुर्यदि दण्डो न पालयेत्।”¹³ (१५ अध्याय, ०७ श्लोक, महाभारत) दण्ड दुष्टों का दमन करता

और उजड़ों को दण्ड देता है। दमन करने और दण्ड देने से ही इसका नाम दण्ड रखा गया है। **“यस्माददान्तान् दमयत्यशिष्टान् दण्डयत्यपि। दमनाद् दण्डनाच्चैव तस्माद् दण्डं विदुर्बुधाः”**¹⁴ (१५ अध्याय, ०८ श्लोक, महाभारत)

यदि संसार में दण्ड न रहे, तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाए और जैसे जल में बड़े मत्स्य छोटी मछलियों को खा जाते हैं, उसी प्रकार प्रबल जीव दुर्बल जीवों को अपना आहार बना लें? **“दण्डश्चेन्न भवेल्लोके विनश्येयुरिमाः प्रजाः। जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन् दुर्बलान् बलवत्तराः”**¹⁵ (१५ अध्याय, ३० श्लोक, महाभारत)। जो धर्म की मर्यादा नष्ट करके वेदों की निन्दा करने वाले नास्तिक मनुष्य हैं, वे भी दण्ड से पीड़ित होकर शीघ्र ही राह पर आ जाते हैं एवं मर्यादा पालन के लिए तैयार हो जाते हैं? समस्त जगत् दण्ड से विवश होकर नियम का उलंघन नहीं करता; क्योंकि स्वभावतः सर्वथा शुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है। दण्ड के भय से डरा हुआ मनुष्य ही मर्यादा पालन में प्रवृत्त होता है। **“सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्जनः। दण्डस्य हि भयाद् भीतो भोगायैव प्रवर्तते”**¹⁶ (१५ अध्याय, ३४ श्लोक, महाभारत)

यदि दण्ड मर्यादा की रक्षा न करे तो ब्रह्मचारी वेदों के अध्ययन में न लगे, सीधी गौ भी दूध न दुहावे और कन्याओं के विवाह आदि सब कार्य कभी न हों। **“न ब्रह्मचार्यधीयीत कल्याणी गौर्न दुह्यते। न कन्योद्धनं गच्छेद् यदि दण्डो न पालयेत्”**¹⁷ (१५ अध्याय, ३७ श्लोक, महाभारत) जिस राज्य में दण्ड सन्नद्ध होकर घूमता है, उस राष्ट्र की प्रजा कभी दुःखी नहीं होती। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक चारों आश्रमों के लोग दण्ड के भय से ही अपने-अपने कर्तव्य-पथ में स्थिर रहते हैं। केवल इस लोक का व्यवहार ही नहीं पारलौकिक व्यवहार भी दण्ड के भय से ही संपादित होता है।

“ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः। दण्डस्यैव भयादेते मनुष्या वर्त्मनि स्थिताः”¹⁸ (१५ अध्याय, १२ श्लोक, महाभारत)

यदि दण्ड धर्म का भय नहीं होता, तो सेवक स्वामी की बात न मानते, बालक भी कभी माँ-बाप की आज्ञा का पालन न करते और कन्या अपने पिता के शासन में नहीं रहती। समस्त प्रजा दण्ड पर ही टिकी हुई है, दण्ड से ही भय होता है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। मनुष्यों का इहलोक और स्वर्गलोक दण्ड पर ही प्रतिष्ठित है। **“दण्डे स्थिताः प्रजाः सर्वा भयं दण्डे विदुर्बुधाः। दण्डे स्वर्गो मनुष्याणां लोकोऽयं सुप्रतिष्ठितः”**¹⁹ (१५ अध्याय, ४३ श्लोक, महाभारत) जहाँ शत्रुओं का विनाश करने वाला दण्ड सुन्दर ढंग से संचालित हो रहा है, वहाँ छल, पाप और ठगी भी नहीं देखने में आती है।

दण्ड-विधान के साथ रहने वाली यह नीति संपूर्ण जगत् की रक्षा करने वाली है। यह दुष्टों के निग्रह और साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह में तत्पर रहकर संपूर्ण जगत् की रक्षा करती है।

“दण्डेन सहिता ह्येषा लोकरक्षणकारिका। निग्रहानुग्रहरता लोकाननुचरिष्यति”²⁰ (५९ अध्याय, ७७ श्लोक, महाभारत)

इस नीतिशास्त्र के अनुसार यह जगत् दण्ड से सन्मार्ग पर स्थापन किया जाता है अथवा राजा इसके अनुसार प्रजा वर्ग में दण्ड की स्थापना करता है; इसलिए यह विद्या दण्डनीति के नाम से विख्यात है। **“दण्डेन नीयते चेदं दण्डं नयति वा पुनः। दण्डनीतिरिति ख्याता त्रील्लोकानभिवर्तते”**²¹ (५९ अध्याय, ७८ श्लोक, महाभारत)

निष्कर्ष

भारत में दण्ड व्यवस्था हजारों वर्षों में विकसित हुई है, जिसकी नींव प्राचीन शास्त्रों और कानूनी ग्रंथों में गहराई से निहित है। प्राचीन भारत ने एक संरचित कानूनी ढांचे का पालन किया, जहाँ कानून केवल दण्ड का साधन नहीं था, बल्कि धर्म (धार्मिकता) और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का साधन था। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति

और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ प्राचीन भारत के कानूनी दर्शन की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जहाँ राजा न्याय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति उस राष्ट्र की राज्य व्यवस्था में निहित होती है। राज्य व्यवस्था में मुख्य रूप से न्याय व्यवस्था है। बिना न्याय व्यवस्था के राज्य का संचालन करना राजा के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य है। न्याय व्यवस्था के माध्यम से समाज एवं राज्य में एक संतुलन स्थापित होता है। महाभारत के शांतिपर्व के अनुसार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यदि दण्ड मर्यादा का पालन न करावे, तो चारों ओर से धर्म-कर्म का लोप हो जाए, सारी मर्यादाएँ टूट जाएँ और लोग यह भी न जानें कि कौन-सी वस्तु मेरी है और कौन-सी नहीं? समाज में यदि न्याय व्यवस्था (दण्ड-विधान) ना हो, तो शक्तिशाली लोग सामान्य लोगों पर अधिकार बनाने लगेंगे। जिससे संपूर्ण समाज को एकसूत्र में बाँधे रखना मुश्किल हो जाएगा।



संदर्भ सूची

- पाणिनि (व्याख्याकार डा नरेश झा), अष्टाध्यायी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 168
- पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, ऋग्वेद संहिता भाग-3, युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 119
- 3-4 पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, अथर्ववेद संहिता, युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा संस्करण -2014, पृष्ठ सं- 20
- पं श्रीराम शर्मा आचार्य, ऋग्वेद संहिता भाग-2, युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट गायत्री तपोभूमि, मथुरा संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 64
- व्याख्याकार वाचस्पति गैरोला, अर्थशास्त्र कौटिल्य, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, संस्करण-1996, पृष्ठ सं- 12
- अनुवादक शिवराज आचार्य, मनुस्मृति मनु, कौण्डिन्यायन, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 452
- हिंदी व्याख्याकार डॉ गङ्गा सागर राय, याज्ञवल्क्यस्मृति, महर्षि याज्ञवल्क्य, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली संस्करण-2011, पृष्ठ सं- 153,154
- सं- डॉ. प. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, महाभारत, महर्षि वेद व्यास, स्वाध्याय मंडल भारत मुद्रणालय, पारडी जिला बलसाड गुजरात, संस्करण-1971, पृष्ठ सं- 65
- सं- डॉ. प. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, महाभारत, महर्षि वेद व्यास, स्वाध्याय मंडल भारत मुद्रणालय, पारडी जिला बलसाड गुजरात, संस्करण-1971, पृष्ठ सं- 305
- महर्षि वाल्मीकि, रामायण, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-संवत् 2065 पृष्ठ सं -747
- महर्षि वेद व्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-संवत् 2078, पृष्ठ सं- 376
- महर्षि वेद व्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-संवत् 2078, पृष्ठ सं- 50
- महर्षि वेद व्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-संवत् 2078, पृष्ठ सं- 50
- महर्षि वेद व्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-संवत् 2078, पृष्ठ सं- 52
- महर्षि वेद व्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-संवत् 2078, पृष्ठ सं- 52
- महर्षि वेद व्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-संवत् 2078, पृष्ठ सं- 52
- महर्षि वेद व्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-संवत् 2078, पृष्ठ सं- 51
- महर्षि वेद व्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-संवत् 2078, पृष्ठ सं- 53
- महर्षि वेद व्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-संवत् 2078, पृष्ठ सं- 188
- महर्षि वेद व्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-संवत् 2078, पृष्ठ सं- 189



अंकित श्रीवास्तव

Ph.D. शोधार्थी
(संगीत विभाग)
डी.जी.पी.जी. कॉलेज
सिविल लाइंस
कानपुर- 208001
उत्तर प्रदेश
संपर्क
classical.ankit92@gmail.com

शोध निर्देशिका

प्रो. श्रीमती रुचिमिता पांडे
संगीत विभाग (सितार)
डी.जी.पी.जी. कॉलेज
कानपुर-208001
उत्तर प्रदेश

भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियाँ और मानवाधिकार; रचनाओं के औचित्य के संदर्भ में

शोध सारांश

प्रस्तुत शोधालेख में भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायन परंपरा के अंतर्गत आने वाली गायन शैलियों ध्रुपद, धमार, ख्याल, एवं उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आने वाली विभिन्न गायन शैलियाँ, जिनमें प्रमुख रूप से तुमरी एवं दादरा का विशेष स्थान है; के अंतर्गत आने वाली रचनाओं में मानवाधिकार के औचित्य की चर्चा की जाएगी। हम सभी जानते हैं कि आज का युग समानता और स्वतंत्रता का युग है। समाज में साहित्य के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अन्य सभी कार्य क्षेत्रों में पुरुष एवं महिलाएँ समान रूप से भागीदार हैं। मानवाधिकार के अंतर्गत हम पुरुष एवं महिलाओं के समान अधिकारों एवं कर्तव्यों की बात करते हैं। परंतु इस परिप्रेक्ष्य में हम यह भूल जाते हैं कि समाज में नारी उत्पीड़न एवं आरक्षण के अतिरिक्त अन्य अनेक पहलू हैं जिनपर हमने कभी विचार ही नहीं किया। इसी संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा की गायन विधा पर हम मानवाधिकार के औचित्य के संदर्भ में इस शोधालेख में प्रकाश डालेंगे, जिनके नाम ऊपर बताए जा चुके हैं। इन विधाओं की रचनाओं में अधिकतर रचनाएँ श्रृंगाररस एवं भक्तिरस प्रधान होती हैं, परंतु उन रचनाओं का मुख्य आकर्षण केवल नारी का श्रृंगार अथवा ज़्यादा से ज़्यादा देव स्तुति है। परंतु हमारा यह शोधालेख इस बात पर चर्चा करेगा कि मंच-प्रदर्शन के दौरान यदि कोई गायक नारी प्रधान बंदिश अथवा रचना को गाता है अथवा कोई गुरु अपने विद्यार्थियों को ऐसी रचनाएँ सिखाता है, जिसका केंद्रीय पात्र केवल नारियाँ ही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या यह उचित होगा अथवा नहीं। इस तथ्य को पुष्ट करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाएँगे तथा प्रयास किया जाएगा कि इस दिशा में कोई उचित समाधान प्रस्तुत कर सके।

बीज शब्द

1. शास्त्रीय संगीत
2. घराना परंपरा
3. मानवाधिकार
4. ज्ञान परंपरा
5. राग
6. गायन शैलियाँ
7. गुणीजन
8. गुरुवर
9. चित्ताकर्षक
10. लोक संगीत

मूल शोध

“ किसी विद्या के अध्ययन करने का प्रतिफल तब सार्थक हो जाता है, जब व्यक्ति के ज्ञान एवं बुद्धि का सात्विक विकास हो और उसके द्वारा किये गए धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों को समाज का समर्थन प्राप्त हो।”¹ हमारे देश की संस्कृति अत्यंत सौहार्दपूर्ण है। भारतवर्ष धर्मप्रधान एवं संस्कृतिप्रधान देश है। इस देश की संस्कृति की पहचान है इस देश की विविधता में एकता। यही विविधता ही हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा एवं प्राण है। इस वैविध्यपूर्ण संस्कृति को एकता के सूत्र में पिरोने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है इस देश का संगीत। संगीत के माध्यम से ही लोग एक-दूसरे के धर्म, संप्रदाय, रीति-रिवाज एवं आचार-व्यवहार को अत्यंत प्रभावशाली एवं समन्वयात्मक रूप से समझ पाते हैं।

इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ कुछ उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं- संस्कृत के आदिकवि एवं हमारी गौरवशाली काव्य परंपरा का सूत्रपात महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य से किया। कालान्तर में यही रामायण भारतीय जनमानस की आत्मा का अभिन्न अंग बन गई और संस्कृत, हिंदी, अवधी, तमिल, मलयालम, बांग्ला आदि भाषाओं के कवियों ने अपने-अपने सामर्थ्य एवं काव्य प्रतिभा के अनुसार इसका गायन किया। श्रीकृष्ण की महिमा को भारत ही नहीं, इस्कौन आदि संस्थाओं के माध्यम से भी संपूर्ण विश्व में प्रचलित किया गया।

संगीत की यही शक्ति एवं सामर्थ्य है, जिसके कारण वैज्ञानिक शोध के आधार पर आज प्रमाणित हो चुका है कि संगीत-चिकित्सा के माध्यम से अनेक रोगियों का भी उपचार किया जा सकता है। यह शोधालेख संगीत और मानवाधिकार के पारस्परिक समन्वय की चर्चा करते हुए इस विषय पर भी विचार प्रस्तुत करेगा कि मानवाधिकार के वास्तविक स्वरूप को भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायन परंपरा के साथ किस प्रकार संबद्ध किया जाना चाहिए।

मानवाधिकार की अवधारणा

मानवाधिकार सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त नैतिक सिद्धांतों या मानदण्डों को कहा जाता है, जिसके आधार पर मानव व्यवहार के मानकों को निर्धारित किया जाता है। इन अधिकारों को अंतर्निहित और अविभाज्य माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे राष्ट्रीयता, जातीयता, धर्म या सामाजिक, आर्थिक स्थिति जैसी विशेषताओं की परवाह किए बिना केवल मानव होने के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार हैं। वे नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाते हैं जैसे- जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दासता से सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने उपन्यास ‘पुनर्नवा’ में मानवाधिकार पर अपना तर्क रखते हुए लिखते हैं-“ अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा, तो एक दिन व्यवस्थाएँ तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी।”²

मानवाधिकारों की आधुनिक अवधारणा को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विशेष रूप से होलोकास्ट के अत्याचारों के जवाब में महत्त्वपूर्ण स्थान मिला, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। इस घोषणा को संक्षिप्त रूप से UDHR (Universal Declaration of Human Rights) के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस दस्तावेज़ में अधिकारों के एक व्यापक ढाँचे की रूपरेखा दी गई है, जिनकी रक्षा करने के लिए सभी राष्ट्रों को प्रोत्साहित किया जाता है, जो मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय के लिए एक वैश्विक महत्त्व स्थापित करता है। UDHR ने तब से कई अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों और राष्ट्रीय कानूनों को पारित किया है, जो वैश्विक स्तर पर इन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं।

भारत में मानवाधिकार आयोग

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण एवं इसके ऐतिहासिक स्रोत का विवरण हमें पेरिस सम्मेलन अधिनियम 1993 के अंतर्गत मिलता है। यह संविधान द्वारा निश्चित तथा अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहु सदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में न्यायमूर्ति बी. रामसुब्रह्मण्यन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं।

भारतीय शास्त्रीय गायन शैलियों में मानवाधिकार मूलक तत्वों का समन्वय

गीत वाद्य और नृत्य कलाओं के समावेश का नाम ही संगीत है अर्थात् गायन, वादन एवं नर्तन कलाओं का सुंदर संगम संगीत कहलाता है। संगीत ऐसी ललित कला है, जिसके माध्यम से हम अपने हृदयगत भावों को बड़ी सरलता के साथ प्रकट कर सकते हैं। हमारे भारतीय संगीत को भी अध्ययन एवं शास्त्रकारों की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया गया है। शास्त्रीय संगीत एवं सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत, संगीत का वह पक्ष है, जिसके कुछ शास्त्रगत नियम होते हैं तथा इन नियमों में रहकर ही कलाकार अथवा संगीतज्ञ को अपनी कला का प्रदर्शन करना होता है। दूसरी ओर सुगम संगीत में ऐसे कोई नियम नहीं होते हैं तथा लोगों के चित्त का रंजन ही उसका प्रमुख उद्देश्य होता है।

शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैलियों में ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, तुमरी, टप्पा आदि प्रमुख हैं, जबकि सुगम संगीत के अंतर्गत भजन, गज़ल, चित्रपट संगीत तथा लोक संगीत के अंतर्गत आने वाली गायन शैलियों में चैती, कजरी, झूला, माण्डकला आदि प्रमुख हैं, परंतु यहाँ हमारा तात्पर्य शास्त्रीय संगीत की गायन विधाओं के अंतर्गत आने वाली रचनाओं के मानवाधिकार मूलक तत्व के अन्वेषण

से है।

वर्तमान समय में शास्त्रीय संगीत की सबसे लोकप्रिय विधाएँ हैं- ध्रुपद, धमार एवं ख्याल। इन सभी शैलियों का गायन विभिन्न रागों में किया जाता है और राग की परिभाषा शास्त्रकारों ने इस प्रकार दी है-

“योऽयं ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः।

रंजको जन चित्तानां सः राग कथितौ बुधैः॥”³

अर्थात् स्वर, वर्ण आदि से विभूषित वह रचना, जो लोगों के चित्त का रंजन करे वह राग कहलाती है।

हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद गायन की परंपरा अति प्राचीन है तथा प्रबंध गायन के बाद प्रचलित एवं प्राचीनतम विधाओं में सबसे प्रमुख है। ध्रुपद गायकी का संबंध मंदिरों की गायकी से था, जिसके कारण इसका वर्ण्य-विषय देव स्तुति एवं भगवान का नाम स्मरण आदि था। परंतु कालान्तर में दरबारी संस्कृति से प्रभावित होकर तथा मुगल आक्रान्ताओं के प्रभाव के स्वरूप इस शैली में भी दरबारी संस्कृति के तत्त्व सम्मिलित हो गए। इसी परंपरा से ख्याल गायन का विकास हुआ, जिसका मुख्य विषय श्रृंगार वर्णन एवं आश्रयताओं की प्रशंसा में काव्य गान था। इस कारण सभ्य समाज में संगीत का स्थान तत्कालीन समय में अच्छा नहीं माना जाता था, जिसके कारण घराना परंपरा का जन्म हुआ। जिसके फलस्वरूप शास्त्रीय संगीत केवल पंडितों एवं उस्तादों तक ही सीमित रह गया।

संगीत की ऐसी विषम अवस्था को देखकर इसका सबसे पहले पंडित विष्णु दिगम्बर पुलस्कर ने विरोध किया तथा अपनी रचनाओं में भक्तिरस का समावेश कर उसे जनसामान्य के लिए हृदयग्राही बनाने का कार्य किया, परंतु हमारा लेख संगीत के भाव पक्ष एवं कला पक्ष के स्थान पर इसके साहित्यिक पक्ष एवं इसकी रचनाओं में मानवाधिकार के समन्वय पर चर्चा करेगा।

शास्त्रीय संगीत एवं मानवाधिकार

शास्त्रीय संगीत में अधिकांश जो रचनाएँ गायी जाती हैं, उनका मुख्य विषय नायिका भेद, श्रृंगार वर्णन, विरह तथा देव स्तुति आदि होता है। परंतु इस दिशा में हमें यह ध्यान देने योग्य है कि मंच प्रदर्शन के दौरान ऐसी रचनाओं का औचित्य किस प्रकार प्रभावी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई गुरु अपने शिष्य अथवा शिष्या को घोर श्रृंगारिक रचना सिखाते हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु-शिष्य परंपरा की मर्यादा सुरक्षित रहेगी अथवा नहीं। उदाहरण के लिए कुछ रचनाओं का संदर्भ इस प्रकार है—

1. “राग पुरिया धनाश्री में निबद्ध विलंबित ख्याल की रचना अब तो रुत मान आये ना बोलूंगी सैयां।”⁴
2. राग भिन्न षड्ज पर आधारित पंडित ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा रचित छोटे ख्याल की रचना- सैयां ना ऐसी नचाओ पतुरिया।
3. राग मालकौंस पर आधारित रचना- रंगरलियाँ करत सौतन के संग।
4. राग श्री पर आधारित रचना- ऐरी हूँ तो आस न गैली पास न गैली लुगवा धरे मैका नाम।
5. राग वृंदावनी सारंग पर आधारित छोटा ख्याल- घूँघरवा मोरा बाजे।

ऐसी रचनाएँ यद्यपि शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं, शास्त्रकारों द्वारा मान्य हैं तथा पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, परंतु यदि विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर अथवा मंच प्रदर्शन के दौरान कोई गायक (पुरुष या बालक) ऐसी रचनाओं का गायन करता है, तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से कितना उपयुक्त होगा यह सर्वविदित है।

संगीत की ऐसी शोचनीय स्थिति के कारण ही पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर, पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे एवं आधुनिक शास्त्रीय गायकों में पंडित बड़े रामदास जी, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी, पंडित रामाश्रय झा रामरंग इत्यादि ने अपनी रचनाओं में इस विसंगति

को दूर कर उन्हें सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त एवं चित्ताकर्षक बना दिया। इन विद्वानों की रचनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जिन्हें बालक-बालिकाएँ पुरुष एवं स्त्रियाँ सभी बहुत सहजता एवं सुगमता के साथ गा सकते हैं।

पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर की रचनाएँ

जब जानकी नाथ सहाय करे (राग मांझ खमाज)
रघुपति राघव राजाराम (राग भीमप्लासी में स्वरबद्ध रचना)

पंडित बड़े रामदास जी की रचनाएँ

भजले मन ओमकार (राग शंकरा)
शंकर शिवदानी भोलानाथ (राग श्याम कल्याण)

“राग पुरिया धनाश्री पर आधारित पंडित रामाश्रय झा रामरंग द्वारा रचित तीनताल की रचना अवगुन ना गिनो मोरे हरि”⁵

“पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी एवं पंडित रामाश्रय झा रामरंग जी ने ऐसी रचनाएँ दी हैं, जिनमें कुछ पुरुष प्रधान रचनाएँ जैसे- राग हिंडोल में निबद्ध झपताल की रचना धीर धरनी धरत।”⁶ तथा पंडित रामाश्रय झा की रचना राग मियां की सारंग में निबद्ध छोटा ख्याल “जब हरी हाथ लियो है समर सारंग धनु रिपु दल दहलि उठे।” ऐसी अनेक रचनाएँ भी हैं, जिनका उल्लेख इस लेख के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है तथा हमारा प्रयास है कि ऐसी रचनाओं को हमारे गायकों द्वारा गाया जाना चाहिए, जो शास्त्रीय एवं समाज शास्त्रीय दोनों ही दृष्टि से गायन के लिए उपयुक्त हों।

निष्कर्ष

भारतीय शास्त्रीय संगीत में अनेक ऐसी रचनाएँ एवं बंदिशें हैं, जो गायन के लिए उपयुक्त होने पर भी समाजशास्त्रीय नियमों के अनुसार तथा रचनाओं के साहित्यिक पक्ष की दृष्टि से कुछ असंगत-सी जान पड़ती हैं। इन्हीं रचनाओं की इस विसंगति को देखकर ही शास्त्रकारों तथा संगीत के गुणीजनों ने एक ऐसा प्रयास

किया, जिससे शास्त्रीय संगीत समाज के सभी वर्गों के लिए रुचिकर एवं आनंददायी हो सके। इस लेख में यद्यपि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु अभी भी इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को चित्रपट संगीत के माध्यम से भी संगीतकारों ने लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। इस कड़ी में राग मालकौंस पर आधारित 'मन तड़पत हरि दर्शन को आज' तथा राग बिहाग पर आधारित 'तेरे सुर और मेरे गीत' आदि अनेक लोकप्रिय रचनाएँ हैं, जिनके द्वारा चित्रपट संगीत ने भी शास्त्रीय संगीत की झलक जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास किया। अनेक संस्थाओं के द्वारा संगीत चिकित्सा के माध्यम से आज मानसिक रोगियों का उपचार भी इस बात का संकेत है कि संगीत में वह शक्ति है, जिसके फलस्वरूप हम किसी भी तनाव से मुक्त हो सकते हैं। मानवाधिकार का अर्थ केवल नारी शोषण जैसे मुद्दों तक ही सीमित नहीं है, वरन् यह अत्यंत व्यापक विषय है और इसके अनेक पहलू हैं, जिनपर गंभीरता से मनन किया जाए, तो समाज में मानवाधिकार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।



संदर्भ सूची

1. पण्डित रामाश्रय झा 'रामरंग', अभिनव गीतांजलि भाग-1, संस्करण-1996, संगीत सदन प्रकाशन, प्रयागराज, पृष्ठ सं- 3
2. हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुनर्नवा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 5
3. प्रो. हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, राग परिचय भाग-3, संगीत सदन प्रकाशन, प्रयागराज, संस्करण-2006, पृष्ठ सं- 40
4. पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे, क्रमिक पुस्तक मालिका, भाग-4, संगीत कार्यालय, हाथरस (उ.प्र.), संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 243
5. डॉ. गीता बनर्जी, राग शास्त्र भाग-2, संगीत सदन प्रकाशन, प्रयागराज, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 145
6. संगीत ज्ञान दर्शन (अप्रकाशित), गुरुवर पण्डित गणेश प्रसाद मिश्र का हस्तलिखित एवं स्वर लिपिबद्ध रचना संग्रह, 71 चर्च रोड़, विष्णुपुरी, लखनऊ



डॉ. अश्विनी अजी

सहायक प्राध्यापक
(हिंदी विभाग)
लेडी डॉक कॉलेज
मद्रास-625002
तमिलनाडु
संपर्क
draswiniaji11@gmail.com

आत्मकथा के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार : 'एक कहानी यह भी' का अध्ययन

शोध सारांश

हिंदी आत्मकथात्मक साहित्य में मानवाधिकारों का प्रश्न एक महत्वपूर्ण विमर्श के रूप में उभरता है, जहाँ व्यक्तिगत अनुभव व्यापक सामाजिक संदर्भों को उद्घाटित करते हैं। उक्त शोध मन्नू भंडारी की आत्मकथा पर केंद्रित है, जिसमें लेखिका ने अपने जीवन के बहुआयामी अनुभवों के माध्यम से न केवल निजी संघर्षों को स्वर दिया है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक और आर्थिक जटिलताओं को भी उजागर किया है। मन्नू भंडारी की आत्मकथा में बेटी, सहेली, पत्नी और लेखिका जैसी विविध भूमिकाओं की अभिव्यक्ति स्त्री-जीवन की गहन यथार्थपरक झलक प्रस्तुत करती है। इसमें लैंगिक असमानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्त्री-पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्नों को जिस साहस और स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया है, वह आत्मकथा को मानवाधिकार विमर्श के अध्ययन के लिए एक केंद्रीय स्रोत बनाती है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आत्मकथा केवल आत्मकेंद्रित अभिव्यक्ति न होकर सामाजिक चेतना और अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने का माध्यम है। 'एक कहानी यह भी' जैसी आत्मकथाएँ यह दर्शाती हैं कि व्यक्तिगत जीवनानुभव सामूहिक अधिकार चेतना और समाज में समानता व न्याय के प्रश्नों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार, यह कृति साहित्य और समाज, दोनों के लिए मूल्यवान संदर्भ प्रस्तुत करती है।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार
2. आत्मकथा
3. महिला अधिकार
4. जागरूकता
5. हिंदी साहित्य
6. आत्मनिर्भरता
7. आर्थिक स्वतंत्रता
8. अनुभव
9. महिला
10. यथार्थपरकता

मूल शोध

आत्मकथा की प्रमुख विशेषताओं में यथार्थपरकता का विशेष स्थान है। यह विधा किसी विशेष कालखंड की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रामाणिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसी कारण इसे चरित्र-लेखन की श्रेणी

में भी रखा जाता है, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों के सामने अपने पूर्वजों के समय का सजीव और सच्चा चित्रण प्रस्तुत करती है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और इक्कीसवीं शताब्दी के आरंभ में महिलाओं ने निर्भीक होकर, बिना किसी सामाजिक भय और पूर्वाग्रह के आत्मकथाएँ लिखनी शुरू कीं। इस प्रवृत्ति ने न केवल साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की, बल्कि आज की पीढ़ी की महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी बनी। इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हिंदी साहित्य की चर्चित लेखिका मन्नू भंडारी की आत्मकथा 'एक कहानी यह भी' है, जो स्त्री जीवन, संघर्ष और अनुभवों की सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में स्थापित होती है। वे अपनी आत्मकथा में मानवाधिकार के विभिन्न स्तरों पर चर्चा करती हैं-

मानवाधिकार के विभिन्न पहलू 'एक कहानी यह भी'

- बाल जीवन
- पारिवारिक जीवन
- साहित्यिक क्षेत्र
- आर्थिक स्वतंत्रता
- पितृसत्तात्मकता
- शिक्षा
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता
- आत्मनिर्भरता
- लैंगिक समानता

'एक कहानी यह भी' केवल एक लेखिका के व्यक्तिगत जीवन का वृत्तांत नहीं है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक संरचनाओं का गहन प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। इस आत्मकथा के माध्यम से मन्नू भंडारी ने सामाजिक व्यवस्था की दुविधाओं, स्त्री-सशक्तिकरण की आवश्यकता और मानवीय संवेदनाओं को बड़े प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। इसमें स्त्री-जीवन से जुड़े अनुभवों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है कि वे समकालीन सामाजिक परिस्थितियों के साथ-साथ साहित्यिक परिदृश्य को भी उजागर करते हैं। मन्नू भंडारी

की लेखनी न केवल उनके व्यक्तिगत विचारों और जीवन संघर्षों का दस्तावेज़ है, बल्कि यह पाठकों को समाज में व्याप्त असमानताओं, लैंगिक भेदभाव और अधिकारों के प्रश्नों पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार, 'एक कहानी यह भी', आत्मकथा से आगे बढ़कर समाज को जागरूक और संवेदनशील बनाने का एक सशक्त माध्यम बन जाती है।

लेखिका मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा इस प्रकार शुरू करती है-"आज तक मैं दूसरों की ज़िन्दगी पर आधारित कहानियों ही 'रचती' आई थी, पर इस बार मैंने अपनी कहानी लिखने की ज़रूरत की है। है तो यह ज़रूरत ही क्योंकि हर कथाकार अपनी रचनाओं में भी दूसरों के बहाने से कहीं न कहीं अपनी ज़िन्दगी के, अपने अनुभव के टुकड़े ही तो बिखेरता रहता है।"¹

आत्मकथा में लेखिका ने अपनी व्यक्तिगत और साहित्यिक यात्रा को प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा और भावुकता के साथ व्यक्त किया है। मन्नू भंडारी का जन्म (1931) मध्यप्रदेश के भानापुरा में हुआ था। "जन्मी तो मध्यप्रदेश के भानापुरा गाँव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस दो-मंज़िला मकान से, जिसकी ऊपरी मंज़िल में पिता का साम्राज्य था। वहाँ निहायत अव्यवस्थित ढंग से फ़ैली-बिखरी पुस्तकों-पत्रिकाओं और अखबारों के बीच वे या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर 'डिक्टेशन' देते रहते थे। नीचे हम सब भाई-बहनों के साथ रहती थीं हमारी बेपट्टी-लिखी व्यक्तित्वहीन माँ - सबेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर।"²

आत्मकथा 'एक कहानी यह भी' के प्रारंभिक पृष्ठों में मन्नू भंडारी ने अपने बचपन, पारिवारिक परिवेश और जीवन की प्रारंभिक परिस्थितियों का विस्तार से चित्रण किया है। एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी लेखिका ने उस समय की सामाजिक और पारिवारिक वास्तविकताओं

को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। उनके पिता इंदौर में रहते थे और आधुनिक विचारधारा से प्रभावित एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। मन्नू के व्यक्तित्व और चिंतन पर उनके पिता का गहरा प्रभाव रहा। समाज सुधार संबंधी उनके दृष्टिकोण और कार्यों ने लेखिका को बचपन से ही नई सोच और सामाजिक सरोकारों की दिशा में प्रेरित किया। साहित्य के प्रति उनकी गहरी रुचि और घर का बौद्धिक वातावरण मन्नू भंडारी के लेखन की नींव बना। इंदौर में उनके पिता को सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त था तथा वे कांग्रेस से जुड़कर कई समाज सुधार कार्यों में सक्रिय भागीदारी करते थे।

मन्नू भंडारी की आत्मकथा में उनके पिता का व्यक्तित्व विशेष रूप से उभरकर सामने आता है। वे शिक्षा को अत्यधिक महत्त्व देते थे और विद्यार्थियों को घर पर रखकर उन्हें पढ़ाने का कार्य भी करते थे। इस संदर्भ में लेखिका लिखती है- **“ शिक्षा का वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों आठ-आठ, दस-दस विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया भी है, जिनमें से कई तो बाद में ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर पहुँचे। ये उनकी खुशहली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी।”**³ यह उद्धरण उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को उजागर करता है, जिसमें संवेदनशीलता, उदारता और प्रगतिशील सोच के साथ-साथ कठोरता और आत्माभिमान भी विद्यमान थे। इन विशेषताओं का प्रभाव मन्नू भंडारी के चिंतन और साहित्यिक दृष्टिकोण पर गहराई से पड़ा।

मन्नू भंडारी ने अपनी आत्मकथा में पिता के व्यक्तित्व के क्रांतिकारी पक्ष को विशेष रूप से रेखांकित किया है। उनके घर में कभी भी आर्यसमाज से जुड़े मन्त्रोच्चारण या हवन-यज्ञ की परंपरा नहीं रही, क्योंकि उनके पिता का झुकाव सामाजिक सुधार की ओर अधिक था। उनके लिए वास्तविक उत्सव उस समय होता था, जब उनके द्वारा संपादित कोश का नया भाग प्रकाशित होकर आता

और उसके बड़े ऑर्डर प्राप्त होते। ऐसे अवसरों पर वे अत्यंत प्रसन्न और उदार हो जाते थे। लेखिका इस प्रसंग के माध्यम से यह भी स्पष्ट करती हैं कि एक ही व्यक्ति के भीतर अनेक रूप निहित होते हैं, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रकट होते हैं। इस प्रकार उनके पिता का बहुआयामी व्यक्तित्व समाज सुधारक, विद्वान, संवेदनशील तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाला, मन्नू भंडारी की जीवन-दृष्टि और साहित्यिक अभिव्यक्ति पर स्थायी एवं गहन प्रभाव छोड़ता है।

मन्नू भंडारी ने अपने बचपन के अनुभवों में स्वयं को दुबली-पतली और गहरे रंग वाली बताया है। उनके पिता गोरा रंग पसंद करते थे, इसी कारण मन्नू भंडारी की तुलना दो साल बड़ी, गोरी और हँसमुख बहन सुशीला से अक्सर की जाती थी और उनकी ही प्रशंसा की जाती थी। इस अनुभव ने लेखिका के मन में गहरे भाव जगाए और उनके व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव डाला। लेखिका लिखती हैं- **“ पिता का चरित्र अपनी सारी गरिमा, सारी करुणा और सारे अन्तर्विरोधों के साथ मेरे मन में ज्यों-का-त्यों अंकित है- बार-बार मुझे लिखने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन कभी साहस नहीं हुआ कि उन पर कलम चलाऊँ। जानती हूँ, मैं उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगी... कुछ अपनी सीमा के कारण तो कुछ अपने पूर्वग्रहों के कारण।”**⁴

लेखिका के बचपन के अनुभव न केवल उनके पिता के व्यक्तित्व के प्रभाव को उजागर करते हैं, बल्कि एक महिला के रूप में बचपन से ही उनमें जमी हीनभावना और पारिवारिक अपेक्षाओं को भी सामने लाते हैं। उनकी माँ, जो पढ़ी-लिखी नहीं थीं, पिता के विपरीत स्वभाव की और ज़िदगी भर दूसरों के लिए जीती रहीं। लेखिका इस संदर्भ में लिखती है- **“ उन्होंने ज़िन्दगी भर अपने लिए कुछ माँगा नहीं, चाहा नहीं....., केवल दिया ही दिया। हम भाई-बहनों का सारा लगाव (शायद सहानुभूति से उपजा) माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन**

सका...न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लैटती हूँ।”⁵ इस अनुभव से स्पष्ट होता है कि बचपन में परिवार और समाज द्वारा बच्चों के साथ किए गए व्यवहार का प्रभाव उनके जीवन और मानसिक संरचना पर दीर्घकालिक रूप से पड़ता है।

उनकी आत्मकथा में पुरुषों के अधिकार-बोध के बारे में पारिवारिक यथार्थ के अंतर्गत देख सकते हैं। मन्नू भंडारी का विवाह लेखक राजेन्द्र यादव से हुआ। “राजेन्द्र की मित्रता अब धीरे-धीरे दूसरी दिशा की ओर मुड़ चली... और यह परिवर्तन एकतरफ़ा तो था नहीं, उसमें मेरी बराबरी की सहमति ही नहीं, सहयोग भी था। परिणाम यह हुआ कि मेरे लेखकीय उत्साह-उमंग में रोमानी रंग भी भरने लगे, जिसे ठाकुर साहब (मनमोहन ठाकौर), भाभीजी, सुशीला और सेंगरजी अपनी चुटीली फब्तियों से और चटकीला बनाते रहते थे। अजीब-से दिन थे वे भी मैं यथार्थ के धरातल पर कहानियाँ लिखती थी और सपनों की दुनिया में जीती थी।”⁶ लेकिन वैवाहिक जीवन में कई कठिनाइयों को झेलना पड़ा। पति का व्यवहार कठोर, असम्मानजनक और तिरस्कारपूर्ण था। राजेन्द्र यादव ने मन्नू भंडारी की मानसिक आवश्यकताओं को समझने की कोशिश नहीं की। अनेक बार एकांत, अकेलापन, असुरक्षा का अनुभव कराया। “अजीब संकट के दिन थे। पर सबसे बड़ा संकट था राजेन्द्र के व्यक्तित्व में अपने अहं की अतिरिक्त चेतना के कारण उभर आई उन गाँठों का, जिसने जीवन की सहज गति को छेककर रख दिया था। कब किस बात से वे आहत हो जाएँगे, पता ही नहीं चलता। हँसी मज़ाक में मेरी या दूसरों की कही गई साधारण-सी बातें भी जब-तब उन्हें अपने आत्मसम्मान पर चोट करती-सी लगतीं और बात बहुत सोच-समझकर बोलना न मेरा स्वभाव था, न आदत।”⁷

लेखिका ने स्पष्ट रूप से यह दर्शाया है कि स्त्री की स्वतंत्रता और सम्मान की मूल आधारशिला उसकी आर्थिक स्वतंत्रता है। उन्होंने गृहस्थ और लेखिका दोनों

रूपों में स्वयं को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किया। लेखिका ने पति के साथ संबंधों में आर्थिक असमानता और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं का अनुभव किया। इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने लेखन कार्य को न केवल सृजनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में, बल्कि अपनी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपनाया। “यह उनकी आत्मकथा नहीं है, लेकिन इसमें उनके भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है, जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे। एक ख्यातनामा लेखक की जीवन-संगिनी होने का रोमांच और एक ज़िद्दी पति की पत्नी होने की बाधाएँ, एक तरफ़ अपनी लेखकीय ज़रूरतें (महत्वाकांक्षाएँ नहीं) और दूसरी तरफ़ एक घर को संभालने का बोझिल दायित्व, एक धुर आम आदमी की तरह जीने की चाह और महान उपलब्धियों के लिए ललकता, आसपास का साहित्यिक वातावरण- ऐसे कई-कई विरोधाभासों के बीच से मन्नूजी लगातार गुज़रती रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी जिजीविषा, अपनी सादगी, आदमीयत और रचना-संकल्प को नहीं टूटने दिया।”⁸ अपनी आत्मकथा के माध्यम से लेखिका ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को मानवाधिकार के विभिन्न आयामों से गहन रूप से संबंधित किया है।

इसके साथ ही उन्होंने निम्नलिखित विषयों पर भी विचार प्रस्तुत किए हैं-

- महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की आर्थिक गरिमा
- व्यक्तित्व विकास
- निर्णय लेने का अधिकार

मानवाधिकारों में एक मूलभूत अधिकार, मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और मन्नू भंडारी ने इस स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से आवाज़ उठाई। मानवाधिकारों का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष लैंगिक समानता है, जिस पर लेखिका ने बार-बार स्त्रीवादी दृष्टिकोण से प्रकाश डाला। उन्होंने समाज और परिवार की विभिन्न भूमिकाओं में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए संघर्ष

किया और लेखिका के रूप में पेशेवर व सामाजिक पूर्वाग्रहों से मुकाबला किया। इस प्रकार, मन्नू भंडारी का अनुभव न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की खोज का प्रत्यक्ष प्रमाण है, बल्कि यह स्त्रीवादी चेतना और मानवाधिकारों के महत्त्व को उजागर करने वाला प्रेरक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष

मन्नू भंडारी की आत्मकथा 'एक कहानी यह भी' यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक संदर्भ मानवाधिकार विमर्श को सशक्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं। लेखिका ने अपने जीवन के बहुआयामी पहलुओं- बाल्यकाल, पारिवारिक परिवेश, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, आर्थिक और साहित्यिक संघर्ष आदि के माध्यम से स्त्री स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और लैंगिक समानता के महत्त्व को उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि महिला की स्वतंत्रता और सम्मान आर्थिक स्वावलंबन, व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक चेतना से गहराई से जुड़ी है। मन्नू भंडारी ने अपने लेखन को न केवल सृजनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में अपनाया, बल्कि इसे व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का साधन भी बनाया।

अभिव्यक्ति में स्पष्टता और यथार्थपरकता के कारण, उनकी आत्मकथा केवल व्यक्तिगत वृत्तांत नहीं, बल्कि समकालीन सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक संरचनाओं का गहन प्रतिबिंब भी प्रस्तुत करती है। यह पाठकों को समाज में व्याप्त असमानताओं, लैंगिक भेदभाव और अधिकारों के प्रश्नों पर सोचने और जागरूक होने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टि से, 'एक कहानी यह भी', साहित्य और समाज दोनों के लिए मानवाधिकार और स्त्री चेतना के अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण संदर्भ बनकर उभरती है।



संदर्भ सूची

1. मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, राधाकृष्ण पेपरबैक्स, जगतपुरी, दिल्ली, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 7
2. मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, राधाकृष्ण पेपरबैक्स, जगतपुरी, दिल्ली, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 15
3. मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, राधाकृष्ण पेपरबैक्स, जगतपुरी, दिल्ली, संस्करण-2021, पृष्ठ सं-15, 16
4. मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, राधाकृष्ण पेपरबैक्स, जगतपुरी, दिल्ली, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 18
5. मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, राधाकृष्ण पेपरबैक्स, जगतपुरी, दिल्ली, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 19
6. मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, राधाकृष्ण पेपरबैक्स, जगतपुरी, दिल्ली, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 53
7. मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, राधाकृष्ण पेपरबैक्स, जगतपुरी, दिल्ली, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 65, 66
8. https://rekhtabooks.com/products/ek-kahani-yah-bhi?srltid=AfmBOoonN9teU5g_3Wx6iz AfHIFELh FWVv FMfIOID2EMT pepy 9EtbHdA



डॉ. सीमा तुकाराम जाधव

सहायक आचार्य
एच.पी.टी. आर्ट्स एंड आर.वाय के
साइंस महाविद्यालय
विद्यानगरी
नासिक-422002
महाराष्ट्र
संपर्क
seemajadhavhin@gmail.com

भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवीय अधिकारों का मूल्यांकन

शोध सारांश

भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्व ही भारतीय ज्ञान परंपरा और मानवीय मूल्यों का आधार हैं, जिन पर राष्ट्र का विकसित एवं समृद्ध होना निर्भर करता है। वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान भी इसी ज्ञान परंपरा के कारण निर्मित हुई है। भारतीय ज्ञान परंपरा का विशिष्ट इतिहास समय के साथ और अधिक सशक्त होता गया है, जिसका प्रमुख कारण भारतीय जनमानस द्वारा इन मूल्यों का निरंतर संरक्षण और संवर्धन रहा है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा को समझे बिना मानवीय मूल्यों की व्याख्या अधूरी मानी जाएगी।

इस शोध पत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा और मानवीय मूल्यों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया गया है। इसमें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि भारतीय परंपरा में निहित मूल्य केवल सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, समता, सहिष्णुता और मानवाधिकार जैसे आधुनिक विमर्शों के लिए भी आधारभूमि प्रदान करते हैं। साथ ही यह भी रेखांकित किया गया है कि किस प्रकार यह परंपरा आज के वैश्वीकरण और तकनीकी युग में भी प्रासंगिक बनी हुई है तथा सतत विकास और मानवीय कल्याण की दिशा में मार्गदर्शक भूमिका निभाती है।

बीज शब्द

1. भारतीय ज्ञान परंपरा 2. मानवीय मूल्य 3. संस्कृति 4. मानवाधिकार
5. सामाजिक न्याय 6. सतत विकास 7. शिक्षा 8. नैतिकता 9. अहिंसा
10. सहिष्णुता

मूल शोध

संस्कृति किसी भी राष्ट्र की पहचान एवं उसकी ऐतिहासिक चेतना का आधार होती है। भारतीय संस्कृति का वैभव उसके मूल्यों, आदर्शों और जीवन-दृष्टि में निहित है, जो इसे अन्य सभ्यताओं से विशिष्ट बनाता है।

“युग-युग के संचित संस्कार
ऋषि मुनियों के उच्च विचार।

धीरों वीरों के व्यवहार हैं निज संस्कृति के श्रृंगार ॥”¹

उक्त पंक्तियों के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है कि किसी भी समाज या राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति की गहन समझ प्राप्त करने के लिए उसकी महानता और मूल्यांकन की दृष्टि आवश्यक है। यदि भारतीय संस्कृति की दृष्टि से विचार किया जाए, तो प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार यह संस्कृति प्रारंभ से ही “अनेकता में एकता” के दर्शन के साथ विकसित हुई है। इस सांस्कृतिक धरोहर के मूल बीज भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित हैं। मानवाधिकार की अवधारणा समाज में उत्पन्न होती है और समाज में ही उसका विकास होता है। समानता और मानवाधिकार का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिको लिंग, धर्म, जाति, संप्रदाय, देश या आर्थिक स्थिति जैसे किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर संरक्षण और सम्मान का अधिकार प्राप्त हो, जो जन्मजात और स्वाभाविक रूप से उसे प्राप्त होता है। इसी दृष्टिकोण को हमारे संविधान में भी मान्यता दी गई है, जिसमें नीति-निर्देशन के सिद्धांत और मौलिक अधिकार मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा केवल ज्ञान और विज्ञान का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों की गहन नींव पर आधारित है। ये मूल्य न केवल व्यक्ति को एक समग्र और नैतिक दृष्टि से उन्नत बनने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि समाज को भी अधिक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित इकाई के रूप में विकसित करने में योगदान करते हैं। इन मूल्यों का प्रभाव केवल नैतिक उपदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक संरचना और आध्यात्मिक विकास आदि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय दर्शन में इन्हें धर्म (कर्तव्य), अर्थ (धन), काम (इच्छा) और मोक्ष (मुक्ति) के चार पुरुषार्थों के संदर्भ में विश्लेषित किया जा सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा मुख्यतः ऋषि परंपरा पर आधारित है। इनमें वेद, उपनिषद्, आयुर्वेद, साहित्य, कला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य इत्यादि जैसी

विविध परंपराओं का समावेश है। भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य “वसुधैव कुटुंबकम्” रहा है। अर्थात् इस व्यवस्था ने **आत्मानो मोक्षार्थं जगद्धिताय** का मंत्र प्रदान किया है।

भारत एक विविधताओं से संपन्न राष्ट्र है, जहाँ विभिन्न जातियाँ, पंथ और धर्म अपने सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन में एकजुट होकर सह-अस्तित्व का प्रतीक प्रस्तुत करते हैं। खान-पान, रीति-रिवाज़, परंपराएँ, सामाजिक प्रथाएँ और पहनावे में भिन्नता होने के बावजूद समाज इन्हें साझा मूल्यों के ताने-बाने में समाहित करता है। इसी समन्वय और सहिष्णुता के कारण भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने वैश्विक स्तर पर सदैव आकर्षण और प्रशंसा अर्जित की है। किसी भी संस्कृति या सभ्यता का उत्थान या पतन केवल उसकी आर्थिक या राजनीतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी ज्ञान-परंपरा और वैचारिक गहराई पर भी आधारित होता है। भारतीय परंपरा में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जिसका आधार वेद हैं। वेद न केवल आचरण-निष्ठ हैं, बल्कि सामाजिक और नैतिक उद्देश्यों से भी गहन रूप से जुड़े हुए हैं। इस दृष्टि से भारत की संस्कृति को ‘दैवीय संस्कृति’ के रूप में मान्यता प्राप्त है। जहाँ प्रारंभ में इसे अज्ञान और जंगली प्रवृत्तियों से युक्त माना जाता था, वहीं मानव उत्क्रांति ने इसे सुसभ्य और व्यवस्थित समाज में विकसित किया, जिससे मानव जीवन की समग्र उन्नति संभव हुई।

वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए, तो भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्त्व प्राचीन काल से ही स्पष्ट रूप से अधोरेखित किया गया है। यह एक ऐसी समृद्ध विरासत है, जो सदियों से निरंतर विकसित होती आ रही है। इस परंपरा में ज्ञान और विज्ञान, लौकिक तथा पारलौकिक तत्त्व, धर्म और कर्म, भोग और त्याग का अद्वितीय समन्वय दृष्टिगोचर होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा का यह उच्चतर स्वरूप न केवल हमारी संस्कृति को सशक्त बनाता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक विरासत की पहचान भी सुनिश्चित करता है। यह परंपरा समाज में गौरव,

सभ्यता, संचार, विश्वास, शिष्टाचार और अनुष्ठानों जैसे मूल्यों को संरक्षित करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को संवाहित करती है। इसके अंतर्गत निहित मूल्य केवल दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह समाज को नैतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध करने में भी योगदान देते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में लोक संस्कृति के साथ-साथ जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, खगोलशास्त्र और गणित का भी विकास समांतर रूप से हुआ है।

मानवीय मूल्य

मनुष्य की चिंतनशील तथा सामाजिक होने की प्रवृत्ति मूल्य को जन्म देती है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति के कारण नए-नए विचारों उद्देश्यों एवं अवधारणाओं का जन्म होता है, जो मूल्य के नाम से जाना जाता है। मूल्य- अपने आप में एक व्यापक शब्द है, जो विचारों और अर्थों को व्यक्त करता है। “मूल्य का अर्थ उसका स्वरूप एवं प्रकार, मूल्य मीमांसा विज्ञान के अंतर्गत समाविष्ट होते हैं। मूल्य मूल्यतः अंग्रेज़ी की ‘वैल्यू’, ग्रीक में ‘एक्सिसयस’, जर्मन में ‘वैट’ और फ्रांसीसी में वह ‘वालोर’ नाम से पहचाना जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से मूल्य शब्द की उत्पत्ति ‘मूलअयत’ से हुई है, जिसका अर्थ है ‘उखाड़ देने योग्य या मूल लेने योग्य।”²

अर्थात् हमारे जीवन की प्रतिष्ठा और उन आचरणों को जो इसे सम्माननीय और सार्थक बनाते हैं, हम जब स्थापित करते हैं, तो इन्हें मूल्य कहा जाता है। मानव मूल्य ही जीवन के वास्तविक मूल्य हैं, जो व्यक्ति को नैतिक और सामाजिक आचरण के महत्त्व को समझने और उसे अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यही मूल्य, मानव और पशु के बीच मौलिक अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इसी संदर्भ में, हितोपदेश के श्लोक 25 में उल्लेख किया गया है कि-

“आहार-निद्रा-भय-मैथुनं च समानमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः” ॥२५॥³

हितोपदेश का श्लोक 25 भारतीय परंपरा में मनुष्य और पशु के मध्य अंतर को रेखांकित करता है। यह श्लोक ज्ञान को आधार बनाकर मनुष्य को विशिष्ट एवं श्रेष्ठ सिद्ध करता है तथा मानव जीवन में ज्ञान के महत्त्व को रेखांकित करता है। इस प्रकार यह श्लोक दर्शाता है कि ज्ञान केवल बौद्धिक उन्नति का साधन नहीं, बल्कि नैतिक आचरण, विवेकपूर्ण निर्णय और सामाजिक उत्तरदायित्व की आधारशिला भी है।

मानवीय मूल्यों का अर्थ

मानवीय मूल्यों का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने जीवन के आरंभ से अंत तक निरंतर सीखने की प्रक्रिया में रहता है और उसके अनुभवों में सतत वृद्धि होती रहती है। जैसे-जैसे व्यक्ति अधिकाधिक अनुभव प्राप्त करता है, वह और अधिक परिपक्व होता है और ऐसे अनुभवों के आधार पर उसके व्यवहार का मार्गदर्शन होता है। यही मार्गदर्शन जीवन को दिशा प्रदान करता है और इसे ही मानवीय मूल्य कहा जाता है। मूल्य से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था के उस गुण से है, जिसे व्यक्ति किसी उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रयुक्त करता है। अर्थात् मूल्य व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व और कार्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं।

‘मूल्य’ शब्द का मूलार्थ जीवन के मूलाधार मूल्य से संबंधित है, अर्थात् जीवन मूल्यों को ही समाज के मानदंड, सभ्यता और संस्कृति का नियामक माना जाता है। समाज के विकास और उन्नति हेतु मानव मूल्यों को स्वीकार कर, समाज में मानवीय व्यवहार की स्थापना में यह प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसी उद्देश्य के तहत मूल्यों का उदय हुआ और व्यक्ति तथा समाज के हित को मानव मूल्य के महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में मान्यता दी गई। इसी मानव मूल्य के आधार पर व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करता है और मूल्य व्यक्तित्व विकास तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में अपना निर्णायक योगदान देते हैं। इस संदर्भ में प्रोफेसर मैकेन्जी का मतव्य है कि-“मूल्य तथा जीवन मूल्य

से हमारा आशय उस विचार से है, जो एक विचारशील प्राणी के चिंतन का परिणाम है।”⁴ अर्थात् मानव मूल्य अनुभव और अनुभूतियों पर आधारित है।

मानवीय मूल्य उन गुणों के द्योतक हैं, जो जीवन को संतुलित और स्वस्थ दिशा प्रदान करते हैं, व्यक्ति में नैतिक और सामाजिक चेतना का संवर्धन करते हैं तथा व्यक्ति और वस्तुओं को महत्वपूर्ण, सम्माननीय और उपयोगी बनाते हैं। इस प्रकार, सभी मानवीय गतिविधियाँ, विचार, भावनाएँ, गुण और सद्गुण, जो व्यक्ति में सुप्त अवस्था में विद्यमान होते हैं, दिव्यता के क्रमिक प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करते हैं, मानवीय मूल्य के अंतर्गत आते हैं। मानवीय मूल्यों में विश्व बंधुत्व, प्रेम, पवित्रता, सद्भावना, सेवा, शांति, उत्तरदायित्व और कर्तव्य की भावना शामिल है, साथ ही परिवार, समाज, प्रकृति और संस्कृति द्वारा प्रदान किए गए अद्वितीय उपहारों के प्रति जागरूकता और आभार की भावना भी इनके अंतर्गत आती है। यह आभार उन व्यक्तियों में होना आवश्यक है, जो इन उपहारों से लाभान्वित होते हैं।

मूल्य और जीवन के बीच गहन और अंतर्निहित संबंध मौजूद है। मूल्य व्यक्ति तथा समाज के अस्तित्व और विकास के आधारभूत तत्त्व माने जाते हैं, जो सामाजिक आवश्यकताओं और जनकल्याण की भावना के अनुरूप कार्य करते हैं। यही मूल्य समाज के आधार स्तंभ हैं, जिन पर समाज की सभ्यता और संस्कृति का भव्य भवन खड़ा होता है। इसमें संकल्प, अवधारणाएँ, आदर्श और उच्च अपेक्षाएँ समाज में मूल्यों की स्थापना में सहायक होती हैं। कुछ मूल्य जैसे परोपकार, अहिंसा, दृढ़ निश्चय, एकाग्रता, विवेक, संतुलन और देशभक्तिसार्वभौमिक महत्त्व के हैं, जबकि जो मूल्य किसी विशेष क्षेत्र या देश तक सीमित रहते हैं, उन्हें उस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान माना जाता है। मूल्य सामाजिक व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए अनिवार्य हैं। मानवीय मूल्यों में ईमानदारी, सत्य, प्रेम, निष्ठा, अहिंसा और परोपकार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें बड़ों का सम्मान, आदरातिथ्य, पारिवारिक

सामंजस्य, स्त्री दाक्षिण्य और सुरक्षा जैसे मूल्य भी समाहित हैं। भारतीय मूल्यों में धर्म, कर्तव्य और नैतिकता पर बल देते हुए शांति, सौहार्द और सामाजिक समरसता को अपनाने का संदेश दिया गया है।

इन मानवीय मूल्यों के आधार पर समाज में व्याप्त कुरीतियों, दिखावे, धार्मिक अस्थिरता, हिंसाचार, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को न्यूनतम किया जा सकता है। यद्यपि मानवीय मूल्यों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है- जैसे नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, भौतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य और व्यक्तिगत मूल्य, फिर भी यही मूल्य मानवीय जीवन के मूल आधार के रूप में कार्य करते हैं। इन अधिकारों और मूल्यों के प्रति सजग रहकर ही व्यक्ति समाज का सुचारु संचालन सुनिश्चित कर सकता है। परंपरागत तौर पर स्थापित मूल्यों और अधिकारों का उपयोग कर व्यक्ति भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन में सक्रिय योगदान देता है। जितना अधिक मानवीय मूल्यों का विकास और संरक्षण होगा, उतना ही सशक्त और सक्षम समाज का निर्माण संभव होगा। इस प्रकार, मूल्य निर्माण और उनका संरक्षण मानव का वर्तमान और नैतिक कर्तव्य माना गया है।

मूल्यांकन

ज्ञान परंपरा के दृष्टिकोण से अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति ने विश्व स्तर पर अपनी अटल पहचान स्थापित की है। यह संस्कृति और उसके अंतर्निहित मूल्य मानव समाज की समग्र साधना, सांस्कृतिक उपलब्धियों और जीवन के विविध अनुभवों के समन्वय से निर्मित हैं। मानवीय मूल्यों के माध्यम से समाज के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक और कलात्मक पक्षों की गहन समझ प्राप्त होती है। ये मूल्य न केवल समाज को दिशा और अनुशासन प्रदान करते हैं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा, जो सदियों से निरंतर विकसित होती रही है, मानव अधिकारों के मूल्यांकन के लिए एक समृद्ध और विश्वसनीय स्रोत के रूप में उभरती है। यह

परंपरा विभिन्न दर्शन, धर्म और सामाजिक संरचनाओं को समाहित करते हुए मानव जीवन की गरिमा, अधिकार और कर्तव्य के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है।

समकालीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में भी भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित मानवीय मूल्य अपनी विशिष्ट प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। इन मूल्यों का मूल आधार मानव-प्रेम, कल्याणकारी दृष्टिकोण और राष्ट्रप्रेम जैसी भावनाओं का संवर्धन है। इन्हीं के आलोक में वर्तमान मानवीय परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे एक आदर्श समाज की स्थापना संभव होती है और राष्ट्र को विकासोन्मुख दिशा प्राप्त होती है। साथ ही, इनमें अंतर्निहित मानवीय मूल्य न केवल व्यक्ति की चेतना को समता, न्याय और कल्याण की ओर उन्मुख करते हैं, बल्कि मानवता को भी सशक्त और प्रेरित करते हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा मानव अधिकारों का उद्देश्य

- मानव की गरिमा की रक्षा करना।
- शोषण भेदभाव अन्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को संतुलित बनाए रखना।
- सामाजिक समरसता और विश्व शांति की स्थापना करना।

मानव अधिकारों को सार्वभौमिक माना जाता है, लेकिन कई बार यह विभिन्न संस्कृतियों परंपराओं और धार्मिक मुद्दों से टकराते हैं। मूल्य सार्वभौमिक हैं; इस संदर्भ में-"Plato, a celebrated personality considered 'Values in terms of universal thought as Truth, universal feelings as Beauty, universal will as Goodness and Universal desire as Happiness. (अर्थात्, एक प्रसिद्ध शख्सियत प्लेटो ने-"मूल्य को सार्वभौमिक विचार के रूप में सत्य, सर्वभौमिक भावनाओं को सौंदर्य, सार्वभौमिक इच्छा और सार्वभौमिक कामना को खुशी के रूप में माना है।)"⁵ यद्यपि पश्चिमी

मानवाधिकार व्यक्तिवाद पर जोर देते हैं, जबकि भारतीय परंपरा में सामूहिकता और कर्तव्य पर बल दिया जाता है।

मानव अधिकारों का मूल्यांकन

अहिंसा और समता- भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा, जो सभी जीवों के प्रति करुणा और सम्मान पर जोर देता है। यह सिद्धांत मानव अधिकारों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह सभी मनुष्यों को समान अधिकार और गरिमा प्रदान करने का आह्वान करता है।

न्याय और समानता- न्याय और समानता की दृष्टि से सभी मनुष्यों को एक समान माना जाता है। इनमें भेदभाव एवं शोषण की प्रवृत्ति को अनुचित माना जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा, विशेष रूप से धर्म और दर्शन, सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर जोर देती है। यह परंपरा सभी मनुष्यों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता को पहचानती है।

मानवीय हित- मानवीय हितों के लिए कल्याण और सहिष्णुता के भाव पर विशेष बल दिया जाता है, जो व्यक्ति को सभी के साथ शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने के लिए प्रेरित करता है। यह दृष्टिकोण सामाजिक एकता और पारस्परिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करता है, जिसके माध्यम से न केवल व्यक्तिगत संबंधों में सामंजस्य स्थापित होता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति, सह-अस्तित्व और मानव कल्याण की दिशा में भी ठोस आधार निर्मित होता है।

शिक्षा- शिक्षा की दृष्टि से ज्ञान अर्जन हेतु शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, ताकि उस ज्ञान के आधार पर मानव, सक्षम और सुचारु जीवन व्यतीत कर सके और उसी के आधार पर सक्षम राष्ट्र का निर्माण करने में वह अपना योगदान दे सके। भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा को महत्वपूर्ण मानती है और सभी को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता को पहचानती है। शिक्षा को व्यक्तिगत विकास और सामाजिक उत्थान के

लिए आवश्यक माना जाता है।

धर्म और संस्कृति- भारतीय ज्ञान परंपरा में हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का आचरण करने एवं उनका अनुसरण करने का तथा उस धर्म में व्याप्त संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार होता है। तथापि अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति जो आदर है, वही आदर दूसरे धर्म एवं संस्कृति के प्रति होना भी अनिवार्य माना जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का सिद्धांत प्रदान करती है। यह परंपरा सभी मनुष्यों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने और अभ्यास करने का अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता को पहचानती है।

मानव अधिकारों की रक्षा- भारतीय ज्ञान परंपरा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक नैतिक दायित्व को स्वीकार करती है। यह परंपरा सभी मनुष्यों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है तथा समाज को न्यायपूर्ण और संतुलित बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति केवल अपने अधिकारों का संरक्षण ही नहीं करता, बल्कि दूसरों के अधिकारों के प्रति भी उत्तरदायी बनता है, जिससे सामूहिक हित और सार्वभौमिक मानवता की स्थापना संभव होती है।

निष्कर्ष

समग्रतः यह प्रतिपादित किया जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित मूल्य न केवल भारतीय संस्कृति और सभ्यता की वैश्विक प्रासंगिकता को रेखांकित करते हैं, बल्कि मानवता की संरक्षणशील चेतना को भी सुदृढ़ करते हैं। इन मूल्यों के आत्मसात होने से मानव जीवन में नैतिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। परिणामस्वरूप, यह परंपरा व्यक्ति को सामाजिक रूप से सक्रिय, चेतन एवं उत्तरदायी नागरिक के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा एक समृद्ध और व्यापक स्रोत के रूप में उभरती है, जो अहिंसा,

समता, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वतंत्रता, आत्म-निर्णय, धार्मिक स्वातंत्र्य तथा मानवाधिकारों की रक्षा जैसे मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह परंपरा प्रत्येक व्यक्ति की समान गरिमा और अधिकारों को स्वीकारते हुए, एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की संरचना के लिए आधारभूमि प्रदान करती है। साथ ही, यह स्पष्ट करती है कि परंपरा और आधुनिकता का संगम ही स्थायी विकास और वैश्विक शांति का वास्तविक आधार है। इस प्रकार, भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल अतीत की धरोहर है, बल्कि भविष्य की दिशा भी निर्धारित करती है।



संदर्भ सूची

1. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल निबंध संग्रह, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, संस्करण- 2004, पृष्ठ सं- 1
2. वामन शिवराम आपटे, संस्कृत हिंदी कोश, मोतीलाल बनारसीदास, मुंबई, संस्करण-1921, पृष्ठ सं- 812
3. <https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/hitopadesha-sanskrit/d/doc276478.html>
4. <https://archive.org/details/manualofethics00mackiala/page/10/mode/2up>,
5. <https://www.wisdomlib.org/hinduism/essay/bhagavad-gita-in-contemporary-perspective-study/d/doc1598747.html>



आतिरा. एम.

सहायक प्राध्यापिका
(हिंदी विभाग)
विमला कॉलेज
त्रिशूर-680009
केरल
संपर्क
athiram6323@gmail.com

मानवाधिकार के संदर्भ में "MOTHERS OF MANIPUR" का विश्लेषणात्मक अध्ययन

शोध सारांश

मानवाधिकार वे अधिकार हैं, जो राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं और जिनके सही उपयोग से वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में मणिपुर और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में होने वाली मानवाधिकार संबंधित समस्याएँ दुनिया भर में चर्चा का विषय बन रही हैं। इसका एक प्रमुख कारण 1958 में लागू किया गया 'सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम' है, जिसे अंग्रेज़ी में "**Armed Forces (Special Powers) Act**", **AFSPA** नाम से जाना जाता है। सेना को इस अधिनियम के तहत विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनका दुरुपयोग ही एक हद तक उत्तर-पूर्वी राज्यों में संघर्षों का मूल कारण बन जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जो जीने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, उस पर **AFSPA** अधिनियम का क्या असर पड़ता है, चिंता का विषय यह है कि इस तरह की समस्याएँ हमारे साहित्य पर भी प्रभाव डालती हैं। तेरेसा रहमान द्वारा रचित 'Mothers of Manipur' नामक पुस्तक ऐसी ही एक रचना है, जिसमें मणिपुर राज्य में 15 जुलाई 2004 को 12 माताओं के नेतृत्व में हुए नग्न विरोध को आधार बनाया गया है। मणिपुर की Ironlady के रूप में इरोम शर्मिला एवं उनके भूख हड़ताल का भी चित्रण इसमें मिलता है। इस अध्ययन का उद्देश्य 'Mothers of Manipur' नामक इस पुस्तक में मानवाधिकार उल्लंघन को किस प्रकार दर्शाया गया है, इस पर चर्चा करना है।

बीज शब्द

1. Mothers of Manipur 2. AFSPA 3. स्पेशल फोर्स एक्ट 4. नग्न विरोध 5. भूख हड़ताल 6. जीने का अधिकार 7. मानवाधिकार 8. तेरेसा रहमान

मूल शोध

आजकल 'मानवाधिकार' शब्द अधिक से अधिक मज़बूत हो रहा है। यह सिर्फ शब्दों का समुदाय नहीं, बल्कि सभी मानव के लिए समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का एक अनिवार्य तत्त्व है। 21वीं सदी के बदले हुए माहौल में जब पूरी दुनिया को मानवाधिकारों पर गर्व है और इसे लेकर काफी शोर-शराबा हो रहा है, तो

मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामले भी कम नहीं हैं। साहित्य को ऐसी समस्याओं के प्रभाव से कभी दूर नहीं रखा जा सकता है। जैसे कि प्रमुख हिंदी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं—“साहित्य समाज का दर्पण है”। इसलिए, आज हम समाज में जिन मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी साहित्य में दृढ़ता से दर्शाया जाता है।

मानवाधिकार एक परिचय

‘मानवाधिकार’ शब्द से ही ज्ञात होता है कि यह मानव का अधिकार है, अर्थात् वे अधिकार जो मनुष्य के पास जन्म से ही होते हैं। ये बुनियादी सीढ़ियाँ हैं, जिनसे चढ़कर मानव स्वास्थ्य, सतत विकास और एक गरिमामय जीवन प्राप्त कर सकता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR-Universal Declaration of Human Rights) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया था। यह सभी व्यक्तियों के लिए उन बुनियादी मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं को परिभाषित करता है, जिनका वे अधिकार रखते हैं, चाहे वे किसी भी राष्ट्रीयता, जाति, लिंग या धर्म से संबंधित हों। इस घोषणा में 30 अनुच्छेद शामिल हैं, जो मानव गरिमा के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और भेदभाव से सुरक्षा।

स्पेशल फोर्स एक्ट 1958

“सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA) अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जो उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कार्रवाई करने की अनुमति देता है। ये अधिकार निम्नलिखित हैं:

बल का उपयोग: सशस्त्र बलों को कानूनों के उल्लंघन (जैसे पाँच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना, हथियार या विस्फोटक सामग्री का होना) को रोकने

के लिए बल का उपयोग करने की अनुमति है, जिसमें गोली चलाना और मृत्यु का कारण बनना भी शामिल है।

खतरे को नष्ट करना: वे हथियारों के भंडार, मज़बूत ठिकाने, शरण स्थल, प्रशिक्षण शिविर या अपराधियों और सशस्त्र गिरोहों द्वारा छिपने की जगहों को नष्ट कर सकते हैं।

बिना वारंट गिरफ्तारी: सशस्त्र बलों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है, जो संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) का संदिग्ध हो और गिरफ्तारी के लिए आवश्यक बल का उपयोग कर सकते हैं।

बिना वारंट तलाशी: वे किसी भी स्थल में प्रवेश कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं, ताकि संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा सके। चोरी की संपत्ति या अवैध हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक पदार्थों को ज़ब्त किया जा सके और इसके लिए बल का उपयोग किया जा सकता है।

सारांश में, यह अधिनियम सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में हिंसा और अराजकता पर काबू पाने के लिए व्यापक और कठोर शक्तियाँ प्रदान करता है, जो बिना वारंट या कानूनी औपचारिकताओं के लागू होती हैं।¹

संसदीय बहस के दौरान मणिपुर के सदस्य लैशराम आचव सिंह ने इसे ‘कानूनहीन कानून’ बताते हुए कहा कि—“AFSPA केवल ‘निर्दोष लोगों को तंग करेगा और स्थिति को और बिगाड़ेगा।”² 1990 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की ‘Operation Bluebird: A Case Study of Torture and Extra Judicial Executions in Manipur’ (AI Index: ASA 20/17/1990) नामक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारतीय सेना द्वारा मणिपुर में किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों का वर्णन किया गया है। Human Rights Watch मानवाधिकार संगठन ने एक टिप्पणी की है कि—“AFSPA अत्याचार, उत्पीड़न और भेदभाव का प्रतीक बन गया है। इसके अनुप्रयोग और दुरुपयोग ने अपराध और

अपराधमुक्ति के चक्र को बढ़ावा दिया है, साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में उग्रवाद के लिए गुस्से को और बढ़ावा दिया है। AFSPA के 50 वर्षों के दौरान उग्रवादी समूहों का उभार यह दर्शाता है कि मानवाधिकारों की अनदेखी करते हुए सशस्त्र उग्रवाद का मुकाबला करना अप्रभावी है।”³

मानवाधिकार के संदर्भ में MOTHERS OF MANIPUR का विश्लेषण- एक अध्ययन

पहली नज़र में यह पुस्तक मनोरमा की त्रासदी और बारह माताओं के संघर्ष का वर्णन करती है, साथ ही यह भी दर्शाती है कि कैसे AFSPA अधिनियम ने मणिपुरियों के जीवन को बर्बाद किया, सेना की घुसपैठ और कुशासन को उजागर किया। स्वयं लेखिका का कहना है कि यह पुस्तक उन बहादुर माताओं को उनके साहस, धैर्य और आकाँक्षा को श्रद्धांजलि देने का उनका तरीका है। पामेला फिलिपोस ने इस पुस्तक का परिचय लिखा है, जो इसके मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करता है। पुस्तक में 12 माताओं के संघर्षों को उनके जीवन, पारिवारिक संबंधों और संघर्षों के प्रभाव के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख घटना के संदर्भ और पृष्ठभूमि

मनोरमा, जिसे 10 जुलाई, 2004 को पी.एल.ए. आतंकवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, अगले दिन बेरहमी से उसका बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। न्याय मिलने तक उसके शव को लेने से उसके परिवार ने इनकार किया। इसलिए उसके शव को 13 दिनों के लिए क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान की हिरासत में रखा गया था और अंत में 24 जुलाई 2004 को मिनुथेउंग हट्टा सार्वजनिक कब्रिस्तान में उसका अंतिम संस्कार किया गया, जिसे एक लावारिस शव घोषित किया गया। इस घटना के एक हिस्से के रूप में 15 जुलाई 2004 को मीरा पैबिस के 12 माताओं के नेतृत्व में एक नग्न विरोध का आयोजन किया गया।

मणिपुर माताओं का आंदोलन

15 जुलाई 2004 को मीरा पैबिस के 12 माताओं (जो 60 से अधिक उम्र वाली हैं) के नेतृत्व में आयोजित नग्न विरोध के लिए असम राइफल के मुख्यालय कंगला किला के सामने की जगह चुनी गई। समय भी सुबह 10 बजे का रखा गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संघर्ष के बारे में जान सकें। संघर्ष के समय वे 12 महिलाएँ मनोरमा की माताओं के रूप में बदल जाती हैं और अपनी बेटी द्वारा झेले गए संकट के खिलाफ संघर्ष करती हैं। एनाफ्री, जो मणिपुरी नारियों, विशेषकर विवाहित स्त्रियों के लिए उतारना कठिन है, इसके बावजूद भी वे अपने शरीर को ही शस्त्र बनाकर लड़ने आईं, जिसके प्रेरणा स्रोत के रूप में इरोम शर्मिला जी को देखा जा सकता है।

इरोम शर्मिला का परामर्श

इरोम शर्मिला, जिन्हें मणिपुर की Iron Lady के रूप में जाना जाता है, उनका प्रभाव इस महत्वपूर्ण संघर्ष में विशेष भूमिका निभाता है। उनका परामर्श इस कृति में कई जगह मिलता है। नवंबर 2000 में हुई मालोम नरसंहार, जिसमें 10 मासूमों की हत्या हुई, जिसका प्रमुख कारण AFSPA नामक क्रूर नियम था। इस हत्याकांड में सीनम चंद्रमणि भी मौजूद थे, जो 1988 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता थे। इस घटना के 3 दिन बाद इस नियम को हटाने के लिए शर्मिला ने भूख हड़ताल शुरू की और आत्महत्या की कोशिश (भारतीय दंड संहिता की धारा 309) के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। “21 नवंबर को उन्हें Nasogastric intubation से बलपूर्वक खिलाना शुरू किया गया। इस तरह उन्हें हर साल छोड़ते हैं और फिर गिरफ्तार कर लेते हैं, ताकि वे कानून के प्रावधान में बने रहें।”⁴

सैन्य कार्रवाई से मानवाधिकार संकट

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जो जीने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, यह न केवल शारीरिक अस्तित्व की रक्षा है, बल्कि इसमें स्वस्थ जीवन

जीने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और सुरक्षा का भी दावा किया गया। लेकिन AFSPA अधिनियम के सेक्शन 4 ने मणिपुर जनता की इस मूलभूत अधिकार से भी वंचित कर रखा है। पुस्तक में माता नागाम्बी का कहना इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि-“हमें नहीं लगता कि हम AFSPA जैसे दमनकारी क़ानून के बीच स्वतंत्र हैं। हमें ऐसा महसूस होता है, जैसे हम भारतीय सरकार के सेवक हैं।”⁵ इस क़ानून के बाद मणिपुर में मानवाधिकार संबंधित समस्याएँ अधिक मात्रा में मुखरित होने लगीं। कई तरह के संघर्ष होने लगे। सेना, जो जनता की सुरक्षा के लिए लाई गई थी, वही आज जनता के प्रमुख बीच शत्रु का रूप लेने लगी। “सिविल प्रशासन पूरी तरह से नष्ट या विफल हो चुका था, क्योंकि सशस्त्र बलों के आदेश सर्वोपरि थे। जिन युवाओं को अन्डर ग्राउन्ड ग्रुप के सदस्य होने का संदेह था, उन्हें सेना द्वारा त्वरित जाँच विधियों (तीसरी डिग्री) का सामना करना पड़ता था, ताकि उनके समूहों की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। इनमें से कई युवा हिरासत में मर गए; कुछ बस ‘गुम’ हो गए; जबकि अन्य बच गए, लेकिन अक्सर विकलांग और अपाहिज हो गए।”⁶

माता नागाम्बी और उसकी बेटी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर ढाई महीने तक जेल में रखा गया। वे मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन के युवा कार्यकर्ता पेबम चित्तरंजन की मौत का विरोध कर रही थीं, जिन्होंने AFSPA के खिलाफ़ सरकार की विफलता के विरोध में इम्फाल में आत्मदाह किया था। इमा इनमहाल के बेटे तरुण सिंह को सेना ने अपहरण कर यातना दी, जिसके कारण उसे स्थायी मानसिक समस्याएँ हो गईं। सुरक्षा बलों द्वारा लड़कों का अपहरण और उनका गायब होना, वहाँ मामूली हो गया है। 1995 में पहचान में गलती के कारण अपहृत सनमचा नामक स्कूल छात्र, जिसे 10 साल तक गुमशुदा माना गया (इमा तरुणी को उसके अवैध निरोध के खिलाफ़ विरोध करने पर 2 महीने के लिए जेल भेजा गया।) इसका उदाहरण है। इमा मोमोन

के बेटे कोनुंगजाओ की कविताएँ, जो हर साल कविता-संग्रह के रूप में प्रकाशित होती हैं, अपने क्षेत्र के कठिन जीवन को दर्शाती हैं। इन कविताओं के प्रसिद्ध होने पर सेना अक्सर उसे पकड़कर मानसिक उत्पीड़न करती है, जो अब उसके परिवार के लिए एक सामान्य घटना बन चुकी है। ऐसे बिना वारंट के गिरफ्तारी और मानसिक उत्पीड़न, ये सब स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, उचित प्रक्रिया का अधिकार (Right to Fair Process), मानव की मानसिक और शारीरिक गरिमा, न्याय के अधिकार (Right to Access to Justice), मानवाधिकारों के हनन को दर्शाता है। ऐसे उल्लंघन यातना और अमानवीय व्यवहार की श्रेणी में आते हैं, जो व्यक्तियों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करते हैं, जो संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के तहत सभी नागरिकों को मिलते हैं। नशे का प्रयोग भी मणिपुर में एक प्रमुख समस्या बन गई है। यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन होता है। यह न केवल युवाओं को, बल्कि पूरे समाज में एक विपत्ति के रूप में सामने आ रहे हैं। किताब में अगर देखें तो ज़्यादातर माताएँ ‘नशामुक्त’ नामक संगठन की सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। इमा मेमा बताती हैं कि-“मैं भगवान से बस एक ही चीज़ माँगती हूँ, वह है AFSPA (अफ़स्पा) का ख़त्म होना। यह क़ानून हमारे सारे समस्याओं की वजह है, जैसे नशे की लत और शराब पीने की आदत, जो हमारी युवा पीढ़ी को नष्ट कर रही हैं।”⁷

इस अधिनियम की सबसे बड़ी शिकार के रूप में महिलाएँ ही सामने आ रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की भयानकता को आँखों से देख इमा रमणी बताती हैं कि-“जापानी सैनिक दिन में बच्चों के साथ खेलते थे, लेकिन रात में वे दरवाज़ा खटखटाते और युवा लड़कियों को माँगते थे। मणिपुर की वर्तमान स्थिति में इसके साथ एक अजीब समानता है। हर माँ अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी।”⁸ इस तरह की समस्याओं के

अन्य उदाहरण भी हैं-

“1960 में सुरक्षा बल द्वारा बलात्कार किए जाने के बाद चनू रोस ने इस दर्दनाक घटना के कारण आत्महत्या कर ली।”⁹

“नौबी को सुरक्षा बलों की हिरासत में दस दिन बिताने पड़े थे। वह इस घटना से इतनी आहत हुई थी कि आज भी वह यह नहीं बता पा रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ था।”¹⁰

“1966 में अहंजाओबी नामक स्त्री के घर की तलाशी लेने के वक्त सेना द्वारा उसका बलात्कार किया गया, जिसे वह आगे आकर कहने की हिम्मत दिखाई।”¹¹

महिलाएँ वे किसी भी आयु की हों, चाहे गर्भवती हो, बलात्कार, शारीरिक शोषण और यातना का शिकार हुई हैं। किताब के अंत में मनोरमा की माँ खुमलेझमा की आखिरी इच्छा है-“**AFSPA का निरस्तीकरण देखना। इस कानून ने हमें जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा से वंचित कर दिया है। जब तक यह नहीं हटेगा, मुझे यकीन नहीं होगा कि मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी।”¹²**

मणिपुर मानवाधिकार संघर्ष का परिणाम / प्रभाव

मनोरमा की मौत ने बाद में एक नागरिक विद्रोह को जन्म दिया। “**12 जुलाई 2004 को 32 स्थानीय संगठनों ने एक छत्र संगठन ‘अपुंबा लुप’ की स्थापना की, ताकि AFSPA के निरस्तीकरण की माँग करने के लिए आंदोलन शुरू किया जा सके।”¹³** इस घटना के बाद सरकार ने कई आयोगों का गठन किया। सबसे पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश सी.उपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया गया, जिसने नवंबर 2004 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2005 में AFSPA की समीक्षा करने के लिए गठित जीवन रेड्डी समिति ने इस अधिनियम को निरस्त करने की सिफारिश की। 2013 में गठित न्यायमूर्ति वर्मा समिति, जो कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उनके संबंधित कानूनों में संशोधन के लिए गठित की गई थी, संघर्ष क्षेत्र में महिलाओं को कानूनी

सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में AFSPA की निरंतरता की समीक्षा करने की सिफारिश की। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मनोरमा की माता को 10 लाख रुपये मुआवज़ा देने के लिए निर्देशित किया।

निष्कर्ष

मणिपुरी लोगों के संघर्ष को केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह मानव अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है। आज भी मणिपुर में मानवाधिकार संबंधी समस्याएँ और उनके खिलाफ लड़ने वाले कई संगठनों के स्वर गूँज रहे हैं। इरोम शर्मिला जैसे साहसी व्यक्तित्व और कई संगठनों ने संपूर्ण जीवन इस नियम के खिलाफ लड़ने के बावजूद इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। 2025 अप्रैल में मणिपुर राज्य में AFSPA अधिनियम छह महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है। इस नियम को लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन जब इसका दुरुपयोग होता है, तो इसके बीच मानव की सुरक्षा पर सवाल उठता है। मानवाधिकार संबंधी समस्याएँ केवल एक जगह पर केंद्रित नहीं हैं। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ सामने आ रही हैं। 21वीं सदी के बदलते हालात में यह हमारा कर्तव्य है कि हम हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में उनका साथ दें।



संदर्भ सूची

1. The Armed Forces (Special Powers) Act, 1958. Ministry of Home Affairs, Government of India, 1958, PP. 2-4.
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/armed_forces_special_powers_act1958.pdf.
2. The Armed Forces (Special Powers) Act - Repressive Law." Combat Law: The Human Rights Magazine, Colin Gonsalves for combat law Publications Pvt. Ltd, Mumbai, Vol. 2, no. 1, Apr./May 2003, P. 8.
<http://www.unipune.ac.in/snc/cssh/humanrights/01%20STATE%20DEMO-CRACY%20AND%20LAW/39.%20License%20to%20kill%20-%20Armed%20Forces>

- % 20 (Special % 20 Powers) % 20 Act % 20 Combat % 20 Law % 20 - % 20 The % 20 Human % 20 Rights % 20 Magazine, % 20 202.pdf
3. Getting Away With Murder: 50 Years of the Armed Forces (Special Powers) Act. Human Rights Watch, Aug. 2008, P. 18.
<https://www.hrw.org/legacy/backgrounders/2008/india0808/india0808web.pdf> .
 4. Rahman, Theresa. The Mothers of Manipur: Twelve Women Who Made History, Zubaan Publication, New Delhi, 2017, PP. 51–52.
 5. Rahman, Theresa. The Mothers of Manipur: Twelve Women Who Made History, Zubaan Publication, New Delhi, 2017, P. 61.
 6. Thansing, R. S. Orient. "Engaging Armed Forces (Special Powers) Act in Manipur: What Happened to Human Rights?" JETIR, IJ PUBLICATION, Ahmedabad, Gujarat, Vol. 8, No. 8, 2021, P. D748. <https://www.jetir.org/papers/JETIR2108462.pdf>.
 7. Rahman, Theresa. The Mothers of Manipur: Twelve Women Who Made History, Zubaan Publication, New Delhi, 2017, P. 42.
 8. Rahman, Theresa. The Mothers of Manipur: Twelve Women Who Made History, Rahman, Theresa. Zubaan Publication, New Delhi, 2017, P. 20.
 9. Rahman, Theresa. The Mothers of Manipur: Twelve Women Who Made History, Rahman, Theresa. Zubaan Publication, New Delhi, 2017, P. 135.
 10. Rahman, Theresa. The Mothers of Manipur: Twelve Women Who Made History, Rahman, Theresa. Zubaan Publication, New Delhi, 2017, PP. 48–49.
 11. Rahman, Theresa. The Mothers of Manipur: Twelve Women Who Made History, Rahman, Theresa. Zubaan Publication, New Delhi, 2017, P. 73.
 12. The Mothers of Manipur: Twelve Women Who Made History, Rahman, Theresa. Zubaan Publication, New Delhi, 2017, P. 153.
 13. Rahman, Theresa. The Mothers of Manipur: Twelve Women Who Made History, Zubaan Publication, New Delhi, 2017, P. 136.



गीतिका गुप्ता

सहायक आचार्य (हिंदी)
सम्राट पृथ्वीराज चौहान
राजकीय महाविद्यालय
अजमेर-305001
राजस्थान
संपर्क
guptageetika86@gmail.com

नरेश सक्सेना और राजेश जोशी की कविताओं में समाज, यथार्थ और मानवीय चेतना : एक तुलनात्मक अध्ययन

शोध सारांश

यह शोध-पत्र समकालीन हिंदी कविता के दो सशक्त स्वर नरेश सक्सेना और राजेश जोशी की कविताओं के माध्यम से समाज, यथार्थ और मानवीय चेतना के स्वरूप को समझने का एक विनम्र प्रयास है। दोनों कवियों की रचनात्मक दृष्टि समाज के हाशिये पर खड़े व्यक्तिकी ओर झुकती है, जहाँ वे सत्ता, शोषण और विसंगतियों के विरुद्ध कविता को एक सजग हस्तक्षेप की तरह प्रस्तुत करते हैं।

नरेश सक्सेना की कविताएँ जहाँ विज्ञान, तर्क और संवेदना के संतुलन से जीवन की परतों को खोलती हैं, वहीं राजेश जोशी की कविताएँ लोकचेतना, विडंबना और मानवीय विवेक से हमें रोज़मर्रा की दुनिया की अंधेरी गलियों में ले जाती हैं। दोनों के यहाँ यथार्थ की पहचान मात्र घटनाओं के चित्रण से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे मानवीय संघर्ष और सवाल की पड़ताल से होती है।

यह शोध तुलनात्मक दृष्टि से यह स्पष्ट करता है कि दोनों कवि भिन्न शिल्प और भाषा के प्रयोगों के बावजूद, अंततः मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के पक्षधर हैं। उनका लेखन समकालीन कविता को न केवल संवेदनशील बनाता है, बल्कि उसे वैचारिक और नैतिक धरातल पर भी समृद्ध करता है।

बीज शब्द

1. नरेश सक्सेना
2. राजेश जोशी
3. हाशिये पर खड़े व्यक्ति
4. कविता का हस्तक्षेप
5. विज्ञान-तर्क
6. लोकचेतना
7. मानवाधिकार
8. मानवीय गरिमा
9. वैचारिक धरातल
10. संघर्ष - प्रतिरोध

मूल शोध

समकालीन हिंदी कविता का स्वर अब केवल सौंदर्य या आत्मचिंतन तक सीमित नहीं रह गया है। यह आज के समाज की जटिलताओं, विसंगतियों और मानवीय अस्मिता के संघर्षों की सशक्त आवाज़ बन चुकी है। इस संदर्भ में नरेश

सक्सेना और राजेश जोशी ऐसे दो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो समय के यथार्थ और मानवीय चेतना को अपनी कविताओं के माध्यम से एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं।

दोनों कवियों की कविताएँ सामाजिक यथार्थ को केवल उजागर ही नहीं करतीं, बल्कि उसमें छिपे तंत्र, मौन शोषण और अदृश्य पीड़ा को सामने लाने का प्रयास भी करती हैं। यह शोधपत्र उनके द्वारा सृजित कविताओं के माध्यम से उस सामाजिक यथार्थ और मानवीय विवेक का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जो इन दोनों कवियों के काव्य-संसार का केंद्रीय स्वर है।

समाज का यथार्थ : दृश्य और अदृश्य स्थितियाँ

नरेश सक्सेना की कविता 'छह दिसंबर' भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के उस दर्दनाक क्षण की ओर संकेत करती है, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। कवि इस घटना को केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक द्वंद्व नहीं मानते, बल्कि उसे इतिहास की पुनर्चना और साम्प्रदायिक राजनीति की पुनरावृत्ति के रूप में देखते हैं। कविता की शुरुआती पंक्तियाँ,

“इतिहास के बहुत से भ्रमों में से

एक यह भी है

कि महमूद गज़नवी लौट गया था”¹

इस बात को रेखांकित करती हैं कि इतिहास की आड़ में किस प्रकार वर्तमान की साम्प्रदायिक शक्तियाँ अतीत को जीवित कर रही हैं। कवि लिखते हैं-

“लौटा नहीं था वह

यही था

सैकड़ों बरस बाद अचानक

वह प्रकट हुआ अयोध्या में”²

यहाँ 'वह' महज़ महमूद गज़नवी नहीं, बल्कि उस मानसिकता का रूपक है, जो विध्वंस और घृणा को बार-बार वर्तमान में पुनर्स्थापित करती है।

“इस बार उसका नारा था

जय श्रीराम।”³

इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह उजागर करते हैं कि किस प्रकार धार्मिक नारों और प्रतीकों का राजनीतिकरण करके उन्हें विध्वंस का औज़ार बनाया गया।

राजेश जोशी की कविता 'बच्चे काम पर जा रहे हैं' उसी सामाजिक तंत्र पर व्यंग्य करती है, जहाँ बचपन की सहजता को श्रम के बोझ तले दबा दिया गया है:

“बच्चे काम पर जा रहे हैं

हमारे समय की सबसे भयावह पंक्ति है यह।”⁴

यह सबसे भयावह पंक्ति सामाजिक चेतना को झकझोरती है। यहाँ समाज की उस परत को उजागर किया गया है, जहाँ भविष्य निर्माण के नाम पर बच्चों का वर्तमान निगला जा रहा है।

राजेश जोशी की कविता में जो भयावह पंक्ति है, वह केवल कविता की नहीं, पूरे समाज की आत्मा को हिला देने वाली पंक्ति बन जाती है। बच्चे जो हाथों में कलम पकड़ने की उम्र में बोझ ढो रहे हैं, वे सिर्फ अपने भविष्य से वंचित नहीं हैं, बल्कि वे पूरे समाज की नैतिक विफलता के प्रतीक बन गए हैं। यह कविता हमें केवल दुखी नहीं करती, बल्कि एक बेचैनी पैदा करती है- एक ऐसा असंतोष, जो यथास्थिति को स्वीकार करने से इनकार करता है।

इन दोनों कवियों के यहाँ यथार्थ केवल घटनाओं का पर्याय नहीं है, बल्कि वह संवेदना है, जो हर जागरूक पाठक को भीतर तक झकझोरती है। यह कविता की नहीं, आत्मा की पुकार है, जो व्यवस्था के हर उस हिस्से से सवाल करती है, जहाँ अन्याय को रोज़मर्रा का हिस्सा मान लिया गया है।

मानवीय चेतना : संवेदना और प्रतिरोध

नरेश सक्सेना की कविता 'गिरना' केवल भौतिक

या शारीरिक गिरावट का चित्रण नहीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक और नैतिक पतन की ओर संकेत करती है-

“चीजों के गिरने के नियम होते हैं

मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते।”⁵

गिरने को कवि नियति नहीं मानते, बल्कि मानवीय अनुभव की अपरिहार्यता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें प्रतिरोध का स्वर नहीं, बल्कि स्थितियों की यथार्थ स्वीकृति के भीतर मानवीय विवेक की सघन उपस्थिति है।

वहीं राजेश जोशी की कविता ‘मारे जाएँगे’, सत्ता के अन्याय के विरुद्ध चेतावनी की तरह सामने आती है-

“जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे

मारे जाएँगे

कटघरे में खड़े कर दिए जाएँगे, जो विरोध में बोलेंगे

जो सच-सच बोलेंगे, मारे जाएँगे”⁶

यह चेतावनी केवल किसी राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं, बल्कि उस नागरिक चेतना के लिए भी है, जो चुप रहकर अन्याय को प्रश्रय देती है।

इन दोनों कवियों की कविताओं में मानवीय चेतना किसी सैद्धांतिक विमर्श की तरह नहीं, बल्कि अनुभूति की उस सतह पर घटती है, जहाँ व्यक्ति अपने सबसे भीतर के प्रश्नों से टकराता है। नरेश सक्सेना का गिरना उस सहज स्वीकृति का बिंब है, जहाँ मनुष्य अपने अनुभवों की पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा होता है। यह कविता किसी फैसले का आग्रह नहीं करती, बल्कि मनुष्य की सीमाओं को समझने की एक निश्चल कोशिश बन जाती है। उसमें प्रतिरोध का कोई नारा नहीं है, परंतु जो मौन है, वही सबसे गहरी चीख है।

वहीं राजेश जोशी की कविता ‘मारे जाएँगे’ निश्चल नहीं है, वह हिला देती है। वहाँ भय है, चेतावनी है और इतिहास से टकराने का दुःसाहस भी। यह कविता पाठक को एक असहज ज़िम्मेदारी सौंपती है- अगर आप कुछ

नहीं करेंगे, तो आप भी मारे जाएँगे, शायद अपने भीतर। दोनों कवियों के यहाँ प्रतिरोध का ढांचा भिन्न है, लेकिन संवेदना की नींव एक ही है; मनुष्य की गरिमा की रक्षा।

यह भी उल्लेखनीय है कि इन कविताओं में जो मानवीय चेतना है, वह किसी आदर्शवादी या नैतिक उपदेश की तरह नहीं आती, बल्कि टूटते-बिखरते जीवन के बीच एक सूक्ष्म प्रकाश की तरह उपस्थित होती है। यह वह चेतना है, जो केवल विरोध नहीं, बल्कि आत्मबोध भी उत्पन्न करती है, कि जीवन सिर्फ जीना नहीं, समझना और बदलना भी है।

प्रतीक और रूपक : प्रकृति बनाम व्यवस्था

नरेश सक्सेना की कविताओं में प्रतीकों का गहन प्रयोग मिलता है। विशेषतः प्रकृति से जुड़े बिंब। कविता ‘एक वृक्ष भी बचा रहे’ में वह मनुष्य और प्रकृति के सह-अस्तित्व की आकांक्षा व्यक्त करते हैं:

“एक बेटे और एक बेटी के साथ

एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में।”⁷

यह प्रतीकात्मक नहीं, अत्यंत वास्तविक और समसामयिक आग्रह है, जो पर्यावरणीय संकट की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

राजेश जोशी की कविता ‘नफरत करो’ पूरी की पूरी व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग्य है-

“नफरत करो

कम्युनिस्टों से करो

इसमें फायदा ही फायदा है।”⁸

यह व्यंग्यात्मक आवरण में छुपा हुआ प्रतिरोध है। यहाँ कवि सत्ता द्वारा गढ़े गए आदर्श नागरिक की परिभाषा पर प्रश्न उठाता है।

प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से दोनों कवि न केवल अपनी संवेदना को रूपाकार देते हैं, बल्कि एक वैकल्पिक दृष्टि भी प्रस्तावित करते हैं। नरेश सक्सेना की

कविताओं में जो वृक्ष, पानी, पत्थर या चिड़ियाँ आती हैं, वे केवल प्रकृति के घटक नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर बची हुई करुणा और विवेक के प्रतीक हैं। एक वृक्ष भी बचा रहे; यह आग्रह केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि उस मानवीय बैचेनी का भी है, जो तकनीक और सत्ता के बीच दबता चला गया है।

राजेश जोशी के प्रतीक अधिक चुभने वाले हैं। 'नफरत करो' कविता में अच्छा नागरिक बनने की जो विडम्बनात्मक परिभाषा दी गई है, वह हमारे समय की सबसे कठोर सच्चाई है। यह प्रतीकात्मकता हमें समाज के उस चेहरे से परिचित कराती है, जो बाहर से सुसंस्कृत दिखता है, लेकिन भीतर से भय और नफरत का पोषक है।

दोनों कवियों की प्रतीक योजना भिन्न होते हुए भी एक ही उद्देश्य की ओर अग्रसर है; सत्ता के बनाए हुए भ्रम को तोड़ना और मनुष्य को उसके मूल स्वभाव के निकट लाना। नरेश प्रकृति की ओर लौटने की बात करते हैं, तो राजेश चेतावनी देते हैं कि सत्ता तुम्हारे विचारों तक पर कब्जा करना चाहती है। यह रूपकों का संसार हमें केवल कविता में नहीं, अपने समय की राजनीति और समाज के द्वंद्व में ले जाता है।

शिल्पगत भिन्नताएँ : भाषा और दृष्टिकोण

नरेश सक्सेना की कविता 'पार' में जीवन की प्रक्रिया को पार करने की क्रिया से जोड़ा गया है, जिसमें केवल संघर्ष नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई भी है:

“पुल पार करने से
पुल पार होता है
नदी पार नहीं होती
नदी पार नहीं होती नदी में धँसे बिना”⁹

यहाँ एक अत्यंत सरल भाषा में जीवन की जटिल अनुभूति को पकड़ा गया है।

राजेश जोशी की कविता 'मैं झुकता हूँ' में झुकना

कोई पराजय नहीं, बल्कि रणनीति है।

“दरवाजे से बाहर जाने से पहले
अपने जूतों के तरमे बाँधने के लिए
मैं झुकता हूँ
झुकता हूँ
झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं”¹⁰

यह कवि की दृढ़ता है, जो प्रतिरोध की नई परिभाषा गढ़ती है। झुकना एक सामयिक विवेक है, न कि आत्मसमर्पण। शिल्प और भाषा की दृष्टि से दोनों कवियों की राहें अलग हैं, लेकिन उनकी मंज़िल समान है। नरेश सक्सेना की भाषा, जैसे किसी वैज्ञानिक की सावधानी से तराशी गई हो- सटीक, गहन और यथार्थपरक। वे कम शब्दों में अधिक कहने के पक्षधर हैं। “पार करना केवल पार करना नहीं होता” जैसी पंक्तियाँ पाठक को आम अनुभवों की गहराइयों में ले जाती हैं, जहाँ साधारण प्रतीत होने वाली घटनाओं में असाधारण अर्थ छिपा होता है।

इसके विपरीत राजेश जोशी की भाषा अधिक खुली, संवादपरक और व्यंग्यात्मक है। “मैं झुकता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं”; यह पंक्ति केवल लचीलापन नहीं, बल्कि रणनीतिक चुप्पी का भी बयान है। राजेश जोशी की कविताएँ अक्सर बातचीत की शैली में होती हैं, जैसे कोई भीतर की बात कह रहा हो, बिना अलंकरण के, बिना डर के।

यह अंतर न केवल दोनों कवियों की शैली को विशिष्ट बनाता है, बल्कि उनके दृष्टिकोण की गहराई को भी दर्शाता है। एक ओर जहाँ नरेश अपनी कविता को विज्ञान और संवेदना के संतुलन से गढ़ते हैं, वहीं राजेश उसे लोक और प्रतिरोध की ज़मीन पर सींचते हैं। इस अंतर से ही समकालीन कविता का विविधता भरा परिदृश्य निर्मित होता है।

निष्कर्ष

नरेश सक्सेना और राजेश जोशी की कविताएँ हमारे समय की सामाजिक-सांस्कृतिक ग्रंथियों को खोलती

हैं। एक ओर जहाँ नरेश सक्सेना की कविताओं में संवेदना का सघन ताप, प्रकृति और विज्ञान के सूक्ष्म संकेतों के साथ, पाठक को भीतर तक झकझोरता है, वहीं दूसरी ओर राजेश जोशी की कविताएँ समाज में फैले पाखंड, अन्याय और सत्ता के चेहरों से पर्दा हटाने वाली विवेकपूर्ण आलोचना बन जाती हैं।

दोनों ही कवि भाषा को अत्यंत सजगता से बरतते हैं। कहीं वह सूक्ष्म प्रतीकों में मुखर होती है, तो कहीं तीव्र व्यंग्य और स्पष्टता में। उनका काव्य इस बात का साक्षी है कि कविता केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम भी हो सकती है।

इस प्रकार, नरेश सक्सेना और राजेश जोशी दोनों की काव्य दृष्टि, यद्यपि शैली, शिल्प और प्रतीक में भिन्न हैं, परंतु दोनों का लक्ष्य समान है- मनुष्य की गरिमा की रक्षा, समाज की चेतना का विकास और यथार्थ की ईमानदार पड़ताल।



संदर्भ सूची

1. नरेश सक्सेना, समुद्र पर हो रही है बारिश, 'छह दिसंबर', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2001, पृष्ठ सं- 61
2. नरेश सक्सेना, समुद्र पर हो रही है बारिश, 'छह दिसंबर', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2001, पृष्ठ सं- 61
3. नरेश सक्सेना, समुद्र पर हो रही है बारिश, 'छह दिसंबर', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2001, पृष्ठ सं- 61
4. राजेश जोशी, क्षितिज भाग-1, 'बच्चे कम पर जा रहे हैं', एन.सी.ई.आर.टी, संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 104
5. नरेश सक्सेना, सुनो चारुशीला, 'गिरना', भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण-2012, पृष्ठ सं- 21
6. राजेश जोशी, प्रतिनिधि कविताएँ, 'मारे जाएँगे', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 79
7. नरेश सक्सेना, समुद्र पर हो रही है बारिश, 'एक वृक्ष भी बचा रहे', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2001, पृष्ठ सं- 35
8. राजेश जोशी, नेपथ्य में हँसी, 'नफरत करो', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1994, पृष्ठ सं- 36

9. नरेश सक्सेना, समुद्र पर हो रही है बारिश, 'पार', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2001, पृष्ठ सं- 28
10. राजेश जोशी, प्रतिनिधि कविताएँ, 'मैं झुकता हूँ', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 114



मलय नीरव

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय
दरभंगा-846004, बिहार
संपर्क
malayniravpatna@gmail.com

शोध निर्देशक

डॉ. मंजरी खरे
सहायक प्राध्यापिका
(हिंदी विभाग)
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय
दरभंगा-846004, बिहार

21वीं सदी के संस्मरण-साहित्य में मानवाधिकार

शोध सारांश

मानवाधिकार, एक बहु प्रचलित शब्द। अधिकतर समय इस शब्द से एक स्वरूपन झलकता है। सूखा, जर्जर, निर्जीव। जज़्बात और संवेदना इसके साथ स्वतः जुड़ जाते हैं, जब हम साहित्य में इसकी तलाश शुरू करते हैं। लेकिन साहित्य से बाहर, किसी अखबार में, खबर में जब मानवाधिकार को देखते, पढ़ते हैं, तब वहाँ अक्सर सकारात्मकता का अभाव दिखता है। यूनिसेफ के अनुसार मानवाधिकार वे मानक हैं, जो सभी मनुष्यों की गरिमा को मान्यता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। मानवाधिकार यह नियंत्रित करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य समाज में और एक-दूसरे के साथ कैसे रहता है, साथ ही राज्य के साथ उनके संबंध और राज्य के उनके प्रति दायित्व भी। प्रस्तुत शोधालेख में मानवाधिकार की प्रासंगिकता को साहित्य की पृष्ठभूमि में देखने का प्रयास किया गया है। खासकर 21वीं सदी के संस्मरण-साहित्य में मानवीय गरिमा, संवेदना और मानवाधिकार से संबंधित मूलभूत प्रश्नों को कितना रेखांकित किया जा रहा है, कितना अनकहा छोड़ दिया जा रहा है; का भी विश्लेषण इस शोध आलेख में किया गया है।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार
2. संवेदना और साहित्य
3. मानवीय गरिमा
4. संस्मरण-साहित्य
5. संस्मरणाधिकार
6. वेब युग
7. 21वीं सदी का साहित्य
8. सामाजिक न्याय

मूल शोध

साहित्य और समाज का संबंध सदैव अभिन्न रहा है। समाज जिन प्रश्नों, चुनौतियों और संघर्षों से जूझता है, साहित्य उन पर संवेदनशील दृष्टि डालता है और मानवीय अनुभवों के बहुआयामी रूपों को प्रस्तुत करता है। इसी संदर्भ में मानवाधिकार केवल कोई विधिक या संवैधानिक अवधारणा भर नहीं रह जाता, बल्कि वह व्यक्ति की अस्मिता, गरिमा और अस्तित्व से गहराई से जुड़ा हुआ प्रश्न बन जाता है। विशेषकर संस्मरण-साहित्य में यह और भी स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि संस्मरण किसी व्यक्ति के निजी अनुभवों और सामूहिक सामाजिक यथार्थ

के अंतःसंबंध को उजागर करता है। 21वीं सदी के संस्मरण न केवल व्यक्तिगत स्मृतियों का दस्तावेज़ हैं, बल्कि वे मानवाधिकार, उत्पीड़न, संघर्ष, अन्याय और असमानताओं के विरुद्ध आवाज़ भी उठाते हैं। इस प्रकार, वे साहित्य और मानवाधिकार विमर्श के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। 'अफ्रीकी देशों में मानवाधिकार का हनन', 'बहुराष्ट्रीय कंपनी मूल निवासी के मानवाधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है' आदि..आदि..। कभी-कभार ज़रूर किसी कोर्ट से फैसला सुनते हैं कि 'नदियों का, वन का भी मानवाधिकार होता है, 'कैदियों को मानवाधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है'... आदि।

21वीं सदी अपने साथ अनेक प्रश्नों और चुनौतियों को लेकर सामने आई है। आने वाले वर्षों में इसका स्वरूप कैसा होगा-परंपरा और आधुनिकता का कौन-सा संतुलन स्थापित होगा, समाज किस दिशा में आगे बढ़ेगा और साहित्य उसे किस हद तक प्रतिबिंबित कर पाएगा; ये सभी प्रश्न विचारणीय हैं। इस सदी के दो दशक बीत चुके हैं और बीस वर्ष की तरुण आयु की तरह यह दौर भी नई संभावनाओं, आकांक्षाओं और द्वंद्वों से भरा हुआ है। इस चरण में समाज और साहित्य दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। समाज मार्गदर्शन देता है, जबकि साहित्य व्यक्ति को केवल अधिकारों का ही नहीं, बल्कि उसके कर्तव्यों का भी बोध कराकर उसे अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने का कार्य करता है।

एक सदी का अर्थ है सौ वर्षों का अनुभव। 21वीं सदी की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि अब मनुष्य स्वयं भी शतायु होने की संभावना रखता है। लेकिन केवल आयु का बढ़ जाना पर्याप्त नहीं है; उसके साथ जीवन की गुणवत्ता और मानवीय गरिमा का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। जैसे-जैसे जीवन का विस्तार होगा, मानवाधिकार की परिभाषा और उसका दायरा भी व्यापक होता जाएगा। इस विस्तृत परिप्रेक्ष्य को समेटने और समाज में हो रहे परिवर्तनों को संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त करने की क्षमता साहित्य की दृष्टि और उसकी सामाजिक

प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।

साहित्य विविध विधाओं का एक समृद्ध उपवन है, जिसमें प्रत्येक विधा अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति और सामर्थ्य से इसे जीवंत बनाए रखती है। इन्हीं में संस्मरण अपेक्षाकृत नवीन विधा के रूप में उभरकर सामने आया है, जिसकी महत्ता समय के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। 21वीं सदी की शुरुआत ने संस्मरण-लेखन को विशेष गति प्रदान की है और अनेक साहित्यकार स्वयं को इस रूप में अभिव्यक्त करने के लिए उत्सुक भी दिखाई देते हैं। आत्मकथा, जहाँ संपूर्ण सत्य को दर्ज करने की चुनौती और दबाव से जुड़ी होती है, वहीं संस्मरण अपेक्षाकृत लचीला माध्यम प्रदान करता है, जिसमें सीमित लेखन के बावजूद अभिव्यक्ति अधूरी नहीं रह जाती। यही कारण है कि संस्मरण आज साहित्यिक जगत में एक सशक्तविकल्प के रूप में उभर रहा है।

संस्मरण-साहित्य की परिभाषा को लेकर प्रायः जिज्ञासा उठती है कि वास्तव में इसे किस रूप में समझा जाए। संस्मरण और रेखाचित्र दोनों में कुछ ऐसी समानताएँ मिलती हैं, जिनके कारण इनके बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना कई बार कठिन हो जाता है। द्विवेदीयुगीन साहित्यकार, पत्रकार एवं संपादक पद्म भूषण पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी ने इस संदर्भ में लिखा है-“रेखाचित्र खींचना एक कला है। थोड़ी-सी रेखाओं के द्वारा एक सजीव चित्र बना देना किसी कुशल कलाकार का ही काम हो सकता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण अलन्ता का वह सुप्रसिद्ध चित्र है, जिसमें एक वृद्ध मनुष्य किसी राजा के पास जहाज़ डूबने या युद्ध में पराजय होने का दुखद संवाद लाया है।”¹

प्रतिष्ठित साहित्येतिहासकार आचार्य डॉ. रामचंद्र तिवारी अपनी कृति 'हिंदी का गद्य साहित्य' में इस अनिश्चितता को स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए संस्मरण की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने लिखा है-“संस्मरण किसी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन है। स्मर्यमाण

के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ और वे चारित्रिक वैशिष्ट्य जो स्मरणकर्ता को स्मृत रह जाते हैं, उन्हें वह शब्दांकित करता है। स्मरण वही रह जाता है, जो महत्, विशिष्ट, विचित्र और प्रिय हो। स्मर्यमाण को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता है। संस्मरण में विषय और विषयि दोनों ही रूपायित होते हैं। इसलिए इसमें स्मरणकर्ता पूर्णतः तटस्थ नहीं पाता। वह अपने 'स्व' का पुनः सर्जन करता है।"²

संस्मरण-लेखन की बढ़ती प्रवृत्ति ने इसे आलोचकों और पाठकों दोनों के केंद्र में ला खड़ा किया है। इसके सामने यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि वह समाज के यथार्थ को कितनी सशक्तता से उजागर करता है और क्या उसमें विभिन्न वर्गों, बोलियों, जातियों तथा धर्मों की सहभागिता परिलक्षित होती है। यही चुनौती उसके साहित्यिक दायित्व को परिभाषित करती है। संस्मरण का अधिकार, मानवाधिकार और संस्मरणाधिकार...ये सभी परस्पर जुड़े हुए विमर्श हैं। अधिकार का स्वरूप स्थिर नहीं होता; वह समय और परिस्थितियों के अनुसार विस्तार या संकुचन पाता रहता है। यद्यपि 'मानवाधिकार' शब्द मानव के अधिकारों की ओर संकेत करता है, किंतु यहाँ 'मानव' व्यापक प्रतीक है, जो जीवित और निर्जीव दोनों जीवन-जगत को समेटे हुए है। इस दृष्टि से मानव को प्राप्त अधिकार केवल व्यक्तिगत नहीं रहते, बल्कि उसके परिवेश और साहित्य तक विस्तृत हो जाते हैं। इसी विस्तार में मानवाधिकार और संस्मरणाधिकार की अवधारणाएँ एक-दूसरे से जुड़ती हैं।

आज का मनुष्य धीरे-धीरे स्मृति-लोप की स्थिति से जूझ रहा है। उसके अतीत के अनेक हिस्से धुंधले पड़ते जा रहे हैं और भविष्य के सपनों तथा रोज़मर्रा की आपाधापी में वह स्वयं को भी भूलता जा रहा है। ऐसे समय में लेखक और लेखिकाएँ स्मृति को संरक्षित करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं। वे स्मृतियों को शब्दों में गूँथकर संस्मरण रच रहे हैं और साहित्य में स्मृति के अधिकार को सुरक्षित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे

अतीत के बिखरे अनुभवों को संजोकर प्रस्तुत कर रहे हैं और मानवता को विस्मृति की गहराइयों से बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं।

21वीं सदी में लिखे जाने वाले संस्मरण-साहित्य में मानवाधिकार को कितना दर्ज किया जा रहा है? इस सवाल से मुठभेड़ करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आज किस तरह का संस्मरण लिखा जा रहा है और कौन उसे लिख रहे हैं? आज के चर्चित संस्मरण हैं: याद हो कि न याद हो (1992 ई.) काशीनाथ सिंह, सुधियाँ उस चन्दन के वन की (1992 ई.) श्री विष्णुकांत शास्त्री, लौट आ ओ धार (1995 ई.) दूधनाथ सिंह, हम हशमत (2000 ई.) कृष्णा सोबती, वे देवता नहीं हैं (2000 ई.) राजेंद्र यादव, लखनऊ मेरा लखनऊ (2002 ई.) मनोहर श्याम जोशी, रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण (2003 ई.) मनोहर श्याम जोशी, काशी का अस्सी (2002 ई.), आछे दिन पाछे भये (2004 ई.) काशीनाथ सिंह, नंगा तलाई का गाँव (2004 ई.) डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी, दिल्ली शहर दर शहर (2009 ई.) डॉ. निर्मला जैन, कितने शहरों में कितनी बार (2010 ई.) ममता कालिया, हाशिये की इबारतें (2009 ई.), मेरे भोजपत्र (2009 ई.) चन्द्रकान्ता, अमृत लाल नागर की बाबूजी बेटाजी एण्ड कम्पनी (2009 ई.) अचला नागर, कल परसों के बरसों (2011 ई.) ममता कालिया, गंगा स्नान करने चलोगे (2012 ई.) डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी, माफ करना यार (2012 ई.) बलराम, अपने-अपने अज्ञेय, दो खण्ड (2012 ई.) सम्पादक : ओम थानवी, हम हशमत भाग-3 (2012 ई.) कृष्णा सोबती, लता मंगेशकर : ऐसा कहा से लाऊँ (2012 ई.) पद्मा सचदेव, कृति और कृतिकार (2013 ई.) मृदुला गर्ग, गुरुजी की खेती-बारी (2015 ई.) डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी, यादें-यादें... और यादें (2016 ई.) पुष्पा भारती, मैं और वे (2015 ई.) मधुरेश, बारह दरी (2016) पद्मा सचदेव, वह सफर था कि मुकाम था : मेरी नज़र में राजेन्द्र यादव (2016 ई.) मैत्रेयी पुष्पा, मूरतें माटी और सोने की (2017 ई.) नंदकिशोर नवल, मार्फत दिल्ली (2018

ई.) कृष्णा सोबती, हम हशमत भाग-4 (2019 ई.) कृष्णा सोबती, पालतू बोहेमियन मनोहर श्याम जोशी : एक याद (2019 ई.) प्रभात रंजन आदि।

यांत्रिक, मशीनी, वेब और आभासी युग जैसे विविध नामों से परिभाषित इस समय में विनम्रता का गुण दिन-प्रतिदिन दुर्लभ होता जा रहा है। समाज संवेदनशून्यता की ओर बढ़ रहा है, जहाँ आयु, पद या संपन्नता में छोटे व्यक्तियों की उपेक्षा सामान्य प्रवृत्ति बन गई है। ऐसे दौर में रचनाकार पंकज चतुर्वेदी अपनी पुस्तक 'यही तुम थे' में वीरेन डंगवाल की सहजता, मानवीयता और दूसरों के अधिकारों के प्रति सजग दृष्टिकोण को चित्रित करते हैं। इस प्रस्तुति से यह विश्वास पुनः जागृत होता है कि यद्यपि आज भावनाएँ क्षीण होती प्रतीत होती हैं, फिर भी मानवता की छाया हमारे भीतर अब भी जीवित है। **“कुछ वर्ष तुम सम्पादक थे एक बड़े अखबार के कानपुर संस्करण के, जिसके दफ्तर में पहली मंज़िल पर तुम्हारा चैम्बर था। कभी-कभी मैं वहाँ तुम्हारे साथ जाता। तुम गाड़ी से उतरते ही एकदम गम्भीर हो जाते। तेज़ चाल से चलते हुए। सबके सलाम का जवाब देने का बहुत गरिमामय, शालीन ढंग था तुम्हारा। मगर सीढ़ियों के एकान्त में पहुँचकर तुम सहसा रुक जाते, मुझसे कहते : ‘पाखंड तो करना पड़ता है न!’ मैंने बहुत करीब से जाना था साधारणता से तुम्हारे प्यार को और यह कि समता सच है, बाकी सब ढोंग।”³**

“कुछ तारीखें जैसे मांस में गुदी रह जाती हैं, अपनी नीली पीड़ा में जमी हुई। 31 अक्टूबर, 1984 की उस रात... इस तरह इतिहास बनता है? उजाड़ सड़कों और लुके-छिपे लोगों के बीच एक तारीख बाकी सब तारीखों से यों अलग हो जाती है? बरसों बाद हम वहाँ से गुज़रते हैं, तो कैलेण्डर से उखड़ी वह तारीख वहीं खड़ी मिलती है, इतिहास के चौराहे पर, अपने रक्त में नहायी, गर्भनाल हाथ में लिए?”⁴ गगन गिल का लेखन उन ऐतिहासिक और समकालीन यथार्थों को सामने लाता है, जिनमें मानवाधिकारों का हनन, टूटती हुई आशाएँ, पराएपन की

पीड़ा और अपने ही देश में नागरिकों का अपमानित होना गहराई से दर्ज है। ऐसे प्रसंग भी सामने आते हैं जहाँ अपराध कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, किंतु दंड संपूर्ण समुदाय को भुगतना पड़ता है। आधुनिक युग की न्याय संहिता को चुनौती देते हुए सत्ता का दमनकारी स्वरूप एक गरजते हुए कातिल की तरह उभरता है। इस संदर्भ में गगन गिल की कृतियाँ यह चेतावनी देती हैं कि सत्ता की लापरवाही और उसकी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहभागिता, मानवाधिकारों के हनन का सबसे भयावह माध्यम बन जाती है।

मानवाधिकार के प्रति हमारी जागरूकता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि हम अपने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के प्रति कितने सतर्क हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि घर के भीतर प्रताड़ना सहने वाली स्त्री जब सार्वजनिक स्तर पर दूसरों के अधिकारों की वकालत करती है, तो वह अपने व्यक्तित्व के चारों ओर एक प्रकार का छद्म आवरण निर्मित करती है। किंतु कृष्णा सोबती के 'हम हशमत' को पढ़ते समय यह आभास नहीं होता कि उन्होंने कभी अपने स्वत्व से समझौता किया हो। वे अपने व्यक्तिगत जीवन पर किए गए प्रत्येक आघात का निर्भीकता से प्रतिरोध करती हैं। इसका उदाहरण उनके उपन्यास 'ज़िंदगीनामा' के शीर्षक को लेकर दो दशक तक लड़ी गई कानूनी लड़ाई है, अथवा लेखक विभूतिनारायण द्वारा स्त्री लेखिकाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी की उन्होंने जिस तीव्रता से आलोचना की। हर स्थिति में हशमत के रूप में वे दृढ़ और सजग व्यक्तित्व की प्रतिनिधि बनकर सामने आती हैं।

“याद करता हूँ तो बादल से चले आते हैं मजमूँ मेरे आगे।”⁵ कुछ स्मृतियाँ ऐसी होती हैं, जो कभी लुप्त नहीं होतीं; वे हमारे भीतर बादलों की भाँति संचित रहती हैं और समय आने पर बरसकर अनुभवों को जीवंत कर देती हैं। इसी भावभूमि को हिंदी के वरिष्ठ आलोचक, कवि और गद्यकार डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी के संस्मरण 'गुरुजी की खेती-बारी' में अनुभव किया जा सकता है,

जहाँ एक गुरु की मानवीयता, सहृदयता और संवेदनशीलता स्पष्ट झलकती है। यह कृति हजारीप्रसाद द्विवेदी की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास भी प्रतीत होती है। आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की सहायता करना हो या अध्ययन में पिछड़े छात्रों को निःशुल्क पढ़ाना; इन सभी क्षेत्रों में डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी की सक्रियता और प्रतिबद्धता दिखाई देती है। उनकी यह प्रवृत्ति आज भी निरंतर बनी हुई है, जो साहित्य और शिक्षा दोनों में मानवीय मूल्यों के संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

संस्मरण 'मेरे भोजपत्र' में व्यास सम्मान से सम्मानित साहित्य विदुषी चंद्रकांता विस्थापन और शरणार्थी जीवन की त्रासदी को गहन संवेदनाओं के साथ अंकित करती हैं। कश्मीरी पंडित हों अथवा धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम, दोनों ही समुदाय मातृभूमि से दूर जाने की विवशता और बेघर होने की पीड़ा को झेलते दिखाई देते हैं। इस कृति में उल्लिखित अनुभव केवल व्यक्तिगत यातना नहीं, बल्कि सामूहिक स्मृति और सामाजिक अन्याय की मार्मिक अभिव्यक्ति भी हैं। रचनाकार चंद्रकांता स्पष्ट करती हैं कि मानवाधिकारों का ऐसा उल्लंघन किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए गहन संकट का कारण बनता है।

कश्मीर में दहशतगर्दी के दौर में सबसे अधिक प्रताड़ित और संवेदनशील स्थिति में रहकर शोषित हुई लड़कियाँ और महिलाएँ रही हैं। उनके साथ हुए विविध प्रकार के अत्याचार और हिंसा को चंद्रकांता के साहित्य के माध्यम से गहराई और संवेदनशीलता के साथ समझा और अवलोकित किया जा सकता है। वह लिखती हैं-
“लेकिन आज स्थितियाँ भिन्न हैं और भयंकर भी। दहशतगर्दी ने पहली चोट स्त्रियों की अर्जित स्वतंत्रता पर ही की। ‘पर्दा करो, स्कूल-कॉलेज जाना बंद करो, साईकिल चलाना छोड़ दो’, वीमेंस वेलफेयर सेंटर और परिवार नियोजन संस्थाएँ तो उनके हिसाब से धर्म के विरुद्ध जानेवाली संस्थाएँ हैं। उन्होंने खुले मुँह दफ्तर

जाने वाली लड़कियों के मुँह पर ‘एसिड’ डालकर स्त्रियों को खौफ़ज़दा कर दिया, वेलफेयर सेंटर जाती नसीम को चार जने मुश्के बाँधकर अगवा कर ले गए। आज कश्मीर में हिंसा और बलात्कार की शिकार औरतों की गिनती नहीं। दहशतगर्द घरों में चुपचाप मेहंदी का पैकेट रखकर संदेश पहुँचाते कि तुम्हारी लड़की से ‘मुताह’ (शिया मुस्लिम संप्रदाय में प्रचलित अल्पावधि के लिए वैवाहिक संबंध) करना है। धर्म के नाम पर खूब अत्याचार हुए। जिहाद का अविभाज्य हिस्सा बन गई स्त्री की देह। टुक्कर गाँव की लड़की को भोगकर दहशतगर्दों ने आरी से दो हिस्सों में चीर दिया। किसी युवती के अंग काटकर कानों में ‘डेज़होरु’ (पंडितानियों का सुहाग चिन्ह) की तरह लटकाए गए। कोई विरोध नहीं कर पाया। जिसने मुँह खोला या उन्हें समझाने की कोशिश की, वही भून दिया गया। अस्पताल में, नाबालिग बलात्कृत लड़कियों के गर्भपात करती नर्स बबली ने दुःख और आक्रोश से दहशतगर्दों की लानत-मलामत की, कि जेहाद बलात्कार नहीं सिखाता। जवाब में एक गोली से उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। कश्मीर के अस्पताल, हेल्थ सेंटर उन बच्चियों से भरे पड़े हैं, जो अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने यहाँ आती हैं। आतंक के कारण कोई मुँह नहीं खोल पाता।”⁶

अतः 21वीं सदी के संस्मरण-साहित्य में मानवाधिकार का चित्रण व्यक्तिगत अनुभवों और सामाजिक यथार्थ के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह साहित्य न केवल अतीत और वर्तमान की पीड़ाओं को उजागर करता है, बल्कि पाठक में संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न कर सामाजिक चेतना को भी जागृत करता है। इस प्रकार संस्मरण-साहित्य मानवाधिकार विमर्श को सशक्त और विवेचनात्मक आयाम प्रदान करता है।

निष्कर्ष

21वीं सदी के संस्मरण-साहित्य में मानवाधिकार केवल कानूनी या व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित नहीं

हैं; यह समाज में व्याप्त अन्याय, उत्पीड़न और असमानताओं को उजागर करने का प्रभावशाली माध्यम बनता है। संस्मरण लेखन पाठक तक अनकहे दर्द, कुचले जा रहे अधिकारों और मानवीय संवेदनाओं को पहुँचाता है, जिससे सामाजिक जागृति और उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है। लेखिकाएँ और लेखक न केवल व्यक्तिगत या सामूहिक पीड़ा का दस्तावेज़ तैयार कर रहे हैं, बल्कि समाज में नैतिक चेतना, मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशीलता का विस्तार भी कर रहे हैं। वे यह संकेत देते हैं कि साहित्य समाज के यथार्थ और मानवाधिकारों के प्रति सजग रहने का माध्यम है। संस्मरण-साहित्य की यही ताकत इसे अन्य विधाओं से अलग करती है; यह केवल स्मृतियों का संकलन नहीं, बल्कि अधिकारों की पुकार और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भी है। ऐसे संस्मरण जब तक लिखे जाते रहेंगे, मानवाधिकारों की गरिमा और उनकी रक्षा के लिए साहित्य सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। यह साहित्य समाज में न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की निरंतर रक्षा का प्रतीक है।



संदर्भ सूची

- 1) श्री बनारसीदास चतुर्वेदी, रेखाचित्र, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, संस्करण-2000, पृष्ठ सं- 7
- 2) तिवारी; डॉ रामचंद्र, हिंदी का गद्य-साहित्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण-तेरहवां-2020, पृष्ठ सं- 554
- 3) चतुर्वेदी; पंकज, यही तुम थे, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-पहला-2022, पृष्ठ सं- 20
- 4) गिल; गगन, इत्यादि, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-पहला-2019, पृष्ठ सं- 48
- 5) त्रिपाठी; विश्वनाथ, गुरुजी की खेती-बारी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-दूसरा-2018, पृष्ठ सं- 7
- 6) चंद्रकांता, मेरे भोजपत्र, अमन प्रकाशन, कानपुर, संस्करण-पहला-2024, पृष्ठ सं- 71, 72



संध्या राय

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय
दरभंगा-846004, बिहार
संपर्क
roysandhya2003@gmail.com

शोध निर्देशक

डॉ. अभिमन्यु कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर,
(हिंदी विभाग)
सी. एम. कॉलेज
दरभंगा-846004, बिहार

हिंदी नाट्य परंपरा में मानवाधिकार

शोध सारांश

हिंदी नाट्य परंपरा केवल अभिनय और रंग-सज्जा की कला नहीं, बल्कि समाज के मौन दर्द और अदृश्य घावों को मंच पर उजागर करने की जीवित ध्वनि है। इस शोध आलेख में यह अन्वेषण किया गया है कि कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर समकालीन नाटककारों तक, रंगमंच ने अन्याय, असमानता और अधिकारों के हनन के विरुद्ध आवाज़ उठाई। स्त्री की चुप्पी हो या श्रमिक का शोषण, दलित की पीड़ा हो या लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास, नाटककारों ने इन सभी प्रश्नों को मंच पर उतारकर दर्शकों को भीतर तक झकझोर दिया। विशेषकर जयशंकर प्रसाद का 'ध्रुवस्वामिनी' यह सिद्ध करता है कि नाटक केवल कला नहीं, बल्कि नारी की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का उद्घोष है। यह शोध बताता है कि हिंदी नाटक मानवाधिकारों को किसी विधिक संहिता में बंद शब्द नहीं मानते, बल्कि उन्हें मनुष्य की धड़कन, उसकी संवेदना और उसके अस्तित्व की अनिवार्य रोशनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए हिंदी नाट्य परंपरा समाज को आत्ममंथन और परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करने वाली एक सतत और जीवन्त धारा है।

बीज शब्द

1. नाटक 2. परंपरा 3. मंच 4. नैतिकता 5. अधिकार 6. मोहन राकेश
7. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

मूल शोध

भारतीय नाट्य परंपरा अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रही है, जिसकी जड़ें भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से लेकर आधुनिक युग के यथार्थवादी रंगमंच तक फैली हुई हैं। हिंदी नाट्य परंपरा ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ-साथ मानवाधिकारों के मुद्दों को भी मुखर रूप से प्रस्तुत किया है। मानवाधिकार का अर्थ है जीवन की गरिमा, स्वतंत्रता की आकांक्षा और समानता का वचन। मनुष्य चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या लिंग से जुड़ा हो, उसके भीतर जीने और जीने देने की वही अनिवार्य चाह होती है। यही कारण है कि मानवाधिकार केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि जीवन की सबसे मानवीय ज़रूरत है। हमारे चारों ओर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन अधिकारों के प्रश्न टकराते हैं। सड़क किनारे काम करती

बच्ची जब स्कूल की किताब की जगह ईंट उठाने को मजबूर है, तो उसका शिक्षा का अधिकार टूटा हुआ है। खेत से उजड़ा किसान जब अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर बन जाता है, तो उसका जीवन और आजीविका का अधिकार घायल होता है। किसी स्त्री की आवाज़ सिर्फ़ इसलिए दबा दी जाए कि वह परंपरा से सवाल पूछ रही है, तो वहाँ समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार होता है।

यहीं से साहित्य और नाटक की भूमिका शुरू होती है। साहित्य चुप्पियों को आवाज़ देता है और समाज को आईना दिखाता है। नाटक तो समाज का सबसे जीवंत प्रतिबिंब है, जिसमें दर्शक अपनी ही पीड़ा और संघर्ष को मंच पर साकार रूप में देखता है। इस दृष्टि से हिंदी नाट्य परंपरा केवल कला नहीं, बल्कि न्याय, समानता और स्वतंत्रता की माँग का जीवंत मंच है।

मानवाधिकार का आधार और महत्त्व

मानवाधिकार की चेतना मनुष्य की उतनी ही पुरानी है, जितनी उसकी संवेदना। आधुनिक रूप से इसे संस्थागत स्वरूप 1948 में मिला, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने “विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र” स्वीकार किया। इसमें जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता, रोज़गार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्वभौमिक अधिकार माना गया।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान ने इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में स्थापित किया। अनुच्छेद 14-18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन संविधान की गारंटी और ज़मीन की हकीकत के बीच अक्सर गहरी खाई है। साहित्य और विशेषकर नाटक इस खाई को भरने का काम करते हैं।

हिंदी नाट्य परंपरा की जड़ें भारतीय रंगमंच की प्राचीन परंपराओं में हैं। भारतेन्दु हरिश्चंद्र से लेकर आज के समकालीन नाटककारों तक, इस परंपरा ने सामाजिक

यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिशील युग और समकालीन युग- प्रत्येक कालखंड में नाटक ने सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता दी है। “हिंदी नाटक 1970 से लेकर अब तक दो सौ से भी अधिक ऐसे नाटक और लगभग सत्तर ऐसे नए नाटककार सामने आ चुके हैं, जिन्होंने नाट्य रचना को परंपरा के सांचे से निकालकर उसे नया रूप देने का प्रयास किया है।”¹

हिंदी नाटककारों ने समाज में व्याप्त अन्याय, भेदभाव, जातिवाद, स्त्री उत्पीड़न, श्रमिक शोषण, सत्ता का दुरुपयोग आदि मुद्दों को मंच पर लाकर मानवाधिकारों की रक्षा की माँग की है। आधुनिक काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एक अकेले विराट व्यक्तित्व की तरह उभरते हैं। उन्होंने केवल नाटक की कलागत और माध्यमगत विशेषताओं को गहराई से समझा ही नहीं, बल्कि उसे एक योजनाबद्ध आन्दोलन का रूप भी दिया। भारतेन्दु ने नाटक को युगीन समस्याओं, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक विडम्बनाओं और मनुष्य की संवेदनशीलता से जोड़ते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि नाटक केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जागरण और संवाद का सशक्त साधन है। उनकी दृष्टि में रंगमंच और नाट्यलेखन एक दूसरे से अविभाज्य थे। इसी कारण वे नाट्यलेखन, अनुवाद, प्रदर्शन, लोकजीवन की सरसता, रंगकर्मियों के संगठन और दर्शकों की रुचि के परिष्कार तक हर स्तर पर सक्रिय रहे। उनके व्यक्तित्व में विलक्षण रंग-प्रतिभा, संगठन-शक्ति और गहरी संवेदनशीलता एक साथ उपस्थित थी। उन्होंने रंगमंच को फारसी प्रभाव से मुक्त कर स्वतंत्र हिंदी नाट्यपरम्परा की नींव रखी। उनके नाटकों में सांकेतिकता, प्रतीक, लोकतत्त्व, व्यंग्य, संगीत और लय के वे सभी तत्त्व मौजूद हैं, जो आज के आधुनिक नाट्यशिल्प की विशेषता माने जाते हैं। इसीलिए उनके नाटक बहुरंगी ताने-बाने जैसे हैं, जिन्हें किसी भी शैली या प्रयोग में ढाला जा सकता है।

वे मानते थे कि “कला वास्तविक उन्नति का आधार है।”²

भारतेन्दु ने पुनरुत्थान के लक्ष्य को नाटक और रंगमंच के लक्ष्य से जोड़ते हुए यह स्थापित किया कि राष्ट्रीय चेतना की जागृति में रंगमंच की भूमिका निर्णायक है। नाटक, साहित्य की वह विधा है, जिसमें संवाद, दृश्य और अभिनय के माध्यम से किसी भी विचार या मुद्दे को सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। **“नाटक दृश्य काव्य है और इसका दृश्य काव्यत्व तभी सार्थक हो सकता जब वह रंगमंच पर अभिनीत हो। अन्यथा जो नाटक केवल साहित्यिक दृष्टि से उत्तम है, परंतु उसका अभिनय नहीं किया जा सकता, वे वस्तुतः दृश्य काव्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। नाटक की उन्नति रंगमंच के साथ संयुक्त है, क्योंकि नाटक और रंगमंच का अन्योन्याश्रित संबंध है।”**³ इसलिए नाटककारों ने मानवाधिकारों के उल्लंघन और उनके संरक्षण, दोनों पक्षों को मंच पर प्रस्तुत कर समाज को जागरूक किया।

हिंदी नाट्य परंपरा में मानवाधिकार का विमर्श केवल विषयगत प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह नाटकों की आत्मा में रचा-बसा, दृश्य, संवाद और अभिनय के माध्यम से चेतना जगाने वाला संवेदनशील यथार्थ है। जयशंकर प्रसाद का नाटक ‘ध्रुवस्वामिनी’ इस परंपरा का अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण है, जहाँ नारी की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और स्वयं-निर्णय का अधिकार मंच पर जीवंत होकर उभरता है। नाटक में प्रस्तुत प्रत्येक दृश्य न केवल ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ को समेटता है, बल्कि वह आधुनिक समाज के भीतर व्याप्त पितृसत्तात्मक संरचनाओं, लैंगिक अन्याय और वस्तुकरण के खिलाफ नारी की सशक्त चेतना का उद्घोष भी करता है।

‘ध्रुवस्वामिनी’ का व्यक्तित्व नाटक का केंद्रबिंदु है। उसकी आवाज़, उसकी दृढ़ता और उसका आत्मविश्वास मंच पर दर्शकों को प्रत्यक्ष रूप में यह महसूस कराते हैं कि मानवाधिकार केवल कानूनी या दार्शनिक शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन का अनुभव, अस्तित्व की आवश्यकता और आत्मसम्मान की प्रतिध्वनि हैं। जब नायिका कहती है- **“मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों**

को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते।”⁴

यह शब्द ‘ध्रुवस्वामिनी’ केवल विरोध की अभिव्यक्ति नहीं हैं; यह नारी की आत्मघोषणा है, उसके अस्तित्व का दावा है। यहाँ प्रसाद जी ने स्त्री के शरीर और जीवन को किसी सामाजिक स्वामित्व के अधीन न मानने का साहसिक उद्घोष किया है। नाटक में यह संवाद मंच पर प्रत्येक श्रोता के भीतर चेतना की तरंग पैदा करता है। यह लड़ाई केवल व्यक्तिगत स्वायत्तता की नहीं है, बल्कि वह व्यापक सामाजिक संरचना के खिलाफ, एक चेतनात्मक युद्ध है। स्त्री अपने आत्मसम्मान, अपने अधिकार और अपने अस्तित्व के लिए खड़ी है; उसका स्वर समाज में व्याप्त अन्याय के खिलाफ एक नैतिक आग है, जो मंच के बाहर भी दर्शकों के मानस पर स्थायी छाप छोड़ता है।

और जब नायिका अपने आत्मनिर्णय की शक्ति को और गहराई से उद्घाटित करती है- **“मैं उपहार में देने की वस्तु, शीतलमणि नहीं हूँ। मुझमें रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्म सम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूँगी।”**⁵ यह न केवल शरीर और वस्तु के बीच की स्पष्ट विभाजिका रेखा खींचता है, बल्कि यह नारी के अंतर्ज्ञान, संवेदनशीलता और सक्रियता को भी प्रस्तुत करता है। नारी अब न केवल विरोध कर रही है, वह अपनी रक्षा स्वयं करने का दावा कर रही है। उसकी चेतना में जो उष्णता और आत्मसम्मान की ज्योति जल रही है, वह मंच पर दृश्य, संवाद और अभिनय की भाषा में जीवित हो उठती है। यह उद्घोष दर्शाता है कि मानवाधिकार केवल अधिकार नहीं, बल्कि अनुभव, संवेदना और जीवन की आवश्यकता है।

‘ध्रुवस्वामिनी’ का संघर्ष पितृसत्ता और सामाजिक नियमों के विरुद्ध एक नैतिक एवं दार्शनिक द्वंद्व का प्रतीक है। नाटक में उसका यह जुझारूपन दर्शाता है कि नारी

केवल प्रतिरोध की वस्तु नहीं है, बल्कि अपने निर्णय, अपनी इच्छाओं और अपनी गरिमा की संरक्षक भी है। उसके शब्द और भाव इस सत्य को उद्घाटित करते हैं कि जब समाज स्त्रियों को वस्तु समझता है, उनकी इच्छा को कुचलता है और उनके अधिकारों का हनन करता है, तब नाटक उनका प्रतिनिधित्व करके चेतना की लौ जला देता है। यह लौ केवल व्यक्तिगत अधिकार की नहीं, बल्कि समग्र सामाजिक मानवाधिकार की रक्षा का आह्वान है।

नाटक का रचनात्मक सौंदर्य और मंचीय संरचना इस संदेश को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। मोनोलॉग, संवेदनात्मक संवाद, दृश्य निर्धारण और पात्रों की शारीरिक भाषा के माध्यम से 'ध्रुवस्वामिनी' की आंतरिक जुझारूपन, उसका आत्मसम्मान और उसके अधिकारों का उद्घोष जीवंत रूप में सामने आता है। यह दृश्य दर्शकों के भीतर न केवल सहानुभूति उत्पन्न करता है, बल्कि उन्हें सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व का अनुभव कराता है। जिस तरह नायिका अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आवाज़ उठाती है, उसी तरह दर्शक भी भीतर से एक सामाजिक जागरूकता के साथ इस संदेश को ग्रहण करते हैं।

साहित्यिक दृष्टि से यह नाटक हिंदी नाट्य परंपरा में मानवाधिकार की संवेदनशील अभिव्यक्ति का प्रतिनिधि है। प्रसाद जी ने न केवल ऐतिहासिक या पौराणिक कथानक का उपयोग किया है, बल्कि इसे माध्यम बनाकर समकालीन सामाजिक और लैंगिक संघर्ष की गहन वास्तविकता को प्रस्तुत किया है। स्त्री का यह अधिकार अपने जीवन, अपने निर्णय और अपने अस्तित्व की सुरक्षा किसी कालखंड तक सीमित नहीं, बल्कि यह सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। नाटक यह संदेश देता है कि मानवाधिकार केवल कानूनी शब्दावली या संविधान की संकल्पना नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव, सामाजिक नैतिकता और व्यक्तिगत अस्तित्व की नींव हैं।

'ध्रुवस्वामिनी' का संघर्ष, उसका आत्मसम्मान और उसकी सक्रियता हिंदी नाट्य परंपरा में यह स्थापित करती

हैं कि नाटकों का कार्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और न्याय की लड़ाई का मंच बनाना है। नायक और नायिका के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत यह चेतना, दर्शकों को सवाल करने, सोचने और समाज में व्याप्त असमानताओं के प्रति संवेदनशील बनने पर बाध्य करती है। यह चेतना आधुनिक समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी तत्कालीन समय में थी।

'ध्रुवस्वामिनी' न केवल व्यक्तिगत संघर्ष का प्रतीक है, बल्कि हिंदी नाट्य परंपरा में मानवाधिकार की सशक्त, जीवंत और भावनात्मक व्याख्या का उदाहरण भी है। यह नाटक दिखाता है कि नारी की स्वतंत्रता और अधिकार केवल व्यक्तिगत या कानूनी विषय नहीं, बल्कि वे समाज की नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नींव से जुड़े हुए हैं। नाटकों के माध्यम से ये चेतनाएँ समाज में जाग्रत होती हैं, जो मानवाधिकारों के वास्तविक सम्मान और पालन की दिशा में स्थायी प्रभाव डालती हैं।

इस प्रकार, 'ध्रुवस्वामिनी' न केवल नाटक का एक ऐतिहासिक या साहित्यिक रचना है, बल्कि यह मानवाधिकार, लैंगिक समानता और आत्मनिर्णय की चेतना का मंचीय उद्घोष भी है। यह नाटकीय और साहित्यिक सौंदर्य दोनों के साथ-साथ सामाजिक न्याय और नैतिकता के मूल्य को सामने लाता है। नायिका की दृढ़ता, उसके आत्मसम्मान की ज्योति और उसका साहस न केवल मंच पर, बल्कि पाठकों और दर्शकों के मन में भी चेतना की लौ जलाते हैं। यही हिंदी नाट्य परंपरा में मानवाधिकार के आदर्श स्वर का सार है। हिंदी नाट्य परंपरा की यह चेतना केवल 'ध्रुवस्वामिनी' तक सीमित नहीं है। लक्ष्मीनारायण मिश्र का 'सिंदूर की होली', विधवा विवाह जैसे संवेदनशील प्रश्न को उठाता है और उस स्त्री को अपनी गरिमा और पुनः जीवन का अधिकार दिलाने की माँग करता है, जिसे समाज ने मृत मान लिया था। मोहन राकेश का 'आधे-अधूरे', आधुनिक शहरी जीवन की टूटन और पति-पत्नी के बीच असंतोष की वह त्रासदी है, जहाँ स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के प्रश्न रिश्तों की दीवारों से

टकराते रहते हैं। वहीं मृणाल पांडे का नाटक 'आदमी जो मछुआरा नहीं था', मनुष्य की अपनी अस्मिता और अस्तित्व पर गहरे प्रश्न खड़ा करता है- क्या आदमी केवल पेशे, भूमिका और समाज द्वारा ठोकी गई पहचान से तय होता है या उसके भीतर भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व धड़कता है? इन सभी नाटकों में हम पाते हैं कि अधिकार की खोज केवल स्त्री-पुरुष के संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि यह हर उस मनुष्य की आवाज़ है, जो अपने अस्तित्व की गरिमा की रक्षा करना चाहता है।

निष्कर्ष

हिंदी नाट्य परंपरा केवल रंगमंचीय कला का साधन नहीं, बल्कि समाज की संवेदनाओं, अधिकारों और चेतना की जीवंत अभिव्यक्ति रही है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर समकालीन नाटककारों तक, प्रत्येक युग में नाटक ने सामाजिक असमानता, अन्याय, पितृसत्तात्मक संरचना और मनुष्य की गरिमा पर सवाल उठाए। भारतेन्दु ने नाटक और रंगमंच को न केवल कला और व्यंग्य का माध्यम बनाया, बल्कि उसे राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरूकता और मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर एक सशक्त आंदोलन में बदल दिया। उनके नाटकों में लय, संगीत, प्रतीकात्मकता और संवाद की सरसता आज भी हिंदी रंगमंच के मूल आधार हैं। 'ध्रुवस्वामिनी' नाटक नारी के आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की आवाज़ बनकर मंच पर जीवंत होता है। लक्ष्मीनारायण मिश्र का 'सिंदूर की होली', विधवाओं के अधिकार और पुनर्विवाह की सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करता है। मोहन राकेश का 'आधे-अधूरे', पति-पत्नी के बीच असंतोष और स्वतंत्रता के द्वंद्व को दिखाता है, जबकि मृणाल पांडे का 'आदमी जो मछुआरा नहीं था', आदमी की अपनी अस्मिता और निर्णय की स्वतंत्रता पर प्रश्न खड़ा करता है। इन सभी नाटकों में अधिकार की खोज केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और सार्वभौमिक स्वरूप में प्रस्तुत होती है।

हिंदी नाट्य परंपरा यह संदेश देती है कि

मानवाधिकार केवल कानूनी या दार्शनिक शब्द नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव, संवेदना और अस्तित्व की आवश्यकता है। नाटक केवल कथानक या संवाद नहीं, बल्कि वह मंच है, जो दर्शक के भीतर चेतना की लौ जलाता है, सवाल उठाता है और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है। आज, जब डिजिटल मंच और इंटरएक्टिव थिएटर ने रंगमंच की सीमाओं को तोड़ा है, हिंदी नाट्य परंपरा और भी व्यापक, दर्शक वर्ग तक अपनी चेतना पहुँचाने में सक्षम है। यह परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि कला का प्रमुख उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि न्याय, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा भी है। नाटक के माध्यम से समाज में जागरूकता, संवेदना और परिवर्तन की नींव पुख्ता होती है। यही हिंदी नाट्य परंपरा का सार और उसका उपसंहार है।



संदर्भ सूची

1. गौतम, डॉ. विकल, हिंदी नाटक रंग शिल्प दर्शन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2000, पृष्ठ सं- 11
2. रस्तोगी, गिरीश, हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष, लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2002, पृष्ठ सं- 3
3. गौतम, डॉ. विकल, हिंदी नाटक रंग शिल्प दर्शन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2000, पृष्ठ सं- 7
4. प्रसाद, जयशंकर, ध्रुवस्वामिनी, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 14
5. प्रसाद, जयशंकर, ध्रुवस्वामिनी, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 16



शगनप्रीत कौर

सहायक प्राध्यापिका
(हिंदी विभाग)
श्री गुरु तेगबहादुर खालसा कॉलेज
श्री आनंदपुर साहिब-140118
पंजाब
संपर्क
shaganpreet3284@gmail.com

समकालीन कविता में मानवाधिकार : संरक्षण एवं उन्नयन

शोध सारांश

मानव अधिकारों की अवधारणा कोई नवीन अवधारणा नहीं है, बल्कि अति प्राचीन है। यह उतनी ही पुरानी है, जितनी कि मानव-जाति। मानव अधिकारों की धारणा मानव सुख से जुड़ी हुई है। मानवाधिकार उन अधिकारों को कहते हैं, जो मानव होने के कारण मिलने चाहिए। वे अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। संविधान मानवाधिकार के अनुच्छेद-26 में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। कहा जा सकता है कि चाहे मानवाधिकार संविधान देता है, लेकिन उनका संरक्षण मानव मूल्य करते हैं। मानवाधिकारों के प्रति चेतना का सीधा संबंध मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं से है, प्रेम, सद्भावना, समानता, दया, करुणा इत्यादि इसके पोषक तत्व हैं। इस तरह वर्तमान समय में मानवाधिकार, साहित्य चिंतन का प्रमुख विषय बना हुआ है। यहाँ साहित्य की प्रत्येक विधा में मानव और उसके मूलभूत अधिकारों के समर्थन की बात, वहीं पर मानवाधिकारों के हनन और मानवीय संवेदनाओं के गिरते स्तर के प्रति चिंता भी व्यक्त की है, जिससे हमें मानव मूल्य व मानवाधिकारों के आपसी गहन संबंध का परिचय मिलता है। आदिकालीन संस्कृत साहित्य (रामायण, महाभारत) से लेकर अमीर खुसरो, गुरु नानक, सुर, तुलसी, जायसी से होते हुए आधुनिक युग के प्रसाद, पंत, निराला, नागार्जुन के साथ समकालीन साहित्यकार धूमिल, कुमार विकल और प्रकृति के कवि कुमार कृष्ण तक के प्रत्येक साहित्य में सर्वजन सुखाए: बहुजन हिताय की भावना का ही विकास अलग रूपों में मिलता है। इन रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से शोषण मुक्त स्वच्छ समाज की अवधारणा का ही विस्तार किया है।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार 2. मानव-मूल्य 3. समकालीनता 4. मानवीय संवेदना
5. समानता 6. समाज

मूल शोध

किसी भी सभ्य समाज या लोकतांत्रिक देश में मूल्य का होना बहुत ज़रूरी है। मूल्य मनुष्य की मानवीय कामनाएँ हैं, मनुष्य सृजनशील प्राणी होने के नाते मूल्यों

के प्रति सचेत रहता है। मूल्य, मानव अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के आधार हैं। इन्हें मनुष्य तथा समाज की आधार संहिता स्वीकार किया जाता है, क्योंकि मूल्य ही जीवन जीने की कला सिखाते हैं। मनुष्य जीवन तभी मूल्यात्मक होता है, जब उसके भौतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक स्तरों में समग्र समन्विति होती है। मानवीय जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही देश में संविधान आने के साथ ही लोगों के कुछ मानवाधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। मानवाधिकार समाज में वंचित, शोषित, ऊँचे, बड़े तथा जाति, लिंग भेद से ऊपर उठकर सबके लिए समान अधिकारों की बात करता है, जिससे समाज में किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित न किया जा सके मगर जब हम यथार्थ को देखते हैं, तो पता चलता है कि कैसे गरीब, शोषित, वंचित, स्त्रियों, दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है, वहाँ उनके मानवाधिकारों का हनन किया जाता है। भूमंडलीकरण के इस युग में साहित्य और साहित्यकार की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि आज के इस मशीनीकरण के दौर में प्रत्येक व्यक्ति इंसान न रहकर मशीन ही बन गया है। अतः उसे इंसान बनाए रखने का सारा दायित्व साहित्यकार पर आ जाता है। साहित्यकार का साहित्य सार्वभौमिक होता है। साहित्य की सार्थकता भी मानव जीवन के साथ उसका जुड़ाव है। इस आधुनिक दौर में समाज में हो रहे बदलाव के कारण मानवीय मूल्यों में भी परिवर्तन आ रहा है और इसी परिवर्तन की बात समकालीन हिंदी कविता कर रही है। कहा जा सकता है कि समकालीन कविता बीसवीं शताब्दी के मध्य से आज तक अनेक परिवर्तनों और विचारधाराओं से गुजरते हुए मानव मूल्यों के चित्रण में अग्रणी रही है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत परिवेशों में मानवीयता के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। समकालीन कविता इन सभी सरोकारों को अपने साथ लेकर चलती है। समकालीन कविता कहते ही हमारे समय के महत्वपूर्ण सरोकारों, सवालों से टकराती हुई एक विशेष रूप और गुण धर्म

वाली कविता का चित्र सामने आ जाता है। हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक विशम्भरनाथ उपाध्याय के अनुसार- **“समकालीन कविता को अघात और विस्फोट की कविता और आक्रमण और अनावरण की कविता कहा है, क्योंकि आज असत्य, दम्भ षड्यंत्र सनक और भोग विलास का युग है, जो इस युग में शांति जनतंत्र आदि के मुखौटे लगाते हैं, उन्हें नोच फेंकना आज की कविता का मुख्य लक्ष्य है।”¹**

समकालीन कविता समाज की मृत मान्यताओं, टूटती हुई परम्पराओं और सामाजिक, राजनीतिक भ्रष्टाचार से क्षुब्ध युवा-मानस की अभिव्यक्ति है। इस तरह कहा जा सकता है कि समकालीन हिंदी कविता मानव मूल्यों की खोज और अभिव्यक्ति का एक मज़बूत क्षेत्र रही है। इन कविताओं ने प्रेम, करुणा, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, विद्रोह और अन्य मानव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी अपने वक्तव्य स्पष्ट करती रही है। हिंदी के एक आलोचक डॉ. नरेंद्र मोहन का यह स्वीकारना उचित प्रतीत होता है कि- **“समकालीन कविता में व्यापक मानवीय चेतना कोई अमूर्त धारणा नहीं है। वह एक ओर अस्तित्व के प्रश्नों से जुड़ी है; दूसरी ओर सामाजिक प्रश्नों से। सामाजिक विषमता के संदर्भों में कवि अपनी दृष्टि केंद्रित करता है मनुष्य पर।”²**

अर्थात् आज कविता का विषय मनुष्य है एवं उससे जुड़ी समस्याएँ हैं। समकालीन समाज के प्रति कवियों की चिंता और उनकी बेहतर दुनिया की कल्पना इन कविताओं में स्पष्ट रूप से झलकती है। समकालीन कवियों में धूमिल, बलदेव वंशी, कुमार विकल जैसे अनेक ऐसे कवि हैं, जिन्हें युग की विडंबनाओं, विकृतियों और विसंगतियों का गहरा अहसास है। उनमें भावावेश, आक्रोश और उत्तेजना है, जो अन्य कवियों में बहुत कम मिलती है। धूमिल की कविताएँ युवा मानसिकता और देश के बदलते तेवरों को संयमित ढंग से व्यंजित करती हैं। अकाल दर्शन, मोचीराम, पटकथा में धूमिल का दायित्वबोध अधिक प्रबल रहा है। धूमिल की कविता ‘शहर में सूर्यास्त’ जैसी कविताओं

में उनका आक्रोश तीखा हो गया है-

**“मंत्रियों की कुर्सियों में तबदील हो चुकी है
और हवा में एक चमकदार गोल शब्द
फँक दिया है -जनतंत्र
जिसकी रोज़ सैकड़ों बार हत्या होती है
और हर बार
वह भेड़ियों की जुबान पर ज़िन्दा है।”³**

इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि आमजन को जो अधिकार मिलने थे वे केवल सरकारी फाइलों में मिले हैं। स्पष्ट होता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी साधारण जनता की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। आज भी उनके लिए आज़ादी केवल कागज़ी शब्द है। उनके लिए इसके कोई मायने नहीं हैं, क्योंकि आज भी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही। उनके मूल्यों का हनन दिन रात जारी है। आज़ादी केवल उनके लिए है, जो उच्च पदों पर बैठकर आम जन का शोषण कर रहे हैं। आलोचक एवं आंचलिक कवि कुमार कृष्ण के अनुसार-“धूमिल का काव्य उनके समकालीन परिवेश का ऐसा एक्स रे है, जहाँ एक ओर अभावग्रस्त ज़िंदगी के मर्मस्पर्शी अक्स हैं, वहीं दूसरी ओर समाज की स्थिति, गतिहीनता, जर्जरता, विकृतियों और विडम्बनाओं को बखूबी समझा जा सकता है।”⁴ धूमिल की ‘रोटी और संसद’ एक छोटी-सी कविता है, जिसमें समकालीन समाज की गहरी तस्वीर उभरती है-

**“एक आदमी रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तीसरा आदमी भी है
जो केवल रोटी से खेलता है”⁵**

इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि धूमिल अपने परिवेश से गहरे जुड़े हुए कवि हैं। उन्होंने ‘रोटी और संसद’ कविता में शोषण और शोषित वर्ग की बात की है। इनकी कविता उस संतुष्ट-प्रपीड़ित मानव का दर्द मुखरित होता है, जो हर दिन इन भ्रष्ट नेताओं द्वारा लूटा जा रहा है और जिनके

अधिकारों की हर दिन हत्या हो रही है। समकालीन कविता के प्रमुख कवि बलदेव वंशी भी ‘उपनगर में वापसी’ कविता के माध्यम से मानवीय स्थितियों की पीड़ा और करुणा को उभारा है। यह कविता एक संवेदनशील व्यक्ति की चीख है, जिसमें यातना-संघर्ष का मिला जुला रूप है। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहा है कि आधुनिक मानव अपने मूल्यों से इतना दूर हो गया है कि वह मानव होने का मतलब तक भूल गया है और वह यह भी भूल गया है कि उसके पास बुद्धि के साथ-साथ हृदय भी है। दूसरी तरफ कवि समाज के युवाओं की बेरोज़गारी की बात भी करता हुआ कहता है कि-

**“यहीं एक बच्चे के हाथों
ऋतुएँ खो गयी थीं
तब से भयभीत वह
घर ही नहीं लौटा
किताबें अलग फ्रेंक
कामकाज़ी हो गया।”⁶**

इन पंक्तियों में स्पष्ट होता है कि देश की महानगरी में देश का भविष्य कहे जाने वाले युवकों को पढ़ाई तक की सुविधा नहीं है। वह मजबूरीवश पढ़ाई छोड़कर कोई भी छोटा-मोटा काम करने के लिए मजबूर हैं। संविधान के मानवाधिकार अनुच्छेद-20 के अनुसार शिक्षा का सबको समान अधिकार है। आज भी बहुत से युवा, शिक्षा संस्थाओं में जातिगत भेदभाव का शिकार होते हैं। देश में भ्रष्टाचार का इतना ज़्यादा बोलबाला होने के कारण कवि को कहना पड़ रहा है कि इस व्यवस्था से ‘अंधे सिक्के की छाप’ घड़ी है। यह संपूर्ण व्यवस्था धोखेबाज़ी, झूठ, फरेब, बेईमानी और रिश्तों पर चल रही है-

**“कमिशन में जमादार
अधिकारी घूसखोरी में
मालिक कोठी में, ठाट में
टुसल्ल में सब दफन हैं
व्यवस्था से
अटे-सटे
दिन-रात”⁷**

इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि हमारी व्यवस्था का प्रत्येक विभाग मानव मूल्यों से कोसों दूर है। जिस प्रशासन को सरकार ने लोगों के नौकर लगाया था, वह खुद ही उनके शासक बनकर उनका शोषण करते हैं। बलदेव वंशी के काव्य में सांकेतिक आलेखन पद्धति के ज़रिये लगातार तबदील होते जा रहे सामाजिक परिदृश्य और उसमें व्याप्त विसंगतियों व विडम्बनाओं के मूर्तिकरण की एक कोशिश है, जिसके ऊपरी धरातल पर मौजूद नगर-यन्त्रणा व्यापक मानवीय यातना को व्यंजित करती है। अतः कहा जा सकता है कि आम जन को उनके अधिकारों से वंचित ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनको समय पर न पढ़ाई मिलती है न दवाई। सबके लिए उन्हें संघर्ष ही करना पड़ता है। समकालीन कविता के प्रसिद्ध कवि कुमार विकल के काव्य में मानवीय मूल्य बोध के तत्त्व विराजमान हैं, जो उनकी कविता को सर्वहारा वर्ग के पक्ष में खड़ा करते हैं। कहा जा सकता है कि कुमार निम्न वर्ग और निम्न मध्यवर्ग के प्रति समर्पित होकर संघर्षरत हैं, तो दूसरी ओर व्यवस्था के अंतर्विरोधों के प्रति भी युद्धरत हैं। कुमार विकल अपनी कविता 'एक छोटी-सी लड़ाई' में कहते हैं कि-

**“मुझे लड़नी है एक छोटी-सी लड़ाई
छोटे लोगों के लिए
छोटी बातों के लिए
मुझे लड़ना है एक मामूली क्लर्क के लिए**

.....
**नौकरशाही के फौलादी दरवाज़े
अपनी कमज़ोर मुठियों से खटखटाता है।”⁸**

कुमार विकल की इन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि कवि समकालीन दौर के उन शोषित व पीड़ित लोगों के लिए लड़ना चाहता है, जो समय-समय पर सरकार की झूठी नीतियों और पूँजीपति वर्ग के शोषण का शिकार हो चुके हैं, जिनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, जिनके लिए अधिकारों की बात करना कोई दूसरी दुनिया की बात करने के बराबर है।

निष्कर्ष

समकालीन कविता का कैनवास काफी विस्तृत है, जो इसके लोकतांत्रिक और मानवीय संवेदना से होने की सुचना देता है। समकालीन हिंदी कविता में समाज के सभी वर्गों और समुदायों को समाहित किया गया है, जो अब तक अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग तलाश रहे थे। समकालीन कविता में मानवीय मूल्यों का चित्रण जटिल और बहुआयामी है, जिसे बेहद मुखर और स्पष्ट रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अतः कहा जा सकता है कि समकालीन कविता में जहाँ सामाजिक-पारिवारिक ढांचे में मध्यवर्गीय आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है, वहीं पर व्यवस्था के प्रति तीव्र असंतोष और आक्रोश भी व्यक्त हुआ है। समकालीन कविता का कवि मानवीय अधिकारों के लिए और मानवीय मुक्ति के लिए निरंतर संघर्षरत भी है और सामाजिक यथार्थ के कठिन रूपों को नये वैचारिक संवेदनात्मक आघात के साथ उपस्थित करने में भी सफल हुआ है। समकालीन कविता जन-जागरण की कविता है, जो आम जन को अपने मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने हितों के लिए निरंतर जागरूक रहने की प्रेरणा देती है। समकालीन कविता में मूल्य-प्रतिपादन की दृष्टि से समाज तथा राजनीति के व्यापक संदर्भों को प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए समकालीन कविता को वैयक्तिक मूल्य की अपेक्षा सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों की पक्षधरता की कविता कह सकते हैं।



संदर्भ सूची

1. विशम्भरनाथ उपाध्याय, समकालीन सिद्धांत और साहित्य, मैकमिलन एंड कम्पनी, दिल्ली, संस्करण-1976, पृष्ठ सं- 17
2. नरेंद्र मोहन, आधुनिकता और समकालीन रचना संदर्भ, आदर्श साहित्य प्रकाशन, दिल्ली संस्करण-1973, पृष्ठ सं- 64
3. धूमिल, संसद से सड़क तक, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1972, पृष्ठ सं- 40
4. कुमार कृष्ण, समकालीन कविता का बीजगणित, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2004, पृष्ठ सं- 42

5. धूमिल, कल सुनना मुझे, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 66
6. बलदेव वंशी, उपनगर में वापसी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2012, पृष्ठ सं- 10
7. बलदेव वंशी, उपनगर में वापसी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2012, पृष्ठ सं- 18
8. कुमार विकल, एक छोटी-सी लड़ाई, संभावना प्रकाशन, हापुड़, संस्करण-1980, पृष्ठ सं- 30



कुमारी आकांक्षा

सहायक प्राध्यापिका
(हिंदी विभाग)
सेंट जोसेफ फर्स्ट ग्रेड डिग्री
कॉलेज, जयलक्ष्मीपुरम
मैसूरु-570012
कर्नाटक
संपर्क
akanksha998655@gmail.com

मानवाधिकार : अवधारणा, स्वरूप, विकास और वैश्विक परिप्रेक्ष्य

शोध सारांश

मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। ये अधिकार समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और सम्मान के साथ जीवनयापन की अनिवार्य शर्तें निर्मित करते हैं तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे होते हैं। प्राचीन सभ्यताओं और धर्मग्रंथों- जैसे बाइबल, कुरान, बौद्ध, जैन और सनातन परंपरा आदि में मानव की मर्यादा और भाईचारे पर बल मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि मानवाधिकार की अवधारणा का अस्तित्व प्रारंभ से रहा है। मानवाधिकार का स्वरूप बहुआयामी है, जिसमें सार्वभौमिकता, वैयक्तिकता, व्यवहारिकता, अविभाज्यता, सर्वोच्चता, परस्पर निर्भरता, क्रियान्वयन-योग्यता तथा जन्मसिद्ध और अपरिहार्य होना जैसी विशेषताएँ निहित हैं। इनका मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को संभव बनाना और सामाजिक जीवन में न्याय, सौहार्द तथा समरसता को प्रोत्साहित करना है। आधुनिक समय में मानवाधिकार का स्वरूप दीर्घ ऐतिहासिक संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिक प्रयासों का परिणाम है, जिसने इन्हें वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान की है।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार
2. सार्वभौमिकता
3. वैयक्तिकता
4. सर्वोच्चता
5. अविभाज्यता एवं निर्भरता
6. अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएँ
7. मानवाधिकारों का विकास
8. वैश्विक परिप्रेक्ष्य

मूल शोध

विश्व-इतिहास पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि मानवाधिकार की अवधारणा किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। सभ्यता के क्रमिक विकास के साथ इन अधिकारों का स्वरूप भी निरंतर परिष्कृत एवं विस्तृत होता गया। मानव जीवन की सार्थकता और गरिमा की कल्पना मानवाधिकारों के बिना संभव नहीं है। इन अधिकारों की विशिष्टता यह है कि वे जाति, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीय सीमाओं से परे, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हैं। आज विश्व के अधिकांश विकसित और विकासशील राष्ट्र अपने संविधानों एवं नीतियों के माध्यम

से इन अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं।

मानवाधिकार से अभिप्राय उन मूलभूत अधिकारों से है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा एवं संवर्धन के लिए आवश्यक हैं। ये अधिकार मानव अस्तित्व की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्थितियाँ प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते यह अधिकार जन्मसिद्ध रूप से प्राप्त होते हैं, जिन्हें किसी भी शासन, संस्था या व्यवस्था द्वारा न तो छीना जा सकता है और न ही सीमित किया जा सकता है।

“मानवाधिकार का मूल आशय उस न्यूनतम स्वतंत्रता से है, जो सिर्फ मनुष्य होने के नाते किसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। साथ ही उसके मूल अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा भी होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ सके, सामाजिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में अपना योगदान दे सके तथा सम्मानपूर्वक जीवन-यापन कर सके। इस प्रकार मानवाधिकार मनुष्य के समग्र विकास के लिए एक अस्त्र है। इक्कीसवीं सदी में एक क्रांतिकारी अवधारणा के रूप में वह हमारे समक्ष प्रस्तुत है। उसकी प्रासंगिकता इसलिए भी है कि अनेक कारणों से आज जैसा असुरक्षित जीवन पहले कभी नहीं रहा। आज से पहले अप्राकृतिक मौतें इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती थीं।”¹

मानवाधिकारों का स्वरूप

मानवाधिकार का स्वरूप अत्यंत व्यापक, जटिल और बहुआयामी है, क्योंकि ये न केवल व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन के विभिन्न आयामों को भी प्रभावित करते हैं। मानवाधिकारों के स्वरूप को समझने के लिए उनके सार्वभौमिक, अविभाज्य, जन्मसिद्ध, अपरिहार्य तथा क्रियान्वयन योग्य होने जैसी विशेषताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही, इनका परस्पर निर्भर

और अंतःसंबद्ध होना भी इनके बहुआयामी स्वरूप को स्पष्ट करता है। इस प्रकार मानवाधिकार केवल सैद्धांतिक आदर्श नहीं हैं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने वाले अनिवार्य तत्त्व भी हैं।

1. सार्वभौमिकता

मानवाधिकारों का प्रमुख स्वरूप उनकी सार्वभौमिकता में निहित है। इन्हें ऐसे अधिकार माना जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को हर समय और हर परिस्थिति में प्राप्त होते हैं। इनका संबंध किसी विशेष देश, धर्म, जाति, भाषा, लिंग या सामाजिक वर्ग से नहीं होता, बल्कि ये समस्त मानव जाति को समान रूप से प्राप्त हैं। मानवाधिकारों की यह सार्वभौमिकता इस तथ्य को रेखांकित करती है कि मानव मात्र का अस्तित्व ही इन अधिकारों का आधार है। इसका स्पष्ट प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पारित सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र में किया गया है, जिसमें यह घोषित किया गया कि सभी मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र और समान गरिमा तथा अधिकारों के अधिकारी हैं। इस दृष्टि से किसी भी सरकार, संस्था या कानून को इन अधिकारों को सीमित करने या उनसे वंचित करने का अधिकार नहीं है।

"Universal Declaration of Human Rights- Preamble- Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. (प्रस्तावना- चूँकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान एवं अविभाज्य अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति का आधार है।)"²

2. वैयक्तिकता

मानवाधिकारों की अवधारणा का आधार इस विचार में निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में जन्म लेता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत मानव को एक बौद्धिक प्राणी माना गया है, जो अपनी विचार-शक्ति और

विवेक के आधार पर भले-बुरे का निर्णय करने में सक्षम है। इसी कारण व्यक्ति को नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसके अंतर्गत उसे अपने कार्यों एवं निर्णयों का निर्धारण करने की स्वायत्तता मिलनी चाहिए। मानवाधिकारों की यह विशेषता व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व और उसकी बौद्धिक गरिमा को संरक्षित करने पर बल देती है। "Article 2- Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. (अनुच्छेद 2- प्रत्येक व्यक्ति को इस घोषणा में वर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के, जैसे कि जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति।)"³

3. सर्वोच्चता

मानवाधिकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी सर्वोच्चता है। इन्हें ऐसे अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है, जिनका अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में राज्य अथवा शासन-व्यवस्था द्वारा जनहित या अन्य किसी कारणवश नहीं किया जा सकता। वास्तव में, यह अधिकार राज्य की सत्ता से ऊपर माने जाते हैं और इसी कारण प्रत्येक राष्ट्र के लिए इन्हें संवैधानिक तथा कानूनी आधार पर संरक्षण प्रदान करना अनिवार्य होता है। इस दृष्टि से मानवाधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करने वाले सर्वोपरि तत्त्व हैं।

"The General Assembly,

Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among

the peoples of territories under their jurisdiction.

(महासभा,

मानव अधिकारों की इस सार्वभौमिक घोषणा को सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धि के एक सामान्य मानक के रूप में घोषित करती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग, इस घोषणा को निरंतर ध्यान में रखते हुए, शिक्षण और शिक्षा के माध्यम से इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करे और प्रगतिशील राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपायों द्वारा, सदस्य राज्यों के लोगों और उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लोगों के बीच, उनकी सार्वभौमिक और प्रभावी मान्यता और पालन सुनिश्चित करे।)"⁴

4. व्यावहारिकता

मानवाधिकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी व्यावहारिकता है। अर्थात् ये अधिकार केवल सैद्धांतिक या कागज़ी अवधारणाएँ नहीं हैं, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए वास्तविक जीवन में लागू होने योग्य होने चाहिए। किसी भी अधिकार को तभी व्यवहारिक माना जा सकता है जब वह समाज के प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम अवसर और संसाधन प्रदान करे, ताकि वह सम्मानपूर्वक और स्वतंत्र रूप से जीवनयापन कर सके। इस दृष्टिकोण से मानवाधिकार केवल कानून और नियमों तक सीमित नहीं रह सकते; इन्हें वास्तविक जीवन में क्रियान्वित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। यही पहलू मानवाधिकारों की प्रासंगिकता और उनके वास्तविक मूल्य को प्रदर्शित करता है।

5. क्रियान्वयन योग्य

मानवाधिकारों की एक विशेषता उनकी क्रियान्वयन योग्यता है। ये ऐसे अधिकार हैं, जिन्हें वास्तविक जीवन में लागू किया जा सकता है और जिनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। राष्ट्रीय और स्थानीय मानवाधिकार संरक्षण संस्थाओं के माध्यम से इन अधिकारों का पालन

और संरक्षण संभव होता है। साथ ही, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन अधिकारों की सुरक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार, मानवाधिकार केवल सिद्धांत या विचार नहीं हैं, बल्कि उन्हें व्यावहारिक रूप में लागू करना और उनके उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है।

6. अविभाज्यता एवं परस्पर निर्भरता

मानवाधिकारों को एक-दूसरे से पृथक रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये सभी आपस में गहन रूप से जुड़े हुए हैं। किसी एक अधिकार का उल्लंघन सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य अधिकारों को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से जुड़ा है, जबकि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार के साथ अंतर्निहित रूप में जुड़ा होता है। इसी प्रकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी और सुरक्षा के अधिकार आपस में परस्पर निर्भर हैं। इस अविभाज्य और परस्पर निर्भर स्वभाव के कारण मानवाधिकारों का संरक्षण समग्र दृष्टिकोण और एकीकृत नीति द्वारा ही प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है।

7. जन्मसिद्ध एवं अपरिहार्य

जैसा कि मानवाधिकार किसी भी सरकार, संस्था या सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदत्त नहीं होते, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं, ये अधिकार व्यक्ति की मानवता का अभिन्न अंग होते हैं और सामान्य परिस्थितियों में इन्हें छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने की स्थिति में, कानूनी प्रक्रिया के तहत इनके प्रयोग या अधिकार में सीमितियाँ लगाई जा सकती हैं। इसी कारण मानवाधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता और गरिमा को सुनिश्चित करने वाले अपरिहार्य और अनिवार्य तत्त्व माने जाते हैं, जो समाज में न्याय और संतुलन बनाए रखने के लिए

अनिवार्य हैं।

“मानव अधिकार दर्शन की यही विशिष्टता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के मानव-रूप में जन्मने पर आधारित है। मानव अधिकार जन्मना होते हैं और राज्य एवं समाज उनका साधारणतया परित्याग नहीं कर सकता। इन्टरनेशनल कान्यनेन्ट ऑन सिविल एण्ड पॉलिटिकल राइट्स 1966 की धारा 4 (2) स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करती है कि आपातकाल की स्थिति में भी धारा 6, 7 एवं 8 का परित्याग नहीं किया जा सकता। अस्तु केवल एक व्यक्ति का भी मानव अधिकार उतना ही महत्वपूर्ण है और सामाजिक समर्थन का हकदार है, जितना एक समूह का।”⁵

मानवाधिकारों का महत्त्व

मानवाधिकारों का वास्तविक महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि ये प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को सुदृढ़ करते हैं तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, चाहे उनकी जाति, नस्ल, लिंग, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इन अधिकारों की अवधारणा मानव सभ्यता के संघर्षपूर्ण इतिहास से उत्पन्न हुई है, अतः इनका मूल उद्देश्य न केवल व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है, बल्कि सामाजिक सहयोग, पारस्परिक सौहार्द और न्यायपूर्ण व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करना है। साथ ही, मानवाधिकार संघर्ष की परिस्थितियों के समाधान और शांति स्थापना के लिए भी आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। इनके महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है-

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों ने तृतीय विश्व युद्ध जैसी संभावित विभीषिका को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूँकि मानवाधिकारों का उद्भव प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों से हुआ, इसलिए इनके प्रभाव ने भविष्य के वैश्विक संघर्षों को नियंत्रित करने की दिशा में स्थिरता प्रदान की।

- मानवाधिकार सामाजिक जीवन में सौहार्द, बंधुता और समरसता की भावना को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे समाज में सहयोग और पारस्परिक विश्वास की नींव सुदृढ़ होती है।
- मानवाधिकार प्राकृतिक और सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में संरक्षित हैं। इनके माध्यम से नैतिकता और मानवीय मूल्यों की पुष्टि और सुदृढ़ता होती है।
- विधि के शासन में मानवाधिकार एक प्रभावी साधन हैं। ये प्रशासनिक प्राधिकारियों की मनमानी और अनुचित कार्यवाहियों पर नियंत्रण स्थापित कर न्यायपूर्ण शासन की स्थापना सुनिश्चित करते हैं।
- सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के अनुसार ये अधिकार सभी देशों और सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। इससे वैश्विक समुदाय में मित्रता और सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ावा मिलता है।
- मानवाधिकार कानूनी रूप से न केवल मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हैं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम भी बनते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति अपने अस्तित्व को वास्तविक रूप में मानव श्रेणी में प्रतिस्थापित करता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद मानवाधिकारों ने व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को राज्य की निरंकुशता और दमनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संरक्षित करने का प्रभावी आधार प्रदान किया।
- मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए लगभग सभी देशों में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोगों का गठन किया गया है। ये आयोग शासकीय तंत्र की अव्यवस्थित और उपेक्षापूर्ण कार्यप्रणालियों पर नियंत्रण स्थापित कर

सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मानवाधिकारों की शुरुआत

मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण से ही अधिकार और धर्म के मध्य गहरा संबंध रहा है। मानवाधिकार न केवल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, बल्कि उसे वास्तविक अर्थों में मानव बनाने का आधार भी प्रदान करते हैं। मानवाधिकारों की अनुपस्थिति में किसी भी सभ्यता या संस्कृति के विकास की संभावना नगण्य मानी जाती है। यही कारण है कि विश्व के प्राचीन धर्मग्रंथों और शास्त्रों में मानवाधिकार संबंधी विचारों का उल्लेख मिलता है।

हिंदू धर्मग्रंथों में अधिकार और कर्तव्य की संरचना धर्म और पाप की अवधारणाओं के आधार पर की गई है। महाभारत में राज्यव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी अधिकारों और कर्तव्यों की सुरक्षा पर बल दिया गया है। इसी प्रकार अन्य धार्मिक ग्रंथों जैसे बाइबिल, कुरान, बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं में भी मानव की गरिमा, भाईचारे और सामाजिक मर्यादा के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार की शुरुआत

मानवाधिकारों के विकास की यात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक संघर्षों और सामाजिक आंदोलनों से होकर गुजरी है। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा जॉन के शासनकाल में सामंतों और जनता के असंतोष ने उसे 'मैग्नाकार्टा' पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। यह दस्तावेज़ ब्रिटेन में लोकतंत्र की आधारशिला बना और निरंकुश राजसत्ता पर अंकुश लगाने वाली पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुआ। इसे मानवाधिकार संघर्ष के इतिहास की प्रारंभिक और निर्णायक घटनाओं में गिना जाता है।

इसके बाद अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के विरुद्ध वाशिंगटन के नेतृत्व में संगठित

होकर संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की माँग की। इस संघर्ष का परिणाम स्वतंत्रता की घोषणा के रूप में सामने आया, जिसने मानवाधिकारों की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रखा। इसी क्रम में फ्रांसीसी क्रांति ने निरंकुश राजसत्ता के अंत और जनता को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति के पश्चात स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों की स्थापना के साथ आधुनिक मानवाधिकार चिंतन का दायरा और भी व्यापक हुआ।

20वीं शताब्दी में 1917 की सोवियत क्रांति ने मानवाधिकारों की अवधारणा को नई गति प्रदान की, जिसका स्पष्ट प्रभाव वहाँ के संविधान पर दिखाई देता है। वर्तमान में लगभग सभी लोकतांत्रिक गणराज्यों के संविधानों में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित प्रावधान निहित हैं। उदाहरणस्वरूप चीन के गणराज्य का संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख करता है, जबकि जर्मनी के संविधान में स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुनिश्चितता पर बल दिया गया है।

भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी मानवाधिकार संघर्ष का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता की माँग को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया और अंततः उन्हें प्राप्त करने में सफल रहे। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों का इतिहास मानव गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की सतत संघर्षशील यात्रा के रूप में सामने आता है।

मानवाधिकारों का विकास

वर्तमान समय में विश्व के समस्त लोकतंत्रात्मक राज्यों में मानवाधिकारों का उल्लेख है। मानवाधिकारों का विकास कई चरणों में संपन्न हुआ है।

1. प्रथम चरण 1945 से 1948 तक

मानव अधिकारों के विकास के प्रथम चरण में

मानवाधिकारों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किए गए जो इस प्रकार हैं-

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945
- मानव अधिकार आयोग 1946
- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948
- नरसंहार के अपराध रोकने एवं दंड से संबंधित प्रसंविदा 1948

2. द्वितीय चरण 1949 से 1975 तक

मानवाधिकार के विकास के चरण में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा द्वारा निश्चित किए गए कार्यक्रमों की वैधानिकता प्राप्त करने वाला चरण कहा जाता है। इस चरण में कई क्षेत्रीय पर संविदाएँ विश्वकृत की गईं, जो इस प्रकार हैं-

- युद्ध बंदियों से संबंधित जनीवा प्रसंविदा-1949
- यूरोपीय मानव अधिकार प्रसंविदा-1950
- शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित प्रसंविदा-1951
- महिलाओं के राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा-1952
- आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा-1966
- सिविल व राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा-1966
- सिविल, राजनीतिक अधिकारों की प्रासंगिकता का ऐच्छिक प्रोटोकॉल-1966
- शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित प्रोटोकॉल-1967
- विश्व मानव अधिकार सम्मेलन तेहरान-1968
- अमेरिकी मानव अधिकार प्रसंविदा-1969
- विकलांग के अधिकार की घोषणा-1975

3. तृतीय चरण 1978 से 1989 तक

इस चरण में मानव अधिकारों से संबंधित कई विकास के कदम उठाए गए।

- आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा को लागू करना-1976

- सिविल व राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को लागू करना-1976
- सिविल व राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा का प्रोटोकॉल लागू करना-1976
- महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति प्रसंविदा-1979
- बाल न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र के स्टैंडर्ड नियम विनियम रूल्स-1985
- बंदिगिरी में रखे व्यक्तियों की रक्षा से संबंधित नियमों का समूह-1988
- सिविल व राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा का द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल-1989
- बाल अधिकार प्रसंविदा-1989

4. चतुर्थ चरण 1990 से वर्तमान तक

मानव अधिकार के चतुर्थ चरण को 'परिवर्तन की हवा' नाम दिया गया है। मानव अधिकार के विकास के इस चरण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-

- शैक्षिक मानवाधिकार न्यास कोर्स की स्थापना की घोषणा-1991
- राष्ट्रीय अथवा जातीय, धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा-1992
- विश्व मानवाधिकार सम्मेलन, वियना-1993
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग का गठन-1993
- मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना-1994
- मानवाधिकार परिषद का गठन-2006
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 में एक प्रस्ताव पारित कर स्वच्छ जल और स्वच्छता, दो नये मानवाधिकार को मान्यता प्रदान किया गया है।

निष्कर्ष

मानवाधिकारों का इतिहास इस तथ्य का प्रमाण है कि मानव सभ्यता ने निरंतर संघर्ष और अनुभवों के माध्यम

से इनकी अवधारणा को विकसित किया है। धर्मग्रंथों की शिक्षाओं से लेकर संवैधानिक व्यवस्थाओं तक इनका मूल लक्ष्य व्यक्ति की मर्यादा और स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा करना रहा है। मैग्नाकार्टा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा तथा फ्रांसीसी क्रांति जैसी घटनाओं ने इन अधिकारों के स्वरूप को नई दिशा प्रदान की। आगे चलकर सोवियत क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं ने इन्हें वैश्विक मान्यता दिलाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में पारित सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा ने विश्व समुदाय को एक साझा मूल्य-व्यवस्था दी। इसके पश्चात् क्षेत्रीय संधियों और राष्ट्रीय संविधानों ने इन्हें ठोस आधार प्रदान किया, जिससे मानवाधिकार व्यवहारिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए। समकालीन समय में जब सामाजिक असमानता, राजनीतिक तनाव और आर्थिक विषमता जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, तब मानवाधिकार सामाजिक न्याय, शांति और सहयोग की सुनिश्चितता के लिए आवश्यक साधन बनकर सामने आते हैं। इनकी प्रासंगिकता केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक मानवीय समाज की रचना में भी निहित है। अतः यह स्पष्ट होता है कि मानवाधिकार एक न्यायोन्मुख, सहिष्णु और मानवीय समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य आधारशिला हैं।



संदर्भ सुची

1. मानव अधिकार : नई दिशाएँ, वार्षिक अंक-13, 2016, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (भारत सरकार), नई दिल्ली, डॉ. रणजीत सिंह, संपादकीय, पृष्ठ सं- 18
2. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
3. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
4. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
5. मानव अधिकार : नई दिशाएँ, वार्षिक अंक-4, 2007, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (भारत सरकार), नई दिल्ली, मानव अधिकार की कल्पना एवं आवश्यक तत्त्व, प्रो बी.बी. पांडे, पृष्ठ सं- 26



डॉ. सुधा मोर्य

सहायक प्राध्यापिका
(हिंदी विभाग)
डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय
लखनऊ-226017
उत्तर प्रदेश
संपर्क
drsudha008@yahoo.in

मानवाधिकार और कवि मुक्तिबोध का काव्य

शोध सारांश

मानवाधिकार वह अधिकार है, जो प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। यह संसार के प्रत्येक मनुष्य को जीने का अधिकार प्रदान करता है और उसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। इसमें प्रेम एवं सहयोग की भावना प्रमुख है और भारत इस क्षेत्र में अग्रणी है, क्योंकि यह मानव जाति को एक कुटुंब के समान मानता है, यानि 'वसुधैव कुटुंबकम्'। यह मानता है कि संसार के सभी मानव प्राणी समान हैं, सबको एक कुटुंब के सदस्य की भाँति एक दूसरे से प्रेम एवं उन्नयन की, सहयोग की भावना से जुड़े रहने पर बल देना चाहिए। यह अधिकार संसार में शांति की स्थापना के लिए भी आवश्यक है। आए दिन होने वाले परस्पर देश के युद्धों में यह भावना एक समरसता के सिद्धांत पर बल देती है, क्योंकि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न होकर एक गरिमामय एवं अधिकारों से संपन्न जीवन जीने के अधिकारी हैं। इसलिए उनमें जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का भाव होना बहुत ज़रूरी है।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार 2. शक्ति 3. वसुधैव कुटुंबकम् 4. मानवता 5. शांति मार्ग
6. मौलिक अधिकार 7. अस्मिता 8. गजानन माधव मुक्तिबोध 9. परिकल्पना
10. सार्थकता

मूल शोध

मानवाधिकार, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का कवच है। ये वे अधिकार हैं, जिन्हें पाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। ये अधिकार विश्व के सभी देशों की संस्कृतियों में विद्यमान हैं और उनके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा का संरक्षण होता है, अर्थात् मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं, अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं, जैसे कि जीवन और आज़ाद रहने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। विकीपीडिया के अनुसार-

“मानवाधिकार वे नैतिक सिद्धान्त हैं, जो मानव व्यवहार से सम्बन्धित कुछ निश्चित मानक स्थापित करता है। ये मानवाधिकार स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा नियमित रूप से रक्षित होते हैं। ये अधिकार प्रायः ऐसे ‘आधारभूत अधिकार’ हैं, जिन्हें प्रायः ‘न छीने जाने योग्य’ माना जाता है और यह भी माना जाता है कि ये अधिकार किसी व्यक्ति के जन्मजात अधिकार हैं। व्यक्ति के आयु, प्रजातीय मूल, निवास-स्थान, भाषा, धर्म, आदि का इन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये अधिकार सदा और सर्वत्र देय हैं तथा सबके लिए समान हैं।”¹ वस्तुतः मानवाधिकार मनुष्य को मानव प्राणी होने के नाते प्रकृति द्वारा प्राप्त है, परंतु 16 जनवरी 1941 ई को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कांग्रेस को संबोधित कर चार मौलिक स्वतंत्रताओं के संदर्भ में मानवाधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया, जिनमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, गरीबी से मुक्ति एवं भय से स्वतंत्रता सम्मिलित है। 10 दिसंबर 1948 ई को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में मानवीय अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कर मानवाधिकारों को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखबद्ध किया गया। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि मानव अधिकार मानव परिवार की स्वाभाविक प्रतिष्ठा एवं संपूर्ण विश्व में शक्ति, स्वाधीनता एवं न्याय की नींव हैं। इसके द्वारा मानव के मौलिक अधिकारों, मानव व्यक्तित्व के महत्त्व, पुरुष एवं स्त्रियों के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार ‘मानव अधिकार सभ्यता का सार है, जो मानव के व्यक्तिगत जीवन, उसकी गरिमा समानता और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है’ अर्थात् “मानवाधिकार सम्मानप्रद जीवन जीने का अधिकार प्रदान कर मनुष्य को संरक्षण एवं संवर्द्धन प्रदान करता है। ये वे अधिकार हैं, जिन्हें प्राप्त करने और जिनका सही रूप में प्रयोग करने से संसार के सभी मानव गरिमा एवं सुख के साथ जीवन जी सकेंगे और संसार में शांति स्थापित हो सकेगी।”²

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के आरंभ से

बहुत पहले भारतीय संस्कृति में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ निर्धारित थी। “भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र ही है ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ अर्थात् न केवल अपने देश के लोग, बल्कि संपूर्ण संसार के सभी प्राणियों को एक ही परिवार के सदस्य मानना और उनके सुख-दुःख में सहभागी बनना।”³ साथ ही भारतीय दर्शन वस्तुतः “असतो मा सद्गमय/ तमसो मा ज्योतिर्गमय/ मृत्योर्मा मृतं गमय” अर्थात् ‘असत से सत की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो’ पर आधारित है, जो एक प्रकार से जीवन-मूल्यपरक सिद्धांतों की वकालत कर मानवाधिकार को ही प्रश्रय देता है। “भारत का संविधान भी छह सिद्धांतों- स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय पर आधारित है। इसके साथ ही भारतीय नागरिकों को छह मूल अधिकार- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है”⁴ और यही मूल सिद्धांत भारतीय साहित्यकारों के रचनाकर्म में भी बखूबी अभिव्यक्त हुआ है। सभी साहित्यकारों ने मानवीय गरिमा एवं मानवता के प्रति अपनी भावनाओं को साझा कर एक जागरूक नागरिक होने का दायित्व-बोध प्रकट किया है।

नई कविता के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य व्यापक एवं विविध आयामी है। उसमें मात्र अँधेरा, आतंक, भय, गुहा, बावड़ी, ब्रह्मराक्षस या औरंग- उटांग ही नहीं है, बल्कि वे मानवता एवं मानवाधिकार के समर्थक रूप में एक सहज कवि, जागरूक सर्जक एवं चिंतक की भूमिका को पूर्णरूपेण रेखांकित करते हैं। वस्तुतः मानवता उनका संसार था और मानवतावादी मूल्यों की स्थापना उनका लक्ष्य। इसीलिए वे ‘सूरज के वंशधर’ कविता में “जीवन के लक्ष्यों को तू मानवीय संताप की आब दे”⁵ कहकर ‘मानव का सुख दुःख’ कविता में स्वयं को मानवता के विकास का उपादान मानते हैं-“मैं विकास हूँ परम

जगत में मानवता का।⁶ उनके साहित्य का एकमात्र लक्ष्य मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा ही है और इसलिए उनके मानवीय दृष्टि विशिष्ट से सामान्य तथा व्यष्टि से समष्टि की ओर अग्रसर होती है।

वे मानव का अर्थ उस साधारण मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय जन को मानते हैं, जो अपने बालकों के लिए उचित भोजन, उचित शिक्षा और उचित वस्त्र का भी ठीक ढंग से प्रबंध नहीं कर सकते और इसलिए साहित्य चिंतन का सही विकास तभी संभव है, जब हम मानवता के भविष्य निर्माण के संघर्ष में और भी अधिक दत्तचित हो तथा हम वर्तमान स्थिति को सुधारें, नैतिक ह्रास को थामें, उत्पीड़ित मनुष्य के साथ एकात्म होकर उसकी मुक्ति की उपाय योजना करें। अतः मुक्तिबोध की काव्य संवेदना मूलतः संघर्षरत मानव से संबद्ध है और 'चेहरा गम्भीर उदास' कविता में वे संघर्ष द्वारा समाज को सुखी एवं सुंदर देखना चाहते हैं तथा इसी अर्थ में मानव मुक्ति, शोषण मुक्त मुक्ति के पक्षधर भी हैं- "ओ आत्मे, तेरे जीते-जी ये बातें हों/ छोड़ दे माँ अपने शिशु को नाली में धर।/ देश की ज़िंदगी का जहाज़ जब टकराये/ भूख की प्लेग की चट्टानों पर, टीलों पर/ तब मन में क्रोध ग्लानि करुणा स्वाभाविक है/ विक्षोभ भयानक शोषक हिंस्र कबीलों पर।"⁷ और इसलिए वे 'मानव को मानवोचित जीवन यापन की सुविधा प्राप्त हो,' इसे असली स्वाधीनता की संज्ञा देकर 'चंबल की घाटी में' कविता में वैश्विक वेदना से संयुक्त वैश्विक मुक्ति के प्रबल समर्थक हैं-"याद रखो/ कभी अकेले में मुक्ति न मिलती/ यदि वह है तो सबके ही साथ है।"

मुक्तिबोध व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनिवार्य एवं परतंत्रता की समस्या को मानव विकास के मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध मानते हैं। वे मानवता की मुक्ति के लिए व्याकुल भी हैं और आत्मा की स्वतंत्र सत्ता के पूजक भी। इसीलिए 'गुलामी की जंजीरें टूट जायेंगी' कविता में उनकी जन चेतना उन्हें गुलामी की हर जंजीरों को तोड़ने के लिए आजीवन उत्प्रेरित करती रही-"गुलामी की जंजीरें टूट सब जाएँगी/उनको तोड़ देगा मेरा कसा हुआ बाहुदण्ड।"⁸

वे सत्य, समानता एवं व्यक्ति के विकास के उपादान द्वारा ही व्यक्ति से लेकर विश्व तक व्याप्त अंधकार को प्रकाश के साम्राज्य से स्थानापन्न करने के लिए आजीवन सक्रिय रहे और 'मुक्तिकामी पैरों की मोच की चीख' कविता में आसुरी वृत्तियों अर्थात् अमानवीय तत्त्वों के प्रहारों एवं इरादों पर नकेल लगाने एवं देवत्व अर्थात् मानवता की स्थापना हेतु दधीचि की भाँति अपना उत्सर्ग करने के लिए भी कटिबद्ध रहे-"पहले तो किसी की अस्थियों से/ किसी के लिए वज्र बनेगा/ कदाचित मेरी भी अस्थि कभी किसी काम आ जाए/ जनों के हाथों में खिलाफ जानवरों के।"⁹ और इस मानवीयता एवं मानवाधिकार की स्थापना हेतु वे 'ओ काव्यात्मन फणिधर' कविता में "पल-भर, केवल पल-भर/ मानव रूप धरो"¹⁰ की बात करते हुए 'चकमक की चिंगारियाँ' कविता में विश्व गाँव, विश्व मानव के शोषण विहीन समता मूलक कल्याणप्रद समाज की स्थापना करने के इच्छुक हैं-"समस्या एक-/मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में/ सभी मानव/ सुखी, सुंदर व शोषण-मुक्त/ कब होंगे?"¹¹ मुक्तिबोध के काव्य में यह मानवाधिकार की अनुगूँज नहीं तो क्या है? वस्तुतः उनकी दृष्टि में समूची मानवता का समवाय एक ही है- मनुष्य की स्वाभाविक गरिमा के अनुरोधों के अनुसार जीवन जीना और अधिकार एवं स्वतंत्रता के साथ उस जीवन की आवश्यकताएँ पूर्ण होने की स्थिति। लेकिन 'अपने कवि से' कविता में आज भी अखबार की कतरनें हमें मुक्तिबोध के उस मानव के तिरस्कृत, उपेक्षित होने की स्थिति का एहसास कराती हैं-"कवि, आज भी मानव/ यहाँ पर मरे चूहे-सा उपेक्षित है।/ वह बैलगाड़ी के अचानक (राह में)/ दो भग्न पहियों-सा पराजित।"¹² इसलिए मुक्तिबोध सभी मानव मात्र को संदेश देते हैं कि वे अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, क्योंकि भविष्य उनसे हिसाब लेगा। अतः वे 'ओ काव्यात्मन फणिधर' कविता में कहते हैं कि हर गलत कृत्यों का विरोध कर मानवाधिकारों की स्थापना में अपना प्रदेय दें-"किंतु एकत्र करो/ प्रज्वलित प्रस्तरों को/ वे आते ही होंगे लोग/ जिन्हें तुम दोगे-/देना ही होगा, पूरा हिसाब/ अपना, सबका, मन का, जन

का!"¹³ और इसीलिए वे 'अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने हेतु भी संकल्पित हैं। वे 'जब तक ये हैं प्राण' कविता में नारी को भी अपनी इयत्ता अनुभूत कर सीमित परिधियों से निकालकर एक विस्तृत धरातल पर प्रतिष्ठित होने की ओर इंगित करते हैं-"ओ गृह-गृह की ज्योति/ न हो उद्विग्ना मलिना/ री, जीवन की स्फूर्ति/ कि गहरा कुआँ न बनना/ चूँकि सर्वाधिक त्रस्त/ दबाई गई तुम्हीं हो/ धरो क्रांति का हस्त/ कि तुम जन-पथ में आओ।"¹⁴ यद्यपि मुक्तिबोध परिवर्तन के लिए क्रांति को ही उपाय समझते थे, तथापि 'उन्हें युद्ध की ही करने दो बात' कविता में उनका दृढ़ विश्वास था कि मानवता के विकास के लिए अंतिम सूत्र तो शांति मार्ग में ही निहित है-"उन्हें युद्ध की ही करने दो बात/ चाँद की बात हम करें।"

निष्कर्ष

अस्तु मुक्तिबोध के काव्य में मानवाधिकार की सुगंध सुवासित है। वे चाहते हैं कि मानव सही अर्थों में मानव बना रहे। वस्तुतः आज जब संपूर्ण विश्व मानव जाति शोषण, आतंकवाद, अत्याचार की गिरफ्त में अपनी अंतिम साँसें ले रहा है, मानवाधिकार का संरक्षण अनिवार्य हो जाता है। मानव जीवन और उसकी अस्मिता के लिए मानवाधिकार अत्यंत आवश्यक है। यह दुर्बल एवं उत्पीड़ित वर्ग, उनके गरिमामय जीवन एवं अधिकारों का रक्षक है। वास्तव में मानवाधिकार मानव के सही अर्थों में मानव होने तथा बने रहने का सूचक है, क्योंकि 'चाँद का मुँह टेढ़ा है' कविता में वे कहते हैं-"आदमी की दर्द भरी पुकार सुन/ जो दौड़ पड़ता है आदमी है वह भी/ जैसे तुम भी आदमी, वैसे मैं भी आदमी।" अतः इस दृष्टि से मुक्तिबोध सभी के साथ समान व्यवहार एवं स्वाभाविक विकास के पक्षधर हैं, ताकि सभी को समान रूप से अपने अस्तित्व, स्वतंत्रता एवं प्रगति-समृद्धि का अधिकार एवं अवसर प्राप्त हो सके।



संदर्भ सूची

1. मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से- <https://hi.wikipedia.org/wiki/मानवाधिकार>
2. प्रो. रमनबिहारी लाल, शिक्षा के दार्शनिक आधार, आर.लाल बुक एजुकेशनल पब्लिशर्स, मेरठ, संस्करण-1991, पृष्ठ सं- 532
3. डॉ रामशकल पाण्डेय, शिक्षा दर्शन, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, संस्करण-1979, पृष्ठ सं- 339
4. भारत का संविधान, प्रयाग पुस्तक सदन, इलाहाबाद, संस्करण-2000, पृष्ठ सं- 5
5. सं. नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध रचनावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1986 भाग 1, पृष्ठ सं- 300
6. सं. नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध रचनावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1986 भाग 1, पृष्ठ सं- 406
7. सं. नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध रचनावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1986 भाग 1-2, पृष्ठ सं- 343
8. सं. नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध रचनावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1986 भाग 1-2, पृष्ठ सं- 179
9. सं. नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध रचनावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1986 भाग 1-2, पृष्ठ सं- 261
10. गजानन माधव मुक्तिबोध, चाँद का मुँह टेढ़ा है, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं-139
11. गजानन माधव मुक्तिबोध, चाँद का मुँह टेढ़ा है, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं-155
12. सं. नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध रचनावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1986 भाग 1-2, पृष्ठ सं- 194
13. गजानन माधव मुक्तिबोध, चाँद का मुँह टेढ़ा है, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं-139
14. सं. नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध रचनावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1986 भाग 1-2, पृष्ठ सं- 282



पूजा कुमारी

अध्यापिका,
उत्कर्मित उच्च माध्यमिक
विद्यालय, झिंटी
मधुबनी-847230, बिहार
संपर्क
kpoojakri@gmail.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन

शोध सारांश

21वीं सदी में शिक्षा केवल जानकारी अर्जित करने का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों, लैंगिक समानता और समावेशिता का आधार बन चुकी है। इसी संदर्भ में, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) महज एक शैक्षणिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक क्रांति का घोषणापत्र है। इसमें एक ऐसे भारत की परिकल्पना करती है, जहाँ शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को अधिकारों की समझ, गरिमामय जीवन का अवसर तथा न्याय आधारित समाज का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

एनईपी 2020 भारत सरकार की एक दूरदर्शी योजना है, जो 34 वर्षों के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन का प्रस्ताव करती है। यह नीति एक ऐसी समग्र एवं समावेशी रूपरेखा है, जो न केवल शिक्षा के गुणात्मक पहलुओं को संबोधित करती है, बल्कि मानवाधिकारों को केंद्रीय मूल्य के रूप में स्थापित करती है तथा शिक्षा को 'अधिकार-आधारित दृष्टिकोण' से देखने का आग्रह करती है। यह केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार 2. नई शिक्षा नीति 3. अधिकार 4. समावेशी 5. विकास 6. लैंगिक समानता

मूल शोध

“मानवाधिकार वे सार्वभौमिक, अविच्छिन्न और अपरिहार्य, नैतिक और कानूनी अधिकार हैं जो मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, चाहे वह जाति, लिंग, धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता, वर्ग या आयु कोई भी हो।”¹ इन अधिकारों का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इनमें जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बाल अधिकार,

महिलाओं के अधिकार आदि प्रमुख हैं।

“शिक्षा मात्र ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि मानव गरिमा का संरक्षक और समाज के परिवर्तन का माध्यम है।”² यह विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल दर्शन में अंतर्निहित है। एनईपी 2020, 29 जुलाई 2020 को पारित की गई। इसकी मुख्य विशेषताएँ- 5+3+3+4 की संरचना, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, प्रौद्योगिकी का उपयोग, बहु-विषयक और लचीला पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा का पुनर्गठन, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, जीवन पर्यंत सीखने के अवसर प्रदान करना, 21वीं सदी के कौशल का विकास, शिक्षक पात्रता मानदंड, सतत व्यावसायिक विकास आदि हैं।

भारत के सामाजिक विकास, लोकतांत्रिक सशक्तिकरण और समावेशी राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा की केंद्रीय भूमिका रही है। एनईपी 2020 न केवल भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का संकल्प है, बल्कि यह नीति मानवाधिकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम भी है। यह नीति भारत की संविधान प्रदत्त मूल भावना- न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदि को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का माध्यम बनती है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि- “शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं।”³

मानवाधिकार और शिक्षा का परस्पर संबंध

शिक्षा वह आधारशिला है जिस पर लोकतांत्रिक समाज की नींव, नागरिक चेतना की वृद्धि, तथा मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन की संकल्पना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा (Universal Declaration on Human Rights-UDHR), अनुच्छेद 26 के अनुसार “प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है...।”⁴ भारत का संविधान, अनुच्छेद 21A के अनुसार “6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार (सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा,

3-18 वर्ष), समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बाल अधिकार, लैंगिक समानता (बालिकाओं, ट्रांसजेंडर छात्रों, दिव्यांगजनों और वंचित वर्गों के लिए समान अवसर), बहुभाषिकता (भाषायी अधिकारों का संरक्षण, मातृभाषा में शिक्षा), सूचना तक पहुँच का अधिकार जैसे मानवाधिकार एनईपी 2020 के मूल सिद्धांतों में समाहित हैं। यह नीति एक समावेशी, न्यायसंगत, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग को गरिमा और समान अवसर प्रदान करती है।”⁵

एनईपी 2020 शिक्षा को केवल योग्यता अर्जन तक सीमित नहीं रखती, बल्कि वह नागरिकों को संविधान, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति सजग और प्रतिबद्ध बनाना चाहती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की समझ देती है तथा शिक्षा से लैस व्यक्ति ही भेदभाव, हिंसा, जातीयता, पितृसत्ता और शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर सकता है। शिक्षा समाज में समता, सहिष्णुता, समान अवसर और नैतिकता की भावना जागृत करती है।

“शिक्षा पूर्ण मानवीय क्षमता प्राप्त करने, एक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक मंच पर भारत के निरंतर उत्थान और नेतृत्व की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा, व्यक्ति, समाज, देश और विश्व की भलाई के लिए हमारे देश की समृद्ध प्रतिभाओं और संसाधनों को विकसित और अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगले दशक में भारत में दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी होगी और उन्हें उच्च-गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसर प्रदान करने की हमारी क्षमता हमारे देश का भविष्य निर्धारित करेगी।”⁶

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएँ और मानवाधिकार

भारत में शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, न्याय, समानता और गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार समझा जाता है। शिक्षा व्यक्तिको केवल अकादमिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक, मानसिक और नागरिक दृष्टिकोण से भी सशक्त बनाती है। यही कारण है कि शिक्षा को एक मौलिक मानवाधिकार के रूप में देखा जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव का संकेत है। यह नीति न केवल शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रमों और संस्थागत ढांचे को नया रूप देती है, बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और बहुलतावादी मूल्यों को केंद्र में रखती है।

एनईपी 2020 शिक्षा को केवल जानकारी का माध्यम नहीं, बल्कि मानव गरिमा, सामाजिक न्याय और समानता का साधन मानती है। यह नीति प्रत्येक विद्यार्थी को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक रूप से संपूर्ण मानव के रूप में विकसित करने की बात करती है। एनईपी 2020 के निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत सीधे तौर पर मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को लक्षित करते हैं-

सार्वभौमिक शिक्षा का विस्तार- एनईपी 2020 एक ऐसे भारत की कल्पना करती है, जहाँ हर बच्चा चाहे उसका लिंग, जाति, भाषा, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, गरिमा के साथ शिक्षित हो सके और अपने अधिकारों को समझते हुए दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान कर सके। यह नीति शिक्षा के अधिकार का विस्तार (3-6 और 14-18 की उम्र को भी शामिल करना), लैंगिक समावेशिता, बालिकाओं, LGBTQ+ समुदाय, ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अधिकार, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, भाषाई अधिकार, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, वंचित वर्गों

पर विशेष ध्यान, सामाजिक न्याय और समान अवसर, डिजिटल समावेशन, डिजिटल समानता और सूचना तक पहुँच का अधिकार, नैतिक और नागरिक शिक्षा, मानवाधिकारों की समझ और व्यावहारिक अभ्यास आदि पर विशेष ध्यान देती है।

समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली- सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह (एसईडीजी) के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में विशेष सहायता, छात्रवृत्तियाँ, गैर-सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए लिंग समावेशन निधि (जीआईएफ) की स्थापना, दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन (यूडीएल) को अपनाना, ये सभी कदम समान अवसर सुनिश्चित करते हैं।

एनईपी 2020 अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (दिव्यांग), लड़कियाँ और ट्रांसजेंडर बच्चे, आदिवासी और ग्रामीण समुदाय आदि वर्गों के लिए विशेष योजनाएँ प्रस्तुत करती है। कुछ प्रमुख प्रावधान भी हैं जैसे:- गर्भवती किशोरियों और युवा माताओं के लिए शिक्षा की निरंतरता, ग्रामों में उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, स्थानीय समुदाय आधारित शिक्षा, स्वतंत्र स्कूलों और NGO के साथ भागीदारी, यह समान अवसर और गरिमा के अधिकार को संरक्षित करता है तथा इससे सामाजिक गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त होता है।

बाल अधिकार और शिक्षा- एनईपी 2020 ने शिक्षा को 3-18 वर्ष (6-14 वर्ष पहले) तक के सभी बच्चों के लिए सुलभ बनाने की बात करती है, जिससे बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही देखभाल और शिक्षा मिल सके। इससे 'बाल अधिकारों का व्यापक विस्तार' होता है, विशेषकर बालिकाओं, आदिवासी बच्चों और शहरी गरीबों के संदर्भ में। यह केवल विद्यालय जाने का अधिकार

नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण, समावेशी, सुलभ और गुणात्मक शिक्षा पाने का अधिकार है।

मातृभाषा में शिक्षा और भाषायी अधिकार- एनईपी 2020 के अनुसार, कक्षा 5 (या संभव हो तो कक्षा 8) तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में पढ़ाई को प्राथमिकता दी गई है। यह नीति 'संस्कृति-समर्थ शिक्षा' की अवधारणा को साकार करती है। इससे शिक्षा में समान भागीदारी और सहजता, आदिवासी भाषाओं का संरक्षण, भाषाई विविधता को मान्यता और संवर्धन, बालकों की संज्ञानात्मक क्षमता में वृद्धि, भाषायी हाशिए के समुदायों के अधिकारों की रक्षा होगी। यह भारत के भाषाई अधिकारों का सम्मान है। इससे विद्यार्थी अपनी भाषा में बेहतर समझ और आत्मविश्वास विकसित करते हैं।

डिजिटल समानता और सूचना का अधिकार- एनईपी 2020 तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देती है, डिजिटल विभाजन को समाप्त करने हेतु DIKSHA, SWAYAM, PMeVidya जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन डिजिटल संसाधन, ई-कॉन्टेंट बहुभाषिक रूप में उपलब्ध है, जिससे सूचना तक समान पहुँच, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण, डिजिटल लोकतंत्र और सूचना अधिकार को संरक्षण मिलता है।

दिव्यांगजनों के अधिकारों का सम्मान- एनईपी 2020 में समावेश शिक्षा को अनिवार्य बताया गया है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन (यूडीएल), शिक्षण सामग्री सभी विद्यार्थियों के अनुकूल, ब्रेल, संकेत भाषा, टेक्स्ट-टू-स्पीच, आदि तकनीकें, विशेष प्रशिक्षित शिक्षक, समावेशी पाठ्यक्रम सामग्री और भवन निर्माण पर बल देता है, जो दिव्यांगजनों के अधिकारों का सम्मान है। यह संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 की भावना के अनुरूप है, जो शिक्षा में भेदभाव निषेध, गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन पर बल देता है।

डिजिटल विभाजन और शिक्षा में समानता- एनईपी

2020 तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देती है, लेकिन साथ ही डिजिटल विभाजन को खत्म करने के लिए भी कदम उठाती है, जैसे कि डिजिटल शिक्षा के लिए एकीकृत मंच (DIKSHA, SWAYAM), दूर-दराज क्षेत्रों में ऑफलाइन डिजिटल सामग्री, रेडियो, टीवी आदि के माध्यम से शिक्षा। यह डिजिटल अधिकार और सूचना तक पहुँच का अधिकार को सुनिश्चित करता है।

दूरदराज क्षेत्रों में ऑफलाइन सामग्री, कम-डाटा खपत वाले ऐप्स, रेडियो, टीवी द्वारा शिक्षा, डिजिटल साक्षरता मिशन आदि पहल भारत में सूचना-समता और प्रौद्योगिकीय लोकतंत्र को बल देती है।

लैंगिक समानता और मानवाधिकार- एनईपी 2020 लैंगिक समानता को शिक्षा का अनिवार्य घटक मानती है। स्कूल परिसरों को सुरक्षित और लिंग-संवेदनशील बनाने, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र, काउंसलिंग की व्यवस्था पर ज़ोर देती है। महिलाओं और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुदान, लैंगिक सशक्तिकरण हेतु पाठ्यक्रम, लैंगिक हिंसा और भेदभाव की रोकथाम के उपाय, LGBTQ+ समावेशन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण तथा संवेदनशील पाठ्यक्रम और अवसर, यह नारी अधिकार, ट्रांसजेंडर अधिकार और गरिमा के संरक्षण से जुड़ा है।

नैतिक शिक्षा और मानवाधिकारों की जागरूकता- एनईपी 2020 के तहत शिक्षा केवल अकादमिक ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवाधिकारों की समझ प्रदान करती है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत संवैधानिक मूल्य (न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व), मानवाधिकार शिक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण, वैश्विक शांति सतत विकास, वैश्विक नागरिकता, सामाजिक सद्भाव, समावेश और सहिष्णुता जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई है। स्कूली वातावरण में बालकों को यौन उत्पीड़न, बुलीइंग, बाल श्रम आदि से बचाने हेतु जागरूकता, बाल मित्र स्कूल, परामर्शदाता, सुरक्षित

परिवेश, यह सब बच्चों के जीवन, सुरक्षा, गरिमा और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। सहिष्णुता, सहअस्तित्व और सहयोग की भावना विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता और मानवीय दृष्टिकोण पर बल दिया गया है, जिससे छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व, सहानुभूति और न्याय के प्रति समझ विकसित हो।

शिक्षकों की भूमिका और प्रशिक्षण- शिक्षक अब केवल ज्ञानदाता नहीं, मानवाधिकारों के संरक्षक और संवाहक हैं। वे संवेदनशीलता, निष्पक्षता और न्यायप्रियता की शिक्षा को भेदभाव रहित बनाते हैं। SCERT/NCERT द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण में बाल अधिकार, लैंगिक समानता, विविधता में एकता, समावेशी कक्षा प्रबंधन जैसे विषय हैं। शिक्षकों को समावेशी शिक्षा, मानवाधिकार आधारित शिक्षण विधियाँ बाल अधिकारों, बाल मनोविज्ञान, बाल सुरक्षा विषयों को समाहित करना, लैंगिक समानता, विविधता, समावेशन और संवैधानिक मूल्यों पर प्रशिक्षण देना अनिवार्य किया गया है। 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)' के पाठ्यक्रम में मानवाधिकार संबंधी मॉड्यूल शामिल होंगे। इससे शिक्षा प्रणाली अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित होगी।

उच्च शिक्षा में समानता और विविधता- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) के माध्यम से गुणवत्ता और समावेशिता की निगरानी और समानता सुनिश्चित की जाएगी। ज़रूरत-आधारित छात्रवृत्ति, ऑटोनॉमस कॉलेज मॉडल, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (CUET) और वित्तीय सहायता योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों को अवसर प्रदान किया गया है। महिला विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा विशेष समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुँच का अधिकार, सांस्कृतिक, भाषिक और भौगोलिक विविधता का सम्मान और शैक्षणिक अवसर की समानता मिलती है।

एनईपी 2020 उच्च शिक्षा को भी लचीला, बहुविषयक और व्यावसायिक बनाने पर बल देती है।

मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी), राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के माध्यम से आजीवन अधिगम का अवसर मिलता है। यह रोजगार, उद्यमिता और जीवन यापन के अधिकार को मज़बूत करता है।

मानसिक स्वास्थ्य और गरिमामय शिक्षा- एनईपी 2020 स्वीकारती है कि मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और शारीरिक कल्याण के बिना शिक्षा की गुणवत्ता अधूरी है। स्कूलों में परामर्शदाता, वेल बीइंग केन्द्र और जीवन कौशल शिक्षा, यह बच्चों की गरिमा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सशक्त बनाता है।

शिक्षा और सामाजिक न्याय- एनईपी 2020 शिक्षा को सामाजिक न्याय का आधार मानती है। जातिवाद, लिंगवाद, वर्गभेद के विरुद्ध शिक्षा, पाठ्यक्रम में दलित साहित्य, आदिवासी ज्ञान, संविधान आधारित नैतिकता और सामाजिक संरचना की समझ विकसित करता है। इसके अंतर्गत शिक्षा प्रणाली को ऐसा रूप देने का प्रयास किया गया है, जिससे शिक्षा का उद्देश्य केवल आर्थिक उत्पादकता नहीं, बल्कि नैतिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और सशक्त नागरिकता हो। यह शिक्षा को मात्र दक्षता प्राप्त करने की प्रक्रिया न मानकर, इसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के व्यापक मानवाधिकार मूल्यों से जोड़ती है।

चुनौतियाँ: जो अभी शेष हैं-

- मूलभूत शिक्षा से बाहर रहने वाले बच्चों पर क्रियान्वयन योजना अस्पष्ट है।
- डिजिटल असमानता आज भी लाखों बच्चों को शिक्षा से वंचित करती है।
- नीति में प्रवासी, अनौपचारिक क्षेत्र के बच्चों और श्रमिक वर्ग की विशेष रणनीति स्पष्ट नहीं है।

निजीकरण और उच्च शुल्क से शिक्षा का अधिकार

बाजारीकृत हो सकता है।

- भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को वास्तविक रूप से पाठ्यक्रम में स्थान देना अभी शेष है।
- कई स्कूलों में अभी भी जातिगत, लैंगिक और धार्मिक भेदभाव व्यावहारिक रूप में मौजूद हैं।
- कोविड के दौरान प्रवासी मज़दूरों के बच्चों को स्कूलों से निकालना पड़ा, उनकी न तो डिजिटल पहुँच थी, न पोषण, न सुरक्षा।
- इस नीति में प्रवासी बच्चों की स्थिति पर विशेष चर्चा नहीं है।
- भविष्य में यह एक मानवाधिकार संकट बन सकता है, अगर इन बच्चों को फिर से मुख्यधारा में लाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए।
- एनईपी 2020 में निजी संस्थानों को बढ़ावा दिया गया है, इससे शिक्षा एक मानवाधिकार नहीं, उत्पाद बन जाती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग पीछे छूट सकते हैं और समान अवसर का अधिकार कमज़ोर हो सकता है।

भविष्य की संभावनाएँ

एनईपी 2020 एक जीवंत दस्तावेज़ है, जो शिक्षा को मानव अधिकारों से जोड़ने की ऐतिहासिक प्रक्रिया की शुरुआत करता है। यदि इसे राज्य सरकारों, शिक्षण संस्थानों और समाज के सहयोग से पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाए, तो यह नीति-

- समान, समावेशी और गरिमामय शिक्षा-व्यवस्था स्थापित कर सकती है।
- भारत को मानवाधिकारों के संवेदनशील लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने में सहायक हो सकती है।
- संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को साकार कर सकती है।

- यह डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देती है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और वर्चुअल क्लासरूम आम होंगे।
- युवाओं में नवाचार और उद्यमिता के विकास पर बल दिया गया है।
- वैश्विक मानकों के अनुरूप भारतीय संस्थानों का विकास एवं सफल कार्यान्वयन भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने की ओर ले जा सकता है।
- ग्रामीण भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच तथा व्यावहारिक ज्ञान और कौशल आधारित प्रशिक्षण से रोज़गार के अवसर मिलेंगे।
- छात्र एक साथ कला, विज्ञान, संगीत, खेल और तकनीक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रुचि ले सकेंगे, जिससे रचनात्मकता को बल मिलेगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कोई सामान्य शैक्षिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि यह भारत के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक मानवाधिकार घोषणाओं की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। यह नीतिगत नवाचार शिक्षा को समानता, गरिमा और स्वतंत्रता के पथ पर अग्रसर करने का माध्यम बनाती है। यह एक वैचारिक रूपांतरण की घोषणा है। यह नीति शिक्षा को मानवाधिकारों के मूल स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करती है।

एनईपी 2020 केवल शिक्षा प्रणाली में सुधार की योजना नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक चरित्र, संविधान की आत्मा और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक प्रतिष्ठा की अभिव्यक्ति है। यह नीति एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करती है, जो हर बच्चे को गरिमामय अवसर देती है। हर संस्कृति और भाषा को मान देती है। हर वर्ग को समान रूप से आगे बढ़ने का मंच देती है और हर नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की समझ देती है। इस तरह, एनईपी 2020 न केवल शिक्षा का परिवर्तन

करती है, बल्कि भारत को एक न्यायपूर्ण, समावेशी और सशक्त राष्ट्र बनाने की नींव रखती है। यदि इसे सही भावना और संसाधनों के साथ लागू किया गया, तो यह 21वीं सदी के भारत में मानवाधिकारों का सबसे प्रभावी संरक्षक बन सकती है।



संदर्भ सूची

1. Human Rights, United Nations, <https://share.google/spzIn0o5cFyusmW4g> राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020- <https://www.education.gov.in>, (<https://www.education.gov.in>)
2. नई शिक्षा नीति 2020 में सबसे काम की बातें कौन सी हैं? – BBC News हिंदी <https://share.google/nfupmgiU6mQMgaPR8>
3. अनामिका चौहान, किरन शर्मा, नई शिक्षा नीति 2020, सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ, नालंदा प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 15
4. डॉ. ममता चन्द्रशेखर, मानवाधिकार और महिलाएँ, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, संस्करण-2011, पृष्ठ सं- 77
5. नई शिक्षा नीति 2020 में सबसे काम की बातें कौन सी हैं? – BBC News हिंदी <https://share.google/nfupmgiU6mQMgaPR8>
6. National Education Policy-2020, Page- 3 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf



लक्ष्मी सिंह

Ph.D. शोधार्थी

(हिंदी विभाग)

डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय

लखनऊ-226017

उत्तर प्रदेश

संपर्क

laxmiravisingh459@gmail.com

शोध निर्देशक

प्रो. यशवंत कुमार वीरोदय

विभागाध्यक्ष, (हिंदी विभाग)

डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय

लखनऊ-226017

उत्तर प्रदेश

हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में मानवाधिकार

शोध सारांश

हिंदी साहित्य ने हमेशा मानवाधिकारों के मुद्दों को समाज के दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है। काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध जैसी विधाओं में लेखकों ने मानवीय गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के प्रश्नों को उजागर किया। महादेवी वर्मा, निराला और दुष्यंत कुमार जैसे कवियों ने शोषण, गरीबी और सामाजिक विषमता के खिलाफ आवाज़ उठाई। महादेवी के लेखन में नारी अस्मिता की पैरवी स्पष्ट है। गद्य साहित्य में प्रेमचंद की कहानियाँ ('कफन', 'पूस की रात'), शोषित वर्ग के अधिकारों की अनदेखी को उजागर करती हैं और प्रेमचंद, भीष्म साहनी के उपन्यास, नाटक तथा मोहन राकेश, नाटक के व्यक्ति की स्वतंत्रता और पहचान के संघर्ष पर केंद्रित हैं। दलित और स्त्रीवादी लेखन (ओमप्रकाश वाल्मीकि, महादेवी वर्मा) ने मानवाधिकारों को जाति और लैंगिक असमानता के संदर्भ में पुनर्परिभाषित किया। ये रचनाएँ केवल विरोध नहीं हैं, बल्कि समावेशी समाज के निर्माण का आह्वान करती हैं। इस प्रकार, हिंदी साहित्य ने मानवाधिकार चेतना को साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुँचाया और इसे सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाया।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार 2. हिंदी साहित्य 3. सामाजिक न्याय 4. दलित साहित्य
5. नारीवादी साहित्य

मूल शोध

“मानवाधिकार” शब्द का इस अर्थ में प्रयोग 1940 में श्रीमती एलिनोर रूजवेल्ट ने किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों को लागू करने के लिए 70 से अधिक करार, घोषणाएँ, समितियाँ और अन्य दस्तावेज़ तैयार किए हैं, जिन्हें मानवाधिकारों के उपकरण कहा गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र मानव सभ्यता के इतिहास में पहला दस्तावेज़ है, जिसमें अधिकारों की न केवल विस्तृत व्याख्या की

गई, अपितु इसे नई विश्व व्यवस्था के आदर्श और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मूल्य रूप में स्थापित किया गया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में सभी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया गया। आज सभी मानने लगे हैं कि मानवाधिकार, लोकतंत्र और विकास आपस में अंतःसंबद्ध हैं।¹

साहित्यिक परिप्रेक्ष्य से, मानवाधिकार और साहित्य के बीच अंतर्संबंध एक गहन अध्ययन का विषय है। हिंदी साहित्य ने भक्तिकाल से समकालीन युग तक सामाजिक अन्याय, जातिवाद, आर्थिक शोषण, लैंगिक असमानता और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया है। यह साहित्य न केवल समाज की विसंगतियों का दस्तावेज़ है, बल्कि मानवाधिकार, गरिमा और न्याय की स्थापना के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। प्रेमचंद के अनुसार- “साहित्य ऐसी रचना को कहेंगे, जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुन्दर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप में उसी अवस्था में उत्पन्न होता है, जब उसमें जीवन की सच्चाइयों और अनुभूतियों को व्यक्त किया गया हो।”² प्रेमचंद साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानते हुए, उसे सामाजिक परिवर्तन और जागरण का माध्यम मानते हैं। उनके अनुसार वही साहित्य श्रेष्ठ है, जिसमें उच्च विचार, स्वतंत्रता की भावना, सौन्दर्य, संवेदनशीलता और यथार्थ का प्रतिबिम्ब हो, जो समाज को जागृत और गतिशील बनाए न कि शिथिल।

हिंदी उपन्यास साहित्य ने मानवाधिकारों के विविध पहलुओं को व्यापक परिदृश्य पर प्रस्तुत किया है। यह विधा अपने विस्तृत क्षेत्र के कारण सामाजिक यथार्थ के बहुआयामी चित्रण में विशेष रूप से सक्षम रही है। प्रेमचंद के उपन्यासों ने समाज के शोषित वर्गों की आवाज़ को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। उपन्यास ‘गोदान’ किसानों के शोषण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकट का मार्मिक दस्तावेज़ है, जिसमें होरी की त्रासदी के माध्यम से कृषक

समुदाय के आर्थिक शोषण को उजागर किया गया है। ‘रंगभूमि’ औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष की गाथा है, जहाँ सूरदास सामान्य जन के अधिकारों के लिए लड़ता है। ‘सेवासदन’ में, जब सुमन पद्मसिंह के यहाँ से देर से लौटती है, तब गजाधर उस पर संदेह करता है और अधिपत्यपूर्ण व्यवहार करता है, जैसे कोई पुरुष अपनी खरीदी हुई दासी पर अधिकार जताता हो। वह उसे नियंत्रित करने और भयभीत करने के प्रयास में धमकाता भी है। “अब यह धांधली एक न चलेगी, साफ-साफ बताओ, तुम अब तक कहाँ रहीं।... ठीक-ठीक बता दो, नहीं तो आज जो कुछ होना है, हो जाएगा।”³ इसी समय में अधिकांश स्त्रियाँ अपने पति की हिंसा और गालियों को सहती आई थीं। फिर भी, बीसवीं सदी के भारतीय समाज में धीरे-धीरे परिवर्तन की लहर दिखाई देने लगी। साम्राज्यवादी और सामंती व्यवस्था के दबाव में जनता थक-हार गई थी और समाज का सबसे हाशिए पर खड़ा अंग नारी, राष्ट्रीय पराधीनता और घरेलू दासता दोनों से पीसते हुए, स्वाधीनता की ओर हाथ बढ़ाने लगी थी। प्रेमचंद ने इस परिवर्तन को सबसे पहले देखा, उसका स्वागत किया और उसे प्रोत्साहित किया। ‘सेवासदन’ की सुमन सभी कष्टों को सहती है, फिर भी जब उसका पति गजाधर बाबू उसके चरित्र पर लांछन लगाता है, तो वह अपने पति के प्रति विद्रोह व्यक्त करती है- “हाँ, यों कहो कि तुझे रखना नहीं चाहता। मेरे सिर पर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम्हीं मेरे अन्नदाता हो? जहाँ मजुरी करूँगी, वहीं पेट पाल लूँगी।”⁴ ‘प्रेमाश्रम’ में श्रद्धा, भले ही जाति और धर्म के भय से प्रेमशंकर से नहीं मिलती, फिर भी गंगास्नान के लिए और सतीत्व की रक्षा हेतु धूरा के साथ जाती है। इसी उपन्यास में, जब वह विलासी और गौसखों को उत्तर देती है, तो उसका आचरण ऐसा प्रतीत होता है, जैसे वह उनके ऊपर किसी प्रकार के नैतिक या सामाजिक अधिकार की स्थिति में हो- “कौन-सा सरकारी हुकुम? सरकार की ज़मीन नहीं है....; हमारे मवेशी सदा से यहाँ चरते आए हैं और सदा यहीं चरेंगे। अच्छा सरकारी हुकुम है। आज

कह दिया चरावर के छोड़ दो'; कल कहेंगे अपना घर छोड़ो, पेड़ तले जाकर रहो। ऐसा कोई अच्छे है!"⁵ प्रेमचंद के अंतिम कालजयी उपन्यास 'गोदान' में स्त्री पात्रों का विद्रोह अत्यंत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे पाठक उसकी तीव्रता को अनुभव कर सकते हैं। इस उपन्यास में स्त्री पात्रों की प्रतिरोधात्मक भावना धीरे-धीरे तीव्र होती दिखाई देती है और प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त होती है। विशेषतः धनिया, जब पंचों और दातादीन का सामना करती है, तो उसके उत्तर और व्यवहार से पाठक सिहर उठते हैं। प्रेमचंद धनिया के माध्यम से न केवल कर्म-सौंदर्य को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उसके विद्रोह को भी रेखांकित करते हैं। इसके द्वारा वे समाज के उन वर्गों को चेतावनी देना चाहते हैं, जो स्त्री को केवल परंपरागत या गौ जैसी वस्तु मानते हैं, ताकि वे देखें कि स्त्री सब कुछ करने में सक्षम है, जो एक भारतीय नारी के लिए स्वाभाविक और आवश्यक है। दातादीन के प्रति धनिया का उत्तर प्रबल और साहसपूर्ण है, जैसे केवल एक मेहनतकश महिला ही दे सकती थी-"**भीख माँगो, तुम जो भिखमंगे की जात हो; हम तो मजूर ठहरे। जहाँ काम करेंगे, वहीं चार पैसे पाएँगे।**"⁶ 'गोदान' में धनिया अपने पति होरी के साथ जीवन का अधिकांश समय मौन और समर्पण में बिताती है, परंतु जब उसके पुत्र पर संकट आता है, तो वह समाज के दमनकारी ढाँचों और पुरुष वर्चस्व के खिलाफ विद्रोह करती है। यह विद्रोह धीरे-धीरे इतना मुखर हो जाता है कि वह पारंपरिक मान्यता-"पति परमेश्वर हैं", को चुनौती देती है। होरी द्वारा गाली और हिंसा का सामना करते हुए धनिया का धैर्य टूटता है और वह रणचंडी के समान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। उसका यह विद्रोह स्त्री-सशक्तिकरण और घरेलू तथा सामाजिक अधीनता से मुक्ति का प्रतीक है। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास ग्रामीण जीवन और उसकी जटिलताओं का सूक्ष्म चित्रण करते हैं, जैसे 'मैला आँचल' और 'परती परिकथा', जिनमें सामाजिक-सांस्कृतिक और सामंती संघर्षों का प्रदर्शन होता है। दलित

चेतना के उपन्यास, जैसे ओमप्रकाश वाल्मीकि की 'जूठन' और मोहनदास नैमिशराय के 'अपने-अपने पिंजरे', दलित समुदाय के संघर्ष और आत्मसम्मान को उजागर करते हैं। स्त्रीवादी उपन्यास, जैसे मैत्रेयी पुष्पा की 'अल्मा कबूतरी' और चित्रा मुद्गल का 'आवाँ', महिलाओं के अधिकार, स्वायत्तता और पितृसत्तात्मक नियंत्रण के विरुद्ध विद्रोह को केंद्र में रखते हैं। इन उपन्यासों के माध्यम से हिंदी साहित्य ने किसानों, दलितों और स्त्रियों के अधिकारों तथा सामाजिक न्याय को प्रभावी साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया है।

हिंदी कहानी साहित्य ने मानवाधिकारों के विविध आयामों को सूक्ष्मता से उकेरा है। विभिन्न कालखंडों में रचित कहानियाँ समाज में व्याप्त असमानताओं, शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध सशक्त अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती हैं। हिंदी कहानी के जनक प्रेमचंद ने अपने लेखन में वंचित वर्गों के अधिकारों और सामाजिक न्याय की मुखर आवाज़ उठाई। 'कफन' में गरीबी और सामाजिक उपेक्षा की मार्मिक स्थिति दर्शाई गई है, जहाँ पिता-पुत्र कफन के पैसे शराब पर खर्च कर देते हैं, जो निर्धनता के दुष्चक्र को उजागर करती है। 'सद्गति' में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता की विभीषिका दिखाई गई है, जब दुखी चमार का दाह-संस्कार भी नहीं किया जाता। इन कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद सामाजिक अन्याय की वास्तविकता को सामने लाते हैं। 'मंदिर' की स्त्री पात्र सुखिया, अपने बच्चे की रक्षा के लिए भगवान के चरणों में माथा टेकना चाहती है, लेकिन अछूत होने के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता और उसका बच्चा मर जाता है। सुखिया रोती नहीं; वह सामने खड़े ऊँची जाति के लोगों के खिलाफ सीधे-सीधे विद्रोह करती है-"**पापियो, मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे क्यों नहीं, उसी के साथ मार डालते?**"⁷ 'समरयात्रा' की स्त्री पात्र नोहरी, वृद्ध होने के बावजूद, अंग्रेजी शासन की अन्यायपूर्ण व्यवस्था और कोवई दरोगा के अपमान के खिलाफ विद्रोह करती है। जब सिपाही उसे धक्का देता है, तो नोहरी ज़मीन पर पड़े

हुए भी साहसपूर्वक और तीव्रता से उसे डपटती है और अपना विरोध व्यक्त करती है-“मर्द होते तो गुलाम ही क्यों होते?”⁸ प्रेमचंद की स्त्री पात्र, जैसे नोहरी और धनिया, पुरुष पात्रों की तुलना में अधिक विद्रोही और निडर होती हैं। नोहरी के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ साहसपूर्ण विद्रोह प्रस्तुत किया-“कब तक मुर्दों की तरह पड़े गिद्धों से अपने आपको नोचवाते रहोगे? अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो...।”⁹ आधुनिक कहानीकार उदय प्रकाश अपनी कहानियों में वर्तमान समय और यथार्थ को सटीक रूप से प्रस्तुत करते हैं। वे मानवाधिकार को केंद्र में रखते हुए बाल अधिकार, स्त्री अधिकार और मजदूर वर्ग के अधिकारों जैसे विषयों को प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त करते हैं। उदय प्रकाश की कहानी ‘टेपचू’ मानवाधिकार के हनन और शोषक-शोषित संबंधों की ज्वलंत और संवेदनशील प्रस्तुति है। टेपचू केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मजदूर वर्ग से संबंधित टेपचू समाज में होने वाले अत्याचारों और अन्याय को सहते हुए जीवित रहता है और कभी हार नहीं मानता। वह अन्याय से डरकर नहीं थमता, बल्कि निर्भीकता से उसका सामना करता है। जहाँ जुल्म होता है, वहीं उसका साहस भी मौजूद रहता है-“पसीने, मेहनत, भूख, अपमान, दुर्घटनाओं और मुसीबतों की विकट धार को चीर कर वह निकल आया था। कभी उसके चेहरे पर पस्त होने, टूटने या हार जाने का गम नहीं उभरा।”¹⁰ ‘मोहनदास’, जो कबीरपंथी है, अपने मानवाधिकार, अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। गरीब और दलित होने के बावजूद वह अपने परिश्रम और विद्वत्ता के बल पर बी.ए. में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है। अखबारों में उसकी तस्वीर प्रकाशित होती है और उसे सामाजिक मान्यता मिलती है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास आवश्यक संपर्क और सिफारिश नहीं है और घूस देने के लिए धन भी नहीं है। जल्द ही मोहनदास इस अन्यायपूर्ण यथार्थ को समझ जाता है-“स्कूल, कॉलेज

के बाहर की असली ज़िंदगी दरअसल खेल का ऐसा मैदान है, जहाँ वह गोल बनाता है, जिसके पास दूसरों को लंगड़ी मारने की ताकत होती है।”¹¹ हिंदी नाट्य साहित्य ने मानवाधिकारों के विविध पहलुओं को मंच के माध्यम से जनचेतना तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। नाटककारों ने सामाजिक यथार्थ को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वह दर्शकों के मन-मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ सके। भीष्म साहनी के नाटक सामाजिक-राजनीतिक विषमताओं के प्रति तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उनका प्रसिद्ध नाटक ‘कबीरा खड़ा बाज़ार में’ सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक कट्टरता की पृष्ठभूमि में लिखा गया था। यह नाटक दिखाता है कि कैसे साम्प्रदायिकता साधारण जनजीवन को तहस-नहस कर देती है। ‘हानूश’ नाटक में उन्होंने राजनीतिक शोषण और सत्ता के दुरुपयोग को केंद्र में रखा। यह नाटक एक ऐसे कलाकार की कहानी है, जो सत्ता के दमन का शिकार होता है। मोहन राकेश के नाटक ‘आधे-अधूरे’ में मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों और पारिवारिक संबंधों में व्याप्त खोखलेपन को उजागर किया गया है। यह नाटक दिखाता है कि कैसे सामाजिक दबाव और आर्थिक संकट व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित करते हैं। नाटक की नायिका सावित्री का चरित्र स्त्री अस्मिता और आत्मनिर्णय के अधिकार की माँग करती प्रतीत होती है। हबीब तनवीर ने लोक कलाओं और नाट्य परंपराओं के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाई। उनका नाटक ‘चरनदास चोर’ न्याय और सामाजिक समानता की खोज की कथा कहता है। यह नाटक दिखाता है कि कैसे एक साधारण चोर भी न्याय की माँग कर सकता है। ‘आगरा बाज़ार’ नाटक में उन्होंने सामाजिक विषमताओं और आर्थिक शोषण को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। यह नाटक एक ऐसे बाज़ार की कहानी है, जहाँ मनुष्यों को वस्तुओं की तरह खरीदा-बेचा जाता है। इन नाटकों के माध्यम से हम देखते हैं कि हिंदी नाट्य साहित्य ने केवल मनोरंजन का ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बनने का प्रयास

किया है। ये नाटक मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने और सामाजिक न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हिंदी काव्य परंपरा में मानवाधिकार चेतना का विकास विभिन्न युगों में अलग-अलग रूपों में दिखाई देता है। भक्तिकाल में कबीर, रैदास जैसे कवियों ने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के विरोध में सशक्त स्वर उठाए, आंतरिक शुद्धता और सामाजिक समरसता पर बल देते हुए मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी। छायावाद और प्रगतिवाद के कवियों ने मज़दूर वर्ग की पीड़ा, सामाजिक विसंगतियों और राजनीतिक अन्याय को अपने काव्य में मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया। सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कविता-“ वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर”¹² में मज़दूर वर्ग की पीड़ा का प्रभावशाली चित्रण है। मुक्तिबोध और केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएँ इस युग में सामाजिक न्याय और मानव गरिमा की संवेदनशीलता को उजागर करती हैं। समकालीन हिंदी कविता ने मानवाधिकार के नए आयामों को समेटा है। धूमिल की 'मोचीराम' दलित जीवन की त्रासदी को उजागर करती है, जबकि अरुण कमल की 'नए इलाके में' शहरीकरण और गरीबी की चुनौतियों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करती है।

इन काव्य रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य ने सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और मानवीय गरिमा जैसे मानवाधिकारों के विविध पहलुओं को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। यह साहित्य न केवल सामाजिक असमानताओं का दस्तावेज़ है, बल्कि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है।

हिंदी गद्य साहित्य में निबंध और आत्मकथा विधाएँ मानवाधिकार चेतना के सशक्त माध्यम रही हैं। निबंधों ने सामाजिक और मानवीय मुद्दों पर सैद्धांतिक विमर्श प्रस्तुत किया, जबकि आत्मकथाओं ने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सामाजिक अन्याय और असमानताओं को मार्मिक रूप

में उजागर किया। महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह 'स्त्रीत्व का अभिशाप' और 'अतीत के चलचित्र' स्त्री अस्मिता, अधिकार और सामाजिक रूढ़ियों पर गंभीर विचार प्रस्तुत करते हैं। उनका कथन-‘स्त्री की मुक्ति के बिना समाज की मुक्ति असंभव है’, नारी अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार, दलित आत्मकथाएँ जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के विरोध में सशक्त प्रतिरोध का रूप हैं। ओमप्रकाश वाल्मीकि की 'जूठन' शिक्षा और सामाजिक उत्पीड़न के संघर्ष को उजागर करती है, जबकि सूरजपाल चौहान की 'तिरस्कृत' और बेबी काम्बले की 'जीवन हमारा' दलित स्त्रियों के दोहरे संघर्ष और सामाजिक अन्याय को सामने लाती हैं।

निष्कर्ष

इन रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट होता है कि हिंदी गद्य साहित्य ने मानवाधिकार के सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक आयामों को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। इन साहित्यिक रचनाओं ने मानवाधिकार चेतना को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर समृद्ध किया है। यह साहित्य केवल सामाजिक असमानताओं और अन्याय का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण और संवेदनशील समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निबंध और आत्मकथा जैसी विधाएँ पाठकों के साथ सीधे संवाद स्थापित कर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती हैं। हिंदी साहित्य की विविध विधाओं जैसे काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और आत्मकथा में मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति दर्शाती है कि साहित्य सदैव सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के पक्ष में रहा है। भक्तिकाल से समकालीन रचनाओं तक, साहित्यकारों ने जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, आर्थिक शोषण और साम्प्रदायिक हिंसा के खिलाफ सशक्त स्वर उठाए हैं। वर्तमान समय में, जब डिजिटल अधिकारों के उल्लंघन, पर्यावरणीय असमानता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका और भी

प्रासंगिक हो जाती है। यह न केवल इन चुनौतियों को अभिव्यक्त कर सकता है, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और जागरूकता भी उत्पन्न कर सकता है।



संदर्भ सूची

1. मीणा, मीनाक्षी, मानवाधिकार मुद्दे एवं चुनौतियों, आविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 77
2. प्रेमचंद, कुछ विचार, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 8
3. शर्मा, रामविलास, प्रेमचंद और उनका युग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1981, पृष्ठ सं- 37
4. शर्मा, रामविलास, प्रेमचंद और उनका युग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1981, पृष्ठ सं- 38
5. शर्मा, रामविलास, प्रेमचंद और उनका युग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1981, पृष्ठ सं- 53
6. शर्मा, रामविलास, प्रेमचंद और उनका युग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1981, पृष्ठ सं- 113
7. शाही, सदानन्द, वीक्षा पत्रिका, अंक, 7-8, जुलाई 2012 जून 2013, लोकायत प्रकाशन, वाराणसी, पृष्ठ सं- 96
8. शाही, सदानन्द, वीक्षा पत्रिका, अंक, 7-8, जुलाई 2012 जून 2013, लोकायत प्रकाशन, वाराणसी, पृष्ठ सं- 97
9. शाही, सदानन्द, वीक्षा पत्रिका, अंक, 7-8, जुलाई 2012 जून 2013, लोकायत प्रकाशन, वाराणसी, पृष्ठ सं- 97
10. <https://www.hindisamay.com/content/2493/1/उदय-प्रकाश-कहानियाँ-टेपचू.csp>
11. उदय प्रकाश, मोहनदास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 14
12. निराला संवयिता, संपादक, रमेशचंद्र शाह, रचनाकार : सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2010, पृष्ठ सं- 107



हंस कौर

BRP (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन-
हिंदी)
ब्लॉक निसिंग, ग्राम चिड़ाओ
करनाल-132001
हरियाणा
संपर्क
hanskaur17844@gmail.com

भारतीय साहित्य में मानवतावाद

शोध सारांश

भारतीय साहित्य में मानवतावाद की परंपरा वैदिक युग से प्रारंभ होकर आधुनिक युग में और अधिक सशक्त तथा बहुआयामी रूप में विकसित हुई है। ऋग्वेद और उपनिषदों में मानव-गरिमा, समानता तथा सार्वभौमिक कल्याण की अवधारणा निहित है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का सूत्र मानवता को वैश्विक दृष्टि प्रदान करता है। रामायण और महाभारत में धर्म, न्याय और नैतिकता के आदर्शों के माध्यम से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के संतुलित विकास का संदेश मिलता है। कबीर, रैदास आदि जैसे भक्तिकाल के महान संत कवियों ने सामाजिक विषमता के विरुद्ध समानता और प्रेम का स्वर मुखर किया। आधुनिक काल में प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती और महादेवी वर्मा ने साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता, करुणा और सामाजिक समरसता जैसे मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित किया। नारीवादी लेखिकाएँ मृदुला गर्ग और कृष्णा सोबती ने स्त्री-अस्तित्व, समान अधिकार और सामाजिक न्याय के प्रश्नों को साहित्य के केंद्र में स्थापित किया। दलित साहित्य में डॉ. अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित ओमप्रकाश वाल्मीकि जैसे रचनाकारों ने आत्मसम्मान, समानता और मानवाधिकारों की चेतना को सशक्त किया। इस प्रकार, भारतीय साहित्य की समग्र यात्रा मानव-कल्याण की निरंतर साधना है, जहाँ मानवतावाद केवल एक विचार नहीं, बल्कि संस्कृति, नीति और सृजन का आधार बनकर युगों-युगों तक भारतीय चिंतन को आलोकित करता रहा है।

बीज शब्द

1. भारतीय साहित्य
2. मानवतावाद
3. मानवाधिकार
4. भक्ति साहित्य
5. स्त्रीवाद और नारी विमर्श
6. दलित साहित्य
7. सामाजिक न्याय
8. सांस्कृतिक समरसता
9. धर्म
10. नैतिकता और न्याय

मूल शोध

आधुनिक साहित्यिक विमर्श- विषय की प्रासंगिकता

भारतीय साहित्य के अध्ययन में मानवतावाद का विमर्श आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों के बीच मानवीय मूल्यों का संरक्षण चुनौती बन गया है। ऐसे समय में साहित्य एक सांस्कृतिक और

सामाजिक माध्यम के रूप में न केवल संवेदनाओं को जागृत करता है, बल्कि मानवीय गरिमा, समानता और न्याय के पक्ष में भी खड़ा होता है। इसीलिए भारतीय साहित्य में मानवतावाद का अध्ययन आधुनिक समाज की मानवीय आवश्यकताओं को समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

मानवतावाद की संकल्पना : विश्व और भारतीय परिप्रेक्ष्य

विश्व साहित्य में मानवतावाद की जड़ें पुनर्जागरण कालीन यूरोप से जुड़ी मानी जाती हैं, जहाँ स्वतंत्रता, तर्क और व्यक्तिगत गरिमा को सर्वोच्च माना गया। वहीं भारतीय संदर्भ में इसकी परंपरा कहीं अधिक प्राचीन है। ऋग्वेद में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उद्घोष संपूर्ण मानव जाति को एक परिवार मानने का आह्वान करता है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की एकता का विचार मनुष्य की सार्वभौमिक समानता को प्रतिपादित करता है। महाकाव्य साहित्य- रामायण और महाभारत में धर्म, न्याय और लोककल्याण को जीवन का आदर्श माना गया। इस प्रकार भारतीय मानवतावाद केवल दार्शनिक अवधारणा नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आचरण का आधार रहा है।

साहित्य में मानवतावाद का महत्त्व

साहित्य मानव अनुभव का दर्पण है। यह समाज के भीतर व्याप्त असमानताओं, पीड़ा और शोषण को उजागर करता है तथा करुणा, सहानुभूति और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। भारतीय साहित्य में मानवतावाद का स्वर निरंतर विकसित हुआ है- भक्ति आंदोलन में संतों द्वारा जाति-भेद के विरुद्ध उठाई गई आवाज़ हो या आधुनिक काल में प्रेमचंद और महादेवी वर्मा की रचनाओं में सामाजिक न्याय और मानवीय समानता की प्रतिध्वनि। इस दृष्टि से साहित्य केवल रचनात्मक क्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और मानवाधिकारों के संवर्द्धन का सक्रिय साधन है।

1. प्राचीन भारतीय साहित्य में मानवतावाद

वैदिक साहित्य : ऋग्वेद, उपनिषद् और 'वसुधैव कुटुम्बकम्'- वैदिक साहित्य, विशेषकर ऋग्वेद, भारतीय मानवतावादी दृष्टिकोण की आरंभिक अभिव्यक्ति है, जिसमें मनुष्य, प्रकृति और ब्रह्माण्ड के बीच संबंध की अंतर्निहित समानता एवं साझेदारी पर बल दिया गया है। ऋग्वेद के सूक्तों में अनेक स्थानों पर सहानुभूति, सार्वभौमिक भलाई और समाज में समान मनोभाव की वकालत होती है। उपनिषदों में आत्मबोध, आत्मा-ब्रह्म की एकता और समस्त जीवों में एक मूल चेतना की मान्यता मानवतावाद की दार्शनिक नींव हैं। इस क्रम में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का मूल उद्घोष महा-उपनिषद् (अथवा महोपनिषद्) में मिलता है, जिसका अर्थ है "संपूर्ण जगत परिवार है"।

"अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् (महोपनिषद्, अध्याय ६, मंत्र ७१)

अर्थ - यह (मेरा) बन्धु है और यह नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त (सञ्कुचित मन) वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो (सम्पूर्ण) धरती ही परिवार है।" यह सिद्धांत एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जहाँ सीमाएँ (जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश) घट जाती हैं और समग्र मानव कल्याण की भावना प्रमुख हो जाती है।

महाकाव्य परंपरा : रामायण और महाभारत में धर्म, न्याय और नैतिकता

महाकाव्य परंपरा में मानवतावाद धर्म, नैतिकता और न्याय की अवधारणा के माध्यम से सामाजिक-नैतिक आदर्श स्थापित करती है। रामायण में राम चरित्र "राजा" और "मनुष्य" दोनों रूपों में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे व्यक्ति अपने कर्तव्यों, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलते हुए समाज और राज्य के हित को सर्वोपरि रखता है। इसी प्रकार महाभारत में धर्म-संकट (धर्मसंघर्ष) की कहानियाँ जैसे अर्जुन का द्वंद्व, युधिष्ठिर की नैतिक

परीक्षाएँ आदि दर्शाती हैं कि न्याय और करुणा कितनी जटिल और परस्पर प्रभावित हो सकती हैं। महाभारत में “धर्मो रक्षति रक्षितः” सूत्र यह इंगित करता है कि जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है; धर्म न्याय, विवेक और सामाजिक उत्तरदायित्व की स्थिति है, जो केवल व्यक्तिगत हितों से परे जाती है।

“धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥

धर्मो रक्षति रक्षितः एक लोकप्रिय संस्कृत वाक्यांश है, जो महाभारत और मनुस्मृति में मिलता है। इसका अर्थ है कि ‘धर्म की रक्षा करने पर वह (रक्षा करने वाले की) रक्षा करता है। दूसरे शब्दों में, ‘रक्षित धर्म, रक्षक की रक्षा करता है।’²

धर्मशास्त्र एवं कल्याणकारी दृष्टिकोण

धर्मशास्त्रों में मानव कल्याण और सामाजिक न्याय की अवधारणा विशेष रूप से प्रमुख है। धर्म शब्द न केवल कर्तव्यों या धार्मिक नियमों का संकेत करता है, बल्कि वह सामाजिक संतुलन एवं नैतिक चेतना का आधार है, जो सभी के हित को ध्यान में रखता है। धर्मशास्त्रों में राजा और शासन की भूमिका को भी इस संदर्भ में देखा जाता है कि शासन का उद्देश्य केवल शक्ति या नियंत्रण नहीं, बल्कि प्रजा की सुरक्षा, न्याय सुनिश्चित करना और सामाजिक कल्याण स्थापित करना है। धर्मशास्त्रों के मतानुसार कल्याणकारी दृष्टिकोण तब साकार होता है जब सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी स्तरों पर मनुष्यों के मूल अधिकारों और गरिमा का संरक्षण होता है। मानवता, करुणा और समानता धर्मशास्त्रों ने जीवन के नैतिक आयामों में एक अनिवार्य स्थान दिया है।

2. मध्यकालीन साहित्य और भक्ति आंदोलन

संत साहित्य (कबीर, रैदास, तुलसी, मीरा) का समतावादी स्वर

भक्ति आंदोलन में संत साहित्य ने समाज को जाति,

धर्म, लिंग एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर बने विभाजनों का प्रतिकार करते हुए समतावादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। कबीर के दोहों में जात-पाँत, ब्राह्मण-पुजारी वर्चस्व और धार्मिक आडंबरों की तीखी आलोचना मिलती है, जहाँ वे कहते हैं कि मनुष्य की पहचान जन्म या वर्ण द्वारा नहीं, बल्कि कर्म और आचरण से होती है। रैदास ने उस समय की सामाजिक अमानवीयता जैसे दलितों का बहिष्कार, धार्मिक भेदभाव पर सवाल उठाया और समानता के सिद्धांत को जीवन-दर्शन में स्थान दिया। रैदास ने अपनी एक कविता में “बेगमपुरा” नामक कल्पित आदर्श नगर की जिस व्यवस्था की कल्पना की है, उसमें कोई जात-पाँत नहीं, कोई अमीर-गरीब भेद नहीं, न सह कर संग्रह, न विकृति, न सामाजिक वर्गों की असमानता। सभी बराबर हों, ऐसा समाज हो, ऐसा नगर हो, जहाँ भय, अत्याचार और सामाजिक विभाजन न हो।

**“अब हम खूब वतन घर पाया, ऊँचा खैर सदा मन भाया।
वेगमपुरा सहर का नाऊ, दुख अंदेस नहीं तिहिं ठाऊँ।”³**

यह वर्णन स्पष्ट रूप से समतावादी दृष्टि को प्रकट करता है। इसी प्रकार, मीराबाई ने भक्ति को स्त्री-स्वर और आत्म-प्रकाश के रूप में इस्तेमाल किया, जहाँ प्यार और भक्ति ने धार्मिक व सामाजिक बंधनों से ऊपर उठने का मार्ग दिखाया।

“जोगिया री प्रीतड़ी है दुखड़ा री मूल।

हिलमिल बात बणावट मीठी पाछे जावत भूल।।

तोड़त जेज करत नहिं सजनी जैसे चमेली के मूल।

मीरा कहे प्रभु तुमरे दरस बिन लगत हिवड़ा में सूल।।”⁴

अर्थात् जोगी की प्रीति तमाम दुःखों की मूल है। जोगी पहले हिल-मिलकर मीठी-मीठी बातें बनाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। इस मुहब्बत को उतनी ही आसानी से तोड़ देते हैं जैसे चमेली का फूल। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु! तुम्हारे दर्शन के बिना दिल में काँटे से चुभते हैं।

तुलसीदास ने हिंदू धर्म की प्रथाओं की जटिलताओं को स्वीकारते हुए भी रामचरितमानस के माध्यम से आदर्श

नैतिक चरित्र और सामाजिक न्याय के संदेश को लोकप्रिय बनाया। “सब के गृह गृह होहिं पुराना।

राम चरित पावन बिधि नाना।।

नर अरु नारि राम गुन गानहिं।

करहिं दिवस निसि जात न जानहिं ॥४॥

भावार्थ- सबके यहाँ घर-घर में पुरानों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्रजी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन-रात का बीतना भी नहीं जान पाते।⁵

इन संतों की रचनाएँ समाज के दबे-छुपे वर्गों की आवाज़ को स्वर देती हैं और उनकी भाषा आम जन की होती है, जिससे समतावाद का संदेश बड़े स्तर पर पहुँचा।

सामाजिक सुधार और मानव समानता का संदेश

भक्ति आंदोलन सामाजिक सुधार की एक प्रमुख शक्ति थी। इसने वर्ण व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, पूजापाठ एवं धार्मिक कर्मकांडों के द्वारा बने असमान व्यवस्थाओं को चुनौती दी। संतों ने कहा कि ईश्वर सभी मनुष्यों में समान है, पूजा-स्थल लेखकीय नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता मायने रखती है। भाषाई माध्यम यानि वर्णित (vernacular) भाषा का प्रयोग कर उन्होंने आम जनता तक अपना संदेश पहुँचाया। सामाजिक व्यवहारों में करुणा, सहिष्णुता और न्याय की अपेक्षा बढ़ी। भक्ति आंदोलन ने यह दाखिल किया कि भक्ति केवल भिन्न-भिन्न वर्गों, जातियों या धार्मिक पहचान की मोहताज नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है, जो सभी मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार करता है।

धार्मिक संकीर्णता के विरुद्ध मानवतावादी दृष्टि

भक्ति संतों ने धार्मिक आडंबरों, पूजाविधियों और मंदिर-पुजारियों के माध्यम से बनी संकीर्णता का विरोध किया। वे मानते थे कि धार्मिक संस्था द्वारा बनाए गए मध्यस्थ (जैसे पंडित, पुरोहित) अनावश्यक प्रथाएँ हैं, जो समाज को बाँटती हैं। कबीर ने कविताओं में पुकारा कि

धार्मिक विश्वासों की नकली पोशाकों के परे देखो, क्योंकि सच्चा धर्म मानवता है। मीरा ने भगवान की उपासना को मंदिर-मुबारक से बेहतरी मानते हुए निजी भक्ति और प्रेम के माध्यम को स्थायी महत्त्व दिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में धर्म को ऐसा मार्ग बताया है, जिसका उद्देश्य मानवहित और विश्वास का संस्कार है, न कि केवल रस्म-रिवाज़ का पालन। इस तरह भक्ति आंदोलन ने धर्म को एक मानवीय और समरसवादी दृष्टिकोण से परिभाषित किया, संकीर्ण धार्मिक विचारों को पार करते हुए।

3. आधुनिक भारतीय साहित्य में मानवतावाद

प्रगतिशील और यथार्थवादी धारा : मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती

प्रगतिशील और यथार्थवादी साहित्य ने भारतीय सामाजिक ताने-बाने में व्याप्त विषमताओं, गरीबी, जात-पाँत और धार्मिक तथा आर्थिक भेदभावों को न केवल उजागर किया, बल्कि पाठक में सहानुभूति और परिवर्तन की भावना भी जगाई। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ एवं उपन्यासों- जैसे ‘गोदान’, ‘कर्मभूमि’, ‘सेवासदन’ आदि में किसान, गरीबी, महिला पात्रों की पीड़ा आदि को यथार्थवादी संवाद और सामाजिक संदर्भों के बीच प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद न केवल उत्पीड़ित की करुणा को दिखाते हैं, बल्कि उनके आत्मसम्मान, अधिकार और सामाजिक न्याय की दृष्टि से उन्हें सशक्त व्यक्ति भी बनाते हैं। अमृतलाल नागर और धर्मवीर भारती ने भी यथार्थवाद के इस सिलसिले को आगे बढ़ाया; वे व्यक्तिगत संघर्षों के माध्यम से सामाजिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, जिससे मानवतावादी चेतना को साहित्य में नई भाषा और सामाजिक आयाम मिला।

महादेवी वर्मा और मानवीय संवेदनाएँ

महादेवी वर्मा ने छायावाद तथा व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के बीच मानवीय संवेदना की ऐसी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की कि वे न केवल मनोभावों की गहराइयों को छूती हैं, बल्कि सामाजिक असमानताओं व महिलाओं की स्थिति पर भी

तीखा प्रकाश डालती हैं। वह कविता, आत्म-चिंतन और प्रकृति के सादे, किंतु गहरे चित्रणों से जन-मन को प्रभावित करती हैं। उनके काव्य-संग्रहों में महिलाओं, वृद्धों, समाज के उपेक्षित वर्गों के प्रति करुणा, दया और समानुभूति का स्वर स्पष्ट है, जो मानवीय गरिमा की रक्षा को केंद्र में रखते हैं।

स्वतंत्रता आंदोलन और मानवतावादी चेतना का साहित्यिक स्वर

20वीं सदी के आरंभ से स्वतंत्रता आंदोलन ने साहित्य को सिर्फ कलात्मक अभिव्यक्ति का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना दिया। राष्ट्रवादी कवियों, लेखकों और कहानीकारों ने उपनिवेश-शोषण, जात-पाँत और सांस्कृतिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस दौर की रचनाओं में आत्म-सम्मान, स्वतंत्रता, न्याय और समानता की माँग स्पष्ट है। मुंशी प्रेमचंद के 'कर्मभूमि' जैसे उपन्यासों में अंग्रेज़ी हुकूमत, सामाजिक विभाजन, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक शोषण की आलोचना होती है और एक ऐसे समाज के अगले ख़ाके का संकेत मिलता है, जो भारतीयता, समानता और मानवाधिकारों पर आधारित हो। इस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य ने मानवतावादी चेतना को व्यापक जनसमूह तक पहुँचाया।

4. समकालीन साहित्य और वैश्विक दृष्टिकोण

आधुनिक लेखन में सांस्कृतिक समरसता और विश्व-मानवता की भावना

समकालीन भारतीय साहित्य में वैश्विक दृष्टिकोण के साथ-साथ स्थानीय संवेदनाओं का सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। आधुनिक लेखन केवल राष्ट्रीय सरोकारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवता, सह-अस्तित्व और विश्वबंधुत्व की भावना से परिपूर्ण हुआ है। साहित्यकारों ने भाषा, धर्म और भूगोल की सीमाओं को पार कर एक ऐसे समाज की कल्पना की है, जहाँ मनुष्य सर्वोपरि मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित है। विक्रम सेठ, अरुंधति राय, केदारनाथ

सिंह, मृणाल पांडे जैसे रचनाकारों ने मानव को उसकी समग्रता में देखा है। उनके लेखन में संवाद, सहिष्णुता और वैश्विक नागरिकता की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है।

वैश्वीकरण और साहित्य में मानवाधिकार विमर्श

वैश्वीकरण ने साहित्य को नए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्नों से जोड़ा है। बाज़ारवादी शक्तियों, तकनीकी उन्नति और प्रवासन ने मनुष्य की अस्मिता, स्वतंत्रता और अधिकारों पर नए सिरों से विमर्श को जन्म दिया है। समकालीन साहित्यकार वैश्विक असमानताओं, पर्यावरणीय संकटों, श्रम-शोषण और लैंगिक भेदभाव जैसे विषयों को मानवाधिकारों के दायरे में लाकर प्रस्तुत करते हैं। इन रचनाओं में मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय की वकालत की जाती है। साहित्य आज वैश्विक समुदाय के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का माध्यम बन गया है।

नए विमर्श : आदिवासी साहित्य, अल्पसंख्यक साहित्य

नवीनतम हिंदी साहित्य में आदिवासी और अल्पसंख्यक साहित्य के रूप में मानवतावाद का एक नया विस्तार देखा गया है। ये धाराएँ उस समाज की आवाज़ हैं, जिसे लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया। आदिवासी साहित्य में भूमि, प्रकृति और संस्कृति के प्रति जुड़ाव के साथ-साथ मानवीय समानता और अस्तित्व की चिंता निहित है। वहीं अल्पसंख्यक साहित्य धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषायी विविधताओं के बीच समान अवसर और सामाजिक न्याय की माँग को स्वर देता है। इन नए विमर्शों ने साहित्य को अधिक लोकतांत्रिक, समावेशी और मानवीय दिशा प्रदान की है।

अतः भारतीय साहित्य में मानवतावाद एक निरंतर प्रवाहित धारा के रूप में उपस्थित है, जो वेदों से लेकर समकालीन लेखन तक मानव-गरिमा, समानता और करुणा के मूल्यों को केंद्र में रखती है। प्राचीन, भक्ति, आधुनिक और उत्तर-आधुनिक सभी युगों में साहित्य ने मनुष्य को

सर्वोच्च मूल्य माना है। यह परंपरा आज भी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और विश्व-बंधुत्व की चेतना को सशक्त बनाती है।

5. <https://hindi.webdunia.com/religion/religion/hindu/ramcharitmanas/UttarKand/7.htm>

निष्कर्ष

भारतीय साहित्य के समस्त कालखंडों में मानवतावाद की निरंतर धारा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। वैदिक युग से लेकर समकालीन साहित्य तक, मानव जीवन, उसकी गरिमा, करुणा, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्य साहित्यिक सृजन के केंद्र में रहे हैं। भक्तिकाल में जहाँ संत कवियों ने ईश्वर-भक्ति के माध्यम से जाति, धर्म और लिंग के भेद को मिटाने का प्रयत्न किया, वहीं आधुनिक काल में प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, नागार्जुन आदि जैसे लेखकों ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की पीड़ा को स्वर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन और प्रगतिशीलता ने मानवाधिकारों की चेतना को साहित्य में सशक्त आधार प्रदान किया। समकालीन युग में यह चेतना और व्यापक हुई है, जहाँ साहित्य केवल सौंदर्य का साधन न होकर सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बन गया है। आज के वैश्वीकरण और डिजिटल युग में मानवता, सह-अस्तित्व और करुणा जैसे मूल्य नई चुनौतियों के बीच पुनर्परिभाषित हो रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य में मानवतावाद की परंपरा केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि भविष्यदर्शी भी है, जो आने वाले समय में विश्व-बंधुत्व, सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना की दिशा में सृजनात्मक ऊर्जा प्रदान करती रहेगी।



संदर्भ सूची

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Vasudhaiva_Kutumbakam
2. https://hi.wikipedia.org/wiki/धर्मो_रक्षति_रक्षितः
3. रैदास, रैदास ग्रंथावली, साहित्य संस्थान, गाज़ियाबाद, संस्करण-2011, पृष्ठ सं- 181
4. मीराबाई, मीरा वाणी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2004, पृष्ठ सं- 95



डॉ. रुपिन्द्र शर्मा

सहायक प्राध्यापक
(हिंदी विभाग)
मुलतानी मल्ल मोदी कॉलेज
पटियाला-147001
पंजाब
संपर्क
rupindersharma09@gmail.com

भारतीय ज्ञान परंपरा : पहचान के बिंदू

शोध सारांश

किसी भी देश की ज्ञान-परंपरा, उसकी जनता की सोच, आचार-व्यवहार और जीवन-मूल्यों की दिशा निर्धारित करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि यह केवल बौद्धिक चिंतन नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन का आधार रही है। इस परंपरा में वे सभी सत्य, मान्यताएँ और मनीषियों के चिंतन सम्मिलित हैं, जिन्होंने भारतीय समाज में एक सकारात्मक, मानवीय एवं आध्यात्मिक विचारधारा का निर्माण किया। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि इसमें भौतिकता और आध्यात्मिकता, तर्क और श्रद्धा, व्यक्ति और समाज, सभी के मध्य संतुलन और समन्वय की दृष्टि विद्यमान है। परंपरा केवल अतीत का अनुकरण नहीं, बल्कि सतत् विकासशील बौद्धिक प्रवाह है, जो समय-परिवर्तन के साथ नए अर्थ ग्रहण करता रहा है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन हमें यह समझने में सहायता देता है कि किस प्रकार इस देश की बौद्धिक धारा ने मानवता, सह-अस्तित्व, समरसता और आत्मोन्नति तथा लोककल्याण जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को केंद्र में रखकर एक संतुलित, विवेकपूर्ण और सभ्य समाज की रचना की। इसके साथ ही यह परंपरा आज भी समकालीन वैश्विक संदर्भों में नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और विश्वबंधुत्व की दिशा में प्रेरक भूमिका निभा रही है।

बीज शब्द

1. भारतीय ज्ञान परंपरा
2. आध्यात्मिकता
3. अद्वैत दर्शन
4. जीवन-मूल्य
5. कर्मयोग
6. समन्वयवाद
7. मानवतावाद
8. धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष
9. वर्णाश्रम व्यवस्था
10. लोककल्याण
11. सह-अस्तित्व
12. विश्वबंधुत्व

मूल शोध

भारतीय ज्ञान परंपरा मानव सभ्यता की उन दुर्लभ धाराओं में से एक है, जिसने चिंतन को जीवन से गहराई से जोड़ा। यह परंपरा किसी एक काल या मत की सीमाओं में बँधी नहीं, बल्कि निरंतर विकसित होती हुई वैचारिक प्रक्रिया है, जिसने भारतीय समाज को नैतिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया। यहाँ ज्ञान का स्वरूप अनुभव, तर्क और मूल्य-बोध के संतुलन पर आधारित रहा है, जहाँ मनुष्य को ब्रह्मांडीय चेतना का अभिन्न अंग माना गया।

वेदों और उपनिषदों में अंकित सत्य-संधान की यह परंपरा आगे चलकर दर्शन, साहित्य और लोक-आचरण में भी रूपांतरित होती रही। ज्ञान को साधन नहीं, जीवन-मार्ग के रूप में ग्रहण करने की भारतीय दृष्टि ने उसे व्यवहार, अध्यात्म और नीति के स्तर पर जीवंत बनाए रखा। इसीलिए भारतीय ज्ञान-संरचना में 'अध्ययन' और 'अनुभव' के बीच कोई भेद नहीं रहा-दोनों मिलकर समग्र बौद्धिक दृष्टि का निर्माण करते हैं।

समकालीन समय में, जब ज्ञान का अर्थ तकनीकी दक्षता तक सीमित होता जा रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो मनुष्य और समाज के संतुलित विकास की ओर संकेत करती है। यह परंपरा आज भी मूल्य-संवर्धन, नैतिक जागरूकता और विश्व-दृष्टि के पुनर्निर्माण में सार्थक भूमिका निभा सकती है। इसी परंपरा की विशिष्टताओं को स्पष्ट करने हेतु निम्न छह प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से इसकी वैचारिक संरचना, ऐतिहासिक विकास तथा सांस्कृतिक प्रभाव आदि का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1. आध्यात्मवादी परंपरा- भारत की ज्ञान परंपरा मूलतः आध्यात्मवादी रही है। यद्यपि यहाँ 'चारवाक' जैसा भौतिकवादी दर्शन भी विकसित हुआ, तथापि भारत की अद्वितीय आध्यात्मिकता अक्षुण्ण रही। यही कारण है कि भारतीय परंपरा को समग्र रूप में आत्मवादी ही कहा जाता है। जीवन के भौतिक सुखों के प्रति भारतीय मनीषी सदैव विरक्त रहे और आत्मान्वेषण में सर्वाधिक लीन। आत्मिक उन्नति ही उनका सर्वोपरि ध्येय रहा है। इसी ओर बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में संकेत करते हुए स्वामी विवेकानंद ने लिखा-“**यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है, जिसे हम धन्य, पुण्यभूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई स्थान है, जहाँ पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्मफल भोगने के लिए आना पड़ता है, यदि ऐसा कोई स्थान है, जहाँ भगवान की ओर उन्मुख होने के प्रयत्न में संलग्न रहने वाले जीवमात्र को अन्ततः आना होगा। यदि ऐसा कोई देश है, जहाँ मानव जाति की क्षमा, धृति, दया, शुद्धता आदि**

सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है और यदि ऐसा कोई देश है, जहाँ आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत ही है।”¹ ऋषियों ने समस्त जड़ चेतन पदार्थों में एक ही ब्रह्म-तत्त्व को विद्यमान मानकर, अद्वैत-दर्शन का प्रतिपादन किया। अद्वैत-दृष्टि ही भारतीय चिंतनधारा का चरम विकास है। इसी अद्वैतवादी दृष्टि के कारण भारतीय ऋषियों को इस बात का विश्वास हो गया कि अगर ब्रह्म सत्य है, तो वह शिव और सुंदर भी है। ब्रह्म की सत्यता, शिवता और सुंदरता को एक अखंडानुभूति माना गया, जिसे कभी खंड-खंड नहीं किया जा सकता। भारतीय राजनीतिज्ञ और पत्रकार नरेन्द्र मोहन के शब्दों में-“**भारतीय मनीषा सत्यं, शिवं, सुंदरम् की त्रिमूर्ति को पृथक्-पृथक् करके नहीं देखती। और भी सूक्ष्म बात है कि इस त्रिमूर्ति को पृथक् किया ही नहीं जा सकता। इसे न तोड़ा जा सकता है और न इसका पृथक्-पृथक् अनुभव संभव है। इस त्रिमूर्ति में परम एकत्व है। यही एकत्व सत्य की प्रभा को विकीर्ण करता है। कभी शिवत्व की प्रभा को और कभी सौन्दर्य की प्रभा को।**”² इसी एकत्व की भावना ने हमें प्रत्येक प्राणी को अपना ही स्वरूप मानना सिखाया, जिसके फलस्वरूप भारतीयों में अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग इत्यादि गुण विकसित हुए।

2. जीवन की अनंतता में विश्वास- भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता जीवन को अनंत मानना है। 'मृत्यु' जीवन का अंत नहीं है, बल्कि उसका एक पड़ाव है, एक चरण है। मनुष्य का जीवन उसे अनेक जन्मों के बाद उसके अपने कर्मफलों के प्रताप से मिलता है और कर्म से ही उसका भावी जीवन बँधा हुआ है। जीवन में उसे जो सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं, उसका कारण भी उसके पिछले कर्मफल ही हैं। इसी मान्यता के कारण जीवन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण भाग्यवादी रहा है। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार व साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के शब्दों में-“**कर्मफल के सिद्धांत को अनिवार्य मानने के कारण भारतीय मनुष्य**

भाग्यवादी हुआ और उसकी विद्रोही चेतना कुंठित हुई। वह अपनी खराब स्थिति का दोषी स्वयं को मानकर संतोष कर लेता है और लोक से ज़्यादा महत्त्व परलोक को देने लगता है।³ परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भारतीय ज्ञान परंपरा निष्क्रियता का उपदेश देती है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों को अनिवार्य मानती है। धर्म को अच्छी तरह से ग्रहण करने के पश्चात् ही मनुष्य धर्मानुकूल अर्थ और काम की प्राप्ति कर सकता है। फिर भी धर्म, अर्थ और काम जीवन के अंतिम लक्ष्य नहीं, जीवन का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही है, जिसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्णकाम होकर अनंत में लीन हो जाता है।

3. मनुष्य को भीतर से नियंत्रित करने का प्रयास- भारतीय ज्ञान परंपरा की यह मान्यता रही है कि मनुष्य को बाह्य साधन से बदलने की अपेक्षा उसे भीतर से ही सुसंस्कृत करने का प्रयास होना चाहिए। इसीलिए भारतीय परंपरा में तीन ऋणों से मुक्ति को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना गया। ये तीन ऋण हैं पितृ-ऋण, ऋषि-ऋण और देव-ऋण। इनमें से पितृ-ऋण व्यक्ति के पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों से संबंधित है, ऋषि-ऋण प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान की रक्षा और उसे आगे बढ़ाने से संबंधित है, जबकि देव-ऋण प्राकृतिक शक्तियों द्वारा दिए गए पदार्थों पर एकाधिकार न जमाकर उन्हें संपूर्ण समाज की भलाई के लिए प्रयोग में लाने से संबंधित है। इन ऋणों से मुक्ति के लिए-“भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति से कम से कम यह आशा की गई है कि वह समाज को स्वस्थ और शिक्षित संतान दे, प्राचीन ज्ञान की परंपरा की रक्षा करे... और प्राकृतिक शक्तियों से प्राप्त संपदा को निजी समझकर दबा न रखे।”⁴

4. निष्काम कर्मयोग का संदेश- इन ऋणों की मुक्ति के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा ने मनुष्य को निष्काम कर्मयोग का संदेश दिया। कर्म करने का संदेश, तो अनेक स्थानों पर दिया जाता रहा है, परंतु यह भारतीय संस्कृति ही है, जिसने निष्काम कर्मयोग को अपना ध्येय बनाया। गीता

में भगवान कृष्ण ने मानवता को यह संदेश दिया-

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥

अर्थात्- तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्म रहने में आसक्ति रखो।”⁵

5. मानव और समाज की मंगलकामना- भारतीय सांस्कृतिक परंपरा ने अपना लक्ष्य प्रारंभ से ही मानव और समाज की मंगलकामना रखा। समाज के निर्माण हेतु उसे चार वर्णों में बाँटा गया- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किंतु यहाँ ध्यातव्य है कि समाज का निर्माण व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों और कर्मों के आधार पर ही किया गया। नरेन्द्र मोहन के शब्दों में-“भारतीय मनीषा यह कहती है कि सारी सृष्टि चार वर्गों में विभाजित है। पर वह यह भी कहती है कि कौन किस वर्ग का है, इसका निर्धारण गुण-कर्म व स्वभाव पर आश्रित होगा। प्रकृति की जो भी अभिव्यक्तियाँ हैं, उनमें हर एक के पृथक-पृथक गुण कर्म व स्वभाव हैं, हर अभिव्यक्ति की अनेक और उप-अभिव्यक्तियाँ हैं और उनके भी अलग-अलग गुणकर्म और स्वभाव हैं। इन अभिव्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति के रूप में मानव की रचना हुई। अतः मानव भी अपने गुणकर्म व स्वभाव से विभाजित होगा तथा उसी आधार पर उसका वर्ण बदलता रहेगा। आज जो व्यक्ति श्रेष्ठ गुणों के कारण एक वर्ण विशेष का है, कल जब उसके गुण, कर्म, स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, तो उसका वर्ण भी बदल जाता है।”⁶

इसी तरह व्यक्ति की संपूर्ण आयु को सौ वर्ष मानकर उसे चार आश्रमों में बाँटा गया- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगर ध्यान से देखा जाए तो, वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य जहाँ समाज-निर्माण था, वहीं आश्रम व्यवस्था व्यक्ति-निर्माण पर बल देती है। इस संदर्भ में साहित्य विदुषी डॉ. किरण टण्डन विस्तार से लिखती हैं कि-“आश्रम

व्यवस्था का उद्देश्य है मनुष्य का सामाजिक नियमों में आबद्ध होकर अपनी आयु के अनुसार व्यक्तिगत उन्नति से संबद्ध कर्तव्यों का पालन करना। आश्रम शब्द की धातु श्रम का अर्थ है उद्योग। यदि चारों आश्रमों के प्रमुख कर्तव्यों पर दृष्टिपात किया जाए, तो सहज ही समझ में आ सकता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययनात्मक श्रम की अपेक्षा रहती है, गृहस्थाश्रम में रचनात्मक श्रम की, वानप्रस्थाश्रम में तपस्यात्मक श्रम किया जाता है और संन्यासाश्रम में योगसाधना रूप श्रम किया जाता है।⁷ वस्तुतः वर्णाश्रम व्यवस्था के पीछे भारतीय मनीषा की यह तर्क दृष्टि कार्य कर रही थी कि समाज में व्यक्तियों को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ से बचकर उन्हें अपने स्वभावगत गुणों को समझने का प्रयत्न करते हुए तदानुरूप जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

6. समन्वय की अपार चेष्टा- भारतीय ज्ञान परंपरा में समन्वय की अपार चेष्टा सर्वत्र विद्यमान रही है। दरअसल भारत का सांस्कृतिक वातावरण ही ऐसा रहा है कि उसके लिए समन्वय आवश्यक है। भारत में कई जातियाँ आईं और अनेक ही धर्म सम्प्रदाय विकसित हुए, परंतु भारत की उदार संस्कृति ने बिना किसी बल प्रयोग के इन अनेकानेक जातियों को इस कदर स्वयं में अन्तर्भूत कर लिया कि उनकी अलग पहचान बताना ही मुश्किल कार्य हो गया। उदार एवं सर्वात्मवादी भारतीय मनीषियों की अंतर्दृष्टि ने संपूर्ण विश्व को कुटुम्ब माना। परस्पर विद्वेष, ईर्ष्या को मिटाकर समस्त मानवता के कल्याण की प्रेरणा दी। गीता में भगवान कृष्ण ने ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग का समन्वय कर भावी चिंतकों के लिए समन्वय का मार्ग तैयार किया। वस्तुतः “मनुष्यता का सर्वांगीण विकास, मनुष्य के जीवन की दुःख दैन्य-रहित गरिमा, शिवता और सौंदर्य हमारा लक्ष्य है और इस विराट शाश्वत का सृजन उस क्षण आरंभ हुआ होगा, जब कि आदिम युग के दो अहेरियों ने एक-दूसरे के आघातों को देखकर अस्त्र फेंक दिए होंगे और एक दूसरे को गले लगा लिया होगा।”⁸

वरिष्ठ साहित्यकार व पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के प्राध्यापक डॉ. रवि कुमार ‘अनु’ के शब्दों में- “लोक कल्याण करने वाले कर्मों को यहाँ ईश्वरीय कार्य ठहराकर उन्हें दिव्य तत्त्व से अलंकृत किया गया और ऐसे कार्य यहाँ सदैव वर्जित किए गए हैं, जिनसे दूसरों को हानि पहुँचती हो। हमारा साहित्य, हमारी कला, हमारा प्रकृति प्रेम, हमारे उत्सव सभी का एक ही संदेश है- विश्व मैत्री, विश्व मानवता तथा विराट मानवतावाद की स्थापना।”⁹ अतः भारतीय ज्ञान परंपरा सभी तरह के विरोधों को भुलाकर, समस्त भूतों में एक चेतन तत्त्व को विद्यमान मानकर लोगों की भलाई की कामना करती हुई, मनुष्य की विचारधारा का परिष्कार कर, उसे सभ्य एवं पूर्ण बनाने का प्रयास करती है।

निष्कर्ष

भारतीय ज्ञान परंपरा की उपर्युक्त विशेषताओं से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि इसकी मूल चेतना मानव-मंगल, करुणा और आत्मदेवत्व के जागरण पर केंद्रित है। इस परंपरा का लक्ष्य केवल व्यक्ति के उत्थान तक सीमित नहीं, बल्कि व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से समस्त विश्व के कल्याण तक विस्तारित है। यह व्यापक दृष्टिकोण भारतीय चिंतन की उस विशिष्ट मानवीयता को प्रकट करता है, जो समरसता, परस्पर सहयोग और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना पर आधारित है।

वर्तमान भौतिकवादी युग में, जहाँ अर्थ ही सर्वोच्च सत्ता और भोग ही जीवन का लक्ष्य बन गया है, वहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा ही ऐसी संतुलित दृष्टि प्रदान करती है, जो भौतिक प्रगति और नैतिक संवेदना दोनों का सामंजस्य स्थापित कर सके। आज जब वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और आणविक शक्ति के दुरुपयोग से समस्त मानवता अस्तित्व-संकट से जूझ रही है, तब “वसुधैव कुटुम्बकम्”, “सर्वे भवन्तु सुखिनः” तथा “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति” जैसे भारतीय सांस्कृतिक आदर्श न केवल

नैतिक दिशा प्रदान करते हैं, बल्कि विश्व शांति, सतत् विकास और मानवीय सह-अस्तित्व की नई संभावनाओं का द्वार भी खोलते हैं।



संदर्भ सूची

1. स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद साहित्य (पंचम खण्ड), अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, संस्करण-1962, पृष्ठ सं- 5
2. नरेन्द्र मोहन, भारतीय संस्कृति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1997, पृष्ठ सं- 30
3. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, रचना के सरोकार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1987, पृष्ठ सं- 221
4. हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली (भाग-9), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1981, पृष्ठ सं- 207
5. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय 2, श्लोक 47 (<https://www.holy-bhagavad-gita.org/chapter/2/verse/47/hi/>)
6. डॉ. नरेन्द्र मोहन, भारतीय संस्कृति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1997, पृष्ठ सं- 300, 301
7. डॉ. किरण टण्डन, भारतीय संस्कृति, ईस्टर्न बुक्स लिंकर्स, नई दिल्ली, संस्करण-2001, पृष्ठ सं- 201
8. महादेवी वर्मा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2008, पृष्ठ सं- 28
9. डॉ. रवि कुमार 'अनु', हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य की सांस्कृतिक चेतना, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, संस्करण-1990, पृष्ठ सं- 11, 12



भूप सिंह धामी

सहायक प्राध्यापक (संस्कृत)
स्वामी विवेकानन्द राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
लोहाघाट, चम्पावत-262524
उत्तराखण्ड
संपर्क
bhoopsinghdamil981@gmail.com

भारतीय ज्ञान परंपरा में आधुनिकता, महाभारत के आलोक में

शोध सारांश

वर्तमान युग विज्ञान, प्रजातंत्र, भौतिकता, मानवाधिकार और आधुनिक चेतना का युग है। आज मानव सभ्यता जिस स्तर के विकास तक पहुँची है, वह अभूतपूर्व है। यह आधुनिकता का ही परिणाम है कि विज्ञान, तकनीक, लोकतंत्र, मानवाधिकार और भौतिक समृद्धि का प्रसार वैश्विक स्तर पर हुआ है। जीवन के मूल्यों और दृष्टिकोणों में गहरा परिवर्तन आया है, अब प्रत्येक ज्ञान और विश्वास को तर्क की कसौटी पर परखा जाता है। धर्म और मोक्ष जैसे पारंपरिक आदर्शों की तुलना में अर्थ और काम की प्रधानता बढ़ी है तथा व्यक्ति अधिक आत्मकेंद्रित हो गया है।

आधुनिकता का तात्पर्य समयानुकूल परिवर्तन, नवीन विचारों की स्वीकृति और रुढ़िगत परंपराओं के परित्याग से है। यह सामाजिक, राजनीतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में निरंतर नवोन्मेष की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य जीवन को अधिक तर्कसंगत, उपयोगी और मानवीय बनाना है।

महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत केवल युद्धकथा नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का विश्वकोश है, जिसमें धर्म, दर्शन, नीति, इतिहास, चिकित्सा, भूगोल, भाषा और साहित्य के बहुआयामी रूपों का समावेश है। यह ग्रंथ वैदिक और लौकिक युग के मध्य सेतु के समान है, जो आधुनिकता के मूल तत्त्व; चिंतन, विवेक, कर्तव्य और मानव कल्याण को अपनी कथा में समाहित करता है। इस प्रकार महाभारत भारतीय ज्ञान परंपरा में आधुनिकता के वैचारिक आधारों को आलोकित करता है।

बीज शब्द

1. भारतीय ज्ञान परंपरा 2. आधुनिकता 3. महाभारत 4. मानवाधिकार
5. लोकतंत्र 6. सभ्यता

मूल शोध

भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्गम वेदों से होता है, जिसकी गंगा पुराणों और महाकाव्यों से प्रवाहित होती हुई आलंकारिक काव्यों के समृद्ध क्षेत्र में पहुँचकर दर्शन, आयुर्वेद, व्याकरण, खगोल, ज्योतिष तथा गणित जैसे विविध विषयों में व्यापक रूप

से विकसित होती है। इस परंपरा में अनेक ऋषि, मुनि, दार्शनिक एवं चिंतक उत्पन्न हुए, जिनके विचारों ने न केवल भारतवर्ष, बल्कि संपूर्ण विश्व के चिंतन को प्रभावित किया। यही कारण है कि भारत को 'विश्वगुरु' की उपाधि प्राप्त हुई।

महाभारत में चित्रित सामाजिक व्यवस्था आधुनिक समाज की अनेक विशेषताओं से तुलनीय है, क्योंकि यह ग्रंथ जीवन के यथार्थवादी स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए 'जैसे को तैसा' के सिद्धांत का समर्थन करता है। इसमें ऐसे पात्र और प्रसंग हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं तथा अन्याय और अत्याचार का प्रतिरोध करते हैं। आधुनिकता के मूल तत्त्व- तर्कशीलता, आत्मचेतना, अधिकार-सजगता और कर्मप्रधानता; इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। यही आधुनिक दृष्टि आज भारतीय परंपरा, संस्कृति और सभ्यता की पहचान के रूप में प्रतिष्ठित है। महाभारत में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि-

**“अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत् ।
कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना ॥”¹**
(आदिपर्व-अध्याय-२, श्लोक ३८३)

**“धर्मं चार्थं च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित् ॥”²**
(स्वर्गारोहणपर्व-अध्याय-५, श्लोक ५०)

आधुनिकता की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार वर्णित की जा सकती हैं-

1- नये जीवन-मूल्यों और सोच का जन्म- भारतीय समाज की प्रवृत्ति प्रायः परंपरानिष्ठ रही है, जो नये जीवन-मूल्यों और विचारों को सहजता से स्वीकार करने में प्रायः संकोच करता है। समाज में क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति विरले ही दिखाई देते हैं। तथापि महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं, जो आधुनिकता के पोषक जीवन-

मूल्यों को उजागर करते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार अत्याचारी और दुराचारी व्यक्ति को, चाहे वह अपना संबंधी ही क्यों न हो या किसी भी वर्ण अथवा लिंग का हो, उसके अपराध के अनुसार दंड देना अनुचित नहीं माना गया है।

महाभारत (वनपर्व-अध्याय-२९०) में वर्णित है-**“राम द्वारा अत्याचारी रावण का वध किया गया।”³** स्त्री होने पर भी राक्षसी ताड़का का वध किया जाना (यहाँ रामकथा का उल्लेख विस्मयकारी नहीं, क्योंकि महाभारत के वनपर्व में रामोपाख्यान भी सम्मिलित है) इसी दृष्टिकोण का प्रमाण है। पाण्डवों द्वारा युद्ध में सौ कौरवों, भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोणाचार्य का वध, भक्त प्रह्लाद द्वारा अत्याचारी पिता हिरण्यकशिपु की आज्ञा की अवहेलना और दैत्यराज बलि द्वारा अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा की अवहेलना। ये सभी उदाहरण नये विचारों के उद्भव के सूचक हैं।

इसी प्रकार महाभारत (आदिपर्व-अध्याय-१९७) में उल्लिखित है-**“द्रौपदी ने पाँचों पाण्डवों के साथ विवाह किया”⁴** तथा रामचरितमानस (उत्तरकाण्ड) में वर्णन है-**“रामचंद्र और उनके सभी भाइयों के केवल दो दो पुत्र हुए।”⁵** ये उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उस युग के लोग नयी सोच और नये जीवन-मूल्यों को अपनाने के प्रति अग्रसर थे।

2-जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्त्व- मानव के सर्वांगीण विकास हेतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति परतंत्र या दासवत जीवन व्यतीत करता है, वह न तो आत्मविकास कर सकता है, न ही किसी उच्च उपलब्धि की कल्पना कर सकता है। भारतीय इतिहास और साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं, जहाँ व्यक्तियों ने सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर स्वतंत्र निर्णय लिए और अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित की।

ईक्ष्वाकुवंशी राजकुमार ध्रुव की कठोर तपस्या और वरप्राप्ति, ऋषि उद्दालक के पुत्र नचिकेता का ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान यमराज से मिलना, भक्त

प्रह्लाद की भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति तथा बलि, कर्ण, रघु, शिव और हर्षवर्धन जैसे उदार दानवीरों का सर्वस्व अर्पण करना। ये सभी प्रसंग व्यक्तिगत संकल्पशक्ति और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं।

इसी प्रकार भीष्म पितामह द्वारा राजसिंहासन का त्याग कर आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना आत्मनियंत्रण और स्वतंत्र निर्णय की पराकाष्ठा को दर्शाता है। महाभारत (आदिपर्व, अध्याय-७३) में उल्लिखित है- **“ऋषि विश्वामित्र की पुत्री शकुन्तला एवं हस्तिनापुर के राजा दुष्यन्त ने परस्पर गान्धर्व विधि से विवाह किया”**⁶ तथा महाभारत (वनपर्व-अध्याय-७६) में उल्लेख है- **“निषध देश के राजा नल और विदर्भ देश की राजकुमारी दमयन्ती ने प्रेम और स्वयंवर के द्वारा विवाह किया”**⁷, जो स्त्री-पुरुष की समान अधिकारसंपन्न स्वायत्तता का सशक्त उदाहरण हैं।

इसके अतिरिक्त द्रौपदी का पाँच पतियों के साथ विवाह, बलराम का अधिक वयोवृद्ध कन्या रेवती से विवाह, श्रीकृष्ण-रुक्मिणी का प्रेमविवाह, राजा त्रिशंकु का सशरीर स्वर्गगमन, क्षत्रिय राजा विश्वामित्र का ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर सफलता पाना, महाभारत (वनपर्व-अध्याय-२९४) में उल्लिखित है- **“राजकुमारी सती सावित्री के द्वारा अपने राज्य से निर्वासित सत्यवान का पति रूप में वरण किया”**⁸ तथा शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद का स्वेच्छा से संन्यास-आश्रम ग्रहण करना, मीराबाई की श्रीकृष्ण भक्ति, ये सभी उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भारतीय समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सदैव प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त रहा है।

3-जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना- आधुनिक युग शिक्षा एवं विज्ञान के प्रचार प्रसार का युग है। मानव जीवन में शिक्षा से ही वैज्ञानिकता का समावेश होता है। अंधविश्वास जैसी किसी भी बात को न मानना, जीवन को विज्ञान से जोड़ना, वैज्ञानिक साधनों एवं प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग आदि घटनाएँ तत्कालीन भारतीय समाज में वैज्ञानिकता को अभिव्यक्त करती हैं। दैनिक

जीवन में वैज्ञानिकता एवं वैज्ञानिक चिंतन, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक चिंतन को मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है-

समय का खगोल से संबंध- सृष्टि की उत्पत्ति और अंत के विषय में मानव सदैव जिज्ञासु रहा है। इसके समाधान के लिए हमें काल चक्र को समझना आवश्यक होता है। घटनाओं और परिवर्तन के साक्षी काल का प्रारंभ कब से हुआ?

हमारे देश के ऋषियों ने इस पर विचार और साक्षात्कार किया। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है। नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि से पूर्व तथा बाद की अवस्था को प्रलय कहते हैं। सृष्टि से पूर्व कोई भौतिक पदार्थ नहीं था। लोक, आकाश से दूर जो कुछ आज है, वह भी नहीं था। जीवन, मृत्यु, समय एवं वायु से परे ब्रह्म ही अपनी शक्ति से अनुप्राणित था। जल भी नहीं था। चारों ओर अंधकार व्याप्त था और अंधकार से ही ढका था। कर्मराशि का जो संचय बीज रूप में था, सृष्टि का उपादान कारण हुआ। सभी सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए हैं, अतः सृष्टि के बारे में कौन बता सकता है? पुरुष सूक्त में सृष्टि के विस्तार का वर्णन है। उस पुरुष से सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि पिण्ड उत्पन्न हुए, बाद में विभिन्न शरीर उत्पन्न हुए।

भारत में कालगणना- भारत के ऋषियों ने ग्रहों की गति का अति सूक्ष्म अध्ययन किया। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि की गति के आधार पर कालगणना प्रारंभ की। सूर्य और चंद्र की गति के अंतर को समायोजित करने के लिए अधिक मास या मल मास की व्यवस्था की। संक्षिप्त रूप में काल की विभिन्न इकाइयों के कारण इस प्रकार बताए गए-

दिवस अथवा वार- पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। साथ ही अपनी धुरी में घूमती रहती है। 24 घण्टे (होरा) में उसका अपनी धुरी में एक चक्कर पूरा होता है, जिसमें 12 घण्टे उसका पूर्वी गोलार्द्ध सूर्य के सम्मुख

होता है। पुनः 12 घण्टे पश्चिमी गोलार्द्ध। इस 24 घण्टे के समय को ही एक अहोरात्र अर्थात् एक दिन और एक रात्रि कहा जाता है।

चंद्र दिवस अथवा तिथि- चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उस समय चंद्र का 120 तक चलना, एक तिथि कहा जाता है। जैसे- प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या आदि।

सप्ताह- भारत के द्वारा निर्धारित सप्ताह की गणना और उसके दिनों के नाम एवं क्रम वर्तमान में सारे विश्व ने अपना लिया है। पृथ्वी से चंद्र (सोम) सबसे कम दूरी पर है। तब क्रमशः बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि का स्थान है। चंद्र सर्वाधिक समीप है और शनि दूर। प्रत्येक ग्रह 24 घण्टों में एक एक घण्टे का स्वामी होता है। प्रत्येक दिन के प्रथम घण्टे का जो अधिपति हो, वह दिन उसी के नाम का होता है। सृष्टि का पहला दिन रविवार माना गया। अथर्व ज्योतिष में दिनों के नाम और क्रम के विषय में कहा गया है-

“आदित्यः सोमो भौमश्च तथा बुधबृहस्पतिः।

भार्गवः शनैश्चरश्चैव एते सप्तदिनाधिपाः॥

ये एक बहुत जटिल वैदिक गणित की प्रक्रिया है जिसके अध्ययन में ही बहुत समय लग जाता है अतः इस प्रक्रिया के विस्तार में न जाकर केवल इतना ही कहेंगे कि दिन अथवा वार अथवा वासर के नाम पूर्ण रूप से वैज्ञानिक गणितीय प्रक्रिया पर आधारित हैं और पञ्चांग का प्रथम अवयव हैं।⁹

पक्ष- अमावस्या को चंद्र पृथ्वी और सूर्य के बीच में रहता है। ऐसी अवस्था को 0^0 कह सकते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा के समय चंद्र जब 12^0 चलता है, तो उसे एक तिथि कहते हैं। इस प्रकार जब चंद्र 180^0 के अंतर पर पहुँचता है, तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। इस प्रकार अमावस्या से पूर्णिमा तक कृष्ण पक्ष और पुनः पूर्णिमा से अमावस्या तक शुक्ल पक्ष कहलाता है।

मास- भारतीय ज्योतिष ग्रंथों में बार्हस्पत्य आदि नौ प्रकार के मासों का उल्लेख मिलता है। इनमें से ये चार मास ही लोक में व्यवहृत होते हैं-

सौरमास- सूर्य से ही काल ही उत्पत्ति होती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो सूर्य विभिन्न राशियों में प्रवेश करता है। एक राशि में सूर्य की स्थिति ही सौरमास कहलाती है। इन राशियों के समय में अंतर होता है, सौरमास 29 से 32 दिनों का होता है। 12 सौरमास अथवा एक वर्ष में 365 दिन, छह घंटे, नौ मिनट और 10.8 सेकेण्ड होते हैं।

चंद्रमास- चंद्र को देखकर सामान्य व्यक्ति भी अमावस्या और पूर्णिमा का पता लगा सकता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक चंद्रमास होता है। चंद्रमास का समय 29 दिन, 31 घटी, 50 पल, सात विपल और 30 प्रतिविपल होता है।

नक्षत्रमास- चंद्र द्वारा 27 नक्षत्रों को पार करने में लगने वाले समय को नक्षत्रमास कहते हैं। नक्षत्रमास में 27 दिन, 19 घटी, 17 पल और 58 विपल होते हैं।

सावनमास- यह 30 दिनों का ही होता है।

मासों के नाम- चंद्रमासों के नाम नक्षत्रों के आधार पर हैं। पूर्णिमा तिथि को जो नक्षत्र होता है, उसी नक्षत्र के नाम से उस मास को जानते हैं। वर्ष की प्रथम पूर्णिमा को चंद्र चित्रा नामक नक्षत्र में होता है। आगे की पूर्णिमाएँ क्रमशः विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद, अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा एवं पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रों में होती हैं। अतः ये मास भी चैत्र, वैशाख आदि सर्वविदित ही हैं। दो मासों की एक ऋतु होती है।

अयन- धरती अपनी धुरी पर 230 उत्तर पश्चिम में झुकी है। अतः विषुवत् (भूमध्य) रेखा से 230 उत्तर एवं दक्षिण सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसे ही संक्रान्ति कहा जाता है। भूमध्य रेखा से 230 उत्तर की ओर कर्क रेखा और दक्षिण की ओर मकर रेखा कल्पित है। इस

भूमध्य रेखा को 0° रेखा कहते हैं। इस प्रकार मकर संक्रान्ति से उत्तरायण और कर्क संक्रान्ति से दक्षिणायन प्रारंभ होता है।

वर्ष- भारत में सौरमास एवं चंद्रमास दोनों को एक समान महत्त्व दिया जाता है। महीनों में चंद्रमासों को वरीयता दी जाती है और वर्ष में सौर वर्ष को महत्त्व दिया जाता है। एक सौरवर्ष में 365 दिन, छः घंटे, नौ मिनट और 10.8 सेकेण्ड होते हैं। जबकि चंद्रवर्ष लगभग 354 दिनों का होता है। निरयन सौर वर्ष और चंद्रवर्ष के इस 11 दिनों के अन्तर को समायोजित करने के लिए मलमास अथवा अधिकमास की व्यवस्था है। 32 मास, 16 दिन, चार घटी के उपरांत मलमास आता है। किसी भी वर्ष में मलमास कौन-सा मास होगा, इसका पता लगाने के लिए वर्तमान शक में से 925 घटाकर शेष में 19 का भाग दिया जाता है। ध्यातव्य है कि 3, 11, 8, 16, 5, 13, 2 शेष रहें, तो क्रमशः चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मास मलमास होंगे। कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष मलमास नहीं होते हैं। अपितु ये क्षयमास होते हैं। दो अमावस्याओं के मध्य दो संक्रान्तियाँ क्षयमास कही जाती हैं। क्षयमास 19 वर्ष या 141 वर्ष बाद हो सकता है।

इनके अतिरिक्त युग, मन्वन्तर, कल्प, ब्रह्माजी का दिन और उनका वर्ष आदि ये समय की बड़ी इकाइयाँ होती हैं।

भारत के प्राचीन मन्दिर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष, मूर्तियाँ, धातुकर्म, वस्त्र उद्योग आदि भी लोगों के वैज्ञानिक ज्ञान को प्रकट करते हैं।

4-आचार, व्यवहार में तर्कसंगतता- जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से तर्कसंगतता भी आती है। भारतीय ज्ञानपरंपरा में अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं, जहाँ तर्क की बहुत आवश्यकता होती है। भारत में छः आस्तिक दर्शन तथा तीन नास्तिक दर्शनों का विकास हुआ। गणित, ज्योतिष और खगोल विद्या का विकास हुआ। सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण के कारणों की सही व्याख्या

की गई, छह वेदांगों की रचना, काव्यशास्त्र, अलंकारशास्त्र, भाषाविज्ञान आदि विषयों का आधार तर्कपूर्ण चिंतन ही है।

5-मानवाधिकारों का विशेष महत्त्व- भारतीय विचार सरणि मानव को समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ स्वीकार करती है। मानव के रूप में जन्म अनन्त पुण्यों के फल के रूप में देखा जाता है। देवता भी मानव के रूप में जन्म के लिए प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि यह कर्मयोनि है। मोक्ष जैसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति मानव को ही होती है। समस्त विश्व के मानवों के कुछ ऐसे अधिकार निश्चित किये गए हैं, जो प्रत्येक मानव को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। ये मानवाधिकार स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा संरक्षित होते हैं। ये अधिकार आधारभूत एवं प्रायः न छीने जाने योग्य हैं। ये व्यक्ति के आयु, प्रजातीय मूल, निवास स्थान, भाषा, धर्म, रंग आदि के प्रभावों से अछूते और जन्मजात उपलब्ध अधिकार हैं। जो सर्वदा एवं सर्वत्र देय हैं और समस्त मानवजाति के लिए समान रूप से सुलभ हैं। ये सार्वभौम, अविभाज्य, परस्पर निर्भर और पूर्णतः भेदभाव से रहित हैं। **“सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपों में ये मानवाधिकार वर्गीकृत हो सकते हैं।”¹⁰**

भारतीय परंपरा ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’, ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ जैसे सिद्धांतों की पोषक रही है। यहाँ भोग से अधिक दान और सन्तोष को महत्त्व दिया गया है। **“माता, पिता और गुरु के साथ ही अतिथि का सम्मान देववत् किया जाता है।”¹¹** पशु पक्षियों व कीटों तक के लिए भी चारा डालने की परंपरा इस देश में प्रचलित थी। नारियों की पूजा नवदुर्गा के रूप में होती है। भारतीय परिवारों का महत्त्व तो अतुलनीय है। माता पिता साक्षात् भगवान् हैं। पति परमेश्वर हैं। पत्नी देवी हैं। बच्चे नन्हे-मुन्ने बाल गोपाल हैं। जिस देश में ‘फादर्स डे, मदर्स डे’ नहीं, पूरा पितृपक्ष ही होता है। भाई बहिन और पति पत्नी के त्योहार वाले देश की परंपरा में मानवाधिकार तो दैनन्दिन जीवन का ही अंग है। विश्व के लोगों की शरणस्थली के रूप में

विख्यात भारत में लोकतंत्र की सफलता का कारण ही यहाँ के लोगों की सामाजिक सहिष्णुता अर्थात् मानवाधिकारों के संरक्षण की दीर्घ परंपरा है।

6-जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत करना- भारत की वर्ण व्यवस्था को लोग जाति व्यवस्था समझने की भूल करते हैं। वर्ण केवल कर्म पर आधारित होने से परिवर्तनीय है। जाति व्यवस्था परवर्ती युगों की उपज है। ऋषि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे। तपोबल से उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। परशुराम और रावण ने ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय वृत्ति अपना ली थी। “**राम ने शबरी के जूटे बेर खाये।**”¹² ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो भारत में प्राचीन समय से ही सामाजिक समानता को अभिव्यक्त करते हैं।

प्रत्येक देश का समाज अपने धर्म, परंपराओं, मान्यताओं और जीवन मूल्यों के आधार पर चलता है। हमारी अनेक मान्यताएँ और परंपराएँ समय के साथ-साथ अप्रासंगिक भी हो जाती हैं। जिनको बाद में आलोचक लोग उस समाज या धर्म की बुराइयों के रूप में गिनाने लगते हैं। कोई भी समाज उनसे पूर्णतः मुक्त नहीं होता है। भारतीय समाज के सन्दर्भ में भी यही नियम लागू होता है। भारत के प्रत्येक भाषा के साहित्य में सर्वोच्च मानवतावाद ओतप्रोत है। विश्व के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में दान की प्रशंसा की गई है। केवल स्वयं के लिए भोजन पकाना निन्दनीय कहा गया है। यहाँ भोजन का कुछ अंश अतिथि, संन्यासी, ब्रह्मचारी, अपाहिज आदि को देने का विधान है अथवा मनुष्य के न मिलने पर गाय, कुत्ता, कौआ, बिल्ली, चींटी सदृश जन्तुओं को दिया जाता है। भारत में जो संन्यास की दीर्घ-काल से परंपरा रही है, उसका कारण हमारी सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना भी है। उसके अलावा यह तथ्य भी विचारणीय है कि दुनिया के अनेक धर्म अन्य देशों में तो मिट गए, लेकिन भारत में आज भी जीवित हैं। मनुस्मृति-2/22 के अनुसार-“**समूची मानव जाति के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए सारे**

विश्व को भारत से अभी भी बहुत कुछ सीखना अपेक्षित है।”¹³

निष्कर्ष

भारत में आधुनिकता का बोध कोई नवीन या पश्चिम से उद्भूत विचार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास क्रम में निहित एक स्थायी प्रवृत्ति रही है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज आत्मानुशासित, लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों से निर्देशित रहा है। आधुनिक युग में जिन विचारधाराओं- जैसे व्यक्तिवाद, समाजवाद, मानवतावाद, यथार्थवाद, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, वैज्ञानिकता, अंतर्राष्ट्रीयता, गुटनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव और नारीवाद की चर्चा होती है, उनके बीज हमें महाभारत सहित अन्य भारतीय ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं। यह तथ्य प्रमाणित करता है कि भारतीय चिंतन परंपरा में आधुनिकता किसी बाहरी प्रभाव की देन नहीं, बल्कि अंतर्जात चेतना का परिणाम है। आज भी अनेक ग्रामीण समाजों में पंचायत प्रणाली के माध्यम से सामूहिक निर्णय की परंपरा विद्यमान है, जो लोकतांत्रिक भावना की प्राचीनता और उसकी निरंतरता को पुष्ट करती है। हमारी परंपराओं में निहित गूढ़ मानव विज्ञान तथा सार्वभौमिक मूल्य न केवल भारत के लिए, बल्कि समस्त मानव समाज के लिए कल्याणकारी और प्रेरणास्रोत सिद्ध होते हैं। इस प्रकार, भारतीय आधुनिकता का स्वरूप आत्मिक, नैतिक और मानवीय संवेदना पर आधारित है, जो विश्व मानवता के लिए आदर्श पथ का निर्धारण करती है।



संदर्भ सूची

1. वेदव्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 65
2. वेदव्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 6507
3. वेदव्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 1765

4. वेदव्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 657
5. तुलसीदास, रामचरितमानस, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-1996, पृष्ठ सं- 810
6. वेदव्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 256
7. वेदव्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 1159
8. वेदव्यास, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 1774
9. <https://purnimakatyayan.wordpress.com/category/पञ्चांग/>
10. बी.एल. साह, कैलाश चंद्र अवस्थी, मानवाधिकार, अंकित प्रकाशन, हल्द्वानी, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 7
11. वेदव्यास, तैत्तिरीयोपनिषद्, गीता प्रेस गोरखपुर, संस्करण-1996-प्रथम वल्ली, पृष्ठ सं- 70
12. वाल्मीकि, रामायण, गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 634
13. राजा मनु, मनुस्मृति, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण-1993, पृष्ठ सं- 43



पवन कुमार

Ph.D. शोधार्थी
(हिंदी विभाग)
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी-221005
उत्तर प्रदेश
संपर्क
vermapawan998@gmail.com

शोध निर्देशक

डॉ. किंगसन सिंह पटेल
एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी विभाग)
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी-221005
उत्तर प्रदेश

हिंदी उपन्यास और मानवाधिकार : संवेदना से प्रतिरोध तक

शोध सार

यह शोध “हिंदी उपन्यास और मानवाधिकार : संवेदना से प्रतिरोध तक” भारतीय समाज की जटिलताओं और हिंदी साहित्य की सामाजिक प्रतिबद्धता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारतीय समाज में जाति, वर्ग, लिंग और धर्म के आधार पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रहा है, जिसे हिंदी उपन्यासकारों ने संवेदनशीलता और वैचारिक दृढ़ता से चित्रित किया है। प्रेमचंद, यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी ने सामाजिक असमानता, किसानों और दलितों की पीड़ा को स्वर दिया। स्त्री विमर्श की धारा में कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और मृदुला गर्ग ने स्त्री अस्मिता और आत्मनिर्णय के अधिकार पर बल दिया। ओमप्रकाश वाल्मीकि और तुलसीराम जैसे दलित लेखकों ने गरिमा और समानता के अधिकार को केंद्रीय विषय बनाया। समकालीन उपन्यासों में आदिवासी अधिकार, पर्यावरणीय संकट, डिजिटल निजता और लैंगिक विविधता जैसे नए विमर्श जुड़े हैं। इस प्रकार हिंदी उपन्यास समाज के बदलते मानवाधिकार मूल्यों को अभिव्यक्त करने वाला सशक्त माध्यम है।

बीज शब्द

1. हिंदी उपन्यास
2. मानवाधिकार
3. सामाजिक न्याय
4. स्त्री विमर्श
5. दलित साहित्य
6. समानता
7. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
8. अस्मिता
9. प्रतिरोध
10. समकालीन विमर्श

मूल शोध

1. मानवाधिकार

मानवाधिकार केवल किसी कानूनी दस्तावेज़ की भाषा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की आत्मा हैं। ये वे मौलिक अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। जब-जब समाज ने इन अधिकारों को कुचला है, साहित्य ने उन्हें आवाज़ दी है। हिंदी उपन्यास मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बने हैं। प्रेमचंद का ‘गोदान’, रेणु का ‘मैला आँचल’, भीष्म साहनी का ‘तमस’ और मन्नू भंडारी का ‘आपका बंटी’ जैसे उपन्यास सामाजिक अन्याय, असमानता

और मानव गरिमा के प्रश्नों को उजागर करते हैं।

मानवाधिकारों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण जीवन की गारंटी देना है। प्राचीन भारतीय विचार “सर्वे भवन्तु सुखिनः” में भी इन आदर्शों की झलक मिलती है। आधुनिक मानवाधिकारों की अवधारणा फ्रांसिसी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से विकसित हुई तथा 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी सार्वभौमिक घोषणा की। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 32 तक समानता, स्वतंत्रता और शोषण से मुक्ति जैसे अधिकार निहित हैं। मानवाधिकार नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का समन्वय हैं, जो व्यक्ति और समाज दोनों के समग्र विकास की नींव रखते हैं।

2. हिंदी उपन्यास और मानवाधिकार चेतना

2.1 उपन्यास विधा की सामाजिक भूमिका

उपन्यास केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों का गहरा विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला साहित्यिक रूप है। हिंदी उपन्यासों ने भारतीय समाज की विविध समस्याओं, जैसे जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, शिक्षा व स्वास्थ्य की बदहाली आदि को बड़ी संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है। विशेषतः उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी की शुरुआत में उपन्यास विधा ने एक सामाजिक परिवर्तन की चेतना पैदा की। यह चेतना कहीं प्रतिरोध के रूप में उभरती है, तो कहीं करुणा और विवेक के रूप में। उपन्यासों के पात्र न केवल अपनी नियति से संघर्ष करते हैं, बल्कि वे पाठकों को भी सोचने और जागरूक होने को विवश करते हैं।

2.2 हिंदी उपन्यासों में मानवाधिकार का प्रतिबिंब

हिंदी उपन्यासों में मानवाधिकारों की उपस्थिति किसी सीधे नारे के रूप में नहीं, बल्कि कथा, पात्रों और घटनाओं के माध्यम से सजीव रूप में दिखाई देती है।

इनमें प्रमुखतः निम्नलिखित अधिकारों की अभिव्यक्ति दिखाई देती है:

आर्थिक अधिकार- जैसे किसान, मजदूर, श्रमिक वर्ग की स्थिति- ‘गोदान’, ‘नील द्वार’, ‘मैला आँचल’।

शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार- स्त्रियों, दलितों और आदिवासियों की शिक्षा तक पहुँच- ‘सेवासदन’, ‘दस्तक ना दो’।

स्त्री अधिकार- समानता, आत्मनिर्णय, विवाह व यौन शोषण से मुक्ति- ‘आपका बंटी’, ‘दिव्या’।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता- ‘तमस’, ‘झूठा सच’, ‘आधा गाँव’।

बाल अधिकार- बच्चों की अस्मिता और संवेदनशीलता- ‘आपका बंटी’।

इन उपन्यासों के माध्यम से समाज की उन परतों को उद्घाटित किया गया है, जिन्हें प्रायः इतिहास और मुख्यधारा की राजनीति नज़रअंदाज़ करती रही है। हिंदी उपन्यासकारों ने न केवल पीड़ा को चित्रित किया, बल्कि मानवीय गरिमा और अधिकारों की चेतना को भी स्वर दिया।

2.3 उपन्यासों का प्रभाव

उपन्यासों का प्रभाव केवल पाठकों के संवेदनशील मन तक सीमित नहीं रहता, वह सामाजिक आंदोलनों, राजनीतिक बहसों और सांस्कृतिक विमर्शों को भी दिशा प्रदान करता है। ‘गोदान’ के होरी की पीड़ा भारत के करोड़ों किसानों की आवाज़ बनती है, ‘दिव्या’ की नायिका स्त्रियों के संघर्ष का प्रतीक बनती है और ‘तमस’ की त्रासदी सांप्रदायिकता के विरुद्ध चेतावनी बनकर सामने आती है।

3. प्रमुख हिंदी उपन्यासों में मानवाधिकार अभिव्यक्ति

हिंदी उपन्यासों में मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति केवल विचारों या आदर्शों के रूप में नहीं, बल्कि जीवंत

पात्रों, घटनाओं और सामाजिक यथार्थ के माध्यम से होती है। इस खंड में हम कुछ प्रमुख उपन्यासों की चर्चा करेंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार के मानवाधिकारों का प्रभावी चित्रण मिलता है।

3.1 प्रेमचंद के उपन्यास

(क) गोदान

मानवाधिकार संदर्भ- आर्थिक न्याय, किसान अधिकार, श्रमिक अधिकार।

मुख्य विषय- गोदान में 'होरी' जैसे पात्र के माध्यम से किसान वर्ग की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। "धनिया यंत्र की भाँति उठी, आज जो सुतली बेची थी, उसके बीस आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े मातादीन से बोली-"महाराज! घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है।" और पछाड़ खाकर गिर पड़ी।"¹ यहाँ धनिया का संवाद और उसकी परिस्थिति सीधे-सीधे उन बुनियादी अधिकारों पर चोट करता है, जिन्हें आज हम मानवाधिकार कहते हैं। किसान वर्ग इतना निर्धन है कि 'गोदान' जैसा धार्मिक संस्कार भी पूरा करने के लिए उनके पास गाय या धन नहीं है। यह आर्थिक असमानता और गरीबी का प्रतीक है। धनिया अपने पति के सम्मान को बचाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई (सुतली बेचकर कमाए बीस आने) को गोदान के रूप में प्रस्तुत करती है। यह उसके आत्मसम्मान और इंसान की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास है। धनिया इस प्रसंग में अकेले खड़ी होकर परिवार की प्रतिष्ठा सँभालती है। यह स्त्री की सक्रियता और अधिकार चेतना का प्रतीक तो है ही, वहीं गरीबी और विवशता के कारण समाज में गरीबों के अधिकारों के हनन की ओर इशारा भी करता है।

(ख) सेवासदन

मानवाधिकार संदर्भ- स्त्री अधिकार, यौन शोषण, सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार।

मुख्य विषय- सुमन की कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, विवाह संस्था की विफलता और यौन शोषण को उकेरा है। यह उपन्यास स्त्री मुक्ति और पुनर्वास जैसे मुद्दों को उठाकर स्त्री अधिकारों की वकालत करता है। "सच्चाई कितने दिनों तक ही छिपी रह सकती है, सुमन को भी अब समझ आने लगी थी कि उसके बहन-बहनोई अब उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। सुमन को यह सब देखकर बहुत दुःख होता था। सुमन के शब्दों में-"सब कुछ देखकर भी आँखों पर विश्वास नहीं आता। संसार मुझे चाहे कितना ही नीच समझे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वह मेरे मन का हाल नहीं जानता, लेकिन तुम सब कुछ देखते हुए भी मुझे नीच समझती हो, इसका आश्चर्य है।... मुंशी जी ने सुमन के चरित्र से यह दिखा दिया है कि कोई मनुष्य स्वभाव से पतित नहीं है। समाज की असहृदयता मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है और उसकी सहृदयता उत्थान की ओर।"²

3.2 यशपाल के उपन्यास

(क) दिव्या

मानवाधिकार संदर्भ- स्त्री आत्मनिर्णय, यौन स्वतंत्रता।

मुख्य विषय- प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि में रचित यह उपन्यास एक स्त्री की मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्वतंत्रता की खोज है। दिव्या वेश्या बनकर भी अपनी स्वतंत्रता और पहचान को ढूँढने की कोशिश करती है, जो मानवाधिकारों की आधुनिक अवधारणा से मेल खाती है। पृथुसेन दिव्या को बौद्ध संघ का शरण प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर देता है, इस पर दिव्या उसे कहती है-"भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है?" उसपर पृथुसेन उत्तर देते हुए कहता है-"देवी भिक्षु का धर्म निर्वाण है। भारी प्रवृत्ति का मार्ग है। भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है।"³

(ख) झूठा सच

मानवाधिकार संदर्भ- विभाजन, विस्थापन, अल्पसंख्यक अधिकार

मुख्य विषय- भारत-पाक विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक दंगे, विस्थापितों की पीड़ा और पहचान का संकट- ये सभी उपन्यास के केंद्रीय विषय हैं। यह उपन्यास बताता है कि कैसे राजनीतिक घटनाएँ आम नागरिकों के मानवाधिकारों को छीन लेती हैं। “रामविलास शर्मा के अनुसार ‘झूठा सच’ देश विभाजन और उसके परिणाम के चित्रण की काफी ईमानदारी से लिखी गई कहानी है। पर यह उपन्यास इसी कहानी तक ही सीमित नहीं है। देश-विभाजन की सिहरन उत्पन्न करने वाली इस कहानी में स्नेह, मानसिक और शारीरिक आकर्षण, महत्वाकांक्षा, घृणा, प्रतिहिंसा आदि की अत्यंत सहज प्रवाह से बढ़ने वाली मानवतापूर्ण कहानी भी आपको मिलेगी। “‘झूठा सच’ हिंदी उपन्यास साहित्य की अत्यंत श्रेष्ठ और प्रथम कोटि की रचना है।”⁴

3.3 फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ का ‘मैला आँचल’

मानवाधिकार संदर्भ- स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अधिकार

मुख्य विषय- स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में ग्रामीण भारत की हालत को उजागर करता है। यह उपन्यास बताता है कि कैसे ग्रामीण जनसंख्या स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण आदि जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित है। आदिवासियों पर ज़मींदारों के जुल्म को अत्यंत बेबाकी से रेणु ‘मैला आँचल’ में चित्रित करते हैं-“यही कारण है कि आज ज़मीन के मालिकों ने, ज़मीन के व्यवस्थापकों ने और धरती के न्याय ने धरती पर इनकी किसी किस्म का हक नहीं जमने दिया। इस ज़मीन पर उनके झोंपड़े हैं। वह भी उनके नहीं।”⁵

3.4 भीष्म साहनी का ‘तमस’

मानवाधिकार संदर्भ- धार्मिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव

मुख्य विषय- 1947 से पूर्व की सांप्रदायिक स्थिति पर आधारित यह उपन्यास धार्मिक आधार पर होने वाली हिंसा, भय, असहिष्णुता और पहचान संकट की गहरी पड़ताल करता है। “दिन के उजाले में शहर अधमरा-सा पड़ा था, मानो उसे सॉप सूँघ गया हो। मंडी अभी भी जल रही थी, म्युनिसिपैलिटी के फायर ब्रिगेड ने उसके साथ जूझना कब का छोड़ दिया था। उसमें से उठने वाले धुएँ से आसमान में कालिमा पुत रही थी, जबकि रात के वक्त आसमान लाल हो रहा था। सत्रह दूकानें जलकर राख हो चुकी थीं।”⁶

3.5 मन्नू भंडारी का ‘आपका बंटी’

मानवाधिकार संदर्भ- बाल अधिकार, पारिवारिक सुरक्षा

मुख्य विषय- एक बच्चे ‘बंटी’ की नज़र से माता-पिता के तलाक की त्रासदी को दिखाया गया है। यह उपन्यास बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, स्थिरता और भावनात्मक अधिकारों की आवश्यकता को उजागर करता है। “बंटी के सामने ढेर सारी कहानियाँ तैर रही हैं-ममी की कहानियाँ, फूफी की कहानियाँ, पर उन सबको कैसे लिखा जा सकता है? वह तो जवाब ही नहीं दे सका। सर ने क्या समझा होगा? पापा क्या कहेंगे? सामने फैले कागज़ पर आँसू टपक पड़ते हैं।

शाम को वकील चाचा को आया देखकर एकाएक इच्छा हुई कि दौड़कर उनकी बाँह में झूम जाए, जैसे पहले झूम जाया करता था। पर अपनी जगह से हिला तक नहीं गया। बस, एक बार चाचा की तरफ देखा और नज़रें ज़मीन में गड़ गई।

“अरे, यह क्या, बंटी चुपचाप खड़ा है। देखो, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ।”⁷

3.6 धर्मवीर भारती का 'गुनाहों का देवता'

मानवाधिकार संदर्भ- प्रेम की स्वतंत्रता, सामाजिक बंधनों के विरुद्ध

मुख्य विषय- यह उपन्यास प्रेम और सामाजिक मर्यादा के द्वंद्व को दर्शाता है। चंदर और सुधा की कहानी मानवीय भावना, संवेदनशीलता और सामाजिक अस्वीकार्यता के संघर्ष का प्रतीक है। “सुधा तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो, तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? पापा ने तुम्हें आज तक किस तरह पाला। अब क्या तुम्हारा फर्ज है, कि तुम उनकी बात को ठुकराओ? पापा को तुमसे धक्का पहुँचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्या कहेंगे पापा कि चंदर ने तुम्हें यही सिखाया था? आज तुम शादी न करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करे और दुनिया हमें कहा करे। तब तुम्हें अच्छा लगेगा।”⁸

4. स्त्री अधिकार- एक मानवाधिकार दृष्टिकोण

स्त्रियों को वही मौलिक मानवाधिकार प्राप्त होने चाहिए, जो पुरुषों को हैं- जैसे जीवन और सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा और कार्य में समान अवसर, विवाह और मातृत्व में स्वतंत्रता, यौन व घरेलू हिंसा से मुक्ति तथा सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्णय का अधिकार। ये अधिकार केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय आवश्यकता हैं। हिंदी उपन्यासों में इन अधिकारों के उल्लंघन और संघर्ष का सजीव चित्रण मिलता है।

हिंदी स्त्री लेखिकाओं ने स्त्री जीवन को मानवाधिकार के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। कृष्णा सोबती की 'ज़िंदगीनामा' और 'ऐ लड़की' में स्त्री की आत्मा, पहचान और सांस्कृतिक अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। “सोबती जी ने ग्रामीण जीवन के सभी रंगों को इस पुस्तक में जगह दी है। किसानों का असंतोष, ज़मीनी विवाद, सामाजिक जश्नों में जमकर खान पान, सास बहू के झगड़े, सौतनों के रगड़े, मदरसों की तालीम,

मुजरेवालियों के जलवे, चोर डकैतों की कारगुज़ारियाँ, सब तो है इस कथाचक्र में। पर ये कथाचक्र कहीं रुकता नहीं और ना ही सामान्य तरीके से आगे बढ़ता है। दरअसल कई बार किसी घटना का विवरण देने या उल्लेख करने के बाद उपन्यास में आगे लेखिका उसका ज़िक्र ना कर सब कुछ पाठकों के मन पर छोड़ देती हैं।”⁹ मृदुला गर्ग के उपन्यास 'चित्तकोबरा' और 'अनित्य', विवाह, यौनिकता और आत्मनिर्णय जैसे अधिकारों की पड़ताल करते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के 'आग का दरिया' में स्त्री की शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और अस्तित्व संघर्ष को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया है। मन्नू भंडारी के 'महाभोज' और 'आपका बंटी' समाज और राजनीति में स्त्री की स्थिति, मातृत्व और बच्चों के अधिकार को उजागर करते हैं।

इन सभी उपन्यासों की नायिकाएँ केवल उत्पीड़न की प्रतीक नहीं, बल्कि प्रतिरोध और परिवर्तन की वाहक हैं। उनका संघर्ष यह दर्शाता है कि स्त्री अधिकार केवल महिलाओं का प्रश्न नहीं, बल्कि व्यापक मानवाधिकार विमर्श का अनिवार्य हिस्सा हैं।

5. दलित साहित्य और मानवाधिकार

5.1 दलित विमर्श - एक परिचय

दलित साहित्य उस वर्ग की आवाज़ है, जिसे सदियों से जातिगत भेदभाव, अपमान और असमानता का सामना करना पड़ा। यह केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज़ है, जो दलित जीवन की पीड़ा, संघर्ष और आत्मसम्मान की चेतना को उजागर करता है। दलित विमर्श वस्तुतः मानवाधिकार विमर्श का ही हिस्सा है, क्योंकि यह समानता, गरिमा और न्याय की माँग करता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के मूल मूल्य हैं।

5.2 दलित अधिकार और मानवाधिकार

दलितों के प्रमुख मानवाधिकारों में समानता, सम्मानजनक जीवन, शिक्षा व रोज़गार के अवसर, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व

शामिल हैं। हिंदी दलित उपन्यासों और आत्मकथाओं में इन अधिकारों के उल्लंघन और संघर्ष का सजीव चित्रण मिलता है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि का उपन्यास 'जूठन' शिक्षा, सम्मान और अवसर से वंचित एक दलित बालक के जीवन की त्रासदी को उजागर करता है और बताता है कि मानवाधिकार का अर्थ गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी है। वे लिखते हैं कि—“**इन सब कामों के बदले मिलता था दो जानवर के पीछे फसल के समय पाँच सेर अनाज यानी लगभग ढाई किलो अनाज। दस मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर (लगभग 12,13 किलो) अनाज, दोपहर को प्रत्येक घर में एक बची-खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी-कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी।**”¹⁰ शरणकुमार लिंबाले की कृति 'अक्करमाशी', पहचान और सामाजिक न्याय की तलाश को केंद्र में रखती है, जबकि तुलसीराम की 'मुर्दहिया' जातिगत बंधनों के बीच शिक्षा और आत्मसम्मान के संघर्ष को चित्रित करती है।

इन रचनाओं ने यह दिखाया कि दलित साहित्य केवल शोषण का बयान नहीं, बल्कि प्रतिरोध और आत्ममुक्ति का घोष है। यह भारतीय लोकतंत्र की उस विडंबना को उजागर करता है, जहाँ समानता संविधान में तो है, पर व्यवहार में नहीं। दलित स्त्रियों की स्थिति और भी जटिल है। वे जाति और लिंग दोनों स्तरों पर शोषित हैं। कुमुद पवार, उर्मिला पवार और शोभा साक्षी जैसी लेखिकाओं ने उनके अधिकार और आत्मसम्मान की आवाज़ बुलंद की है।

6. समकालीन उपन्यासों में मानवाधिकार

समकालीन युग में मानवाधिकारों का स्वरूप विस्तृत होकर जाति, वर्ग और लिंग से आगे बढ़ते हुए पर्यावरणीय, डिजिटल, लैंगिक, आदिवासी, मानसिक स्वास्थ्य और विस्थापन जैसे मुद्दों को समेटता है। हिंदी के समकालीन

उपन्यास इन नव-अधिकारों को गंभीरता से उठाते हैं। गीतांजलि श्री का 'रेत समाधि' स्त्री अस्मिता के साथ पर्यावरणीय असंतुलन की ओर संकेत करता है। चित्रा मुद्गल का 'पोस्ट बॉक्स नं. 203: नाला सोपारा' लैंगिक पहचान और प्रेम की स्वतंत्रता पर केंद्रित है। स्वदेश दीपक का 'मैंने मांडू नहीं देखा' मानसिक स्वास्थ्य और गरिमामय जीवन के अधिकार को रेखांकित करता है, जबकि अलका सरावगी का 'एक ब्रेक के बाद' शहरी विस्थापन और आवास-अधिकार की समस्या उजागर करता है। इन उपन्यासों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य समाज की नई चुनौतियों और मानवाधिकारों के विविध आयामों को संवेदनशील दृष्टि से प्रस्तुत कर रहा है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हिंदी उपन्यास केवल कल्पना नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ के संवेदनशील दस्तावेज़ हैं। उपन्यासकारों ने अन्याय, शोषण और विषमता के विरुद्ध अपनी लेखनी को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया है। प्रेमचंद, यशपाल और भीष्म साहनी ने वर्गीय संघर्ष, जातिगत भेदभाव और स्त्री शोषण जैसे प्रश्नों को उठाकर आमजन की चेतना को झकझोरा। कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और मृदुला गर्ग जैसी लेखिकाओं ने स्त्री अस्मिता और अधिकारों को साहित्यिक विमर्श का केंद्र बनाया। ओमप्रकाश वाल्मीकि, शरणकुमार लिंबाले और तुलसीराम जैसे दलित लेखकों ने अपने लेखन से सामाजिक बहिष्कार और अपमान के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की तथा न्याय और समानता की माँग को साहित्यिक पहचान दी। समकालीन उपन्यासों में मानवाधिकारों का दायरा और भी विस्तृत हुआ है, जिसमें पर्यावरण, आदिवासी अधिकार, लैंगिक विविधता, डिजिटल निजता और मानसिक स्वास्थ्य जैसी चिंताएँ शामिल हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि हिंदी उपन्यासकार संवेदना से प्रतिरोध तक की यात्रा

में मानव गरिमा, समानता और स्वतंत्रता की चेतना को जीवित रखने वाले समाज के सजग प्रहरी हैं।



संदर्भ सूची

1. प्रेमचंद, गोदान, ओरिएंट पब्लिशिंग, नई दिल्ली, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 392
2. प्रेमचंद, सेवासदन, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 229
3. यशपाल, दिव्या, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-20 21, पृष्ठ सं- 218
4. गोपाल राय, हिंदी उपन्यास का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2009, पृष्ठ सं- 203
5. फणीश्वर नाथ 'रेणु', मैला आँचल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 113
6. भीष्म साहनी, तमस, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृष्ठ सं- 146
7. मन्नू भंडारी, आपका बंटी, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2023, पृष्ठ सं- 195
8. धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण-2014, पृष्ठ सं- 106
9. कृष्णा सोबती, एक शाम मेरे नाम- अविभाजित पंजाब की ग्रामीण संस्कृति का दर्पण: ज़िंदगीनामा/ (<https://share.google/fTtOY5Fgz1XUtm5oy>)
10. ओमप्रकाश वाल्मीकि, जूठन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 19



प्रो. सुषमा मल्होत्रा

(सहायक व्याख्याता)
विदेशी भाषा विभाग
क्वींस कॉलेज, सिटी यूनिवर्सिटी
न्यूयॉर्क-11367
अमेरिका
संपर्क
sushmam626@gmail.com

भारतीय साहित्य में मानवाधिकार

शोध सारांश

मानवाधिकार किसी संविधान ने प्रदान नहीं किए, बल्कि ये तो प्रकृति द्वारा दिए गए अधिकार होते हैं। प्रत्येक मानव को शोषण के बिना स्वतंत्र जीवन का अधिकार है। मानवाधिकार की चर्चा कोई नया विषय नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति और साहित्य मानवीय मूल्यों पर ही केंद्रित है। साहित्य के कारण मानव को ज्ञान, रुचि और अपने स्तर की पहचान करने में सहायता मिलती रही है। साहित्य एक प्रकार का आत्म निर्माण करता है, जो मानव की भावनाओं और गरिमा को एक साथ जोड़कर उसे अपने अस्तित्व की पहचान करवाता है। मानवाधिकार और साहित्य के बीच एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, जिसे हर काल में साहित्यकार संरक्षित रखते हैं। भक्तिकाल से आधुनिक काल तक मानव को केंद्रित करके साहित्यकार साहित्य रचता रहा है। साहित्य मानव अधिकारों के समर्थन के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकता है, जो मानवीय अनुभवों के लिए आपसी सहानुभूति को बढ़ावा देने और समाज में मानवाधिकार को प्रेरित करने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। ऐसे साहित्यकारों की सूची बहुत लंबी होगी, किंतु कुछ नाम अविस्मरणीय हैं, जिसमें से प्रेमचंद सबसे प्रमुख नाम है।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार 2. साहित्य 3. सामाजिक अन्याय 4. शोषण 5. सुधार
6. वकालत

मूल शोध

भारतीय साहित्य में मानवाधिकार की चर्चा करने से पहले हमें मानवाधिकार को समझना अनिवार्य है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं, जो प्रत्येक मानव को किसी भी राष्ट्रीयता, प्रजाति, नस्ल, धर्म या लिंग के होने पर भी प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार न सिर्फ किसी संविधान, किसी विधि, बिल ऑफ राइट्स या किसी मेगनाकार्टा ने नहीं प्रदान किये हैं, बल्कि ये तो प्रकृति के द्वारा दिए गए अधिकार होते हैं। इनके बिना हम मानव की भाँति जीवित नहीं रह सकते। मानवाधिकार संविधान देता है और उनका संरक्षण मानव-मूल्य करते हैं।

"Human rights literature is a literary genre that deals with human rights"

issues and thus - directly or indirectly - promotes values of human rights. The goal of human rights literature is to combine the literary driving force with the motivation for action, which is a fundamental and integral element of the struggle for protection of human rights. This literary genre is based on the concept of "Engaged Literature" that was articulated by the French writer and philosopher Jean-Paul Sartre."¹

अर्थात्, ("मानवाधिकार साहित्य एक साहित्यिक विधा है, जो मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित है और इस प्रकार - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से - मानवाधिकारों के मूल्यों को बढ़ावा देती है। मानवाधिकार साहित्य का लक्ष्य साहित्यिक प्रेरक शक्ति को कार्रवाई की प्रेरणा के साथ जोड़ना है, जो मानवाधिकारों की रक्षा के संघर्ष का एक मौलिक और अभिन्न अंग है। यह साहित्यिक विधा 'संलग्न साहित्य' की अवधारणा पर आधारित है, जिसे फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक जीन-पॉल सार्त्र ने व्यक्त किया था।")

भारत में इनका अनादिकाल से, परंपरागत रूप से पालन होता आया है। भारत के भक्तिकाल से ही हिंदी साहित्य में वेदव्यास, तुलसीदास, कबीर, सूरदास, मीरा का महान योगदान है। "इस युग में भक्ति भावना निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में चित्रित की गई। निर्गुण भक्ति भावना के कवियों ने ज्ञान साधना और प्रेमत्व को माध्यम बनाकर काव्य रचनाएँ कीं, जिसे ज्ञानमार्गी और प्रेम मार्गी दो उपधाराओं में और सगुण भक्तिभावना को भी दो धाराओं में रामभक्तिशाखा और कृष्णभक्तिशाखा में विभाजित किया गया। इन भक्त कवियों ने विभिन्न देवी-देवताओं, भगवान राम और भगवान श्रीकृष्ण की उपासना का भक्ति, आराधना व शरण का उनके गुणों का वर्णन दोहे, पद आदि द्वारा किया है।"²

साहित्य में मानवाधिकारों की दशा और दिशा पर प्रकाश डालने का काम वर्तमान में ही नहीं... कबीर, रहीम, संत रैदास ...और भी न जाने कितने लोगों द्वारा लोक-साहित्य के ज़रिए सदियों से होता आ रहा है। इन सब ने

अलग-अलग विधा में मानव को आधार मान कर लिखा है। भक्तिकाल में, भक्तकवियों ने समाज में समानता और समरसता लाने का प्रयास किया। उन्होंने जाति, धर्म और वर्ण व्यवस्था की सीमाओं को चुनौती दी और सभी मनुष्यों को समान माना। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्णकाल, श्यामसुन्दर दास ने इसे स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल, एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। इस युग में कवियों ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए लिखा था।

भारतीय साहित्य, सभी साहित्य की तरह, मानवाधिकार अक्सर काल्पनिक और सत्य कथाओं के माध्यम से जो सामाजिक वास्तविकताओं और संघर्षों के बारे में चर्चा करता है। उदाहरण के लिए सामाजिक अन्याय, भेदभाव और समानता और स्वतंत्रता की लड़ाई के विषयों को संबोधित करने वाली रचनाएँ शामिल होती हैं। साहित्य, मानवाधिकार और उत्तरदायित्व की विशालता भारतीय संस्कृति के प्रस्थान बिंदु हैं, जो निरंतर मनुष्य में सबके साथ, सबके लिए और सबकी ओर से समर्पित होने का भाव जगाते रहते हैं। वर्तमान में जबकि साहित्य की अनेक शाखाएँ पनप रही हैं, इसलिए कविता में ही नहीं गद्य साहित्य में भी मानवाधिकारों को विषय बनाया गया है।

"बीसवीं सदी के छठे दशक का अन्त आते-आते मुक्तिबोध को भी लगने लगा कि नई कविता के स्वरूप के प्रति लोगों में असन्तोष दिखने लगा है। यह असन्तोष बहुत-से उन कवियों में भी था, जो स्वयं उस धारा के अंग थे। ऐसी स्थिति में उस धारा का विश्लेषण-विवेचन उन असन्तुष्ट सहयात्री द्वारा होना स्वाभाविक था। मुक्तिबोध की राय थी कि नई कविता में प्रगतिशील तत्त्व बढ़ते जाएँगे, तो वह मानवता के अधिकाधिक समीप आएगी।"³

साहित्य में मानवाधिकार की चर्चा का आधार मानव है, जिसका लक्ष्य सत्य, अहिंसा, दया, मित्रता और विश्व भाईचारे के साथ-साथ मानवाधिकारों के महामंत्र- स्वतंत्रता,

समानता और न्याय करना भी है। साहित्यकार मानवाधिकारों से जुड़े प्रश्न सरल शब्दों में लिख रहे हैं। कई भारतीय साहित्यकारों ने मानवाधिकारों की वकालत करने के लिए अपनी रचनाओं का उपयोग किया है और समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छूआछूत, जाति भेद, विधवा-विवाह, आधुनिकता, स्त्री-पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता। आदिकाल के कुछ प्रमुख साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, रबिन्द्रनाथ टैगोर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय', जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ 'रेणु', सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', मैथिलीशरण गुप्त और महादेवी वर्मा का योगदान एक मुख्य उदाहरण के स्वरूप में उल्लेख करने योग्य देखा जा सकता है।

मैथिलीशरण गुप्त, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि जिन्होंने राष्ट्रकवि के रूप में कविताएँ लिखीं, जिनमें देशभक्ति, समाज सुधार और राष्ट्रीयता जैसे विषयों पर रचनाएँ शामिल हैं। प्रेमचंद का साहित्य मानव अधिकारों, विशेषकर हाशिए पर पड़े, गरीब और दलित लोगों के अधिकारों के प्रति बहुत चिंतित दिखता हुआ और उनके जीवन पर केंद्रित है। वे अपने लेखन का उपयोग सामाजिक अन्याय को उजागर करने और अधिक समतापूर्ण समाज की वकालत करने के लिए करते रहे हैं। जिनमें महिलाएँ, भूमिहीन और निचली जातियों के लोग शामिल हैं। उदाहरण के लिए उनकी कहानियाँ 'कफ़न', 'निर्मला' और 'गोदान' हैं। **“प्रेमचंद के साहित्य में सामाजिक जीवन के यथार्थ और साधारण जनता के जीवन-सन्दर्भों में समान मानव अधिकार की पहल को लेकर, किसान, स्त्री एवं हरिजन के संबंध में उनकी चिंता प्रमुख है।.. प्रेमचंद जिस किसान की बात अपनी कहानियों और उपन्यासों में लाते हैं, वे धनी किसान नहीं हैं, छोटी जाती अथवा छोटे-पूँजी के किसान हैं और दरअसल जीवन की यही विचित्र बिडम्बना है कि मानव संबंधित किसी भी क्षेत्र का छोटे**

वर्ग के साथ ही शोषण की प्रक्रिया अधिकांशतः जुड़ी रहती है।”⁴

फणीश्वर नाथ 'रेणु' ने भी प्रेमचंद की भाँति अपने उपन्यास और कहानियों में ग्रामीण जीवन का रागात्मक और रसपूर्ण चित्र खींचा है। जिसकी भाषा संवेदनशील एवं मानव भाव प्रधान है। उदाहरण के लिए उनकी कहानियाँ 'मारे गए गुलफाम', 'लाल पान की बेगम' और उपन्यास 'मैला आँचल' आदि हैं।

रबिन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कई रचनाओं में बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, शिक्षा और रोज़गार के अवसरों की कमी, विधवाओं की भयानक स्थिति जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला है। टैगोर ने 'चंडालिका' नामक कहानी लिखी, जो हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के संवेदनशील विषय को छूती है। महादेवी वर्मा की कविताएँ महिला सशक्तिकरण का प्रतिबिंब हैं। उनके नारीवादी दृष्टिकोण ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और महिलाओं को अपनी पहचान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह एक प्रमुख शिक्षिका और महिला अधिकारों की समर्थक भी थीं।

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की 'तोड़ती पत्थर' जैसी कविताएँ भी मानव संवेदना और आर्थिक समस्याओं के उदाहरण को सम्बोधित करती हुई हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय', साहित्य में एक प्रसिद्ध कवि, कथाकार, निबंधकार, पत्रकार, संपादक, यायावर और अध्यापक थे, जिन्हें प्रयोगवाद और नई कविता के लिए जाना जाता है। यह संपूर्ण साहित्य मानव, समाज और जाति वर्ग आदि को संबोधित करता हुआ लिखा गया था। प्रो. देवशंकर नवीन ने अपने लेख, "समकालीन हिंदी कवि" में लिखा है- **“चीख, विद्रोह और आक्रोश की भाषा संयत हुई, मगर सहज, सरल शब्दों में तीक्ष्ण व्यंग्य की प्रवृत्ति सामने आई। इसके प्रतिनिधि कवि रघुवीर सहाय थे। इन कविताओं में मानव-जीवन के सब रंग उपस्थित हुए।”⁵**, जिसके कुछ उदाहरण शोषण, प्रताड़ना, पाखण्ड, अशिक्षा,

शिक्षा की माफियागिरी, राजनीति का अपराधीकरण, मानवीय संबंधों को खंडित करने के षड्यन्त्र, स्त्री विमर्श, दलित प्रसंग, मानव-हत्या, दंगा-फसाद, सांप्रदायिक और जातीय दंगा, अमानवीय हरकतें, तस्करी, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ धोखाधड़ी- सब कुछ का चित्रण गंभीर संवेदना के साथ होने लगा।

वर्तमान समय में भी साहित्य चिंतन का प्रमुख विषय मानवाधिकार है। हम, साहित्य और मानवाधिकारों के कुछ उदाहरण भारत के उपन्यास, लघु कथाएँ और नाटक में उत्पीड़न, भेदभाव और संघर्ष के विषयों के साथ जो पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होने वाली शक्तिशाली कथाएँ प्रदान करते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। कई प्रमुख आधुनिक काल के भारतीय लेखक भी मुखर मानवाधिकार कार्यकर्ता रहे हैं, जिनमें केदारनाथ अग्रवाल, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अदम गोंडवी, ओमप्रकाश वाल्मीकि, मधु कंकरिया, चित्रा मुद्गल, शशि तिवारी, महुआ माझी और संजीव जैसे कुछ प्रमुख हिंदी लेखक हैं, जो हाशिए पर पड़ी आवाजों और प्रगतिशील आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। समकालीन सामाजिक-राजनीतिक विडंबना और विद्रूपता पर उनके पास असरदार और यादगार कविताएँ, गज़लें, कहानियाँ और उपन्यास हैं। साहित्यकार सामाजिक चेतना और मानवीयता से युक्त समाज का निर्माण करने के लिए अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवीय भावबोध को जागृत करते हैं। उसी से मानव अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है।

शंभुनाथ सिंह एक आधुनिक हिंदी लेखक, स्वतंत्रता सेनानी, नवगीतकार, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज के चेतन को जगाने के लिए 'हरिजन गीत' जैसी कविता भी लिखी है। चित्रा मुद्गल, श्रमिक आंदोलन से जुड़ी और घरों में झाड़ू-पोंछा कर, उत्पीड़न और बदहाली में जीवन-यापन करने वाली बाइयों के उत्थान और बुनियादी अधिकारों की बहाली के लिए संघर्षरत रहीं। संजीव उन विरल हिंदी लेखकों में से हैं, जिन्होंने अपने लेखन और विचारधारा में हाशिए पर पड़े लोगों के पक्ष में दृढ़ता से

काम किया और यह काम उन्होंने बहुत परिपक्वता के साथ किया। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में 'फांस' और 'जंगल जहाँ शुरू होता है' शामिल हैं। ओमप्रकाश वाल्मीकि की अपनी आत्मकथा 'जूठन' से पता चलता है कि किस तरह वीभत्स उत्पीड़न के बीच एक दलित रचनाकार की चेतना का निर्माण और विकास होता है। वास्तव में यह दलित चेतना के निर्माण का दहकता हुआ आलेख है। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के एक आधुनिक महत्त्वपूर्ण लेखक, नाटककार और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज में व्याप्त समस्याओं को उजागर किया। साहित्यिक ग्रंथ सत्ता और उत्पीड़न की गतिशीलता का पता लगा सकते हैं, यह बताते हुए कि कैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है और कैसे व्यक्ति अन्याय का विरोध करते हैं।

अदम गोंडवी की कविता 'मनुष्यता की मातृभाषा' में निर्धनों, वंचितों, दलितों, श्रमिकों और उत्पीड़न का शिकार स्त्रियों की फ़रियाद लेकर आती हैं। ये कुछ सामाजिक अन्याय और हाशिए पर पड़े समुदायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मुख्य उदाहरण हैं। यह जागृति प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी के साथ उन अधिकारों के लिए अपनी माँग रखने के योग्य बनाता है।

“उनका लेखन कार्य गज़लों के माध्यम से हम सबके सामने आता है। अदम गोंडवी अपनी तबीयत के शायर थे, वे अपने समकालीन परिवेश में जो कुछ भी घटते हुए देखते हैं उस पर करारा प्रहार करते चलते हैं। गोंडवी की गज़लों का सौन्दर्य ऊँचे महलों या कोठे का नहीं है, उनका सौन्दर्य है, हाथों में छाले और पैरों में फटी बिवाई का, मेहनतकश मानव का, भुखमरी और जलालत में ज़िंदगी गुज़र बसर करने वाली जनता का। वे ललकार कर कहते हैं-

वो जिसके हाँथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है
उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है”⁶

भारतीय साहित्य मानवाधिकारों के समर्थन में विभिन्न तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय साहित्य समाज के प्रति प्रतिबद्ध है और मानता है कि हम में से हर एक का नैतिक कर्तव्य और सामाजिक परिवर्तन लाने की शक्ति है। यह साहित्य में परिवर्तन लाने की अपार शक्ति के विश्वास पर आधारित है और पाठकों के प्रति लेखक की ज़िम्मेदारी सामाजिक और कलात्मक दोनों पहलुओं पर आधारित है।

भारतीय साहित्य मानवाधिकार की जागरूकता बढ़ाता है। भारत का प्राचीन साहित्य पूरी तरह से समाज केंद्रित है। प्राचीन और आधुनिक साहित्य उल्लंघन और अन्याय को उजागर कर सकता है, पाठकों को पीड़ितों के साथ सहानुभूति रखने और मानवाधिकार मुद्दों की कठिनाइयों को समझने के लिए प्रेरित करता है। कहानियों के माध्यम से मानवीय अनुभव की खोज करके, साहित्य सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देता है, आपसी भेदभाव को समाप्त करने और मानवता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है।

किसी प्रकार के आघात और प्रतिरोध का प्रलेखन करने में भी साहित्य मानवाधिकारों के दस्तावेजीकरण करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करता है। जिससे लिखे हुए साहित्य को सुनने और पढ़ने के लिए एक जगह मिल सकती है। इस प्रकार साहित्य में मानवाधिकार का विषय अभूत प्रभावशाली होता है। अक्सर साहित्य मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता, न्याय और समानता के साथ जुड़ता है। अधिकारों की रचनाओं की जाँच करने में भी साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव होता है।

भारतीय साहित्य विविध दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व भी करता है। साहित्य हाशिए पर पड़ी आवाज़ों को सुनने के लिए एक स्थान प्रदान कर सकता है, मानवाधिकार मुद्दों पर विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और समावेशिता को बढ़ावा देता है। साहित्य मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रलेखन करने तथा उनसे प्रभावित लोगों के स्वस्थ

समायोजन में सहायक एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से दबे हुए स्वरों को सुनने और उनकी कहानियों को अभिव्यक्ति का मंच प्राप्त होता है।

साहित्य, व्यक्ति को संवेदनशील बनाने में सहायता करता है। साहित्य और मानव अधिकार व्यक्ति के भीतर स्वतंत्रता, सृजनशीलता और सामाजिक रिश्ते की ऐसी बुनियाद स्थापित करते हैं, जो उसे संवेदनशील बनाने के साथ-साथ उत्तरदायित्व की दुनिया की यात्रा भी कराते हैं। साहित्य, व्यक्ति और समाज दोनों में ही उत्तरदायित्व के बोध का बीज उत्पन्न करता है, जबकि मानव अधिकारों की संकल्पना उसे पुष्पित, पल्लवित और संस्कारित कर उसे वृक्ष का आकार देते हैं, ताकि वह निरपेक्ष भाव से सभी को शीतल छाया प्रदान कर सके। शशिकांत कुमार ने अपने शोधपत्र “साहित्य में मानवीय संवेदनाएँ और सामाजिक दायित्व” में लिखा है कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक वास्तविकताओं को समझने और उनमें सुधार लाने में एक प्रभवशाली उपकरण है।

साहित्य मानव के बुनियादी अधिकारों की जानकारी देने के लिए होता है। साहित्य अंतर्मन और लोकमन की अभिव्यक्ति का माध्यम है। साहित्य का अर्थ उसी के भीतर मिला हुआ है, जो सबके हित के साथ हो, वह साहित्य चाहे भारतीय साहित्य हो, विदेशी साहित्य हो, दलित साहित्य हो या प्रवासी साहित्य हो। जिसके मूल में करुणा हो, जो मनुष्य को बेहतर बनाने की ललक से भरा हो, दरअसल वही साहित्य है। मानवाधिकार साहित्य तो वही है, जो शील की स्थापना करे और शील के लिए संघर्ष करे। मानव के बुनियादी अधिकारों के लिए खड़ा हो।

साहित्य मानव अधिकारों की खोज और वकालत करने के लिए एक शक्तिशाली साधन होता है, जो मानवीय अनुभवों की जाँच करने, सहानुभूति को बढ़ावा देने और कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। साहित्य पाठकों को मानवाधिकार

उल्लंघन, अन्याय और संघर्ष की वास्तविकताओं से अवगत करा सकता है। समझ और सहानुभूति के साथ जागरूकता बढ़ाता है। पाठकों को दूसरों के जूते में कदम रखने की अनुमति देकर, साहित्य सहानुभूति और करुणा भी पैदा कर सकता है, जिसके साथ मानवाधिकार मुद्दे अधिक प्रासंगिक और व्यक्तिगत बन सकते हैं।

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारतीय साहित्य का लक्ष्य मानवाधिकार साहित्यिक प्रेरक शक्ति की प्रेरणा के साथ जोड़ना है, जो मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष का एक मौलिक और अभिन्न तत्त्व है। एक नैतिक अवधारणा के रूप में, भारतीय साहित्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों से संबंधित है और अपने पाठकों को मानवाधिकारों को समझने और उनकी रक्षा के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि साहित्य और मानवाधिकार शक्तिशाली तरीकों से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, साहित्य मानवाधिकारों की खोज, दस्तावेजीकरण और वकालत करने के साधन के रूप में कार्य करता है, साथ ही मानवीय स्थिति और सम्मान तथा न्याय के लिए संघर्ष को भी प्रतिबिंबित करता है। मानवाधिकार साहित्य, जो सहानुभूति को बढ़ावा देता है, उसके साथ-साथ भारतीय साहित्य में उन मानवाधिकारों की चर्चा के साथ-साथ वकालत भी करनी होगी। साहित्यकारों की रचनाएँ मानव के अधिकारों की सच्चाई व्यक्त करते हुए पाठक मन को छू जाती हैं। चाहे ये रचनाएँ समकालीन या आधुनिक साहित्यकारों की हों, वे मानव के संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं को संबोधित करती हैं। जो मानवाधिकार हर मानव को प्रकृति से मिले हैं उनको छीनना और उनका दुरुपयोग करने का अधिकार तो संविधान भी नहीं देता। इसलिए हमें अपने मानवीय मूल्यों को अपनाना होगा और उन मानवाधिकारों को लागू करना होगा।



संदर्भ सूची

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_literature
2. https://ijrssi.in/upload_papers/0604202209480470_hindi%20-ravindranath%20patil.pdf
3. [https://ebooks.inflibnet.ac.in/hinp01/chapter/chapter 24 समकालीन हिंदी कविता प्रो. देवशंकर नवीन](https://ebooks.inflibnet.ac.in/hinp01/chapter/chapter%2024%20समकालीन%20हिंदी%20कविता%20प्रो.%20देवशंकर%20नवीन)
4. प्रेमचन्द के साहित्य में मानवाधिकार का यथार्थ-लेखन : डॉ. अप्रेमय मिश्र, मानव अधिकार आयोग, भारत सरकार (<https://socialwelfare.vikaspedia.in/viewcontent/social-welfare/93893e92e93e91c93f915-93894193091594d93793e/92e93e92893593e92793f91593e930-92892f940-92693f93693e90f901/92a94d93094792e91a92894d926-915947-93893e93993f92494d92f-92e947902-92e93e92893593e92793f91593e930-91593e-92f92593e93094d925?lgn=hi>)
5. [https://ebooks.inflibnet.ac.in/hinp01/chapter/chapter 24 समकालीन हिंदी कविता प्रो. देवशंकर नवीन](https://ebooks.inflibnet.ac.in/hinp01/chapter/chapter%2024%20समकालीन%20हिंदी%20कविता%20प्रो.%20देवशंकर%20नवीन)
6. https://www.apnimaati.com/2018/02/blog-post_26.html



पुष्पा सिंह

Ph.D. शोधार्थी
(राजनीति शास्त्र)
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी
फगवाडा, पंजाब
संपर्क
pushs270@gmail.com



सह-लेखक

डॉ. उदित शंकर
बाल दंत चिकित्सक व हिंदी सेवी
नंगल शामा
जालंधर कैंट-144005
संपर्क
udit.s20.94@gmail.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन

शोध सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली व्यापक नीति है, जिसका उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को सुदृढ़ करना है। यह नीति शिक्षा को समग्र, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के साथ-साथ मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन को भी प्राथमिकता देती है।

1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों से संबंधित पहला कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जन्मसिद्ध अधिकार होते हैं, जो जाति, धर्म, लिंग, भाषा या किसी भी विशेष स्थिति से मुक्त होते हैं। इनमें शिक्षा, भोजन, रोज़गार, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता जैसे अधिकार शामिल हैं।

शिक्षा को मौलिक अधिकार मानते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इस नीति में मातृभाषा, बहुभाषी शिक्षा, बहु-विषयक अध्ययन, कौशल विकास, आलोचनात्मक चिंतन और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देकर मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

यदि इस नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो एक न्यायसंगत समाज का निर्माण होगा, जहाँ सभी व्यक्तियों को समान अवसर और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होगा तथा मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन संभव हो सकेगा।

बीज शब्द

1. शिक्षा नीति 2020 2. मौलिक अधिकार 3. सुलभ 4. समावेशी
5. मानवाधिकार 6. संरक्षण 7. संवर्धन 8. संयुक्त राष्ट्र संघ
9. डिजिटल समावेशन

मूल शोध

शिक्षा एक ऐसा आयाम है, जो मनुष्य को मनुष्य कहलाने के लायक बनाती है, अर्थात् यह मनुष्य में बुद्धि, कौशल तथा कई ऐसे गुणों को विकसित करती है,

जिससे मनुष्य का वास्तविक अर्थ सिद्ध होता है, भारत सहित सारे विश्व में प्राचीन काल से शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शिक्षा किसी भी समाज के विकास की गति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की सुगंध में भारतीय शिक्षा ने एक नया मोड़ लिया। पराधीनता के दौरान जिस जनचेतना को दबा दिया गया था, उसे जागृत करने के लिए शिक्षा को नई दिशा देने का निर्णय लिया गया। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर, जनवरी 1948 में भारत के शिक्षा मंत्री ने एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। उस अवसर पर भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि पराधीन भारत में जब भी शिक्षा की योजना बनाने हेतु सम्मेलन आयोजित किए जाते थे, तब प्रचलित शिक्षा प्रणाली में केवल कुछ संशोधन कर उसे पुनः स्वीकार कर लिया जाता था। किंतु अब हमें इस प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन कर उसे राष्ट्र की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहिए। नेहरू जी के इस भाषण से प्रेरित होकर, भारत सरकार ने शिक्षा के विकास एवं सुव्यवस्थित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विषय पर परामर्श देने हेतु 4 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसे 'कोठारी आयोग' के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण पक्षों का यह अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 29 जून 1966 को प्रस्तुत कर दी। कोठारी आयोग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर आधारित रिपोर्ट को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप दिया गया। संसद में इस विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श के पश्चात् 24 जुलाई 1968 को भारत सरकार ने इसको विधिवत रूप से लागू कर दिया। प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसमें एक 'मौलिक पुनर्गठन' का आह्वान किया

गया और राष्ट्रीय एकीकरण और अधिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए समान शैक्षिक अवसरों का प्रस्ताव दिया गया।

'साहू निर्मला और हरेकृष्ण बेहरा (2022) ने अपने लेख 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य' में उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को संविधान में निहित नीति-निर्देशक तत्वों के अनुरूप तैयार किया गया था। **"Article 45 of the Indian constitution says that there should be a provision for free and compulsory education for all children up to the age of 14 years. NPE 1968 was aimed to fulfill this directive principle. It was also aimed at eliminating the barriers to quality education across all parts of the nation.**

It was also focused on students from rural, backward or tribal areas and was given special emphasis to the education of the girl child. Thus the policy introduced the 'three-language formula' as per Article 351 of the constitution and encouraged the development of 'Hindi' throughout the country."¹

अर्थात्, (" भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 का उद्देश्य इसी नीति निर्देशक सिद्धांत को पूरा करना था। इसका उद्देश्य देश के सभी भागों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बाधाओं को दूर करना भी था।

इसमें ग्रामीण, पिछड़े या आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया और बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इस प्रकार, इस नीति ने संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार 'त्रिभाषा सूत्र' लागू किया और पूरे देश में 'हिंदी' के विकास को प्रोत्साहित किया।")

भारत के संविधान द्वारा 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण और योग्यता पर बल दिया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षण की गुणवत्ता और सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना था। तथापि,

शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य अपेक्षित रूप से पूर्ण नहीं हो सका। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नीति का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जिससे शिक्षा के अवसरों में असमानता बनी रही। साथ ही, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण शिक्षा का स्तर समग्र रूप से संतुलित नहीं हो पाया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की भूमिका में शिक्षा नीति में बदलाव लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है कि-“**भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वयं एक बेशकीमत संपदा है, अमूल्य संसाधन है। ज़रूरत इस बात की है कि उसकी परवरिश गतिशील एवं संवेदनशील हो और सावधानी से की जाए। हर इंसान का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। जन्म से मृत्युपर्यन्त ज़िंदगी के हर मुकाम पर उसकी अपनी समस्याएँ और ज़रूरतें होती हैं। विकास की इस पेचीदा और गतिशील प्रक्रिया में शिक्षा अपना उत्प्रेरक योगदान दे सके, इसके लिए बहुत सावधानी से योजना बनाने और उस पर पूरी लगन के साथ अमल करने की आवश्यकता है।**”²

इसी के परिणामस्वरूप दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, जिसकी शुरुआत 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य एक न्यायसंगत और समावेशी समाज की मज़बूत नींव रखना तथा शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना था। इसमें गाँवों और शहरों दोनों में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों की शिक्षा शामिल है। 1986 की नीति ने ‘सभी के लिए शिक्षा’ का लक्ष्य निर्धारित किया, विशेषकर बालिका शिक्षा और वंचित वर्गों के लिए विशेष योजनाएँ बनाई गईं। इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। इस नीति में तकनीकी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार पर भी ज़ोर दिया गया।

हालाँकि, नीति को लागू करने में वित्तीय और प्रशासनिक समस्याएँ बनी रहीं तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर असमान ही रहा। बालिका शिक्षा

और वंचित समूहों के लिए योजनाएँ प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई और शिक्षा प्रणाली में समावेशिता और गुणवत्ता की कमी बनी रही। इन्हीं कमियों को दूर करने के उद्देश्य से 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, जिसमें समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), 21वीं शताब्दी की पहली व्यापक नीति है, जिसके माध्यम से संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को सुदृढ़ करने के प्रयास के साथ-साथ मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन को भी प्रथमिकता दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य हमारे देश के विकास के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी-4 शामिल है, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। **"Education Policy lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual. It is based on the principle that education must develop not only cognitive capacities - both the 'foundational capacities of literacy and numeracy and 'higher-order' cognitive capacities, such as critical thinking and problem solving - but also social, ethical and emotional capacities and dispositions."**³

अर्थात्, (“शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष बल देती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा न केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं - साक्षरता और संख्यात्मकता जैसी ‘आधारभूत क्षमताओं’ और आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान जैसी ‘उच्च-स्तरीय’ संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करे, बल्कि सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताओं और प्रवृत्तियों का भी विकास करे।”)

शोध उद्देश्य (Research Objectives)

इस शोध का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों और सिद्धांतों का अध्ययन करना तथा यह समझना कि यह नीति भविष्य में मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन में किस प्रकार सहायक हो सकेगी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों और सिद्धांतों का अध्ययन, मानवाधिकार संरक्षण के साथ उसके संबंध का विश्लेषण, शैक्षिक संस्थानों में मानवाधिकार संवर्धन हेतु नीति के संभावित योगदान का मूल्यांकन और नीति के कार्यान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियों की पहचान कर उनके समाधान के उपाय सुझाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

शोध विधि (Research Methodology)

यह शोध कार्य मुख्य रूप से साहित्य समीक्षा, विवरणात्मक अनुसंधान, सर्वेक्षण विधि और तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित होगा। साहित्य समीक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेजों, शोध पत्रों और मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाएगा। विवरणात्मक अनुसंधान के माध्यम से नीति के उद्देश्यों और प्रावधानों का विश्लेषण कर उनके मानवाधिकार संरक्षण में संभावित योगदान को समझने का प्रयास किया जाएगा। अंत में, तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से पुरानी नीतियों की तुलना करके यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में कितना प्रगतिशील और प्रभावी हो सकती है।

मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन (Protection and Promotion of Human Rights)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य केवल शिक्षा में सुधार करना नहीं है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन भी सुनिश्चित करना है। यह नीति शिक्षा के अधिकार के विस्तार, लैंगिक समानता, सांस्कृतिक विविधता और समावेशिता जैसे मूलभूत

मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करती है।

मानवाधिकारों का संरक्षण (Protection of Human Rights)

नई शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वर्गों के छात्रों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों, विशेषकर उन समुदायों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक कारणों से हाशिये पर रह जाते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए भी समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रभावी कदम उठाने की बात कही है। इन विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे- सहायक उपकरण, अनुकूलित पाठ्यक्रम और संवेदनशील शिक्षण विधियाँ अपनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रकार, नीति का उद्देश्य एक ऐसी समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जहाँ प्रत्येक बच्चे को समान अवसर, सम्मान और अधिकार के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो।

मानवाधिकारों का संवर्धन (Promotion of Human Rights)

नई शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य है, जो शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और समावेशी बनाने पर बल देता है। इस नीति के माध्यम से नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का भी प्रयास किया गया है, ताकि विद्यार्थी न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, बल्कि दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें। शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे तत्वों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है, जो सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा की भावना को बढ़ावा दें। इसके साथ ही, नीति का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें

समानता, न्याय और सम्मान की भावना का व्यापक प्रसार हो। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दृष्टिकोण एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाना है।

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में आने वाली चुनौतियाँ

हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सकारात्मक पहल की है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। ये चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं :

आर्थिक असमानता और संसाधनों की कमी

भारत में आर्थिक असमानता एक प्रमुख चुनौती है, जो विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति को गहराई से प्रभावित करती है। इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधाओं की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जैसे आधुनिक स्कूल भवनों, डिजिटल संसाधनों, पुस्तकालयों, विज्ञान प्रयोगशालाओं और शिक्षण सामग्री का अभाव। इसके अतिरिक्त, योग्य शिक्षकों की कमी भी वंचित समूहों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने में बाधा बनती है। आर्थिक असमानता के कारण डिजिटल डिवाइड (डिजिटल असमानता) और अधिक बढ़ जाती है, विशेष रूप से तब जब शिक्षा में डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा हो। इस संदर्भ में एनईपी 2020 की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इसने वास्तव में वंचित वर्गों के लिए शिक्षा तक पहुँच को सरल बनाया है, क्या गाँवों और गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है और क्या उनकी शिक्षा शहरी एवं संपन्न वर्ग के बच्चों के बराबर है।

आर. सरकार के शोध पत्र “नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और सामाजिक न्याय” में भी इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है कि-“The NEP aims to

ensure that all children, regardless of their socio-economic background, gender, caste or disability, have access to education. It stresses the importance of providing equal opportunities and eliminating barriers that hinder the participation of marginalized and disadvantaged groups. To add more, it can be put in record that the new NEP focused on achieving equity and inclusion. In the context of higher education or schooling, inclusion entails reorganizing the entire system with the goal of assuring a wide array of educational options, including curriculum, pedagogy, recreational opportunities, etc. The goal of the policy is to prevent the segregation and isolation of racial and ethnic minorities, people with disabilities and people who experience language-related learning challenges and run the risk of being left out of educational opportunities. By using language to make sense of the world, we can establish and destroy power, authority and legitimacy. The objective of NEP 2020 is for all people to be competent in many languages at various educational levels.”⁴

अर्थात्, (“एनईपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग, जाति या विकलांगता कुछ भी हो, शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो। यह समान अवसर प्रदान करने और हाशिये पर पड़े व वंचित समूहों की भागीदारी में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करने के महत्त्व पर जोर देता है। इसके अलावा, यह भी कहा जा सकता है कि नई एनईपी ने समानता और समावेशिता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उच्च शिक्षा या स्कूली शिक्षा के संदर्भ में, समावेशिता का अर्थ है संपूर्ण प्रणाली का पुनर्गठन, जिसका लक्ष्य पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, मनोरंजन के अवसर आदि सहित शैक्षिक विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला सुनिश्चित करना है। इस नीति का लक्ष्य नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यकों, विकलांग लोगों और भाषा संबंधी सीखने की चुनौतियों का सामना करने वाले और शैक्षिक अवसरों से वंचित होने के जोखिम वाले लोगों के अलगाव और एकाकीपन को रोकना है। दुनिया को समझने के लिए भाषा का उपयोग करके, हम शक्ति, अधिकार और वैधता को स्थापित और नष्ट

कर सकते हैं। एनईपी 2020 का उद्देश्य सभी लोगों को विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर कई भाषाओं में सक्षम बनाना है।”)

आर्थिक असमानता और सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ शिक्षा के अवसरों को सीमित कर देती हैं। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जब तक ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को उपयुक्त शैक्षिक संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक और डिजिटल सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जातीं, तब तक समान शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रहेगा। साथ ही, यह भी इंगित किया गया है कि एनईपी 2020 जैसे नीतिगत प्रयास तभी सफल हो सकते हैं, जब इन्हें ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ उनके मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी महत्वपूर्ण है कि नीति वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक दबाव को किस हद तक संबोधित करती है। इस प्रकार, उनका शोध विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि एनईपी 2020 का समानता और समावेशन का वादा अभी भी चुनौतियों से घिरा हुआ है। नीति को केवल आदर्श दस्तावेज़ न बनकर वंचित समूहों के लिए वास्तविक परिवर्तन का साधन बनना होगा।

सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव

भारतीय समाज के ढाँचे में जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव गहराई से जड़ें जमाए हुए है। मिता सोनी और डॉ. अमरजीत कुमार ने अपने लेख “मानवाधिकार, लैंगिक समानता एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक संक्षिप्त अवलोकन” में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के प्रति समाज में व्याप्त नकारात्मक दृष्टिकोण शिक्षा में एक बड़ी बाधा का रूप ले लेता है।

“The ability of India to provide its citizens with access to education of high quality is critical to the country's ability to maintain its ascent and its

leadership position on the global stage in areas such as economic growth, social fairness and equality, scientific advancement, national integration and the preservation of cultural traditions. To ensure that our tremendous pool of talent and resources can be cultivated and put to use for the benefit of our people, our nation and the world at large, the greatest way for our country to move forward is to ensure that every one of its citizens receives a first-rate education.”⁵

अर्थात्, (“भारत द्वारा अपने नागरिकों को उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की क्षमता, आर्थिक विकास, सामाजिक निष्पक्षता और समानता, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में वैश्विक मंच पर अपनी उन्नति और अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी प्रतिभा और संसाधनों के विशाल भंडार का विकास किया जा सके और हमारे लोगों, हमारे राष्ट्र और समग्र विश्व के लाभ के लिए उनका उपयोग किया जा सके, हमारे देश के लिए आगे बढ़ने का सबसे बड़ा तरीका यह सुनिश्चित करना है कि उसके प्रत्येक नागरिक को प्रथम श्रेणी की शिक्षा प्राप्त हो।) ”

शैक्षणिक संस्थानों में भी कई बार ऐसे भेदभाव दिखाई देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यह स्थिति केवल शैक्षिक प्रगति को ही नहीं रोकती, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के उद्देश्यों को भी कमजोर करती है। लेखकों का मानना है कि सामाजिक पूर्वाग्रहों का उन्मूलन केवल नीतिगत प्रावधानों के माध्यम से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के सभी स्तरों पर व्यापक जागरूकता, संवेदनशीलता और सोच में परिवर्तन लाना अनिवार्य है। जब तक मानसिकता में यह बदलाव नहीं आएगा, तब तक समानता और समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन बना रहेगा।

नीति का प्रभावी क्रियान्वयन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को

सफलतापूर्वक लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों में नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में भिन्नता पाई जाती है, जिससे समानता और समावेशिता के उद्देश्य को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है। नौकरशाही की जटिलताएँ, संसाधनों की कमी और संस्थागत ढाँचे की कमज़ोरियाँ भी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में अड़चनें उत्पन्न कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, नीतिगत लक्ष्यों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इस प्रकार, शोध विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि एनईपी 2020 का समानता और समावेशन का वादा अभी भी चुनौतियों से घिरा हुआ है। नीति को केवल आदर्श दस्तावेज़ न बनकर वंचित समूहों के लिए वास्तविक परिवर्तन का साधन बनना होगा।

संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकार शिक्षा की कमी

शिक्षा के पाठ्यक्रम में नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों की शिक्षा का समुचित समावेश न होना एक गंभीर चुनौती है। अधिकांश विद्यालयों में इन विषयों को औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया गया है या उन्हें पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया जाता। विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि इन्हें शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रमुखता से शामिल किया जाए। यह भी आवश्यक है कि शिक्षक इन मूल्यों को प्रभावी रूप से विद्यार्थियों तक पहुँचाने में सक्षम हों।

भाषा और सांस्कृतिक विविधता की उपेक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में, शिक्षा प्रणाली में विविध सांस्कृतिक पहचान और भाषाई अधिकारों का समुचित

सम्मान नहीं हो पाना, वंचित समुदायों को मुख्यधारा में शामिल करने में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। यह समस्या विशेष रूप से आदिवासी समुदायों और भाषाई अल्पसंख्यकों के संदर्भ में अधिक गंभीर हो जाती है।

समावेशी शिक्षा के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, लेकिन विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री, सहायक उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक बड़ी बाधा बनती है। विद्यालयों में रैंप, ब्रेल पुस्तकें, सांकेतिक भाषा में पाठ्यक्रम और अन्य सहायक उपायों का अभाव देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षक प्रशिक्षण में भी विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए संस्थागत और संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है।

प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन की कमी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक सशक्त तंत्र की अनुपस्थिति भी एक गंभीर चुनौती है। नीति के उद्देश्यों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच की प्रगति का आकलन करने के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन से संबंधित प्रयासों के प्रभाव का समुचित मूल्यांकन किया जाए, ताकि भविष्य में नीति सुधार की दिशा में सार्थक कदम उठाए जा सकें।

नई शिक्षा नीति 2020 और मानवाधिकार संरक्षण की चुनौतियाँ एवं सुधार के सुझाव

नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह नीति सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। हालाँकि,

मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में इस नीति के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं और यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मानवाधिकार शिक्षा पर पर्याप्त ज़ोर नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नीति में मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना या कार्यान्वयन तंत्र भी प्रस्तावित नहीं किया गया है। यदि नीति का उद्देश्य मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन को प्रभावी रूप से प्राप्त करना है, तो इसमें निम्नलिखित सुधार और संशोधन आवश्यक हैं:

सुधार और संशोधन (Suggestions and Amendments)

मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानवाधिकार शिक्षा को औपचारिक रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
- प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर संवैधानिक मूल्यों, नैतिकता और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए।
- पाठ्यक्रम में समानता, न्याय, सम्मान, सहिष्णुता और विविधता के मूल्य समाहित करने चाहिए।

व्यवस्थित कार्ययोजना का निर्माण

- मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।
- इस कार्ययोजना में नीति के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट लक्ष्य, समय सीमा, निगरानी तंत्र और मूल्यांकन के मानदंड शामिल होने चाहिए।

शिक्षकों का प्रशिक्षण और संवेदनशीलता निर्माण

- शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना

चाहिए, ताकि वे विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न कर सकें।

- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानवाधिकार शिक्षा, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक समावेशिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा के लिए संसाधनों का विकास

- विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री, सहायक उपकरण और अनुकूलित पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।
- ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकार शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान

- विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए।
- शैक्षिक संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों (सेमिनार, कार्यशालाएँ, परिचर्चाएँ) के माध्यम से विद्यार्थियों को इन विषयों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास होना चाहिए।

निगरानी और मूल्यांकन तंत्र का सशक्तिकरण

- नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक सशक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
- समय-समय पर नीति के प्रभाव का आकलन कर उसमें आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए।

विविधता और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान

- शिक्षा प्रणाली में विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतिगत सुधार किए जाने चाहिए।

- मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य समावेशी और समान शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। यह नीति सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने और एक न्यायसंगत समाज के निर्माण की दिशा में प्रयासरत है। हालाँकि, मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में यह नीति कई चुनौतियों का सामना कर रही है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मानवाधिकार शिक्षा पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नीति में मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना या कार्यान्वयन तंत्र भी प्रस्तावित नहीं किया गया है।

यदि नीतियों में सुझाए गए सिद्धांतों को शामिल किया जाता है, तो यह मानवाधिकार संरक्षण और शांति के उद्देश्य को अधिक प्रभावी रूप से प्राप्त करने में सक्षम होगी। इस प्रकार, नई शिक्षा नीति 2020 को एक समतामूलक और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली की दिशा में एक प्रभावी नीति बनाने के लिए आवश्यक सुधार करना अनिवार्य है।



संदर्भ सूची

1. 'साहू निर्मला और हरेकृष्ण बेहरा साहू, (2022). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. <https://doi.org/10.22214/ijarset.2022.44872>.
2. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986', भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, वर्ष-1986, भूमिका, पृष्ठ सं- 1 (https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE1986_H.pdf)

3. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020', मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), भारत सरकार, वर्ष - 2020, पृष्ठ सं- 04 (https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf)
4. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और सामाजिक न्याय', आर. सरकार, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इम्पैक्ट, खंड 8, अंक 3, 2023, पृष्ठ सं- 03, DIP: 18.02.004/20230803, DOI: 10.25215/2455/08035.
5. 'ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एवं NEP - 2020: एक संक्षिप्त अवलोकन', मीता सोनी, अमरजीत कुमार, मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान पत्रिका, उज्जैन, 2024, खंड 29, अंक 3, पृष्ठ सं- 28, DOI: 10.13140/RG.2.2.19232.39683



आन्ना पोनोमरेंको

हिंदी प्रध्यापिका
कीव राष्ट्रीय तारास शेव्चेंको
विश्वविद्यालय
यूक्रेन, पूर्वी यूरोप
संपर्क
msannapon@gmail.com

आधुनिक हिंदी स्त्री-काव्य में मानवाधिकार (भारती पंडित और दोलन रॉय की कृतियों के विशेष संदर्भ में)

शोध सारांश

भारतीय समाज में स्त्री-स्थिति सदैव जटिल विमर्श का विषय रही है। भले ही भारतीय संविधान ने स्त्रियों को समानता व स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए हों, परंतु सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक रूढ़ियाँ और पितृसत्तात्मक संरचनाएँ आज भी स्त्री-अधिकारों के पूर्ण विकास में अवरोध उत्पन्न करती हैं। आधुनिक हिंदी स्त्री-काव्य और कहानी-विधा ने इस संघर्ष, मनोवैज्ञानिक दबाव, भावनात्मक श्रम और अस्तित्व-अनुभूति को नवीन संवेदनाओं के साथ उकेरा है। प्रस्तुत शोध-पत्र समकालीन हिंदी साहित्य की दो महत्वपूर्ण लेखिकाओं- भारती पंडित और दोलन रॉय के सृजन का विश्लेषण करता है। इनके साहित्य में स्त्री के आत्मबोध, अकेलेपन, वैवाहिक संस्था, स्वतंत्रता-चेतना और सामाजिक मूल्यांकन के विरुद्ध प्रतिरोध की धारा स्पष्ट दिखाई देती है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये लेखिकाएँ अपनी काव्य कृतियों में स्त्री को प्रायः करुणा-पात्र नहीं, बल्कि आत्म-निर्णय की समर्थ, स्वाभिमानी और अधिकार-संपन्न मानवीय इकाई के रूप में प्रस्तुत करती हैं। यह शोधालेख स्त्री-मानवाधिकारों पर आधारित समकालीन विमर्श को नई वैचारिक ऊर्जा और सामाजिक दिशा प्रदान करता है।

बीज शब्द

1. भारती पंडित
2. दोलन रॉय
3. स्त्री-अधिकार
4. पितृसत्ता
5. आत्म-पहचान
6. लैंगिक असमानता
7. भावनात्मक संघर्ष
8. वैवाहिक संस्था
9. स्त्रीवादी काव्य
10. सामाजिक मानदंड

शोध-उद्देश्य

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य समकालीन हिंदी स्त्री-लेखन में स्त्री-अधिकार चेतना की प्रकृति, संरचना और अभिव्यक्ति का सम्यक मूल्यांकन करना है। हिंदी साहित्य में स्त्री-अनुभवों और उनकी गरिमा, स्वतंत्रता तथा भावनात्मक स्वायत्तता के प्रश्नों को सदैव महत्वपूर्ण स्थान मिला है, किंतु इक्कीसवीं सदी के सामाजिक-

वैचारिक परिवेश में यह विमर्श अधिक प्रखर और बहुआयामी रूप में विकसित हुआ है। इस संदर्भ में यह शोध भारती पंडित और दोलन रॉय जैसी प्रमुख रचनाकारों के साहित्य का विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास करता है कि समकालीन लेखन में स्त्री-अधिकार किस प्रकार संवैधानिक विमर्श से आगे बढ़कर अनुभवजन्य, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक आयाम ग्रहण करता है।

इसमें यह भी विचार किया गया है कि आधुनिक स्त्री अनुभव केवल बाह्य सामाजिक उत्पीड़न या पितृसत्तात्मक दबाव तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आंतरिक संघर्षों, आत्म-संशय, भावनात्मक दृढ़ता और आत्म-निर्णय की प्रक्रियाओं से भी निर्मित होता है। साथ ही उक्त शोध, विवाह-संस्था, सामाजिक-नियमन, नैतिक अनुशासन और स्त्री की स्वायत्तता पर केंद्रित सामाजिक-मानसिक धारणाओं की आलोचनात्मक समीक्षा करता है। इस प्रक्रिया में यह विश्लेषण किया गया है कि स्त्री किस प्रकार सामाजिक अपेक्षाओं, संबंधों की परिभाषाओं और पारंपरिक भूमिकाओं के बीच स्वयं के अस्तित्व को पुनर्परिभाषित करती है तथा किस प्रकार अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सजग होती है। इस प्रकार यह शोध हिंदी स्त्री-साहित्य में उभरती नई स्वतंत्र स्त्री-पहचान और उसकी वैचारिक-भावनात्मक यात्रा को समझने का प्रयत्न है।

मूल शोध

भारतीय स्त्री-अधिकार विमर्श का उद्भव उन्नीसवीं शताब्दी के सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलनों से जुड़ा है, जहाँ महिला-शिक्षा, आत्मसम्मान और समानाधिकार की अवधारणा पहली बार संगठित रूप से सामने आई। इस चिंतन-परंपरा में सावित्रीबाई फुले की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्होंने स्त्री-शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का आधार माना और महिलाओं को बौद्धिक स्वायत्तता

प्रदान करने हेतु विद्यालयों, सामाजिक अभियानों और साहित्यिक अभिव्यक्तियों को माध्यम बनाया। “**भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 1881 और 1920 के बीच महाराष्ट्र में चल रहे राष्ट्रवादी विमर्श ने भी लड़कियों और गैर-ब्राह्मणों के लिए स्कूल खोलने का विरोध किया और इसे राष्ट्रीयता का हनन बताया। इसने फुले के महिलाओं और दलितों को शिक्षित करने के मार्ग में एक और बाधा का काम किया।**”¹

यह ऐतिहासिक हस्तक्षेप आगे चलकर स्त्रीवादी विचारधारा की आधारशिला बना तथा इसने भारतीय सामाजिक संरचना में महिला-स्वाधिकार को नैतिक और वैचारिक वैधता प्रदान की। बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध से हिंदी साहित्य में स्त्री-चेतना का विस्तार अधिक सुस्पष्ट रूप में उभरता है, जहाँ स्त्री मात्र घरेलू दायित्वों की परिभाषा न होकर जीवंत, विचारशील और स्वायत्त व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत होती है।

समकालीन हिंदी स्त्री-लेखन में यह प्रवृत्ति और अधिक प्रखर हो जाती है। भारती पंडित और दोलन रॉय जैसी लेखिकाएँ स्त्री-अस्तित्व को भावनात्मक अनुभव, सामाजिक प्रतिरोध और आत्म-पहचान के जटिल समन्वय में रेखांकित करती हैं। इनके साहित्य में स्त्री-अधिकारों का विमर्श केवल संवैधानिक अधिकारों तक सीमित नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्वाधीनता, संवेदनात्मक गरिमा और सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत प्रतिरूप है।

इनकी रचनाएँ पितृसत्तात्मक संरचना द्वारा निर्मित स्त्री-छवियों की आलोचनात्मक पुनर्व्याख्या प्रस्तुत करती हैं तथा यह प्रमाणित करती हैं कि स्त्री सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी स्वतंत्र विचार-क्षमता, भावनात्मक अधिकार और आत्म-निर्णय हेतु समान रूप से पात्र है। इस प्रकार, आधुनिक हिंदी स्त्री-काव्य भारतीय स्त्री-

अस्तित्व को न्याय, गरिमा और स्वाभिमान की वैचारिक भूमि पर पुनर्स्थापित करता है।

कवयित्री भारती पंडित के साहित्य में स्त्री-अस्तित्व और भावनात्मक यथार्थ

भोपाल की भारती पंडित जी का एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है 'एक मौत के बाद और अन्य कहानियाँ'। हमारे साक्षात्कार में भारती जी ने बताया कि उन्होंने 'एक मौत के बाद' नामक कहानी अपने पति की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मृत्यु के बाद लिखी थी और इसे आगे लिखने का फैसला तब किया था, जब उन्हें एक महिला का फोन आया था, जिसके पति की कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी और उसने इस क्षति से उबरने में मदद माँगी थी। हमारी बातचीत में लेखिका ने स्वीकार किया कि इस क्षति को स्वीकार करने में उन्हें दस महीने लगे तथा कविताएँ और कहानियाँ लिखना उनके लिए एक परिचित गतिविधि है तथा जीवन में चुनौतियों से निपटने का एक तरीका भी है।

'एक मौत के बाद' की कहानी में एक महिला की पीड़ा और निराशा के हर चरण को दर्शाया गया है, जो अपने जीवन साथी को खो देने के कारण परेशान होती रहती है। उसे अचानक आज़ादी मिलती है मुख्यतः गृहस्थ के कर्तव्य से और वह समझ नहीं पाती कि अभी अकेली वह क्या करे। साथ में यह कि उसको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या आदत और कार्य अपनाता होता है। यह है किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद जीवित रहने के निर्देश जैसे। वह स्वीकार करती है: "हम औरतें शायद सारी ज़िंदगी अपने लिए जीती ही नहीं हैं" अब समझ में आया कि इतने साल में मेरी अपनी पसंद-नापसंद कुछ बची ही नहीं थी। लेखिका भारती पंडित के अनुसार- 'कुछ कहानियाँ आसपास से जन्म लेती हैं और कुछ कहानियाँ हमारे अपने जीवन से प्राणवायु पाती हैं। यह मेरा दूसरा कहानी-संग्रह और तीसरी प्रकाशित पुस्तक है। इस कहानी संग्रह की सभी कहानियाँ उस समय की

हैं जब मैं जीवन के भारी झंझावात से गुज़र रही थी। इस संग्रह में पाँच कहानियाँ हैं, जिनमें पहली शीर्षक कहानी 'एक मौत के बाद' मेरे अपने संघर्ष की कहानी है, अकेलेपन को एकांत बनाने की कहानी है। 'दास्तान ए अजब इश्क' मेरी पसंदीदा कहानी है, जो एक फेसबुक मित्र की आपबीती से प्रेरित है। 'रास्ते प्यार के' कहानी की बिल्लो और 'सुंदरी' कहानी की नायिका मेरे मन में स्थित बिंदास और मुक्त स्त्री की परिकल्पना है, जो कहानी की नायिकाओं के रूप में साकार हुई है।"²

रचनाकार की उक्त अभिव्यक्ति यह स्पष्ट करती है कि भारतीय सामाजिक संरचना में विवाह केवल दो व्यक्तियों का भावनात्मक या पारिवारिक संयोग भर नहीं, बल्कि एक गहन सांस्कृतिक संस्था है, जो स्त्री की पहचान, अधिकार-बोध और जीवन-निर्णयों पर व्यापक प्रभाव डालती है। परंपरागत पितृसत्तात्मक व्यवस्था में वैवाहिक संबंधों की परिकल्पना प्रायः पुरुष-केंद्रित मूल्यों पर आधारित रही है, जहाँ स्त्री से अपेक्षा की जाती है कि वह परिवार, विशेषतः पति के जीवन और इच्छाओं के अनुरूप स्वयं को ढाले। ऐसी स्थिति में स्त्री का व्यक्तित्व, उसकी पसंद-नापसंद, इच्छाएँ-आकांक्षाएँ और व्यक्तिगत स्वायत्तता धीरे-धीरे सामूहिक भूमिकाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के दबाव में धूमिल होने लगती है।

यह मनो-सामाजिक प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक सांस्कृतिक आदतों और ऐतिहासिक धारणाओं का परिणाम है, जिसके अंतर्गत स्त्री को 'त्याग' और 'कर्तव्य' की प्रतिमूर्ति के रूप में देखा जाता है। परिणामस्वरूप, विवाह संस्था अक्सर स्त्री के आत्म-विकास और स्व-परिभाषा के अवसरों को नियंत्रित कर देती है और वह अपनी मूल पहचान से अधिक संबंधों की छाया-पहचान जीने लगती है। इस प्रकार, वैवाहिक ढांचे की आलोचनात्मक पुनर्व्याख्या आधुनिक स्त्री-विमर्श का केंद्रीय कार्य हो जाती है, जो स्त्री को स्वयं के जीवन-पथ की निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करती है।

भारती पंडित इस संक्रमण को आत्म-निर्माण का बिंदु मानती हैं: अपनी रचनाधर्मिता पर उनका कहना है- “हर दिन अकेलापन एक नई चुनौती लेकर आता था” अब खाली समय में किताब पढ़ना, लिखना- मेरी प्राथमिकता में रहता है।” अपनी कविता ‘आओ ज्योत जलाएँ’ में वे लिखती हैं-

“आओ हर दहलीज पर
जगमग ज्योत जलाएँ.
गहन निराशा के तम में
एक आस किरण दमकाएँ.
अज्ञान-अशिक्षा के तम को
शिक्षा की लौ से दूर भगाएँ.
हिंसा में तपते जीवन को
शान्ति वृक्ष की छाँव दिखाएँ.
दुःख से बंजर बनते घर को
नंदन वन-सा महकाएँ,
आओ ज्योत जलाएँ।”³

यह स्त्री-आत्मावलोकन नारी-स्वतंत्रता का गहरा सामाजिक-मनोवैज्ञानिक अभिलेख है, क्योंकि यहाँ स्त्री केवल व्यक्तिगत क्षति का अनुभव नहीं करती, बल्कि अपनी पहचान की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया बाहरी भूमिकाओं और सामाजिक अपेक्षाओं से हटकर आत्म-विमर्श, आत्म-स्वीकृति और आत्म-निर्णय की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार आत्मावलोकन स्त्री के अंदर स्वतंत्र अस्तित्व की चेतना जगाता है तथा उसे पितृसत्तात्मक संरचनाओं से परे स्वयं के जीवन-विन्यास को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

कवयित्री दोलन रॉय के काव्य में स्त्री-स्वतंत्रता और प्रतिरोध

महाराष्ट्र प्रदेश की लेखिका व कवयित्री दोलन रॉय की कविताओं में आधुनिक भारतीय स्त्री का स्वर केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह सामाजिक संरचनाओं, नैतिक अनुशासन और

लैंगिक निगरानी के विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध की चेतना के रूप में उभरता है। उनकी रचनाओं में स्त्री-उपस्थिति एक वैचारिक क्रिया है, जहाँ स्त्री का अकेले होना, हँसना, खुलकर जीवन जीना मात्र व्यक्तिगत चयन नहीं, बल्कि समाज द्वारा आरोपित नैतिक अनिवार्यताओं को चुनौती देने का सांस्कृतिक विधान बन जाता है।

दोलन रॉय संकेत करती हैं कि भारतीय समाज में स्त्री-स्वतंत्रता को संदेह, शंका और नैतिक मूल्यांकन के फ्रेम में देखा जाता है। उनकी कविता में उठाए गए प्रश्न- “अकेली क्यों है वह?– इतनी उन्मुक्त क्यों है?”, प्रकट करते हैं कि स्त्री की स्वतंत्र गतिशीलता को सामाजिक दृष्टि निरंतर परखती है और उसे एक मानकीकृत स्त्री-आचरण में बाँधने का प्रयास करती है। यह प्रक्रिया Moral Policing और सामाजिक अनुशासन का प्रतीक है, जो स्त्री को व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार से वंचित कर उसकी मूर्त भूमिका निर्धारित करना चाहता है।

“देखो तो भला!

क्या-क्या बातें करने लगी?

आत्मिक सुख संतुष्टि और

त्याग नेपथ्य में छिपा हुआ

तिरस्कार और परित्याग

मन में लेकर आग

शारीरिक सुख

अपनी ज़रूरतों की बात करने लगी

भटक गई है, स्त्रियाँ

स्वाभिमान, अभिमान के साथ

जीना चाहती है

क्या होना चाहती है अनाथ?

नहीं चाहती अब किसी का साथ।”⁴

दोलन रॉय इस निगरानी-तंत्र के विरुद्ध स्त्री की आत्म-सत्ता, स्वतंत्र निर्णय-क्षमता और स्वाभिमान को केंद्र में रखती हैं: ‘स्वाभिमान’ के साथ जीना चाहती है” नहीं चाहती अब किसी का साथ”। इस पंक्ति में स्त्री न तो

सामाजिक सुरक्षा-वृत्त की माँग करती है और न ही उसके समक्ष पुरुष-निर्भरता को जीवन का आवश्यक आधार माना गया है। इस प्रकार, दोलन रॉय का काव्य पितृसत्ता द्वारा निर्मित 'आदर्श स्त्री' की छवि, जो कोमलता, शालीनता और निर्भरता की सीमाओं में बँधी है, का विखंडन कर स्त्री को स्वतंत्र, सशक्त और आलोचनाशील इकाई के रूप में प्रतिष्ठित करता है।

कवयित्री बताती हैं कि अब महिला आसमान और धरती के बीच, रसोई (एक आदर्श पत्नी की छवि) और पोस्टर (एक सेक्सी आधे कपड़े पहने महिला की) के बीच लटकी हुई है। परंपराओं पर पुनर्विचार करके महिलाएँ खुद से अलग-अलग सवाल पूछने लगी हैं, खुद को ढूँढने लगी हैं। अपनी ज़रूरतों की बात करने लगी हैं। अब स्त्री किसी का साथ नहीं चाहती; बस अभिमान के साथ जीना चाहती है। 'रसोई से उड़कर' कविता में यह स्वर स्पष्टतः मुखरित हुआ है।

“रसोई से उड़कर
पोस्टर में अटकी
धरती और आसमान के
बीच लटकी
भटक गई हैं, स्त्रियाँ
मापदंडों को खटकी
परंपरा से चटकी
सवाल करने लगी
जवाब ढूँढने लगी
समझने लगी, समझाने भी लगी
कौन कर रहा है?
उनके साथ ठगी
भटकी गई हैं, स्त्रियाँ
अपने घर में
अपने ही स्वर में
अपने शहर में
भरी दोपहर में।”⁵

दोलन रॉय के काव्य संकलन में 'आंदोलित हुआ देवालय', 'श्मशान वैराग्य', 'शतरूपा', 'अरण्य' संग्रह शामिल हैं। कविताओं के अलावा दोलन रॉय घास काटनेवाली आदिवासी औरतों के बारे में एक उपन्यास भी लिख रही हैं जो उनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताता है कि उन औरतों को लेकर उनके समाज के कम पढ़े लिखे लोगों की किस तरह की सोच होती है, वे निर्दोष लोग प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं, उनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी ही भाषा प्रयोग करके दोलन जी यह उपन्यास लिख रही हैं।

आखिर में हम यह देख सकते हैं कि इन दोनों प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली लेखिकाओं और कवयित्रियों के लिए स्त्री और स्त्री के संदर्भ में मानव-अधिकार का विषय अति महत्वपूर्ण है। चूँकी बार-बार अपनी कहानियों में अपनी कविताओं में वे दोनों, स्त्री की आंतरिक भावनाओं, उनकी सच्ची ज़रूरतों को खोलते हुए आधुनिक समाज में स्त्री की स्थिति पर ध्यान खींचती रहती हैं।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

उपर्युक्त विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है कि दोनों लेखिकाओं के सृजन में स्त्री-चेतना बहुआयामी और गहन आत्मान्वेषी रूप में उभरती है। इनके साहित्यिक विमर्श में भावनात्मक श्रम, अकेलेपन का अनुभव, देह-राजनीति और आत्म-निर्णय जैसे विमर्श-तत्त्व केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। भावनात्मक श्रम की अवधारणा के तहत स्त्री के संबंधों में आत्म-विलोपन तथा उसके भीतर निरंतर संचरित त्याग-संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। अकेलेपन को ये लेखिकाएँ विछिन्नता नहीं, बल्कि आत्म-साक्षात्कार और स्वतंत्र विकल्पों की प्रक्रिया के रूप में देखती हैं। जहाँ भारती पंडित के यहाँ यह एक आंतरिक यात्रा और निजी अस्तित्व की खोज का माध्यम है, वहीं दोलन रॉय के यहाँ वही अकेलापन स्त्री के सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक प्रतिरोध, अपनी उपस्थिति के स्वाभिमानी उद्घोष और गरिमा-स्थापना का प्रखर साधन बन जाता

है। देह-राजनीति के संदर्भ में समाज द्वारा स्त्री-शरीर पर नैतिक निगरानी एवं नियंत्रण-युक्त दृष्टि के विरुद्ध, स्त्री-अधिकार और आत्म-स्वामित्व की माँग का स्वर मुखर होता है। इसी प्रकार आत्म-निर्णय का प्रश्न पितृसत्तात्मक संरचनाओं से परे जाकर स्त्री के जीवन-निर्णयों, चयन-स्वतंत्रता तथा उसके भावनात्मक और बौद्धिक स्वायत्त अस्तित्व को प्रतिष्ठित करता है। समग्रतः, इन लेखिकाओं का साहित्य यह सिद्ध करता है कि स्त्री-अधिकार केवल सामाजिक या कानूनी विमर्श का विषय नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा, आत्म-सम्मान, चयन की स्वतंत्रता और भावनात्मक आत्मनिर्भरता का आधारभूत प्रश्न है। यह साहित्य स्त्री-जीवन के अनुभवों को अस्तित्ववादी, सामाजिक-राजनीतिक और नैतिक परिप्रेक्ष्य से विश्वसनीय, संवेदनशील तथा वैचारिक दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः भारती पंडित और दोलन राय का साहित्य समकालीन स्त्री-अनुभव का सशक्त और प्रमाणिक प्रतिपादन प्रस्तुत करता है, जो स्त्री-जीवन को करुणा या दया की दृष्टि से नहीं, बल्कि स्वायत्त, विवेकशील, आत्मनिर्णायक और अधिकार-सचेत अस्तित्व के रूप में स्थापित करता है। इन लेखिकाओं के यहाँ स्त्री केवल सामाजिक भूमिकाओं की वाहक नहीं, बल्कि अपनी आकांक्षाओं, संवेदनाओं और निर्णयों की स्वामी है, जो पितृसत्ता द्वारा आरोपित परंपरागत सीमाओं से परे जाकर स्वयं अपने जीवन का विन्यास करती है। इनके लेखन से यह बोध दृढ़ होता है कि स्त्री-अधिकार मात्र संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा, सम्मान, पहचान और भावनात्मक स्वाधीनता का मूलधार है। भले ही आधुनिक समाज में स्त्री-स्वतंत्रता को लेकर अनेक रुढ़िगत धारणाएँ और मानदंड अभी भी मौजूद हैं, किंतु साहित्यिक चेतना और स्त्री-विमर्श के ये स्वर परिवर्तन की दिशा में सार्थक संवाद स्थापित कर रहे हैं। यह साहित्य सामाजिक संवेदनशीलता को उन्नत करता है और समानता, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता पर आधारित भविष्य के लिए

विचारधारा और प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार, इन लेखिकाओं का सृजन स्त्री-अस्तित्व के पुनर्पाठ और न्यायसंगत सामाजिक पुनर्संरचना की ओर एक निर्णायक बौद्धिक हस्तक्षेप सिद्ध होता है।



संदर्भ सूची

1. <https://map.sahapedia.org/article/Savitribai-Phule/6248?>
2. <https://www.amazon.in/-/hi/Bharti-Pandit/dp/9355365446>
3. http://kavitakosh.org/kk/आओ_ज्योत_जलाएँ/_भारती_पंडित
4. <https://streedarpan.com/dolan-rai/>
5. <https://streedarpan.com/dolan-rai/>



डॉ. आशा शर्मा

सहायक प्राध्यापिका
(हिंदी विभाग)
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय
पुंजविला, सोलन-173212
हिमाचल प्रदेश
संपर्क
ashasharma8210@gmail.com

रामराज्य का दार्शनिक पुनर्पाठ : आधुनिक संवैधानिक मूल्यों एवं मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में

शोध सारांश

भारतीय ज्ञान-परंपरा में मानवाधिकारों की अवधारणा केवल आधुनिक विमर्श नहीं, बल्कि शाश्वत सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में विद्यमान रही है। रामायण, विशेषकर वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य, मानव-गरिमा, कर्तव्य, न्याय और सामाजिक समानता जैसे मूलभूत सिद्धांतों का व्यापक और जीवंत प्रतिपादन करता है। इस ग्रंथ में राज्य, समाज और व्यक्ति का उद्देश्य केवल अधिकार-सुरक्षा ही नहीं, बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व और परस्पर सम्मान पर आधारित समरस जीवन-व्यवस्था का निर्माण है।

श्रीराम का आदर्श नेतृत्व आधुनिक मानवाधिकार सिद्धांतों का पूर्वाभास कराता है। प्रत्येक प्राणी के जीवन, सम्मान, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा का संरक्षण, स्त्री-गरिमा और सामाजिक समानता की रक्षा तथा प्रजा और शत्रु दोनों के प्रति करुणा एवं न्यायपूर्ण व्यवहार इसका केन्द्रीय तत्त्व है। सीता की गरिमा, जटायू का सम्मानजनक अंतिम संस्कार, सुग्रीव और वानर-समुदाय के अधिकारों का पुनर्स्थापन, अतिथि-धर्म, वनवासियों की सुरक्षा तथा निरपराधों के प्रति अहिंसा; ये सभी प्रसंग इस मूल्य-चिन्तन को सुदृढ़ करते हैं।

उक्त शोध-पत्र रामायण के सामाजिक-दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों की वैचारिक संरचना, उसके व्यावहारिक स्वरूप तथा रामराज्य की लोककल्याणकारी राजनीतिक अवधारणा को समकालीन मानवाधिकार सिद्धांतों से तुलनात्मक रूप में विश्लेषित करता है। निष्कर्षतः, रामायण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि मानवीय सह-अस्तित्व, न्याय और संवेदनशील शासन की कालजयी जीवन-व्यवस्था का मानक भी है, जो वर्तमान वैश्विक मानवाधिकार विमर्श को नैतिक आधार और सांस्कृतिक गहराई प्रदान कर सकता है।

बीज शब्द

1. मानवाधिकार 2. रामराज्य 3. वाल्मीकि रामायण 4. सामाजिक न्याय 5. स्त्री-सम्मान 6. प्रजा-कल्याण 7. दण्ड-विधान और धर्म 8. सांस्कृतिक-मानवाधिकार 9. नैतिक शासन-दर्शन 10. सार्वभौमिक गरिमा

मूल शोध

मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं, जो मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होने चाहिए। मानवाधिकारों की संकल्पना मानवता के दर्शन पर आधारित है। देखा जाए तो मानवाधिकार दर्शन के केन्द्र में मानव है, मानव अपनी तर्क बुद्धि या अंतरात्मा की प्रेरणा से मनुष्य मात्र को विशेष गरिमा और मान्यता प्रदान करता है। वास्तव में यही विचार मानव अधिकारों की अवधारणा का मूल स्रोत भी है। मानव अधिकारों की एकमात्र सीमा मानवता होती है। मानव अधिकार वे अधिकार हैं, जो मनुष्य की प्रकृति में अन्तर्निहित हैं और जिनके बिना कोई भी मनुष्य के रूप में जीवित नहीं रह सकता। यह बात न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका द्वारा मानव अधिकार की इस परिभाषा से भी ध्वनित होती है। **“Human rights, rights that belong to an individual or group of individuals simply for being human or as a consequence of inherent human vulnerability or because they are requisite to the possibility of a just society. Whatever their theoretical justification, human rights refer to a wide continuum of values or capabilities thought to enhance human agency or protect human interests and declared to be universal in character, in some sense equally claimed for all human beings present and future....”** एक अन्य परिभाषा में - **“मानवाधिकार वे नैतिक सिद्धान्त हैं, जो मानव व्यवहार से सम्बन्धित कुछ निश्चित मानक स्थापित करता है। ये मानवाधिकार स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा नियमित रूप से रक्षित होते हैं। ये अधिकार प्रायः ऐसे ‘आधारभूत अधिकार’ हैं जिन्हें प्रायः ‘न छीने जाने योग्य’ माना जाता है और यह भी माना जाता है कि ये अधिकार किसी व्यक्ति के जन्मजात अधिकार हैं।**

व्यक्ति के आयु, प्रजातीय मूल, निवास-स्थान, भाषा, धर्म, आदि का इन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये अधिकार सदा और सर्वत्र देय हैं तथा सबके लिए समान हैं।”²

मानव अधिकारों का विचार जिस तर्क पर आधारित है उस तर्क के आधार पर प्रारम्भ में प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना प्रस्तुत की गई। एक अंग्रेजी मूल के अमेरिकी संस्थापक, फ्रांसीसी क्रांतिकारी, आविष्कारक, राजनीतिक दार्शनिक और राजनेता थॉमस पेन ने प्राकृतिक अधिकारों को ही ‘मनुष्य के अधिकार’ की संज्ञा दी। **“मानव अधिकार प्रकृति में उत्पन्न होते हैं; इसलिए, अधिकार राजनीतिक चार्टर के माध्यम से प्रदान नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि अधिकार कानूनी रूप से निरस्त करने योग्य हैं, इसलिए, वे विशेषाधिकार होंगे।”**³

मानव सभ्यता के इतिहास में ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का उद्घोष मनुष्य की वैचारिक यात्रा का वह प्रस्थान बिन्दु है, जहाँ से मानवाधिकार की चिन्तन प्रक्रिया प्रारम्भ होती है और व्यक्ति अपने स्व. समूह तथा परिवार को सम्पूर्ण वैश्विक जगत से जोड़कर समाज को इतना विस्तार देता है कि पूरी दुनिया ही कुटुम्ब बन जाती है। भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता रही है कि इसमें लौकिक व्यवहार के क्षेत्र में सर्वदा वैसे ही मूल्यों एवं सिद्धान्तों को स्थान दिया गया है, जो व्यक्ति में ब्रह्माण्ड के साथ एकाकार करने का भाव सृजित करें। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ का भाव ज्योंही व्यवहार का रूप लेता है, मनुष्य का महान चरित्र जीवंत हो उठता है। सभी दुष्प्रवृत्तियाँ जो मनुष्य को अंहकारी, अनाचारी व मदांध बनाती हैं, वे स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जीवन-जगत के संबंध में अतुलनीय चिंतन, परम्परा से समृद्ध भारतवर्ष की धरती पर विगत चंद दशक से गंभीर विचार मीमांसा का विषय बना मानवाधिकार कितना आधुनिक है और कितना प्राचीन एक विवादास्पद एवं ज्वलन्त प्रश्न है जब तक कि इसका सर्वमान्य उत्तर न ढूँढ लिया जाए।

4 जुलाई 1776 में अमेरिकी स्वतन्त्रता के घोषणा

पत्र में स्पष्ट कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी वर्ण, जाति, लिंग, सम्प्रदाय या किसी मत को मानने वाला हो, सभी को समुचित विकास, संरक्षण और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाना चाहिए। मानवाधिकार का महत्त्व इस बात पर आधारित है कि, रोटी, कपड़ा और मकान जहाँ व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, वहीं उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाई जाएँ। इसी कारण भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व भी मानवाधिकार व उनके संरक्षण की स्पष्ट घोषणा करते हैं। “मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि ‘प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाएँ शामिल हैं, और बेरोज़गारी, बीमारी, विकलांगता, विधवापन, वृद्धावस्था या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों में आजीविका की कमी की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है।”⁴ हमारी ऋग्वैदिक संस्कृति हो या ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक ग्रन्थ, स्मृतियाँ, उपनिषद हो सभी मानव के गरिमामयी जीवन के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

रामायण, जो कि हिंदू धर्म का आदर्श ग्रन्थ है, मानवाधिकार व उनके संरक्षण के उदाहरणों की अद्भुत झाँकी प्रस्तुत करता है। भगवान श्रीराम जीवन पर्यन्त मानवाधिकार के लिए संघर्षरत रहे। वेदानुवर्तक वाल्मीकि ने मानवाधिकार के प्रतिष्ठापक राजा राम के मुख से यही कहलवाया है कि राजा का धर्म अपने राज्य के सभी निवासियों का समान रूप से धर्मानुसार परिपालन करना है। अयोध्याकाण्ड के सर्ग 100 के 48वें श्लोक के अनुसार-

“तोषां गुप्तिपरीहारैः कच्चिते भरणं कृतं

रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः ॥४८॥”⁵

मानव के सम्मानजनक सार्थक जीवन हेतु अनिवार्य साधनोपकरण और सुरक्षात्मक दशाओं को ही आधुनिक

मानवाधिकार की संज्ञा प्रदान की गई है। रामायणकालीन राजाओं ने प्रत्येक मानव के आत्यंतिक विकास हेतु राज्य द्वारा अधिकारों को समानता से उपलब्ध करवाया व दण्ड धारण करने वाले विद्वान राजा को धर्मानुसार मानव जीवन के कल्याणार्थ, किये जाने वाले समस्त कर्म को राजा का परम धर्म माना गया है। रामायण में मानव को कल्याणकारी कर्मों में प्रवृत्त करने हेतु मानवता के उन्नायक राम द्वारा समस्त कर्तव्यों को धर्म की परिधि में प्रतिष्ठित किया गया। राम का जीवन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और हमेशा सत्य और न्याय का पक्ष लिया चाहे स्थितियाँ कितनी ही विपरीत क्यों न हों।

रामायण में स्त्रियों के सम्मान की अवधारण भी महत्त्वपूर्ण है। सीता का उदाहरण दृष्टव्य है। राम ने सीता के मान सम्मान की सदैव रक्षा की है। बेशक उनको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह के अधिकार प्राप्त थे। जहाँ सीता को सहनशील, ज्ञानी, पवित्र व श्रेष्ठ नारी के रूप में चित्रित किया गया है वहीं कैकेयी, उर्मिला, मंदोदरी, सुलोचना आदि अन्य स्त्री पात्र भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रामायण के बालकाण्ड में वर्णन हुआ है कि राजा कुशनाभ की सौ कन्याओं पर वायु की कुदृष्टि पड़ती है, वे बलात् उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, इच्छा पूरी न होने पर सबको कुब्जा बना देते हैं। बालकाण्ड के सर्ग 33 के द्वितीय श्लोक के अनुसार-

“वायुः सर्वात्मको राजन् प्रधर्षयितुमिमिच्छति।

अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते ॥२॥”⁶

वे सभी अत्यंत कुरूप हो जाती हैं व शारीरिक पीड़ा को सहन करती हैं। अमानवीय जीवन बिताती हैं। राजा ब्रह्मदत्त उन कन्याओं से विवाह कर उनको पुनः मानवीय जीवन प्रदान करते हैं। बालकाण्ड के सर्ग 33 के 23वें श्लोक के अनुसार-

“यथाक्रमं तदा पाणिं जग्राह रघुनन्दन।
ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतिर्यथाः॥२२॥
स्पृष्टमात्रे तदा पाणौ विकुब्जा विगतज्वराः।
युक्तं परमया लक्ष्म्या बभौ कन्याशतं तदा॥२३॥”⁷

रामायण का ये आख्यान वर्तमान समय में युवतियों पर एसिड अटैक के समान ही प्रतीत होता है। किन्तु राम राज्य में किसी भी स्त्री पर अत्याचार नहीं होने दिया जाता था। स्त्री सम्मान की रक्षा हेतु राज परिवार शस्त्र उठा लेता था। किष्किन्धाकाण्ड में बालि सुग्रीव को राज्य से निकाल कर उसकी पत्नी को बलात् अपने पास रख लेता है, तब श्रीराम सुग्रीव की सहायता करते हुए उसके अधिकार की रक्षा कर बालि का संहार करते हैं और सुग्रीव को किष्किन्धा राज्य का नृपत्व प्रदान करते हैं। राक्षसराज रावण, जिसके जीवन का उद्देश्य परोत्पीड़न, हिंसा, आतंक, अत्याचार व अन्य जनों के मानवाधिकार का हनन करना है। हनुमान, अंगद, मन्दोदरी, विभीषण एवं उसके इस कुकृत्य में सहयोग देने वाला मारीच भी उसके इस (सीताहरण) अमानवीय कार्य की निन्दा करता है और उसे यह अपराध करने से रोकता है। अरण्यकाण्ड के सर्ग 38 के श्लोक 30 और 31 में यह स्पष्ट हुआ है।

“परदाराभिमर्शात् तु नान्यत् पापतरं महत्।
प्रमदानां सहस्राणि तव राजन् परिग्रहे॥३०॥
भव स्वदारनिरतः स्वकुलं रक्ष राक्षसान्।
मानं वृद्धिं च राज्यं च जीवितं चेष्टमात्मनः॥३१॥”⁸

हालाँकि रावण सीता का अपहरण करता है जो मानवाधिकार के खिलाफ था, किन्तु फिर भी वह उनके साथ कोई असम्मानजनक व्यवहार नहीं करता है। वह सीता से सम्मानजनक व्यवहार करता है। यथा-“हे मिथिलेश नन्दिनी। ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे न चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा। भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छानुसार प्रहार करें।” इसी प्रकार रामायण काल में सतीत्व को महत्त्व दिया गया जिसकी वर्तमान में भी महती आवश्यकता है। रामायण काल में स्त्री वध को पाप कहा गया है, लेकिन समाज

विरोधी कार्य करने वाली स्त्रियों का वध क्षम्य कहा गया है। बालकाण्ड के सर्ग 25 के श्लोक 19 के अनुसार-

“राज्यभारनियुक्तनामेष धर्मः सनातनः।
अधर्म्या जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्याम् न विद्यते॥१९॥”⁹

वर्तमान में भी स्त्रियों को बहुत से अधिकार दिये जाते हैं, किंतु यत्र-तत्र उनके दुरुपयोग की खबरें भी मिलती हैं, तो उनके लिए दंड भी निश्चित है। रामायण काल में स्त्रियों को पति के साथ धार्मिक कार्यों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था। अपनी इच्छा से सम्पत्ति का लेन-देन करना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार भी था। कई स्त्रियाँ राजधर्म की श्रेष्ठ ज्ञाता थीं व राजनैतिक कार्यों में सक्रिय थीं।

रामायण में सब जीवों का समान रूप से संरक्षण करना एवं सबके सम्मान सहित जीवनयापन की व्यवस्था करना राजा का परम धर्म बतलाया गया है। आधुनिक मानवाधिकार में भी मानव मात्र के लिए इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति या अनिवार्य उपलब्धता की उद्घोषणा की गई है। मानवाधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं चाहे उनका मूल वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ये सभी की गरिमा व स्वतन्त्रता के अनुरूप व आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये मानव के नैतिक एवं भौतिक विकास के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।

रामायण कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण से सम्बद्ध अनेक श्लोक उल्लिखित हैं। तथापि निदर्शन के तौर पर बालकाण्ड सर्ग 6/6 में यह श्लोक दृष्टव्य है-

“तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः।
नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः॥६॥”¹⁰

अर्थात्- उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी

तथा अपने-अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। स्पष्टतः तत्कालीन राजतन्त्रीय व्यवस्था में सबके नागरिक-सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार समान रूप से सर्वथा रक्षित सम्पोषित थे। परिणामतः सबका स्वाभाविक रूप से पूर्ण विकास होता था। पितृतुल्य राजा सबके व्यक्तित्व के विकास के लिए समान राज्याश्रय देता था। अयोध्याकाण्ड सर्ग 2/4 में उल्लेखित है-

**“विदितं भवतामेतद् यथा मे राज्यमुत्तमम्।
पूर्वकैर्मम राजेन्द्रैः सुतवत् परिपालितम्ः॥४॥”¹¹**

तत्कालीन लोक कल्याणकारी शासन-व्यवस्था में मानव-मानव के मध्य असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। रामायण काल में राजा समस्त व्यक्तियों के जीवन को गरिमा प्रदान करते हुए सबके भरण-पोषण, रक्षण-शिक्षण तथा स्वावलम्बन की व्यवस्था स्वयं करते थे। तत्कालीन समाज में सबको यथायोग्य आजीविका भी उपलब्ध थी। अयोध्याकाण्ड सर्ग 100/25 में व्याख्यायित है।

**“कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः।
जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः।”¹²**

रामायण काल में प्रत्येक मनुष्य के विकास का अधिभार राजा के कन्धों पर होता था। सबके व्यक्तित्व उन्नयन हेतु समान अवसर उपलब्ध था। सभी व्यक्ति स्वेच्छा से एक देश से दूसरे देश या स्थान पर स्वच्छन्दतापूर्वक भ्रमण-विचरण करते थे। दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ, सीता के स्वयंवर एवं विश्वामित्र द्वारा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ में सभी देशों के ब्रह्मविदों का आगमन इसका प्रमाण है।

रामायण के अनुसार राजा का परम कर्तव्य समान रूप से सबके अभ्युदय हेतु कर्म करना है, क्योंकि प्रजा से उसकी आयु का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करके भी प्रजावर्ग की रक्षा न करने वाला राजा महान अधर्म का भागी होता है। अयोध्याकाण्ड सर्ग 75 श्लोक 25 के अनुसार-

**“बलिषड्भागमुद्धृत्य नृपस्यारक्षितुः प्रजाः।
अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः॥२५॥”¹³**

इसी प्रकार, सामूहिक रूप से संगठन बनाने, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने, निर्भीकता से विचार अभिव्यक्त करने, विवाह करने, कुटुम्ब स्थापित करने, संचालन और अपना निवास चुनने का अधिकार सभी मनुष्यों, वानरों एवं राक्षसों को भी समान रूप से प्राप्त था।

रामायण भारतीय समाज का मूल स्रोत है। यह भारतीय संस्कृति का आधार है। रामायण की रचना मानव जीवन के सर्वांगीण विकास एवं शाश्वत जीवन मूल्यों को प्रेरित करने वाली है। रामायण में प्राणिमात्र के अधिकारों के प्रति संवेदनशील और मानव-कल्याण के लिए सतत् प्रयत्नशील रहने का संदेश मिलता है। प्रथा, परम्परा, जीवनमूल्य, प्रत्येक स्थिति में नैतिकता का अभिपालन, समानता एवं बन्धुता का धैर्य के साथ पालन करना इस ग्रंथ में वर्णित है।

रामायण में वर्णित राक्षस मानवाधिकार का हनन करने वाले आतंकवादियों के समान दृष्टिगोचर होते हैं। श्रीराम उन राक्षसों का संहार करके ऋषियों को उनके आतंक से मुक्ति दिलवाते हैं। सीता श्रीराम से राक्षसों के वध की प्रार्थना करती है, परंतु इसमें भी निरपराध प्राणी की हानि नहीं होनी चाहिए। यह अरण्यकाण्ड के सर्ग 9 व श्लोक 14-15 में वर्णित किया गया है।

**“त्वं हि बाण धनुष्पाणिर्धात्रा सह वनं गतः।
दृष्ट्वा वनचरान् सर्वान् किञ्चित्त्वत् कुर्याः शरव्ययम्॥१४॥**

क्षत्रियापामिह धनुर्हताशस्येन्धनानि च।

समीपतः स्थितं तेजोबल मुच्छ्रयते भृशम्॥१५॥”¹⁴

श्रीराम प्रत्येक जीव के सूक्ष्म से सूक्ष्म अधिकार की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। पक्षीराज जटायू को रावण द्वारा धराशायी करने पर श्रीराम विधिपूर्वक मृतात्मा के अधिकार अन्तिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं। अरण्यकाण्ड सर्ग 68 के श्लोक 27 के अनुसार-

**“सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम् ।
गृधराजं दिक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम् ॥२७॥”¹⁵**

हिंदू धर्म में अन्तिम संस्कार प्रत्येक मरणात्मा का अधिकार है। इसीलिए श्रीराम कहते हैं कि बुरे व्यक्ति के बुरे कर्म उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं, अतः मृत आत्मा के प्रति बैर उचित नहीं है। अतः शीघ्र रावण का अन्तिम संस्कार करो। युद्धकाण्ड सर्ग 99, श्लोक 39 में-

**“मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम् ।
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तवः ॥३९॥”¹⁶**

राजा बनने के पीछे उनका उद्देश्य प्रत्येक प्राणी के अधिकारों का संरक्षण करना रहा। उनके राज्य में किसी भी मानव के अधिकारों का हनन नहीं होता था। इसी कारण आज भी अच्छे राज्य को रामराज्य कहकर उपमित किया जाता है।

निष्कर्ष

वर्तमान में मानवाधिकारों के प्रति भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ी है, परंतु जब परिवार में माता, पत्नी, बेटी की बात आती है व समाज में गरीब-अमीर व जात-पाँत से ऊपर उठकर मानवाधिकार देने की बात आती है, तब हम पीछे हट जाते हैं। अधिकार प्रदान तो कर दिये गए हैं, परंतु उनका पालन की स्थिति कई क्षेत्रों में चिन्ताजनक है। भारत में आतंकवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद व बढ़ते सामाजिक अपराध मानवाधिकार के हनन को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी ओर आतंकवादी रामायणकालीन राक्षसों की भाँति प्रत्येक जन को अपनी हिंसा का शिकार बनाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि वाल्मीकिय रामायण के आदर्श चरित्रों से प्रेरणा लेकर समाज का नैतिक उत्थान किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम, स्नेह व आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तभी समाज में सभी को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार मिलेगा व अपने व्यक्तित्व के

विकास के समान अवसर व परिस्थितियाँ प्राप्त होंगी। जिस प्रकार, राम-लक्ष्मण ने राक्षसों का वध करके समाज को भय मुक्त किया, सभी के मानवाधिकार की रक्षा की, उसी तरह हम सभी को समाज में व्याप्त हर कुरीति, कुप्रथा का खंडन कर समाज को भय मुक्त बनाने की आवश्यकता है।



संदर्भ सूची

1. <https://www.britannica.com/topic/human-rights>
2. <https://hi.wikipedia.org/wiki/मानवाधिकार>
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Rights_of_Man
4. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
5. <https://stotranidhi.com/hi/ayodhya-kanda-sarga-100-in-sanskrit/>
6. <https://www.ramcharit.in/valmiki-ramayana-balakanda-sarga-chapter-33-slokas-with-hindi-meaning/>
7. <https://www.ramcharit.in/valmiki-ramayana-balakanda-sarga-chapter-33-slokas-with-hindi-meaning/>
8. <https://www.ramcharit.in/valmiki-ramayana-aranyakanda-sarga-chapter-38-slokas-with-hindi-meaning/>
9. <https://www.ramcharit.in/valmiki-ramayana-balakanda-sarga-chapter-25-slokas-with-hindi-meaning/>
10. <https://www.dharmasansar.com/2025/08/valmiki-ramayan-bal-kand-hindi.html>
11. <https://www.ramcharit.in/valmiki-ramayana-ayodhyakanda-sarga-chapter-2-slokas-with-hindi-meaning/>
12. <https://www.ramcharit.in/valmiki-ramayana-ayodhyakanda-sarga-chapter-100-slokas-with-hindi-meaning/>
13. <https://www.ramcharit.in/valmiki-ramayana-ayodhyakanda-sarga-chapter-75-slokas-with-hindi-meaning/>
14. <https://www.ramcharit.in/valmiki-ramayana-aranyakanda-sarga-chapter-9-slokas-with-hindi-meaning/>

15. <https://www.ramcharit.in/valmiki-ramayana-aranyakanda-sarga-chapter-68-slokas-with-hindi-meaning/>
16. <https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/the-ramayana-sanskrit/d/doc721126.html>

